उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

---:o:---

खंड १६०

---:o:---

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

से

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५ तक

मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत ।

१९५६

मूल्य ; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने ।

वार्षिक चन्दा ; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये ।

विषय सूची

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

बृहस्पतिवार, २४ नवम्बर, १९५५

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी।

मंत्रि–परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री, तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन, तथा मादक कर मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मंत्री।

श्री हरगोविंद सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, निर्माण मंत्री।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज–कल्याण मंत्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल०बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पुलिस उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, कारावास उपमंत्री।

श्री राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल उपमंत्री।

डाक्टर सीता राम, एम० एस-सी० (बिस), पी०एच० डी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा सदस्य ।

२—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य ।

कृषि मंत्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य ।

सूचना मंत्री के सभा सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद् सदस्य ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२	अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३	अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४	अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५	अनन्त स्वरूप सिंह श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६	अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७	अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८	अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९	अमृत नाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०	अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११	अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१२	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१३	अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१४	आत्मा राम गोविंद खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१५	आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय]
१६	आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१७	इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१८	इसरारुल हक, श्री	..	फिरोजाबाद-फतेहाबाद
१९	इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२०	उदय भान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२१	उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२२	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२३	उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेहीघाट
२४	उम्मेदसिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५	उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६	ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२७	ओंकारसिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२८	कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०	कमलासिंह, श्री	..	सैदपुर
३१	कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहम्मदी (पूर्व)
३२	करणसिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३३	करनसिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४	कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३५	कल्याण राय, श्री	..	हुजूर मिलक (उत्तर)
३६	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३७	कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३८	कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
३९	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर

क्रम सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४०—किन्दर लाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४१—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४२—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४३—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४४—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण—पूर्व)
४५—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४६—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४७—केदार नाथ श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४८—केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४९—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५०—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५१—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर पूर्व)
५२—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५३—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५४—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५५—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
५६—खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५७—गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५८—गंगाधर मैठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
५९—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६०—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण—पूर्व) गोंडा—(दक्षिण)
६१—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६२—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६३—गज्जूराम, श्री	..	मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६४—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६५—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६६—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण—पश्चिम)
६७—गिरजा रमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६८—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६९—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७१—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७२—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७३—गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७४—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७५—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७६—गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
७८—घासी राम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई—जालौन (दक्षिण)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
८०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	लखनऊ नगर (पूर्व)
८१	चन्द्रवती, श्रीमती	बिजनौर (मध्य)
८२	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
८३	चन्द्रहास, श्री	हरदोई (पूर्व)
८४	चरणसिंह, श्री	बागपत (पश्चिम)
८५	चित्तर सिंह निरंजन, श्री	कोंच
८६	चिरंजी लाल जाटव, श्री	जलेसर–एटा (उत्तर)
८७	चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	छिबरामऊ (दक्षिण)–कन्नौज (दक्षिण)
८८	चुन्नी लाल सगर, श्री	बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
८९	छेदालाल, श्री	शाहाबाद (पूर्व)–हरदोई (उत्तर–पश्चिम)
९०	छेदालाल चौधरी श्री	लखीमपुर (दक्षिण)
९१	जगत नारायण, श्री	नवाबगंज (उत्तर)
९२	जगदीश प्रसाद, श्री	हसनपुर (दक्षिण)–सम्भल (पश्चिम)
९३	जगदीश सरन, श्री	बरेली नगरपालिका
९४	जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	सम्भलपुर (पूर्व)
९५	जगनप्रसाद रावत, श्री	खैरगढ़
९६	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	निघासन–लखीमपुर (उत्तर)
९७	जगन्नाथ बख्श दास, श्री	रामसनेही घाट
९८	जगन्नाथ मल्ल, श्री	पडरौना (उत्तर)
९९	जगन्नाथ सिंह, श्री	बलिया (उत्तर–पूर्व)–बांसडीह (दक्षिण–पश्चिम)
१००	जगपति सिंह, श्री	मऊ–करवी–बबेरू (पूर्व)
१०१	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०२	जटाशंकर शुक्ल, श्री	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
१०३	जयपाल सिंह, श्री	रुड़की (पश्चिम) –सहारनपुर (उत्तर)
१०४	जयराम वर्मा, श्री	अकबरपुर (पश्चिम)
१०५	जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	खेन–टेहरी (उत्तर)
१०६	जवाहर लाल, श्री	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
१०७	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर नगर (पूर्व)
१०८	जुगलकिशोर, आचार्य	मथुरा (दक्षिण)
१०९	जोरावर वर्मा, श्री	महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
११०	ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	गोंडा (पश्चिम)
१११	झारखंडे राय, श्री	घोसी (पश्चिम)
११२	टीका राम, श्री	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
११३	डल्ला राम, श्री	मिश्रिख
११४	डालचन्द, श्री	माट–सादाबाद (पश्चिम)
११५	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	सिधौली (पश्चिम)
११६	तिरमल सिंह, श्री	कासगंज (उत्तर)
११७	तुलाराम, श्री	औरैया–भरथना (दक्षिण)
११८	तुलाराम रावत, श्री	मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
११९	तेजप्रताप सिंह, श्री	मौदहा (दक्षिण)
१२०	तेज बहादुर, श्री	लालगंज (उत्तर)
१२१	तेजासिंह, श्री	गाजियाबाद (उत्तर–पश्चिम)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१२२—	त्रिलोक नाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२३—	दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२४—	दर्शन राम, श्री	..	मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व)
१२५—	दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२६—	दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२७—	दानाराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१२८—	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१२९—	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३०—	दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३१—	देवकी नन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३२—	देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३३—	देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३४—	देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३५—	देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३६—	देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३७—	देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१३८—	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१३९—	द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मरियाहूं (उत्तर)
१४०—	द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४१—	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४२—	धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४३—	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४४—	नत्थूसिंह, श्री	..	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
१४५—	नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४६—	नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१४७—	नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
१४८—	नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)
१४९—	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला (पश्चिम)
१५०—	नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५१—	नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५२—	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५३—	नारायणदत्त दास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५४—	नारायणदीन, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५५—	निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५६—	नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५७—	नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५८—	नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१५९—	पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६०—	परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोराव (दक्षिण)
१६१—	परमेश्वरी दयाल, श्री	..	केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
१६२—	परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६३—	पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६४—	पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)

क्रम सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१६५—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर–आगरा (पूर्व)
१६६—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६७—पुलिन विहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६८—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१६९—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)–जलालाबाद (पूर्व)
१७०—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर–पश्चिम)
१७१—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७२—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७३—फजलुलहक, श्री	..	रामपुर नगर
१७४—फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७५—फूल सिंह, श्री	..	देवबन्द
१७६—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७७—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१७८—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१७९—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
१८०—बलबीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८१—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला, (उत्तर)
१८२—बलवन्त सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)
१८३—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८४—बसन्त लाल, श्री	..	कालपी–जालौन (उत्तर)
१८५—बसन्त लाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८६—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८७—बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१८८—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१८९—बाबू लाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९०—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)–प्रतापनगर
१९१—बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९२—बेचन राम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर–पश्चिम)
१९३—बेचन राम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९४—बेनी सिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९५—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९६—बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९७—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
१९८—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)–शाहगंज (पश्चिम)
१९९—भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)–गोरखपुर (दक्षिण)
२००—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ (पूर्व)
२०१—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
२०२—भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०३—भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०४—भुवर जी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)–हंडिया (उत्तर–पश्चिम)
२०५—भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०६—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांस (दक्षिण–पूर्व)
२०७—भोला सिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण–पश्चिम)

क्रम संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२०८—मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२०९—मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा—करछना (दक्षिण)
२१०—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२११—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१२—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१३—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१४—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़—चरखारी
२१५—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१६—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर—टांडा—बिलासपुर
२१७—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर—पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)
२१८—महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२१९—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२०—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२१—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलाल गंज
२२२—महावीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)—देवरिया
२२३—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२४—मानधाता सिंह श्री	..	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण—पश्चिम)
२२५—मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
२२६—मिहरबान सिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—(इटावा उत्तर)
२२७—मुजफ्फर हसन, श्री	..	बायल (उत्तर)
२२८—मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व)
२२९—मुन्नू लाल, श्री	..	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
२३०—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर—अकबरपुर
२३१—मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३२—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३३—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३४—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३५—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण—पश्चिम)—धामपुर (उत्तर—पूर्व)
२३६—मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२३७—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२३८—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२३९—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर—पूर्व)
२४०—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४१—मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछली शहर (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४३—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर—पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४५—मोहन लाल, श्री	..	सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)
२४६—मोहन लाल गौतम, श्री	..	खैर—कोइल (उत्तर—पश्चिम)
२४७—मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर—पूर्व)
२४८—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)

क्रम संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२४९—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५०—यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर—पश्चिम)
२५१—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण—पश्चिम)
२५२—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा—करछना (दक्षिण)
२५३—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५४—रघुवीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५५—रणंजय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२५६—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)
२५७—रमानाथ खेरा, श्री	..	महरौनी
२५८—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२५९—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६०—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण—पश्चिम)
२६१—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६२—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६३—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६४—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६५—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण—पश्चिम) — देवरिया दक्षिण—पूर्व)
२६६—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२६७—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुन्डा (उत्तर)
२६८—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२६९—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७०—राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७१—राजेश्वर सिंह, श्री	..	बदायूं (दक्षिण—पश्चिम)
२७२—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७३—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७४—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर—पश्चिम)—पट्टी (उत्तर—पश्चिम)
२७५—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७६—राम अनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२७७—राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२७८—राम किंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर—पश्चिम)—पट्टी (उत्तर—पश्चिम)
२७९—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८०—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८१—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८२—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८३—रामचरन लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८४—रामजी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८५—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण—पश्चिम)—हाटा (दक्षिण—पश्चिम)
२८६—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)

क्रम संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२८७—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२८८—राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२८९—राम नरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९०—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९१—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
२९२—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९३—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९४—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९५—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
२९६—रामभजन, श्री	..	मोहम्मदी (पश्चिम)
२९७—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
२९८—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
२९९—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३००—रामलखन, श्री	..	चकिया–चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०१—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)
३०२—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०३—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०४—रमाशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०५—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०६—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३०७—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)
३०८—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३०९—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद, (दक्षिण)
३१०—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३११—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१२—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी–राबर्टसगंज
३१३—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१४—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
३१५—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१६—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३१७—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३१८—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१९—रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२०—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२१—लक्ष्मण राव कदम, श्री	..	मऊ–मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
३२२—लक्ष्मी देवी, श्रीमती	..	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
३२३—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
३२४—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२५—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२६—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट–जौनपुर (दक्षिण)
३२७—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३२८—लीलाधर अस्थाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)

क्रम संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३२९—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३०—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३१—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३२—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३३—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३४—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३५—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३६—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३७—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३३८—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३३९—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४०—विश्राम राय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४१—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४२—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४३—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४४—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४५—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४६—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३४८—वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३४९—व्रज भूषण मिश्र, श्री	..	दुधी राबर्ट्सगंज
३५०—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५१—व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५२—व्रजबिहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५३—व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५४—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५५—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५६—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३५७—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३५८—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३५९—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६०—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६१—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६२—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६३—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६४—शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६५—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३६६—शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३६८—शिवराम पांडेय, श्री	..	खोरापुर (उत्तर)
३६९—शिवराम राम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)

क्रम संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३७०—शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७१—शिवबचन राव, श्री	..	सलेमपुर (उत्तर)
३७२—शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७३—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७४—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७५—शुगन चन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३७६—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३७७—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३७८—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३७९—श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८०—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८१—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८२—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८३—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८४—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती	..	कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८५—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३८६—सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलेमपुर (पूर्व)
३८७—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३८८—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरैया—भरथना (दक्षिण)
३८९—सत्य सिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९०—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९१—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९२—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर एटा (उत्तर)
३९३—शालिगराम जायसवाल, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
३९४—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९५—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
३९६—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
३९७—सीता राम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण—पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
३९८—सीता राम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण—पश्चिम)
३९९—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
४००—सुन्दरदास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर)
४०१—सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
४०२—सुरजूराम, श्री	..	सगड़ी (आजमगढ़) (उत्तर)
४०३—सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४०४—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०५—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०६—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०७—सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४०८—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४०९—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)
४१०—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४११—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)

क्रम संख्या सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४१२—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य–पूर्व)
४१३—हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१४—हरगोविंद पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१५—हरगोविंद सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१६—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१७—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४१८—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४१९—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२०—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर–पश्चिम)
४२१—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२२—हरि सिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२३—हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२४—हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
४२५—होती लाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२६—(रिक्त)	..	फतेहपुर (उत्तर)
४२७—(रिक्त)	..	तरबगंज (दक्षिण–पूर्व)–गोंडा (दक्षिण)
४२८—(रिक्त)	..	फतेहपुर (दक्षिण)
४२९—(रिक्त)	..	आगरा नगर (पश्चिम)
४३०—(रिक्त)	..	बिलग्राम (पश्चिम)
४३१—(रिक्त)	..	बदायूं (उत्तर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव, विधान मंडल

श्री मिट्ठनलाल, एच० जे० एस०।

सचिव, विधान सभा

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

विशेष कार्याधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।
श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भुवरजी, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी ,श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने वालों को छात्रवृत्ति

**१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय कितने कार्यकर्त्ता ग्रामस्तरीय शिक्षा पूरे राज्य मे पा रहे हैं और उन्हे कितनी कितनी रकमें छात्रवृत्ति मे दी जा रही है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—राज्य मे इस समय ७३१ कार्यकर्त्ता ग्रामस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति १ अक्टूबर से देने के आदेश हो रहे हैं। गोकि उन्हें छात्रवृत्ति देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

**२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इसकी सूचना भी सरकार को है कि शिक्षार्थियों की एक बड़ी संख्या छात्रवृत्ति न पाने के कारण ट्रेनिंग छोड़ कर चली गई है ? जो लोग बीच में ट्रेनिंग छोड़ कर गये हैं, उनकी संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। केवल ३० ग्राम सेवकों ने प्रशिक्षण केंद्रों को छोड़ा है। जिन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों को छोड़ा है उनके केंद्र छोड़ने का कारण स्पष्ट नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि शिक्षार्थी जो ग्रामस्तरीय कार्यकर्त्ता है उनको पिछले वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती थी लेकिन वह इस वर्ष बन्द कर दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस वर्ष के बजट मे इसका कोई प्राविजन नहीं रखा गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष छात्रवृत्ति कितनी मिलती थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—छात्रवृत्ति के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, इसलिये मैं नहीं बतला सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जो ३० रु० माहवार छात्रवृत्ति दिये जाने का आदेश दिया गया है वह इसी वर्ष के लिये लागू होगा या भविष्य के लिये भी लागू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जो आदेश दिया गया है वह इसी वर्ष के लिये है। आगामी वर्ष जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी है उसके तहत मे शिक्षण के लिए कुछ योजनायें रची जा रही हैं और उनको मंजूर कर लेने के बाद शायद अगले वर्ष उस योजना के तहत मे कुछ धनराशि का प्रबन्ध उसके लिये रहेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये शिक्षार्थी प्रदेश के किसी एक स्थान मे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विभिन्न स्थानों मे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये शिक्षार्थी ११ स्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक अक्टूबर से ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति देने की आज्ञा किस तारीख को प्रसारित की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सितम्बर के आखिर में।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में ओला से क्षति

*१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या माल मंत्री को पता है कि जौनपुर जिले के बहुत से गांवों में इस वर्ष बहुत ही भीषण ओला गिरा है जिससे सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--जिला जौनपुर मे गत रबी की फसल के समय २६० गांवों में ओला गिरा था जिससे २१५ गांवों मे फसल को बहुत हानि पहुंची थी।

*२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार उन गांवों की एक सूची मेज पर रखेगी?

*३--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने ओलापीड़ित किसानों को किस रूप में किन-किन गांवों में क्या सहायता दी है?

श्री चरणसिंह--जौनपुर जिले में ओला से क्षतिग्रस्त ग्रामों मे हानि की मात्रा का विवरण इस प्रकार है:--

नाम तहसील	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या				
	हानि कुल	हानि रु० में १२ आना	हानि रु० मे १० आना	हानि रु० मे ८ आना	हानि रु० में २ आना
१--मड़ियाहू	..	१४९	..	२	२
२--केराकत	४८	..	९	७	४३

ओला पीड़ित किसानों की सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यवाही की गई:--

	रु०	आ०	पा०
क--स्थगित मालगुजारी	४३,५०७	६	५
ख--मालगुजारी में छूट	१,१०,३१९	७	०
ग--स्थगित तकावी	१,४४४	१३	०
घ--तकावी जो दी गई	२५,०००	०	०
ङ--अहेतुक सहायता	४,०००	०	०

ग्रामवार विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ४३,५०७ रु० ६ आना ५ पाई की मालगुजारी जो स्थगित की गई थी, उसकी छूट की माफी कर दी गई या नहीं?

श्री चरण सिंह--वह माफ कर दी गई।

नदियों में बाढ़ के कारण आजमगढ़ जिले को क्षति

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन नदियों में सन् ५५ की जुलाई के तृतीय सप्ताह मे बाढ़ आई और कितने एकड़ फसल, कितने घर तथा कितने आदमी एवं पशु बरबाद हुए?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९ पर)

आजमगढ़ जिले के बाढ़पीड़ितों के लिए नावें

*५—श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन गांवों के बाढ़पीड़ितों के रक्षार्थ नावे प्रदान की गई हैं ?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ जिले के निम्नलिखित गांवों तथा कस्बों में नावें प्रदान की गईं।

गांवों के नाम			नावों की संख्या
१—दुर्बागा	..	..	१
२—पकड़ी बुजुर्ग	..	..	१
३—सूरजपुर	..	..	१
४—हरैया	..	..	१
५—अजगरा मशरकी	..	..	१
६—अजगरा देवारा नैनीजोर	..	..	१
७—मेड़कुल सुल्तानपुर	..	..	१
८—गजियापुर भूसाडीही दुवारा	..	..	२
९—महुला	..	..	१
१०—गांगेपुर	..	..	१
११—आजमगढ़	..	..	३
			१४

इसके अतिरिक्त २८ नावे जुलाई में और खरीदी गई थीं जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया गया। १६२ स्थानीय नावें भी बाढ़ के समय कार्य में लाई गईं। ५३ नावों का बनारस तथा गाजीपुर से प्रबन्ध किया गया। ३ मोटर बोट पी० डब्लू०डी० तथा ८ मोटर लांच मिलिट्री से प्रबन्ध करके कार्य में लाई गई।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*७-९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ३८-४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१७ अक्टूबर १९५५ को प्रश्न ४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*११-१२—श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४२-४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१३-१४—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४४-४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१५—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१६-१८—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१९-२१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१७ अक्टूबर, १९५५ को प्रश्न ५०-५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सचिवालय के पुनर्वासन विभाग में अवकाश प्राप्त लिपिकों की पुनर्नियुक्ति

*२२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के पुनर्वासन विभाग में कुछ रिटायर्ड क्लर्कों को पिछले कुछ वर्षों से पुन: नियुक्त किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी हां ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि नवीन और अधिक योग्य व्यक्तियों को यह अवसर क्यों प्रदान नहीं किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—जो काम उन लोगों के सुपुर्द है उसमें उनकी काफी योग्यता है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—ऐसे क्लर्कों की संख्या कितनी होगी ?

श्री हुकुम सिंह—दो ।

*२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में मेंहदावल-कछार रोड की खराब हालत

*२४—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल मेंहदावल कछार जिला बस्ती में जो सड़क टेस्ट वर्क से बनाई गई है उस पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री चरण सिंह—गत वर्ष मेंहदावल कछार जिला बस्ती में टेस्ट वर्क से दो सड़कें बनाई गई थीं जिन पर कुल १,८६,८०४ रु० ८ आ० व्यय हुआ था ।

*२५—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सड़क बाढ़ से जगह-जगह कट गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करवा कर जहां पुल की आवश्यकता हो पुल बनवायेगी ?

श्री चरण सिंह—जी हां दोनों सड़कें इस वर्ष बाढ़ से जगह-जगह कट गई हैं । इनकी मरम्मत इस वर्ष टेस्ट वर्क से की जायेगी । ये दोनों सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बस्ती की हैं इसलिये बोर्ड के अध्यक्ष को इन सड़कों पर आवश्यकतानुसार पुलियां बनवाने के लिए लिखा गया है ।

गाजीपुर जिले में खरौना, कुसही व तेतार पुर ग्रामों को गोमती से क्षति

*२६—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में खरौना, कुसही और तेतारपुर नाम के गांव गोमती नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

*२७—श्री कमलासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गांवों की कितनी जमीन बह गई है ?

श्री चरण सिंह—अभी पड़ताल पूरी नहीं हुई है इसलिये अपेक्षित सूचना इस समय नहीं दी जा सकती ।

*२८—श्री कमला सिंह—क्या सरकार इन गांवों के निवासियों को अन्यत्र बसाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २४–२५ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछे ।

श्री चरणसिंह—कुसही गांव मे कोई आबादी नहीं है इसलिये आबादी को हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। शेष दोनों गांवों के निवासी मजरूआ जमीन का मुआवजा देने को तैयार नहीं है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि तेतारपुर मौजे मे जो प्राइमरी स्कूल था वह भी ध्वस्त हो गया है?

श्री चरणसिंह—यह नहीं मालूम है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पड़ताल जो सरकार ने शुरू कराई है वह कब तक पूरी हो जायगी?

श्री चरणसिंह—ठीक तारीख तो नहीं बताई जा सकती लेकिन शायद वह अब तक पूरी हो गई होगी।

श्री कमलासिंह—अगर पूरा हो गया है तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी जमीन कट कर दूसरे जिले मे चली गई है?

श्री चरणसिंह—मैंने जवाब दिया है कि पूरी हो गई होगी।

श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि कुसही गांव की आबादी इसलिये नहीं दिखाई गई क्योंकि पूरी आबादी कट कर नदी से दूसरे जिले मे चली गई है?

श्री चरणसिंह—आबादी तो कट कर नहीं गई होगी।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी इसका पता लगाने की कृपा करेंगे कि पूरी आबादी नदी से कट कर चली गई है?

श्री अध्यक्ष—आप आबादी का कटना पूछते है या जमीन का?

श्री कमलासिंह—जमीन के ऊपर जो आबादी थी उसका।

श्री चरणसिंह—जमीन तो कटी है, और जहां जमीन कटी है वहां मकान जरूर कटे होंगे।

श्री कमलासिंह—तो क्या विशेष परिस्थिति मे जहां गांव और जमीन सब कट कर चली गई वहां वे नया गांव बसा कर सहायता देंगे?

श्री चरणसिंह—जैसा मैंने अर्ज किया कि गैर मजरुआ जमीन तो वहां के लिये नाकाफी है और उस पर वह बसना नहीं चाहते है। मजरुआ जमीन उनको चाहिये नहीं और साथ ही कहते है कि उसकी कीमत नहीं देंगे। अब कानून के मुताबिक गवर्नमेंट क्या इंतजाम कर सकती है तो उस सिलसिले मे क्या कानून बना है उसको देखने की कोशिश की लेकिन उसके लिये समय नहीं मिल सका। अगर कुछ मुमकिन है तो वह सहायता दी जायगी। लेकिन यह भी देखने की बात है कि अगर एक जगह के लिये यह चीज मान ली जाती है तो सब जगह इसको देना पड़ेगा और इससे बजट पर क्या असर पड़ेगा। यह सब गौर करना है।

सुल्तानपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में बाढ़ से हानि

*२९—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिला की किस तहसील मे बाढ़ से कितने घर गिरे है तथा फसल को कितनी हानि हुई है और उस तहसील को कितनी आर्थिक सहायता दी गई है?

नोट—तारांकित प्रश्न २९–३० श्री रामबली मिश्र ने पूछे।

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७० पर)

अमेठी तहसील में 'राजा का बांध' टूटने से क्षति

३०—श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह सूचित करेगी कि अमेठी तहसील में उजैनी स्थित "राजा का बांध" टूट जाने से कितने ग्रामों को क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—राजा का बांध टूट जाने से अमेठी तहसील के १४ ग्रामों को क्षति पहुंची है।

मिसोलर ग्राम सभा, जिला हमीरपुर का अग्निपीड़ितों के संबंध में प्रार्थना-पत्र

३१—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में मिसोलर ग्राम सभा (जिला हमीरपुर) की ओर से उनके पास कोई ऐसी दरख्वास्त आई है जिसमें ग्राम में हुये भयंकर अग्निकांड से पीड़ित किसानों की मालगुजारी की माफी की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या करने का इरादा रखती है ?

श्री चरणसिंह—कुछ प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, सदस्य विधान सभा के जरिये सरकार को मिले थे जिन्हें जिलाधीश हमीरपुर के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था। ग्राम सिसोलर में अग्निकांड के कारण १,३२७ रु० ५ आ० की मलगुजारी की वसूली खरीफ १३६३ फसली तक के लिये स्थगित कर दी गई है।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि ग्राम सभा की ओर से क्या ऐसी कोई दरख्वास्त आई है माननीय मंत्री जी के पास जिसमें मालगुजारी की छूट की दरख्वास्त की गई है लेकिन उसका कोई जिक्र उत्तर में नहीं है। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस दरख्वास्त का जिक्र उत्तर में क्यों नहीं है ?

श्री चरणसिंह—जी, जवाब मैंने इसलिये दिया है कि गांव सभा से नहीं आई लेकिन एम० एल० ए० की तरफ से आई।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस गांव में जो क्षतिग्रस्त लोग हैं उनकी मालगुजारी माफ करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—विचार कर चुके हैं और इरादा माफ करने का नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उस गांव के क्षतिग्रस्त लोगों की मालगुजारी माफ करने का इरादा सरकार क्यों नहीं रखती ?

श्री चरणसिंह—दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इनकी फसल की क्षति तब हुई जब गल्ला मकान पर जा चुका था यानी जब वह फसल खलिहान में थी तब नहीं क्षति हुई। तो नियम के मुताबिक इस तरह की माफी नहीं दी जा सकती। दूसरा कारण यह है कि अपवाद इस केस में यों नहीं किया जा सकता कि उनकी हालत अगर पहली फसल से खराब हो गई होती और उनको नुकसान बहुत हो गया होता तो एक्सटेनुएशन केस कर दिया जाता लेकिन वह भी नहीं है। इन दो कारणों से माफी देना मुनासिब नहीं समझा जाता।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन किसानों का गल्ला जिनको बहुत थोड़ा ही समय खलिहान से लाये हुए हुआ था और वह सारा का सारा गल्ला जल गया तो क्या ऐसी विशेष परिस्थिति में उनकी माल गुजारी माफी देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—मैं तो जवाब दे चुका हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके जिन लोगों के मकान जल गये हैं उनके मकान बनवाने में कुछ सहायता देगी ?

श्री चरणसिंह—यह सवाल दूसरा है। इस के लिये तो गालिबन उनको कुछ सहायता दी गई है। मैं इस वक्त इसको ठीक नहीं कह सकता क्योंकि इसके लिये सवाल नहीं था।

टनकपुर, जिला नैनीताल में कृषि तथा भवन निर्माणार्थ प्राप्त की गई भूमि

*३२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टनकपुर, जिला नैनीताल में जंगल विभाग की कितनी भूमि खेती करने और मकान बनाने के लिये साफ कराई गई थी ?

श्री चरणसिंह—११०१ एकड़ भूमि।

*३३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मकान बनाने के लिये जो भूमि उठाई गई उससे कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ और ऐसी भूमि का सालाना लगान किस दर से निर्धारित किया गया ?

श्री चरणसिंह—मकानों तथा दुकानों के लिए नीलाम किये गये प्लाटों से कुल १,०६,८६० रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ। उक्त प्लाटों का वार्षिक लगान क्रमशः ३ आने तथा ४ आने प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित किया गया है।

*३४—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मकान बनाने के लिये जो भूमि उठाई गई उस पर मकान बने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—अभी तक केवल दो प्लाटों पर मकान निर्मित हुए हैं। मकान बनाने में प्रगति न होने का मुख्य कारण जल तथा भवन-निर्माण सामग्री इत्यादि का अभाव है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह नीलाम कब हुआ था ?

श्री चरणसिंह—कई वर्ष हुए।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने ये प्लाट नीलाम में लिये थे और मकान नहीं बनाते हैं उनकी तरफ से मालगुजारी माफ करने के लिये सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र आया है ?

श्री चरण सिंह—मुझे याद नहीं है लेकिन अगर इस तरह का आवेदन-पत्र मिला होगा तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें कोई माकूलियत नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब टनकपुर के विस्तार की योजना बनाई गई है तो वहां जल आदि और निर्माण सामग्री की सहूलियत अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह—अब वहां टाउन एरिया कमेटी मुकर्रर हो गई है। यह सब भूमि जिसमें मकान बनाने का विचार है और जो मकान बनाने के लिये एलाट भी कर दी गई है और नीलाम भी कर दी गई है इसको नजूल लैन्ड की शरायत के मातहत गवर्नमेंट ने टाउन एरिया कमेटी को इन्तजाम के लिये देने का निश्चय किया है और टाउन एरिया कमेटी उनकी मदद करेगी जितनी कर सकती है।

अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म के संबंध में पूछताछ

*३५—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने कृपा करेंगी कि अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म मे जब से सरकार ने इसको खरीदा है क्या लाभ हुआ ? यदि हानि हुई, तो क्या हुई है ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने सेन्ट्रल डेरी फार्म को नवम्बर, सन् १९४८ मे खरीदा था। हर साल का लाभ तथा हानि का व्योरा संलग्न सूची मे दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१ पर)

*३६—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस डेयरी फार्म मे इस वक्त कितने जानवर है ? और सरकारी फार्म होने के पहिले कितने थे ?

श्री हुकुम सिंह—इस समय सेन्ट्रल डेरी फार्म मे २६ जानवर है। सरकारी फार्म होने के पहिले १०८ जानवर थे।

परगनाधीश, तहसील खलीलाबाद की अदालत में गांव समाजों की जमीन की वापसी के मुकदमे

*३७—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के खलीलाबाद तहसील के परगनाधीश के अदालत में कितने मुकदमे सन् १९५४ व सन् १९५५ के आज तक दफा २३२ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार गांव समाज के जमीनों की वापसी के सम्बन्ध में दाखिल हुये है ?

श्री चरण सिंह—जिला बस्ती की तहसील खलीलाबाद के परगनाधीश महोदय की अदालत में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २३२ के अन्तर्गत जमीनों की वापसी के बारे में सन् १९५४ मे ५८ व सन् १९५५ के प्रारम्भ से २६ सितम्बर, १९५५ तक १० मुकदमे दयार हुये थे। उक्त धारा के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमे गांव समाजों की भूमि से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमे दाखिल हुए थे वे किससे सम्बन्धित हैं ?

श्री चरण सिंह—व्यक्तियों से है, गांव समाज से नहीं।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५८, २६ और १० मुकदमे दाखिल हुए थे उनमें से कितनों को जमीन वापस दिलाई गई ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। सब मिस्लें निकाली जाय कि कितनी डिग्री हुई और कितनी खारिज हुई तब इसका पता चल सकेगा।

उन्नाव जिला अन्तर्गत पुरवा तहसील में गलत इन्दराजों से किसानों को परेशानी

*३८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और हाकिम तहसील (एस० डी० एम०) को इस आशय का आदेश देने की आवश्यकता पर विचार कर रही है कि कागज दुरुस्ती और लगान दुरुस्ती के मामले अधिक से अधिक तीन पेशियों में ही समाप्त कर दिये जायं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३५–३६ श्री नेत्रपाल सिंह ने तथा ३८–४० श्री राम दुलारे मिश्र ने पूछे।

श्री चरणसिंह--सरकार का इरादा ऐसा कोई आदेश जारी करने का नहीं है। सरकार के आदेश ये हैं कि यथासम्भव ऐसे मामले मौके पर जल्द से जल्द समाप्त कर दिये जाय। यह मुमकिन नहीं है कि अदालतें मुकदमों को मुकर्रर की हुई पेशियों पे समाप्त कर सकें।

*३९--**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिलान्तर्गत पुरवा तहसील में हजारों की तादाद में गरीब किसान तीन साल से ऐसी जमीन का लगान दे रहे हैं जो दूसरों के कब्जे में है ?

श्री चरणसिंह--सरकार को यह ज्ञात है कि न सिर्फ पुरवा तहसील में बल्कि और जगह भी कुछ काश्तकार ऐसे जरूर हैं जिनका नाम कागजात में दर्ज है मगर उनका कब्जा नहीं है। ऐसे काश्तकारों के मुताल्लिक वसूली करने वाले अमीन भी रिपोर्ट देते हैं और उन काश्तकारों को भी हक है कि प्रार्थना-पत्र दे कर इन्दराज ठीक करा लें। पिछले दो सालों में बहुत से इन्दराज ठीक कर दिये गये। मुमकिन है कि अभी ऐसे बहुत से गलत इन्दराज बाकी हों।

*४०--**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मौके पर जाकर एल० डी० ओ०, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार द्वारा की गयी कागज दुरुस्ती से सम्बन्धित पड़तालों के रजिस्टर पुरवा तहसील से गायब कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

मेंहदावल कछार, जिला बस्ती में टेस्ट वर्क पर व्यय

*४१--**श्री राजाराम शर्मा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल मेंहदावल कछार (जिला बस्ती) में टेस्ट वर्क से जो सड़क पाटी गई थी, वह कितने मील पाटी गई, उसमें कुल कितना रुपया टेस्ट वर्क पर काम करने वाले मजदूरों को मिला ?

श्री चरणसिंह--गत वर्ष मेंहदावल कछार, जिला बस्ती में दो सड़कें करमैनी से मेंहदावल, तथा मेंहदावल डाडर, घुरापाली क्रमशः ७ तथा ६ मील तक पाटी गईं। इन सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों को लगभग १,७५,००० रु० मजदूरी दी गई।

श्री शिव नारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक लाख ७५ हजार जो रुपया मजदूरी से दिया गया वह कितने घन फुट मिट्टी की खुदाई में दिया गया ?

श्री चरणसिंह--यह सिर्फ खुदाई के लिये नहीं दिया गया वरना घन फुट का हिसाब लगाने की कोशिश करता यह तो ढोने वालों को दिया गया।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार इस वर्ष भी एक आध लाख रुपया देकर उस सड़क को पक्की करवा देगी ?

श्री चरणसिंह--जैसा मैं पहले सवाल नम्बर २४ और २५ के जवाब में अर्ज कर चुका हूं वहां के कलेक्टर ने स्वयं यह लिखा है कि जहां-जहां यह सड़क कट गई है, टेस्ट वर्क के जरिये मरम्मत की जायगी। पुलियों के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को पुलियां बनवाने के लिए लिखा गया है।

*४२-४३--**श्री राजाराम शर्मा** (अनुपस्थित)--[हटा दिये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न ४१ श्री शिव नारायण ने पूछा।

तहसील निघासन, जिला खीरी में जूट विकास के लिए तालाबों की खुदाई पर व्यय

*४४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी में जूट विकास योजना के अन्तर्गत कितने तालाब अब तक खुदवाये गये ?

श्री हुकुम सिंह—जिला खीरी के तहसील निघासन में जूट विकास योजना के अन्तर्गत कुल ५८ रेटिंग तालाब सन् १९५४-५५ में खुदवाये गये।

*४५—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इन तालाबों के खुदवाने में कितना खर्च हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—उक्त ५८ तालाबों के खुदवाने में कुल १७,४०० रु० व्यय हुआ।

गोशालाओं को सहायता

*४६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कितने गोशाले हैं, जो रजिस्टर्ड हैं तथा उनको क्या सहायता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—इस समय प्रदेश में ४२ रजिस्टर्ड गोशालायें हैं जिनमें से ११ गौशालाओं को २४६ गायें आधे मूल्य में दी गई हैं। आवश्यकतानुसार उपयुक्त सांड़ ५० रुपया के अंशदान में भी दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गौशालाओं के पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। हापुड़ तथा बरेली गौशालाओं को १०,००० रुपया की आर्थिक सहायता गोसदन के लिये दी गई थी तथा हापुड़ गौशाला को ट्यूबवेल के लगवाने के लिये १३,६०० रुपया दिये गये थे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन गौशालाओं के नाम जिनको गाय और बैल की सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतलायेगी कि इलाहाबाद में कीटगंज की गौशाला को बैल और गाय की सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह—सम्भवतः दी गयी है, अगर उन्होंने मांगी होगी और अगर न मांगी हो तो, अब मांगे, उन्हें भी सहायता दी जायगी।

कछपुरा ग्राम, जिला आगरा में मल्लाहों द्वारा हरिजन मार्ग रोकने का कथित प्रयास

*४७—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि ग्राम कछपुरा, थाना ताजगंज, जिला आगरा, आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र का अंग है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*४८—श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)—क्या यह भी सच है कि उक्त ग्राम में हरिजनों का रास्ता रोकने के लिये कुछ मल्लाहों ने नजूल की भूमि तथा सार्वजनिक मार्ग पर बिना नजूल अफसर की आज्ञा के मकान बना लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न ४७-४९ श्री गंगाधर जाटव ने पूछे।

*४६—श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नजूल अफसर, आगरा को नजूल भूमि पर मल्लाहों द्वारा अनधिकृत रूप से मकान बनाने तथा उसी ग्राम में श्रमदान द्वारा तैयार की गयी कच्ची सड़क को जोत कर खेत में मिलाने की सूचना ग्रामवासियों ने दी लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—इस सम्बन्ध मे नजूल अधिकारी को सूचना दी गई और जब उसने स्थानीय निरीक्षण किया तथा पैमाइश कराई, तो यह विदित हुआ कि किसी मल्लाह ने अनधिकृत रूप से मकान बना कर किसी पुराने रास्ते पर हस्तक्षेप नहीं किया है ।

नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी के कारखाने

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में इन्डस्ट्री के लिये कितनी इमारते बनी है और उन इमारतों मे कितने कारखाने खोले गये है ?

श्री हुकुम सिंह—नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में १६ इमारते इन्डस्ट्रीज के लिये बन गई है और उनमे से १२ इमारतों मे कारखाने खुल गये ह ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन कारखानों मे कौन-कौन से सामान तैयार होते है ?

श्री हुकुम सिंह—लम्बी सूची है, श्रीमान् जी ।

श्री अध्यक्ष—वह चीजों के नाम नहीं पूछना चाहते ह । किस नाम से वह कारखाने है, यह पूछना चाहते है ।

श्री हुकुमसिंह—मेसर्स इंडियन ट्रेडिंग कम्पनी, ताले बनाने का कारखाना। मेसर्स लिपटन लिमिटेड, चाय के बंडल बनाने का कारखाना। मेसर्स रितमल भगवान दास, चूना बनाने और धान का चावल बनाने का कारखाना। मेसर्स बी० एस० पी० भीर, दवा बनाने का कारखाना। जी० डी० लाल, स्याही बनाने का कारखाना। भगवान हरिदासचन्द, आटा चक्की। श्री मंगल सेन, चाकू बनाने का कारखाना। दीदारसिंह, लकड़ी का काम। बी० एल० धवन, आरा मशीन का कारखाना। भाटिया, लकड़ी के बक्स बनाने का कारखाना।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या यह सही है कि वहां पर केवल लिप्टन के कारखाने को छोड़कर और कोई कारखाना नहीं चल रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—यह सही नहीं मालूम होता है ।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में बाढ़पीड़ित श्रमिकों के लिये कार्य

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले मे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये तहसीलवार कौन-कौन से ऐसे कार्य किये जाने वाले हैं जहां बाढ़ पीड़ित श्रम कर के पारिश्रमिक पा सके ?

श्री चरणसिंह—जिले भर मे टूटी तथा क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जा रही है उन्हें जहां आवश्यकता है ऊंचा किया जा रहा है । ऐसी सड़कों की तहसीलवार सूची संलग्न है । इन कार्यों पर बाढ़ पीड़ित काम कर सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त जिले भर में इस वर्ष १०० गांवों की सतहों को ऊंचा करने की योजना है। इन कार्य से भी बाढ़ पीड़ितों को काम करके अपनी जीविका कमाने का अवसर मिलेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२ पर)

गाजीपुर जिले में चकबन्दी योजना

२--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में चकबन्दी योजना कब चालू करने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा कम्युनिस्टों पर आक्रमण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री झारखंडे राय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना यह है कि सिकन्दरपुर में २३ अक्टूबर को एक आम सभा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हो रही थी। उसके ऊपर ६ गांवों के पुराने जमींदारों के २०० हथियारबन्द आदमियों ने आकर ५ कम्युनिस्टों पर हमला किया और उनको घायल कर दिया। इससे आतंक उस स्थान पर फैला हुआ है। इसलिए इस पर विचार करने के लिए सदन का कार्य स्थगित किया जाय क्योंकि वहां के स्थानीय जो शासक हैं वह उसके ऊपर विचार अच्छी तरह से कर नहीं रहे हैं और कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह उनका इस बारे में कहना है। लेकिन, मैं इसमें यह नहीं देखता हूं कि साधारण शासन के प्रबन्ध के अलावा कोई खास ऐसी बात है जिससे कि सरकार से सम्बन्ध हो। सरकार से उन्होंने उसके बारे में कोई लिखापढ़ी की या कोई कार्यवाही की ऐसा इससे मालूम नहीं पड़ता है। प्रत्यक्ष सरकार का सम्बन्ध इसमें मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं माननीय झारखंडे राय जी से कि सरकार से कहां सम्बन्ध इस प्रश्न का आता है? तब मैं इसके ऊपर निर्णय दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का विषय इसलिए गम्भीर है कि बाराबंकी की घटना के बाद...

श्री अध्यक्ष--मैं गम्भीरता के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो, सरकार से उसका क्या सम्बन्ध है, यह जानना चाहता हूं।

†श्री झारखंडे राय--मैं वही स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि उस घटना के बाद एक प्रोत्साहन सब जगह मिला है कि पोलिटिकल वर्कर्स पर घातक हमला किया जाय। इसी घटना में जो सिकन्दरपुर में हुई वह भी एक कम्युनिस्ट साथी रामानन्द जी की हत्या करने के लिए हुई। अगर वह मौजूद रहते तो उनकी हत्या भी हो गई होती। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको सूचना भी दी टेंघंना गांव में मेरी खुद अपनी हत्या करने के लिए पूरा षडयन्त्र बना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का इस नाते इससे सम्बन्ध जुटता है कि सरकार पूरे प्रान्त की जिम्मेदार है। जिलों में ऐसी घटनायें होती हों और सरकार उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाये, यह उचित नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए......

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं सरकार को आपने कोई इत्तिला दी? माननीय मंत्री जी को, होम मिनिस्टर को आपने कोई इत्तिला इस २३ तारीख से अब तक भेजी, उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित कराया? यह मैं जानना चाहता

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं क्योंकि सरकार से सम्बन्ध यहीं आयेगा। अगर आप चुप बैठ जायं और इस वाकए को कोई महत्व न दें, सिर्फ असेम्वली में आकर इस प्रश्न को उपस्थित करें तो मै कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दूंगा कि असेम्वली का समय इस प्रकार नष्ट किया जाय। अगर आपने सरकार से लिखापढ़ी नहीं की तो मैं समझता हूं आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री झारखंडे राय—मैं यह कहना चाहता था कि सरकार की जिम्मेदारी इस तरह से होती है कि . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सीधी बात नहीं कह रहे हैं। जो जिम्मेदारी आप उनके ऊपर दिखाना चाहते हैं वह तब आती जब आप उनको लिखते। लेकिन आप टेढ़ी तरह से इन्डाइरेक्टली बताना चाहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है. . .

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष— ठीक है, मैंने सुन लिया। आप कृपा कर बैठ जायं। मैं वाकयात के विषय में कुछ पूछना नहीं चाहता हूं। सवाल इस बात का था कि इससे सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध आता है या नहीं आता है। शासकीय सम्बन्ध के द्वारा आता है तो सरकार जिम्मेदार है लेकिन उसके लिए मै समझता हूं और मैं कई दफा कह चुका हूं कि पहला काम तो माननीय सदस्य का यह होना चाहिए कि वह सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करें, उसके लिए कार्यवाही कराने की कोशिश करें अगर वह महत्व का प्रश्न है। अगर सरकार का ध्यान ही आकर्षित न किया जाय तो इससे मालूम होता है कि जब वह स्वयं ही महत्व का प्रश्न नहीं समझते हैं क्योंकि अगर समझते तो उनको चिट्ठी लिखते, तो ऐसी हालत में प्रशासकीय साधारण व्यवस्था का जो प्रश्न है उसके लिए कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश हो।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष— मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ सितम्बर १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर नियम, १९४९ में कृत संशोधन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)— अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४४ (३) के अनुसार माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५०६/१—सी-३२६ सी०—५५, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५, जिससे संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर नियम, १९४९ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)— श्रीमन्, मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि-आयकर नियम, १९४९ के लिए आप कोई तिथि निर्धारित करें जिससे उस पर विवाद किया जाय।

श्री चरणसिंह — मुझको कोई आपत्ति नहीं है। जो भी दिन निश्चित हो जाय। मैं दिन बतला दूंगा।

१९५१–५२ के विनियोग लेखे तथा १९५३ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

†श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)— अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा* समिति के सभापति की हैसियत से मुझे समिति की प्रथम तथा द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार मिला है। मैं यह प्रथम एवं द्वितीय रिपोर्ट जो १९५१–५२ के विनियोग लेखे तथा १९५३ ई० की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के सम्बन्ध में है, उसे पेश करता हूं।

मुझे एक प्रार्थना करनी है कि जो रिपोर्ट हमने आज पेश की है इसमें सरकार ने हमारी पिछली रिपोर्ट पर क्या कार्यवाहियां की हैं, हम उसे नहीं दे सके। क्योंकि जो पहली पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हुई थी तो वह स्वीकृत हो कर नहीं गयी है। इसके अलावा हमने लिखा था कि अगर आप इजाजत दें तो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सरकारी विभाग कार्यवाही शुरू कर दें और सरकारी विभाग ने क्या कार्यवाहियां की थीं उसको भी हम दे देते लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने यह कहा कि जब तक हाउस से स्वीकृति नहीं हो जाती है तब तक सरकारी विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो जब से इस सदन का चुनाव हुआ है तब से हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की किसी भी रिपोर्ट पर सरकार विचार नहीं कर पायी है। कारण यह है कि सदन से हमारी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गयी है।

तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो पिछली रिपोर्ट है वह भी सदन से स्वीकृत हो जाय ताकि उस पर भी कार्यवाही हो सके और जो रिपोर्ट हम आज पेश कर रहे हैं उस पर सदन जल्दी ही विचार करके स्वीकृत कर दे ताकि इन कमेटीज की सिफारिशों पर विचार किया जा सके, हम सदन के सामने पेश कर सकें। तो पहली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पर सदन अपनी स्वीकृति दे दे।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मुझे यह ख्याल है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि यह सदन में जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर विचार हो सकता है या नहीं, कंसीडरेशन हो सकता है या नहीं, इस विषय में वह कोई अपनी राय सदन के सामने पेश करना चाहते हैं और कौन सा तरीका होना चाहिये उस बारे में वह निर्णय चाहते हैं। तो यह सुनकर ताज्जुब मालूम हुआ कि सरकार ने जवाब यह दिया कि चूंकि सदन का निर्णय नहीं हुआ और सदन का निर्णय होना चाहिये तब हम उसके ऊपर राय कायम करेंगे। तो इसमें और उसमें जरा फर्क मालूम होता है। तो माननीय वित्त मंत्री जी जरा उसका स्पष्टीकरण कर दें तो मैं बताऊं। क्या सरकार ने यह लिखा है कि इस तरह का निर्णय सदन कर दे?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मेरे इल्म में तो यह नहीं है। मैं इसको देखूंगा। अगर किसी ने मुहकमे से अपने आप लिख दिया है तो वह सही नहीं है इसलिये कि मेरी तो मुस्तकिल गुजारिश यह रही है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स को हाउसेज में डिस्कस नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि मुझे ही इस बारे में जल्द निर्णय देना होगा कि कौन सी प्रथा होनी चाहिये। तो यह उचित होगा कि माननीय सभापति जी और वित्त मंत्री जी से मैं बातचीत कर लूं इस बीच में और सदन को सुना दूं कि क्या प्रथा

---

* छापे नहीं गये।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होनी चाहिये। मैं और जगहों का भी करीब करीब अध्ययन कर चुका हूं कि क्या प्रथा रही है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि जरा वित्त मंत्री जी से और सभापति जी से परामर्श कर लूं तब निर्णय दूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—श्रीमन्, मैंने तो इसलिये भी और कहा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट्स इस सदन के सामने पेश होती हैं उनमें जो आखिरी पैरा होता है उसमें यह दिया जाता है कि सरकार ने पिछली कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की। वह इसमें नहीं दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—चूंकि उन्होंने फैसला नहीं किया इसके बारे में कि इस पर विचार किया जाय या न किया जाय तो मैं जल्दी में इसी हफ्ते में फैसला कर दूंगा जिससे आगे के लिये भी रास्ता खुल जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन् मैं यह जानना चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दोबारा यह बात सदन के सामने दोहरा दी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस नहीं होनी चाहिये. यह किस पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार उन्होंने कहा। कम से कम कारण तो उन्हें प्रकाश में लाने चाहिये जब उन्होंने सदन के सामने एक बात कह दी है।

श्री अध्यक्ष—तो आपकी यह तजवीज है कि जिस समय मैं फैसला दूं उससे पहले माननीय सभापति जी को या आपको और वित्त मंत्री जी को यह मौका दूं कि वे अपने मत का यहां प्रतिपादन करें और उसके बाद में फैसला तो पहले मुझे बात कर लेने दीजिये। अगर कोई रास्ता ऐसा निकलता है जो सब को उचित प्रतीत होता हो तो कोई आपत्ति उठती नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात हुई कि थोड़ा बहुत सदन को भी इस बारे में अपनी राय पेश करने का मौका मिलना चाहिये तो मैं उसका मौका दूंगा।

वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७३-९८ पर)

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९९-१०६ पर)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०७-१२० पर)

कार्यक्रम परिवर्तन का सुझाव

***श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, जो आज का एजेंडा हमारे सामने है इसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट १४वें आइटम पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]
दर्ज है और जिस रोज हम उठे थे उस दिन वह चल रही थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि आज किस पर बहस होने वाली है। कल जो अखबारों में पढ़ा उससे यह पता लगा कि ये विषय आने वाले हैं। और फिर भी अध्यक्ष महोदय, दूसरी प्रार्थना मुझे यह करनी थी—यहां पर इस समय हमारे मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं हमारे पास यह भी सूचना आई है कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर २२, २३ और २४ को विचार सदन में होने वाला है। हमारे यहां मार्शल बुलगैनिन परसों आने वाले हैं और हमारे बहुत से भाई इस सिलसिले में तराई जाना चाहेंगे, मुख्य मंत्री जी भी वहां होंगे और बहुत से प्रेस वाले भी होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिये मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस रिपोर्ट पर २४, २५ और २६ को विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—२६ को तो सनीचर है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय २४, २५ और २८ को कर दिया जाय तो जो लोग वहां जाना चाहेंगे वह जा सकेंगे और जो आइटम्स हैं....

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि दूसरा प्रस्ताव भी आपने साथ ही साथ कर दिया है, आप चाहते हैं कि दो तीन दिन की छुट्टी हो जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय की स्पीच भी सुन लेंगे, कोई खास बात नहीं है लेकिन हम यही कहना है कि इस तरह से ऐबरप्टली प्रोग्राम आने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। एक दो दिन कार्यवाही होकर इस पर बाद को बहस हो जाय तो बड़ी कृपा होगी।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज के एजेंडे की बात है, मैं समझता हूं कि उपाध्याय जी अपने साथ अन्याय करते हैं क्योंकि जो भी बिल रक्खे हैं, मैं समझता हूं कि उन पर विचार करने के लिये और राय देने के लिये वह तैयार हैं मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है। जहां तक स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बहस स्थगित करने की बात है उसमें दो तीन कठिनाइयां हैं। यह एक ऐसा विषय है और सभी लोगों की ऐसी राय होगी कि इस सदन में इस पर विचार होने के बाद ही दूसरे सदन में इस पर विचार होना चाहिये ऐसा ही और जगह भी रखा गया है और हमने भी यही समझकर रखा था।

अभी दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स हुई थी और जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें यह तय हुआ था कि जहां एक सदन है वहां एक और जहां दो सदन हैं वहां दोनों की रिपोर्ट पूरी की पूरी छपकर ३० तारीख से पहले वहां पहुंच जानी चाहिये। सदन में इस पर दो तीन दिन लगेंगे और काफी लम्बी बहस होगी, चाहे निश्चय कुछ भी हो, लेकिन हर सदन की राय पहुंचनी चाहिये। २९ तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और बहुत से माननीय सदस्य वहां जाना चाहेंगे तो इन सब कठिनाइयों को देख कर हमने सोचा और यह तय किया। हम समझते हैं कि माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि हम मजबूर हैं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५†

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २७ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है। यह सर्वप्रथम १९५१ में पारित हुआ था और इसका मूल अधिनियम १५ अगस्त, १९५२ से प्रचलित हुआ था। इस दौरान में इस विधेयक के तहत में जो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड बना है उस बोर्ड ने पर्याप्त कार्य किया है और इसने जो कार्य किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बहुत महत्व मिला है। इसको अधिक प्रोत्साहन देने के लिये और इसमें प्रगति लाने के लिये यह आवश्यक है कि जो मूल अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन किये जायं। इसी उद्देश्य से यह बिल सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। मूल अधिनियम के अनुसार जो होम्योपैथिक बोर्ड बना है, उसमें जो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे अपने में से एक चेयरमैन, यानी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। काम को अधिक प्रगति देने के उद्देश्य से और इस चिकित्सा पद्धति का अधिक प्रसार हो, इसलिये विचार कर यह निश्चय किया गया है कि अब अध्यक्ष का नामिनेशन सरकार द्वारा उन सदस्यों में से किया जाय जिनको कि सरकार मनोनीत करती है और जो चुन कर आते हैं। प्रथम संशोधन यह धारा ५ के उपखंड (१) में किया गया है।

दूसरा उपाध्यक्ष का चुनाव है, जो कि सदस्य अपने में से ही किसी एक को निर्वाचित करेंगे। मूल अधिनियम की धारा ४१ की उपधारा (६) में होम्योपैथिक दवाओं के वितरण के लिये, निर्माण के लिये और उनके लाइसेंसों के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि इस धारा ४१ की उपधारा (६) के मुताबिक आइन्दा से परमिट या लाइसेंस सिस्टम चालू कर दिया जाय और सरकार की अनुमति से जो होम्योपैथिक बोर्ड है, वह ऐसे निरीक्षक नियुक्त कर सकता है जो कि समय समय पर जाकर जो होम्योपैथिक कालेजों, स्कूलों और चिकित्सालय हों, उनका निरीक्षण कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था इस धारा में की गई है। धारा ५६ की उपधारा (२) में इतना और बढ़ा दिया गया है कि लाइसेंस या परमिट देने के लिये जो आवेदन-पत्र दिये जायंगे या नवीनीकरण या रिन्यूअल के लिये, उसका एक फार्म होगा और उस फार्म पर जो भी उस होम्योपैथिक चिकित्सा के कार्य को करेगा उसको प्रार्थना-पत्र देना होगा। उसकी फीस होगी, रिन्यूअल की फीस होगी और लाइसेंस की फीस होगी। इस तरह से धारा ६३ में संशोधन किया गया है कि इस मूल अधिनियम के भाग दो के चालू होने के एक साल के बाद वह व्यक्ति, या डाक्टर रजिस्टर्ड किया जायगा जो कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन द्वारा पास किया हुआ हो जिसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष—बिल बहुत संक्षिप्त सा है। इस समय आप सारी धाराओं को न लें। संक्षेप में ही कहें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस चिकित्सा पद्धति में हमारे प्रदेश में जो प्रगति हुई है उसका भी संक्षिप्त विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। इस समय तक हमारे प्रदेश में १३ होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। बोर्ड आफ होम्योपैथी में सितम्बर, ५५ तक ३८२८ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन के लिये दरख्वास्तें दीं जिनमें से ३२२० दरख्वास्तों पर विचार करके उन्हें रजिस्टर्ड किया गया। इससे ६४,४०० रुपये की कुल आय हुई और इस तरह से हमारे प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रगति हुई। अभी तक इस मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस चिकित्सा को करता था, अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेता था। लेकिन अब इस विधेयक के द्वारा कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह डिप्लोमा हासिल न कर ले और साथ ही लगातार पूर्णकालिक ५ वर्ष तक उसकी प्रैक्टिस न हो, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

यह संक्षिप्त सा संशोधन है, जो कि मैंने हाउस के सम्मुख विचारार्थ पेश किया है।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं पर मुझे दुःख इस बात का है कि आज तक माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित क्यों नहीं हुआ। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। मालूम पड़ता है कि माननीय मंत्री जी को कोई होम्योपैथिक का डोज लग गया है जिससे उनको फायदा हुआ है और तभी यह बिल हमारे सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सुल्तान आलम खां इस समय यहां नहीं हैं नहीं तो वह बेचारे रोज होम्योपैथिक के लिये करीब करीब सभी माननीय सदस्यों के पास हो आये हैं। उनको यह कहते हुये सुना गया है कि होम्योपैथी के लिये हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।

जहां तक उसके लिये अनुदान का संबंध है होम्योपैथी के लिये, हमारी सरकार ने इतने बड़े उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी के लिये ५ हजार रुपये का अनुदान दिया है। होम्योपैथी वालों के लिये इतनी सहायता हमारी सरकार कर रही है तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि आज एकदम हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान इस होम्योपैथी के इलाज की ओर चला गया। हम तो यह चाहते थे कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर अधिक जाता। हम यह जानते हैं कि गांवों के अन्दर होम्योपैथी से ज्यादा फायदा हो सकता है। यह मैं नहीं मानता कि होम्योपैथी के डाक्टर ऐसे बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं लेकिन कम से कम होम्योपैथी की दवाई से नुकसान बहुत कम होता है। बच्चे भी बहुत शौक से इसकी दवाई को खाते हैं और ये दवायें सस्ती भी बहुत होती हैं। वैद्यों का चूर्ण भी ज्यादा महंगा होता है इन गोलियों से कभी कभी इसकी दवाइयों का इतना अच्छा असर होता है कि लोग इसी को पसन्द करने लगते हैं। खास कर बच्चों के इलाज के लिये हमारे यहां इसकी दवाइयों का बहुत प्रचार हो रहा है। यह सब होते हुये भी अफसोस की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। यह बिल तो बहुत अच्छा है। रजिस्ट्रेशन होगा और फिर क्या होगा? जो फैसिलिटी आप वैद्य लोगों को देते हैं, जो उनके रजिस्ट्रेशन के लिये फैसिलिटी हैं क्या वह फैसिलिटी हमारे इन होम्योपैथी के डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिये दी जायगी? तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमको कुछ साफ साफ बतायें कि उनकी क्या मन्शा है। माननीय बलदेव सिंह जी ने बताया कि होम्योपैथी के लिये सभापति होगा लेकिन हम गवर्नमेंट की नीति जानना चाहते हैं कि आज उसका ध्यान इसकी ओर कैसा है....

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसके लिये एक अधिनियम बना हुआ है। वह कृपया उसको पढ़ लें।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह उसी अधिनियम का एक संशोधन विधेयक है लेकिन यह संशोधन बहुत दिनों के बाद विचार के लिए आया है। मैं चाहता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाता। मैं सरकार का ध्यान होम्योपैथी के डाक्टरों की दशा की ओर भी ले जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय इस बिल के लिये नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी होम्योपैथी की चिकित्सा की ओर कुछ ज्यादा ध्यान देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्तुत संशोधन विधेयक सन् १९५२ के विधेयक के संशोधन रूप में प्रस्तुत हुआ है। अब इस विधेयक के द्वारा सरकार जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है यह आवश्यक समझती है कि ऐसे होम्योपैथिक डाक्टरों को जो कि पूरा समय होम्योपैथिक चिकित्सा में लगाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में लाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। अब सरकार इस सिलसिले में स्पष्ट नहीं है कि जिन होम्योपैथिक डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन आज तक हो चुका है उनका भविष्य में क्या होगा। आखिर होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की कोई रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं हुई है। ३,४ साल हुये इस मेडिसिन बोर्ड का निर्माण हुआ था। हम यह आशा कर रहे थे कि होम्योपैथी के बारे में वह कोई रिपोर्ट सालाना या तीन साल में इस सदन के सामने आयेगी या सरकार के पास भेजी जायगी और सरकार के लिये यह वांछनीय होगा कि वह इस सदन को बतलायेगी कि इस सदन के द्वारा पास किये गये विधेयक के द्वारा जो बोर्ड बना है उस बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है। उसका एक समीचीन रूप हमारे सामने आना चाहिये। ऐसी रिपोर्ट के माप दंड से हम इस विधेयक की समालोचना अच्छी तरह कर सकते हैं। समाचार पत्रों से कुछ पढ़ने को मिला कि ३,१०० के लगभग डाक्टरों को रजिस्टर कर लिया गया है। आज तक जितनी भी संस्थायें होम्योपैथी की शिक्षा देने के लिये बनी हैं उनके द्वारा दिये हुये डिप्लोमाओं की जांच अभी तक नहीं हुई। होम्योपैथिक बोर्ड के कुछ नियम बने हैं और विधान भी बना है कि होम्योपैथी क्वैकरी न हो और झूठे सार्टीफिकेटों के आधार पर रजिस्ट्रेशन न हो। लेकिन ३,००० से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बात को सिद्ध करते हैं कि बोर्ड की ओर से जांच की ठीक व्यवस्था नहीं हुई। आखिर हमको रजिस्ट्रेशन के सिद्धान्त के लागू होने पर भी कुछ सोचना चाहिये।

सन् ४९ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने होम्योपैथी के भविष्य के बारे में एक कमेटी बैठाई जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उस पर राज्य सरकारों की भी राय मांगी गई है। उसमें कहा गया है कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वालों को ३ श्रेणियों में बांटना चाहिये। एक तो जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं की डिग्री लिये हों या जिनको काफी अनुभव हो या विदेशी डिग्री रखते हों। दूसरे एक लिस्ट का सुझाव है कि जो १० साल से प्रैक्टिस करते हों उनकी हो। कौउन्सिल की रिपोर्ट में सिफारिश के अनुसार ऐसे लोगों की लिस्ट बननी आवश्यक थी जो ७ साल से प्रैक्टिस करते हों। तीसरे वे लोग हों जो न सात साल से प्रैक्टिस करते हो और न डिग्री रखते है लेकिन जो देहातों में प्रैक्टिस करते हैं और अपना काम चला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिये कमेटी का सुझाव था कि उनको तीन साल का मौका देना चाहिये और साल में दो बार बोर्ड उनकी परीक्षा ले और पास होने वालों के नाम लिस्ट में दर्ज हो जावें। परीक्षा में फेल होने वाले लोगों को बोर्ड प्रैक्टिस करने से मना कर दे और यदि वे फिर भी न मानें तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाय। मैं जानता हूं कि आज तक ऐसे कितने नक्कालों पर कार्यवाही की गई है इस पर कार्य करने की शक्ति बोर्ड के हाथ में न होकर राज्य सरकार के साथ में है तो राज्य सरकार बतलावे कि यह क्वैकरी कब बन्द होगी जिसके लिये २०० रुपये जुर्माने की व्यवस्था रखी है। यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि कोई इन्सपेक्टर्स भी रखे गये हैं या नहीं। संशोधन विधेयक में भी इन्सपेक्टरों का जिक्र है उपखंड ५ में। इसमें लिखा है कि "लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्से तैयार करने के कार्यों का नियमन करना और राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के निमित्त इन्सपेक्टरों की नियुक्ति करना।" जब तक ये बातें साफ न हों तब तक यह संशोधन विधेयक भी बेकार है। मान लिया जाय कि हमने रजिस्ट्रेशन के विधान को और कड़ा कर दिया और पास भी कर दिया कि जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं या जो ७ या १० साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या जो पूरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

समय होम्योपैथी को नहीं देते हैं उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की जाय तो आपके पास कौन-सा ढांचा है जिससे आप उसे लागू करेंगे ? मैं होम्योपैथी के प्रख्यात प्रैक्टिस करने वालों से मिला हूं और उनको आश्चर्य हुआ कि इतने अधिक तीन हजार रजिस्ट्रेशन अभी तक कैसे हो गये। लिस्ट में तो नहीं मालूम कितने हजार नाम होंगे। मैं यह चाहता था कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमें कुछ संख्या बतलाते कि कितने प्रैक्टीशनर्स लिस्ट और रजिस्टर में धारा ६१ के अनुसार दर्ज हैं। इसी में उल्लिखित धारा ५९ में इस कार्य को करने वालों की सूची का जिक्र है। इसी के आधार पर यह संशोधन होने जा रहा है। संशोधन का तरीका भी मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता है। खंड ५ को आप लें जिसमें मूल अधिनियम की धारा ४१ के उपखंड (९) का संशोधन होने जा रहा है। इसे मैं अभी पढ़ चुका हूं। इसमें कुछ नये शब्द आये हैं। इस में औषधियों के बारे में लिखा है कि औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना। साथ ही लिखा है कि राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होमियोपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के हेतु इन्सपैक्टरों की नियुक्ति करना। तो औषधियों का बनाना और इन्सपैक्टरों की नियुक्ति करना अलग-अलग दो विषय हैं। इन पृथक दो विषयों को इस एक ही उपखंड में जोड़ना मेरी समझ में किसी प्रकार से उचित नहीं है। उचित तो यह होता कि औषधियों के निर्माण के सम्बन्ध मे अलहदा उपखंड बनाया जाता और इन्सपैक्टरों का मामला, यानी उनकी नियुक्ति का विषय, अलहदा ही रखा जाता।

आगे चल कर आप संशोधन विधेयक की धारा ७ को देखें। इसके द्वारा वर्तमान धारा ६३ को संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन के द्वारा बोर्ड के अधिकारों को कम किया जा रहा है। हमने एक बोर्ड बनाया है और वह जैसा भी है उसे कुछ अधिकार या ताकत दी है। उसके अधिकारों को कम करने से लाभ नहीं है। बोर्ड में काफी गणमान्य लोग हैं, तो उसके अधिकारों को कम करने की चेष्टा पर पुनर्विचार होना चाहिये। नक्कालों पर नियंत्रण का संशोधन तो आना चाहिये और साथ ही यह भी कि ऐसे लोगों पर नियंत्रण का अधिकार बोर्ड को हो। अगर आप ऐसे अधिकार अपने हाथ में रखेंगे या ऐसी बात रखेंगे कि अधिकारों को न बोर्ड और न सरकार प्रयोग कर सके तो विधान में जो व्यवस्था है उसका सदुपयोग नहीं होगा। मिसाल के लिये अनुभव की बात है। अनुभव के बारे में बोर्ड के हाथ में सारी बात है। अगर बोर्ड समझता है कि किसी व्यक्ति को काफी अनुभव नहीं है तो उसका नाम रजिस्टर नहीं होने देगा। तो सब कुछ बोर्ड के हाथ में है जो एक मात्र अथारिटी है। बोर्ड जोकि एक एक्सपर्ट बाडी है उसके हाथ की ताकत को हम इस धारा ६३ के द्वारा छीन रहे हैं न कि उसको कुछ ताकत देकर उसकी शक्ति बढ़ाते। मान लिया कि यह धारा न रही फिर भी कुछ शक्ति बोर्ड के पास रहती ही है। जब हमें एक ऐसा संगठन बनाना है जिसके द्वारा हम होम्योपैथी की चिकित्सा को बल देना चाहते हैं तो फिर हमें उसके हाथ में कुछ शक्ति तो अवश्य देनी होगी लेकिन इसके द्वारा आप उसकी शक्ति को छीन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें।

इसके साथ ही साथ जो परिशिष्ट में संशोधन दिया हुआ है उस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। आप देखें कि अन्तिम खंड ८ के द्वारा और इसके संशोधन नम्बर २ के द्वारा पैरा ४ को निकाला जा रहा है। आप उसको पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार है—

"वे होम्योपैथ, जो बोर्ड की राय में पर्याप्त ख्याति प्राप्त, प्रशंसित और योग्य हों और व्यवसाय में अपनी कार्य निपुणता के लिये सुविख्यात हों।"

उसका अंग्रेजी में तर्जुमा और भी स्पष्ट है—

"Homoeopaths who, in the opinion of the Board, are of sufficient standing, reputation and ability and are well known for their skill in their profession."

अब यह सरकार चाहती है कि यह पैरा निकाल दिया जाय, इसका क्या कारण है, यह स्पष्ट नहीं है। इतने विशेषण इसमे निहित है कि वह योग्य हो, ख्याति प्राप्त हो, प्रशंसनीय हो

। नहीं हो ाहय

आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इतने योग्य व्यक्ति राज्य में केवल दो चार ही हो सकते हैं जो ऐसे सुविख्यात हों और ३०–४० साल की उनकी प्रेक्टिस हो। इसलिये इस पैराग्राफ ४ के निकाले जाने का मै समर्थन नहीं करता और मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में पुर्नविचार करें।

इसके साथ ही साथ जो स्पष्टीकरण है उसमें लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय अधिकारी या वाणिज्य उपक्रम के कर्मचारी हैं वे पूर्णकालिक होम्योपैथ नहीं समझे जायेगे। इसकी परिभाषा में यह कहा गया है कि जो लोग अपना पूरा समय होम्योपैथी मे देते हैं उन्हीं को रजिस्टर किया जायगा इसमें सरकार की इच्छा इस प्रकार की है लेकिन यह स्पष्टीकरण अपने अर्थ को पूरा नहीं करता है। मान लीजिये कोई आदमी होम्योपैथी का कार्य भी करता है और साथ ही दूसरा रोजगार भी करता है, छोटी जगह है, होम्योपैथिक की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है इसलिये कोई रिटेल बिजनेस भी करता है, २–४ चीजें और रख लेता है तो क्या वह पूरे समय काम करने वाला हुआ या नहीं ? स्पष्टीकरण से यह भी पता नहीं चलता कि यह विधेयक बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुआ है या उसने इसकी सिफारिश भी की थी अथवा नहीं। जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वे यहां होंगे, आशा है इस विषय मे वे अपनी राय प्रकट करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय बोर्ड से राय ली गयी या नहीं और यदि ली गयी तो आया उसने और भी सुझाव दिये अथवा नहीं। ऐसे सुझाव बहुत से हो सकते हैं। मिसाल के लिये मैं ही एक सुझाव देता हूं कि इस संशोधन में आप और जोड़ दें। जहां पर बोर्ड को आपने होम्योपैथिक-पत्र प्रकाशित करने का अधिकार दिया है वहां पर होम्योपैथिक–पत्र के बाद "और पुस्तकें" और जोड़ दें। समाचार पत्रों के छापने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन किताबें छापने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह चीज इस संशोधन विधेयक के अन्दर रह गयी है जिसका होना बहुत जरूरी है। तो क्या-क्या सुझाव होम्योपैथिक बोर्ड ने दिया है अगर माननीय मंत्री जी इसको उद्देश्य और कारणों में प्रस्तुत कर देते तो बहुत ही उचित होता क्योंकि जहां तक परिभाषा का सम्बन्ध है इस स्पष्टीकरण को इस विधेयक की जड़ और जान माना जा सकता है कि कौन होल टाइम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर माना जायगा और कौन नहीं माना जायगा। इस संशोधन विधेयक में यह स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है। जैसा मैं स्वयं आपसे जानकारी प्राप्त करूं....

श्री अध्यक्ष—लेकिन बात यह है कि अंग्रेजी को आप और पढ़ लेते तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने समझने में कुछ गलती की है। इसमें सेलरीड सर्वेंट्स है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अंग्रेजी का संशोधन तो मिला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी में इस तरह से हैः—

"EXPLANATION—A person shall not be deemed to be practising Homoeopathy whole-time if he is a salaried servant (otherwise than as a Homoeopath) of the State Government, the Central Government, a local authority or a commercial or industrial undertaking or other establishment."

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आपके इस स्पष्टीकरण के लिये मैं आपका आभारी हूं लेकिन अंग्रेजी में और हिन्दी अनुवाद में कुछ फर्क हो जाता है। लेकिन जो सैलरीड सर्वेंट्स आया है, मैं समझता हूं कि उसमें आनरेरी सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, को-पार्टनर भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यह स्थिति आ सकती

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है कि जहां पर यह स्पष्टीकरण लागू न हो और फिर बाद को सरकार को तथा बोर्ड को बड़ी दिक्कत पड़े क्योंकि यह स्पष्टीकरण भविष्य के लिये तो कोई लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक बोर्ड के प्रेक्टिशनर लिस्ट में जो होंगे उनके लिये कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिशनर न हों, कोई कम्पाउंडर ही हो तो मैं बाद को चाहूंगा कि इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो जायगा कि होम्योपैथिक बोर्ड की क्या राय आयी है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारणों का समर्थन करता हूं और जहां तक भाषान्तर का प्रश्न है और शाब्दिक कुछ महत्व के संशोधन जो मैंने उपस्थित किये हैं मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री जी जरा अधिक उदार मनोवृत्ति के होकर इस संशोधन पर विचार करेंगे और इसको स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। लिख कर देने का समय कुछ ऐसा ही है, नहीं तो मैं लिखकर भी प्रस्तुत करता लेकिन फिलहाल जबानी ही जो मांग मैंने की है उसे ही वे स्वीकार कर लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में मैं दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ ही साथ इसके दो चार गुण और दोषों के प्रति माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने इसके संबंध में जो सुझाव उपस्थित किये हैं उनमें कुछ के संबंध में तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि संभवतः उनको होम्योपैथिक डाक्टरों के एसोसिएशनों और सम्मेलनों की मांगों की जानकारी नहीं है। पिछले वर्षों में, दो तीन वर्षों में होम्योपैथिक डाक्टरों के कई महत्वपूर्ण सम्मेलन हो चुके हैं, कई बार वे अनेकों मांगें कर चुके। कुछ मांगों की पूर्ति माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के इस विधेयक द्वारा अवश्य हो जाती है। विशेष तौर से आपने जो सैलरीड सरवेंट्सकी बात कही, साथ ही साथ यदि हिन्दी विधेयक की भाषा ही सत्य है तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के संबंध में होम्योपैथिक डाक्टरों की यह बार बार मांग रही है कि अगर कोई डाक्टर कोई दूसरा भी रोजगार कर ले तो उसे डाक्टरी करने की अनुमति न दी जाय और वह हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जिन लोगों ने होम्योपैथी को एक साइड प्रोफेशन बनाया है उनका रजिस्ट्रेशन न किया जाय और वह इस चीज के हो जाने पर समझेंगे कि होम्योपैथिक डाक्टरों का संरक्षण हो जायगा और इस मांग को कई बार वह अपने प्रस्तावों में दोहरा चुके हैं। मुझे इस बात का थोड़ा सा गौरव प्राप्त है कि अनेक होम्योपैथिक संस्थाओं से मेरा संबंध है और उनमें से एकाध बड़ी संस्थाओं का मैं पैटर्न भी हूं और मुझे उनके अधिवेशनों में सम्मिलित होने का अवसर मिला है लेकिन मैं देखता हूं कि उनकी जो मांगें हैं उनमें से कुछ तो जरूर इससे पूरी होती हैं लेकिन उनकी दो चार मांगें ऐसी हैं कि जो इस विधेयक से भी पूरी नहीं होती हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनके विषय में जो समिति है यदि वह कह दे तो उनको मान लिया जाय इसको होम्योपैथिक डाक्टर नहीं मानते और वह इस चीज को अनुचित समझेंगे [illegible]

[illegible] उनके प्रति होम्योपैथिक के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, वह उनको अपने मार्ग में बाधक समझते हैं और उनका कहना है कि इस तरह से अगर एलोपैथ आता है तो वह केवल प्रोफेशन के नाते आता है न कि इस विज्ञान के प्रति श्रद्धा लेकर। इस प्रश्न पर भी विचार करना है। दूसरा प्रश्न मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक शिक्षण तथा संगठन संस्थाओं का है। कुछ संस्थायें तो ऐसी हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मान्य हैं लेकिन बहुत सी ऐसी भी संस्थायें हैं जो यहां की सरकार द्वारा मान्य न होकर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही मान्य हैं और उसका परिणाम यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्य संस्थायें उनके रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं करतीं और कुछ संस्थायें ऐसी हैं कि जिनके बारे में बार बार शिकायतें आती हैं और जिन्होंने किसी प्रकार मान्यता प्राप्त कर ली है। यदि माननीय मंत्री जी पता लगावें तो उनमें आज भी किसी न किसी तरह से डिप्लोमा का क्रय-विक्रय होता है और

ऐसी संस्थाओं की शिकायतें होते हुये भी सरकार ने मान्यता वापस नहीं ली है और जिसके विषय में सेंट्रल होम्योपैथिक एसोसियेशन बार बार मांग कर चुका है। एक बड़ा झगड़ा आज होम्योपैथिक संस्थाओं के बीच में है, आज होम्योपैथिक के बारे में दो बड़े झगड़े हैं। इस ओर मंत्री जी को अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रोफेशन में जो मतभेद पैदा हो रहा है वह इस प्रकार का है कि एक तो वे डाक्टर हैं कि जो बाकायदा तीन चार साल तक कालेज में रहकर विशेष अध्ययन प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करते हैं और दूसरे वह हैं कि जिनको ड्यूरेशन आफ प्रैक्टिस के कारण मान्यता दे दी जाती है, तो वह कह देते हैं कि हमारी इतने साल की प्रैक्टिस है, शायद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की निगाह में ऐसे भी केस आये हों, जैसा कि हमारे प्रदेश का एक मशहूर केस है। मैं उसके मैरिट पर नहीं जाता, पता नहीं दूसरे प्रदेश के हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ हो। केस यह था कि एक डाक्टर जो इस प्रदेश के नहीं थे दूसरे प्रदेश के थे उन्होंने यहां प्रैक्टिस शुरू की थी और उनको लोकल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी इतने दिनों की प्रैक्टिस है। दूसरे प्रदेश में एक मर्डर के सिलसिले में अभियोग लगा कि आया उस साल वह आदमी यहां प्रेक्टिस कर रहा था या नहीं तो उस झगड़े में बोर्ड के मेम्बर्स वहां इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे में बुलाये गये और उनसे पूछा गया कि क्या आपको इन की उन सालों में प्रैक्टिस की जानकारी थी या नहीं। कुछ डाक्टरों ने कहा कि हम से कहा गया कि इतने दिनों की प्रेक्टिस थी इसीलिये हम ने मान लिया। इसलिये मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह ड्यूरेशन आफ प्रैक्टिस वाली चीज बड़ी खतरनाक हो रही है। इससे पता नहीं चलता कि कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी एम० एल० ए० से या किसी से सर्टिफिकेट ले कर उस ड्यूरेशन को सही मानना कहां तक उचित है इस पर गौर करना है। दूसरे हमें ड्यूरेशन आफ ट्रेनिंग भी माननी पड़ेगी कि कितने दिन तक शिक्षा हुई। शिकायत यह है कि तीन, चार और पांच पांच साल का कोर्स है। कुछ तो कहते हैं कि हम इतने साल का कोर्स रखते हैं। कुछ कालेज कहते हैं कि हमने दो साल में डिग्री दे दी। कोई कहता है कि हम एक साल में ही पढ़ा देते हैं। तो ड्यूरेशन आफ स्टडी की कम से कम कितने दिनों तक होम्योपैथी पढ़नी पड़ेगी इसका ड्यूरेशन हम यदि निश्चित नहीं कर देंगे तब तक जो भी नियम बनेंगे उनमें एक लैकुना रह जायगा और फिर बहुत गड़बड़ी होती रहेगी।

तीसरी चीज श्रीमन् शायद स्वास्थ्य मंत्री जी ने देखी होगी कि इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक आल इंडिया एलेक्ट्रो होम्योपैथी कांफ्रेंस हुई थी। अब होम्योपैथी अपने क्रूड फार्म की वह चीज नहीं रह गई बल्कि वह अब बहुत आगे बढ़ गई है। जिस विज्ञान में केवल मदर टिंक्चर्स से दवायें बना सकती थीं उसमें अब पेटेंट मेडिसिन्स भी बनने लगीं, उसके अन्दर इंजेक्शन भी तैयार होने लगे, उसमें मरहम पट्टी भी होने लगी, उसमें अब चीरफाड़ का भी इंतजाम हो गया तो जिस साइन्स में सरजरी इतना एडवांस कर गई, जहां इंजेक्शंस तैयार होने लगे, जहां पेटेंट मेडिसन्स बनने लगीं, जहां यह सब चीजें आ गई हैं तो उसके बारे में ख्याल हमको करना ही पड़ेगा। एलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक बड़ा स्थान है। एलेक्ट्रो होम्योपैथी के डाक्टरों का यह दवा है कि कैंसर ऐसी चीज को यदि कोई चिकित्सा प्रणाली ठीक कर सकती है या कुछ कर सकने की चेष्टा कर सकती है तो वह एलेक्ट्रो होम्योपैथी ही है। लेकिन हमने और हमारे बोर्ड ने उस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। एक बहुत बड़े एलेक्ट्रो होम्योपैथ बम्बई से कानपुर आये थे उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार होम्योपैथी के बारे में काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने यह प्रशंसा की कि इतनी एडवांस स्टेट होने पर भी बम्बई में होम्योपैथस की जो दुर्दशा है उसके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कहीं अच्छा व्यवहार होता है। वैसा भारतवर्ष के किसी प्रदेश में नहीं होता। लेकिन उनका भी कहना था कि ऐलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में प्रदेश सरकार को या तो कोई जानकारी नहीं है या फिर वह उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है।

चौथी चीज है कि होम्योपैथी की दवायें मदर टिंक्चर्स से बनती हैं और यह ऐसी चीज है जो भारतवर्ष में नहीं तैयार होती। अमेरिकन और जर्मन मदर टिंक्चर्स हमारे देश में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

ज्यादातर प्रचलित हैं। अतः यदि हम मदर टिंक्चर्स भी साथ ही साथ बनाना नहीं शुरू करेंगे तो होम्योपैथी का जो डेवलपमेंट है वह दूसरी ओर चला जायगा क्योंकि स्प्रिट से दवायें तैयार होती हैं और उसकी वजह से अगर गलत चीज हो जाय तो काफी नुकसान हो सकता है। यह माना जाता है कि किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली का बिगाड़ा हुआ केस तो होम्योपैथी से ठीक हो जाता है लेकिन जो सबसे निर्दोष प्रणाली है जिसमें अच्छा हो या न हो जल्दी दवायें उसको नुक्सान नहीं करतीं लेकिन उस प्रणाली का, होम्योपैथी का बिगाड़ा हुआ केस जल्दी किसी चिकित्सा प्रणाली से अच्छा नहीं हो सकता। अगर होम्योपैथिक डाक्टर से अच्छा नहीं हुआ तो फिर एलोपैथी या किसी भी साइन्स से शायद ही हम उस केस को अच्छा कर सकें। इसलिये जब तक इन औषधियों के बारे में जानकारी नहीं की जायगी और जब तक इन औषधियों पर विशेष कंट्रोल नहीं रखा जायगा तब तक इस विज्ञान से हम वास्तविक लाभ नहीं उठा सकेंगे।

बोर्ड के बारे में जो बात कही जाती है उसमें एक दो खराबियां भी हैं। उसमें मैलप्रैक्टिसेज की बहुत सी रिपोर्ट्स भी आती हैं। आयुर्वेद में यदि ऐसी औषधियां हैं जिनको कहा जाता है कि वे शायद बहुत जल्द लाभ कर देती हैं। खराब और गलत कामों में भी उसी तरीके से होम्योपैथी के पास भी ऐसी बहुत सी औषधियां हैं। यदि वे औषधियां खराब ढंग से बनीं तो इनसे बड़ी हानि हो सकती है। जब कोई शिकायत आती है तो उनकी छानबीन करने के लिये हमें आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मैशीनरी की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ऐसे बहुत से काम हैं जिनके कारण वे उधर ध्यान नहीं दे सकते इस वक्त तो बोर्ड के प्रेसीडेंट मौजूद नहीं हैं। वे ज्यादा बतलाते। लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है और शायद वे भी इसको स्वीकार करेंगे कि अधिकांश शिकायतों के मामले जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो न तो वे कुछ ध्यान देते हैं और न उसकी जरूरत ही महसूस करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि श्रीमन्, होम्योपैथ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता और उसके अभाव में माननीय मंत्री जी चाहे जितने भी नियम बनावें कुछ नहीं होगा हमें उसके लिये कोई मशीनरी और बनानी पड़ेगी।

अंतिम बात में निवेदन कर दूं, श्रीमन्, कि इस प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली [illegible] हो सकती है। आबोहवा के लिहाज से नहीं बल्कि अपने सस्तेपन के लिहाज से भी बड़ा कल्याण इससे होगा। कुछ लोगों ने खुद जिन्होंने होम्योपैथिक मुफ्त चिकित्सालय चालू कर रखे हैं और जो कि हजारों आदमियों को हर महीने में मुफ्त होम्योपैथी की दवायें बंटवाते हैं। हम लोगों ने इस बात का निजी अनुभव प्राप्त किया है चिकित्सा के विचार से, सस्तेपन के विचार से और लाभ के विचार से [illegible] यह प्रणाली बहुत ही अच्छी है। यही नहीं हर साल सरकार को काफी रुपया इंजेक्शंस लगवाने में खर्च करना पड़ता है। बहुत से लोग तो इंजेक्शंस लगाने की प्रथा के विरुद्ध भी हैं। वे समझते हैं कि हैजा, प्लेग इत्यादि के लिये इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहियें। यदि इन लोगों के लिये किसी चीज से रोकथाम है तो वह होम्योपैथी में है। चाहे [illegible] हो, चाहे प्लेग हो, चाहे हैजा हो अगर होम्योपैथी की उचित मात्रा पहुंचा दी जाय तो ९५ परसेंट केसेज में अनुभव किया जा चुका है कि इन बीमारियों का प्रकोप नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की ग्रांट के विषय में पुनः ध्यान देना होगा ताकि इन डाक्टरों को थोड़ा सा सहारा मिले। प्रदेश में जो अनेक संस्थायें चल रही हैं उन सबको एक में मिला दिया जाय और डाक्टरों की छानबीन की जाय कि उनसे कल्याण होता है या नहीं या वे नाम के खातिर डाक्टर हो गये हैं। स्कूल और कालेज में जहां दाई और [illegible] की [illegible] काफी बढ़ी हुई है वहां खास तौर से होम्योपैथी के डाक्टरों का प्रबन्ध होना चाहिये। अगर होम्योपैथी डाक्टरों को हम वहां भेज कर दें तो प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा। मैं [illegible] मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि प्रांत और केंद्र का जो मतभेद है, रिकग्नीशन के संबंध में जो [illegible] पैदा होती हैं, इलेक्ट्रो-होम्योपैथ्स का जो रिकग्नीशन नहीं है। ट्रेनिंग के [illegible] जो मतभेद है इन सब मतभेदों को दूर किया जाय इन विषयों पर ध्यान दिया जाय [illegible] से देश का अधिक से अधिक कल्याण हो सकेगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी को राजकीय मान्यता प्राप्त हुई है। इसके लिये बोर्ड कायम है जिनके द्वारा उस चिकित्सा पद्धति की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। मुझे यह कहते हुये बड़ा हर्ष होता है कि होम्योपैथी अपने देश के गरीब आदमियों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। जिस तरह की हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति है उसको देखते हुये होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। आजकल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत के संबंध में बड़ा विवाद चल रहा है। जहां तक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत का प्रश्न है आम तौर से दुनिया में ऐसी धारणा है कि उसका जन्म हिन्दुस्तान से बाहर हनीमेन साहब के जरिये से हुआ लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत और उसका (law of reaction) ला आफ रिएक्शन इन दोनों का आविष्कार गौतम बुद्ध के बहुत पहले हिंदुस्तान के अन्दर आयुर्वेद शास्त्र के अंदर हुआ था। होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत की वैज्ञानिकता के संबंध में आज भी लोग एक विवाद करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन चिकित्सा के जो सर्वमान्य और सारभौम सिद्धान्त हैं और मौलिक सिद्धांत हैं उनमें दुनिया में कही भी मतभेद नहीं है। दुनिया के अन्दर चिकित्साओं के अन्दर जितने मौलिक सिद्धांत है उन सिद्धांतों के पीछे होम्योपैथिक चिकित्सा का भी एक सिद्धांत है। हमारे ऋषियों ने कारण और कार्य को सामने रखते हुये चिकित्साओं के ६ सिद्धांत बतलाये थे और उन ६ सिद्धांतों मे एक होम्योपैथी का सिद्धांत है और हम उसका सहर्ष समर्थन करते हैं कि वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यहां कोई अवसर तो नही है कि उसकी वैज्ञानिकता शास्त्र के द्वारा सिद्ध की जाय लेकिन यह कहने में गर्व मालूम होता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत और उसके law of reaction का सिद्धांत ईसा के कई हजार वर्ष पहले हिन्दुस्तान के लोगों ने आविष्कार किया और उसका प्रयोग उस वक्त केवल चिकित्सा में ही नहीं बल्कि आहार विहार में भी होता था।

श्री अध्यक्ष—मै समझता हूं कि माननीय सदस्य इसके सिद्धांतों के संबंध में संक्षेप में कह लें क्योंकि सिद्धांतों का सवाल अब रहा नहीं। एक अधिनियम इस संबंध में बन चुका है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—यह जो होम्योपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत है यह इतना वैज्ञानिक और उपयोगी है कि उसको अपने प्रदेश में मान्यता मिलने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, कई वर्षों से, काम कर रहा है और उसके इस जीवन काल में जो कठिनाइयां सामने आती रही उनके संबंध में आज एक संशोधन हमारे सामने उपस्थित है। जहां तक होम्योपैथिक बोर्ड के संगठन का संबंध है, उसके सदस्यों की संख्या, उनका रजिस्ट्रेशन और दूसरी बातों का संबंध है, उन पर इतना महत्व देने की आवश्यकता नही है, जितनी कि इस बात की आवश्यकता है कि वह एक टेक्निकल संस्था है, इसलिये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का जो रजिस्ट्रार है, और उसका जो अध्यक्ष हो उनको कम से कम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान होना चाहिये। जब तक यह नहीं होता तब तक उस बोर्ड की अच्छी उन्नति नहीं हो सकती। मेम्बर कोई भी हो सकते हैं लेकिन बोर्ड के जो यह दो पदाधिकारी है जब तक यह टेक्निकल नहीं होते हैं तब तक इस बोर्ड की उन्नति नहीं हो सकती।

जहां तक चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का सवाल है उसके संबंध में लोगों को नाना प्रकार के अनुभव हैं। लेकिन कोई भी नियम बनता है वह नियम सम्पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। सभी नियमों में पक्ष और विपक्ष की बाते कही जा सकती है। लेकिन जो कदम सरकार ने उठाया है, वह महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात की कोशिश की गयी है कि जो लोग इस चिकित्सा में पूरा समय लगाते हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। जो लोग साइड बिजिनेस की तरह करते हैं उन्हें इस संशोधन के जरिये प्रोत्साहन नहीं मिला। इस तरह से चिकित्सकों के व्यवसाय को कंट्रोल करने के लिये अच्छे तरीके से काम लिया गया है और मै इसका स्वागत करता हूं। जहां तक इस चिकित्सा की दवाओं को तैयार करने और उनके नियंत्रण का संबंध है उसका अच्छा तरीका नहीं निकाला गया है और उसके विषय में भी सोचने की बातें है।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

होम्योपैथिक चिकित्सकों की अब तक जितनी रजिस्ट्री हुई है उसके संबंध में नानाप्रकार की शिकायतें हैं। लेकिन बहुत सी शिकायतों को शायद जांच होने पर वे रफा हो सकेंगी। बहुत से ऐसे भी चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री इसलिये नहीं हो पाती क्योंकि वह उनका साइड बिजनेस है या वे गवर्नमेंट सरवेंट हैं। लेकिन वे बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और जनता की सेवा उनके द्वारा हो रही है। मैं समझता हूं कि उनकी भी रजिस्ट्री हो जानी चाहिये। क्योंकि रजिस्टर मे रोगियों की संख्या आया करती है। रोगियों की संख्या के आधार पर उनकी रजिस्ट्री की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में होम्योपैथी की अच्छी उन्नति प्रदेश में होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। सरकार आज जितना रुपया मेडिकल कालेज और बड़े-बड़े अस्पतालों में खर्च कर रही है अगर उसमें से थोड़ा रुपया होम्योपैथिक डाक्टरों को अनुदान स्वरूप दे दे तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जिले में या और जिलों में ऐसे होम्योपैथिक डाक्टर हैं जो बड़े-बड़े रोगों को दूर कर देते हैं, जिनको कि हमारे बड़े चीड़फाड़ करने वाले डाक्टर ठीक नहीं कर पाते।

इस देश की जनता गरीब है कम से कम गरीब हरिजनों की हालत किसी से छिपी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बड़े-बड़े डाक्टरों के पास जायं। मैं स्वयं मरीज हूं। लेकिन मेडिकल कालेज में पहुंचने की हिम्मत आजतक नहीं की। इतना पैसा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पांच हजार के स्थान पर एक करोड़ रुपया इस मद में दे ताकि दो लाख रुपया हर जिले को मिल जायं जिससे यह चिकित्सा पद्धति उत्तरोत्तर बढ़ सके और इससे गरीबों का लाभ हो सके। लाखों किसानों, भुखमरों का इससे कल्याण हो सकता है। जो आदमी बीमार पड़ते हैं, उनके न तन पर वस्त्र है न पैसा है। यह दवा सस्ती और साथ ही लाभदायक है। यह हमारी कमिंग जनरेशन के लिये बहुत लाभप्रद है। यह बच्चों के लिये सबसे उत्तम है। यह मीठी होती है इसलिये बच्चे इसे खुशी से खा लेते हैं। कम पैसे में आने वाली इन दवाओं से कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं बहुत से बड़े लोग हैं जो गांवों में मुफ्त इसकी दवा लेते हैं। तो सरकार अगर उन डाक्टरों को जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, कुछ रुपया दे दें तो उससे उनका काम ज्यादा अच्छी तरह चलेगा। हमारे कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया। मैं कहता हूं कि इसमें एतराज करने की कोई बात नहीं है। जिनको हमने रजिस्टर्ड कर लिया, जिनको मान्यता दे दी, वह तो रहेंगे ही। जिनको मान्यता मिल चुकी है उनकी मान्यता हम छीनने थोड़े ही जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात नहीं सोची जा रही है। लेकिन जो धपलेबाजी हो रही है उसको रोकने के लिये वह कदम उठाया जा रहा है। और सरकार वह बिलकुल ठीक कर रही है। मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने जो यह स्टेप लिया वह बिलकुल ठीक है। जो लोग कई-कई काम एक साथ करते हैं, नौकरी भी करते हैं, दूकान भी खोले हुये हैं। दवा भी बांटते हैं। उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही होनी चाहिये। सरकार जो इंसपेक्टर्स इसके लिये मुकर्रर कर रही है वह बिलकुल ठीक कर रही है। एक आदमी को एक ही काम करना चाहिये जिससे उसका ध्यान उसमें केंद्रित हो सके। अगर उसका ध्यान कई कामों में लगा रहेगा तो वह केंद्रित नहीं हो सकता। अन्त में मैं यही सरकार से और कहूंगा कि कुछ रुपया अनुदान स्वरूप उन लोगों को वह दे जो इसमें काम अच्छा कर रहे हैं जिससे गरीबों का भला हो।

***नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं जिन्होंने कि इस विधेयक का स्वागत किया। मैं कुछ सुझावों से जो कि माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों ने सदन में विचारार्थ उपस्थित किये, उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि दो माननीय सदस्यों ने तो जो सुझाव रखे वह मेरी समझ में स्वयं आये नहीं। वे चाहते हैं कि क्वैकरी के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय। क्वैकरी हमेशा के लिये जहां तक होम्योपैथ्स का संबंध है या होम्योपैथी का संबंध है बन्द कर दी जावे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का मंशा क्वैकरी को बिल्कुल बन्द करने का तो है नहीं परन्तु उसके ऊपर ऐसे प्रतिबन्ध अवश्य लगाने का है जिससे कि क्वैकरी उत्तरोत्तर हमारे बीच से हट जाय या घट जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब होम्योपैथिक अधिनियम बना था, वह विधेयक के रूप में एक नान-आफिशियल ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया था और उस समय सदन ने उस विधेयक पर विचार करके उचित प्रकार के संशोधन करके उसे स्वीकृति प्रदान की थी। उस समय भी जिन माननीय सदस्य ने विधेयक को सदन में विचारार्थ उपस्थित किया था उन्होंने ऐसे होम्योपैथ्स जिन्हें कि क्वैक्स समझा जाय उनको बिल्कुल प्रैक्टिस करने से मना करने की न तो स्वयं नीति अपनायी थी और न उन्होंने कोई इस तरह का सुझाव उस समय रखा था और सुझाव क्यों नहीं रखा था उसके पीछे भी एक नीति छिपी हुई थी और वह यह थी कि होम्योपैथी के विषय में बहुत से व्यक्तियों का ऐसा मत था कि जो उसे साइंटिफिक नहीं मानते थे। स्वयं लोगों में विवाद था, बहस थी और बहुत से व्यक्ति उसे उस रूप में मान्यता प्रदान करने के लिये तैयार नहीं थे जिस तरह से कि होम्योपैथ्स उसे मान्यता प्रदान कराना चाहते थे। साथ ही में यह बात भी थी कि अपने प्रदेश में डाक्टरों की काफी कमी थी वैद्यों की भी कमी थी। तो ऐसे व्यक्ति जो कि काफी मात्रा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये थे और जनता की सेवा कर रहे थे यदि प्रारम्भ में ही उन पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाता तो बहुत से व्यक्ति होशियार थे, तजुरबेकार थे, अनुभवी थे वह भी उससे वंचित हो जाते क्योंकि जब हमारे पास मापदंड कोई मान्यता प्रदान करने के लिये था नहीं, कोई पैमाना लोगों की काबलियत के जांच करने का था नहीं सिवाय इसके कि उनका तजुरबा, तो यदि कोई प्रतिबन्ध सरकार लगा देती तो इस विज्ञान के प्रति शायद वह न्याय नहीं करती। सदन भी कोई न्याय नहीं करता? तो मैं यहां यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक हमारे विचारार्थ उपस्थित है उसमें हमने कोई पहले अधिनियम में ऐसी तब्दीली रखने की चेष्टा नहीं की कि जो इस अधिनियम के बनाने का मंशा था उसके बिल्कुल विरुद्ध ही जाय। हां, जो अब नये प्रतिबन्ध भी हम लगा रहे हैं उनका भी एक ही मंशा है और वह यह है कि उत्तरोत्तर क्वैकरी हट जायं और हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति होम्योपैथी की प्रैक्टिस करें जो अपना सारा समय इस विज्ञान के अध्ययन में, इस विज्ञान का अनुभव प्राप्त करने में लगायें।

[illegible]
उनका मुकाबला किया जाय तो कदाचित क्वैकरी के मानी लोग ठीक तरह से समझ सकेंगे। ऐसे जो नीम हकीम हमारे प्रदेश में होम्योपैथी के नाम से तिजारत करते हैं और क्वैकरी करते हैं उनको प्रैक्टिस से हटाने का इस पुराने अधिनियम में बिल्कुल मंशा नहीं था। जो संशोधन इस विधेयक के द्वारा हम उपस्थित कर रहे हैं उनमें भी जैसा मैंने अभी बतलाया, प्रतिबन्ध लगाने की नीति है। नियंत्रण अधिक मात्रा में लगाने की नीति रखी गयी है। तभी जो संशोधन होम्योपैथ्स के होल टाइम होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के संबंध में रखा गया है वह हमें उस ओर ले जाने वाला है जो नीति हम होम्योपैथी की प्रैक्टिस के संबंध में बरतना चाहते हैं। मैं माननीय नारायण दत्त जी के उन सुझावों को समझ नहीं पाया। वह चाहते हैं कि बोर्ड को पूरा अधिकार रहना चाहिये और वह यह भी चाहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति हैं तजुरबेकार व्यक्ति हैं उन्हें चाहे जब रजिस्ट्रेशन करवाने की इजाजत मिल जानी चाहिये। ये दोनों बातें तो ठीक बातें नहीं हैं और यह कोई संतुलित ढंग से समझने वाली भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि क्वैकरी हमारे प्रदेश से हटे तो उसके लिये हम उचित कार्यवाही तभी कर सकते हैं जब कि हम उचित प्रतिबन्ध इस होम्योपैथी की प्रैक्टिस के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

संबंध में समझें। हमने जो संशोधन सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है वह हम अवश्य ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जिस से हम ऐसे प्रतिबन्ध लगाकर क्वैकरी रोक सकें, नीम हकीम को रोक सकें।

उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया कि हमने बोर्ड से इस विधेयक के संबंध में सलाह ली है या नहीं। तो अवश्य हमारे पास बोर्ड की सलाह आई है। बोर्ड ने स्वयं सुझाव हमारे सामने उपस्थित किया था कि जो लोग दवाई इत्यादि होम्योपैथी की बनाते हैं उनको लाइसेंस देने का कोई अधिकार बोर्ड के पास होना चाहिये और वह अधिकार हम इस विधेयक के द्वारा बोर्ड को प्रदान करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी जानकारी हमसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि क्या बोर्ड ने इन तीन वर्षों में जो कार्य किया है उसकी प्रगति की रिपोर्ट सरकार के पास आई है या नहीं? मैं यहां निवेदन कर देना चाहता हूं कि बोर्ड ने सिवाय रजिस्ट्रेशन के और कुछ संस्थाओं को धनराशि अनुदान के रूप में देने के कोई ऐसा कार्य अभी नहीं किया जिसके विषय में वह सरकार के पास रिपोर्ट भेजता। अभी किन-किन संस्थाओं को मान्यता मिलनी चाहिये, किन-किन संस्थाओं को रिकाग्नीशन मिलना चाहिये, किन-किन संस्थाओं के पढ़े लिखे व्यक्ति होम्योपैथी में शिक्षा प्राप्त किये हुये व्यक्ति रजिस्टर्ड किये जायं इस पर बोर्ड ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बोर्ड को जैसा कि हम सब जानते हैं इस प्रकार के अधिकार पहले अधिनियम में मिल चुके हैं और हम आशा करते हैं कि वे वह उन अधिकारों को बरतेगा। जहां तक उत्तर प्रदेशीय सरकार का संबंध है होम्योपैथी के प्रसार के संबंध में है मैं यहां यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार उत्तरोत्तर इस इलाज की प्रणाली को प्रदेश में विकसित होने का अवसर प्रदान करती जा रही है। यह सत्य है कि अभी जो [illegible] हम इस ओर रखते हैं वह उचित मात्रा में उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन [illegible] कि इस सदन के सदस्य स्वयं जानते हैं, होम्योपैथी के विषय में जहां तक उन व्यक्तियों का संबंध है जो अपने को वैज्ञानिक कहते हैं वे तो उसकी कटु आलोचना करते हैं और विरोध भी करते हैं और कभी-कभी अपने विरोध में यह भी कह जाते हैं कि यह सरकार प्रतिक्रियावादी नीति बरत रही है जो इस तरह के अनसांइटिफिक तरीके को प्रदेश में संचालित करने का प्रयास [illegible]। [illegible] जहां तक सरकार का संबंध है उसने उन आलोचनाओं के ऊपर ध्यान न देते [illegible] होने का अवसर प्रदान किया है। तभी तो उसने [illegible] मिलने का प्रयास किया है। वे [illegible] हो जाते हैं उन्हें पुराने अधिनियम के मुताबिक कुछ वे अधिकार मिल जाते हैं जो [illegible] इलाज रजिस्टर्ड प्रैक्टीशनर्स को प्राप्त हैं। अगर हम [illegible] तो उससे हमें पता चलेगा कि वे होमियोपैथ्स [illegible] सर्टिफिकेट इत्यादि देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, [illegible] जाता है उसको इलनेस का सर्टिफिकेट [illegible] अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं जिनकी [illegible] रजिस्टर करने की पद्धति यदि [illegible] है। इसलिये एक [illegible] प्रतिबन्ध लगा कर हम [illegible] और जिनके पास वे [illegible] चाहिये। इसीलिये [illegible] नहीं रखती है [illegible] किये हैं उन्होंने [illegible] के पास क्वालिफिकेशन [illegible] है। जहां तक [illegible] रजिस्टर हो गये [illegible] जो लोग आगे

प्रैक्टिस की बुनियाद पर आना चाहेंगे उनके ऊपर वे प्रतिबन्ध लगायेंगे जो कि इस संशोधन में व्यक्त किये गये हैं।

मैंने अभी आपसे बताया कि प्रदेश की सरकार उत्तरोत्तर इस प्रयास में रही है कि होम्योपैथिक डाक्टरों को होमियोपैथी पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने होमियोपैथी का जो कालेज लखनऊ में चल रहा है उसको काफी अनुदान देने का निर्णय किया है और इस वर्ष भी जैसा कि बजट के आंकड़े बतलाते हैं हमने ४० हजार रुपये की धनराशि इस संस्था के विकसित होने के लिये और निर्मित होने के लिये इस साल के बजट में रखी है। कदाचित वह कालेज शीघ्र ही एक ऐसी रूपरेखा में परिवर्तित हो जायगा जहां होम्योपैथी की उच्चकोटि की शिक्षा दी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ होम्योपैथी के अस्पताल खोलने के लिये भी जितनी अब तक धनराशि व्यय होती रही है उससे कई गुनी ज्यादा व्यय करने की योजना बनाई है। हम आशा करते हैं कि जब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य प्रारम्भ होगा और इस कालेज की स्थापना हम ठीक ढंग से कर लेंगे तो इस कालेज से निकले हुये विद्यार्थी अवश्य ऐसी योग्यता प्राप्त लेंगे जो होम्योपैथी के प्रति श्रद्धा और आदर उन व्यक्तियों में पैदा कर सकें जो अपने को वैज्ञानिक समझते हैं और जो विज्ञान की तह में ही प्रत्येक चीज को जांचते हैं और जो वैज्ञानिक प्रथा को प्रदेश तथा देश में रखना चाहते हैं।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने सदन के सम्मुख कुछ ऐसी बातें रखी हैं जिनको मैं समझ नहीं पाया हूं। उन्होंने सदन में जानकारी के रूप में बतलाया कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनको केन्द्रीय सरकार तो मान्यता प्रदान करती है और प्रदेशीय सरकार मान्यता नहीं देती है। कम से कम प्रदेशीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि कोई ऐसी बात है तो उसकी सूचना प्रदेशीय सरकार के पास आनी चाहिये अभी मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि कोई ऐसी संस्था हो जो केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुकी हो और हमारे यहां मान्यता पाने की चेष्टा की हो और उसको मान्यता न मिली हो।

श्री परिपूर्णानन्द जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी जिक्र किया और उन्होंने सदन के सामने सुझाव रखा कि उसको मान्यता मिलनी चाहिये। मैं इन विषयों का पंडित नहीं हूं परन्तु जो लोग इन विषयों की जानकारी रखते हैं कदाचित पिछले या पूर्व वर्ष में इस पर विचार हुआ था और बोर्ड इस राय का नहीं हो पाया कि इस इलैक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जाय। वैसे हर प्रकार से बोर्ड को अधिकार है और वह इस विषय में विचार कर सकता है और विचार करके निर्णय दे सकता है।

जो मौजूदा विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसका मंशा जहां तक चेयरमैन की नियुक्ति का है वह यह है कि होम्योपैथी बोर्ड आफ मेडिसिन का चेयरमैन उसी प्रकार से नामजद किया जाय जिस तरह से एलोपैथी सिस्टम के लिये जो कौंसिल निर्मित होती है। हम यह चाहते हैं और ऐसा ही विचार अन्य व्यक्तियों का भी है कि जहां तक प्रोफेशनल एजूकेशन और प्रोफेशन के कंवेन्शन्स इत्यादि की बातें हैं उनको ठीक तरह से संचालित करने का सवाल है तो वह उन व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये जो उस प्रोफेशन से संबंध रखते हों और जो उसमें काम करते हों। अब तक कानून की तहत में यह रखा गया था कि होम्योपैथिक बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड की नियुक्ति के बाद चुना जायगा। चुनने की प्रथा प्रोफेशनल आदमियों में गड़बड़ पैदा करती है और यह प्रथा, जैसा कि मैंने बतलाया, एलोपैथिक सिस्टम की जो मेडिकल कौंसिल है उसके लिये भी प्रचलित नहीं है। इसलिये सरकार ने यह उचित समझा कि जो तीनों तरीके के इलाज प्रदेश में चल रहे हैं उनकी कौंसिल बनी हुई है उनका ढंग और उनका कांस्टीट्यूशन करीब-करीब एक प्रकार का हो। इसलिये जहां प्रेसीडेंट के चुनने का विषय था उसमें संशोधित बिल द्वारा परिवर्तन करके यह ढंग निकाला है कि वह उसी प्रकार से नियुक्त किया जाय जिस प्रकार कि

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मेडिकल कौंसिल का सभापति सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । श्री परिपूर्णानन्द जी ने हमारा ध्यान इस ओर भी दिलाया था कि होम्योपैथ्स के बीच में बहुत से एसोसियेशन्स बने हुये हैं और उनमें आपस में काफी लड़ाई झगड़ा है और वह कभी-कभी एक मत नहीं हो पाते हैं। उन से मेरा निवेदन यह है कि इसी वजह से तो हमने शेड्यूल में वह परिवर्तन किया है कि जिससे वह एसोसियेशन्स जिनको कि पहले तजुर्बे की बुनियाद पर डाक्टरों को रजिस्टर्ड करने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार था वह उनसे छीन लिया जाय और नये नियमों के अनुसार वह डाक्टर जो तजुर्बे की बुनियाद पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं रजिस्टर्ड किये जायं। पहले जैसा कि पुराने अधिनियम में दिया हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसियेशन था, उसके द्वारा जब सिफारिश होती थी तभी कोई रजिस्टर्ड हो पाता था, किन्तु अब हमने इस संशोधित बिल द्वारा वह बात अलाहिदा कर दी है। जो बातें अभी हमारे विचारार्थ रखी गई थीं उनमें से मोटे तौर से जितनी बातों का उत्तर मुझे देना चाहिये था उनका मैंने उत्तर दे दिया है। मैं फिर सदस्यों को उनके उत्साह के लिए, जो उन्होंने इस संशोधन बिल के लिये दिखाया है, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--मेरे पास संशोधन नहीं आये हैं, सिर्फ नारायणदत्त जी ने मेरे पास एक संशोधन भेजा है। जिस वक्त वह खंड आयेगा उस वक्त मैं उनको बुलाऊंगा ।

खंड २, ३ और ४

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ५ का संशोधन ।

२--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"५--(१) बोर्ड का एक अध्यक्ष (Chairman) होगा जिसे राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों में से नियुक्त करेगी ।

(२) बोर्ड का एक उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) भी होगा जो बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जायगा ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ६ का संशोधन ।

३--मूल अधिनियम की धारा ६ में :

(क) शब्द "चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया मेम्बर" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष (Chairman) के पद पर नियुक्त अथवा उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) के पद पर निर्वाचित कोई सदस्य" रख दिये जायं ।

(ख) शब्द "निर्वाचित किये जाने या नामजद" के स्थान पर शब्द "नियुक्त किये जाने या नामजद" रख दिये जायं ।

४--मूल अधिनियम की धारा ९ मे :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ९ का संशोधन ।

(क) खंड (१) मे शब्द "नये निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "नयी नियुक्ति" रख दिये जायं ।

(ख) खंड (२) तथा उसके प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद मे जहां शब्द "निर्वाचित" आया है इसके स्थान पर शब्द "नियुक्त" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम की धारा ४१ के खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ४१ का संशोधन ।

"(९) लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों (permits) द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना और राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के निमित्त इन्सपेक्टरों को नियुक्त करना जो होम्योपैथी के अर्हित (qualified) डाक्टर हों ।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ५ के द्वारा संशोधित धारा ४१ के खंड ९ में शब्द "लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों" से शब्द "नियमन करना और" तक निकाल दिये जायं ।

मेरा एक दूसरा संशोधन भी है जो मैं आपकी आज्ञा से अभी ही प्रस्तुत किये देता हूं ।

एक नया उपखंड (९)--क--जोड़ दिया जाय जो इस प्रकार हो :---

"(९) क--लाइसेंस अथवा अनुज्ञा पत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना।"

बजाय इसके इसका अर्थ संक्षेप में यह है कि इसके भावार्थ में यह परिवर्तन नहीं करता इसमें केवल एक शाब्दिक शोभा प्रदान करता है ।

मैं इसको और स्पष्ट कर दूं । मूल अधिनियम में यह है कि "राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिये इंसपैक्टरों को नियुक्त करना" यह शब्द खंड ९ में मौजूद है। अब सरकार की यह इच्छा हुई कि खंड ९ में इतना और जोड़ दें कि "लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना" यह जोड़ने की आवश्यकता हुई तो सरकार ने इसी खंड ९ मे ऊपर बताये हुये को जोड़ कर यह नियमन की विधि प्रस्तुत कर दी । मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि प्रथम अधिनियम के खंड ९ में बढ़ाये ९--क के द्वारा इसको बढ़ा दिया जाय और "लाइसेंस" से लेकर "नियमन करना" तक इसमें जोड़ दिया जाय तो उचित होगा । मैं समझता हूं मेरा तात्पर्य माननीय मंत्री जी समझ गये होंगे । केवल इतनी बात है कि ९ खंड के बजाय ९ । क बना कर इसको जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह साफ हो गया है। यह खंड ५ में जो तीसरी पंक्ति "राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं" तक जो शब्द है यह पहली धारा ४१ के खंड (ढ) में आ चुके हैं। तो यह पहले तीन पंक्तियों के जो शब्द हैं उनको अगर (ढ) क--के स्वरूप में जोड़ दिया जाय तो अधिक ठीक होगा नहीं तो जो शब्द पहले से अधिनियम में मौजूद हैं वह हैं ही केवल उनको वह दो टुकड़ों में रखना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं तो स्वयं इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। आखिर जो यह नियमन थे वह ला डिपार्टमेंट के पास गये। उनकी सलाह और रजामन्दी से इसमें परिवर्तन किया गया है। अब यहां इनका कोई दूसरा मतलब भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है। वही भाव इन शब्दों से व्यक्त है और कानूनी दृष्टिकोण से भी इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से कौंसिल से इन नियमों का परिवर्तन स्वीकार किया है उसकी मंजूरी उनको प्रदान करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह कौंसिल का कारण बताते हैं कि यदि कोई भी संशोधन यहां स्वीकृत हुआ, तो फिर उनको वहां जाना पड़ेगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ५ के द्वारा संशोधित धारा ४१ के खंड (ढ) में शब्द "लाइसेंस" से लेकर "नियमन करना और" शब्द तक निकाल दिये जायं और खंड ५ की मूल धारा ४१ में उपखंड (ढ) क इस प्रकार जोड़ दिया जाय।

"(ढ) क---लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ और ७

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ५६ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा ५६ की उपधारा (२) में खंड (थ) के पश्चात् (थ थ) तथा (थ थ थ) को निम्नलिखित नये खंडों के रूप में रखा जाय:

"(थ थ) धारा ४१ के खंड (ढ) के अधीन लाइसेंस या अनुज्ञापत्र (permit) देने के लिये प्रार्थना-पत्र का (form) तथा उस में भरे जाने वाले ब्योरे;

(थ थ थ) लाइसेंस देने की शर्तें, लाइसेन्स का नवीकरण तथा उसके लिये देय शुल्क";

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ६३ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"६३- इस अधिनियम की अन्य किसी भी धारा में किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के भाग २ अथवा

रजिस्ट्रेशन पूर्व परीक्षा। उसकी किसी धारा के लागू हो जाने के दिनांक से एक वर्ष के पूरा होने पर अथवा उसके पश्चात् तब तक रजिस्टर में रजिस्टर्ड चिकित्सक के रूप में न लिखा जायगा जब तक वह बोर्ड द्वारा स्वीकृत परीक्षा नहीं पास कर लेगा।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—मूल अधिनियम की सूची में:

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की अनुसूची में संशोधन।

(१) तीसरे अनुच्छेद (paragraph) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"३—वे होम्योपैथ जो प्रार्थना-पत्र देने के समय पिछले पांच वर्षों से पूर्णकालिक (whole time) होमियोपैथों की हैसियत से चिकित्सा कर रहे हों, और जिनका रजिस्टर्ड होमियोपैथ होने के लिये योग्य होना विहित रीति से प्रमाणित किया गया हो।

स्पष्टीकरण—यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी (local authority) अथवा किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (undertaking) अथवा अन्य किसी अधिष्ठान (establishment) का सवैतनिक कर्मचारी (होमियोपैथ के रूप में काम करने से भिन्न दशा में) हो तो उसे पूर्ण कालिक होमियोपैथ के रूप में चिकित्सा करने वाला व्यक्ति न समझा जायगा।"

(२) अनुच्छेद (paragraph) ४ निकाल दिया जाय।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, परिशिष्ट में जो उपखंड (४) है उसकी आवश्यकता अभी बनी हुई है। वह उपखंड (४) इस प्रकार है—

"वे होमियोपैथ, जो बोर्ड की राय में पर्याप्त ख्याति प्राप्त, प्रशंसित और योग्य हों और व्यवसाय में अपनी कार्य निपुणता के लिये सुविख्यात हों।"

मैं समझता हूं कि बोर्ड को अभी इस प्रकार के अधिकार रहने चाहिये कि जो आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन के आदमी हों और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, उनको रजिस्ट करने का अधिकार बोर्ड को अभी रहना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि जो ऐसे ख्याति प्राप्त होमियोपैथ हैं वे अपना नाम रजिस्टर करा चुके होंगे और भविष्य में इस प्रकार की कोई आवश्यकता महसूस न होगी किन्तु कई बार सरकार ने ऐसी बात कही है कि कोई प्रोवीजन रिडंडेंट होते हुए भी विधेयक में प्रीकाशनरी मेजर के रूप में रहने में कोई हर्ज नहीं है। जो दलील हम लोग दिया करते थे वह दलील माननीय मंत्री जी ने आज दी और एक प्रकार से माननीय मंत्री जी ने हमारी दलील को स्वीकार कर लिया लेकिन आगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सरकार इस अधिकार को बोर्ड के पास रहने दे तो इससे कोई हर्ज होने वाला नहीं है । क्योंकि यह हो सकता है कि बम्बई में एक डाक्टर रहता है और वह यू० पी० में आ जाता है वह क्योंकि यहां की डाक्टरी पास नहीं है इस लिये वह यहां पर रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि बोर्ड में ऐसा अधिकार कोई निहित नहीं रह गया कि वह बाम्बे वाले डाक्टर को रजिस्टर उसके तजुरबे की बिना पर कर सके। इसलिये कोई ऐसा अधिकार बोर्ड के पास रहना चाहिये कि इमरजेंसी के समय वह ऐसा कर सके। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई असंगत बात न होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिस बात की चर्चा माननीय नारायणदत्त जी ने की उसका उत्तर मैं अपने पूर्व भाषण में ही दे चुका हूं और इसलिये वह चर्चा अनावश्यक थी। मैंने यह बताया था कि जिनको अनुभव था वे अब तक रजिस्टर हो चुके होंगे और अनुभव की बुनियाद पर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर होने से न रह गया होगा जो अपने आपको रजिस्टर कराना चाहता था या है । जहां तक भविष्य में क्या प्रणाली बरती जाय, इसका प्रश्न है वह उद्देश्य और कारणों में ही हमने बता दिया है कि भविष्य में हमारी नीति केवल ऐसे ही व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने की है जो ड्यूली क्वालीफाइड होंगे और जिन्होंने तमाम प्रतिबंधों के तहत योग्यता प्राप्त कर ली होगी जिनका वर्णन हमने इस संशोधन में किया है जो इस विधेयक के द्वारा उपस्थित किये जा रहे हैं। जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिसकी चर्चा माननीय नारायण दत्त जी ने की कि वह बंबई में डाक्टरी में विशेष योग्यता प्राप्त किए हुये है और वह यहां आ जाता है, तो उसके बारे में होमियोपैथिक बोर्ड जब अपने नियम बनायेगा तो उन नियमों के तहत उनको मान्यता देने में कोई कठिनाई न होगी और उसको अवश्य रजिस्टर कर लिया जायगा और ऐसी कोई हालत कभी पैदा नहीं हो सकती कि कोई उचित योग्यता प्राप्त व्यक्ति बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त न कर सके। इसलिये जो कुछ उन्होंने काल्पनिक आपत्ति की है वह मौजूदा हालत में कुछ मानी नहीं रखती है । इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

यू० पी० ऐक्ट ८, १९५२।

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९५२।

यह इष्टकर है कि आगे उल्लिखित प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ का संशोधन किया जाय:

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं कि कल जो राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद होगा उसके प्रारम्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखेंगे और उसके अनुसार यह प्रस्ताव आने पर उसके ऊपर विवाद जारी होगा।

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे सन्धान (Adjustments) को छोड़ कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।"

जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ को कार्य परामर्शदात्री समिति में विचारार्थ भेजने की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक बात जरा निवेदन करना चाहता हूं एजेंडे को देखने से मालूम होता है कि जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ विधेयकों के क्रम में तीसरे नम्बर पर लिया जाने वाला है। मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है इस लिये बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी इस पर विचार करे। यह हमारी दिक्कत है जो मैंने आपके सम्मुख रख दिया।

श्री अध्यक्ष--लेकिन माननीय मंत्री जी जो इसको उपस्थित करेंगे इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं। जिस वक्त यह पेश हो उसी वक्त आप इस प्रश्न को उठावें तो ठीक होगा।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस गरज से आया है कि हमारे सूबे में पहले दो अलग-अलग हाई कोर्ट थे, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरा चीफ कोर्ट लखनऊ। सन् ४८ में यह दोनों मिल कर एक हो गए लेकिन इसके बावजूद जो मातहत

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक, २७ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

अदालतें थीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की थीं वह बंगाल आगरा एन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के मातहत रहीं और जो अवध में थीं वह अवध कोर्ट ऐक्ट्स, २५ था, उसके मातहत रहीं। इसकी वजह से यह होता था कि जब कभी कोई हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट को जारी करना होता था तो दोनों कानूनों में अलग-अलग हुक्म जारी करना होता था और एक जहमत होती थी। जिसकी वजह से कोई खास फायदा नहीं था लेकिन एक तारीख चली आती थी और ऐसा चलता था। नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिन हुए इसी सदन ने एक बिल पास किया था जिसके जरिए से यह फैसला हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट जजेज को यह अधिकार होगा कि वह बजाय ५,००० तक के दस हजार तक के मामले सुन सकेंगे। वह कानून पास हो गया और लागू कर दिया गया। लेकिन उस कानून की वजह से जो तरमीम की गई वह केवल आगरा और आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट में की गई क्योंकि ज्यादातर वही लागू था और उसी को सामने रख कर तरमीम की गई थी और वह अवध कोर्ट ऐक्ट में नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि अवध की अदालतों का जुरिसडिक्शन ५ हजार तक की ही रह गया और आगरा के कोर्ट्स का बढ़ कर १० हजार तक हो गया। जब इस एनामली को देखा गया तो जरूरत महसूस हुई कि दोनों कानूनों को मिलाकर ऐसा कर दिया जाय कि एक ही कानून गोया दोनों जगहों पर लागू है। चुनांचे इसी गरज से यह कानून आया है। इसमें ५,००० का जुरिसडिक्शन दस हजार तक बढ़ाया गया है और बाकी जो दफात ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था वह तरमीम की गई हैं। मेरे ख्याल में सदन इसको मंजूर करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय जिन उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डाला वह स्पष्ट हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यह विडम्बना आज तक कैसे चलती रही और इस प्रकार की असंगति क्यों इतने दिनों तक रही, यह आश्चर्य का विषय है कि जो दो परस्पर समान दृष्टिकोण रखने वाले ऐक्ट बंगाल, आगरा एन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट और अवध कोर्ट्स ऐक्ट जो एक ही प्रकार की व्यवस्था करते थे वह इस सूबे के अलग-अलग न्यायालयों में लागू रहें यह अवश्य एक विडम्बना और एक कानट्रेडिक्शन था। यह संशोधन तो वास्तव में तभी हो जाना चाहिये था जिस दिन कि चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट का अमलगमेशन हुआ था और जिनके कोर्ट्स के लिये अवध कोर्ट्स ऐक्ट लागू नहीं किया गया था उनके लिये भी बंगाल आसाम ऐक्ट लागू किया गया उसी समय यह संशोधन हो जाना चाहिये था। तो खैर, अब देर में ही सही अगर कोई अच्छा विचार सरकार का हो तो उसमें कोई रुकावट डालने का प्रश्न नहीं है। हां, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे अवध कोर्ट्स ऐक्ट रिपील नहीं हुआ है और यदि सबार्डिनेट कोर्ट्स के लिये उस ऐक्ट की धारायें लागू न होकर बंगाल आसाम ऐक्ट की धारायें लागू हो जायेंगी तो फिर यह प्रश्न हो जायगा कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन सी धारायें लागू माननी चाहियें जैसे चैप्टर ६ में सप्लीमेंटल प्राविजन्स के बारे में है।" इस विधेयक में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन सी धारायें अब लागू नहीं रहेंगी। इसमें केवल एक जगह जिक्र है खंड २ जिसमें यह लिखा हुआ है :

"इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बंगाल , आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की (जो धारायें इसमें दी गई है) वह धारायें उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लागू होंगी जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ लागू होता है तथा अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के तत्सम्थानी उपबन्ध तदनुसार निरस्त हो जायगे।

अब तत्स्थानी उपबन्ध तदनुसार, इतनी वेग लगुयेज कानून में लिखना बहुत गलत है। कौन सी धाराएं है, कौन से सब सैक्शन्स है यह स्पष्ट होना चाहिये। इसमें एक आम बात कही गयी है कि वह धारायें जो सम्बन्ध रखती है। कम से कम जब आपने बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स की धारायें जब स्पष्ट की है कि कौन कौन-सी लागू होंगी तब उसी प्रकार से यह भी होना चाहिये था कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन-कौन सी धारायें लागू नहीं होंगी। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक यह विधेयक एक प्रकार से अधूरा है और भ्रमात्मक है क्योंकि कल को यह सवाल उठ सकता है कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट अभी रिपील नहीं हुआ है तो कौन-कौन सी धारायें उसकी रिपील की गई है और कौन सी नहीं की गई है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक अनामली रहेगी, कन्फूजन रहेगा और मिसअन्डरस्टैंडिंग भी होने की गुंजायश है। मैंने इसमें ढूढ़ने की कोशिश की कि कौन-कौन से उपबन्ध माने जा सकते है जो बिल्कुल उसी मतलब में जो बंगाल आसाम ऐक्ट की धारा ३, ४, ६, ८, ९ से ११, १३ से २५, ३८ तथा ३९ से सम्बन्धित है। अगर ध्यान से देखा जाय तो बहुत सी ऐसी धारायें है जो मिलती जुलती है आसाम बंगाल ऐक्ट की धाराओं से और इसलिये उनमें से बहुत सी बातें ऐसी है जिन पर विधान बनाना आवश्यक है। इसलिये ऐसी बात स्पष्ट होनी चाहिये कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट की कौन सी धारायें लागू होती है और कौन सी नहीं लागू होती है और अगर उसकी कुछ धारायें अब भी लागू है तो फिर वही अनामली रह जाती है कि दो दो ऐक्ट अभी भी लागू रहते है और कुछ के लिये बंगाल आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट और कुछ के लिये अब भी अवध कोर्ट्स ऐक्ट लागू रहेगा। इसलिये या तो बिल्कुल अवध कोर्ट्स ऐक्ट को रिपील कर दे और यह घोषित कर दें कि यू० पी० की बाउन्डरी में अवध कोर्ट्स ऐक्ट अब निरस्त किया जाता है और वह यू० पी० में लागू नहीं होगा। उसके स्थान पर दूसरा ऐक्ट बन जायगा चाहे वह बंगाल आसाम ऐक्ट का पूर्णरूपेण संशोधन करके हो या कोई नया ऐक्ट बना करके हो। मैं सरकार की इस मंशा से तो सहमत हूं कि एक ऐक्ट हो लेकिन अवध कोर्ट्स ऐक्ट अब भी लागू हो सप्लीमेंटल हो चाहे और कोई हो इससे हम सहमत नहीं हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि दो चार साल के बाद फिर संशोधन लाना पड़ेगा कि कुछ जगह यह लागू था इसलिये उसको रिपील करते है या उसके इस प्राविजन को लागू करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस असंगति को दूर करें। जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी ने इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सिफारिश तो नहीं की लेकिन एक इशारा कर दिया कि जो विधान इस सम्बन्ध में है वे एक प्रकार से बनने चाहिये और बहुत से अन्य सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। सरकार ने मेरा खयाल है, जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के कुछ सुझावों के अनुसार विधान बना लिया है, लेकिन बहुत से सबार्डिनेट सिविल कोर्ट्स के मामले में जो सुझाव थे उन पर विधान बनाना अब भी बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब यह ५ हजार रुपये के बजाय जो १० हजार रुपये का अधिकार दिया है इस सुझाव को मान लेने के अलावा कौन से जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के सुझाव को वे मानने जा रहे है या मानना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे सुझाव है जिनको इस संशोधन विधेयक में लाने की गुंजायश थी लेकिन नहीं लाये गये। अगर कोई ऐसी सूरत निकल सकती हो कि जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी के सुझावों को सिविल कोर्ट्स के बारे में पूरे माने में मान सकें तो बहुत उपयुक्त होगा।

दूसरी बात जो बंगाल, आगरा एंड आसाम ऐक्ट की धारा ३७ के बारे में है माननीय मंत्री जी ने जो धारायें लागू की हैं वे धारा ३ से लेकर धारा १९ तक, धारा २१ से

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
लेकर धारा २५ तक और धारा ३८ से लेकर धारा ४० तक लागू की है, लेकिन धारा ३७ लागू नहीं की। धारा ३७ इस प्रकार है :

"Wherein any suit or other proceeding it is necessary for a Civil Court to decide any question regarding succession, inheritance, marriage or caste or any religious or institution, the Muhammadan law in cases where the parties are Muhammadans, and the Hindu law in cases where the parties are Hindus, shall form the rule of decision except in so far as such law has by legislative enactment, been altered or abolished."

"जब कभी किसी दावे मे, किसी और कार्यवाही मे सिविल कोर्ट के लिये यह आवश्यक हो कि वह किसी उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे, या किसी दावे के सम्बन्ध मे, किसी विवाह के सम्बन्ध मे, किसी जाति के सम्बन्ध मे, किसी धर्म, रीतिरिवाज के सम्बन्ध मे या किसी मस्था के सम्बन्ध मे मुस्लिम ला जहां पर दावा करने वाला सम्बन्धित व्यक्ति मुसलमान है और जहां हिन्दू है वहां हिन्दू ला को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी और वहां पर यह निश्चय वहां की कस्टमरी लाया जो वहां की नियत परम्परा से चाल हुआ कानून है उसके आधार पर किया जायगा सिवा उन मामलों के जिनमे विधान के अनुसार कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन न हुआ हो।" अब आपने अवध कोर्ट ऐक्ट की धाराओ को निरस्त कर दिया, लेकिन इस धारा को आपने स्थान नहीं दिया तो नतीजा क्या होगा। जहां पर सिविल कोर्ट मे की प्रोसीडिंग्स होती है और वहां उत्तराधिकार, जाति, विवाह के प्रश्न पर हिन्दू ला या मुस्लिम ला का प्रश्न आता है तो वहां यह धारा ३७ क्यो नहीं लागू की जा रही है यह बात इसमे स्पष्ट नहीं है। जब तक धारा ३७ बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट की लागू नहीं की जाती तब तक यह कानून एक मानी मे अधूरा रहेगा। अगर यह मान ले कि किसी अस्पष्ट या आम तौर पर माने जाने वाले कानून के अनुसार यह विधान या प्रविधान इस ऐक्ट मे होगा तब भी मैं समझता हूं कि इस धारा ३७ को लागू करने से कोई बुराई की बात नहीं होगी बल्कि एक स्पष्टता विधेयक मे आ जायगी। इन शब्दों के साथ मै इस विधेयक के अर्थ का समर्थन करता हूं, लेकिन मैने जिन तीन बातों की ओर मुख्यतः ध्यान आकर्षित किया है, मै समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उस ओर अवश्य ध्यान देंगे। अवध कोर्ट्स ऐक्ट मे कौन सी ऐसी धारायें लागू होती है और कौन सी नहीं यह स्पष्ट किया जाय या अवध कोर्ट पूरे मानी मे निरस्त किया जायगा। दूसरी बात, जुडीशल रिफार्म्स कमेटी मे बताये गये सिविल कोर्ट सम्बन्धी सुधारों को अत्यावश्यक रूप मे लागू करना चाहे वे संशोधन विधेयक की परिधि मे आते हों या न आते हों। तीसरी बात यह है कि सिविल कोर्ट हिन्दू ला और मोहम्मदन ला के बारे मे जैसा कि वह विधान द्वारा संशोधित किया गया है, उसी प्रकार दावों पर अपना फैसला देगे, यह अधिकार विधान द्वारा जो उनको दिया गया है, धारा ३७, बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट मे, इस धारा को कानून के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लागू करना।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह मुनासिब है कि जब सारे प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट है। लखनऊ चीफ कोर्ट खत्म हो गयी। तो सारा प्रोसीड्योर एक ही ढंग का हो। पहले लखनऊ चीफ कोर्ट के अन्तर्गत जितना इलाका था उसमे अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अन्तर्गत कार्यवाही होती थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्तर्गत जो इलाका था उसमे बंगाल आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होती थी। तो इस बात को दूर करने के लिए कि दोनों क्षेत्रों मे जो भिन्न-भिन्न ऐक्ट चल रहे है, बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में संशोधन

करके उसको पूरे प्रदेश के लिए लागू करना उचित ही है। लेकिन एक बात की मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी है माननीय मंत्री-महोदय से कि जब बंगाल, आगरा आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट और अवध कोर्ट्स ऐक्ट के प्राविजन सब करीब करीब एक से हैं और जो उसमें दोनों में अन्तर था उसी को मिटाने के लिए विधेयक लाया गया है। तो फिर क्या कारण है कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट को उस इलाके में अभी भी लागू रखा है, जहां कि बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के विरुद्ध वह न पड़ता हो। सीधे सीधे, बंगाल आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाय और अवध कोर्ट्स ऐक्ट जहां लागू है या जितना उसका अंश लागू करने का इरादा रखा गया है उसको रिपील कर दिया जाय। बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत ही करने का इरादा है और सारी व्यवस्था एक सी की गयी है तो फिर दोनों ऐक्टों को रखकर के कहीं आपस में क्लेश हो या इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कतें पैदा हों तो यह बात समझ में नहीं आती। जब बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को भी उस इलाके में अप्लाई कर दिया गया पूर्ण रूप में तो फिर अवध सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को रखने की कोई आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं थी। और विधेयक इसी रूप में आना चाहिये था कि जो अवध सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहियां हो चुकी हैं उनको जायज करते हुए, बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। यह क्या जरूरत पड़ी कि अवध सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में कुछ धाराएं सुधार दी गयीं या रिपील कर दी गयीं जो बंगाल, आगरा आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के खिलाफ थीं और जो माफिक हैं उनको रख दिया गया। मैं समझता हूं कि इससे कानून में कोई सुविधा नहीं होती, अड़चन होती है। वैसे जो इसकी मंशा है उद्देश्य है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं सममझता हूं कि इससे जो कठिनाइयां पड़ती थीं और जो दोनों में भिन्नता थी वह दूर हो जायगी और एकरूपता आ जायगी।

श्री सैयद अली जहीर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में तीन सवाल उठाये गये हैं। मैं उनका नम्बरवार जवाब पेश कर देना चाहता हूं। पहली बात यह कही गई कि अवध कोर्ट्स ऐक्ट को बिल्कुल रिपील क्यों नहीं कर दिया गया और बंगाल आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को लागू क्यों नहीं किया गया। मैं इस सिलसिले में सिर्फ यह कहूंगा कि जैसा कि खुद नाम से जाहिर है, बंगाल आगरा ऐंड सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, कहां बंगाल और आसाम और कहां आगरा और फिर सन् १८८७ का बना हुआ ऐक्ट, लेकिन अभी तक यह चला जा रहा है। बहरहाल वह इस वजह से कि ऐसे जमाने में वह बना था कि एक ही हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन था और उसको जब लागू किया गया तो यह ऐक्ट के आकर के लागू हुआ यहां पर। अवध कोर्ट्स ऐक्ट सन् २५ में बना अब जब चीफ कोर्ट कायम हुआ। जहां तक कि दोनों के जूरिस्डिक्शन का ताल्लुक है उस मामले को तो हमने तय कर दिया कि हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन होगा, लेकिन ऐक्ट में बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं मसलन, मैं एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि जैसे किस किस्म के रजिस्टर्स मेन्टेन किये जावेंगे, किस किस्म के फार्म इश्यू होंगे जिनसे कि गवाह बुलाये जाते हैं या सम्मन इश्यू होते हैं वह सब चीजें उसी के मातहत बनी हैं। जाहिर है कि अगर हम पूरे ऐक्ट को एबालिश कर देते और पूरा ऐक्ट कहीं और का लागू कर देते तो उसका नतीजा यह होता कि यह सब जितनी कार्यवाही इस ऐक्ट के मातहत हो रही थी वह सब नाजायज हो जाती। और फिर वह इतनी जरूरी चीज भी नहीं थी कि जैसे आज मेन्टेन हो रहे हैं वैसे न होकर दूसरे तरह से रजिस्टर्स मेंटेन हों, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं था कि जिसकी वजह से कोई बात पैदा होती। तो इस वजह से यह मुनासिब समझा गया कि दोनों ऐक्ट अपनी-अपनी जगह पर लागू रहें। लेकिन यह जाहिर है कि जब हाई कोर्ट एक हो गया है तो उसका एक कानून होना चाहिए और अभी माननीय सदस्य जो माननीय

[श्री सैयद अली जहीर]

नारायणदत्त जी बोले उनको मैं यह बतला दूं कि और बातों के अलावा जैसे सिविल कोर्ट्स के रूल्स हैं, आर्डर्स ऐंड रूल्स जो बने हुए हैं बहुत कुछ अवध में और थे आगरे में और थे, उसके ऊपर भी हम बराबर गौर कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि एक कामन रूल सिविल प्रोसीजर के दोनों जगह बन जायं और लागू हो जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--कब तक बन जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--बहरहाल उस पर काम हो रहा है। मैं तारीख तो नहीं मुहैया कर सकता। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी हो जाय। उसमें एक तजवीज हाई कोर्ट में यहां आती है। उस पर यहां गौर होता है। अगर कोई बात हमें मुनासिब नहीं मालूम होती तो फिर हाई कोर्ट को लिखा जाता है। तो इस तरह से इसमें कुछ देर हो रही है मगर वह हम करने जा रहे हैं। इसी वजह से यह भी नहीं हो सकता कि पूरे ऐक्ट को रिपील कर दिया जाय और उसकी जगह इस ऐक्ट को लागू कर दिया जाय। मगर यह सही है कि एक ऐक्ट हो जाना चाहिए और कभी भी जब मुनासिब समझेंगे और जब ट्रांजिशनल पीरियड खत्म हो जायगा तो उस वक्त शायद हम एक ऐक्ट सदन के सामने पेश करें।

दूसरा मामला उन्होंने जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की तजवीज का उठाया है। उन्हें शायद याद होगा कि यह तजवीज जिसके मुतालिलक अवध कोर्ट्स ऐक्ट को हम तरमीम कर रहे हैं, यह भी उन्हीं की थी। उसी के सिलसिले से यह भी आया है। जहां तक कमेटी की तजवीजों का ताल्लुक था कुछ तो उनकी ऐसी रिकमेंडेशंस थीं कि जिसमें कि सिविल लाज के अमेंडमेंट का सवाल था। उनमें से बहुत हद तक जिसको कि गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा उसके लिए हम कानून लाये। वह कानून पास किया गया और वह लागू हो गया और आज उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जहां तक कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट का ताल्लुक है था वह चूंकि कांकरेंट सब्जेक्ट है हमको सेंटर से भी पूछना था। उसके लिये उन्होंने यह कहा कि हम सेंटर में तजवीज लायेंगे और वांचू कमेटी की सिफारिशों पर उस समय गौर करेंगे। लिहाजा उसमें हमें कुछ करने का नहीं था। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तजवीज किया था कि हम पूरे हिन्दोस्तान के लिये जिन-जिन तजवीजों को मुनासिब समझेंगे ले लेंगे। चुनांचे हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जहां तक फौजदारी कानून का ताल्लुक है उसके मुतालिलक कोई कानून नहीं पेश किया और न हमने उसके ऊपर ज्यादा खयाल या तवज्जह दी। बाकी और बहुत सी तजवीजें जो जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की थीं उनको रूल्स के जरिये से गवर्नमेंट लागू कर सकती थी या हाई कोर्ट कर सकती थी या दोनों मिल कर जारी कर सकते थे उनमें से बहुत सी तजवीजें जो मुनासिब समझी गयीं उन पर अमल हम कर चुके हैं। और भी तजवीजें हैं रूल्स के सिलसिले में, वह जेर गौर हैं। जब हमारा और हाई कोर्ट का इत्तफाक हो जायगा तो वह लागू कर दी जायेगी।

तीसरी बात उन्होंने पेश की दफा ३७ की बंगाल, आगरा ऐंड आसाम ऐक्ट के मुतालिलक कि वहां पर फैसला है कि ला, मुहमडन ला के बेसिस पर होता है और शायद उनका यह खयाल है कि हमारे यहां कोई ऐसा कानून नहीं है। इस सिलसिले में मैं यह बताऊंगा कि असल में इसके मुतालिलक यह जो कानून है कि पार्टीज के ऊपर जो कोर्ट में जाती हैं, कौन सा ला अप्लाई करेगा, तो अवध में एक ला पहले से है, "अवध लाज ऐक्ट" जो कि सन् १८७६ में पास हुआ था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--और पहले पास नहीं हुआ ?

श्री मयदअली जहीर--जिस वक्त अवध के लिए नया कानून बना था सेटिलमेंट के बाद उस वक्त का यह कानून है और उसकी दफा जो ३७ है उसमें भी प्रावीजन था,

(a) The laws for the time being in force regulating the assessment and collection of land revenue

(b) Any questions regarding the succession special property of females betrothal, marriage divorce dower, adoption guardianship, minority bastardy family relations wills legacies gifts partitions or any religious usages or institution, the rule of decision shall be

(1) Any custom applicable to the parties concerned which is not contrary to justice equality or good conscience, and has not been by this or any other enactment, altered or abolished, and has not been declared to be void by any competent authority etc etc

तो यह उसी किस्म का कानून उसमें बना हुआ है और अवध में इसी तरह से परसनल लाज़ है जैसा कि आगरे में अप्लाई होता है बाई वर्च आफ सेक्शन ३७ आफ दि अवध लाज़ ऐक्ट, जैसा कि यहां होता है। इसी तरह से दोनों लाज़ गवर्न होते हैं, जोकि आगरे में अभी लागू नहीं है उसके मुताल्लिक भी गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया है, जो कि यहां पर इतने असें से चला आ रहा है उसको खामख्वाह बदल ही दिया जाय। वह अपनी जगह पर चल ही रहा है। लेकिन जैसा कि प्रिएम्शन ला का था उसको अबालिश कर दिया गया और हमारा जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास हुआ उस सिलसिले में उसके बाद वह खत्म कर दिया गया। तो रफ्ता-रफ्ता वह खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि एक कलम, बगैर सोचे समझे कि इसका असर क्या होगा पूरे ऐक्ट को अबालिश कर दिया जाय, मैं इन वजूहात से यह अर्ज करूंगा कि इस कानून पर विचार किया जाय।

†**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो विधेयक इस समय सामने है उसका तो समर्थन करता हूं, लेकिन इस मौके पर मैं अपने न्याय मंत्री जी से, जो कानून के पंडित भी हैं उनसे मैं कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं और वह इस विधेयक के सिलसिले में कहना चाहता हूं--अप्रासंगिक बात वह नहीं होगी। अभी विधेयक के सिलसिले में जो माननीय न्याय मंत्री जी या हमारे दोस्त नारायण दत्त जी ने जो बात कही, या मौर्य जी ने जो कहा, उसको मैं बहुत गौर से सुनता रहा। तीनों साहबान की बात सुनने से मुझे ऐसा लगा कि कुछ कानून हमारे सूबे में ऐसे हैं, कोई १८७६ का है कोई १८८७ का है, यानी हमारी और माननीय न्याय मंत्री जी की जिन्दगी के पहले के सब कानून हैं। हिन्दुस्तान की हुकूमत हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ में आयी, इस हुकूमत की जिन्दगी के भी पहले के कानून हैं। तो क्या माननीय कानून मंत्री जी और यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस बात को सोच सकेंगे कि हम सारे भारतवर्ष के अगुआ बनें। कम से कम ऐसे कानूनों में पिंड छुड़ा कर हम अपनी आजादी के बाद के कानून मानें। हमारी मंशा कभी यह नहीं है कि उन सारी किताबों को हम उठा करके फेंक दें या उन किताबों से मदद न लें, लेकिन फिर यह हो कि सन् ४७ के बाद के कानून माने जायं। ऐसी भी कानून की किताबें हैं जिनको मैं समझता हूं, इस बदली हुई परिस्थिति में कतई जरूरत नहीं है। ऐसे कानूनों को कानून की फेहरिस्त में रखने का कभी-कभी हमारी हुकूमत को अच्छा सबक सीखने का भी मौका मिला है। अंधेरी कोठरी में उन्होंने कानून की किताब ढूंढी और कोई किताब मिल गयी उनको। उसमें कुछ लिखा था और उसके मुताबिक सारे सूबे में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया तो सारे सूबे में एक बवंडर खड़ा हो गया, हजार

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

दो हजार आदमी जेलखाने चले गये। थोड़े दिनों के बाद उस कानून के खिलाफ उन लोगों के सामने बात आ गयी जो उस मसले पर निर्णय देने का हक रखते हैं। फैसला सरकार के खिलाफ हो गया और ऐसा खिलाफ़ हुआ कि फिर सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर भी जा सके। स्पेशल पावर्स ऐक्ट का उदाहरण हमारे सामने बड़ा प्रत्यक्ष है। अगर कहीं उस कानून की किताब न होती तो ऐसे कानून के जरिये काम करने की गलती यह हुकूमत न करती और जो न्याय करने वाले लोग हैं उनको सरकार के विरुद्ध फैसला देने की जरूरत न पड़ती। तो इस तरह से पीसमील जो ले आने का तरीका है कि कभी एक वाक्य बदल दिया, कभी एक पन्ना बदल दिया, कभी दो-चार सेक्शन्स बदल दिये यह छोड़ा जाय और मैं इस मौके पर अपने न्याय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उनकी बुद्धि का सारा देश लाभ उठाना चाहता है। उन सारी किताबों को देख लिया जाय और उनमें से जितनी किताबें ऐसी हैं जिनकी इस बदली हुई परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है उनको किनारे किया जाय और जिनकी आवश्यकता आज की परिस्थिति में हो उतने ही हिस्से पर मोहर लगाई जाय कि उसकी जरूरत है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विवाद प्रारम्भ हुआ है और इस पर श्री नारायण दत्त जी बोले, द्वारका प्रसाद मौर्य बोले और मिनिस्टर साहब उत्तर भी दे चुके तो क्या यह भाषण मिनिस्टर साहब के उत्तर दे देने के बाद भी हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं ऐतराज एक प्रकार से सही समझता हूं लेकिन मैंने खासतौर से विरोधी दल के नेता को मौका दिया था जिससे वह कोई खास बात पेश करते हों।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने इस तरह की रूलिंग दी लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि मैंने यह समझा था कि न्याय मंत्री जी को दो बार बोलने का किसी विधेयक पर हक है।

श्री उपाध्यक्ष--न्याय मंत्री दो बार बोल चुके हैं। एक तो प्रारम्भ में बोले और दूसरे उन्होंने उत्तर दिया।

श्री गेंदा सिंह--दो बार उन्हें बोलने का अधिकार है एक तो उन्होंने प्रस्ताव किया और दूसरी बार बीच में इंटरवीन करने का भी अधिकार है। कुछ बातें ऐसी आयीं जिनकी वजह से मैंने आप से आग्रह किया। खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय व्रजभूषण जी से यह आशा करता हूं कि जितना कानून मैं समझता हूं उतना वह भी समझते होंगे और एक रोज मैं माननीय व्रजभूषण जी से कानून की सारी किताबों का नाम ही पूछने का साहस करूंगा। हमारे मित्र यदि जितनी हमारे सूबे में कानून की किताबें हैं उनके नाम ही रट ले और उनके भीतर क्या उसे छोड़ दें और उनको यदि नाम ही याद हो जायं तो मैं समझता हूं कि हमारा कहना जो कुछ है वह सार्थक हो सकता था लेकिन मैं इस विधेयक के सिलसिले में यह कहना सार्थक समझता हूं कि इसके लिये कानून के विशेषज्ञों की कोई कमेटी मुकर्रर की जाय और वह इस बात की छानबीन करे कि इस समय सूबे में जितने कानून लागू हैं जिनके लिये हमने यह फैसला किया था, अंग्रेजी हुकूमत के बाद जितने कानून लागू थे उनको आंख मूंद कर लागू कर दिया जाय। आंख खोलकर लागू कर दिया या आंख मूंदकर कर दिया लेकिन कर दिया। मैं खास तौर से व्रजभूषण जी से कहूंगा कि इस प्रकार कानूनों पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया जिससे बड़ी तकलीफ हुयी, बड़ा बवंडर और हाईकोर्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार ने अन्याय किया। यदि इस प्रकार सरकार अन्याय करती रहे तो मैं समझता हूं कि श्री व्रजभूषण मिश्र ऐतराज नहीं करेंगे। इसलिये मैं इस अवसर से लाभ उठाकर कानून के वजीर साहब से यह कहना चाहता हूं कि आने वाले जमाने में एक-एक सेक्शन को बदलने की जरूरत नहीं है।

लेकिन हां जरूरत पड़ती है जब एक एक शब्द को बदलना पड़ता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आजकल जितने कानून लागू हैं उनमें से बहुत सी किताबों को उठाकर रख देना होगा और उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी लागू करने की। १८७६ में और १८७८ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है तो यह कि हम गुलाम थे और सिवाय इसके और कुछ भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं थी इसको हम छोड़ना चाहते हैं और जो अच्छी चीज हैं उनको ग्रहण करने की हम शक्ति रखते हैं जो बुरी चीज हैं उनको हम बेदर्दी के साथ, बेमुरव्वती के साथ छोड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी बात कहकर उम्मीद करूंगा कि जो मैंने दरख्वास्त की है उस पर जरूर न्याय मंत्री जी विचार करेंगे और अपनी सरकार को ऐसी सलाह देंगे जो कि चार छः महीने में इस पर अमल होना शुरू हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं वह बहुत अच्छे हैं परन्तु जो विधेयक इस समय पेश है उससे उसका सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता है ताहम न्याय मंत्री जी यदि कुछ कहना चाहें तो मैं उनको अवसर दे देना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव हमारे विरोधी दल के नेता ने दिया है वह बहुत पहले ही गवर्नमेंट आफ इंडिया मंजूर कर चुकी है और एक ला कमीशन बना दिया गया है जिसका बहुत बड़ा फर्ज यह होगा कि वह जितने कानून इस वक्त हिन्दुस्तान में लागू हैं और उनमें गालिबन यह दोनों कानून भी आते हैं क्योंकि यह दोनों कानून उस जमाने में पास हुये थे कि जब स्टेट में कोई लेजिस्लेचर नहीं था कि जो सलाह देता कि इस में कौन-कौन सी बात रखी जाय या निकाली जाय, इन सब को देखे। जहां तक अंग्रेजी जमाने के कानून का ताल्लुक है, यह जाहिर है कि जो कानून हिन्दुस्तान में गुलामी का था वह तो हमने पहले ही काट कर फेंक दिया है और अब वह बाकी नहीं है लेकिन उसके साथ बहुत से ऐसे कानून थे, जैसे उनके जमाने की अदालतें थीं या उनका जो मुकदमों का फैसला करने का तरीका था वह सब अभी हम रखे हुये हैं और उनको हमने खत्म नहीं किया। उनके कहने के मुताबिक अगर वह सब कानून और यह सब अदालतें वगैरह खत्म कर दी जायं तो जो मुकदमों का फैसला होगा वह किस तरह पर होगा यह मैं नहीं समझ पाता। या तो वह सारे मुकदमे इस सदन के सामने आयेंगे या और कोई दूसरा तरीका होगा पंचायत वगैरह का, लेकिन उसके लिये फौरन ही कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता और इसलिये जाहिर है कि उन सब कानूनों को फौरन ही खत्म नहीं किया जा सकता।

श्री गेंदासिंह---मैंने यह नहीं कहा था कि सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर---मैं यही समझा कि सारे कानून खत्म कर दिये जायं और आप ग्रामवासी जी से पूछ कर उन सारी किताबों के खाली नाम याद कर लें और वह किताबें न बाकी रहें।

श्री गेंदासिंह---मेरे कहने का मतलब यह था कि उनमें से जनहित विरोधी बातें निकाल दी जायं जो अच्छी बातें हैं उनको छांट कर रखा जाय।

श्री सैयद अली जहीर---यह सहल काम नहीं है। और इसके अलावा जो आपने हवाला दिया और कहा कि उसकी वजह से गलती हो गयी तो मैं अर्ज कर दूं कि जहां तक हाई कोर्ट की राय है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक जज एक फैसला देता है उसके बाद दो जज बैठ कर उसके खिलाफ दूसरा फैसला देते हैं। तीन जज एक फैसला देते हैं और फिर पांच जजों की बेंच उसको खत्म कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले थे उन के ऊपर फिर से नजरसानी की गयी और वे बदले गये। तो कानून के बारे में यह कह देना कि कोई एक राय बिलकुल सही है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो फैसला हो गया वह हमने मान लिया, लेकिन यह कह देना कि उसके पहले जो कुछ हमने किया वह वैधानिक

[श्री सैयद अली जहीर]

नहीं था, गलत था, अवधानिक था, मैं समझता हूं कि हमारा इस नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। एक सूरते हाल उस समय थी और उसके लिये एक इमर्जेंसी ऐक्ट बना था और हमको उसके अनुसार ऐक्शन लेना पड़ा। गालिबन कल फिर अगर वही सूरते हाल पैदा हो जाय तो या तो दूसरा कानून हमें पास करना पड़ेगा या कोई वैसा ही ऐक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट स्टेट में अपनी हुकूमत चलाना चाहती है और वह इंतजाम को कायम रखना चाहती है तो वह गैरकानूनी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके लिये उसको ऐक्शन लेना ही पड़ेगा तो यह कहना कि जो ऐक्शन हमने लिया वह सही नहीं था, गलत था, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हमें तो वह ऐक्शन लेना था, अगर कानून बना था तो उसके मातहत काम किया और अगर न बना होगा तो उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिये यह कहना कि अगर हाईकोर्ट का फैसला उसके खिलाफ हो गया वह तो हमको नहीं करना चाहिये था, हमने गलती की, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं और यह नतीजा उससे जाहिर नहीं होता और उसका ताल्लुक भी इससे नहीं है। जिस तरह से यह मौजूदा बिल है इसका तो एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। यह एक वर्ष के लिये पेश किया गया है। मेरे ख्याल में सदन के हर जानिब से इसकी ताईद हुयी है और इसको मंजूर करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि यह अवध कोर्टस ऐक्ट तमाम रिपील कर दिया गया है और बंगाल आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट की धारायें लागू की गयी है तो कौन सी धारायें अवध कोर्टस ऐक्ट की लागू नहीं रहेंगी। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—मेरे पास एक लिस्ट है। आप चाहेंगे तो मैं उस लिस्ट को आपके पास भेज दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह लिस्ट मैं चाहता हूं। मुझे कुछ संशोधन पेश करना है, इसलिये उस लिस्ट को कृपया मेरे पास भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपको इसकी इत्तिला दी जायगी। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक वह लिस्ट मिले क्योंकि उस लिस्ट को देखकर मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं तब तक इस दूसरी रीडिंग को स्थगित कर दिया जाय। मैं संशोधन इसी लिस्ट के आधार पर देना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का यह फर्ज नहीं है कि आपको तरमीम मूव करने के लिये मैटीरियल सप्लाई करे। वह खुद पढ़ लें साथ ही तरमीम का अब वक्त भी नहीं रह गया है, क्योंकि तरमीम अभी तक तो आयी नहीं है। लिहाजा आपको यह इस वक्त मंजूर करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नियमानुसार किसी भी संबंधित कागज को मांगने का अधिकार मुझे इस समय है। इसलिये मैं सरकार से इन कागजात को मांगना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—यह संबंधित कागजात नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—वह कागजात जिनके ऊपर यह बिल आधारित है उनको आप मांग सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—विधेयक से संबंधित कागजात मांगने का मुझको अधिकार है और यह कागजात इस बिल से ही संबंधित हैं। नियम ९६ में यह दिया हुआ है कि जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां यदि कोई हो जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय हों सदन की मेज पर रख दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं बतला चुका हूं कि जो विधेयक पर आधारित हों उन कागजात को मांगने की जरूरत है। यह इस पर आधारित नहीं है। जिन बातों के आधार पर संशोधन देंगे वह इसमें नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे लिस्ट दे दी जाय।

श्री सैयद अली जहीर—सेक्शन २ के सब सेक्शन क में ३,४,६,८,९ से ११ तक, १३ से २५ तक और ३८,३९ धारायें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो अवध कोर्ट्स ऐक्ट के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—यह दफा २ में लिखा हुआ है उसको आप उलट कर देख सकते हैं।

खंड २—६

२—इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की :

(क) धाराएं ३,४,६,८,९ से ११ तक, १३ से २५ तक, ३८ तथा ३९, और

(ख) धारा ४० [इस संशोधन के साथ कि उपधारा (१) में संख्यायें ३२ और ३७ निकाल दी जायंगी;]

(जैसी कि वे उत्तर प्रदेश में अपने लागू होने के सम्बन्ध में समय-समय पर संशोधित हुयी हैं) उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ लागू होता है तथा अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के तत्स्थानी उपबन्ध तदनुसार निरस्त हो जायेंगे।

ऐक्ट १२, १८८७ का अवध में प्रवृत्त होना।

३—अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अधीन स्थापित अथवा संघटित समस्त न्यायालय और की गयी नियुक्तियां, किये गये नाम निर्देशन तथा बनाये गये नियम और दी गयी आज्ञाएं, एवं प्रदत्त अधिक्षेत्र तथा अधिकार और प्रकाशित सूचियां बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जैसा कि वह अवध में लागू होगा, के उपबन्धों के अधीन क्रमशः स्थापित, संघटित की गयीं, किये गये, बनाये गये, दी गयीं, प्रदत्त, तथा प्रकाशित समझे जायेंगे।

यू०पी०ऐक्ट ४, १९२५ के अधीन न्यायालयों आदि की स्थापना।

४—इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित (instituted) अथवा आरब्ध सभी वाद और कार्यवाहियां, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के निरस्त हो जाने पर भी, उसी न्यायालय में जारी रखी जायेंगी जहां वे संस्थित अथवा आरब्ध की गयी थीं अथवा जहां वे स्थानान्तरित कर दी गयी थीं, उसी प्रकार मानों वे बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित आरब्ध हुयी हों।

विचाराधीन वाद अथवा कार्यवाहियां।

विचाराधीन अपीलें तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध ।

५--उस दशा में जब बंगाल ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २१ के उपबन्धों के अवध में लागू होने के कारण अब कोई अपील हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकती हो तो--

(क) किसी ऐसी अपील की, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व हाई कोर्ट में संस्थित अथवा आरब्ध हो चुकी हो, उक्त उपबन्धों के लागू होते हुये भी, सुनवाई और उस पर निर्णय हाई कोर्ट द्वारा ही होगा ।

(ख) कोई अपील जो इस प्रकार संस्थित अथवा आरब्ध न हुयी हो किन्तु जिसके सम्बन्ध में कालावधि (period of limitation) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संचारित होने लगी हो (begun to run) इस उपबन्ध के होते हुए भी कि अब वह डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकेगी उसी कालावधि से नियमित होती रहेगी जो अपील के हाई कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने की दशा में उपलब्ध होती ।

६--इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५ के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय द्वारा पारित सभी आज्ञप्तियां (decrees) तथा दी गयी आज्ञायें निष्पादन के प्रयोजनों के लिये बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जैसा कि वह अवध में प्रसारित हुआ है, के अधीन संघटित और स्थापित, अथवा संघटित और स्थापित समझे गये, तत्स्थानी न्यायालय द्वारा पारित अथवा दी गयी समझी जायंगी ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २,३,४,५ और ६ इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

बंगाल आगरा और आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के कतिपय उपबन्धों का अवध में प्रसार करने की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि उन क्षेत्रों में, जहां अवध कोर्टस ऐक्ट, १९२५ लागू होता है बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्टस, ऐक्ट, १८८७ के कतिपय उपबन्धों का प्रसार करने की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नामनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर——मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५*

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार, बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास भेज दिया जाय, ताकि वह इसके लिये समय निर्धारित कर सके । श्रीमन्, आपको यह विदित है कि सब पार्टियों को यह अधिकार प्राप्त है कि जिस विधेयक को वह महत्वपूर्ण समझें उसके सम्बन्ध में समय निर्धारण करने के लिये उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास भेजें। इसके सम्बन्ध में नियम बने हुये हैं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)——मेरा प्रस्ताव तो आ जाय तभी आप इसको मूव कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि पहले मंत्री जी का प्रस्ताव पेश हो तभी आप अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——नियमों के अनुसार उस समय यह प्रस्ताव नहीं हो सकता । यह पेश करने से पहले ही हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि सदन की सुविधा के अनुसार जो बातें मालूम होंगी उन पर अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी——वैसे आपकी जो व्यवस्था हो, लेकिन नियमों में यही है कि विचार करने का प्रस्ताव आने के पूर्व ही यह प्रस्ताव आ जाना चाहिये। मैं नियमानुकूल ही चल रहा हूं। श्रीमन्, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रूल्स को देखें, उसका नियम शायद ४ है ।

श्री चरण सिंह——श्रीमन्, यह आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है । अब आप यह कह रहे हैं कि आप संशोधन पेश करना चाहते हैं तो फिर वह संशोधन काहे का ? जब हाउस के सामने कोई चीज ही नहीं है तब संशोधन किस में हो । संसार में ऐसा कौन सा रूल है जिसके अनुसार किसी चीज के आने से पूर्व ही संशोधन पेश हो जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि

श्री उपाध्यक्ष——(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप किस नियम का हवाला देना चाहते हैं ?

---

* २९ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस नियम का मैं हवाला देना चाहता हूं वह नियम ४ है, जो इस प्रकार है—

"The Speaker in consultation with the Leader of the House or on the request of the Leader of Opposition or of any other opposition party may direct for being referred to the Committee."

इसलिये मैं रिकमेन्ड कर रहा हूं कि यह जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इस पर समय निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि आपका प्रस्ताव पहले ही पेश होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य यह सुझाव तो कभी भी दे सकता है कि यह विधेयक इतने महत्व का है कि इसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के पास जाना चाहिये था तो अगर उनकी आपत्ति में कोई सार हो तो उसको सदन वहां भेज सकता है। तो जब पहले पेश हो जाय और उसके महत्व पर विचार हो जाय तो फिर भी आप कह सकते हैं कि उसको बिजनेस कमेटी में जाना चाहिये लेकिन जब पेश ही नहीं हुआ है तो उसकी बाबत इस स्टेज पर इस तरह का प्रस्ताव पेश करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बिल पुरःस्थापित तो हो गया है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय,जौनसार बावर देहरादून जिले का एक हिस्सा है, जिसको चकरौता परगना भी कह सकते हैं। जौनसार का इलाका भी कह सकते हैं। सारे सूबे से इसकी परिस्थितियां कुछ विशेष हैं और कुछ खसूसियत रखती हैं। इसकी आबादी कोई साढ़े ५८ हजार के करीब है लेकिन फिर भी गांव की तादाद बहुत है, गांव इतने छोटे-छोटे हैं कि ३५७ गांव इस इलाके में हैं। यहां बन्दोबस्त हुये बहुत दिन हो गये। सन् १८७३ ई० में यहां बन्दोबस्त हुआ था, आखिरी बार उसका रिवीजन १८८३ और १८८४ में हुआ। ये ३५७ गांव खतों में बंटे हुये हैं। खत वहां के रेवेन्यू यूनिट को कहा गया है। कई कई गांव एक-एक खत के अन्दर हैं और इनको अगर खतूत कहा जाय या खदहा कहा जाय ये फिर खगों में बंटे हुये हैं श्रीमन् "खग" का माने हिन्दी में कुछ और है लेकिन यहां खग का माने क्या है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन खग सब डिवीजन है खत का। ३९ खत हैं जिसमें कई-कई गांव हैं ले हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि कई कई खग एक-एक खत के अन्दर हैं। गांव के हुदूद को कई मौके पर साफ पता लगाना मुश्किल है। कंवेंशनल बाउन्डरी है, रेवेन्यू मैनुअल में इसके लिये कोई खासतौर पर लिखा हुआ नहीं है। वहां मालगुजारी जो है वह जमीन के ऊपर ही नहीं है, बल्कि जिस आदमी के पास जितनी जमीन का रकबा है उसके लिहाज से और किसके पास कितने मवेशी हैं उसके ऊपर भी मालगुजारी लगती है। यानी जमीन, जानवर और किसान की माली हालत कैसी है, इन सब के ऊपर मालगुजारी लगती है मालगुजारी हर जमीन के टुकड़े पर, बीघे बिस्वे या एकड़ पर नहीं है, बल्कि खत की इकाई के ऊपर ही सन् १८८३, ८४ में वहां मालगुजारी एसेस की गयी। एक खत में एक सदर सयाना होता है और एक खग में एक सयाना होता है। सदर सयाने का फर्ज यह होता है कि वह हर साल मालगुजारी का विभाजन करता है खगों के ऊपर या गांव के ऊपर कहिये और जो सयाना होता है वह सयाना मालगुजारी का विभाजन करते समय देखता है कि उसके घर में जो किसान हैं काम करने वाले कितने हैं, मवेशी देखने के अलावा। इस तरह से सदर सयाने को काफी अख्तियार उनके सुख दुख के बारे में रहा है और सन् ४९ में जो ऐक्ट जौनसार के बारे में यहां पास किया गया था उसमें इन सयानों और सदर सयानों के अधिकारों को काफी कम किया गया, ताकि वहां के लोगों की तकलीफ दूर हो और वे सयाने अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल न कर सकें। इस इलाके की कुल मालगुजारी २४८७५ रुपया है जो सन् १८८३ से चली आती है।

सन् १८८३ में १६,८०० एकड़ जमीन जेर काश्त थी और जो अब जेर काश्त जमीन है उसका रकबा ४० ५६३ एकड़ है। और उस वक्त मालगुजारी एक रुपया ८ आना ५ पाई फी एकड़ पड़ती थी और इस बिल का उद्देश्य यह है कि मालगुजारी बजाय मवेशियों और आदमियों और हैसियत वगैरा देखकर जमीन का रकबा और उसकी किस्म को देखकर ही तशखीस की जाय कि सूबे के और इलाकों में है, यानी वहां भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को उसी लाइन पर लाया जा रहा है जिस तरह कि बाकी सारे सूबे में है। साथ ही मेरा इरादा यह है कि मालगुजारी वहां बढ़ाई न जाय, क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं। उस हिसाब से वहां साढ़े ४० हजार एकड़ की मालगुजारी ९ आना ८ पाई फी एकड़ पड़ जायगी, लेकिन फिर भी गरीबी देखते हुये मालगुजारी बढ़ाने का विचार नहीं है। अब कुल जमीन जो काश्तकारों के पास है वह ४,८७६ एकड़ है और उसमें से ३,५६२ एकड़ ऐसे काश्तकारों पर है जो नकदी लगान देते हैं और १,३१४ एकड़ ऐसे लोगों पर है जो सर्विस टिन्योर कहलाती है और जो उस जमीन की एवज में जमींदार को खिदमत अन्जाम देते हैं। इस तरह से यह ४,८७६ एकड़ जमीन दो तरह के काश्तकारों के पास है। अब तक इस परगने में एक तरह की सर्फडम थी गोया एक तरह का बांडेज सा था और एक आदमी दूसरे आदमी से बंधा था और वहां कोलटा और बाजगी दो तरह की बिरादरी है, जिनको वहां की शिड्यूल कास्ट कह सकते हैं। अधिकतर वही लोग हैं। कुछ हाई कास्ट के भी लोग हैं, लेकिन अधिकतर कोलटा और बाजगी ही हैं। परन्तु वह सारा इलाका गरीब है, एक बार किसी ने जमीन काश्त पर ले ली और फिर वह उन्हीं के यहां मुलाजमत करते रहे और अगर एक बार कर्ज ले लिया तो उसको उतारने का तो फिर काम ही नहीं। नस्लन् व नस्लन् वह कर्जा रहता आया था और कभी भी उनके बंधन नहीं कटे। सन् ४९ में गालिबन एक दूसरा रेगुलेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था। वह बिल की शक्ल में तो लेजिस्लेचर के सामने नहीं आया और न पास किया गया। वह रेगुलेशन सन् १८७४ के एक शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत था उसके मातहत इस इलाके में गवर्नर जनरल या गवर्नर रेगुलेशंस जारी कर सकते थे और वह रेगुलेशन जारी किया गया। इसके मातहत वहां के जितने कर्जे थे लोगों पर पिछले तीन साल से ज्यादा पुराने थे, वह सब मंसूख कर दिये गये थे और तीन साल पहले कोई मियाद जिनकी नहीं थी उनके लिये आगे के लिये तीन साल के लिये मियाद लगा दी गयी कि तीन साल से ज्यादा अरसे के जो कर्जे हैं वे सब बेबाक समझे जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां कागजात मालिकाना काबिले एतबार नहीं थे। लिहाजा वहां रिकर्ड आपरेशन्स किये गये और सन् १९५२ में इसी विधान सभा ने एक बिल पास किया। यानी जो रिकार्ड आपरेशन किये गये थे वे एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से हुये थे, उनको उस ऐक्ट के मातहत कानूनी जामा पहनाया गया। दूसरी बात यह है कि वह काश्तकारान जो थे उनको तमाम हक हासिल नहीं थे और वह मुस्तौजिब बेदखली थे उनको कहा गया कि तुम्हारी बेदखली नहीं हो सकती सिवाय खास सूरतों के। माननीय सदस्यों को याद होगा कि यहां उस सिलसिले में काफी बहस हुयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, गैरमजरुआ वहां दो किस्म की है। एक तो गवर्नमेंट की अपनी बिलकुल है उसमें गांव वालों का किसानों का बिलकुल दखल नहीं है। दूसरी जमीन ऐसी है कि जिसके वे खुदमुख्तार या पूरे मालिक हैं। तो उस जमीन को लेने का विचार नहीं है। उसको इस के मातहत ऐक्वायर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह जमीन गांव समाज को या गांव सभा को देनी ही है। आज भी उनके इख्तियार है। उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारों की जो खुदकाश्त है उसको भी ऐक्वायर करने का विचार नहीं है। जमींदारी या मौरूसी किसान वह दोनों एक ही कहलाते हैं उनको हके इन्तकाल अपने एरिया में हासिल है और हम उनको जमींदार मानते हैं। उनकी खुदकाश्त को हस्तगत नहीं किया जा रहा है और उसमें जमींदारी अबालिशन नहीं हो रहा है। उनको सीधे अपनी जमीन में बकदर सीर और खुदकाश्त के सीर में तो वहां हक हासिल नहीं था भूमिधर करार दिया जा रहा है। हमने अबालिशन आफ जमींदारी ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत जो जमीन जिस जमींदारी के जिस कदर जेरकाश्त थी उसमें उसको भूमिधर बना दिया है, लेकिन हमने उस जमीन को ऐक्वायर किया और फिर जमींदार के साथ सेटिल

[श्री चरणसिंह]

किया गया, यह प्रासेस हम यहां नहीं करना चाहते कि पहले ऐक्वायर करें और फिर सेटिल करें, और नव भूमिधर कहें। बल्कि बराहेरास्त उनके पास छोड़ दे रहे हैं। ऐक्वायर करने का सवाल नहीं है और ऐक्वायर करते तो फिर कम्पेंसेशन देते लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। यह प्रोसीजर इसमें बरतने का इरादा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर जमीन जैसा मैंने कहा कि ४०,५३६ एकड़ में से ४,८७६ एकड़ को छोड़कर यानी कोई साढ़े पतीस हजार एकड़ जमीन तो उनके खुदकाश्त में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में यह बात नहीं है। यहां साढ़े ८२ फीसदी जमीन ऐसी है जो खुदकाश्त में नहीं है और यहां ९० फीसदी जमीन उनके खुदकाश्त में है। उनकी जमीन लेने का विचार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये से जो बाकी काश्तकार हैं उनको सीरदार बनाया जा रहा है और जो काश्तकार लगान देते हैं वह वही लगान बाकायदा नकदी गवर्नमेंट को देते रहेंगे और जो सरविस टिन्योर होल्डर्स हैं उनका लगान नकदी मुकर्रर किया जायगा। एक तीसरे किस्म के खातेदार जो कि उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में हैं आसामी भी होंगे। ये वे लोग होंगे जो धारा ५७ में असमर्थ गिनाये गये हैं और जो इन असमर्थताओं से प्रभावित होंगे। उनके जो शिकमी हैं वे लोग ये काश्तकार होंगे, वे ये असामी हो जायेंगे। इसी तरह बाग बगीचे का जो काश्तकार है या शिकमी है वह भी शिकमी होगा। चरागाह की जमीन का भी शिकमी रहेगा। इसी तरह फारेस्टेशन में जो दरख्त वगैरह लगाये जाते हैं और वहां थोड़े दिन के लिये काश्त भी जो हो सकती है और किसी काश्तकार ने काश्त के लिये जमीन ले ली है तो उस काश्तकार को कोई हक हासिल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं वह ४,८७६ एकड़ है, मुआविजा तै करने का जो प्रोसीजर जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में है उसके बजाय सादा सा प्रोसीजर बनाने के लिये सोचा गया कि जो काश्तकार जितना लगान जमींदार को देता है उसका १६ गुना हर जमींदार को अपनी जमीन का जो काश्तकार के पास है मुआविजा उस से मिल जायगा। उसमें से मालगुजारी घटाने का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि मालगुजारी बहुत थोड़ी है और वक्त बहुत ज्यादा लग जायगा अफसरान का। उपाध्यक्ष महोदय, वहां बहुपति की प्रथा प्रचलित है बजाय बहुपत्नी के। पोलीएंड्री की वजह से जो ला आफ सक्सेशन है, अगर उसको तबदील करें तो बड़ी पेचीदगियां पैदा होंगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भी उसे भेजा जायगा। पता नहीं क्या क्या एतराज हों, क्योंकि जो वहां का सोशल सिस्टम है वह सारा उसी पर आधारित है। इसलिये हमारा यह इरादा है कि जो जमींदारी एबोलिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में जो ला आफ सक्सेशन है वह यहां पर एप्लाई न किया जाय, बल्कि जो पोलीऐंड्री का ला आफ सक्सेशन है वही जैसा का तैसा रहेगा। उसको हमने अछूता छोड़ा है।

एक छोटा सा बिल यह माननीय सदस्यों के सामने है और जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट बहुत बड़ा है। इसलिये एक यह धारा हमने इस में रक्खी है कि जहां बाकी धाराओं की जरूरत होगी उनको जरूरी संशोधनों के साथ उस इलाके में लागू कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं माननीय सदस्यों के विचारार्थ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दो महीने के अन्दर दे दे। सदस्यों के नाम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाद में प्रस्तुत किये जायंगे। मेरे इस संशोधन का आशय यह है कि जो मौजूदा विधेयक है इसमें जितने इम्प्लिकेशंस हैं उनको देखते हुए इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है। वैसे सरकार का इरादा सारे प्रदेश में जमींदारी को खत्म करने का पहले हो चुका और प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में जमींदारी खत्म भी हो चुकी। लेकिन पहाड़ी इलाकों की कठिनाइयों को देखते हुये अभी उन हिस्सों में जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें जमींदारी के खात्मे का कानून बनने से पहले सर्वे की योजना बहुत जरूरी है और वह सर्वे का काम हो भी रहा है। जितनी कठिनाइयां सर्वे में हो रही हैं पहाड़ी इलाकों में उनको देखते हुए शायद उसमें महीने नहीं वर्ष लगेंगे।

जौनसार बावर. देहरादून के जिले में एक इलाका है जो हमारे टिनेंसी ला में शेड्यूल्ड इलाका था। वहां के कायदे और कानून हमारे यहां के प्रदेश के और हिस्सों से बिल्कुल भिन्न हैं। वहां कुछ दस्तूर ही ऐसे हैं जिनकी वजह से जो यू० पी० टिनेंसी ऐक्ट और हिस्सों में लागू है इस प्रदेश में वहां वह लागू हो नहीं सकता था। तो उस इलाके की कुछ विशेषताएं तो माननीय मंत्री महोदय ने बतलायीं। किसी जमाने में आर्य सभ्यता का वह अवश्य ही केन्द्र रहा होगा। जहां कि पांडव प्रथा अब भी प्रचलित है। पांडवों ने वहां अवश्य ही निवास किया होगा और इसी जौनसार बावर के इलाके के पास एक छोटा सा परगना है जहां पर दुर्योधन की पूजा होती है। इस इलाके में पांडव प्रथा लागू है। उसी तरह से दुर्योधन की पूजा होती है, जहां दुर्योधन का रथ किसी विशेष अवसर पर निकाला जाता है। इससे यह आभास मिलता है कि पांडव और कौरव दोनों किसी समय यहां पूजनीय थे। जमींदारियां तो अवश्य ही रही होंगी। अब उन्हीं पांडवों के वंशजों की जमींदारी है या किसी और की जमींदारी बन गयी, यह तो वहां के रहने वाले और जो उस इलाके के सदस्य हैं, उनको शायद ज्यादा जानकारी हो। जौनसार बावर बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां विवाह के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बताया कि जै भाई हों उनकी एक ही पत्नी होती है। लेकिन एक विशेषता वहां और है। वहां की आबादी ही नहीं बढ़ती। जितनी आबादी आज से पचास वर्ष पहले थी वही आज भी है। वैसे दुनिया के हर हिस्से में आबादी ऐसे वेग से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जौनसार बावर के इलाके में आबादी ज्यों की त्यों है। वहां के रहने वाले बहुत ही सीधे सादे और ईमानदार हैं। वे इतने सीधे हैं कि आपस के झगड़ों में झूंठ बहुत कम बोलते हैं। मैंने सुना है, वहां नमक और पानी की कसम, दे दी जाय तो, उठा करके जो बात कह दे वही फैसला मान लिया जाता है। सयाना जैसा नाम है वैसे ही सयानों का वहां आधिपत्य है। सयानों के वहां बहुत अधिकार हैं। मामले मुकदमे और फैसले भी वही कर लेते हैं और मालगुजारी वगैरह वसूल करते हैं। वही वहां के सर्वे सर्वा हैं। बाकी आम जनता बहुत ही गरीब और सीधी-सादी है। कुछ तो ऐसे हैं जिन बेचारों ने एक बार भी अगर किसी कार्यवश कर्ज ले लिया तो उनका कर्ज खतम नहीं होने आता। वह हमेशा सेवा करता रहता है। लेकिन उस सेवा के बदले में जो पैसा लिये रहता है वह पैसा ज्यों का त्यों कर्ज के रूप में बना रहता है, कम नहीं होता।

जिस तरह इधर पुलिस का प्रबन्ध है वैसा वहां नहीं है। मेरे तो सुनने में आया है कि अगर वहां पुलिस की चौकियां कायम करने का प्रस्ताव होता है तो वहां वाले इसे पसन्द ही नहीं करते। वे कहते हैं कि अगर हमारे इलाके में पुलिस पहुंचेगी तो जो बुराइयां उनके अन्दर नहीं हैं वे बुराइयां वहां फैल जायेंगी। वे समझते हैं कि रिश्वत भी फैलेगी। चोरी और दूसरे जरायम भी वहां फैलेंगे। इसलिये वे हमेशा पुलिस की चौकियों का विरोध करते रहे। वैसे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक को कतिपय संशोधनों के साथ वहां लागू करने में बड़ी कठिनाइयां थीं। इस वजह से एक अलग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा। यहां पर जो जमीन के कानून हैं वे तो किसी दस्तूर के मुताबिक बढ़ते जाते हैं, जिनको दस्तूरुलअमल कहते हैं और खात के बारे में कोई परिभाषा देने की जो बात कही गयी, खत या खात मैं समझता हूं कि पहाड़ में जो खड्ड होते हैं, एक तरफ से पहाड़ी नाला गया, दूसरी तरफ से दूसरा पहाड़ी नाला गया, बीच में जो भाग रह गया वह खड है, और कई गांव जो उसके अन्दर पड़े उनको एक मालगुजारी लगा दी गयी। पहाड़ों में इस तरह की नेचुरल बाउंड्रीज हैं, उनके खत हैं। जो वहां मालगुजारी है, उसमें भिन्न-भिन्न जमींदार हैं। उस मालगुजारी का बटवारा करना भी कठिन है। फाटबन्दी होती है तो उसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है। जितनी उनकी मालगुजारी है, उसको सोलह गुना प्रतिकर, उनको देने की बात कही गयी है। सीधे सादे ढंग पर जो उनकी थोड़ी सी मालगुजारी से

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

आमदनी होती है। उसी के ऊपर वह प्रतिकर दिया जायगा। वैसे वहां, जो गांव सभा के अधीन जमीन है या नौतोड़ जमीन है वह गांव सभा को दी जायगी, जैसा कि हमारे इस प्रदेश में जहां-जहां जमींदारी विनाश कानून लागू किया गया है, वहां भी वही व्यवस्था की जायगी। वहां भी भूमिधर, सीरदार और असामी होंगे। जो जमींदार है वे भूमिधर होंगे। बाकी जो असामी की परिभाषा में नहीं आते हैं वे सभी सम्भवतः सीरदार बन जायेंगे। तो जमींदारी के कानून की बातें इसमें लागू की गई है और हमें इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये। आज वहां बन्दोबस्त करना है और स्थानीय बन्दोबस्त की व्यवस्था भी करनी होगी, लेकिन जो-जो इसमें विधेयक के अन्दर जमींदारी विनाश कानून की धारायें जिस प्रकार से लागू की गई है, और जहां-जहां उनमें (दोनों में) सामंजस्य लाने की कोशिश की गई है, जिनमें जो कोशिश की गई है उन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है।

इसमें उत्तराधिकार की बात जो कही गई है कि जो वहां का दस्तूर है या जो रिवाज है वही उत्तराधिकार मान लिया गया है। मैं समझता हूं कि वहां कोई रीति रस्म रिवाज के ही अनुसार कोई कोडिफाइड ला नहीं है, वहां किस रिवाज के अनुसार उत्तराधिकार चलता है अगर हम, जो उनके यहां रिवाज है सकसेशन का, जिस प्रकार उस पर अमल होता है अगर उसको हम निश्चित रूप से कानून की शक्ल दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वहां के रस्म रीति रिवाज के मुताबिक मुकदमों में भिन्न-भिन्न तरह से फैसले होते रहते हैं। तो उसका एक निश्चित सकसेशन का हो जाना जरूरी है और उसी के मुताबिक कानून अगर हो जाता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता और वह एक स्पष्ट कानून की शक्ल ले लेता और उनके पालन करने में भी ज्यादा दिक्कत न होती। साथ ही झगड़े भी कम हो जाते। मुझे कुछ ज्यादा इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना है लेकिन जो यहां की जमींदारी के खत्म करने के जो कुछ नतायज होंगे उनको मैंने गौर से देखा और सब मध्यवर्तियों के जब अर्जन किये जायेंगे और उसके सिलसिले में काश्तकारों को जो अधिकार मिलेंगे उन अधिकारों में वैसे तो जमींदारी विनाश कानून का ही सामंजस्य है लेकिन जरूरत इस बात की है कि किस प्रकार के कौन-कौन से लोग सीरदार होंगे उनका भी कोई विवेचन स्पष्ट आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। असामियों की तो वही रूपरेखा है जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था कानून में जो असामी बनाये गये हैं करीब-करीब वही शक्ल सब असामियों की इसके अन्दर भी दी गई है। तो बाकी और कौन-कौन तरह के काश्तकार होते हैं जो कि सीरदार होंगे गैर मौरूसी या मौरूसी, यह मेरी समझ में पूरे तौर पर नहीं आया कि कौन-कौन से विशेष काश्तकार हैं जो सीरदार बनाये जायेंगे, ताकि उनमें कोई कान्फ्लिक्ट न हो असामी और सीरदार के बनने में। शायद कोई काश्तकार यहां भूमिधर नहीं बन पायेगा क्योंकि मैंने देखा कि केवल जमींदार को ही भूमिधर बनने की व्यवस्था है। वैसे हमारे प्रदेश के और इलाकों में कुछ जगहों में कुछ शर्तों के साथ काश्तकार को भी पहले से ही भूमिधर बनने का हक है। शायद वह शर्त वहां न पैदा होती हो। इसमें भी सीरदार को भूमिधर बनने के अधिकार भविष्य के लिए दिए गए हैं। शायद दसगुना जमा करके जो सीरदार होंगे वह भी भूमिधर बन जायेंगे। तो जहां तक उसूली बातें हैं, वह तो मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य स्वीकार करेगा। वही उसूल हैं जिनको हमने एक बार ग्रहण किया है और उस उसूल के अन्तर्गत ही हमें जौनसार बावर के इलाके में भी उसी सारे ढांचे को अपनाना है, और वही भूमि व्यवस्था हमें लागू करनी है। मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए समझता हूं कि इसको अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता है और इतनी जल्दी सदन

में विचार नहीं हो सकता, पूरी छानबीन के साथ देखा नहीं जा सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पूर्ण रूप से, ठीक तौर पर संशोधित करने के लिए प्रवर समिति मे जाने की आवश्यकता है। मै समझता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मे इस संशोधन को रखते हुए आप से क्षमा चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै श्री मौर्य जी की बातों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैने भी इस अमेंडमेंट को पढ़ा और मुझे जान पड़ता है कि इसमे बहुत सी कमियां है।

एक सदस्य---अमेंडमेंट मे या विधेयक मे?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---विधेयक मे। इसलिए यह आवश्यक है कि एक दफा यह प्रवर समिति मे चला जाय और इसमे पूरे तौर से विचार किया जाय, क्योंकि इसका रिफ्लेकशन पर्वतीय प्रदेश के और जिलों मे भी जो कि जमींदारी कानून बनने वाला है, उसमे अवश्य होगा। इसलिये यह अच्छा है कि इस वक्त ही जब कि एक जिले का जमींदारी कानून बन रहा है उस पर अच्छी तरह विचार हो जाय और उसके ही आधार पर बाद को जो कानून बनेंगे उन पर भी इसका असर पड़ेगा।

इतना ही कह कर मे सदन का ज्यादा समय नही लूंगा और इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति मे अवश्य भजा जाय।

* **श्री नारायणदत्त तिवारी**---श्रीमन्, मै माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस समय सन् ५२ मे जौनसार बावर के सम्बन्ध मे, बन्दोबस्त और रिकार्ड के सम्बन्ध मे विधेयक आ रहा था, उस समय हमने इस बात की मांग की थी कि जौनसार बावर क्षेत्र मे भूमि सुधार होना चाहिये और तीन दिन वहां निरन्तर विवाद रहा, उसमे निरंतर इस बात की हमने मांग की थी कि जब तक वहां पर कोल्टा, बाजगी वगैरह विशिष्ट प्रकार के जनसमुदाय और पिछड़ी श्रेणी के लोग है, जब तक उनको हम भूमि सम्बन्धी अधिकार नहीं प्रदान करेगे तब तक वहां पर कोई भी विधान बनाना एक प्रकार से व्यवहार के रूप में सम्भव नही होगा।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो आज अगर माननीय मंत्री जी ने इस सिद्धान्त की स्वीकृति के रूप में आज विधेयक प्रस्तुत किया है, तो वह उचित ही है। अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक की व्यवहार या विवरण की जो बातें है, जो परिभाषा इसमे है वह जौनसार की विशेष स्थिति को देखते हुए कहां तक लागू की जा सकती है और वहां पर भूमि सुधार और जमींदारी विनाश का क्या स्वरूप होना चाहिये? श्रीमन्, मैं इस बात को माने लेता हूं कि मुझे स्वयं इस बात का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं जौनसार बावर जाकर वहां की भूमि व्यवस्था को समझ सकूं, लेकिन फिर भी इधर-उधर रिपोर्टों के आधार पर

सकती है, क्योंकि हमारे पर्वतीय प्रदेशों मे स्टावेल का मैनुअल मौजूद है, बहुत से कोर्ट्स के फैसले भी मौजूद है और बहुत कुछ पुरानी प्रथाये भी लिपि-बद्ध है। लेकिन जौनसार बावर के सम्बन्ध मे शायद ही एक दो प्रकाशित पुस्तके या रिपोर्टें हों। इसके अलावा जो रेवेन्यू अफसर वहां जाते होंगे वे साल दो साल तक तो वहां की स्थिति का अध्ययन ही करते होंगे और उसके बाद उनका ट्रान्सफर हो जाता होगा। इसलिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]
अविकृत रूप में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी मैं समझता हूं वहां के बारे में अ सानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है। वहां के जो निवासी हैं, जिनके हितों की रक्षा के लिये हम यह विधेयक बना रहे हैं उनमें इतनी वर्ग चेतना नहीं है कि वे कोई वर्ग संगठन कर सकें या अपनी आवश्यकताओं को हमारे सम्मुख उचित रूप से प्रस्तुत कर सकें। तो जब हम इतनी कठिनाइयों के मध्य इस भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक पर विवाद करने जा रहे हैं तो अवश्य ही हमको बहुत सोच समझ कर चलना होगा।

अब इस सम्बन्ध में दो-एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने स्वाभाविक रूप से काफी आंकड़े प्रस्तुत किये जैसा कि उनका स्वभाव है। और उन्होंने स्थिति आंकड़ों के रूप में वहां की स्थिति हमारे सामने रखी। उन आंकड़ों से भी यह स्पष्ट होता है और हमारे मंत्री जी के कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि वहां पर जो जमींदारी है उसका वह स्वरूप बिल्कुल नहीं है जो मैदान में हमें देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर वहां दो प्रकार के खेतिहर माने गये हैं, मौरूसी और गैरमौरूसी। मौरूसी काश्तकार केवल ब्राह्मण और राजपूत हो सकते हैं और गैरमौरूसी काश्तकार भी ब्राह्मण और राजपूत हो सकते हैं। यानी हरिजन वर्ग डोम, बाजगी और कोल्टा को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भूमि का अधिकार भी प्राप्त कर सकें। वे गैरमौरूसी भी नहीं हो सकते। और उसमें पेचीदगी यह है कि सयाना को इस बात का अधिकार किन्हीं हालतों में प्राप्त है कि वह किसी गैरमौरूसी काश्तकार को मौरूसी काश्तकार स्वयं बना सकता है और उसकी फीस रखी हुई है, वह ४ रुपये देगा, एक बकरी देगा और इसी प्रकार की तमाम बातें लिखी हुई हैं। अब आप देखें कि जो इसमें परिभाषा दी गयी है यह कितनी अस्पष्ट है। मैं जानता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी ने सभी प्रकार के लोगों को शामिल करने की कोशिश की है लेकिन सब शामिल हो सकते हैं या नहीं इस पर विचार करना है। जो गैरमौरूसी काश्तकार की परिभाषा रखी गयी है उसमें यह बतलाया है कि जो उक्त परगना के दस्तूर-उल-अमल में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसी भूमि में काश्त करता हो, जिसके लिये वह जमींदार को लगान देता हो, जिसका वह, किसी संविदा या अनुबन्ध के न होने की स्थिति में, उसे देनदार होता।

आगे स्पष्टीकरण में है :

"इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास सेवा भौमिक अधिकार के आधार पर कोई भूमि हो, लगान का देनदार समझा जायगा।"

तो इसमें ऐसे व्यक्ति को गैरमौरूसी काश्तकार माना गया है। गैरमौरूसी काश्तकार दो प्रकार के हो सकते हैं विधेयक के अनुसार। एक तो वे जो दस्तूर-उल-अमल में गैरमौरूसी माने गये हों। ऐसे केवल ब्राह्मण और राजपूत हैं।

अब दूसरे ऐसे लोगों को गैरमौरूसी काश्तकार माना गया है जो किसी सर्विस की सेवा के रूप में लगान देने का अधिकारी हो। लेकिन आप देखेंगे कि जौनसार बावर में सर्विस टैन्योर के जो लोग हैं, उसका अर्थ क्या है यह इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है। सर्विस टैन्योर का अर्थ यह है कि जो कोल्टा, बाजगी जमींदारों के नौकर हैं वे गैर-मौरूसी काश्तकार माने जायंगे। लेकिन वहां पर मोरगेजी की प्रथा भी है यानी आदमी को रेहन रखा जाता है। सर्विस टैन्योर में यह चीज आती है या नहीं, यह विवाद-ग्रस्त विषय है। इसके विषय में मैं केवल एक फैसला पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह १९८ पृष्ठ पर है। यह जे० बी० राबर्टसन का लिखा है और वेबस्टर साहब ने इसको सही किया है।

"A mild form of slavery exists in this Pargana. Koltas mortgage themselves to Zamindars and are ever after their slaves, so to speak, till they

return the mortagage money. It usually happens that this money is paid by some other Zamindar and the services are transferred to him."

इसके माने यह है कि हमको सर्विस टैन्योर की परिभाषा को स्पष्ट करना होगा।

इसके अलावा वहां पर कर्ज की बात है। कर्ज के रूप मे जो जमाने से चले आ रहे है तो जब तक गैरमौरूसी काश्तकार की परिभाषा स्पष्ट नहीं करेगे तब तक वहां लोगों को ज्यादा रिलीफ पहुंच पायगी इसमे मुझे सन्देह है। इसके अलावा गैर मौरूसी

दिया जाता। जमींदार का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के या उसके किसी भाग के स्वामी से है। मौरूसी काश्तकार अपनी भूमि का स्वामी नहीं होता है। मौरूसी काश्तकार को भूमिधर बनाया जा सकता था।

इसके अलावा धारा ३२ मे तमाम ऐसी बाते रखी गई है जो यहां पर लागू नहीं हो सकती है। जैसे कि लिखा गया है कि सिंघाड़ा जहां पैदा होता है वहां का जो मालिक है वही काश्तकार असामी माना जायगा। अब सिंघाड़ा वहां होता है या नहीं। मैं समझता हूं कि वहां इसकी कोई गुंजायश नहीं है। शायद आपकी अगली पंचवर्षीय योजना में भले ही इसकी सम्भावना हो। ऐसी ही टोंगिया प्लांटेशन की है जो जंगलात करते है और यह जल्दी ही समाप्त की जायगी, क्योंकि यह एक बेगार है। इसमें यह होता है कि लोगों को जमीन दे दी जाती है कि वह छः महीने खेती करें और पेड़ लगाये सरकार की ओर से और जब सारी जमीन में पेड़ लग जाते हैं तो उससे जमीन खाली करा ली जाती है। इसलिये यह बेगार होने की वजह से अवैधानिक भी है। इसलिये ऐसी तमाम चीजों को जो जौनसार बावर की विशेष स्थितियों में लागू नहीं हो सकती है उनको इस विधेयक में स्थान देना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि इस विधेयक का पुनर्वीक्षण किया जाय, जिससे यह एक परिवर्तित रूप में लागू हो सके। इसलिये मैं उचित समझूंगा कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाय और यह सिलेक्ट कमेटी या इसकी कोई सब कमेटी जौनसार बावर यानी चकराता जाकर सब चीजें देखे। मै यह सुझाव देने की गुजारिश करूंगा। इसमें जरूर थोड़ा सा खर्च है और मै समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति न होगी कि अगर सेलेक्ट कमेटी की एक सब कमेटी चकराता जा कर वहां के लोगों की राय ले कर कोई विधान बनाने की सिपारिश करे। अगर ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अन्त मे जो अध्याय ३ है उसमे इस प्रकार का अधिकार सरकार ने लिया है कि जमींदारी विनाश विधेयक और लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट को वहां प्रयुक्त करने के सम्बन्ध मे वह एडप्टेशन आर्डर वहां दे सकती है। सरकार इमरजेंसी के मौके पर जो विधान बनाने का अधिकार अपने हाथ में लेती है तो उसमें हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। सरकार यह अधिकार अभी अपने हाथ में ले और जमींदारी विनाश विधेयक को वहां की विशेष परिस्थितियों में लागू करने के सम्बन्ध में कानून बनाये, लेकिन मै यह जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के जो एडाप्टेशन आर्डर्स गवर्नमेंट ने बनाये वे सदन के सामने अवश्य आने चाहिये। जिस प्रकार कि आपने खंड ४१ में रखा है कि अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम विधान मंडल के सामने आयेंगे, उसी प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत दी गई सरकारी आज्ञायें जिनके द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम जौनसार बावर मे लागू किया जाय, वह एडाप्टेशन आर्डर्स भी सदन के सामने आने चाहिये ताकि सदन उन पर अपनी राय दे सके और इस सम्बन्ध में मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि वह डेलीगेटेड लेजिस्लेचर कमेटी का जो कि रूल्स अमेंडमेंट कमेटी ने सुझाव दिया था और जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है, उस सम्बन्ध में भी अगर आप शीघ्रता करने का प्रयत्न करेंगे तो इस सम्बन्ध में सारे प्रश्न आसानी से हल हो सकेंगे।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चौथी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि जौनसार बावर में एक परगना है जिसे हरिपुर खास कहते हैं। उसका जो लैण्ड टैन्योर है, उसकी भूमि व्यवस्था जौनसार बावर की भूमि व्यवस्था से भिन्न है और अधिकतर वह देहरादून और हमारे भावर इलाकों में जो लैण्ड टैन्योर है उससे मिलती जुलती है। तो मुझे डर है कि वहां शायद हमें दूसरी तरह के एडाप्टेशन आर्डर्स लागू करने पड़ेंगे। सम्भव है कि जो परिभाषायें जौनसार बावर के लिये दी गई हैं वे भी वहां लागू न हों। तो विधान बनाते समय हमें इस बात का खयाल रखना होगा कि वह हम इस तरह से बनायें कि हरिपुर खास, जिसकी भूमि-व्यवस्था जौनसार बावर से भिन्न है, उसमें भी वह लागू किया जा सके। इसी तरह से परिभाषाओं के बारे में भी मुझे डर है कि वह वहां के लिये पूरी नहीं मानी जा सकतीं। हमें उसमें स्थाने की परिभाषा रखनी पड़ेगी, कोल्टा और बाजगी लोगों की परिभाषा भी उसमें रखनी होगी नहीं तो हो सकता है कि कानून को लागू करने में हमें बहुत कठिनाइयां हों। तो परिभाषाओं के विस्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस प्रकार की धाराओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिससे जौनसार बावर में हरिपुर खास की विशेषताओं को देखकर वह कानून वहां लागू किया जा सके। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो हमें दिक्कतें प्रतीत हुई हैं उनको देखते हुए, इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इस सदन को इस बात का मौका देंगे कि यह जौनसार बावर की विशिष्ट स्थिति को देख कर जो कानून बनायें वह ऐसा हो कि जो सरलतापूर्वक और आसानी से वहां लागू किया जा सके।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम राम लखन मिश्र है और मैं आपकी आज्ञा से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को लाने के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उस पिछड़ी हुई मानवता को वह प्रदेश के आधार पर एक स्तर पर लाने के लिये चेष्टा कर रहे हैं। मैंने उनके प्रारम्भिक भाषण में १८७३, १८८४ और १९४९ के प्रयत्नों को सुना, परन्तु इन प्रयत्नों से इस स्थल पर कोई लिपिबद्ध विचार नहीं बन सके। अभी तक सारी बातें आकाश के अन्तर्गत हैं और यह प्रयत्न बहुत कठिन है। एक यह भी विचारणीय विषय है कि यहां की परम्परा का गुलाम हो कर हमको यहां की भूमि व्यवस्था नहीं करनी है। हमको प्रदेश के आधार पर इस पिछड़े हुए स्थल में मानवता के रस्म रिवाज को लाना है। मैंने यहां पर बहुपतिव्रत नाम को भी सुना। हमको इन विभिन्न विषयों पर विचार करना होगा, क्योंकि उससे ला हैरिटेन्स के ऊपर असर पड़ता है इसलिये इसकी भी चर्चा की। मैं समझता हूं कि प्रदेश के साथ उनको लाना है। मैं मौर्य जी के इस कथन के साथ कोई संगति नहीं पाता हूं कि यहां पर आर्यों का केन्द्र स्थल रहा है। जैसा कि इस विषय में राजस्व मंत्री जी ने बताया यह एक अपवाद का स्थल हो सकता है। पांडवों और कौरवों के नाम से तो यह उनका स्थल नहीं बन सकता है कि यहां उनका बहुत विहार स्थल रहा है या यहां पर उनकी संस्कृति फैली है। यह एक अपवाद का स्थल हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि वहां पर एक पिछड़ी हुई मानवता है और वहां पर वे लोग भारत वर्ष या प्रदेश के अन्य लोगों के साथ नहीं आ सकते हैं। वहां पर उस प्रकाश को लाना है। वहां पर भूमि के सुधार के लिये विधान आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जो विधेयक आया है उसके देखने से प्रतीत होता है कि इसके ऊपर सैद्धान्तिक रूप से विचार करना होगा। हम लोग कभी-कभी ऐसा कानून बना देते हैं जिसके अन्तर्गत आम तौर पर तो काश्तकारों की रक्षा मालूम होती है, लेकिन वह जमींदार कानून की आड़ में किसी रूप से उन काश्तकारों को बेदखल कर देते हैं। उनकी रक्षा हमको विशेष रूप से करनी है। जमींदारी विनाश कानून में बहुत सी ऐसी धारायें बनायी गयीं, जिनको स्पष्ट रूप से हमको फिर से विचार करना पड़ा और काश्तकारों के अधिकार की रक्षा

के लिये उनको परिवर्तित करना पड़ा। हमारे प्रदेश के काश्तकारों के ऊपर एक प्रकार से ही कानून बना कर उनकी रक्षा के लिये हमको प्रयत्न करना होगा। उनकी पिछड़ी हुई मानवता के जो पिछड़े हुए अधिकार है, और उनके जो रीति रिवाज हैं उन सब पर विचार करना होगा कि उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाय। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ने जैसे उन लोगो के अधिकारों की चर्चा की और उनके रीति, रस्म रिवाज की चर्चा की उनके ऊपर प्रकाश डालना होगा। कहीं ऐसा न हो कि जो बाते सदियों से चली आई है उन बातों के ही गुलाम हो कर हम उनकी रक्षा करें। हमको हरिजन, या पिछड़ी हुई जाति के लोग या जो वास्तव मे किसान हैं, जो खेती का काम करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इसी प्रकार की अनेक बाते है जिन पर विचार करना होगा और गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इन कारणों से मैं इस विधेयक का प्रवर समिति मे जाने का प्रस्ताव जो मौर्य जी ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)--देहरादून जिले से निर्वाचित होने के कारण मै उस जिले का प्रतिनिधि हूं। इसलिये मुझे इस विषय मे कुछ कहना चाहिये। राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने विलम्ब के पश्चात् यह विधेयक इस सदन मे आ रहा है। अब सिलेक्ट कमेटी मे भेजने की बात है, इसलिये कि इसमे बड़े पेच आ रहे है जिससे यह ठीक कानून नहीं बन सकता है। मै यह कहना चाहता हूं कि जो भी कलेक्टर उस जिले मे रहता है हर एक के लिये यह कार्यवाही होती रही है कि जब वह जाता है तो वह अपने संस्मरण लिखता है और ऐसे ही उस गजेटियर मे देहरादून के जितने कलक्टर हुए है उसके नोट लिखे हुए है। उन्होने बतलाया कि फलां सन् मे क्या रिवाज था और उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए और किस बात मे ये लोग आगे बढ़े। इसलिये अब यहां से कोई कमेटी जाय और फिर वह पता लगाये कि उनके क्या चाल चलन है, क्या उनके रीति रिवाज है और किस प्रकार से वे रहते है और उनकी क्या सामाजिक दशा है, इन बातों के लिये कोई डेपुटेशन भेजना ठीक नहीं होगा। चाहे आप कितने ही डेपुटेशन भेजिये कोई वहां के रीति रिवाजों को समझ नहीं सकता है। इसलिये मेरा कथन है कि यह प्रस्ताव चलने देना चाहिये चूंकि देर लगने से उनकी हानि होगी। हमारे शास्त्रों का कहना है कि "क्षिप्रमक्रिय माणस्य कालः पिबति तद्रसम्।" कोई-कोई बाते ऐसी होती है कि उनको शीघ्र न किया जाय तो उनमे रस नही रहता है। ३ बार प्रयत्न किया गया कि जौनसार की प्रथा सुधारी जाय। इस बिल मे अब उनका कल्याण होगा। यह विधान सभा ऐसी संस्था तो है नही कि यहां समाज सुधार कानून बनाया जाय कि वह कैसे रहते है. लड़का कितनो का माना जाय, कोलटे कौन होते है। यहां तो खाली जमींदारी प्रथा से सेवकों पर जो अत्याचार होते हैं उनको दूर करने की बात है। मौर्य जी ने तथा एक और व्यक्ति ने कहा कि ये पिछड़ी जाति है। परन्तु यह बहुत अच्छी जाति है। पंचायतों की बात लीजिये, जमीन का झगड़ा है तो चौकीदार से कहा गया कि जाओ पंचों से कहो कि फलां पेड़ के नीचे पंचायत होगी, सब महानुभाव पहुंच जावे। सब ठीक समय पर पहुंच जाते है। उस चौकीदार को फी मुकद्दमा १५ सेर गेहूं या १० सेर चावल ऐसा कुछ मिल जाता है। जिसकी शिकायत होती है, पहले वह एक पैर पर खड़ा होकर हाथ जोड़ कर पंचो से अपनी बात कहता है। फिर दूसरा पक्ष इसी प्रकार अपनी बात कहता है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि तुम दूर जाकर बैठो। उसके बाद पंच कुछ आपस मे सलाह करके फैसला देते है कि फलां का दोष है। यह इतना सस्ता फैसला होता है कि आप सुनकर आश्चर्यान्वित होंगे। पंचों को एक-एक पैसा बांटा जाता है। वहां एक शेरसिंह सयाना थे, अब तो वे मर गये है, उन्होने मुझे बताया था। मैने कहा कि तुम इतने बड़े जमींदार हो कर एक पैसा क्यों लेते हो तो कहने लगे कि यह इनाम है चाहे एक पैसा या एक हजार रुपये हों। जौनसारी इतने सत्यवादी है कि उनको हजारों रुपये दीजिये तो भी वे झूठ नही बोलेंगे। बाकी रही बात रीति रिवाज की, सो ये तो हर देश मे बदलते रहते है। सोचिये अंग्रेजो के जमाने मे हम क्या थे, पहले क्या थे और अब हममें क्या परिवर्तन हो रहा है। समाजवाद

[श्री नरदेव शास्त्री]

की बात लीजिये। हमारा प्राचीन समाजवाद कैसा था? अंग्रेज किस प्रकार से लाना चाहते थे और अब कांग्रेस किस प्रकार से लाना चाहती है? मेरी राय है कि इस बिल को शीघ्र पास करना चाहिये। मैंने आधा जौनसार देखा है। मंसूरी में २ मास रहता हूं। १४ मील पर ही यह इलाका है। कालसी देवबन्द में मैं गया हूं और उन लोगों के रीति रिवाजों को मैं जानता हूं। मै चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में न भेजा जाय बल्कि इसे यहीं पास किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि जिस रूप में विधेयक इस सदन में रक्खा गया है उसे इस स्टेज पर इस रूप में अगर यह सदन पास करने की कोशिश करे तो मै समझता हूं कि वह जौनसार बावर के इलाके के लोगों के कष्टों को दूर करने में अधिक समर्थ होगा। बहुत सी बातें जो यहां कहीं गई उनका कारण यह है कि लोगों को वहां के रीत रिवाजों के बारे में मालूम नहीं है। जिनको कोलटा कहा जाता है वे एक प्रकार के स्लेव थे, यह कहा गया। मान लिया वे स्लेव थे, लेकिन आज प्रगतिशील संसार में क्या डेमोक्रेसी के नेतृत्व करने वालों का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि उस गुलामी की प्रथा को जल्दी खत्म किया जाय। जमींदारी के नीचे जो गुलाम प्रथा थी उसको बहुत पहले खत्म किया जा चुका है यह हमारी सरकार ने किया है। यह हमारी नाजानकारी है यदि हम यह कहे कि आज भी सारे प्रदेश में वह प्रथा जैसी कि तैसी बनी है। गजेटीयर्स की पुरानी बातें यहां रखने की कोशिश माननीय सदस्यों ने की हैं। मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इस कानून के पास करने में रुकावट डालता हो। जो लोग अपर क्लास की सेवा करते चले आये हैं और उसके बदले में जमीन से पैदा करके खाते थे, तो क्या किसी को इस बात पर इंकार हो सकता है कि उनकी सेवायें इतनी अधिक हो गई हैं कि बैलेंस सेवाओं का क्रैडिट करें तो अपर क्लास के खिलाफ है। उन्होंने इतनी अधिक सेवायें की हैं कि जो जमीन उनके कब्जे में है उसके अलावा उन्हें और जमीन दी जानी चाहिये अगर यह सदन इंसाफ करना चाहता है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि कोई मुआवजा या कम्पेंसेन्शन पहाड़ के मामले में नहीं दिया जाना चाहिये अगर ईमानदारी बरती जाती है और उनकी मेहनत मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है। हमारी सरकार इस प्रान्त के जमींदारों को मुआवजा देकर खत्म करने का फैसला कर चुकी है। हम इसे मानते हुए कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आधार रखा है वह बहुत उचित है और उससे पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं।

इनहेरीटैन्स के बारे में मैं यह समझता हूं कि उन्होंने विकास के स्तर पर इस बात को उचित समझा है। समाज की बातों को ध्यान में रखते हुए यह मुमकिन ही दिखाई देता है कि उसे इस स्टेज पर टच नहीं करना चाहिये। हमको कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। जहां तक इनहेरीटेंस का मामला है उनको वही राइट्स होने चाहिये जो कि हिन्दू ला के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। अगर भूतकाल में किन्हीं परिस्थितियों के कारण से उन लोगों पर हिन्दू ला लागू नहीं हो सका और क्योंकि वे लोग हिन्दू हैं इसलिये उनको उस कानून की पाबन्दी में लाना चाहिये। मैं समझता हूं अगर इसको छोड़ दिया जाय तो कोई इतनी बड़ी भारी कमी नहीं होगी। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो उस कानून में सुधार किया जा सकता है। इस लिये माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और समझता हूं कि प्रवर समिति में इसके भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे समय का और रुपये का अपव्यय होगा तथा इसके द्वारा हमें एक मौका मिलता है कि हमारा जो कर्त्तव्य हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, उसको दूर हटायें। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा है, मै उसका हृदय से समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि यह मसला बहुत ही नाजुक है। उनकी रीति रस्म और रिवाज जैसा मौर्य जी ने बताया उनको उनका पूरा अध्ययन है, वहां पर बहुपति की प्रथा से लेकर ऐसे-ऐसे रीति रस्म है कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही मौरूसी काश्तकार हो सकते है। इसलिये भूमि पर क्या अधिकार हो और किस प्रकार से हो यह अजीब सा नाजुक मसला है, इसके लिये थोड़ी देर भी हो जाय और थोड़ा सा पैसा भी खर्च हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इस मसले को जितनी खूबी से सरकार हल कर सकती है उतना और कोई कर नहीं सकता। पहाड़ों की उतनी ही ज्यादा उन्नति होगी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी चाहते है कि पहाड़ों की उन्नति हो इसलिये हम कोई भी चीज जो उस मार्ग मे रोड़ा है, उसको रखना नहीं चाहते है। इन शब्दों के साथ मै माननीय मौर्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मै माननीय मंत्री जी का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मौर्य जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय उसका भी मै समर्थन करता हूं। अभी माननीय रावत जी ने कहा कि प्रवर समिति मे समय और रुपये का अपव्यय होगा और मै समझता हूं कि यह कहना उचित न होगा। यह तो हम सब लोगों ने माना ही है कि हम उस क्षेत्र के लिये कानून बनाने जा रहे है जहां अब भी बहुत पुरानी प्रथाये लागू है जिन को इस समय हम बरदाश्त नहीं कर सकते। परन्तु मौर्य जी की एक बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि बहुपति की प्रथा पांडवों की भांति इस क्षेत्र में भी जारी है और इसलिये वे उस क्षेत्र को आर्यों का क्षेत्र मानते है। पाडवों का एक स्त्री से शादी करना एक एक्सेप्शन अपवाद ही था इसे आर्य सभ्यता कहना उचित नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने भ्रम को दूर करें। यह आवश्यक है कि इस कानून को बनाने के लिये जो प्रथाएं हैं, जो नियम और उप नियम हैं, उन पर हम विचार करें। शीघ्रता मे, जल्दबाजी मे, कोई कानून बना लें तो फिर दूसरी बार उसमें संशोधन लावे, जैसा कि अक्सर हमे संशोधन विधेयक लाने पड़ते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी कानून को बनाने से पहले उस पर पूर्ण रूप से विचार कर लें। अगर सदन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे तो मुझे आशा है कि वह फिर यहां पर और अच्छे रूप में आयेगा। इस लिये इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा। जो तर्क माननीय रावत जी तथा श्री नरदेव शास्त्री जी द्वारा दिया गया है कि इसमे देर हो जायगी, तो इसमे घबड़ाने की कोई बात नहीं है। अभी जब दूसरी बार सदन बैठेगा तो उस समय फिर यह विधेयक आ सकता है। किसी कानून के बनाने मे एक दो महीने की देर हो जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इन शब्दों के साथ मै इस विधेयक को प्रवर समिति मे भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार इस सदन के सामने इस बिल के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं उनसे हम लोग यह महसूस करते है कि माननीय मंत्री जी ने जौनसार बावर की कुछ समस्याओं के ऊपर गहरे रूप से विचार किया है और सिद्धान्ततः जो बिल आज वे इस सदन के सामने लाये हैं उसमें एक झलक यह अवश्य दिखलाई दे रही है कि वहां के जो किसान हैं, जो टिलर्स आफ दि लैंड हैं, जो जमीन को जोतते है, कमाते है, उन जमीन कमाने वाले लोगों को वे कुछ हक देना चाहते हैं ताकि उस जमीन पर उनकी कुछ परमानेंसी रहे, उस जमीन के वे मालिक रहे जिस जमीन पर वे खेती करते हैं, यही उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, जिस सिद्धान्त का बहुत दिनों से इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

में और हमारे देश में प्रचार है कि "टिलर आफ दि स्वायल शुड बि मास्टर आफ दि लैंड' (जो भूमि पर खेती करे वही उस भूमि का मालिक होना चाहिये) और मैं समझता हूं कि आज जो उनका भाषण हुआ उससे मैंने यह समझा कि वहां के जो किसान हैं, चाहे उन्हें असामी कहें या पट्टेदार कहें, उनको जमीन पट्टे पर दी गयी हो, हल जोतने के लिये दी गयी हो, किसी कारण से भी कोई जमीन किसी आदमी के पास हो जो उसे कमाता हो वह उस जमीन का मालिक बना दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां के कुछ खास रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर काफी बहस भी हो चुकी है, पहली मर्तबा भी जौनसार बावर संबंधी एक बिल इस सदन मे आया था तो उस वक्त भी इस पर काफी विचार हुआ और ऐसा तो नहीं लेकिन कुछ इसी किस्म के किसानों के हकों का प्रश्न हमारे और पर्वतीय जिलों जैसे, अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टेहरी मे भी है, तो उनके प्रश्न को भी हमारी सरकार को हल करना चाहिये और वह बिल भी मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में ही इस सदन के सामने आ जायगा। उस बिल की जो रूप रेखा है उसे हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे पर्वतीय प्रदेश के जितने विधान सभा के तथा पालियामेंट के सदस्य हैं उनको बुला कर हमारे सामने रखी थी। उससे यह अन्दाजा लग सका कि हमारे यहां के जो खेती करने वाले हैं उनको सरकार आज उनकी जमीन का मालिक बनाने जा रही है। इसलिये जहां तक देर करने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय नरदेव शास्त्री जी तथा श्री चन्द्र सिंह रावत जी से बिलकुल सहमत हूं कि इस मामले मे बिलकुल देर नहीं होनी चाहिये, लेकिन साथ में इस बात के लिये भी सहमत हूं कि अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि उसका कुछ असर लोगों के ऊपर पड़ेगा और कमेटी के सदस्य वहां जाकर वहां की हालत देखें, मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर कमेटी के सदस्य वहां जायेंगे भी तो उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो कि इस बिल की मुखालिफत करेंगे। हम उनको देख नहीं सकते, जिन बेचारों के लिए यह कानून बनाया जा रहा है उनके पास जमीन अपनी नहीं है और वास्तव मे हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। मैं इस वास्ते इसकी मुआफकत में नहीं हूं कि वहां जा कर देखा जाय। हमें देखना यह है कि किसान जो जमीन जोतता है वह किसान उस जमीन का मालिक बन सकता है या नहीं। अगर कम्पेंसेशन देने का सवाल है तो सवाल यह भी है कि किसान मुआवजा दे और उसकी ऐसी हैसियत कहां है कि वह मुआवजा दे सके। यह सरकार उसके बजाय दे, यह एक दूसरा प्रश्न है। जहां तक मैं समझा और उस कमेटी में जिसका कि मैंने जिक्र किया माननीय मंत्री जी ने जो हमें समझाया था उससे हम समझते हैं कि वह अब अपनी जमीन का मालिक बनने वाला है। उसकी थोड़ी सी पेचीदगी अवश्य है और जैसा कि हमारे मित्र ने कहा और उनके कहने में कुछ तथ्य भी है और उनका कहना यह ठीक है कि इसका असर अवश्य ही वहां पड़ेगा। वहां काल से ही इससे घबराहट पैदा हो जायगी जब यह मालूम होगा कि मालगुजारी का १६ गुना मुआवजा देकर वह जमीन का मालिक हो सकता है।

श्री चरण सिंह--ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट देगी, वह तो केवल सीरदार हो जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं समझता हूं कि यह जौनसार बावर का जो प्रश्न है वह केवल वहां की जमींदारी अबालीशन का ही प्रश्न नहीं है, मैं तो इसको कनफर्मेंट आफ जमींदारी राइट्स आफ टेन्योर कहूंगा, क्योंकि जो सीरदार की हैसियत से खेती करते हैं उन्हीं के राइट को हम कनफर्म कर रहे हैं। उनकी जमीन तो उन्हीं के पास है, लेकिन उस जमीन को जिसे वह नहीं जोतते हैं और दूसरे लोग जोतते हैं उस जमीन के लोगों को भी कोई हक दिया जा रहा है जिस से वह मालिक हो जाय, खेती की तरक्की कर सकें और उनको भी सुविधा मिल सके? अगर यह मन्शा है तो इसको अवश्य स्वीकार किया जाय और हम पर्वतीय प्रदेश

के लोग ऐसी चीजों पर अवश्य विचार प्रकट करते हैं। जहां तक सेलेक्ट कमेटी में इसे भेजने का सवाल है मैं चाहता हूं कि उसको माननीय मंत्री जी मान लें, लेकिन दो मास की बात जो माननीय मौर्य जी ने कही है वह बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही समय है फिर बजट सेशन आ जायगा और कायदा यह है कि बजट के दौरान में ऐसा कोई बिल आ नहीं सकता। वहां के लोग इंतजार में हैं कि कब वहां का यह प्रश्न हल होगा। इसलिए १५ दिन का समय सिलेक्ट कमेटी के लिए काफी होगा, छोटा सा बिल है एक दो दिन में सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो सकता है। थोड़ी सी बात है मंत्री जी अगर सिलेक्ट कमेटी की बात को मान लें तो मुनासिब है। जब सिलेक्ट कमेटी से लौटकर यह बिल यहां आयेगा। तो हम आसानी से यहां शीघ्र ही इसे पास कर सकेंगे, क्योंकि वहां बहस उस पर जो लोग इन्टरेस्टेड होंगे विचार कर के कर लेंगे, सभी सदन के सदस्य तो उस में दिलचस्पी नहीं रखते। जो पर्वतीय प्रदेश के लोग हैं वह उस पर विचार कर ही चुकेंगे और जिस रूप में बिल आयेगा सदन उसे पास कर देगा और समय भी सदन का नष्ट न होगा। आशा है कि माननीय मंत्री जी को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव पर एतराज न होगा और वह मौर्य जी के प्रस्ताव को मान लेंगे।

*श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में दो भाग ऐसे हैं कि जहां पर अब तक जो कानून बनते थे उन में एक नुक्ता लगा दिया जाता था। वह एक तो जौनसार बावर का इलाका है और दूसरा मिर्जापुर जिले में कैमूर के दक्षिण का भाग है। दोनों जगहों की वास्तविक हालत को देखने और सुनने के बाद मैं यह समझा कि इन दोनों क्षेत्रों की एक सी हालत है और वह अब भी दुनिया से दूर हैं। कुछ भाइयों ने कहा कि वे पिछड़े हुए हैं, लेकिन ईमानदारी की दृष्टि से वे सचमुच पिछड़े हुए नहीं हैं। मैं एक दृष्टान्त बतलाता हूं। पारसाल सितम्बर की बात है। एक ठेकेदार का कुछ रुपया गायब हुआ। उसके आदमी ने घी कढाहे में चढ़ाया और कहा कि जिस आदमी ने रुपया लिया होगा वह अगर साहु है तो इसमें हाथ डाले उसका हाथ नहीं जलेगा और अगर उसका हाथ जल गया तो वह चोर होगा। इस तरह से १८ आदमियों ने उसमें हाथ डाल दिये और उन १८ आदमियों के हाथ जल गये। ऐसे भी क्षेत्र इस प्रदेश में मौजूद हैं जहां आज भी भूत या ओझा का नाम ले कर बदन का खून निकाला जाता है, चावल रंगा जाता है और मुर्गी का शिर दांत से कटवाया जाता है और उसको मारा जाता है। और न मालूम क्या-क्या होता रहता है? तो ऐसे भी क्षेत्र आज इस प्रदेश में मौजूद हैं। जौनसार बावर मैं समझता हूं कि इसी कोटि का एक क्षेत्र है और वहां पर जमींदारी उन्मूलन करने के लिये जो विधेयक माल मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं, और द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने जो उसमें प्रवर समिति नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और वह भी अनुभव के आधार पर। एक उदाहरण अनुभव के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं उसी क्षेत्र का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हैफहैजर्ड वे में जमींदारी उन्मूलन लागू कर दिया गया और आज उसका नतीजा यह है कि तीन साल से वहां मुकदमें बाजी हो रही है। वह इलाका गैरपैमाइशी है और उस गैर पैमाइशी इलाके में जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। अगर उसके लिये अलग से कानून बनाया गया होता और कोई प्रवर समिति बना कर सारी समस्याओं का अनुसंधान भली प्रकार करके जमींदारी उन्मूलन किया गया होता तो वहां पर जो हाय-हाय मच रही है वह नहीं होती। इसलिये पिछले अनुभवों के आधार पर जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है और जो यह विधेयक रखा गया है इन दोनों का ही मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। जहां तक देर लगने की बात है तो कभी-कभी जल्दी करना अच्छा नहीं होता और यह अच्छा नहीं है कि जल्दी-जल्दी करके काम खराब कर दिया जाय। जहां इतने दिन देर हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

और भी थोड़ी देर हो जाय, लेकिन पूर्ण रूप से विचार करके तब विधेयक बनाया जाय, क्योंकि मैं यह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, मैं वहां के इलाकों की दशा अपनी आंखों देख कर आया हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री चरण सिंह**--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी मित्रों का बहुत अहसानमन्द हूं कि उन्होंने इस विधेयक के उसूलों की आमतौर पर ताईद की है। मुझे एक दो बातें अर्ज करनी हैं, ज्यादा वक्त नही लगाना है और न ज्यादा वक्त मेरे पास है। जैसा कि माननीय रामलखन जी और माननीय व्रजबिहारी जी ने प्रोटेस्ट किया मैं भी जरूरी समझता हूं कि माननीय मौर्य जी ने जो कहा कि यह आर्यन संस्कृति का प्रतीक है कि प्रोटेस्ट करूं कि मै भी यह एक गलत बात समझता हूं। आर्यन संस्कृति की प्रतीक इसलिये कि महाभारत मे एक घटना घटी। तो अगर वह आम बात होती, और आर्यन संस्कृति के प्रतीक होने का सबूत होता तो फिर हस्तिनापुर मथुरा या इन्द्रप्रस्थ, जहां कुरुक्षेत्र है, जहां विदुर की कुटिया, जहां द्रोण का आश्रम, जहां महाभारत के क्षेत्र थे उन दोनों-तीनों डिवीजनों में पालीएंड्री दिखाई देती। पर वहां कोई ऐसी बात नही है। यह न मालूम किस वजह से एक इस तरह की बात चली आ रही है कि जो इंसान के अच्छे विचार है, जो उसकी उच्च भावनायें है, बिलकुल उनके खिलाफ पड़ती है कि एक स्त्री के अनेक पति हो।

माननीय नरदेव शास्त्री ने जरा सी गलती की और मैं बिल्कुल उनके जजबात की कद्र कर सकता हूं। उन्हें शिकायत यह है कि जरा देर हुई। इसमे तो अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा यहां रेकार्ड्स नाम मात्र को थे। लिहाजा रेकार्ड आपरेशंस एग्जिक्यूटिव आर्डर्स से करा दिये गये। फिर एक विधेयक ला कर उसे अधिनियम बना कर उन्हें रेगुलराइज किया गया और कानून की शक्ल दी गई। सन् ५२ मे इस विधान सभा ने जो कानून पास किया था उसके मातहत जो लोग काश्तकार थे, गैरमौरूसी हों या खिदमती काश्तकार हों या और कोई उनकी नौइयत रही हो सबकी बेदखली बन्द कर दी गई। तो इसलिये अगर इसके लाने मे देर हुई तो किसी को नुकसान नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, मै कई बार अर्ज कर चुका हूं कि जमींदारी एक इतनी पुरानी व्यवस्था है और हमारे इतने बड़े सूबे मे उसके मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं, उनके अधिकारों को लेना और उसकी जगह दूसरी व्यवस्था कायम करना अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी तकलीफ होती है जब कोई माननीय मित्र उन दिक्कतों व मुश्किलात को बिना महसूस किये हुए देर होने का इल्जाम लगाते है। हम सबकी इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी तरक्की के रास्ते पर चलें, लेकिन साथ ही साथ यह लगा रक्खा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चले तो बड़ी कठिनाई होती है। जो बड़ा काम होता है उसे पहले छुआ जाता है। यहां तो केवल ४८७६ एकड़ जमीन का मसला है, जिसमे यह कहा जा सकता है कि काश्त होती है। ४०,५३६ एकड़ कुल जमीन है, जिसमे ३५,००० से ज्यादा खुदकाश्त मे है। लिहाजा ४,८७६ एकड़ जमीन कुल ऐसी है जिसमें काश्तकारों के हुकूक का प्रश्न उठता है। लिहाजा मेरे साथ जो काम करने वाले अफसरान है वे इस तरफ ध्यान न दे सके। ध्यान नहीं बल्कि इतनी बड़ी-बड़ी फाइलें हो गई कि गौर करते-करते बिल न ला सके। तो अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय मित्रों से क्या कहूं सिवा इसके कि माफी चाह सकता हूं।

अभी एक बात माननीय व्रजभूषण मिश्र जी ने कही कि दूधी इलाके मे हेपहजर्ड वे में जमींदारी ऐक्ट लागू किया गया। हो सकता है कि अगोरी मे ऐसा किया गया हो लेकिन रामपुर में तो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट नहीं, बल्कि पट्टेदारी एबालीशन ऐक्ट लागू किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां तो लैंड रेकार्ड्स भी पूरे थे। वहां तो हेपहजर्ड वे मे पट्टेदारी एबालीशन ऐक्ट लागू नहीं किया गया, लेकिन डेढ़ साल से लागू नहीं हो सका। मुकदमेबाजी हो रही है। चन्द आदमी हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट से हार गये तो सुप्रीम कोर्ट में चले गये। जहां तक अगोरी का वास्ता है जमींदार हाई कोर्ट मे जाकर हारता है तो सुप्रीम कोर्ट मे चला जाता है। वहां भी रिट खारिज होती है तो कमिश्नर के पास जाता है, वहां भी अपील खारिज होती है तो सिविल कोर्ट में जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या गलती की। गवर्नमेंट का केस तो बहुत मजबूत है। वे यह कहते हैं कि जो लफ्ज इस्टेट आया है जमींदारी एबालीशन ऐक्ट मे, वहां स्टेट होना चाहिये, । क्योंकि इस्टेट का मतलब यह है कि लैंड रेवेन्यू पेपर्स मे रेकार्ड हो इस बात का कि यह इस शख्स की जमींदारी थी यह जरा सा प्वाइन्ट है। उस प्वाइन्ट के ऊपर चार अदालतों में मुकदमेबाजी हो चुकी है।

एक सदस्य—पैरवी की?

श्री चरण सिंह—तो फिर हेपहजर्ड वे न कहिये। पैरवी के मुताल्लिक जो चाहे कहिये। उसके मुताल्लिक मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कही उससे जरा तकलीफ हुई। जैसा मैंने कहा कि हर आदमी को पूरा अधिकार है इतनी अदालतें खाली हैं कहीं भी वह जा सकता है। एक जगह ६ महीने लगते हैं। वहां से हारता है तो दूसरी जगह चला जाता है, फिर तीसरी जगह और अब चौथी जगह वह गया हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मुकदमा चलाने से किस जगह पर, किस कदम पर गलती हुई हैपहजर्ड वे में। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है जैसा कि सभी माननीय मित्रों ने इकरार किया कि यहां की एक विशेष परिस्थिति है। मैं १९४६ मे दो दिन यहां रह चुका हूं, चकराता मे जब कि स्वर्गीय माननीय रफी अहमद किदवाई ने मुझको वहां उनकी हालात का अध्ययन करने के लिये भेजा था। तो थोड़ी सी जो मेरे मन पर छाप पड़ी उससे कि जो एक साहब वहां पहले कलेक्टर रह चुके थे उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी वह और दस्तूरुलअमल जो है वह मैंने पूरा-पूरा पढ़ा नहीं है, दो चार सफे पलट कर देखे हैं, उन सब को देखने से मालूम होता है कि वहां की स्थिति बिलकुल विशेष है। वह एक अलग अपनी स्पेशल फीचर्स रखती है तो इसलिये भी कि किस तरीके का बनायेंगे, क्या करें, उसमे देर होती है। अध्यक्ष महोदय, जब एक आदमी तस्वीर बनाता है, बनाकर लाता है, उस समय उसमे छिद्रान्वेषण बहुत आसान है। लेकिन कोई स्थिति अगर सामने रख दी जाय तब उसका जवाब निकालना और तस्वीर बनाना ओरिजिनली हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। जब एक चीज आ जायगी तब तो यह कह ही दिया जायगा कि यह क्यों, वह क्यों, लेकिन पहले उसको लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिये उसमे देर जरा सी हुई। मैं भी अपने इन सब दोस्तों से सहमत हूं कि जहां जल्दी होनी चाहिये वहां मुनासिब यह है कि जिन लोगों को खास दिलचस्पी हो इस मामले में वे सब इसमें शामिल हों, और दूसरे और लोग भी जो दिलचस्पी रखना चाहते हों वे भी शामिल हों, उनको भी शामिल करके एक सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द इसे कर दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी उसके लिये अगरचे उन्होंने दो महीने का वक्त रखा है, लेकिन वह तो आउट साइड लिमिट है, कोई जरूरी नहीं कि दो महीने ही लगे, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि २६ को मीटिंग कर ली जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है, मै तो २५ को ही मीटिंग करने को तैयार हूं। लिहाजा मैं सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों से दरख्वास्त करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इकट्ठा हों और इस पर गौर करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो मै संशोधन सदन के सामने रख देता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १६५५ प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट दो महीने के अन्दर दे और जिसके ये निम्न-लिखित सदस्य होंगे :—

१—श्री चतुर्भुज शर्मा
२—श्री मदन मोहन उपाध्याय
३—श्री नारायण दत्त तिवारी
४—श्री गोवर्धन तिवारी
५—श्री नरदेव शास्त्री
६—श्री शांति प्रपन्न शर्मा
७—श्री अब्दुल मुईज खां
८—श्री व्रजभूषण मिश्र
९—श्री खुशी राम
१०—श्री रामदास (फैजाबाद)
११—श्री केशभान राय
१२—श्री इर्तजा हुसैन (बुलन्दशहर)
१३—श्री वीरेंद्रपति यादव
१४—श्री वसी नकवी (रायबरेली)
१५—श्री सत्य सिंह राणा
१६—श्री चन्द्र सिंह रावत
१७—श्री बेनी सिंह अवस्थी
१८—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (बरेली)
१९—श्री दीनदयालु शास्त्री (सहारनपुर)
२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

और इसके नियम के अनुसार एक सभापति होंगे, वे माल मंत्री होंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
२१ नवम्बर, १९५५ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

प्रश्न संख्या ४ से संलग्न सूची

१—नदियों के नाम जिनमें जुलाई १९५५ के तृतीय सप्ताह में बाढ़ आई :—

१—घाघरा
२—टौंस
३—मुझई
४—कुवर
५—सिलनी
६—छोटी सरजू
७—क्यार
८—सुकसुई
९—हा हा
१०—लोनी
११—मैसही
१२—मगई
१३—बेसो
१४—दोना
१५—उदान्ती
१६—गांगी
१७—नरही
१८—लेडुही
१९—बघाड़ी
२०—ओरा
२१—आंगरी
२२—झरही
२३—मिकिया

२—फसल की हानि—लगभग ४,००,००० एकड़

३—क्षति ग्रस्त घरों की संख्या २९,२००

४—मनुष्य तथा पशुओं की हानि

मनुष्य	२
पशु	४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची

तहसील का नाम		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनमें हानि रुपये में १६ आने है।
१—सदर ..	..	२५,७३५	१०३
२—अमेठी ..	..	६,८३०	३६३
३—कादीपुर ..	..	९,८११	५६
४—मुसाफिरखाना	..	११,२८६	१३०

नोट.—इसके अतिरिक्त नदी से दूर तथा ऊपरी स्थान के ६५३ ऐसे गांव है जिनमे फसल को रुपये में ४ आने से १४ आने तक हानि हुई है।

सहायता

नाम तहसील		अहेतुक सहायता रु०	गृह निर्माण के लिये अनुदान रु०	तकावी बिना ब्याज के रु०
१—सदर	..	३४,३५०	३९,०००	२,७५,०००
२—अमेठी	..	२७,८००	१६,५००	१,५४,०००
३—कादीपुर	..	१५,२००	२३,०००	१ ६६,०००
४—मुसाफिर खाना	..	२५,७००	२६,०००	१,४०,०००

इसके अतिरिक्त सस्ते गल्ले का प्रबन्ध, पशुओं के चारे का प्रबन्ध तथा लोगों की चिकित्सा आदि का प्रबन्ध किया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सेंट्रल डेयरी फार्म का वार्षिक लाभ तथा हानि का ब्योरा

(१ नवम्बर, सन् १९४८ से ३१ मार्च, १९५५ तक)

वर्ष			ब्योरा रु०	आ०	पा०	
१९४८–४९	..	..	८६,३४०	१५	०	लाभ
१९४९–५०	..	..	५,४३२	६	६	लाभ
१९५०–५१	..	..	१३,४६६	६	६	लाभ
१९५१–५२	..	..	१,५५,३३१	९	५	हानि
१९५२–५३	..	..	१,८२,४८६	३	४	हानि
१९५३–५४	..	..	६,८२९	०	५	लाभ
१९५४–५५	..	..	२३,५६९	७	६	लाभ

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न संख्या १ से संबंधित सूची

फैजाबाद तहसील--

१--इलाहाबाद-फैजाबाद सड़क मील नं० ६१ से ६६ तक।
२--फैजाबाद-आजमगढ़ सड़क मील १ से २२ तक।
३--लखनऊ-गोरखपुर सड़क मील ५८ से ७२ तक।
४--गोसाईं गंज-रनोंवा सड़क मील १ से ४ तक।
५--देवकाली-जेल रोड मील १ से २ तक।
६--फैजाबाद-रायबरेली सड़क मील २ से १० तक।
७--मसौदा-सुचता गंज मील १ से ४ तक।

बीकापुर तहसील--

१--इलाहाबाद-फैजाबाद सड़क मील ७८ से ६० तक।
२--फैजाबाद-रायबरेली सड़क मील ११ से २७ तक।

अकबरपुर तहसील--

१--फैजाबाद-आजमगढ़ सड़क मील २३ से ४६ तक।
२--टांडा-अकबरपुर सड़क मील ७ से ११ तक।
३--जौनपुर-अकबरपुर सड़क मील ३१ से ५१ तक।

टांडा तहसील--

१--फैजाबाद-आजमगढ़ सड़क मील ४७ से ५९ तक।
२--टांडा-अकबरपुर सड़क मील १ से ६ तक।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

वाराणसीय संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने का विधेयक

बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करना और उसमें ऐसे कृत्यों को निहित करना आवश्यक है, जिनका निर्वहन सम्प्रति गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा राजकीय बोर्ड (State Board of Sanskrit Education) द्वारा किया जाता :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रारंभ ।

१—(१) यह अधिनियम वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है।

परिभाषाएं

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "संबद्ध कालेज" (affiliated college) का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हो ;

(ख) "छात्रावास" (hostel) का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम तथा परिनियमों (Statutes) के उपबन्धों के अनुसार संधारित (maintained) किसी संबद्ध कालेज के विद्यार्थियों के लिये रहने के किसी स्थान से है ;

(ग) "प्रबन्धक" (management) का तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा अन्य सस्था से है जिसे किसी संबद्ध कालेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized) किसी छात्रावास के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया (charged with) हो ;

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी संविधि (Statute) द्वारा नियत से है ;

(ङ) "आचार्य (principal) का तात्पर्य किसी संबद्ध कालेज के अध्यक्ष (head) से है ;

(च) "अभिज्ञात" (recognize) का उसकी सजातीय पदावलियों (cognate expressions) सहित, तात्पर्य इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों (Act, Statutes and Ordinances) के उपबन्धों के अनुसार अभिज्ञात से है;

(छ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम और संविधियों के उपबन्धों के अनुसार इस रूप मे पंजीकृत (registered) हुआ हो ;

(ज) "संविधियों अध्यादेशों और विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) का तात्पर्य तत्समय प्रचलित विश्वविद्यालय की क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों (Statutes, Ordinances and Regulations) से है ;

(झ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा अथवा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distnction) प्राप्त करने के लिये किसी पाठ्यक्रम को लेने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय में भरती हुआ हो;

(ञ) "अध्यापक" (teacher) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा अनुसंधान कार्यों (research) के संचालन अथवा निर्देशन (conducting or supervising) के लिये विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज द्वारा नियोजित (employed) किया गया हो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में नियोजित तो न हुआ हो किन्तु विश्वविद्यालय को परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिये अभ्यर्थियों (candidates) को तैयार तथा प्रस्तुत (preparing and presenting) करने के लिये परिनियमों द्वारा नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात (recognized) हो ;

(ट) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे विश्वविद्यालय से वेतन मिलता हो,

(ठ) "संबद्ध कालेज का अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे अध्यापक से है जो किसी संबद्ध कालेज द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसे उस कालेज से वेतन मिलता हो, और

(ड) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय से है।

विश्वविद्यालय

३—विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा उप-कुलपति और विश्वविद्यालय की संसद, कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा के प्रथम सदस्यगण और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् ऐसे पदाधिकारी अथवा सदस्य बनें, उस समय तक के लिये जब तक कि वे उक्त पद पर अथवा सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (hereby) वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संगठित किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय के अधिकार।

४—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन नियत की जाय, विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होंगे, अर्थात्-

(१) संस्कृत विद्या तथा संबद्ध विषयों में उपाधियां, डिप्लोमे तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टतायें स्थापित करना

(institute) और ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों अथवा विशिष्टताओं के लिये शिक्षण की व्यवस्था तथा परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमे और विशिष्टतायें प्रदान अथवा संप्रदान करना (confer or award) जो नियत शर्तों को पूरा करते हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को [महिला अथवा एतदर्थ अभिज्ञात (recognize) किसी संस्था के ऐसे अध्यापक को छोड़ कर, जो नियत की जाने वाली शर्तों को पूरी करता हो] तब तक कोई उपाधि न दी जायगी जब तक कि वह व्यक्ति उक्त उपाधि के लिये अभिप्रेत शिक्षण-पाठ्यक्रम (course of study) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध कालेज अथवा अभिज्ञात अध्यापक द्वारा उस परीक्षा के लिये प्रस्तुत न किया जाय ;

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट परीक्षाओं से भिन्न ऐसी परीक्षायें स्थापित करना (institute), जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे और उन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना, उनका आयोजन करना तथा उनके परीक्षाफल के आधार पर प्रमाण-पत्र (certificates) देना ;

(३) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से, स्वीकृत (approved) व्यक्तियों को सामान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना ;

(४) दान अथवा न्यास (gift or trust) के रूप में प्राप्त ऐसी संपत्ति अथवा निधियां ग्रहण करना जो उसे दी जायं, तथा दान अथवा न्यास की शर्तों के अनुसार उन पर कब्जा रखना, उनका प्रयोग करना तथा उनका हिसाब-किताब रखना, (hold, use and keep account of) ;

(५) ऐसे शुल्कों (fees) की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत किये जायं ;

(६) सरस्वती भवन पुस्तकालय (Saraswati Bhavan Library) का संधारण और संस्कृत तथा संबद्ध विषयों की ग्रंथ सूची (bibliography) रखना ;

(७) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) का स्थापित करना (institute) तथा इन पदों पर नियुक्तियां करना ;

(८) इस अधिनियम परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार पुरस्कार (award) तथा फेलोशिप, छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पारितोषिक (prizes) तथा पदक (medals) स्थापित करना,

(९) विश्वविद्यालय के छात्रों के रहने के लिये छात्रावासों का संधारण तथा विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों के विद्यार्थियों के रहने के लिये ऐसे छात्रावासों को अभिज्ञात (recognized) करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों ;

(१०) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से सहयोग करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे तथा अन्य समस्त ऐसी बातें और कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के प्रयोजन में अपेक्षित हों।

कालेजों को संबद्ध करना।

५—विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी भाग में स्थित संस्थाओं को संबद्ध कर सकता है और भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अध्यापकों को अभिज्ञात (recognize) कर सकता है तथा वहां के अभ्यर्थियों (candidates) को अपनी परीक्षाओं के लिये अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई संस्था किसी राज्य की सरकार द्वारा, संधारित हो तो उस सरकार की सहमति बिना विश्वविद्यालय उस संस्था में नियोजित किसी अध्यापक को अभिज्ञात (recognize) न करेगा।

पाठ्यक्रम

६—विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों तथा प्रमाण-पत्रों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम (courses of study) अध्यादेशों द्वारा और उनके अधीन रहते हुये विनियमों (regulations) द्वारा नियत किये जायेंगे।

निरीक्षण

७—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय और उसके भवनों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों (museums), वेधशालाओं (observatories) इत्यादि का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन-कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करवा सकती है ;

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यावय को अपना एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने अथवा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा ;

(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकती है तथा कुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दे, संसद तथा कार्यकारिणी सभा को ज्ञापित करेगा ;

(४) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, कार्यकारिणी सभा द्वारा की गयी अथवा प्रस्थावित कार्यवाही का प्रतिवेदन (report) और उस प्रतिवेदन पर यदि संसद ने कोई मत व्यक्त किया हो, तो उसे भी राज्य सरकार क पास भेज देगा.

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण, उचित अवधि के भीतर, राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते तो ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण दें, विचार करने के पश्चात् वह ऐसे आदेश जारी कर सकती है जिन्हे वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण ऐसे आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

संबद्ध कालेजों का निरीक्षण।

८—(१) राज्य सरकार, स्वतः अथवा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा की सिपारिश से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध कालेज, उसके भवन, पुस्तकालय अथवा छात्रावास और उस कालेज द्वारा किये जाने वाले अध्यापन कार्य का निरीक्षण और कालेज से संबंधित किसी विषय मे उक्त रीति से जांच करवा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा मे विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा और कालेज के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई (to be present and be heard) का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि उन व्यक्तियों मे भी सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों;

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय;

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करते तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे आदेश प्रचारित कर सकती है, जिन्हे वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा।

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।

९—विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगेः—

(१) कुलपति (Chancellor),
(२) उप-कुलपति (Vice-Chancellor),
(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer),
(४) प्रस्तोता (Registrar),
(५) ग्रन्थाध्यक्ष, (Librarian)
(६) छात्राध्यक्ष (Dean of Student of Welfare)
(७) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

१०—(१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगी जो शिक्षाविद् (educationist) अथवा संस्कृत या इंडोलाजी (Indology) कुलपति के विद्वान के रूप मे ख्याति प्राप्त हो। उसे कोई वेतन नहीं दिया जायगा;

(२) कुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो।

(३) कुलपति के पद की आकस्मिक रिक्ति में उसके पद के कर्त्तव्यों का संपादन, उस पद की पूर्ति किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे ;

(४) कुलपति अपने पद के कारण, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (Head) तथा संसद का सभापति (President) होगा और वह, उपस्थित रहने पर, संसद के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह (Convocation) का सभापतित्व करेगा ;

(५) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे दिये जायं ;

उपकुलपति

११—(१) उप-कुलपति, कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (२) में उद्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति यदि वह उचित समझे, इन नामों को अपनी आलोचनाओं (observations) के साथ समिति को वापस भेज सकता है तथा और नाम मंगवा सकता है और तब समिति उन नामों में ऐसे परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकेगी जो वह उचित समझे या उन्हीं नामों को फिर भेज सकेगी।

(२) तीन व्यक्तियों की एक समिति, जिसमें से एक-एक व्यक्ति कार्य-कारिणी सभा, शिक्षा सभा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा, ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें वह उचित समझे, कुलपति को उप-कुलपति की नियुक्ति के लिये तीन व्यक्तियों से अन्यून (not less than) नामों की सिफारिश करेगी जो संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान की अच्छी विद्वता रखते हों ;

(३) उपधारा (२) के अधीन सिफारिश किये गये नामों के साथ-साथ समिति कुलपति को एक ऐसा संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेगी जिसमें उसके द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यतायें तथा अन्य विशिष्टतायें (distinctions) दिखायी गयी हों ;

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी (Whole-time officer) होगा। उसे २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया जाय, मिलेगा और उसके लिये बिना किराया लिये सज्जित आवासित भवन (furnished residence) की भी व्यवस्था की जायेगी। उप-कुलपति के सेवा की अन्य शर्तें नियत की जायंगी और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

(५) उप-कुलपति पांच वर्ष के लिये पदासीन रहेगा और उक्त पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने अपने पद का कार्यभार न संभाल लिया हो ;

(६) उप-कुलपति किसी भी समय, कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि त्याग-पत्र, उस दिनांक से जब से वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले भेजना चाहिये ।

(७) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्यागपत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय

या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्त पद वर्ष से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति उसे उस रीति से भरेगा जिसकी उपधारा (१) में व्यवस्था की गयी है। अन्य दशाओं में कार्यकारिणी सभा, कुलपति के अनुमोदन के अधीन रहते हुये पद, तो उप-कुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है जो वह उचित समझे।

(८) जब तक कि उपधारा (१) या (७) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक प्रस्तोता उप कुलपति के पद के साम्प्रतिक (current) कर्त्तव्यों का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा।

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य।

१२—(१) उप कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में संसद के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (authority) या संस्था के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में मत देने का अधिकार न होगा ;

(२) उप कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करले कि अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३७ के अधीन उप-कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों ;

(३) उप कुलपति को संसद, कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकता है।

(४) उप कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और उनमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(५) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही कर सकता है और जहां कहीं आवश्यक हो उसे निलम्बित (suspend) भी कर सकता है। यदि उप कुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार—

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments) देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे, उसकी जांच करेगा।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उप-कुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी सभा को

प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उप-कुलपति तथा उसके साथ संयुक्त रूप से जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली सिपारिशों के संबंध में कोई मतभेद हो, तो सिपारिशें बहुमत के मतानुसार व्यक्त की जायंगी। कार्यकारिणी सभा प्रतिवेदन (report) में की गयी सिपारिशों के अनुसार--यदि वह उनसे असहमत नहीं है-- आज्ञा देगी। असहमत मत होने की दशा में कार्यकारिणी सभा अपनी सिपारिशों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेगा जिसे वह उचित और आवश्यक समझे ;

(७) किसी ऐसे आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ;

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो, १५ दिन के भीतर कार्यकारिणी सभा के समक्ष अपील कर सकता है ;

(९) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी सभा द्वारा दी गयी आज्ञाओं को, पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये उप कुलपति कार्यान्वित करेगा ;

(१०) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं।

कोषाध्यक्ष

१३--(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा :--

(क) कार्यकारिणी सभा यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी सभा में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो सभा इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी ; किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो सभा इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा चुनेगी।

(ग) यदि कार्यकारिणी सभा द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

(२) कोषाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय और वह अपने पद का कार्यभार संभाल न ले। यदि कोषाध्यक्ष अपने कार्य काल की समाप्ति के पहले ही पद त्याग करना चाहे तो वह उस दिनांक से जिस पर वह कार्य-भार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले कुलपति के पास अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(३) कोषाध्यक्ष की पदावधि की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा नियत की जायंगी, जिनमे उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(४) यदि कोषाध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाय या यदि किसी अप्रत्याशित (unforeseen) कारण से उक्त पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाय तो प्रस्तोता उक्त पद के सांप्रतिक (current) कर्त्तव्यों का संपादन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि कोई नियुक्ति न हो जाय। यदि रिक्ति छः मास से कम की हो या उसके छः मास से कम की होने की संभावना हो, तो कार्यकारिणी सभा कुलपति द्वारा पुष्टीकरण के अधीन रहते हुये, स्थानापन्न नियुक्ति (Officiating appointment) कर सकेगी। यदि रिक्त स्थायी हो या उनके छः मास से अधिक की अवधि के लिये होने की संभावना हो, तो नियुक्ति उपधारा (१) मे उल्लिखित रीति से की जायगी।

(५) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी सभा का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा लगायी हुई धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देगा। वह बजट तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (धन लगाने के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में) कोई ऐसा व्यय न किया जाये जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जो किसी परिनियम या अध्यादेश के निबंधों का उल्लंघन करे, या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो किन्तु की न गई हो।

प्रस्तोता।

१४—(१) प्रस्तोता विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और परिनियमों मे उल्लिखित रीति से संगठित निर्धारण समिति की सिपारिश पर कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) प्रस्तोता की उपलब्धियां (emoluments) अध्यादेशों द्वारा नियत की जायंगी।

(३) प्रस्तोता विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह संसद, कार्यकारिणी सभा, शिक्षा सभा, निर्धारण समितियों तथा परामर्श समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये वाध्य होगा जो कार्यसंपादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं अथवा समय समय पर कार्यकारिणी सभा अथवा उप-कुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे संसक्त समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रस्तोता को विश्वविद्यालय में या अन्यत्र किये गये किसी कार्य के लिये ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

ग्रन्थाध्यक्ष।

१५—ग्रन्थाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संस्कृत तथा अन्य संबद्ध विषयों की ग्रंथ सूची (bibliography) रखे।

पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य।

१६—विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, उस दशा के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गई हो, नियमों और अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

१७—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(१) संसद (Senate)।
(२) कार्यकारिणी सभा (Executive Council)।
(३) शिक्षा सभा (Academic Council)।
(४) परामर्श सभा (Committee of Reference)।
(५) निर्धारण समिति (Selection Committee)।
(६) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

१८—(१) संसद निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।

प्रथम श्रेणी-पदेन सदस्य (ex-officio members)

(१) कुलपति।
(२) उपकुलपति।
(३) कोषाध्यक्ष।
(४) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री।
(५) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश।
(६) उत्तर प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक।
(७) प्रस्तोता।
(८) ग्रंथाध्यक्ष।
(९) कार्यकारिणी सभा तथा शिक्षा सभा के सदस्य जो अन्यथा संसद के सदस्य न हों।
(१०) विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों (Departments of Teaching) के समस्त अध्यक्ष (Heads)।

(११) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों मे संस्कृत शिक्षण विभागों के अध्यक्ष।

(१२) ऐसे अन्य व्यक्ति, उन पदों के संबंध में जिन पर वे आसीन हों, जो नियत किये जायं।

द्वितीय श्रेणी—आजीवन सदस्य (life members)

(१२-क) बनारस के महाराजा अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति।

(१३) ऐसे व्यक्ति, जिनकी संख्या किसी भी समय पांच से अधिक न होगी, जिन्हें संस्कृत के विद्वान होने के नाते अथवा संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं की मान्यता के कारण, कुलपति, संसद की सिपारिश से, नियुक्त करे।

(१४) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजन के लिये २५,००० रुपये से अन्यून मूल्य के दान (donations) किये हों।

तृतीय श्रेणी—अन्य सदस्य

(१५) राज्य विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य।

(१६) राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य।

(१७) पंजीकृत स्नातकों (Registercd Graduates) के ऐसे प्रतिनिधि जिनके पास आचार्य से कम की उपाधि न हो।

(१८) ऐसे संगठनों (associations), व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की ऐसी संस्थाओं द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि जो नियत की जाय दान (donations) अथवा वार्षिक चन्दों (annual subscriptions) के रूप में देती हों, की जाय।

(१९) उपर्युक्त संख्या (१४) तथा (१८) में निर्दिष्ट दान दाताओं (donors) से भिन्न दान दाताओं (donors) के प्रतिनिधि।

(२०) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी के सदस्यों में सम्मिलित अध्यापकों से भिन्न) तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कार्य संचालकों (functionaries) के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं।

(२१) संस्कृत शिक्षा में अभिरुचि रखने वाली ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं।

(२२) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने वाले सात से अनधिक सदस्य, जिनमें से चार सम्बद्ध कालेजों (affiliated colleges) के अध्यापक अथवा उनके प्रबन्धकों के सदस्य (members of the managements) होंगे।

(२) सदस्यों की कुल संख्या पदेन सदस्यों (ex officio members) ो सम्मिलित तथा आजीवन सदस्यों को अपवर्जित करके—१०० से अधिक न ोगी।

(३) उपधारा (१) की मद (items) (१७) से लेकर (२१) तक में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति निर्वाचन तथा नाम निर्देशन की रीति और उनका कार्यकाल, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित रीति को छोड़कर वही होगा जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय।

(४) संसद पदेन अथवा आजीवन सदस्यों से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है जो बिना पर्याप्त कारण के लगातार उसके तीन अधिवेशनों (meetings) में अनुपस्थित रहा हो।

संसद का अधिवेशन।

१६—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप कुलपति निश्चित करेगा, संसद का एक अधिवेशन होगा, जो संसद का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उपकुलपति जब भी उचित समझे संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और ऐसी लिखित अधियाचना (requisition) पर, जिस पर संसद के ४० से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह ऐसा अवश्य करेगा।

संसद के अधिकार और कर्त्तव्य।

२०—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संसद निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्

(क) परिनियम (Statutes) बनाना;

(ख) अध्यादेशों (Ordinances) पर विचार करना तथा उन्हे रद्द करना।

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report) वार्षिक लेखा, बजट तथा विश्वविद्यालय से संसक्त सामान्य नीति संबंधी किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना;

(२) संसद ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जायं अथवा उस पर आरोपित (imposed) किये जायं।

कार्यकारिणी सभा

२१—कार्यकारिणी सभा विश्वविद्यालय की कार्यपालिका संस्था (executive body) होगी इसका संगठन तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि परिनियमों (Statutes) द्वारा निश्चित की जायगी।

कार्यकारिणी सभा के अधिकार और कर्त्तव्य।

२२—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी सभा के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति, धर्मस्वों (endowments) तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके विषय में सामान्य आदेश (general directives) प्रचारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों (assets and funds) के समुचित लेखे (accounts) रखना;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना;

(घ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administer);

(ङ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(च) संबद्ध परिनियमों तथा अध्यादेशो के अनुसार फेलोशिप (fellowships), छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्र वृत्तियां (bursaries) पदक (medals) तथा अन्य पारितोषिक (rewards) प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनको सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन;

(झ) संबद्ध कालेजों तथा छात्रावासो और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उनका निर्देशन;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन;

(ट) परिनियमों मे निर्दिष्ट रीति से तथा शर्तों के अनुसार कालेजों को संबद्ध करने को स्वीकृति देना अथवा ऐसी सम्बद्धता (affiliature) को वापस लेना;

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संसक्त सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine);

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा दिये गये अथवा आरोपित किये गये हों ।

(२) कार्यकारिणी सभा विश्वविद्यालय के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(३) कार्यकारिणी सभा प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे किये जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्तक (recurring and non-recurring) व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय न करेगी जो परामर्श समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों ।

(४) शिक्षा सभा के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यकारिणी सभा अध्यापकों की संख्या योग्यताओं एवं उपलब्धियों तथा परीक्षकों को देय शुल्क के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

(५) कार्यकारिणी सभा संसद् के संकल्पों पर यथोचित् विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना संसद् को देगी । यदि किसी दशा मे कार्यकारिणी सभा किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने मे असमर्थ हो तो वह संसद् को उसके कारणों के संबंध मे सूचित करेगी ।

शिक्षा सभा ।

२३—(१) शिक्षा सभा विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (academic body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों

के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये गये हों उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (all academic matters) पर कार्यकारिणी सभा को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(२) शिक्षा सभा का संगठन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्य-काल परिनियमों द्वारा नियत किया जायगा ।

परामर्श समिति ।

२४—(१) परामर्श समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

(१) उपकुलपति,

(२) कोषाध्यक्ष,

(३) संसद के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी सभा के सदस्य अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज (affiliated college) अथवा छात्रावास के कर्मचारी (employees) न हों तथा जिन्हें संसद एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करे,

(४) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति ।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति तथा प्रस्तोता सचिव होगा ।

(३) परामर्श समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्त्तक (recurring) तथा अनावर्त्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं ।

(४) परामर्श समिति किसी विशेष कारण से (जो अभिलिखित किया जायगा) वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो ।

शिक्षण-पाठ्यक्रम विभाग तथा पाठ्यक्रमों की समितियां ।

२५—(१) विश्वविद्यालय शिक्षण के ऐसे विषयों के पाठ्य-क्रम नियत करेगा तथा उनमें परीक्षायें लेगा जो अध्यादेशों में उल्लिखित हों ।

(२) विश्वविद्यालय में ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण विभाग होंगे । परिनियमों तथा अध्यादेशों में क्रमशः शिक्षण विभागों के नाम तथा प्रत्येक विभाग के लिये निर्धारित अध्ययन के विषय या विषयों का उल्लेख होगा ।

(३) विभाग के अध्यक्षों (Heads) की नियुक्ति की रीति, उनके कर्त्तव्य अधिकार तथा कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी ।

(४) अध्ययन के एक या एकाधिक विषयों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में पाठ्य-क्रम तथा शिक्षण समितियां (committees of courses and studies) स्थापित की जायंगी । समितियों के संगठन की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी ।

२६—(१) विश्वविद्यालय अपने छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी प्रबन्धों की देख रेख एवं उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की अभिवृद्धि के लिये एक छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना करेगा। छात्र-कल्याण परिषद्।

(२) परिषद् के संगठन (constitution) तथा उसके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी।

(३) छात्राध्यक्ष परिषद् का सभापति (Chairman) होगा।

२७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जायगी— परिनियम।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनका अपने पद पर बना रहना, तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त अधिकारियों से सम्बद्ध अन्य सभी विषय;

(ग) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वेधशालाओं, संस्थाओं तथा छात्रावासों का स्थापन एवं संधारण (institution and maintenance);

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation), भरती की रीति, अधिकार तथा कर्तव्य;

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी भरती की रीति;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि (provident fund) का संगठन तथा बीमा योजना की स्थापना;

(छ) उपाधियों तथा डिप्लोमों का स्थापन;

(ज) सम्मान उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(झ) उपाधियों, डिप्लोमों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(ञ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज सम्बद्ध (affiliated) किये जा सकते हैं अथवा अध्यापकों को अभिज्ञात किया जा सकता है, अथवा उक्त सम्बद्धता (affiliation) या अभिज्ञा (recognition) को वापस लिया जा सकता है;

(ट) पंजीकृत स्नातकों की पंजी का रखा जाना;

(ठ) दीक्षान्त समारोह (convocation) का आयोजन;

(ड) फेलोशिप, छात्र वृत्तियों निर्धन-छात्र वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों का स्थापन, तथा

(ढ) अन्य सभी विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो।

परिनियमों का बनाया जाना।

७८—(१) प्रथम परिनियम (Statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे तथा उनका पांडुलेख (draft) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष दस दिन तक रखा जायगा, और वे ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों के अधीन प्रभावशील होंगे जो विधान मंडल उनमें करे।

(२) परिनियम आगे दी हुयी रीति से संसद द्वारा निर्मित परिनियमों द्वारा संशोधित, निरस्त (repealed) अथवा परिवर्द्धित किये जा सकते है,

(३) संसद स्वतः किसी परिनियम के पांडुलेख पर विचार कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) ऐसे परिनियम की दशा मे, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर पड़ता हो, परिनियम का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायगा और यदि राज्य सरकार उस पर आपत्ति करे तो वह परिनियम संविधि नहीं बनाया जायगा, तथा

(ख) ऐसे परिनियम को दशा मे जिसका प्रभाव किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा बोर्ड के अधिकारों या कर्तव्यों पर पड़ता हो, संसद् कार्यकारिणी सभा के मत तथा संबद्ध व्यक्ति अथवा संस्था के प्रतिवेदन (report) पर विचार करेगा ।

(४) कार्यकारिणी सभा संसद द्वारा पारित किये जाने के लिये किसी परिनियम का पांडुलेख संसद् को प्रस्तावित कर सकती है। संसद अपने अगले अधिवेशन में ऐसे पांडुलेख पर विचार करेगी। संसद ऐसे पांडुलेख अनुमोदित कर सकती है, और परिनियम को पारित कर सकती है, अथवा उसे अस्वीकृत कर सकती है या कार्यकारिणी सभा को पुनः विचार के लिये पूरे पांडुलेख को या उसके किसी भाग को, ऐसे संशोधनों के साथ जिनका संसद् सुझाव दे, वापस कर सकती है। संसद् द्वारा सुझाये गये (suggested) संशोधनों सहित इस प्रकार वापस किये गये पांडुलेख पर कार्यकारिणी सभा द्वारा और अधिक विचार कर लिये जाने पर उसे कार्यकारिणी सभा के प्रतिवेदन के साथ संसद के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायगा। तब संसद् उस पांडुलेख पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह उचित समझे।

(५) यदि कोई परिनियम संसद् द्वारा पारित किया गया हो अथवा परिनियम का पांडुलेख संसद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो तो वह कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा। कुलपति परिनियम अथवा पांडुलेख को और अधिक विचार के लिये संसद् के पास वापस भेज सकता है या यदि संसद् उस परिनियम को पुनः पारित कर दे तो वह उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी स्वीकृति रोक सकता है।

(६) संसद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस समय तक वैध न होगा जब तक उस पर कुलपति अपनी स्वीकृति न दे दे।

(७) कार्यकारिणी सभा के किसी ऐसे परिनियम की पांडुलिपि अथवा परिनियम के संशोधन की पांडुलिपि का प्रस्ताव, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की आय और व्यय पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक कि उसका पांडु लेख

राज्य सरकार को प्रस्तुत न किया जा चुका हो, और राज्य सरकार ने उस पर अपनी सहमति न दे दी हो, अथवा ऐसे परिनियम के पांडुलेख का प्रस्ताव जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की स्थिति (status) अधिकार अथवा संगठन (constitution) पर पड़ता हो, तब तक न करेगी जब तक उक्त प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर ऐसे प्राधिकारी को न दे दिया जाय। इस प्रकार प्रकट की हुई राय लिखित रूप में होगी, उस पर संसद् विचार करेगी तथा वह कुलपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्यादेश

२६—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुमति इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गयी हो, तथा किसी अन्य विषय की, जिसके लिये कार्यकारिणी सभा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolments) और उनका इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन उपाधि (degree) डिप्लोमा तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे इस बात के पात्र समझे जायेंगे कि उन्हें उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान किये जा सकें;

(घ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें तथा विश्व-विद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों में आवास के लिये शुल्कों का लगाया जाना;

(ङ) विद्यार्थियों के लिये ऐसे छात्रावासों तथा अन्य आवासिक स्थानों की अभिज्ञा (recognition) जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हो;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हतायें (qualifications) उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत निवृत्ति की वय (age of retirement) भी है] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार किया जाना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिया जा सके।

(ज) विश्वविद्यालय में शिक्षण-विभागों का खोला जाना तथा उनके लिये अध्ययन के विषय निर्धारित किया जाना;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderaters) की नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति की रीति तथा उनके

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को जायंगे जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति (scholarships), विद्यार्थी वृत्ति (studentships) निर्धन-छात्र वृत्ति, पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय ।

अध्यादेश कैसे बनाये जायंगे ।

३०—(१) सिवाय उस दशा के जब इस धारा में कोई अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, अध्यादेश कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे सभा निर्दिष्ट करे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा जिससे—

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडु लेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो ;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश अथवा किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़े, या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये पाठ्यक्रम या परीक्षा में प्रवेश के लिये अपेक्षित अर्हताओं को निर्धारित करे या उन पर प्रभाव डाले, या जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की रीति या उनके कर्तव्यों पर अथवा किसी परीक्षा के संचालन अथवा स्तर (standard) पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख शिक्षा सभा ने प्रस्तावित या पहले ही अनुमोदित न किया हो;

(२) कार्यकारिणी सभा को शिक्षा सभा द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने [illegible] अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी सभा सुझाव दे, शिक्षा सभा के पास पुर्नविचार के लिये लौटा सकती है ।

(३) कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश यथासंभव शीघ्र, कुलपति और संसद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और संसद् उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगी । संसद् को संकल्प द्वारा जो उक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से शून्य (void) हो जायगा ।

(४) कुलपति संसद् द्वारा, किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय संसद् तथा कार्यकारिणी सभा को यह सूचना दे सकता है कि उसने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और प्रस्तोता द्वारा उक्त अनुज्ञा

के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायगा।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्त्तन (operation) उस समय तक निलम्बित (suspended) रहेगा जब तक कि उसे अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलम्बन की आज्ञा, ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या संसद् द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायगी।

(६) यदि कार्यकारिणी सभा ने शिक्षा सभा द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो, तो कार्यकारिणी सभा संसद् के समक्ष अपील कर सकती है और संसद् कार्यकारिणी सभा के विचार प्राप्त करने के पश्चात् यदि वह पांडुलेख को अनुमोदित करे, अध्यादेश बना सकती है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकती है। यदि कुलपति अध्यादेश पर अनुमति देता है तो प्रस्तोता को ऐसी अनुमति प्राप्त होने के दिनांक से वह अध्यादेश प्रभावी हो जायगा।

विनियम

३१--(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी तथा परिषद इस अधिनियम परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (Regulations) बना सकती हैं, जिनमें—

(क) उसके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जायगी;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जायगी, जो इन अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा नियत किये जाने वाले हों; और

(ग) किसी अन्य ऐसे विषय की व्यवस्था की जायगी जो केवल उक्त प्राधिकारी या परिषद् से सम्बन्ध रखता हो और जिसके लिये इस अधिनियम, परिनियमों, अथवा अध्यादेशों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनायेगा, जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों का, जिन पर अधिवेशन होंगे, और उस कार्य का जिस पर अधिवेशन में विचार किया जायगा, नोटिस देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अधिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी सभा, संसद् से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम को उस रीति से संशोधित किये जाने का आदेश दे सकती है जिसे वह निर्दिष्ट करे अथवा उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का आदेश दे सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्राधिकारी या परिषद् जो उक्त किसी आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकती है और इस विषय में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(४) कार्यकारिणी सभा विनियम बनायेगी, जिनमें विश्वविद्यालय की विभिन्न परिक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे किन्तु कोई ऐसा विनियम तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि शिक्षा सभा ने उसके पांडुलेख

को प्रस्तावित या पहले से अनुमोदित न कर लिया हो। कार्यकारिणी सभा शिक्षा सभा से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती। किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है या अपने सुझावों सहित उसे शिक्षा सभा को और अधिक विचार करने के लिये लौटा सकती है।

(५) ऐसे विषयों के सम्बन्ध में कोई विनियम नहीं बनाया जायगा, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था की जाने वाली है।

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

३२—(१) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने का पात्र न होगा जब तक कि उसने गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस की मध्यमा परीक्षा या ऐसी परीक्षा पास न कर ली हो, जिसे विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उस मध्यमा परीक्षा के समकक्ष स्थापित या अभिज्ञात कर लिया हो और वह ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें (यदि कोई हों) न रखता हो जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, जो किसी उपाधि के निमित्त पाठ्यक्रम अपनाने के लिये विश्वविद्यालय में नामांकित (enrolled) हुआ हो, जब तक उपकुलपति द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो, छात्रावास में या छात्रों के रहने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात किसी अन्य आवास में रहेगा।

परीक्षाएं

कार्यका

आदेश (directions) जारी कर सकती है तथा वह उसके लिये परीक्षक तथा अन्य कार्य संचालक (functionaries) नियुक्त करेगी।

(२) यदि कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त कोई परीक्षक किसी कारण से उक्त कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति ऐसी रिक्ति को भरेगा।

(३) विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के निमित्त अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त किये गये परीक्षकों की यथासम्भव लगभग आधी संख्या उन व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी कालेज की सेवा में न हों।

३४—(१) कार्यकारिणी सभा प्रति वर्ष विश्वविद्यालय के कार्य संचालन का एक प्रतिवेदन (report) तैयार करवायेगी जिसमें नियत किये जाने वाले अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित के सम्बन्ध में भी सूचना दी जायगी—

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रमों को लेने के लिये विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कालेजों में उस वर्ष भर्ती किये गये छात्रों की संख्या;

(ख) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों (candidates) की संख्या और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या; और

(ग) छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुशासन से सामान्यतः सम्बद्ध कार्यवाहियां।

(२) उस दिनांक को या उसके पूर्व जो नियत किया जाय संसद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत किया जायगा और तत्पश्चात् संसद् अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी। उसके संबंध में संसद् जो भी संकल्प पारित करेगी वह कार्यकारिणी सभा को भेज दिया जायगा और कार्यकारिणी सभा, जब तक वह संसद् को अन्यथा सूचित न करे, उसमें वांछित कार्यवाही करेगी।

(३) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि और संसद् का संकल्प यदि कोई हो, तथा उस पर कार्यकारिणी सभा का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

वार्षिक लेखे और बजट।

३५--(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (annual accounts) और आय-व्यय का विवरण (balance-sheet) कार्यकारिणी सभा के आदेश (direction) के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य (accruing) या प्राप्त हुयी समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायेगी।

(२) लेखे और आय-व्यय के विवरण की एक-एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी, जो उत्कृष्ट कोटि (high standing) के लेखा परीक्षकों (auditors) द्वारा उसकी लेखा परीक्षा करायेगी।

(३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी सभा द्वारा संसद् और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(४) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विषय में यह पता चले कि उसने बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये (in violation of) कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि की भरपाई (reimburse) करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी सभा ३१ अगस्त या किसी अन्य दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष के वित्तीय अनुमानों (financial estimates) को भी जिन्हें इस अधिनियम में बजट कहा गया है, तैयार करेगी।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो परिनियमों द्वारा नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और जिसे बजट में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी सभा द्वारा परामर्श समिति को अभिदिष्ट (referred) की जायगी, जो उसके संबंध में अपनी सिपारिशें कर सकेगी।

(७) परामर्श समिति की सिपारिशों पर (यदि कोई हों) विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी सभा बजट को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन सिपारिशों सहित संसद् को प्रस्तुत करेगी।

(८) वार्षिक लेखे और बजट पर संसद् अपने वार्षिक अधिवेशन मे विचार करेगी और इसके संबंध मे संसद् संकल्प पारित कर सकेगी और उसकी सूचना कार्यकारिणी सभा को दे सकेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन परामर्श समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के संबंध मे कार्यकारिणी सभा और परामर्श समिति मे मतभेद हो, तो उसके संबंध मे संसद् का निर्णय अंतिम होगा ।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन उपलब्ध किसी निधि मे से कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति या कार्यकारिणी सभा के लिये यह वैध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे, जिसकी बजट मे स्वीकृति न दी गयी हो ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना ।

३६—(१) संसद्, कार्यकारिणी सभा के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की सिपारिश पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातक पंजी (register of graduates) में से हटा सकती है ।

(२) संसद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या परिषद् की सदस्यता से किसी व्यक्ति को इस आधार पर हटा सकती है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष (convicted) हुआ है जो संसद् के मतानुसार नैतिक पतन (moral turpitude) संबंधी कोई गंभीर अपराध है या वह अपवादजनक आचरण (scandalous conduct) का दोषी है अथवा उसने किसी ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्व-विद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है । संसद् इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय या संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स बनारस के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र भी वापस ले सकती है ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं के संगठन के संबंध में विवाद ।

३७—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य संस्था का यथावत् सदस्य निर्वाचित, नियुक्त अथवा अनुमेलित (co-opted) हुआ है या नहीं, या वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय का अथवा उसके किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं तो वह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति ।

३८—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी (authority) अथवा अन्य संस्था के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) के पदों के संबंध में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति सुविधानुसार यथासंभव शीघ्र उस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ है नियुक्त निर्वाचित अथवा अनुमेलित किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या अनुमेलित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा संस्था का उस कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य बना रहेगा, जिसके लिये पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता ।

(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का किसी अन्य संस्था के, चाहे वह विश्वविद्यालय की हो अथवा बाहर की, प्रतिनिधि

के रुप मे सदस्य हो तब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के पद पर बना रहेगा, जब तक वह उस संस्था का सदस्य रहे, जिसके द्वारा वह नियुक्त अथवा निर्वाचित किया गया था और तत्पश्चात् उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथावत् नियुक्त न हो जाये ।

३९—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य संस्था का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इसी कारण से अवैध न होगी कि उसके सदस्यों के स्थानों मे कोई रिक्ति थी या इस कारण से भी अवैध न होगी कि कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया था जिसके संबंध मे बाद मे यह पता चला कि वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था ।

कुछ दशा मे विश्वविद्यालय की संस्थाओं की कार्यवाहियों का अवैध न किया जाना ।

४०—(१) विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध कालेजों के अध्यापक नियत किये जाने वाली रीति से नियुक्त किये जायेंगे, तथा नियत की जाने वाली रीति से तथा शर्तो पर पदासीन रहेंगे । विश्वविद्यालय अध्यापकों को परिनियमों में उल्लिखित रीति से अभिज्ञात करेगा ।

अध्यापक

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा, जो विश्वविद्यालय मे रखी जायगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक को दे दी जायगी ।

पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें ।

(३) विश्वविद्यालय तथा उसके किसी अधिकारी अथवा अध्यापक के बीच किये गये संविदे के संबंध मे कोई विवाद उठ खड़ा होने पर, संबद्ध अध्यापक अथवा अधिकारी की प्रार्थना पर अथवा विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर उसे एक ऐसे मध्यस्थ, न्यायाधिकरण (tribunal of Arbitration) को अभिदिष्ट किया जायगा, जो कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नाम-निर्देशित एक सदस्य, तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिलकर बना होगा और ऐसे न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

४१—(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग (clerical staff) तथा सेवकों के लाभ के लिये ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तो के अधीन जो नियत की जायं, ऐसे निवृत्ति-वेतन (pension), बीमे तथा भविष्य निधि (provident fund) का संगठन करेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

निवृत्ति-वेतन तथा भविष्य निधि ।

(२) यदि उक्त किसी योजना अथवा भविष्य निधि का पूर्वोक्त प्रकार से संगठन किया गया हो अथवा यदि उस योजना अथवा भविष्य निधि का संगठन किसी सम्बद्ध कालेज ने, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन, किया हो तो राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९२५, के उपबन्ध ऐसी निधि पर उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानों वह सरकारी भविष्य निधि (provident fund) हो ।

४२—(१) सम्बद्ध कालेज वे होंगे जिनके नामों का उल्लेख परिनियमों में किया जाय ।

सम्बद्ध कालेज

(२) किसी सम्बद्ध कालेज के लिये यह वैध होगा कि वह उसी स्थान में स्थित अन्य किसी सम्बद्ध कालेज अथवा विश्वविद्यालय के साथ शिक्षण-कार्य में सहयोग करने का प्रबन्ध कर ले ।

(३) किसी सम्बद्ध कालेज की सम्बद्धता (affiliation) की शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं अथवा जो कार्यकारिणी सभा द्वारा आरोपित की जायं ।

(४) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर सम्बद्ध कालेज के प्रबन्धक कालेज के कार्यों का प्रबन्ध करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये स्वाधीन होंगे तथा उसके संधारण तथा सुव्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक ऐसे कालेज का आचार्य (principal) उसमें समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) किसी संम्बद्ध कालेज का समय समय पर (at intervals) नियत रीति से निरीक्षण किया जायगा तथा उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन कार्यकारिणी सभा को दिया जायगा ।

(६) कार्यकारिणी सभा, राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति से किसी संबद्ध कालेज की संबद्धता (affiliation) वापस ले सकती है यदि प्रवन्धकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् उसको संतोष हो जाय कि कालेज ने अपनी संबद्धता (affiliation) की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने अथवा अपने कार्यों के संबंध में कार्यकारिणी सभा द्वारा बतायी गयी त्रुटियां दूर करने मे बराबर चूक करता रहता है ।

सरकारी पदाधिकारियों के प्रति अभिदेश का अर्थ, उनके पद-नाम (Designation) के परिवर्तित होने की दशा में इस प्रकार लगाया जायगा मानों वह अभिदेश तदनुरूप (corresponding) पदाधिकारियों के लिए हों ।

४३—यदि इस अधिनियम अथवा परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के किसी उपबन्ध में किसी सरकारी अधिकारी का अभिदेश (reference) उसके पद-नाम से किया गया हो, तो उस पद नाम के परिवर्तित हो जाने अथवा उस पद के तोड़ दिये जाने की दशा मे उक्त अभिदेश का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उक्त अभिदेश परिवर्तित पद-नाम के लिये अथवा यथा स्थिति, ऐसे तदनुरूप (corresponding) अधिकारी के लिये हो, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

४४—इस अधिनियम, नियमों तथा अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस अथवा अगवर्नमेंट संस्कृत कालेज की परीक्षाओं के लिये अभिज्ञात किसी अन्य कालेज के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उक्त संस्कृत कालेज की आचार्य या शास्त्री परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा हो या उनमें बैठने का पात्र हो, उक्त परीक्षाओं की तैयारी के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी और विश्वविद्यालय उक्त परीक्षाओं के निमित्त अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रचलित रही हो ऐसे छात्रों की परीक्षा के लिये व्यवस्था करेगा ।

८५—गवर्न्मेंट संस्कृत कालेज, बनारस, सरस्वती भवन नामक पुस्तकालय मोहिन विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित तथा उसमें विलीन हो जायगा।

प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति।

४६—इस अधिनियम या परिनियमो में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार के लिये वह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय एक उपकुलपति नियुक्त करे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कुल तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिये पदासीन रहेगा, जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे और वह इस अधिनियम के अधीन उप-कुलपति के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा उसके समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द की प्रथम नियुक्ति।

४७—(१) उस समय जब तक विश्वविद्यालय के एतदर्थ अधिकृत प्राधिकारी यथावत् संगठित न हो जायं और जब तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा अध्यापक नियुक्त न कर लिये हों—

(क) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स का रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का प्रस्तोता होगा;

(ख) सरस्वती भवन पुस्तकालय का लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय का ग्रन्थाध्यक्ष होगा;

(ग) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस के अध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापक होंगे; और

(घ) कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष होगा।

कठिनाइयों का निवारण।

४८—राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में तथा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति या संगठन में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारण के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में (by way of modification, addition or omission) जिन्हें वह आवश्यक और उचित समझे, प्रभावी होगा और वह ऐसी किसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अठारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

इस प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की निरन्तर मांग रही है। तीन वर्ष पूर्व बनारस में हुये संस्कृत-विश्व-परिषद् के प्रथम अधिवेशन में इसके लिये आवाज उठाई गई थी, तथा अभी हाल ही में लखनऊ में हुये उसके द्वितीय अधिवेशन में भी यह आशा व्यक्त की गयी थी कि बनारस में प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय अगले वर्ष जुलाई से अपना कार्यारम्भ कर देगा।

हमारे राष्ट्र की संस्कृति की संरक्षिका तथा इस देश की राजभाषा हिन्दी की जननी, दोनों ही रूपों में संस्कृत का महत्व सर्वविदित है। देश की राष्ट्रभाषा होने के नाते हिन्दी को अनेकानेक नये प्रयोजनों की पूर्ति करनी है। फलतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हिन्दी को अपना शब्द भांडार भरने के निमित्त बहुत काल तक संस्कृत का आश्रय लेना होगा। संस्कृत के वाङ्मय एवं साहित्य में ज्ञान की अमूल्य रत्न राशियां बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से अधिकांश की तो अभी तक शोध ही नहीं हो पायी है। आधुनिक ढंग पर उनका अनुसंधान होना शेष है। संस्कृत शिक्षा की ओर से लोगों की रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है और इस प्रवृत्ति को रोकना तथा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति सर्वाधिक विश्वविद्यालय द्वारा ही हो सकती है।

संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं में गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस का स्थान प्रमुख रहा है। देश के सभी भागों के अभ्यर्थी इसकी परीक्षाओं में बैठते हैं तथा इसकी उपाधियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सरकार का विचार है कि इसके स्तर को ऊंचा उठाकर इसे एक शिक्षक तथा संबद्धक (affiliating) विश्वविद्यालय बना दिया जाय, जिसे अपने कार्यों को आगे बढ़ाने तथा उन्हें नियोजित करने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहे। विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इसके कुलपति तथा उपकुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों, जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों का संचालन आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा साथ ही संस्कृत शिक्षा की परम्परानुगत प्रणाली में विद्यमान विशेषताओं से भी लाभ उठाया जा सके।

अतएव वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

हरगोविंद सिंह,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १६५५

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १६३६ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिए यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १६३६ संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष मे निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

१—(१) यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १६५५ कहलायेगा :

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट १०, १६३६ के प्रीऐम्बल का संशोधन।

२—यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १६३६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रीएम्बुल मे—

(क) शब्द "medicine" के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द " and to control the sale of medicinal herbs and drugs " निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १६३६ मे कुछ शब्दों को स्थानापन्न रूप मे रखना (Substitution)

३—मूल अधिनियम में :—

(क) लम्बे शीर्षक में, प्रीऐम्बुल मे अथवा धारा १ और ४ के अतिरिक्त अन्य किसी भी धारा में, जहां जहां भी शब्द " Indian medicine " अथवा "Indian systems of medicine" आये है उनके स्थान पर शब्द "Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" रख दिये जायं;

(ख) शब्द "Government" के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायं;

(ग) जहां कहीं भी शब्द "Chairman" आया है उसके स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय ; और

(घ) जहां कहीं भी शब्द "Surgeon" "Surgeons" "mid-wife" या "Mid-wives" आये है उन्हें निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १६३६ की धारा २ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २ में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (iii-*a*) तथा (iii-*b*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(iii-*a*) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

"(iii-*b*) "Faulty" means "Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" constituted under section 36-A:

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President)—

Constitution of the Board.

(i) a President to be nominated by the State Government;

(ii) five members to be nominated by the State Government;

(iii) one member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine;

(iv) two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board:

(v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board: and

(vi) nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaids and Hakims, respectively, of Uttar Pradesh.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १० का संशोधन:

६—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall be removable by the State Government alone."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १२ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"12. (1) Any elected member may at any time resign his office by a letter addressed to the President. Such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Board.

Resignation of a member of President.

(2) A President or a member nominated under sub-section (1) of section 5 wishing to resign may tender his resignation to the State Government under intimation to the Board. Such resignation, when accepted, shall be published in the Official *Gazette* and shall take effect from the date notified therein."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १४ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १५ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १८ का संशोधन।

"18. The quorum of the Board shall be 8 members, but subject thereto the Board may act notwithstanding any vacancy in their number :

Quorum for meeting of the Board.

Provided that at an adjourned meeting all business postponed at the original meeting for want of quorum may be transacted if not less than five members are present."

११—मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २१ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) से शब्द "not exceeding the allowances payable to the members of the State Legislature" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा २५ मे शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और "Vaidyas" शब्द के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २५ का संशोधन।

१४—वर्तमान धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २७ का संशोधन।

27. (1) Every person possessing the qualifications mentioned in the Schedule shall, subject to the provisions contained in or made under this Act and upon payment of such fees, whether in a lump sum or periodically, as may be prescribed, be entitled on an application made to the Registrar, to have his name entered in the Register. When the name of a person has been registered in accordance with the provision aforesaid he shall be granted a certificate in the prescribed form.

Persons entitled to be registered.

(2) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to enter his name in the Register or to make any entry therein may, within ninety days of such refusal, appeal to the Board.

(3) The appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

(4) The Board may, on it own motion or on the application of any person, cancel or alter any entry in the Register or order any entry in the Register if in the opinion of the Board such an entry was fraudulently or incorrectly made or obtained, or an application was wrongly refused."

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २८ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा २८ के खंड (*a*) में शब्द "medicine, surgery or mid-wifery or" के स्थान पर शब्द "Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine, or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३० का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "Board" के स्थान पर शब्द "Registrar" और शब्द "Vaidyas" के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "or" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३३ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "With fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३६ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Powers and duties of the Board.

36. The Board shall have the following powers and duties, namely.—

(1) to advise the State Government in matters relating to Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine including research and post-graduate education:

(2) to accord, suspend or withdraw recognition or affiliation to Ayurvedic or Unani Educational institutions of the State on the recommendations of the Faculty;

(3) to publish the results of the examinations conducted by the Faculty;

(4) to grant degrees or diplomas to candidates who are successful at the Board's examination;

(5) to levy fees laid down in regulations for admission to Board's examinations;

(6) to allot adequate funds to the Faculty for carrying out its duties ;

(7) to perform such other functions for the development of Ayurvedic and Unani Education as may be consistent with the provisions of the Act; and

(8) to exercise such other powers as may be specified by or under this Act."

१६—मूल अधिनियम की धारा ३६ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें 36-A, 36-B तथा 36-C के रूप मे बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १०, १६३६ में नयी धारायें 36-A, 36-B तथा 36-C का बढ़ाया जाना।

36-A. (1) For the proper discharge of its duties the Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine and functions as a teaching and examining body in the Board shall apoint a Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine which shall consist of the following—

Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine

(i) the President of the Board who shall be *ex officio* Chairman of the Faculty; and

(ii) members of the Board elected under clause (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *ex officio* members of the Faculty.

(2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government. co-opt not more than three members for a specified duration and a specific purpose.

(3) The Faculty shall elect a Vice-Chairman from amongst its members.

(4) A person shall cease to be member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board.

36-B. The Faculty shall have the following powers and duties :

"Powers and duties of the Faculty.

(*a*) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine for imparting instructions in educational institutions affiliated to the Board;

(*b*) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board:

(*c*) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the educational institutions affiliated to the Board and to make arrangement for promoting the health and general welfare of their students ;

(*d*) to appoint examiners;

(*e*) to cause inspections of affiliated institutions of the Board; and

(*f*) to make recommendations to the Board for the affiliation or recognition or for suspension or withdrawal of recognition or affiliation of Ayurvedic and Unani Institutions.

36-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter relating to Ayurvedic or Unani Education a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Government shall be final."

"Disagreement between the Faculty and the Board.

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३७ का

२०—मूल अधिनियम की धारा ३७ में—

(१) शब्द "may" और "frame" के बीच शब्द "after previous publication" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त के 'फुलस्टाप' के स्थान पर 'कोलन' रख दिया जाय; और तत्पश्चात द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"Provided further that no regulation shall be framed under any of the clauses (a) to (g) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty."

(३) उपधारा (३) में शब्द "*Gazette*" के बाद शब्द "and shall not take effect until they have been confirmed by the State Government" बढ़ा दिये जायं; तथा

(४) उपधारा (४) में शब्द "cancel" के स्थान पर शब्द "cancel or modify" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३८ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा ३८ के शब्द "and licensing of firms for sale of Indian drugs" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५३ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ५३ में शब्द "Part III" के स्थान पर शब्द "Part III or any section therein" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५४ का निकाला जाना।

२३—मूल अधिनियम की धारा ५४ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५५ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५५ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "to practice" के स्थान पर शब्द "in or otherwise entitled to practice" रख दिये जायं; तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द "With fine which may extend to five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment not exceeding six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both" तथा शब्द "with fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर "with imprisonment not exceeding three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

२५—मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची का अनुच्छेद ४ निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १६३६ की अनुसूची का संशोधन।

२६—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व कार्यरत (functioning) बोर्ड मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन उस समय तक करता रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा ५ के अधीन कोई बोर्ड विधिवत् संगठित नहीं हो जाता, तथा ऐसा बोर्ड इस बात के होते हुए भी कि मूल अधिनियम के अधीन इसका कार्यकाल अन्यथा समाप्त हो गया है, तब तक अपना कार्य करता रहेगा जब तक पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार नया बोर्ड संगठित नहीं हो जाता।

अस्थायी तथा अन्तःकालीन उपबन्ध।

(२) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों, मुख्यतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से उक्त ऐक्ट के, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबन्धों में संक्रमण के बारे में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आज्ञा द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मूल ऐक्ट, जैसा कि वह पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार संशोधित हुआ है, ऐसे परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा लोपों (modifications, additions or omissions) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, ६ महीनों तक की कालावधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायगी, प्रभावी होगा।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट सन् १९३९ ई० में विधायित हुआ था। सन् १९४७ ई० में राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के सम्बन्ध में सिफारिशें देने के निमित्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति पुनस्संगठन समिति की नियुक्ति की थी। विगत कुछ वर्षों में उक्त ऐक्ट की कार्यान्विति तथा उक्त समिति द्वारा की गयी कतिपय सिफारिशों से यह पता चला कि ऐक्ट में विशेषतः बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के संगठन के सम्बन्ध में कुछ संशोधन करने आवश्यक हैं। चिकित्सा की दोनों पद्धतियों को संगठित करने की दृष्टि से एक फैकल्टी की, जिसे पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षायें आयोजित करने के अधिकार हों, आवश्यकता का अनुभव हुआ है। फलतः यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी "छ"

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाली संस्थाओं के श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण की व्यवस्था करने का

विधेयक

प्रस्तावना

महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाले अनाथालयों तथा अन्य संस्थाओं का श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा उन संस्थाओं में रहने वालों की समुचित अभिरक्षा (custody) और देख-रेख और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—(१) विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(१) "बोर्ड" (Board) का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित प्रशासकीय बोर्ड (Aministrative Board) से है;

(२) "बालक" (child) का तात्पर्य किसी ऐसे लड़के से अथवा लड़की से है जिसने १८ वर्ष की वय न प्रात की हो;

(३) "उपयुक्त व्यक्ति" (fit person) के अन्तर्गत कोई संस्था, संगठन (association) अथवा व्यक्तियों के ऐसे समुदाय (body of individuals) जो चाहे वे निगमित (incorporated) हुये हों या न हुये हों, महिलाओं अथवा बालकों को ग्रहण करने (reception) अथवा उनकी सुरक्षा करने अथवा बालकों के प्रति निर्दयता (cruelty) का, अथवा महिलाओं को अनैतिक प्रयोजनों के लिये शोषित करने (exploitation) का व्यवहार रोकने के लिये अथवा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापित किये गये हों तथा जो उनकी देख-रेख (care) में सौंपी गयी किसी महिला अथवा बालक को उसके धर्म के अनुसार

प्रशिक्षण देने और उसका पुनर्वास या पालन-पोषण करने, अथवा उसे प्रशिक्षण या पुनर्वास या पालन-पोषण की सुविधायें देने का भार ग्रहण करे;

(४) "संस्था", इसे चाहे जो भी नाम दिया जाय, का तात्पर्य अनाथालय, विधवाश्रम, निरीक्षण-गृह (Vigilence Home), उद्धार-गृह (Rescue Home), विवाह कार्यालय (Marriage Bureau) से है, तथा इसके अन्तर्गत इसी प्रकार की कोई ऐसी संस्था, शरणस्थल अथवा स्थान या संगठन भी है जो देख-रेख के लिये पाच या पांच से अधिक महिलाओं अथवा बालकों को अथवा दोनों को, स्वीकार करे अथवा जो इस प्रकार संगठित अथव प्रशासित हो कि उसकी सेवा वास्तव में संस्थाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप हो (institutional in character) उसमें रहने वालों की संख्या जिनकी देख-रेख की जाय, चाहे कुछ भी हो;

(५) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" (Liscensing Authority) का तात्पर्य किसी जिले के जिला मैजिस्ट्रेट (District Magistrate) अथवा किसी ऐसे विशेष अधिकारी से है जिसे जिला मैजिस्ट्रेट ने अपनी ओर से अनुज्ञप्त प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया हो;

(६) "अनुज्ञप्त संस्था" (licensed institutions) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी संस्था से है;

(७) "प्रबन्धक" (manager) का तात्पर्य तथा अन्तर्भाव किसी स्वामी तथा ऐसे व्यक्ति से है जो किसी संस्था की देख-रेख या उसका प्रबन्ध करता हो अथवा एतदर्थ कार्य करता हो। इसमें उस संस्था की प्रबन्धक समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं;

(८) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; और

(१०) "महिला" का तात्पर्य किसी ऐसी महिला से है जिसकी वय १८ वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

२--इस अधिनियम में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित, परन्तु कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में पारिभाषित शब्दों तथा पदों का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त कोड में किया गया है।

अन्य विधायनों पर प्रभाव।

३--इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी संस्थाओं से, जिनके संबंध में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, संबद्ध अथवा उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य किसी विधायन के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके प्रतिकूल, सिवाय उस स्थिति के जबकि वे उपबन्ध स्पष्टरूप से इस अधिनियम द्वारा निरस्त (repeal) होते हों।

४--यह अधिनियम ऐसी किसी संस्था पर, जो राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित (maintained) हो अथवा किसी अभिज्ञात (recognized) शिक्षा संस्था से संलग्न (attached) किसी गृह (home) अथवा छात्रावास पर, प्रवृत्त नहीं होगा।

अपवाद

अध्याय २

प्रशासकीय व्यवस्था

५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार एक प्रशासकीय बोर्ड स्थापित करेगी।

प्रशासकीय बोर्ड।

(२) यह बोर्ड एक निगमित संस्था (Body Corporate) होगा जिसे सतत् अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा(common seal) होगी और वह उपर्युक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

६--(१) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:--

बोर्ड का संगठन

(क) एक सभापति (chairman), जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ख) दो सदस्य, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे;

(ग) एक सदस्य, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे;

(घ) दस अन्य सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(ङ) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश (Director of Social Welfare, U. P.) अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति।

(२) खंड (घ) के अधीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हों अथवा ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों, जो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों और जहां तक संभव हो ऐसे सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होगी।

(३) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति बोर्ड का पदेन (*ex officio*) सचिव (Secretary) होगा।

७--(१) बोर्ड की पदावधि ५ वर्षों की होगी:

बोर्ड तथा सदस्यों की पदावधि।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर इस अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक काल के लिये बढ़ा सकती है;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) अथवा (ग) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य, विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य, जैसी भी दशा हो, नहीं रह जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नाम निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि तक के लिये ही रहेगा।

(३) कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो राज्य सरकार को संबोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु वह उस समय तक अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी गजट में विज्ञप्ति न हो जाय।

किसी सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति।

८—यदि कोई सदस्य अपनी अशक्तता (infirmity) के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उसकी नियुक्ति की रिक्ति अन्तर्गस्त न हो, छुट्टी के कारण या अन्य किसी प्रकार से अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति काल में उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

बोर्ड की बैठक

९—बोर्ड की बैठकें ऐसे समय में तथा ऐसे स्थानों पर होंगी और वह अपनी बैठकों में कार्य संपादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया विषयक ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं।

सदस्यों के स्थानों की रिक्तियों अथवा संगठन संबंधी किसी दोष से बोर्ड के कार्य अथवा कार्यवाहियों का अमान्य न होना।

१०—बोर्ड का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अमान्य न समझी जायगी कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन (Constitution) में कोई दोष रह गया था।

उपसमिति की नियुक्ति।

११—ऐसे आदेशों (directions) के अधीन रहते हुये जिन्हें राज्य सरकार जारी करे, बोर्ड—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त किसी क्षेत्र के लिये कोई स्थानीय समिति नियुक्त कर सकता है; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजन से एक अथवा एकाधिक समितियों अथवा उप-समितियों की नियुक्ति कर सकता है।

स्थानीय समितियां

१२—धारा ११ के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप-समिति का संगठन और उसके अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य तथा ऐसी समिति अथवा उप-समिति द्वारा उसके कार्य-संपादन के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

विशेष प्रयोजनों के लिये बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संबंध (Temporary Association)

१३—(१) बोर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सहायता अथवा परामर्श उसे इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये वांछनीय हों, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, अपने से संबद्ध (associate) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी प्रयोजन के लिये बोर्ड से सम्बद्ध (associated) किसी भी व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत (relevant) चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उसे बोर्ड की बैठक में मत देने का अधिकार न होगा तथा वह अन्य किसी प्रयोजन के लिये सदस्य न होगा।

१४—उन नियमो के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये जायं, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन कुशलतापूर्वक अपने कृत्यो का सम्पादन करने अथवा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के प्रयोजन से ऐसे अधिकारियो अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और वह उनके कृत्यों तथा सेवा की शर्तों को निर्धारित कर सकता है। — बोर्ड के कर्मचारी

१५—बोर्ड — — बोर्ड के अधिकार और कृत्य।

(क) संस्थाओ को अनुज्ञप्ति (licence) देने और उनका संधारण (maintenance) एवं संचालन करने से संबद्ध विषयो पर राज्य सरकार को परामर्श देगा;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार संस्थाओ के प्रबन्ध से सम्बद्ध सभी विषयो का सामान्यतया निरीक्षण (supervision), संचालन (direction) तथा नियंत्रण (control) करेगा; और

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और अन्य कृत्यो का सपादन तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायं।

१६—राज्य सरकार बोर्ड को समय-समय पर ऐसे आदेश (direction) जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो तथा बोर्ड और उसके अधिकारियो और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इन आदेशों का तुरन्त पालन करे। — राज्य सरकार के अधिकार।

१७—राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे बोर्ड को ऐसी धनराशि दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के सपादन के लिये आवश्यक समझे। — राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

१८—(१) बोर्ड की अपनी निजी निधि होगी, उसमे ऐसी समस्त धनराशियां, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी जायं, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त समस्त दान और चन्दे (donations and subscrptions) तथा बोर्ड की अन्य समस्त प्राप्तियां जमा की जायंगी और बोर्ड द्वारा सभी भुगतान इस निधि से किये जायेंगे। — बोर्ड की निधि

(२) बोर्ड ऐसी धनराशियों को व्यय कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिये उचित समझे और ये धनराशियां बोर्ड की निधि मे से देय व्यय के रूप मे समझी जायंगी।

१९—(१) बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसे रूप मे तथा ऐसे समय, जो नियत किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष का बजट एक तैयार करेगा जिसमे अनुमानित (estimated) प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे। — बजट

(२) बजट राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये नियत रीति से उसको प्रस्तुत किया जायगा और राज्य सरकार उसमे ऐसे परिष्कार कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे।

२०—बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय मे, जो नियत किया जाय, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्वगामी वर्ष के उसके कार्यों का सच्चा और पूरा ब्योरा दिया जायगा। इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भेजी जायंगी। — वार्षिक रिपोर्ट

लेखे और लेखा परीक्षा।

२१--(१) बोर्ड अपने लेखे (accounts) के सम्बन्ध में ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, बहियां (booksof accounts) तथा अन्य लेखा पुस्तकें (books) रखवायेगा।

(२) बोर्ड के लेखों (accounts) का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, परीक्षण (audit) किया जायेगा।

विवरणियां

२२--बोर्ड अपनी निधि अथवा कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसे विवरण (returns), आंकड़े (statistics), लेखे तथा अन्य सूचनायें देगा जिनको राज्य सरकार समय-समय पर मांगे।

अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation)।

२३--बोर्ड सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा, जो लिखित रूप में होगी, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं (limitations), यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जांय, के अधीन रहते हुये अपने सभापति (Chairman) अथवा अन्य किसी सदस्य या पदाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे अधिकार और कृत्यों का प्रतिनिधान कर सकता है, जिन्हे वह बोर्ड के दिन प्रति-दिन के प्रशासन के कुशल संचालन के लिये आवश्यक समझे।

अध्याय ३

अनुज्ञप्ति (license) देने की व्यवस्था

संस्थाएं स्थापित करने और उनके संधारण के लिये अनुज्ञप्ति।

२४--धारा ३४ में दी गयी व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था का न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसे स्थापित, संधारित अथवा संचालित करेगा।

अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र।

२५--(१) महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था के निमित्त अनुज्ञप्ति का लिखित प्रार्थना-पत्र उस संस्था के प्रबंधक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधि-कारी को नियत रूप (form) में दिया जायेगा।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र सब तरह से ठीक (in order) है तो अनु-ज्ञप्ति प्राधिकारी उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच करायेगा जो नियत की जाय और जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुज्ञप्ति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति।

२६--यदि धारा २५ के अधीन की गयी जांच के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि--

(क) अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिये, तो वह नियत रूप में अनुज्ञप्ति देगा;

(ख) अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिये तो वह प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर देगा तथा प्रार्थी को तदनुसार सूचित करेगा।

अनुज्ञप्ति की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील।

२७--(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २६ के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह अनुज्ञप्ति के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र की अस्वीकृति आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है।

(२) उक्त अपील पर बोर्ड की आज्ञा अंतिम होगी तथा उस पर किसी भी रीति से किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

२८—(१) अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी :

(क) अनुज्ञप्ति (licensed) संस्था का नाम और ठिकाना (location);

(ख) प्रबंधक का नाम;

(ग) संस्था का स्वरूप (nature), संस्था महिलाओं के लिये है अथवा बालकों के लिये अथवा दोनों के लिये;

(घ) संस्था द्वारा लिये जाने वाले बालकों या महिलाओं की संख्या; और

(ङ) अन्य कोई शर्तें या विवरण, जो नियत किये जायं।

(२) कोई भी अनुज्ञप्त संस्था, जब तक कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा उसे एतदर्थ अधिकृत न किया गया हो, आठ वर्ष से अधिक की वय के विपरीत लिंगीय (of different sex) व्यक्तियों को भर्ती न करेगी।

(३) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी भी अनुज्ञप्त संस्था को विपरीत लिंगीय व्यक्तियों को भर्ती करने की सामान्यतया अनुज्ञा न देगा परन्तु वह ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुये, जो जनहित के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हों, ऐसा कर सकता है।

संस्था के ठिकाने में परिवर्तन।

२९—कोई भी अनुज्ञप्त संस्था अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट अपने ठिकाने में परिवर्तन नहीं करेगी और न अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी सेवा के सम्पादन में ही कोई परिवर्तन करेगी।

आवधिक प्रमाणन (periodical attestation)।

३०—(१) किसी अनुज्ञप्ति संस्था का प्रबंधक अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष अपनी अनुज्ञप्ति को प्रमाणन तथा पृष्ठांकन (attestation and endorsement) के लिये प्रस्तुत करेगा।

(२) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणित तथा पृष्ठांकित करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी (licensee) को यह आदेश दे सकता है कि वह अनुज्ञप्त संस्था के विगत दो वर्षों के संचालन के सम्बन्ध में सूचना दे और अनुज्ञप्त संस्था के प्रबंधक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जहां तक उसकी शक्ति में हो, अपेक्षित सूचना दे।

(३) यदि प्रबंधक अपेक्षित सूचना नहीं देता अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह विश्वास करने के कारण हों कि संस्था अथवा उसके प्रबंधक धारा ३१ की उपधारा (१) में उल्लिखित कार्य या कार्यों के लिये उत्तरदायी है तो वह जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा वह अन्यथा निश्चय न करे अनुज्ञप्तिधारी को आदेश देगा कि वह उन कारणों को बताये कि उसकी अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाय और तत्पश्चात् धारा ३१ और ३२ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों वह धारा ३१ के अधीन किया गया कोई अधिग्रहण (requisition) हो।

(४) जब कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उपर्युक्त सूचना नहीं चाहता तो वह अनुज्ञप्ति को प्रमाणित और पृष्ठांकित करेगा परन्तु ऐसा करते समय वह ऐसी नयी शर्तें भी लगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी कोई नई शर्त लगाये तो अनुज्ञप्ति तदनुसार परिष्कृत हो जायेगी।

अनुज्ञप्ति

३१--(१) यदि बोर्ड से परामर्श करने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समाचार हो जाय कि--

(क) अनुज्ञप्त संस्था अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है; अथवा

(ख) अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्ध (management) संस्थावासियों के नैतिक और शारीरिक उत्कर्ष के लिये निरन्तर असन्तोषजनक अथवा बाधक रहा है; अथवा

(ग) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के मत मे अनुज्ञप्त संस्था ने अपने को अन्य किसी प्रकार से अनुपयुक्त कर लिया है, तो वह नोटिस द्वारा अनुज्ञप्त संस्था के प्रबंधक को आदेश दे सकता है कि वह एक उचित अवधि के भीतर, जो निर्दिष्ट कर दी जायगी, इस बात का कारण बताये कि अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाय।

(२) यदि किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबंधक उपधारा (१) में दिये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होता अथवा यदि उपस्थित होने पर कारण नहीं बता पाता तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ऐसी और जांच कर लेने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे--

(क) या तो अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है और उस दशा में संस्था बन्द कर दी जायेगी और ऐसे दिनांक से, जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निश्चित करे, वह अपना कार्य करना समाप्त कर देगी; या

(ख) अनुज्ञप्ति रद्द करने के बजाय, संस्था में ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह निश्चित करे, यथास्थिति, महिलाओं और बालकों का प्रवेश प्रतिषिद्ध कर सकता है।

(३) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) कोई व्यक्ति आज्ञा प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

(४) ऐसी अपील पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी भी रीति से किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रभाव।

३२--अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्त संस्था की अनुज्ञप्ति रद्द कर देने के पश्चात् बोर्ड के परामर्श से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी महिला अथवा बालक जो उक्त संस्था का वासी है--

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्त संस्था को, जहां कहीं ऐसी संस्था हो, स्थानान्तरित कर दिया जाय; अथवा

(ख) यथास्थिति उसके माता, पिता, पति अथवा अभिभावक की अभिरक्षा में वापस दे दिया जाय; अथवा

(ग) किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देख-रेख में दे दिया जाय।

वर्तमान संस्थाओं के लिये अनुज्ञप्ति का प्रार्थना-पत्र।

३३--किसी ऐसी संस्था के लिये जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर पहले से ही सम्बद्ध क्षेत्र में वर्तमान हो, अनुज्ञप्ति का प्रार्थना-पत्र उक्त दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, दिया जायगा और तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति के प्रार्थना-पत्र

सम्बन्धी इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे प्रार्थना-पत्र के देने और उसकी सुनवाई के सम्बन्ध में लागू होंगे।

वर्तमान संस्थाओं का जारी रहना।

३४—(१) धारा ३३ में अभिदिष्ट (referred to) कोई संस्था धारा २४ में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण (disposal) होने तक, पूर्ववत् संधारित और संचालित (maintained and conducted) होती रहेगी।

(२) यदि ऐसी संस्था को अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति जो उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, उस संस्था को तुरन्त बन्द कर देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अभिदिष्ट दिनांक से पूर्व उसे बन्द करने के लिये बाध्य होगा।

किसी वर्तमान संस्था के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र न दिये जाने की दशा में नोटिस।

३५—(१) यदि धारा ३३ के अनुसार उसमें अभिदिष्ट किसी संस्था के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को, जो भी उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, इस आशय का नोटिस भेजेगा कि वह ऐसे कारण बताये कि उस संस्था के बारे में यह क्यों न समझा जाय कि वह संस्था के लिये पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही उसका स्वामी था अथवा उसे संधारित या संचालित करता था।

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील हो गयी हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थित होता है और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र न दे सकने के पर्याप्त कारण थे और वह तत्काल प्रार्थना-पत्र दे देता है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नोटिस को रद्द कर देगा और उसके प्रार्थना-पत्र को ले लेगा तथा उस पर इस प्रकार से विचार करेगा मानों वह धारा ३३ के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त प्रार्थना-पत्र हो।

(३) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थित न हो, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यह आज्ञा देगा कि उस संस्था को ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बन्द कर दिया जाय। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील करेगा जो उस संस्था का स्वामी है अथवा उसे संधारित या संचालित करता है।

(४) यदि वह संस्था जिसके बारे में उपधारा (३) के अधीन कोई आज्ञा दी जा चुकी है आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् कार्य करती रहती है तो यह समझा जायगा कि वह संस्था पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही स्वामित्व में रही है अथवा स्थापित, संधारित अथवा संचालित रही है।

अनुज्ञप्ति का संक्रामण।

३६—इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञप्ति संक्राम्य (transferable) न होगी।

बिना अनुज्ञप्ति के कार्य करने पर दण्ड।

३७—(१) यदि कोई व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी संस्था का स्वामित्व ग्रहण करता है अथवा उसे संधारित, स्थापित या संचालित करता है, चाहे प्रबंधक के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में अथवा अन्य किसी प्रशासकीय हैसियत से अथवा उस संस्था के संधारण, स्थापन या संचालन में, अथवा इस

अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (४) में निर्दिष्ट किसी सेवा के संपादन में सहायता करता है तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जिसके लिये ५०० रु० तक जुर्माना किया जा सकता है।

(२) ऐसी किसी भी संस्था के वासियों को वहां से हटाया जा सकेगा तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के स्वविवेकानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्त संस्था में रक्खा जा सकेगा।

अनुज्ञप्ति का अर्पण (Surrender) तथा उसका प्रभाव।

३८--(१) किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबंधक संस्था की अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है परन्तु उसे ऐसा करने के निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित रूप मे छः मास का नोटिस देना होगा यदि इस समय के पूर्व नोटिस वापस न ले लिया जाय तो नोटिस के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर अनुज्ञप्ति तदनुसार रद्द हो जायगी और संस्था कार्य करना बन्द कर देगी।

(२) अनुज्ञप्ति रद्द करने के नोटिस के दिनांक के पश्चात् अनुज्ञप्त संस्था में कोई भी महिला अथवा बालक ग्रहण न किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द होने तक की छः मास के अवधि मे संस्थावासियों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने (to teach, train, lodge, clothe and feed) का प्रबंधक का कर्त्तव्य यथावत् बना रहेगा।

अध्याय ४

अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्ध

प्रबन्ध समिति

३९—(१) प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध की अवधायक (incharge of) एक प्रबन्ध समिति होगी जिसके सदस्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संस्था के प्रबन्धक समझे जायेंगे।

(२) प्रबन्ध समिति के अधिकार और कृत्य तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था ऐसी संस्था से सम्बद्ध विधान में की जाय।

संबद्ध सदस्य (associate members)।

४०—(१) जिले में प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था की प्रबन्ध समिति के पदेन सम्बद्ध सदस्य (*ex officio* associate member) निम्नलिखित समझे जायेंगे:—

(क) बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) सिविल सर्जन; और

(घ) स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर।

(२) संबद्ध सदस्य (associate members) को प्रबन्ध समिति की कार्यवाहियों में भाषण करने तथा उनमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुये भी, उसे उनमें मतदान करने का अधिकार न होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संस्था का प्रबन्धक न समझा जायगा।

४१—जब कभी ऐसा करना आवश्यक हो, बोर्ड उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे (recorded), यह आज्ञा दे सकता है कि —

प्रबन्ध संबंधी नियमों में संशोधन करने तथा प्रबन्ध समिति के पुनस्संगठन करने अधिकार।

(क) अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध से सम्बद्ध विधान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जायगा और संशोधित किया गया समझा जायगा; अथवा

(ख) प्रबन्ध समिति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संगठित अथवा पुनस्संगठित की जाय ; अथवा

(ग) कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा।

४२—(१) किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला अथवा बालक को तब तक शिक्षा देने, प्रशिक्षण (training) देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने को बाध्य होगा, जब तक कि महिला का पुनर्वास नहीं किया जाता, अथवा बालक १८ वर्ष की वय नहीं प्राप्त कर लेता, अथवा जब तक कि वे संस्था से हटा नहीं लिये जाते, अथवा संस्था समाप्त नहीं हो जाती।

अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक प्रत्येक संस्थावासी को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिये बाध्य होगा।

(२) यदि किसी संस्थावासी महिला का खर्च उठाने वाला कोई ऐसा अभिभावक है जैसा धारा ४३ के खंड (छ) में उल्लिखित है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह संस्था उस महिला के पुनर्वास के लिये उत्तरदायी ठहरायी जाय।

४३—प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक नियत रूप में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला और बालक के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :—

अभिलेखों का रजिस्टर।

(क) संस्थावासी का नाम;

(ख) वय, धर्म और स्त्री है या पुरुष;

(ग) भर्ती के समय उसके स्वास्थ्य की दशा;

(घ) अन्तिम पता;

(ङ) निकटतम संबंधी;

(च) माता-पिता के नाम और वे जीवित हैं या नहीं (विवाहित महिला के संबंध में पति का नाम) ;

(छ) उसकी देख-रेख के लिये उत्तरदायी व्यक्ति;

(ज) धनराशि , यदि कोई उसकी देख-रेख के लिये दी गयी हो;

(झ) उस व्यक्ति या अभिकरण (agency) का नाम, जो उस महिला अथवा बालक को भर्ती कराना चाहता हो;

(ञ) भर्ती के कारण;

(ट) भर्ती के निबन्धन (terms) और शर्तें;

(ठ) मामले (case) का संक्षिप्त इतिहास, और

(ड) ऐसे अन्य विवरण जो समय-समय पर नियत किये जायं।

४४—अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक ऐसे कालान्तरों (intervals) पर, जो नियत किये जायं, बोर्ड के समक्ष उक्त रजिस्टर की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

प्रबन्धक रजिस्टर की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

संस्थावासियों की मृत्यु अथवा उनके कर्मचारियों (personnel) में परिवर्तन।

४५—किसी अनुज्ञप्त संस्था के वासी की मृत्यु होने पर अथवा उसकी प्रबन्ध समिति में कोई परिवर्तन होने पर, संस्था का प्रबन्धक ४८ घंटों के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी तथा बोर्ड को उसकी लिखित सूचना देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्थावासी की अकस्मात् (sudden) मृत्यु होने की सूचना तत्काल दी जायेगी।

परीक्षित लेखों (audited accounts) का प्रस्तुत करना।

४६—किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक अपने द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गयी समस्त धनराशियों के समुचित लेखे (accounts) रक्खेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण, जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो नियत किया जाय, परीक्षित (audited) होगा, बोर्ड को भी प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षण

४७—बोर्ड का कोई सदस्य अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सामान्यतया अथवा विशेषतया प्राधिकृत किया हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, नियत रीति से किसी अनुज्ञप्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

सामान्य आदेश (directions) जारी करने के बोर्ड के अधिकार।

४८—बोर्ड अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्धक को ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों और प्रबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह इन आदेशों का तत्काल पालन करे।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नियोजन (employment)

४९—प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था, जिस समय और जैसे बोर्ड अपेक्षा करे उस समय और वैसे राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात अथवा संधारित (recognized or maintained) प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियोजित करेगी।

संस्थाओं के नाम

५०—किसी अनुज्ञप्त संस्था को वही नाम दिया जायगा जिसे बोर्ड अनुमोदित करे।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

अधिकारियों की सुरक्षा।

५१—किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के संपादन करने का अधिकार दिया गया हो, किसी ऐसे कार्य के लिये, जो उसने इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सद्भाव के साथ किया हो अथवा ऐसा करना उसे अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजना (prosecution) अथवा अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सरकारी कर्मचारी (public servant)

५२—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को संपादित करने का अधिकार दिया गया हो, इंडियन पेनल कोड की धारा २१ के अर्थ में सरकारी कर्मचारी (Public servant) समझा जायगा।

जुर्माने

५३—इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जुर्माने कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ द्वारा नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

नियम बनाने के अधिकार।

५४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्ही विषयो के लिये व्यवस्था की जा सकती है:

(क) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और वेतन तथा उनके भत्ते और सेवा की शर्तें;

(ख) बोर्ड के कृत्य और कर्तव्य;

(ग) वह रूप जिसमे तथा अवधि जिसके भीतर, बोर्ड का बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाय और राज्य सरकार को भेजी जाय ;

(घ) वह रूप जिसमे और रीति जिससे बोर्ड के लेखे (accounts) रक्खे जायं तथा वह समय जब और रीति जिससे इन लेखों की परीक्षा की जाय;

(ङ) विवरण और सूचनाएं जिन्हें राज्य सरकार को भेजने के लिये बोर्ड से अपेक्षा की जाय ;

(च) बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं के निबन्धन तथा शर्तें (terms and conditions);

(छ) बोर्ड की बैठके तथा उनमें कार्य-संचालन की प्रक्रिया (manner);

(ज) रीति जिससे और प्रयोजन जिनके लिये उपसमितियां और स्थानीय समितियां नियुक्त की जा सकती है;

(झ) रीति जिससे और प्रयोजन जिनके लिये धारा १३ के अधीन बोर्ड के साथ व्यक्तियों को संबद्ध किया जा सकता है ;

(ञ) उपसमितियों और स्थानीय समितियों के सदस्यों तथा धारा १३ के अधीन बोर्ड से सम्बद्ध व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध के निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण (supervision, direction and control) से सम्बद्ध विषय;

(ठ) धारा २६ के अधीन अनुज्ञप्ति देने या न देने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ड) धारा ३० के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रमाणन से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ढ) धारा ३१ के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ण) धारा २७ अथवा ३१ के अधीन अपीलें प्रस्तुत करने और उनका निस्तारण करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(त) धारा ३२ के अधीन एक संस्था के वासियों के दूसरी संस्था में स्थानान्तरण करने से सम्बद्ध विषय ;

(थ) धारा ३४ के अधीन वर्तमान संस्थाओं को बन्द करने से सम्बद्ध विषय ;

(द) धारा ३५ के अधीन नोटिस की सुनवाई से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ध) वे विषय जिनका संबंध अनुज्ञप्त संस्थाओं के प्रबन्ध तथा उनमे अनुशासन बनाये रखने से हो; और

(न) वे-विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में बहुत से विधवाश्रम तथा अनाथालय हैं, जिनके संधारण पर लाखों रुपये की संपत्ति धर्मस्व लगी हुई है। इन संस्थाओं के कुप्रबंध के संबंध में सरकार के पास समय-समय पर शिकायतें आती रही हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार इन संस्थाओं के कुशल-संचालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनाथालयों और विधवाश्रमों में सुधार संबंधी प्रश्न पर जांच करने के लिये एक समिति की भी नियुक्ति की थी, जिसने प्रदेश में वर्तमान संस्थाओं का सर्वेक्षण किया। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनमें से अधिकांश संस्थाओं का प्रबंध संतोष से बहुत परे है। समिति ने इन संस्थाओं के प्रबन्ध पर प्रभावी नियंत्रण (control) रखने के संबंध में भी अनेक सिफारिशें कीं।

प्रस्तावित विधेयक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये है।

जुगुल किशोर,
समाज कल्याण मंत्री।

पी० एस० यू०—पी० ए०—पी० १३५ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्न गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद, विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगदीशचन्द्र श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह श्री
दानाराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भीमसिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल ,श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ,श्री
महीलाल ,श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ , श्री
मुहम्मद इब्राहीम ,श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी ,श्रीमती
रघुनाथप्रसाद ,श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री

राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री , श्री
रामकृष्ण जसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
खां, श्री
सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जमींदारी मुआवजे की किस्तें वसूल करने में इन्कम टैक्स इक्जेम्पशन सर्टिफिकेट के कारण अड़चनें

**१— श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जमींदारी मुआवजे की बांड की किस्तें वसूल करने के लिये इन्कम टैक्स क्लियरेंन्स सर्टिफिकेट्स (Income-tax clearance Certificates) हासिल करने में बड़ी दुशवारियां पेश आ रहीं हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जमींदारी मुआवजे के बांडों की किस्तें वसूल करने के लिये Income-tax clearance certificate नहीं लेना पड़ता बल्कि Income-tax exemption certificate लेना पड़ता है। इसके हासिल करने में कुछ दिक्कतें जरूर पेश आती हैं।

**२—श्री मुहम्मद तकी हादी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि इनकम टैक्स के बाकीदारों की एक-एक फेहरिस्त हर तहसील में भेज दे ताकि हर व्यक्ति को इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत न रहे ?

श्री चरणसिंह—माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है उससे Income-tax exemption certificate के प्राप्त करने में कोई आसानी नहीं होगी। इनकम टैक्स केन्द्रीय सरकार का विषय है। राज्य सरकार इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखापढ़ी केन्द्रीय सरकार से कर चुकी है। केन्द्रीय सरकार ही इसके मुताल्लिक नियम बना सकती है।

तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता

**३—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में भूखमरी की आशंका है जिसके लिये तहसील से टेस्टवर्क के लिये ११/२ लाख रुपये की मांग की गई है ?

श्री चरणसिंह—गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में भुखमरी की कोई आशंका नहीं है। इस जिले से टेस्ट वर्क्स के लिये कोई मांग अभी तक सरकार के पास नहीं आई है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार इस बात की इनक्वायरी करवाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के लिये डेढ़ लाख की मांग की थी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। कोई ऐसी मांग सरकार से नहीं की गयी। जिलाधीश ने तहसीलदार से यह पूछा था कि टेस्टवर्क्स की जरूरत है या नहीं। उन्होंने एक लाख २० हजार रुपये की स्कीम भेजी। लेकिन साथ ही लिख दिया कि वहां पी० डब्लू० डी० के जो वर्क्स हैं उन ही पर लेबर नहीं आ रही है, इसलिये टेस्ट वर्क्स पर क्या आयेगी।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में औड़िहार किराकत रोड पर चार-पांच रुपये हजार पर जनता ने मिट्टी का काम किया है जब कि पी० डब्लू० डी० का रेट १८ रुपया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं, केवल सूचना है। इसके बारे में बहस दफ्तर में हो जाय तो ज्यादा अच्छा है।

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३–५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६–७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गंगा नदी पर गढ़मुक्तेश्वर में पुल बनाने तथा हिण्डन पर गाजियाबाद में पुल चौड़ा करने की आवश्यकता

*८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी पर गढ़मुक्तेश्वर पर बनने वाले पुल तथा हिन्ड नदी पर गाजियाबाद के पुल को चौड़ा किये जाने की योजना में अब तक क्या-क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)— (अ) गंगा नदी पर पुल का आगणन तैयार किया जा चुका है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा। इस पुल की मेरठ की तरफ की अप्रोच रोड का आगणन स्वीकृत हो चुका है और उस पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। मुरादाबाद की तरफ की अप्रोच रोड का आगणन केन्द्रीय सरकार ने अभी स्वीकृत नहीं किया है परन्तु उसके लिये भूमि प्राप्त करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ब) हिन्डन नदी को चौड़ा करने के कार्य का आगणन स्वीकृत किया जा चुका है और इसके लिये टेन्डर मांगे गये हैं। टेन्डर स्वीकृत होने के बाद पुल पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या निर्माण मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को गढ़मुक्तेश्वर पर जो गंगा जी का पुल है उसके कागजात कब भेजे गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बिल्कुल सही तिथि देने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री रामचन्द्र विकल—हिंडन नदी के पुल का टेंडर कब तक सरकार द्वारा स्वीकृत होने की आशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत शीघ्र।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़मुक्तेश्वर पर जो पुल बन रहा है यह रेल के पुल से सम्बन्धित है या जहां पर नावों का पुल है वहां बनाया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, रेल के पुल से सम्बन्धित नहीं है बल्कि रेल के पुल से नीचे की तरफ है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर का पुल कितने दिनों में तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे खयाल से अभी उसमें दो वर्ष का समय लग जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर के पुल पर कितने रुपये का अनुमानित व्यय है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पुल के निर्माण का आगणन ६५·६७ लाख रुपया ह जो उसकी ऐप्रोच रोड्स आदि ह उसका अलग है ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास गढ़मुक्तेश्वर की जनता के इस प्रकार के आवेदन –पत्र आये है कि यदि पुल जहां नहर का पुल है वहां न बनाया जाय तो गढ़मुक्तेश्वर की आबादी बर्बाद हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, ऐसे आवेदन-पत्र आये थे । किन्तु यह बात निर्मूल पायी गयी ।

*९-१०---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)- [६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[२० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३-१५---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६---श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[हटा दिया गया ।]

*१७-१८---श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९-२० ---श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

अकबरपुर तहसील में टौंस नदी का पानी निकालने का विचार

*२१---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री को सन् १९५३ में यह सुझाव दिया गया था कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में टौंस नदी की बाढ़ से उन क्षेत्रों की रक्षा के लिये टौंस नदी का बाढ़ का पानी नहर द्वारा थिरुआ नदी में ले जाकर घाघरा में बहा दिया जाय ? यदि हां, तो उस सुझाव पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई सूचना सिंचाई विभाग मे उपलब्ध नहीं है अतः इस सुझाव पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस सुझाव पर अब विचार किया जायगा ।

जौनपुर को बाढ़ से बचाने के लिये दहीरपुर नाले की खुदाई की आवश्यकता

*२२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार का विचार जौनपुर में गोमती के दहीपुर के नाले को, शहर की बाढ़ से रक्षा करने की दृष्टि से, फिर से गहरा करने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जौनपुर शहर के समीप दहीरपुर नाले द्वारा पानी के निकास के मार्ग की शीघ्र जांच-पड़ताल कराने का इरादा सरकार कर चुकी है । जांच की रिपोर्ट आने पर ही कुछ निश्चय किया जा सकेगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार ने जांच-पड़ताल कराने का आदेश जारी कर दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, आदेश तो उसी वक्त जारी करा दिये थे जब मैं जौनपुर गया हुआ था जब वह बाढ़ में डूबा हुआ था ।

जौनपुर जिले में बन्धों और बन्धियों की आवश्यकता

*७३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां-कहां बांध अथवा बन्धियां बनाई गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में किसी भी बन्ध अथवा बन्धियों का निर्माण नहीं हुआ है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर में बहुत से बंध और बंधियों की आवश्यकता है और इसको देखते हुये पंचवर्षीय योजना में कुछ बन्धियों के बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवश्यकता किस विचार से ? वहां जो प्रबन्ध हो रहा है उसमें बहुत से नलकूप बन रहे हैं और नहर भी निकल रही है, जौनपुर ब्रांच और मड़ियाहूं ब्रांच । इसके अलावा अगर माननीय सदस्य बांध, बन्धियों के सम्बन्ध में सुझाव दें तो अवश्य सरकार विचार करेगी ।

*२४-२६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--(अनुपस्थित)--[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बिजनौर जिलान्तर्गत नजीबाबाद व बढ़ापुर परगनों में सिंचाई के साधनों की कमी

*२७--श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या सरकार को विदित है कि बिजनौर जिले के अन्तर्गत नजीबाबाद व बढ़ापुर परगने में आबपाशी का कोई साधन नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस समय परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना में सिंचाई का कोई सरकारी साधन नहीं है ।

नजीबाबाद तहसील में १२ सरकारी नलकूप बने हुये हैं ।

*२८--श्री रतनलाल जैन--क्या बिजनौर जिला नियोजन समिति ने इस प्रस्ताव के अनुसार कि आगामी पंचवर्षीय योजना में जिले के उन भागों में विशेष कर नलकूप बनाये जावें जहां अब तक आबपाशी का कोई साधन नहीं है, नजीबाबाद व बढ़ापुर परगनों में नलकूप बनाने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ापुर परगने में ७ तथा नजीबाबाद तहसील में ४० नलकूप बनाने का प्रस्ताव है ।

श्री रतनलाल जैन--माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि नजीबाबाद परगने में कितने नल-कूप बनाने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर में तो कहा गया कि नजीबाबाद में ४० नलकूप बनाने का प्रस्ताव है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाने वाले हैं । तो जब कोई कुआं बनेगा तो सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में बनेगा और उस समय जब स्थितिकरण होगा तब ठीक-ठीक बताया जा सकेगा ।

श्री रतनलाल जैन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन प्रस्तावित नलकूपों की संख्या निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? और नहीं तो कब तक की जा सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, अभी नहीं की गई है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नजीबाबाद तहसील में कोई एक्सपेरीमेंटल ट्यूबवेल बन रहे हैं और जब वे ४० ट्यूबवेल बन जायंगे, उनके बाद में बनेंगे या उससे पहले ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- ये कुएं तो अगली पंचवर्षीय योजना में बनेंगे। बिजनौर के लिये कुल ३० शायद कुएं हैं। वह तो इसी वक्त बनने वाले हैं।

श्री रतनलाल जैन--माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि बढ़ापुर परगने में प्रस्तावित रामगंगा डैम से कोई नहर निकालने का वह विचार रखते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये तो नोटिस चाहिये कि रामगंगा डैम से नहर बढापुर में जायगी या नहीं।

बौद्ध धर्म सम्बन्धी स्थानों के पुनर्निर्माणार्थ राज्य सरकार का व्यय

*२९--श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म संबंधी स्थानों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना उसके मार्फत से बनाई है ? यदि हां, तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)----महात्मा बुद्ध की २५०० वीं परिनिर्माण तिथि के अवसर पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सलाह से बौद्ध धर्म से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश में स्थित स्थानों के विकास के लिये तथा समारोह की अवधि में यात्रियों के ठहरने और उनकी सुविधा के लिये जल, विद्युत आदि की व्यवस्था करने के लिये एक योजना बनायी है। जिस पर राज्य सरकार १२,८२ ००० रुपया खर्च करेगी।

श्री भगवानसहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे कि यह इंतजाम किन-किन जगहों पर किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल है कि एक तो सारनाथ है, देवरिया जिले में कुशीनगर है, एक लुम्बनी है और एक फर्रुखाबाद जिले में सनकसा स्थान है।

श्री भगवानसहाय---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---केन्द्रीय सरकार का ६ लाख ४४ हजार रुपया व्यय होगा और कुल रकम ७१ लाख ९ हजार की है।

श्री भगवानसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शुभ अवसर पर बहुत से विदेशी यात्रियों के आने की सम्भावना है इसके लिये क्या इंतजाम पर्याप्त है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अपनी समझ में तो बड़ा पर्याप्त प्रबन्ध करने की चेष्टा की गयी है, क्योंकि इसके लिये भारत सरकार ने एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनायी थी जिसके वाइस प्रेसीडेंट उसके अध्यक्ष थे और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, भोपाल के मुख्य मंत्री और शायद बिहार के मुख्य मंत्री उसके सदस्य थे और उन लोगों ने बाद में एक कमेटी बनायी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और उसने इसलिए हर सारा प्रबन्ध देख लिया है। आप देखें कि करीब-करीब अपने प्रदेश की सरकार का और भारत सरकार का कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। प्रबन्ध, मुझे आशा है अच्छा ही होगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी इन विकास सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका ब्योरा तीन प्रकार का है। एक तो यहां भारत सरकार स्वयं खर्च कर रही है जिस पर ६ लाख ४४ हजार रुपया खर्च हो रहा है और वह काम का आर्किआलोजिकल इम्प्रूवमेंट्स के काम हैं। सारनाथ में भी, कुशीनगर में भी, सनकसा में भी और श्रावस्ती में भी। यह कार्य पुरातत्व विभाग के अन्दर से हो रहा है। इसके सिवाय भारत सरकार देवरिया और कुशीनगर को मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन भी निकाल रही है जिस पर साढ़े आठ लाख रुपये खर्च हो रहा है। क्योंकि देवरिया से कुशीनगर तक कोई लाइन नहीं थी और अब वे इस भाग को जोड़ देंगे। उम्मीद यह है कि इस काम को वह अगले समारोह के पूर्व ही समाप्त कर देंगे। इसके बाद उन्होंने ७१ लाख रुपया हमारे प्रदेश की सरकार को दिया है जिससे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। रुपया उनका है काम हम कर रहे हैं और यह रुपया इस सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा खर्च किया जा रहा है। इन कामों में सारनाथ-बनारस रोड का इम्प्रूवमेंट करेंगे। वरुणा के ऊपर एक पुल बन रहा है जिसमें सारनाथ नजदीक हो जाय। रोड बन रही है सारनाथ से पुल तक और बाईपास बन रहा है रेलवे क्रासिंग तक। इसमें १४ लाख ७६ हजार रुपया खर्च हो रहा है। कुशीनगर की सड़क को इम्प्रूव कर रहे हैं जिस पर २ लाख रुपया खर्च होगा। देवरिया-कुशीनगर की सड़क को इम्प्रूव कर रहे हैं जिस पर साढ़े ६ लाख रुपया खर्च होगा और एक रेस्ट हाउस कुशीनगर में बन रहा है जहां लोग आकर टिक सकें और इसमें ८ लाख खर्च होगा। फेकना-सनकसा की सड़क इम्प्रूव की जा रही है। बलरामपुर-श्रावस्ती की रोड को इम्प्रूव किया जा रहा है। श्रावस्ती जिसको सहेत-महेत भी कहा जाता है वहां एक रेस्ट हाउस भी बन रहा है। लुम्बनी से नौगढ़ तक एक सड़क बन रही है। नौगढ़ उत्तर प्रदेश में है और लुम्बनी नैपाल की सीमा में पड़ता है। लुम्बनी से नौगढ़ तक की सड़क बनाने पर ३ लाख रुपया खर्च हम कर रहे हैं और बस्ती से नौगढ़ तक की सड़क पर साढ़े आठ लाख रुपया खर्च हो रहा है। लुम्बनी महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान है। इस तरह से आप देखें कि ७१ लाख रुपया जो उन्होंने दिया है वह हम खर्च कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या सरकार प्रयाग से कौशाम्बी तक की सड़क बनवाने की योजना का सुझाव इसके अन्दर रखने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, अभी इसमें कोई ऐसा सुझाव नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--कुशीनगर से देवरिया तक रेलवे लाइन कब से बनना प्रारम्भ हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका सम्बन्ध केन्द्र से अधिक है। उन्होंने बता दिया कि केन्द्र बना देगी। इससे यह पूरक प्रश्न उठता नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लुम्बनी गार्डेन्स के विकास के सिलसिले में जो व्यय होगा उसके लिये कोई आश्वासन नैपाल सरकार की ओर से मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। अगर कोई आश्वासन मिला होगा तो वह भारत सरकार के पास होगा, लेकिन उन्होंने जरूर दे रखा है अपनी सड़क वगैरह बनाने के लिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले मे सनकसा स्थान के विकास की भी कोई योजना इसके अन्दर है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि फेकना सनकसा रोड जो है वह चार लाख रुपये लगाकर इंप्रूव की जा रही है। वहां पर वाटर सप्लाई के इन्तजाम के लिये ५ हजार रुपया खर्च होगा और मेडिकल पर १० हजार रुपया और रेस्ट हाउसेज के लिये २५ हजार रुपये खर्च होंगे।

*३०-३१--**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)--[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

छोटी गंडक की बाढ़ को रोकने के लिये योजना

*३२--**श्री रामेश्वरलाल**--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि छोटी गंडक नदी की बाढ़ को रोकने के लिये सरकार कौन सी योजना लागू करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बड़ी गंडक और छोटी गंडक के मध्यस्थल में ऊंची भूमि पर एक बांध का आयोजन किया गया है जो निम्नलिखित तीन भागों मे बांटा गया है:

(१) नैपाल बांध;

(२) छितौनी बांध के उत्तर की ओर बढ़ोत्तरी,

(३) छितौनी बांध के दक्षिण की ओर बढ़ोत्तरी।

*३३--**श्री रामेश्वरलाल**--क्या गंडक बड़ी गंडक से एक छोटे नाले द्वारा सम्बन्धित है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, बड़ी गंडक से बाढ़ के दिनों छोटी गंडक मे नैपाल राज्य के अन्दर और जिला गोरखपुर में तहसील महराजगंज तथा जिला देवरिया में तहसील हाटा के अन्दर बहुत से स्थानों से पानी आता है। बड़ी गंडक के किनारे-किनारे उन स्थानों को रोकने के लिये जिनसे बाढ़ के दिनों मे पानी आता है एक बांध निर्माण करने की योजना है। भारत राज्य के अन्दर बांध का कार्य आरम्भ हो गया है और कार्य आगामी बरसात के पहले समाप्त कर दिया जायगा और नैपाल राज्य के अन्दर स्वीकृति के पश्चात् कार्य किया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि छितौनी बांध के उत्तर और दक्षिण में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध मे पहले भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सुझाव दिये गये थे, जिन्हें पहले अस्वीकृत कर दिया गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी तो मुझे स्मृति नहीं है। लेकिन इंजीनियरों ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने यह जरूर लिखा कि दक्षिण में और उत्तर में भी इतना बढ़ा न चाहिये नहीं तो छोटी गंडक की बाढ़ रुकेगी नहीं। इसलिये उसका एस्टीमेट वगैरह बन गया है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि नैपाल बांध कहां बंधेगा और उसके संबंध में अब तक क्या बातचीत चल रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नैपाल बांध करीब-करीब सारा नैपाल में पड़ता है। इसका सर्वे भी हो चुका है और एस्टीमेट भी बन गया है। करीब १६ लाख रुपये के एस्टीमेट इसका है। लेकिन वहां हम तब तक बांध नहीं बना सकते हैं जब तक कि नैपाल गवर्नमेंट की स्वीकृति न मिल जाय और वह स्वीकृति लेने के लिये भारत सरकार के विदेशीय विभाग को लिखा गया है और वह लिखा-पढ़ी कर रहा है। जैसे ही स्वीकृति आ जायगी हम उस काम को हाथ में लेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सरकारी रिपोर्टों में इस वर्ष बड़ी गंडक से पिछले वर्ष की अपेक्षा कम बाढ़ आयी है?

श्री अध्यक्ष---यह बाढ़ का सवाल नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बड़ी गंडक के किनारे जो इलाका यू० पी० की ओर पड़ता है उस पर भी बांध बनाने का विचार है जो पडरौना तहसील के किनारे पड़ता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बड़ी गंडक को नैपाल से लेकर और जहां वह बिहार में घुसती है वहां तक करीब-करीब सब रोक लेने का विचार है। अब किसी खास जगह के बारे में अगर माननीय सदस्य पूछें तो पता लगा कर बता सकता हूं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री को इसकी जानकारी है कि मैंने कुछ ऐसे ही बन्धों को बांधने के लिये सुझाव उनकी सेवा में भेजे थे जिसके बारे में इंजीनियरों ने इन्कार करके चिट्ठी लिख दी है कि वहां पर बांध नहीं बनाया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा हो सकता है कि किसी जगह उसकी आवश्यकता और उपयुक्तता की दृष्टि से बांध बनाना मुनासिब न हो। अगर माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी चाहें तो मेरे कमरे में पूछ लें, मैं इंजीनियरों से जानकारी कर के उनको बतला दूंगा।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बांध के बनाने में जो खर्च पड़ेगा उस में नैपाल सरकार की ओर से भी कुछ सहायता प्राप्त होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नैपाल सरकार से सहायता का तो कोई प्रश्न इस वक्त है नहीं। हमने एस्टीमेट बनाया है। हम बांध बनाना चाहते हैं। उससे हमारे यहां का फ़ायदा है और अगर उनकी स्वीकृति मिल जाय तो मैं समझता हूं यही उनकी बड़ी भारी कृपा है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो बांध बनने वाले हैं वे कब तक तैयार हो जायंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बनने वाले नहीं हैं, बांध बराबर बन रहे हैं। छितौनी बांध का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। दूसरा हिस्सा जहां तक हम बना सकते हैं उसमें काम लग चुका है, जहां तक नहीं बना सकते हैं उसकी स्वीकृति प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बांधों की तरह से यह भी आवश्यक समझते हैं कि छोटी गंडक जो टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर अधिक लम्बे रास्ते में बहती है उसे छोटा कर दिया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, जितने टेढ़ों को सीधा किया जा सके उतना ही अच्छा है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी कोई ऐसी सर्वे करायेंगे कि छोटी गंडक बहुत दूर तक बहती है और बहुत दूर तक के गांवों को नुकसान पहुंचाती है, तो वह थोड़ी दूर तक ही बह सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, यह तो एक सुझाव है और हमारे यहां इस पर काम भी हो रहा है कि छोटी गंडक को एक नहर की शक्ल दे दी जाय और जहां तक हो सके इसको सीधा किया जाय। लेकिन इसमें कुछ अड़चनें हैं क्योंकि सीधा करने में नई जमीन लेनी पड़ती है और इसमें देवरिया जिले में खास तौर से बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इतना मैं और आपकी आज्ञा से बतला दूं कि जब छितौनी बांध बन जायगा तो सम्भवतः भविष्य में बाढ़ नहीं आयेगी क्योंकि उसमें सारा पानी बड़ी गंडक से विशेष रूप से आता है।

गोंडा व बहराइच जिलों के उत्तर राप्ती भाग में बन्धों का निर्माण

*३४--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ नियन्त्रण योजनान्तर्गत, कितने नये बन्धे गोंडा और बहराइच जिलों के उत्तर राप्ती भाग में वर्षा के पश्चात् बनना शुरू होंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गोंडा जिले में गिरगिटी बांध के ऊपर कार्य प्रगति पर है और खैरमान बांध पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा। बहराइच जिले में भी रामपुर और बनघोघवा बांध पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

*३५--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि बघेलखंड और मझगवां बांधों के सम्बन्ध में जिन-जिन कृषकों की भूमि निकली है, उनको आज तक खेती योग्य भूमि नहीं मिली?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९२ एकड़ भूमि जो कि मझगवां और बघेलखंड बांधों के भीतर है, उन कृषकों को जिनकी भूमि उक्त बांधों के सम्बन्ध में ली गयी है, पट्टे पर स्थायी रूप से सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की ५२४,९८ एकड़ भूमि संबंधित कृषकों की ४०४,२० एकड़ भूमि के प्रतिफल में उनको स्थायी रूप से पट्टे पर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछली वर्षा से मझगवां, बघेलखंड और रामपुर बांधों के ऊपर काम हो रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इतनी जानकारी तो मुझे है ही।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--मेरा प्रश्न था कि वर्षाकाल के बाद कितने बांधों पर काम नये सिरे से होगा। क्या माननीय मंत्री जी पिछले वर्षाकाल के बाद इस जाड़े में कितने नये बांधों पर काम शुरू होगा यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पहले इन चारों बांधों को पूरा कर लें तब और बांधों पर काम शुरू करेंगे।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी [यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ नियंत्रण योजनान्तर्गत कितने और नये बांधों की स्कीम है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह जरा तफसील का सवाल है लेकिन मैं जानता हूं कि शायद डेढ़ दो दर्जन बांध वहां बनेंगे और वह राप्ती के बेसिन में बनेंगे ताकि राप्ती का जल ऊपर ही रुका रहे और बाढ़ संकट स्थिति कम हो जाय इसका प्रस्ताव फ्लड बोर्ड के सामने है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो १९५ एकड़ जमीन इन जिलों से निकली है और ५२४.९८ एकड़ जो भूमि है, उसके लिये क्या सरकार ने ऐसा निश्चय कर लिया है कि यह उन्हीं को दी जायगी जिनके पास भूमि नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह भूमि तो पहले उनको दी जायगी जिनकी जमीन ली गयी है।

बलिया जिले में नलकूप लगाने का फ्रेंच कम्पनी को ठेका

*३६—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि जिला बलिया में कुछ नलकूपों को बनाने का ठेका सरकार द्वारा किसी फ्रेंच कम्पनी को दे दिया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ठेका कब दिया गया था और यह काम ठेकेदार कब प्रारम्भ करेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ठेका देने की तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी पहले दिया जा चुका है, शायद १९५४ के शुरू में या १९५३ के आखिर में, और काम शुरू करने की बात यह है कि हम उम्मीद यह करते हैं कि इस बार जून के पहले यह कम्पनी बलिया के जितने कुवें हैं उन सब को बना डालेगी, जितने उसके जिम्मे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन ठेकों को देने से पहले भारतीय फर्मों से भी कोई टेंडर मांगे गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टेंडर मांग कर ही ठेका दिया जाता है और टेंडर के मांगने पर कोई भी अपना टेंडर दे सकता है, वह चाहे भारतीय हो या अभारतीय।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि फ्रेंच कम्पनी को कितने नलकूपों का ठेका दिया गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि उनका दो सौ कुंवों का ठेका था, जिसे मालूम हुआ कि पूरा नहीं कर सकते। तो छंटते-छंटते अब केवल ५० कुवें उनके जिम्मे रह गये हैं।

श्री राधामोहन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अगर यह फ्रेंच कम्पनी अपना काम नहीं शुरू करती तो क्या यह कुवें दूसरे ठेकेदारों के जरिये से बनाये जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वह नहीं शुरू करेगी तो या तो इनको विभाग बनायेगा या वे किसी दूसरे कम्पनी से बनाये जायेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस फ्रेंच कम्पनी का नाम क्या है और यह ठेका किस हिसाब से दिया गया था यानी प्रति कूप कितनी लागत पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शर्तों के लिये तो सूचना चाहिये क्योंकि काफी बड़ा समझौता होता है। उसमें बहुत सी शर्तें होती हैं और सूचना मिलने पर वह शर्तें पेश की जा सकती हैं।

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में बनने वाले नलकूपों का ठेका

*३८—श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में अब तक जितने नलकूप बन गये हैं उनके बाद कितने और नलकूप इस वर्ष बनेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बलिया जिले में सितम्बर, १९५५ तक ६३ नलकूप खोदे जा चुके हैं और ३१ मार्च, १९५६ तक ३८ और नलकूप बनाने की योजना है।

श्री मान्धाता सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह जो ३८ नलकूप बनने वाले हैं, वह कौन बनायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें से मेरा ख्याल है कि करीब २५ कुवें तो वह फ्रेंच कम्पनी बनायेगी और बाकी या तो विभाग बनायेगा या किसी दूसरे ठेकेदार से बनवाये जायेंगे।

श्री राधामोहन सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि जो ६३ नलकूप बनकर तैयार हुये हैं उनमें कितने चालू हालत में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तक जो ६३ नलकूप बने हैं उनमें ४२ पर तो मशीन लग गयी है, लेकिन चल रहे हैं केवल ३३, क्योंकि ३३ पर ही बिजली पहुंची है। २७ पर तो विद्युत् विभाग की बिजली है और ६ पर डिजील इंजन लगाये गये हैं। इस प्रकार से ३३ कुवें चालू हालत में हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सिंचाई मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो ३८ नलकूप बनने वाले हैं, उनके लिये साइट ले लिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि साइट तय कर दिया गया है।

श्री राधामोहन सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि नलकूपों को बिजली मिलने में दिक्कत पड़ रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिक्कत बिजली मिलने पर क्या पड़ रही है वहां तो हर जगह काम होता चलता है और बिजली मिलती चलती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि प्रश्न संख्या ३६ से संबंधित फ्रेंच कम्पनी ही प्रश्न संख्या ३८ से संबंधित कुओं की निर्मात्री है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वह सम्बन्ध आपने बिलकुल ठीक खोजा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि यह नलकूप जो बनाये गये जब इनका ठेका दिया गया तो उसका इस्टीमेट तैयार नहीं था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैंने यह प्रश्न समझा नहीं है, बगैर इस्टीमेट के तो कोई काम होना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि कोई इस्टीमेट इनका नहीं था, फिर भी ठेका दे दिया गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह के लिये बतलायेंगे तो उसकी जांच कर ली जायगी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि यह क्या जनरल शिकायत है कि यह फ्रेंच कम्पनी अन्य कम्पनियों की अपेक्षा अधिक मूल्य पर नलकूप लगाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, यह शिकायत नहीं है। शिकायत केवल यह है कि यह काम बहुत धीमे करती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी ने जो दूसरी शिकायत के बारे में चर्चा किया वह शिकायत सदन के सामने बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह बता दिया गया है।

*३९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[२० दिसम्बर, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

*४०-४१—श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—४६—श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुलतानपुर)—[वापस लिये गये।]

डुमरियागंज तहसील में बांध चरगहवा बनाने के लिये नैपाल सरकार की स्वीकृति के लिये प्रार्थना

*४७-श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि बांध चरगहवा में तहसील डुमरियागंज में नैपाल सरकार की स्वीकृति आ गयी अथवा नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, अभी नहीं आयी। नैपाल में भारतीय दूतावास द्वारा नैपाल सरकार को यह बताया गया है कि इस बांध से नैपाल राज्य के किसी क्षेत्र को हानि पहुंचने की संभावना नहीं है और उनसे यह प्रार्थना की गयी है कि वह अपने एक इंजीनियर को नियुक्त करें जो हमारे इंजीनियर के साथ उस जगह का निरीक्षण करें जहां बांध बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नैपाली क्षेत्र को हानि न होने की संभावना कहां तक ठीक है।

*४८—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार इस दिशा में कोई शीघ्र कदम उठाने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नैपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पूरी कार्यवाही की जा चुकी है। पिछले प्रश्न के उत्तर में कहे गये मामले के निर्णय होते ही बांध का काम तुरन्त चालू किया जायेगा।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अंतिम जांच कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच तो तब समाप्त हो जबकि उसके करने की इजाजत मिले। अभी नैपाल से जांच करने की इजाजत ही नहीं मिली है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस बांध को बनाने में सरकार कितना रुपया खर्च करने का अनुमान रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक चरगहवा नाला के बांध पर १,३२,८०० रु० खर्च होंगे।

*४९-५१—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[२१ नवम्बर, १९५५ को प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सरकारी दौरों पर जाने वाले पत्रकारों की योग्यता

*५२—श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी किस सरकारी दौरों पर जाने के योग्य पत्रकारों को किस आधार पर चुना जाता है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है। प्रेस टूअर के लिये साधारणतः प्रदेश में प्रकाशित प्रमुख समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि प्रदेश के बाहर के ऐसे प्रमुख

नोट—तारांकित प्रश्न ५२ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछा।

पत्रों के प्रतिनिधि जिनका सरकुलेशन काफी तादाद में इस प्रदेश में भी रहता है और जिनके प्रतिनिधि इस प्रदेश की राजधानी में कार्य करते हों, मुख्य समाचार समितियों के राजधानी में कार्य करने वाले प्रतिनिधि तथा इस प्रदेश के आल इंडिया रेडियो के विशेष प्रतिनिधि आमंत्रित किये जाते हैं।

*५३–५४—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५–५६—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—[१८ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ६७–६८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

"उत्तर प्रदेश अविभाज्य" नामक लेटर पैड्स का वितरण

*५७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सूचना मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सूचना विभाग की तरफ से "उत्तर प्रदेश अविभाज्य" नाम के कुछ लेटर पैड छपवाये गये? यदि हां, तो कितने?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। ५०० लेटर पैड छपवाये गये थे।

*५८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन पैडों के छपवाने में कितना धन व्यय हुआ और वह किसी कीमत पर बांटे गये या मुफ्त?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन पैडों के छपवाने मे ३२ रु० और कागज में अनुमानतः २४३ रु० व्यय हुआ। पैडों का वितरण मुफ्त किया गया।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय सूचना मंत्री बतलायेंगे कि यह मुफ्त पैड जो बांटे गये, वे किन लोगों में बांटे गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ तो सचिवालय के अधिकारियों में बांटे गये, कुछ और स्थानों मे तथा कुछ हरिद्वार में एक शिविर हो रहा था उसमे बांटे गये।

श्री रामचन्द्र विकल—इस पैड को छपवाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना विभाग की ओर से बहुत से प्रकाशन होते रहते हैं और वे आवश्यक समझ कर ही किये जाते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि ये पैड्स इस सदन के सब सदस्यों को दे दिये जायं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब यह तो मै जानता नहीं हूं कि कुछ पैड्स बाकी बचे हैं या नहीं यदि सदन चाहे तो आगे छपवा कर बांट दिये जायेंगे?

श्री शिवनाथ काटजू—इस सदन के बहुत से सदस्य चाहेंगे कि वे पैड्स उनको भी मिलें इसलिये क्या माननीय मंत्री जी उनका प्रकाशन करायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब इस विषय पर सरकार स्वयं विचार कर लेगी।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इन पैड्स पर विभाजन के पक्ष में कुछ लिखे जाने की मनाही तो नहीं थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुमकिन है कि इन पैड्स पर विभाजन के पक्ष में कुछ लिखा गया हो।

श्री जोरावर वर्मा——सूचना विभाग के अन्य प्रकाशनों की भांति यह पैंड इस सदन के सदस्यों को क्यों नहीं बांटे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——थोड़े से छपवाये गये थे जो बांट दिये गये, यदि माननीय सदस्य चाहें तो और भी बटवारा किया जाय।

*५९-६१——**श्री हरगोविन्द पन्त** (जिला अल्मोड़ा)——[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६३——**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**——[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में बेतवा नदी के पारीछा बांध पर होकर यातायात के लिये प्रार्थना

*६४——**श्री रामसहाय शर्मा** (जिला झांसी)——क्या सरकार के पास जिला झांसी की जनता की ओर से इस बात की मांग की गई है कि बेतवा नदी के पारीछा बांध पर होकर मोटरें तथा बैलगाड़ियां निकलने की आज्ञा प्रदान कर दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——जी हां। श्री शिवकुमार पाठक, मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी से इस विषय पर एक पत्र प्राप्त हुआ था।

*६५——**श्री रामसहाय शर्मा**——क्या सरकार इस नदी के बांध (dam) पर नया रास्ता और सड़क निर्माण करा कर यातायात की कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग प्रदान करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेतवा नदी पर झांसी, नऊ-हरपालपुर रोड पर नेटघाट नामक स्थान पर एक रपटा (causeway) बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि यह रपटा बन जाने के बाद पारीछा पर दूसरा पुल बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री रामसहाय शर्मा——क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि बोट घाट से पारीछा बांध २० मील पड़ता है इसलिये वहां की जनता की आवश्यकता जरूर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——इसकी आवश्यकता होगी तो उसका प्रबन्ध भी किया जायगा। सरकार इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की चेष्टा करती ही रहती है और खास कर के झांसी जिले में।

श्री रामसहाय शर्मा——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पारीछा बांध बरेठा-घाट तक वहां केवल एक ही फेरी रहती है और वहां की जनता को बहुत ज्यादा कष्ट रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अवश्य ही वहां कष्ट होगा।

गाजीपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

*६६——**श्री कमलासिंह**——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की किन-किन तहसीलों में नहर द्वारा और किन-किन तहसीलों में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है और कहां दोनों की व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——गाजीपुर जिले की जमनिया तहसील में नहर द्वारा और गाजीपुर, सैदपुर तथा मुहम्मदाबाद तहसीलों में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। मुहम्मदाबाद तहसील में नहर तथा नलकूप द्वारा सिंचाई करने का विचार है।

*६७—**श्री कमलासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की किन-किन तहसीलों में कितने नलकूप गत बारह महीनों में कहां-कहां बने हैं और कितने नलकूप किन स्थानों पर बनाने के लिये प्रस्तावित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत बारह महीनो मे गाजीपुर जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों मे जितने नलकूप जिन स्थानों पर बने हैं तथा बनाने के लिये प्रस्तावित है, उनके विवरण की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १८८ पर)

*६८—**श्री कमलासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले मे कितने नलकूप कोआपरेटिव विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले मे १० कोआपरेटिव नलकूप बनाये जा रहे हैं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले मे हर तहसील मे कितने नलकूप अब तक बनाये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो ६३ नलकूप बने हैं उनका विवरण इस प्रकार है: गाजीपुर मे २८, सैदपुर में १३ और महदाबाद मे २२।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैदपुर तहसील मे कुल नलकूपों की संख्या कितनी प्रपोज्ड है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१३ बनाये जा चुके और २७ अभी और बनने वाले हैं।

श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि सदन के अन्दर माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि घाघरा नहर से सैदपुर तहसील को नहर निकाली जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे आजमगढ़ पम्प कैनाल दूसरा स्टेज उसका है, यदि वह बना तो अवश्य गाजीपुर की सैदपुर तहसील को भी पानी दिया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गाजीपुर जिले में ये नलकूप किस कम्पनी द्वारा बनाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ तो नलकूप विभाग द्वारा ही बनाये गये हैं और कुछ थोड़े से नलकूप थे, जिन्हे फ्रेंच कम्पनी को बनाने के लिये दिया गया है।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गाजीपुर जिले मे फेंच कम्पनी ने जहां बोरिंग की है वहां वह बिल्कुल असफल रही है और स्टेट ने जो नलकूप बनाये हैं, वहां उसे सफलता मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्टेट के लोग तो तेज हैं ही नलकूप बनाने मे।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार मेहरबानी करके गाजीपुर जिले मे आगे जितने नलकूप बनाये जायेंगे, उनको स्टेट के जरिये ही बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्टेट के जरिये काफी बनाये जायेंगे। मेरा ख्याल है कि सिर्फ थोड़े से २४-२५ कुएं फ्रेंच कम्पनी को बनाने हैं और अब जो क्षेत्र सेलेक्ट करके उनको कुएं बनाने के लिये दिया गया है, वह ऐसा है कि सम्भवतः उनको भी सफलता मिल जायगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विभाग द्वारा जो एस्टिमेट नलकूप बनाने के लिये तैयार किये गये हैं उससे अधिक पर फ्रेंच कम्पनी को ठेका दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फ्रेंच कम्पनी का एस्टिमेट इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन सम्भव है कि ऐसा हो कि विभाग के एस्टिमेट से उसका एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा हो।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अगर फ्रेंच कम्पनी की अधिक शिकायतें आ रही हैं तो उसको बदल दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने कहा कि फ्रेंच कम्पनी को कोई शिकायत नहीं है, सिवा इसके कि वह जरा काम ढीला करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जरा ढीला काम करते हैं।

अलीगढ़ डिवीजन में ट्यूबवेल आपरेटर्स का चुनाव

*६९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ डिवीजन में ट्यूबवेल आपरेटर्स का सन् १९५५ में चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने व्यक्ति छांटे गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, एक चुनाव मई, १९५५ में हुआ था। इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये ५४६ उम्मीदवारों में से १२५ का चुनाव किया गया।

*७०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो उम्मेदवार छांटे गये उनमें से कितने इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये थे और कितने सीधे लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सभी चुने गये उम्मीदवार इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये थे। सीधे प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया।

*७१—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार लिये गये उम्मीदवारों की शिक्षा योग्यता एवं हरिजन जाति के उम्मीदवारों की संख्या बतायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चुने गये उम्मीदवारों की शिक्षा योग्यता ८वीं कक्षा से १२वीं कक्षा पास तक की है। अनुसूचित जाति वाले ११ उम्मीदवार चुने गये। इम्पलायमेंट एक्सचेंज ने हरिजन जाति के उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जाति वाले उम्मीदवारों की संख्या में शामिल कर ली थी, जिसके कारण ऐसा कोई रेकार्ड नहीं मिलता कि अनुसूचित जाति वाले उम्मीदवारों में से कितने हरिजन जाति के थे।

*७२-७३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

२-३—श्री दीनदयालु शास्त्री—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ अगस्त, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १४ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था। राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ का प्रथम पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५५ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ का प्रथम पूरक), विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ११ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनि-यमन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ११ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अक्टूबर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २० वाँ अधिनियम बन गया।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर विवादार्थ अधिक समय की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नेता सदन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो डिबेट यहां पर होगा वह बजाय तीन दिन के चार दिन हो अर्थात् उसकी तिथि २५ तक कर दी जाय। २२, २३, २४ और २५ तक उस पर वाद-विवाद हो। कुछ सदस्यों की यह मांग थी कि हमारे यहां सम्मानित रूसी मेहमान आये हुए हैं और वह तराई क्षेत्र में जायंगे, तो उनको भी मौका मिल जायगा कि वह भी इस वाद-विवाद में भाग ले सकें। इसलिए मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि इस पर वाद-विवाद २२, २३, २४ और २५ चार दिन हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो हामरा गैर-सरकारी दिन है २५ तारीख का, उसके बदले में कोई दूसरा दिन हमको मिल सके तो यह सुझाव हमें स्वीकार हो सकता है। वैसे यह हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि २५ तारीख गैर-सरकारी दिन है। या उसके लिए ऐसा कर लिया जाय कि आधे दिन तक यह चले और आधे दिन हमारा गैर-सरकारी कार्यक्रम ले लिया जाय। वैसे हमें कोई एतराज नही है ४ दिन तक इसके ऊपर बहस चलने में, लेकिन जो हमारा गैर-सरकारी दिन है वह बहुत इम्पार्टेन्ट होता है। उसके बदले में दूसरा दिन हमें मिल जाय तो हमें कोई एतराज

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री, आपको इस सुझाव के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो सुझाव सुनने में आये। एक तो यह कि डिबेट चार दिन चले दूसरा यह कि साढ़े तीन दिन चले।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने एक यह भी सुझाव दिया इसमें कि दूसरा कोई गैर-सरकारी दिन उसके बदले में मिले तो चार रोज चलने में उनको कोई एतराज नही है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहरहाल, मैं ऐसा मानता हूं कि कई माननीय सदस्यों की राय है कि इस पर डिबेट चार दिन चलना चाहिये। इसमें मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है। रही गैर-सरकारी दिन की बात। तो यों तो हम गवर्नमेंट की तरफ से यह मान नहीं रहे हैं इसलिए जाने से तो नहीं कहा जा सकता कि हम एक दिन और दे दे, लेकिन अगर एक दिन यह जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में एक दिन और दे दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, जरा २५ के बाद का क्या कार्यक्रम होगा, वह भी हमें बता दिया जाय। सुना है छुट्टी होने वाली है। अगर मालूम हो जाय तो हम भी वैसा ही प्रोग्राम बना लें।

श्री अध्यक्ष—यह बाद में आप पूछियेगा। पहले मैं इस पर सदन की राय ले लूं। तो मैं यह समझूं कि सदन की यह राय है कि २५ तारीख को भी इसके ऊपर वाद-विवाद हो और वह गैर-सरकारी दिन होते हुए भी उस पर उस दिन वाद-विवाद होना चाहिए और गैर-सरकारी दिन के सम्बन्ध में किसी दूसरे रोज उसका विचार कर लिया जायगा। यह स्वीकृत हुआ।

अब इसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा यह आप बता दें।

सदन का भावी कार्यक्रम

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—हम लोगों का तो यह ख्याल था कि शनिश्चर और इतवार के बाद २८ तारीख को सदन की बैठक हो जाती तो अच्छा था। उसके बाद तो बन्द करना ही होगा, क्योंकि कार्तिक स्नान इत्यादि और कई चीजें हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि एक दिन के लिए २८ तारीख को बैठक न हो। उनका खयाल है कि जिन लोगों को पूर्णिमा स्नान के लिए जाना है वह आसानी से नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें २८ तारीख की बैठक भी नहीं रखनी पड़ेगी और अगले सोमवार को जोकि दिसम्बर की ५ तारीख को पड़ता है, उस दिन सदन की बैठक हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष—नेता सदन जारी रखें।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़ कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।"

श्रीमन्, व्यक्तिगत रूप से तो मुझको इस बात का अफसोस है कि आज हमको इस प्रश्न पर विचार करने में इतना समय लगाना पड़ रहा है। मेरा तो ऐसा खयाल है कि जिस जमाने से हमारा देश गुजर रहा है उसमें हमारी सारी शक्ति पुनस्संगठन और पुर्नानर्माण के काम में ही लगनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से इस आयोग के बैठाये जाने की बात देश के सामने आई तब से कई प्रकार के विचार हमारे सामने आये। कुछ हद तक आपस में—उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं—कटुता भी पैदा हुई और जो एक गलत-सा वातावरण पैदा हुआ वह अभी तक चला जा रहा है। लेकिन अब उस पुरानी बात की चर्चा करना बेकार है। आयोग बना और उसके सदस्यों ने जगह-जगह दौरा करके साक्ष्य लिया और अब उनकी रिपोर्ट हमारे सामने है। उस रिपोर्ट पर विचार करना ही होगा और ऐसी दशा में यह शायद अच्छा ही है कि जितनी जल्दी इस पर विचार खत्म हो जाय और आगे कोई न कोई सूरत निकले जिसको हम आसानी से स्वीकार कर लें और अपने पुनस्संगठन और पुर्नानर्माण के काम में लगें, जो सबसे आवश्यक चीज है। रिपोर्टों की सूरत क्या है, इसके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसम्बर २६, १९५३ में केन्द्रीय मिनिस्टरी आफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसका चौथा पैराग्राफ इस बात पर अच्छा प्रकाश डालता है। छोटा-सा है, मैं उसे पढ़े देता हूं —

"The language and culture of an area have an undoubted importance, as they represent a pattern of living, which is common in that area. In considering a re-organization of a State, however, there are other important factors which are also to be borne in mind. The first essential consideration is the preservation and strengthening the unity and security of India. Financial, economic and administrative considerations are almost equally important not only from the point of view of each State, but for the whole nation. India is embarked upon a five-year plan for her economic, cultural and moral progress. Changes interfering with the successful prosecution of such a national plan would be harmful to the national interest."

थोड़े में इसका भाव यह है कि निश्चय ही इस बात का ध्यान देना चाहिये कि जिस किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार हो रहा हो वहां के लोगों की भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, तथा आर्थिक प्रश्नों पर भी विचार करना होगा। शासन सम्बन्धी प्रश्नों पर भी विचार करना होगा। लेकिन दो चीजें मुख्य हैं। जो भी किया जाय, इस बात का खयाल रखना चाहिये कि उससे भारत की एकता और भारत की रक्षा पूरे तौर से अक्षुण्ण रहे। अक्षुण्ण ही नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो। दूसरी बात यह है कि अपने देश में हम लोगों ने पुर्नानर्माण का कार्य हर दिशा में हाथ में लिया है और आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, हर दिशा में अपने राष्ट्र को फिर से बनाने जा रहे है। तो कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

चाहिये जिससे कि इतने बड़े काम में बाधा पड़े। सिद्धान्त के रूप में अगर कोई बात कही जा सकती है तो यही कही जा सकती है। इसको ध्यान में रख कर इन प्रश्नों पर हमको विचार करना है।

जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें उत्तर प्रदेश और इस राष्ट्र के दूसरे प्रदेशों के बारे में भी बात कही गयी है। निश्चय ही हम लोगों ने सारी रिपोर्ट पर विचार किया होगा और अपनी राय रखते होंगे लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि यथासंभव हम लोग दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में ज्यादा न कहें तो अच्छा है, अपने ही राज्य के सम्बन्ध में अपनी राय देना अच्छा होता है। दूसर राज्यों के सम्बन्ध में हमको शायद उतनी जानकारी भी नहीं है और सम्भव है कोई बात जो यहां हम कहें पूरी जानकारी न होने के कारण जिस राज्य के सम्बन्ध में हम कहें वह वहां के लोगों को पसन्द न हो और व्यर्थ के विवाद में हम पड़ जायं। मैं स्वयं जो कुछ आपके सामने निवेदन करूंगा वह केवल उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहूंगा।

मैं जानता हूं कि जब से यह प्रश्न उठा कि राज्यों का किस प्रकार पुनस्संगठन हो तब से जहां उत्तर प्रदेश में यह राय थी कि उत्तर प्रदेश ज्यों का त्यों बना रहे उसके साथ ही एक राय यह भी व्यक्त की गयी कि नहीं, उत्तर प्रदेश का कुछ विभाजन होना चाहिये। जिन लोगों ने विभाजन के पक्ष में अपनी राय दी निश्चय ही उनका भी उद्देश्य यही रहा होगा कि उससे सभी लोगों का कल्याण हो और देश की भी सुरक्षा बढ़े। उनकी नीयत के सम्बन्ध में किसी को भी एक क्षण के लिये सन्देह करने का कोई अवसर नहीं है और वह उचित भी नहीं होगा और मैं ऐसा समझता हूं कि जिन लोगों ने विभाजन के पक्ष में शुरू में अपनी राय दी उनमें से जहां कुछ लोगों ने काफी विचार करने के बाद अपनी राय बदली वहां अब भी ऐसे कई मित्र हमारे, यहां इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी, इस खयाल के हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये और मैं समझता हूं कि उनकी राय हमारे सामने आयेगी।

उस वक्त जब विभाजन की बात चली तो उसका रूप तो यह था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले उत्तर प्रदेश से अलग हो जायं। वे पश्चिम की तरफ के जिले थे। उनके साथ दिल्ली के कुछ जिले मिलें और कुछ और। इस तरह से मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय। यह जरूर अफसोस की बात हुई, मैं अपनी दृष्टि से कहता हूं कि इस विभाजन के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जो उसमें दिलचस्पी रखते थे उनसे अधिक दिलचस्पी दिल्ली के लोगों ने ली, जिनका दिल्ली के शासन से सम्बन्ध था। मेरी समझ में उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। बहरहाल, मैं नहीं जानता कि उनको उत्तर प्रदेश के हमारे पश्चिमी जिले के लोगों की भलाई में कहां तक दिलचस्पी थी और कहां तक, जो उनकी नीयत थी, वह किसी दूसरे खयाल से थी। अस्तु, उत्तर प्रदेश के विभाजन के पक्ष में दो-तीन बातें खास तौर से कही जाती थीं। एक तो यह कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है और इतने बड़े प्रदेश का शासन कहीं से भी करना कठिन हो जाता है। हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, गवर्नमेंट का केन्द्र लखनऊ में है। ये बातें सामने आती थीं कि ये जगहें केन्द्र में नहीं हैं, प्रदेश के कुछ हिस्से के लोगों से काफी दूर पड़ती हैं। इसके सम्बन्ध में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक इतना बड़ा होने की बात है, यह कोई निराली बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है। आप दुनिया के देशों को ले लें। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका बहुत बड़ा देश है। रूस बहुत बड़ा देश है, दुनिया में बहुत से बड़े देश हैं और हमारा भारतवर्ष भी बहुत बड़ा देश है और फिर भी एक ही केन्द्रीय

गवर्नमेंट होती है जो इन सब प्रदेशों पर शासन करती है। बाहर के प्रदेशों की बात ले लीजिये और उनको आप देखिये। आस्ट्रेलिया एक राज्य है, एक कांटीनेंट है और फिर भी एक ही शासन के मातहत हुकूमत होती है। उसके अन्दर कई स्टेट्स हैं, मस्लन एक वैस्टर्न आस्ट्रेलिया है, उसका क्षेत्रफल ९ लाख ७५ हजार वर्गमील है, इसके सामने हमारे प्रदेश की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी स्टेट क्वीन्सलैण्ड है उसका क्षेत्रफल ६ लाख ७० हजार वर्गमील है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में एक स्टेट टैक्सस है जिसका क्षेत्रफल २ लाख ६० हजार वर्गमील है और भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी स्टेट ह उनका शासन हो रहा है स्वतंत्र रूप से और उनके अन्तर्गत जो प्रदेश हैं वे भी काफी बड़े हैं, उनका भी शासन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि इतने बड़े प्रदेश का शासन नहीं हो सकता है, यह ठीक नहीं है और यह कोई मजबूत तर्क नहीं है।

यह जो कहा जाता है कि इस प्रदेश का केन्द्र-स्थान लखनऊ में है और हाईकोर्ट इलाहाबाद में है जो मध्य में नहीं है तो यह भौगोलिक दृष्टि से तो सही बात है लेकिन आजकल के जमाने में और पहले जमाने में भी यह चीज नहीं थी। दुनिया में बड़ा भारी साम्राज्य मौर्य वंश का था और उसका शासन पाटलीपुत्र यानी पटना से होता था। यह भी बीच में नहीं था। मुगलों के जमाने में शासन दिल्ली से होता था और दिल्ली राजधानी थी लेकिन यह भी हमारे देश के बीच मे नहीं थी। आज भी आप देखते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में है, जो बीच मे नहीं है। इसी प्रकार से रूस की राजधानी मास्को में है जो रूस के बीच में नहीं है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है जो अमेरिका के बीच में नहीं है और इंगलैण्ड की राजधानी लंदन में है जो बीच में नहीं है, तो यह तर्क बड़ा भारी बलवान और दृढ़ नहीं हुआ। पहले भी यह चीज नहीं थी और आज-कल तो रेल ह, तार हैं, हवाई जहाज हैं, जिससे आदमी एक जगह से दूसरी जगह आसानी स आ जा सकते हैं और लोग मिल सकते हैं। आज यहां कोई आदमी होता है वह कल इंगलैण्ड पहुंच जाता है। जब दुनिया में इतनी बड़ी स्टेट्स हैं तो हमारे प्रदेश की उनके सामने क्या हैसियत है, तो यह कोई बलवान तर्क नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में एक बात यह कही गई कि कुछ जिले पश्चिम के ऐसे हैं जिनके विकास की तरफ काफी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कुछ दूसरे जिले खास तौर स वह जिले जो प्रदेश के पूर्व में हैं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान लिया जाय थोड़ी देर के लिये कि ऐसा है, लेकिन है नहीं, इसके सम्बन्ध में मैं पीछे कहूंगा। सोचने की बात यह है कि यदि ऐसा है भी तो शिकायत की क्या बात है। आज पश्चिम के जो जिले हैं सम्पन्न हैं, सुखी हैं, समृद्धिशाली हैं। हमारे लिये यह बड़ी खुशी की बात है। वहां आबपाशी का प्रबन्ध है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि जो सम्पन्नता की सामग्री वहां है और उसका जो प्रबन्ध वहां हुआ था तो वह सारे उत्तर प्रदेश की आमदनी से ही तो हुआ था। चाहे वह किसी समय में हुआ होगा और इन जिलों में वह सामान जुटाया गया जिनसे वह सम्पन्न हों तो यह कोई शोभा की बात नहीं है कि अब वह अलग होने की बात कहें। जैसे कोई घर है और उनसे एक भाई को पढ़ाने-लिखाने में रुपया खर्च किया है और जब वह सम्पन्न हो गया और दूसरे भाई के पढ़ाने-लिखाने का समय आया तो वह भाई जिसके ऊपर सारे घर ने मिल कर उसको सम्पन्न बनाया था, वह कहे कि मैं तो अलग होता हूं तो यह उसके लिये कोई शोभा की बात नहीं है। अगर यह तर्क मान लिया जाय तो इसका परिणाम क्या होगा? देश के जो दुर्बल हिस्से हैं, जैसे आसाम है और भी कई प्रदेश हैं, जैसे मध्य भारत आदि हैं, जिनके पास रुपया नहीं है और साधन भी नहीं हैं तो क्या उनको भारतीय सरकार के खजाने से रुपया न दिया जाय? बम्बई रुपये वाला है, बना रहे।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जो सुखी हैं, समृद्धिशाली हैं, व्यापारी ह और रोजगारी है, वह बना रहे और देश के जो हिस्से गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं तो क्या उनको हमेशा गरीब बना रहने दिया जाय और उनको केन्द्र से रुपया न दिया जाय ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो यही होना चाहिये कि हर प्रदेश को उन्नति का मौका मिले ताकि देश का कोई हिस्सा, प्रदेश का कोई भी टुकड़ा, कोई भी जिला दूसरे पर बोझ बन कर न रहे, बल्कि सब अच्छी हालत में रहे, सब सम्पन्न रहें और सब सुखी रहें। जब तक कि देश का कोई हिस्सा कमजोर रहता है, कोई हिस्सा संपूर्ण नहीं है, तब तक वह दूसरों के लिये बोझ है, वह दूसरों को भी नीचे खींचेगा। तो प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे थे कि जिनकी उन्नति का पहले खयाल नहीं किया गया। किन्हीं कारणों से नहरों इत्यादि का प्रबन्ध पहले नहीं हुआ। अगर वहां प्रबन्ध किया जाता हो तो उसमें किसी को रंज नहीं होना चाहिये बल्कि खुशी होनी चाहिए कि अब तक जिनकी तरफ ध्यान नहीं गया था वह भी आज हमारे बराबर आ जायंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह खयाल गलत है। अगर पिछले १० वर्षों के आंकड़े लिये जायं तो यह देखा जायगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी बटवारा हुआ है, जो भी यहां खर्च हुआ है वह सर्वथा न्यायोचित हुआ है। किसी एक जगह नहर की जरूरत हुई है तो वहां नहर बनाई गई है, नलकूप की जरूरत हुई तो नलकूप बनाया गया है और बिजली की आवश्यकता हुई तो उसका प्रबन्ध किया गया है। शिक्षा के लिये स्कूलों का प्रबन्ध, अस्पताल का प्रबन्ध और जिस किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, जनसंख्या को ही ले लीजिये, सब तरह से देखने से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो रुपया-पैसा खर्च किया गया है उसमें कहीं भी किसी हिस्से के साथ अन्याय नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे पास बहुत काफी आंकड़े हैं, मैं उनको दे सकता हूं लेकिन मैं एक वजह से समय नहीं लेना चाहता हूं। स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन के सामने हमने आंकड़े भेजे थे, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक वजह से मैं आंकड़ों को यहां पेश नहीं करना चाहता और वह वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो आधार था वह ही चला गया। उसके विभाजन का आधार यह था कि यहां के १६ जिले दिल्ली के हिस्से के साथ मिलाये जायंगे और इस प्रकार दिल्ली को केन्द्र मान कर एक राज्य बनेगा। वह चीज खत्म हो गई इसलिये कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने यह निश्चय किया है कि दिल्ली का राज्य होगा ही नहीं। जब दिल्ली का राज्य ही नहीं होगा तो जो केन्द्र बनने की बात थी वह खत्म हो गई और वह किस्सा ही चला गया। उस वक्त जो बातें उसके समर्थन में कहीं गई थीं उनके जवाब में जो आंकड़े पेश किये जा सकते थे उनकी चर्चा करके अब मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—नियम में संकल्प के प्रस्तावक को २५ मिनट बोलने के लिये है, और बाकी सदस्य १५ मिनट बोल सकेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—एक दिन बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष—कुछ भी हो गया हो। २५ मिनट प्रस्तावक को मिलते हैं और १५ मिनट से ज्यादा किसी को बोलने के लिये नहीं मिलेंगे जब तक कि आप नियम को स्थगित नहीं करते। अगर आप नियम को स्थगित कर दें तो दूसरी बात है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—चूंकि एक दिन का समय और मिलेगा लिहाजा यह प्रस्ताव मैं करता हूं कि मुख्य मंत्री को अधिक समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री जी का सवाल नहीं। मैंने तो यह कहा कि नियम यह है। जो मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार करीब ६०-७० आदमी बोलेंगे। तो ऐसी अवस्था में १५ मिनट से ज्यादा मैं दूसरों के लिये नहीं दूंगा। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये आप ज्यादा समय देना चाहते हैं तो प्रस्तावक के लिये नियम में कुछ ढील करने की जरूरत है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जो लोग अमेंडमेंट मूव करेंगे उनको भी १५ मिनट दिये जायंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसी से मैं कह रहा हूं कि अगर उसके लिये आप कोई प्रस्ताव भेजना चाहते हैं तो मेरे पास भेज दें और मैं उसको बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी एक-एक आदमी अपनी बात अगर बोलना चाहे तो मैं उसमें समय नहीं देना चाहता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मंत्री को बोलने के लिये एक घंटे का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? (किसी के आपत्ति न करने पर) तो ठीक है, प्रस्तावक को बोलने के लिये एक घंटे का समय रहेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—मुख्य मंत्री जी जितने तक बोलना चाहें उनको पूरी छूट हो, लेकिन बाकी बोलने वालों के लिये २० मिनट से अधिक समय नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले एक प्रस्ताव लेता हूं। मुख्य मंत्री जी जिस समय अपना भाषण समाप्त करना चाहें, करें, लेकिन एक घंटे का साधारण समय है।

(किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की, किन्तु कुछ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

मैं अब किसी को कोई चीज कहने के लिये इजाजत नहीं देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि पुराना प्रस्ताव यह था कि उत्तर प्रदेश से देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फ़रनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर इन जिलों को निकाल लिया जाय और कुछ दूसरे प्रदेश के जिलों को मिला कर नया राज्य बने। अब सरदार पणिक्कर ने जो अपने नोट आफ़ डिसेण्ट में लिखा है उसमे उन्होंने दूसरी राय दी है। उन्होंने देहरादून और पीलीभीत को छोड़ दिया है। वह शायद इस वजह से कि उन्होंने पहाड़ी जिलों को उत्तर प्रदेश के साथ रहने दिया। उनके दिमाग़ में यह बात आयी हो कि जब पहाड़ी जिलों को उत्तर प्रदेश में रहने दिया जायगा तो उत्तर प्रदेश के लिये कोई रास्ता रहना चाहिये जिससे उनके लिये रास्ता निकल सके। इस वजह से उन्होंने पीलीभीत और देहरादून को छोड़ दिया। झांसी डिवीजन के कुछ जिले मिला दिये और कुछ हिस्से मध्य भारत के मिला दिये। यह राय उन्होंने नये राज्य को बनाने के लिये दी कि १४ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, मध्यभारत के कुछ जिले, झांसी डिवीजन के कुछ जिले मिला कर एक आगरा स्टेट बना दी जाय, जिसकी राजधानी आगरा में हो।

यह बात मैंने उस पुराने तर्क के सम्बन्ध में कही जिसकी बाबत में इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। केवल २, ३ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सरदार पणिक्कर ने जो बात कही है सम्भव है कि कुछ लोगों के ध्यान में यह बात हो कि उनके प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। लेकिन इसके विषय में २, ३ पहलुओं से विचार कर लेना चाहिये। इस प्रस्ताव को मानने में कुछ दिक्क़तें पैदा होंगी जिनका जिक्र पणिक्कर साहब ने अपने नोट में नहीं किया है। लेकिन जब हम किसी बात का निश्चय कर लेते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक जा कर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पड़ेगा, क्योंकि इससे राज्य की सीमा बदलती है और सीमाएं रोजबरोज नहीं बदला करती हैं। इस कारण इस पर कई पहलुओं से गौर करना चाहिये कि इसमें क्या-क्या दिक्कतें उत्पन्न होंगी। मान लीजिये कि इस राज्य का झांसी डिवीजन और १४ जिले और मध्यभारत के कुछ हिस्से, इन सब को मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय, तो अब हमको यह सोचना चाहिये कि जो नया राज्य बनेगा वह अपना खर्चा चलाने के लिये अपना भार उठा सकेगा या नहीं। झांसी डिवीजन हमारे प्रदेश के उन हिस्सों में है जो इस प्रदेश के ग़रीब ज़िले कहलाते हैं। झांसी डिवीजन अपना खर्चा अपने से नहीं चला सकता है। प्रदेश के और हिस्सों ने मिल कर वहां लोगों की भलाई के लिये काम किये हैं और किये जा रहे हैं। ललितपुर बांध बनाया गया है। माताटीला बांध बनाया जा रहा है। झांसी डिवीजन के मिल जाने से रुपये-पैसे के मामले में वह कोई मदद नहीं दे सकता है। मध्य-भारत भी ऐसा नहीं है जो अपना ख़र्चा उठा सके। इसके माने यही होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो १४ जिले होंगे उनको ही यह सारा बोझा सम्भालना होगा। झांसी डिवीजन के जो जिले हैं उसका बोझा सम्भालना होगा और मध्यभारत का बोझा भी अपने कन्धों पर लेना होगा। एक बात और याद रखने की है और वह यह है कि जब कभी बटवारा होगा उसमें प्रदेश के देने और पावने का भी बटवारा होगा। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो ऋण है जो पब्लिक डेट है उसमें भी हिस्सा बटाना होगा और उस पब्लिक डेट का जो बटवारा होगा वह इस दृष्टि से होगा और उसमें यह देखना होगा कि कर्ज़ा किस साल लिया गया और किस-किस काम के लिये लिया गया। यदि कोई ऐसा क़र्ज़ा लिया गया है कि जिस कर्ज़े से किसी खास ज़िले को फ़ायदा हुआ है तो ज़ाहिर है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेश के उन जिलों पर पड़ेगा। इस बात को भी समझ लेना चाहिये कि इस लायबिलिटी को ले कर आप फिर चलेंगे और इसके अलावा झांसी डिवीजन और मध्यभारत के ज़िलों का भार भी उठा सकेंगे या नहीं, यह सोचने की बात है। फिर आप गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से क़र्ज़ ले कर अपना काम चलायेंगे और उनसे ही लेते रहेंगे। यह बात शायद सोचने पर कोई बटवारे की बात को पसन्द नहीं करेगा। किसी से मदद न लेकर अपने रेवेन्यू के बल पर अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बहुत मुश्किल होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी दिक्क़त होगी। इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन मध्य भारत के शासन का स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। यह एक सत्य बात है। वह राज्य बड़ा नहीं था एक छोटा-सा राज्य था। मुझे मध्य भारत का थोड़ा-सा निजी अनुभव भी है। मैं प्रिन्सेज़ कालेज में तीन साल तक रह चुका हूं। उस राज्य के हर हिस्से से परिचित हूं। रूलिंग प्रिन्सेज़ में कई मेरे विद्यार्थी हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। मैं काफी उस हिस्से से वाकिफ हूं और वहां के काफ़ी हिस्से से वाकफियत है। वहां ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां कि यू० पी० के रिटायर्ड हेड कानिस्टेबिल जा कर इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस रहे हैं। जब मध्यभारत बना तो उसमें जहां कि बड़ी-बड़ी स्टेट्स ग्वालियर और इंदौर जैसी मिलीं वहां कुछ छोटी-छोटी स्टेट्स भी मिलीं। यद्यपि उन्होंने वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन वह इन ५—६ सालों में उसको एक-सा और ठीक न कर पाये, न तो जस्टिस के मामले में और न ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। अगर उसको उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जायगा तो उसके शासन का स्तर बिल्कुल ही अलग होगा तथा उसके मिलने से बड़ी तकलीफ़ होगी, दिक्क़तें पैदा होंगी। कुछ लोग जो सरदार पणिक्कर के सुझावों से संतुष्ट हो कर और भी स्थानों को अपने में मिलाना चाहते हैं, वे इन करीब १४ जिलों के साथ बड़ा अन्याय करेंगे। मुख्य प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की बात क्यों सोची जाती है ?

प्रान्तों के बटवारे के सम्बन्ध में एक आधार भाषा का माना गया है और भाषा के आधार पर कुछ स्टेट्स बनी हैं। भाषा के आधार पर जब प्रान्त बनाये जाते हैं और उसमें मराठी बोलने वालों का एक प्रान्त, गुजराती बोलने वालों का एक प्रान्त, बंगाली बोलने वालों का एक प्रान्त बनाया जाता है तो फिर बेचारी गरीब हिन्दी को क्यों भुला दिया जाता है ?

उसके बारे में जब हम ख्याल करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य-भारत और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर एक प्रान्त बना दिया जाय। अगर यह विचार प्रकट किया जाता तो किसी हद तक ठीक होता और यह ख्याल किया जाता कि जब मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र प्रान्त, गुजराती भाषा के लिये गुजरात प्रान्त, बंगाली भाषा के लिये बंगाल प्रान्त और इसी प्रकार से तामिल भाषा के लिये तामिल प्रान्त और तेलगू भाषा के लिये तेलगू प्रान्त की बात सोची गयी तो हिन्दी के लिये भी हिन्दी भाषी प्रदेश हो अगर ऐसा सोचा जाता तो बात कुछ समझ में आ सकती थी। मैं यह नहीं कहता कि इतने बड़े राज्य का बनाया जाना प्रैक्टिकल बात हुई होती लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि उस समय ऐसी बात अवश्य कही जा सकती थी कि हिन्दी बोलने वालों का एक प्रान्त बनाया जा रहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक तरह की भाषा बोलने वालों के प्रान्त के दो टुकड़े क्यों किये जा रहे हैं। हमारे प्रान्त में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक ही भाषा बोली जाती है, चाहे उसके डायलेक्ट कुछ भी हों। तो फिर यह बात समझ में नहीं आती कि हम लोगों को क्यों अलग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सतयुग, द्वापर, त्रेता अथवा कलयुग की बात नहीं कहता लेकिन वर्तमान में हमारा जो प्रान्त ह, उसके जो रहन वाले हैं उनकी एक विशिष्ट कल्चर है। यहां के रहने वालों की संस्कृति, सभ्यता, रस्म-रिवाज, बोलचाल और आचार-विचार एक से हैं, और जगह कुछ भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके उठने-बैठने और बोलचाल तथा बर्ताव का जो तरीका है उसमें कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ लोग उसको अवश्य जरूरत से ज्यादा फार्मल समझते हैं लेकिन वह यहां की खास तहजीब है। इस प्रकार की कल्चर का आधार भी हमारे आपस का बहुत बड़ा बन्धन है। इसका भी हमें खयाल करना चाहिये।

बार-बार ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत पहले हमारा प्रान्त इस प्रकार का नहीं था, केवल १००—१५० वर्षों से ही ऐसा है। लेकिन यह भी एक छोटी चीज नहीं है, थोड़ा समय नहीं है। मान लिया जाय कि यहां के आदमी साथ-साथ अंग्रेजी शासन-काल में ही आये लेकिन इतन दिनों में यहां आपस में इतनी ज्यादा एकता आ गयी है जिसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हमारा दश एक कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप से हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। हमारे यहां सारे प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अन्त हो गया है तथा लैंड टेन्योर का जो सिस्टम है वह सब एक-सा है। जितना भी ऐडमिनिस्ट्रेशन है, ग्राम पंचायतें और अदालती पंचायतें हैं, वे सार प्रदेश में एक समान ह। इस प्रकार से सारे प्रदेश में एक प्रकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तरीका भी सारे प्रदेश में एक समान ही है। जहां तक शिक्षा का संबंध है एक ही प्रकार की किताबें सारे प्रदेश में पढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार से अगर इस प्रदेश के कुछ भाग को मध्य भारत या और किसी प्रदेश के किसी भाग से मिला दिया जायगा तो वहां की हालत ही दूसरी होगी। वहां दूसरे ही प्रकार की लैंड टेन्योर होगी, वहां का सिस्टम दूसरा ही होगा, कानून भी वहां दूसरे ही प्रकार के होंगे और इस प्रकार से बिल्कुल बेजोड़ मेल पैदा करने में दिक्कत हो जायगी, जिसमें सबको तक़लीफ़ होगी, उनको भी शायद तक़लीफ़ होगी। यहां के लोगों को तो जरूर ही तकलीफ़ होगी इस तरह के बेजोड़ मेल से।

हमने अपने प्लान्स आगे के लिए बनाये हैं उन प्लान्स की तरफ़ आप ध्यान दें। बिजली की ही बात है, आजकल के जमाने में बग़ैर बिजली के तरक्की नहीं हो सकती। हमने बिजली के प्रोजेक्ट्स पश्चिम में भी बनाये हैं और इधर रिहन्द डाम के भी बनाये हैं यानी दोनों तरफ बिजली के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों तरफ से कानपुर तथा इलाहाबाद में आकर हमारी यह स्कीम एक में मिल जायगी। बिजली के के लिये सारे स्टेट की तस्वीर हमारे सामने है, पावर इर्रीगेशन की तस्वीर हमारे सामने है। जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है चाहे वह बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री हो, वह हमारे सामने है। बड़ी इंडस्ट्रीज को ही आप देखें, मोदीनगर जो पश्चिम में है वहां इतनी बड़ी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इंडस्ट्रीज चल रही हैं, गाजियाबाद में हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही हैं जो पश्चिम में ही हैं। जहां तक पूरब की बात है यह प्रकृति की देन है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी हमें मिर्जापुर जिले में ही खोलनी पड़ी। हम पूरब तथा पश्चिम सारे प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की बात है, जहां बनारस, मऊ में हम टेक्सटाइल को तरक्की दे रहे हैं, वहां मुरादाबाद में बर्तन को तरक्की देने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम के जिलों में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये भी कोशिश कर रहे हैं। उस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए आज हमारे प्रदेश में हजारों पेड़ एश आदि के लगाये जा रहे हैं जिनकी लकड़ी से वे सामान बन सकें। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में क्रिकेट, हाकी आदि खेलों के लिये सामान तैयार किये जाते हैं जिनके लिये खास तौर से पश्चिमी जिलों में ही हजारों पेड़ लगाये जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से शहतूत के पेड़ लगाये जा रहे हैं जिससे हम रेशम के कीड़े पाल सकें और रेशम इंडस्ट्रीज की तरक्की कर सकें। तो हमारे सामने चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हों, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात हो, उन सब की तरक्की की बात हमारे सामने है और इसलिये जो हमारा अगला पंचवर्षीय प्लान आवेगा उसमें पूरब-पश्चिम की कोई बात नहीं है, उसमें सारे स्टेट की तस्वीर आपको दिखलाई पड़ेगी। अगर इसमें किसी तरह के हेर-फेर की बात की गयी तो पूरब का प्लान भी छिन्न-भिन्न हो जायगा और पश्चिम का प्लान भी छिन्न-भिन्न हो जायगा। मध्य भारत की सूरत दूसरी थी, विन्ध्य प्रदेश की सूरत दूसरी थी और उन्होंने जो अपना प्लान बनाया है वह वहां की परिस्थिति के अनुसार बनाया है और हमारे यहां का जो प्लान है वह हमारे यहां की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है। दोनों में बहुत फर्क है और अगर दोनों को मिलाया जाय तो एक अजीब चीज हो जायगी और दोनों में से किसी के लिये भी वह लाभदायक नहीं होगी।

बार-बार खासतौर से सरदार पणिक्कर ने और वे लोग जो उनके साथ थे उन्होंने कई मर्तबा इस बात पर जोर दिया है कि बड़े साइज का स्टेट नहीं होना चाहिये। अगर बड़े स्टेट की बात की जाती है तो केवल उत्तर प्रदेश ही बड़ा नहीं है। जहां सरदार पणिक्कर ने उत्तर प्रदेश के बड़ा होने पर एतराज किया है वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी बड़ा मध्य प्रदेश को बनाने की सिफारिश की है जिसमें मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और भूपाल भी शामिल हैं। वह मध्य प्रदेश जो मौजूदा उत्तर प्रदेश अनडिवाइडेड है उससे भी ३०, ४० हजार स्क्वायर मील बड़ा है। फिर उत्तर प्रदेश ने ही कौन-सा बड़ा पाप किया है जो कहा जाता है कि इतना बड़ा स्टेट नहीं होना चाहिये। जिस कलम से उत्तर प्रदेश के लिये लिखा गया है कि इतना बड़ा स्टेट नहीं होना चाहिये उसी कलम से वहीं लिखा गया है कि मध्य प्रदेश बने जो १ लाख ७१ हजार स्क्वायर मील का होगा। जहां तक पापुलेशन की बात है, जरूर हमारे यहां पापुलेशन ज्यादा है लेकिन डेंसिटी आफ़ पापुलेशन देखा जाय तो कई जगह से जैसे ट्रावनकोर कोचीन, वेस्ट बंगाल, बिहार आदि से बड़ा उत्तर प्रदेश नहीं है। लिहाजा इस दृष्टि से भी नहीं कहा जा सकता है कि हमारे यहां की पापुलेशन ज्यादा है। मैंने अभी आप के सामने मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि एक तरफ़ तो इतनी बड़ी यूनिट है, दूसरी तरफ़ हैदराबाद के कुछ हिस्से तथा आंध्र को मिला कर एक विशाल आंध्र बनाने की बात चल रही है, मैसूर तथा तैलंगाना के कुछ हिस्से को मिला कर कर्नाटक को बनाने की बात है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इतने बड़े-बड़े स्टेट तो बनें लेकिन उत्तर प्रदेश के टुकड़े-टुकड़े जरूर कर दिये जायं, आखिर इस ग़रीब उत्तर प्रदेश ने कौन-सा बड़ा पाप किया है? यह लाजिक (तर्क) मेरी समझ में नहीं आ सकी।

एक बात और भुलायी जाती है कि बड़े-बड़े टुकड़े होने से देश का फायदा भी हो सकता है। छोटे-छोटे टुकड़े भले ही हों लेकिन अगर कभी भारत की सेक्योरिटी, भारत की सुरक्षा का सवाल चाहे वह भीतरी हो या बाहरी किन्हीं कारणों से पैदा हो तो भारत की रक्षा में बड़े-बड़े यूनिट ही सफलीभूत हो सकते हैं। हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जब सन् १९४७ ई० में पाकिस्तान बनने का सवाल पैदा हुआ उस वक्त हमारे प्रदेश के फ्रंटियर

पर और पंजाब में जो सूरत पैदा हो गयी थी और जिसमें पंजाब चौपट हो गया और वहां क्या बर्बादी नहीं हुई, बिहार में भी तमाम रायट्स हुए । लेकिन आप जरा सोचें कि अगर इस प्रदेश में वही सूरत हो जाती और वैसी ही आग भड़क उठती तो मैं समझता हूं कि सारे भारत को कोई ऐसे वक्त में सम्भाल नहीं सकता था, और मेरा और सभी का खयाल होगा कि केवल एक बड़ी स्टेट होने के कारण यह प्रदेश उस आग को फैलने से रोक सका और बड़े होने के नाते चूंकि उसमें शक्ति थी इसलिये उस वक्त सारा भारत सम्भल गया और उस नाजुक वक्त से निकल सका। हमारा जो तिब्बत और चीन का फ्रंटियर है उसकी रक्षा करना वैसे केन्द्रीय सरकार का काम है लेकिन आपको मालूम होगा कि उस तमाम फ्रंटियर पर रक्षा के लिये कोई भारत सरकार की फौज नहीं है, बल्कि उस १८ हजार फुट की ऊंचाई पर इसी विशाल प्रदेश की पुलिस रहती है और कहा जाता है कि वह १८,००० फुट की ऊंचाई पर यहां का सबसे बड़ा और ऊंचा पुलिस आउटपोस्ट है। इसके अलावा ईश्वर न करे कि कभी समय पड़ जाय तो जो देश की बड़ी स्टेट्स हैं वही भारत सरकार की हर तरह की मदद कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति और पैसा भी होता है और काफी पुलिस आदि रखने की ताक़त होती है। कोई कमजोर स्टेट रक्षा नहीं कर सकती, वह तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती और जिस हद तक, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती उस हद तक तो वह केन्द्रीय सरकार को ही कमजोर बनाती है, क्योंकि उसको मजबूर होकर अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी। इसलिये समस्त देश की भलाई की दृष्टि से भी यह परम आवश्यक है कि भारत की रक्षा के लिये कुछ बड़ी-बड़ी स्टेट्स यहां रहें। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि सुरक्षा की नजर से एक मजबूत स्टेट बीच में बनी रहना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस बात को सभी लोग समझते होंगे।

बड़ी स्टेट होने से कौन सा एक अजीब हौवा सामने आ जाता है। बहुत से लोग इस बात से भी घबराते हैं कि इस प्रदेश के बहुत से लोग पालियामेंट के मेम्बर हैं। जो हमारे उन १३—१४ जिलों के भाई हैं वह शायद न कहते हों लेकिन वैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश कोई हौवा है। पालियामेंट में या सेन्ट्रल गवर्नमेंट में अगर इस प्रदेश के आदमी अधिक पहुंच गये हैं तो इसको क्या किया जाय ? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किसी से पूछ कर तो जन्म प्रयाग में लिया नहीं था, और यह उनके पिछले जन्म के पुण्यों का फल रहा होगा, जिनको देश योग्य समझता है, जो किसी पद के लायक होता है वह पहुंच जाता है। रही पालिया-मेंट के मेम्बर बनने की बात तो वह तो आबादी के लिहाज से बनते हैं। पणिक्कर साहब ने लिखा है कि इसमें फेडरल प्रिन्सिपल नहीं माना गया है और कांस्टीट्यूशन में प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होनी चाहिये चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो। मैं कहता हूं कि चाहे सरदार पणिक्कर हों या और कोई भी शख्स हो वह बताये कि इस प्रदेश के किसी भी मेम्बर ने या किसी जिम्मेदार आदमी ने कभी भी कोई प्रान्तीयता दिखाई है ? उत्तर प्रदेश में कभी भी प्रान्तीयता या प्राविन्शियलिज्म को कोई स्थान दिया गया है ? हमारे यहां अभी तीन-चार वर्ष पहले इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस जैसे जिम्मेदार पद पर एक बंगाली सज्जन थे, डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन, श्री घोष एक बंगाली सज्जन थे, श्री घोशाल, काटेज इंडस्ट्रीज के डायरक्टर रहे, हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर श्री बनर्जी रहे, चीफ़ जस्टिस यहां बंगाली सज्जन रहे और एक साथ चार-चार, पांच-पांच बंगाली थे जो यहां बड़े पदों पर रहे और हमारे यहां कभी यह सवाल नहीं उठा कि मदरासी, गुजराती, बंगाली या महाराष्ट्री में कोई भेद है और आज भी हमारे यहां दूसरे प्रदेशों के लोग मौजूद हैं। हमने कभी कोई प्रश्न प्राविन्शियलिज्म का नहीं उठाया। कोई नहीं कह सकता कि यहां के पालियामेंट के सदस्यों ने कभी भी पालियामेंट में कोई प्रान्तीयता बर्ती हो। फाइव ईयर प्लान चली, उसमें उन लोगों ने कौन-सा खजाना लाकर इस प्रदेश में भर दिया या कोई बताये कि किस मौक़े पर वहां के लोगों ने प्रान्तीयता बर्ती ? अगर यहां के मेम्बर अधिक हैं तो इससे भी देश का कोई नुक़सान नहीं होता। अगर किसी का यह खयाल है कि जो बड़ा भारी फेडरल सिद्धान्त है कि जितने छोटे-बड़े राज्य हैं सबके प्रति-

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

निधियों की संख्या बराबर हो तो उसके लिये वह विधान को पहले बदलवा दें। बड़े प्रदेशों ; से ५ मेम्बर पहुंचें, कुर्ग और आसाम से भी पांच-पांच और यहां से भी पांच पहुंच जायं लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कहां आती है, अगर संविधान में कोई ग़लत बात वे समझते हैं तो उसको वे पहले बदलवायें लेकिन उससे उत्तर प्रदश के टटने की बात नहीं पैदा होती। संविधान के बदलने में दो दिन, चार दिन, दस दिन की बात होगी लेकिन अगर प्रदेश का विभाजन हो जायगा तो उससे तो पुश्त दर पुश्त की खराबी वाली बात होगी और इससे इतना बड़ा लम्बा-चौड़ा नुक्सान हो सकता ह कि वह भयानक चीज भी हो सकती है। इस दृष्टि से भी और किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं कहा जा सकता कि इस महान् प्रदेश का विभाजन हो और इनके अतिरिक्त और कोई आर्गूमेंट्स नहीं हैं जिनका मैं जवाब दूं। मैंने इन बातों को आप के सामने रख दिया है और अब उसके परिणाम को आपके सामने रखता हूं कि जैसा उत्तर प्रदेश आज है वैसा ही यदि वह बना रहेगा तो उसी में हमारा कल्याण है और सारे देश का कल्याण है।

मैं एक बात का जिक्र और करना चाहता हूं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ बाउंडरीज के सम्बन्ध में अगर थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने की जरूरत हो या जरूरत पैदा हो सकती है तो उसके सम्बन्ध में एक चीज हमने की है वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने कभी नहीं चाहा और न कभी दूसरे स्टेट के हिस्सों को अपने यहां मिलाने की बात रखी है। लेकिन जब रिपोर्ट पेश हो गयी और सामने आ गयी है तो दिल्ली में जो चीफ़ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें मैंने निवेदन किया था और अब गवर्नमेंट की तरफ से लिखा भी है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी का कोई हिस्सा लें और हमने शुरू से कभी नहीं कहा लकिन जब कि रिपोर्ट में तय हो गया है कि विन्ध्य प्रदेश इत्यादि को तोड़ना है तो जो वहां के लोग चाहें सो हो। लेकिन विन्ध्य प्रदेश का एक छोटा-सा हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। उस हिस्से को बघेलखंड कहते हैं। उस हिस्से की बाबत अगर विन्ध्य प्रदेश ज्यों का त्यों रहता हो तो हमें कुछ अर्ज नहीं करना है लेकिन अगर यह तय कर दिया जाय कि विन्ध्य प्रदेश को तोड़ना है और उसको किसी और में मिलाना है तो वह हिस्सा जिसमें बघेलखंड का भाग है जो रीवां स्टेट के पास का हिस्सा है वह उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो उससे अच्छा होगा। वहां के लोग भी दौड़ रहे हैं और रोज-रोज दिल्ली तक दौड़ रहे हैं और वहां के लोगों की इच्छा भी है। लेकिन यह हमने इसलिये किया है कि हमारा जो रिहंद डैम है आप जानते हैं कि उसमें १८० स्क्वायर मील की लेक बन रही है। उसमें करीब १४० मील तक तो उत्तर प्रदेश में है और ३० मील के करीब रीवां स्टेट में पड़ता है। तो यह छोटा-सा भाग इस लेक का विन्ध्य प्रदेश के पास है। अब १४० स्क्वायर मील तो उत्तर प्रदेश की स्टेट के शासन में रह और ३० मील विन्ध्य प्रदेश की स्टेट के शासन में रहे तो उचित नहीं है। यह बहुत छोटा-सा टुकड़ा है। एक चीज और है जब विन्ध्य प्रदेश ने इस जमीन को देना मंजूर किया था तो उस समय एक समझौता हुआ था कि जो बिजली यहां पैदा होगी उसमें से उनको दी जायगी। अब जहां तक इन राज्यों के समझौते की बात है उनमें आगे चल कर विवाद हो सकता है। हम कहेंगे कि हमने इतना देने को कहा था और वे कहेंगे कि नहीं तुमने काफी देने को कहा था कि हम काफी देंगे। लेकिन अगर यह बड़ा छोटा-सा टुकड़ा आ जाय तो इसमें आसानी होगी। यदि यह कहा जाता है कि साहब वहां कुछ मिनरल्स हैं, कुछ खनिज पदार्थ हैं। तो अगर वह हमको मिल जायं तो मिल जायं। इसमें तो कोई अन्याय की बात हमने नहीं की। इस वक्त मध्य प्रदेश का वह हिस्सा, हिन्दुस्तान का खनिज पदार्थों की दृष्टि से सब से सुन्दर और सब से बड़ा हिस्सा बस्तर स्टेट है, जिसको उड़ीसा वाले भी चाहते हैं, जिसे आन्ध्र वाले भी चाहते हैं। वैसे तो बस्तर स्टेट बहुत ही छोटा-सा राज्य भले ही है लेकिन खनिजों की दृष्टि से बहुत ही अमीर है। वह भाग मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। तो अगर एक छोटा-सा भाग रिहंड डैम के महत्व को देखते हुए इधर

आ जाता है और उस भाग के उस भूमि के कुछ मिनरल्स भी इस प्रदेश को चले आते हैं तो उससे मध्य प्रदेश का कोई नुक्सान नहीं होगा। तो बस इतना तो मैं मिनरल्स आदि के एक्स्प्लायट करने की बात के बारे में कहता हूं और उस सम्बन्ध में अधिक कोई बात नहीं है। जहां तक बाउंडरीज़ मिलाने की बात है मैं इतना निवदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किसी का कोई नुक्सान नहीं चाहता है। देश की सुरक्षा, उसकी भलाई की दृष्टि से हम सब कुछ करना चाहते हैं।

अब अन्त में बैठने के पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं। हम चार दिन इस पर विवाद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय देने का अख्तियार है, लेकिन अभी जिस सभ्यता और संस्कृति का मैंने ज़िक्र किया था उसका लिहाज़ करते हुये चाहे उत्तर प्रदेश एक रहे जैसा मेरे जैसे लोग चाहते है और चाहे उसके टुकड़े हो जायं, चाहे दो, चार, दस-बीस और चाहे सैंकड़ों टुकड़े हो जायं, लेकिन तब भी हम आशा करते हैं कि हर हालत में हम जो भी अपनी तहजीब है. जो अपनी संस्कृति और सभ्यता है उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भी चार दिन के अन्दर डिबेट होगा उसमें कड़वी बात नहीं होगी। किसी व्यक्ति के किसी इरादे पर कोई आक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सिद्धान्तों की बातें हो सकती है और बगैर किसी कड़वी बातों के और अगर ऐसी बात होगी तो वह उत्तर प्रदेश के गौरव के सर्वथा अनुकूल होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--अब इस विषय पर पहले विचार हो जाय कि बाकी सदस्यों को समय थोड़ा दिया जाय या ज्यादा दिया जाय इसके ऊपर विचार करना है या नहीं। मैं तो समझता हूं कि १५ मिनट का समय काफी होगा। कुछ लोगों की तरफ से मेरे पास यहां तक खबर आई है जिसमे वे कहते हैं कि हमको चाहे ५ मिनट दे दिया जाय, ७ मिनट दे दिया जाय, लेकिन बोलने का अवसर अवश्य दिया जाय। यहां तक मांग है क्योंकि हर एक को अपने-अपने जिले की दृष्टि से भी कुछ विचार करना पड़ता है और इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ता है जैसे कि कुछ लोगों के ऐसे विचार हैं कि हमारे पड़ोस के जिले जोड़े जायं। तो हर एक आदमी चाहेगा कि वह अपना प्वाइंट आफ व्यू रख सके। इसलिये १५ मिनट वैसे काफी हैं नहीं तो फिर पीछे से लोग बोल नहीं सकेंगे और ५-५ मिनट देने की नौबत आ जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--मेरा एक सुझाव है जो आपने १५ मिनट की बात कही वह तो ठीक है, लेकिन माननीय श्रीचन्द्र जी को कम से कम २५ मिनट मिलने चाहियें, क्योंकि सारी स्टेट के खाके को सामने रखकर अपोजीशन को लीड किया है। उन्हें मौका मिलना चाहिये कि सदन के सामने वे अपनी सारी बातों को रख सकें, ताकि हम उन पर विचार कर। इसी तरह से २५ मिनट माननीय नेता विरोधी दल को भी मिलें, ताकि वे अपने विचार रख सकें। इसके अलावा सबको १५, १५ मिनट मिलने चाहिये।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--उपाध्याय जी ने स्वयं माना कि इस प्रश्न पर विरोधी दल के नेता का काम श्री श्रीचन्द्र जी कर रहे हैं। इसलिये श्रीचन्द्र जी का जहां तक सवाल है.........

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप जरा अनुचित सी बात कह रहे हैं। यह उनके ऊपर टीका है।

मैं समझता हूं कि इस तरह से रखा जाय कि विरोधी दल के नेता को २५ मिनट और जो स्वतंत्र दल है उनकी भी मांगें हैं लिहाजा राजा साहब जगम्मनपुर के लिये भी २५ मिनट रक्खे जायं और श्रीचन्द्र जी के लिये भी २५ मिनट रख दिये जायं। तीन आदमियों के लिये २५, २५ मिनट रक्खे देता हूं और बाकी लोगों के लिये १५, १५ मिनट।

(इस प्रक्रम पर श्री अध्यक्ष ने श्री नरदेव शास्त्री का नाम पुकारा, किन्तु श्री शास्त्री नें कहा कि वे अपना संशोधन उपस्थित करना नहीं चाहते। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि बाद में उनको बोलने का अवसर दिया जायगा।)

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करें वही सामने आयें। माननीय श्रीचन्द्र, आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शास्त्री जी के संशोधन का समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरा और उनका संशोधन करीब-करीब एक ही है।

श्री अध्यक्ष—वे अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहते हैं। आप अपना पेश करना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—जी हां, पेश करना चाहता हूं।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से····

श्री अध्यक्ष—आप संशोधित रूप में अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—जी हां, मैंने कुछ परिवर्तन कर दिये हैं, जो मैंने कल दे दिये थे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे छपे हुए संशोधन की पंक्ति २ में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाय—

शब्द "से" और "पूर्णतया" के बीच में यह शब्द जोड़ दिये जायं "उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में" और तीसरी पंक्ति में से "श्री के० एम० पणिक्कर" से लेकर "बना दिया जाय" के स्थान पर····

श्री अध्यक्ष—उसे आपने पेश नहीं किया है। वह तो केवल कार्यक्रम में है। इस लिए कौन से शब्द निकाल दिये जायं और कौन से जोड़ दिये जायं, यह न कहिए। आप संशोधित रूप में अपना संशोधन पढ़ दीजिये।

श्री श्रीचन्द्र—मेरा संशोधन यह है कि प्रस्ताव के स्थान पर ये शब्द रख दिये जायं—

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग के माननीय सदस्य श्री के० एम० पणिक्कर के नोट से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों के पुनर्गठन के संबंध में पूर्णतया सहमत है और इस बात का आग्रह करता है कि देश के आर्थिक प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों, महेन्द्रगढ़ जिला, अम्बाला डिवीजन, पुरानी दिल्ली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर से सम्मिलित कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों के साथ एक नया प्रदेश बना दिया जाय।"

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जो डेढ़ वर्ष से यह बातें चल रही हैं इस सम्बन्ध में हमने अपने तीन मेमोरेंडम राज्य कमीशन के पास भेजे और जैसी स्थिति आयी उसी प्रकार से उसमें परिवर्तन भी हुए। जो हमारा अन्तिम मेमोरेंडम है, यह हमने भेजा है, उत्तर प्रदेश के १६ जिले, पांच जिले मेरठ डिवीजन के, पांच आगरा डिवीजन के, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल, पेप्सू से महेन्द्रगढ़, पंजाब से अम्बाला डिवीजन और पुरानी दिल्ली। एक प्रकार से तो यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और दूसरे प्रकार से दूसरा राज्य भी बड़ा बनाया जा रहा है। दिल्ली इस वास्ते लिया है कि पश्चिमी जिलों में जो कुछ भी व्यापार होता है उसका दिल्ली से सम्बन्ध है। यदि दिल्ली जैसा स्थान वहां राजधानी बनता है तो जितने व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी और दूसरा कारण यह भी है कि वहां पर बना-बनाया सेक्रेटेरियट और दफ्तर आदि हैं। वे न बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमने दिल्ली को शामिल किया है। यह बात बिलकुल गलत है कि हम किसी के कहने से प्रेरित हुए हों या किसी के कहने से किसी की तरफ गये हों। जैसा कि पहले भी कहा गया है यह कार्य देश की उन्नति के लिए किया गया है।

रहा दूरी का प्रश्न। किसी भी स्थान को लीजिये डेढ़ सौ मील से अधिक दूरी नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे प्रदेश में चार सौ मील तक, साढ़े तीन सौ मील तक फासला

मुजफ्फरनगर, मेरठ से इलाहाबाद, लखनऊ का पड़ता है। यह कहा जाता है कि आजकल रेलवे, तार और हवाई जहाज इत्यादि ऐसे हो गये हैं कि जिससे जनता को बड़ी सहूलियत है। लेकिन ये चीजें तो हमारे मिनिस्टरों और बड़े-बड़े आदमियों के लिए हैं। वह बड़ी आसानी से हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं, मेल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। परन्तु गरीब जनता को देखिये जिनको डाक गाड़ी में जाना पड़े या हवाई जहाज में जाना पड़े, उनको कितनी कठिनाई होती है। जनता के लिए केवल हाई कोर्ट का ही सवाल नहीं है बल्कि जनता के जितने भी मनुष्य हैं, चाहे सरकारी नौकर हों, चाहे व्यापार करने वाले हों, खेती करने वाले हों, कोई भी हो समस्त पश्चिमी जिलों की जनता को लखनऊ और इलाहाबाद आना पड़ता है। उनके व्यय और समय के नष्ट होने का कहीं ठिकाना ही नहीं है। इसका हिसाब लगाना बड़ा कठिन है, परन्तु मैंने एक हिसाब लगाया और अपने माननीय सदस्यों के सामने मैंने बजट के अवसर पर यह भी कुछ साइक्लोस्टाइल्ड निकालकर दिखलाया था और बतलाया था कि टी० ए० और डी० ए० में सरकारी अफसरों के १५० मील से अधिक फासला होने पर कितना व्यय पड़ता है। १,००० से कम की टी० ए० की मद को छोड़ दिया था। उसमें पौने दो करोड़ से अधिक रुपया खर्च होता है। इस प्रकार से अगर नजदीक राजधानी हो तो राजधानी के पास जितने भी आफिसर्स होंगे प्रबन्ध ठीक करेंगे। पंचवर्षीय योजना में पश्चिम में ७ करोड़ और पूर्व में ७८ करोड़ रुपया व्यय होगा। मिनिस्टर्स इत्यादि का तो मैंने खर्चा नहीं जोड़ा था, सरकार बड़ी आसानी से सब बातों को देख सकती है और वहां निकट स्थान पर सुचारु रूप से प्रबन्ध कर सकती है और जो इतना रुपया नष्ट होता है बेकार, उसी रुपये से नयी स्टेट बन कर चल सकती है। बड़ी स्टेट होने के कारण एक दूसरी भी असुविधा है। आप देखें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पांच से अधिक डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वह इसलिए कि उत्तर प्रदेश दूर तक फैला हुआ है जैसे मेरठ और बरेली इत्यादि में डिप्टी डायरेक्टर्स को रखना पड़ा। तो इसका कारण क्या है? यहां डिप्टी डाइरेक्टर्स अलग-अलग स्थानों पर रखने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि दूरी अधिक है। वहां का प्रबन्ध नहीं कर सकते थे बगैर उनके रखे हुए, इसलिए उनको रखना पड़ा। यदि १५० मील के अन्दर हो तो एक डिप्टी डाइरेक्टर, एक डाइरेक्टर रखना ही काफी होगा। ये हैं असुविधायें जिनके कारण यह सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं। रहा यह कि जितने हमारे सरकारी नौकर हैं, वे लापरवाह हैं। मैं यह बात मानता हूं कि हवाई जहाज से जल्दी जा सकते हैं, लेकिन यह विचार हर जिले के सब व्यक्तियों का है कि हमसे बड़ी दूरी पर हमारी राजधानी लखनऊ और इलाहाबाद है और वहां से आसानी से प्रत्येक बड़ा अफसर या मिनिस्टर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए सरकारी अधिकारी कुछ गुमराह रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। यदि नजदीक हो तो कार में बैठ कर किसी वक्त भी वह जा सकते हैं और पूरी निगरानी रखी जा सकती है। बड़े होने के कारण यह परेशानी है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जब तक यह बड़ा उत्तर प्रदेश रहेगा इस प्रकार से इसका सुचारु रूप से प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

किसी देश को खयाल किया जाता है बड़ा, उसकी आबादी के कारण। क्षेत्रफल के कारण बड़ा नहीं समझा जाता है। जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि उत्तर प्रदेश से और बहुत से अनेक प्रदेश बड़े हैं, वे क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, लेकिन आबादी के अनुसार बड़े नहीं हैं। कोई देश प्रबन्ध के रूप में आबादी से बड़ा होता है क्षेत्रफल से बड़ा नहीं हुआ करता। हमको प्रबन्ध करना है, इन्तजाम करना है वहां के मनुष्यों का न कि पृथ्वी का और पहाड़ और जंगल का। तो मुख्य मंत्री जी की बात बिलकुल गलत है। इतनी बड़ी स्टेट संसार भर में कहीं नहीं है जितनी कि हमारी स्टेट है। रहा यह कि पहले किसी समय में बड़े-बड़े राज्य हुआ करते थे और उनका प्रबन्ध सुचारु रूप से होता था। वह ढंग राज्य के दूसरे थे। उस समय इस प्रकार के राज्य की परिपाटी नहीं थी जैसी कि आज है। आज जनता का राज्य है। जनता के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति हर जगह पहुंचने का प्रयत्न करता है। इसलिए काम भी अधिक बढ़ता है। उस समय किसी भी व्यक्ति को यह आज्ञा नहीं थी कि वह अपने उच्चतम अधिकारी के पास पहुंचे। सब तरह के कष्ट सहकर वहीं रहता था और

[श्री श्रीचन्द्र]

अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह हर जगह पहुंचे और अधिक से अधिक रूप में जितना भी हो सके अपने कष्टों का वर्णन करे। इसलिए उन कष्टों के सुनने के लिए राज्य का यह पूरा कर्त्तव्य है कि ऐसे मनुष्यों को वह खास तौर से अवसर दे और उनकी दिक्कतों को सुने।

एक बात और मैं आपके सामने रख दूं कि पश्चिमी और पूर्वी जिलों का कुछ वर्णन किया गया कि पश्चिमी जिलों में विकास के कार्य कुछ कम हुए और पूर्वी जिलों में कुछ अधिक हुए या इधर-उधर कुछ कमती-बढ़ती हुई। मैंने यह सब बातें एक बार पेश की थीं। पिछले साल की बात है, मैंने तमाम फैक्ट्स ऐंड फिगर्स दिये थे। वह सब तो मैं इस समय नहीं देना चाहता, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा लेकिन संक्षेप में बतला देना चाहता हूं। कई दफा स्टेटिस्टिक्स के डाइरेक्टर ने भी लिखा था और हमारे फैक्ट्स और फिगर्स को गलत बतलाया था, लेकिन हमने चैलेंज किया था कि इनको कोई भी गलत बतला दे। और मैं वह त्रुटियां बतलाये देता हूं। जो हमारी सरकार ने खुफिया तरीके से छिपे-छिपे अपना मेमोरेंडम एस० आर० सी० के पास भेजा था। उसकी चन्द बातें बतला देना चाहता हूं। उसमें यह है कि हमारे जितने १६ जिले पश्चिम के हैं उनके लिए शारदा की नहर नहीं है यह पूर्वी जिलों में बहती है। खटीमा पावर हाउस पश्चिमी जिलों में नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें दिखलाई गई हैं, स्मृति-पत्र में यह दिखलाया गया है कि पश्चिमी जिलों में व्यय अधिक हो रहा है। खटीमा पावर हाउस, शारदा नहर किधर है? यह पूर्वी जिलों में है। यह बहस नहीं है पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। हम उन्नति चाहते हैं पश्चिमी और पूर्वी सभी जिलों की, लेकिन अच्छे ढंग से, कायदे से। एक बात इसी सम्बन्ध में और वर्णन कर दूं कि अब तक सरकार ने, अंग्रेजी राज्य ने और कांग्रेस सरकार ने भी यह किया कि पश्चिमी जिलों से रुपया लेकर उधर पूर्व में लगाते रहे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सिवाय जमुना और गंगा की नहर के और वहां क्या है? सन् १८६० से जब से वह बनी अब तक जो कुछ भी आमदनी हो रही है जमुना की नहर से उसके हिसाब से हर दूसरे-तीसरे साल अपनी लागत पूरी कर लेते हैं और गंगा की नहर चौथे-पांचवें साल अपनी पूरी लागत पूरी कर लेती है। अरबों रुपया इस हुकूमत और अंग्रेजी राज्य ने उनसे कमा लिया जिससे कि तमाम उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचा। अगर वह नहरें न बन जातीं तो इसका अर्थ यह था कि वह पश्चिमी क्षेत्र भी कष्ट में रहते और ये पूर्वी जिले भी कष्ट में रहते। इसलिये पश्चिमी जिलों में जो यह दो नहरें बनायी गयीं, पूर्वी जिलों को अधिक लाभ पहुंचा और लाभ पहुंच रहा है। वह रुपया सब उधर लग रहा है। अतः कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे यह कहा जाय कि आज तक पश्चिमी जिलों में सब कुछ लगता रहा और पूर्वी जिलों का नम्बर आया तो अलग होने की बातें होने लगीं।

मैं इस बात पर अधिक नहीं कहूंगा। केवल इतना कहूंगा कि जो कुछ भी मेमोरेंडम में कहा गया वह गलत कहा गया, यह बात नहीं है। और भी बहुत सी बातों को लीजिये। इंजीनियर्स से सलाह-मशविरा किया गया था। उन्होंने रिपोर्ट दी कि देहरादून या हल्द्वानी आगरे में सीमेंट फैक्टरी खोल दी जाय जब कि कोई फैक्टरी उधर नहीं है। आगरे तथा देहरादून में फैक्टरी के योग्य पत्थर भी है। तो वहां सीमेंट फैक्टरी खुल सकती थी। अभी हाल ही में देख लीजिये कि कानपुर जो कि लखनऊ से केवल ४५ मील के फासले पर है वहां मेडिकल कालिज खोला जा रहा है। मैं कहता हूं कि लखनऊ के इतने नजदीक खोलने की क्या जरूरत है जब कि पहले से ही एक कालिज यहां मौजूद है? बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, मेरठ किसी जगह पर खोल दें, लेकिन काफी फासले पर होना चाहिये, जिससे जनता को सुविधा हो। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि डिटेल्स में बताना मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल बात होगी।

मैं एक बात और आप से निवेदन कर दूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रांत का अच्छा रखने के लिये मैं यह मानता हूं कि सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन यह कोई छिपी बात नहीं है कि बाराबंकी में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ और दूसरे स्थानों में क्या

हुआ और जो डकत थ आगरे में, उनको कितनी जल्दी गिरफ्तार किया गया, कस शूट किया गया, ये सब चीजें प्रबन्ध की हैं और उसके ढील होने से हमारे देश की हर हालत में हानि और कठिनाई और मुश्किल बढ़ती ही चली जायगी और ये भाव क्यों बने हुए ह ? उत्तर प्रदेश को बड़ा रखने का जो भाव है उसके कारण हमारे देश को हानि हो रही है। और यह भाव क्यों पैदा हुआ ? यह एक प्राकृतिक नियम है कि यदि कोई मनुष्य किसी सम्पत्ति का अधिकारी होगा, जैसे मन्त्रिगण यहां उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों के मालिक बने हुए हैं, तो वे यह चाहेंगे कि प्रथम तो अपना प्रभुत्व कायम रखें और दूसरे स्वार्थवश बात यह भी हो सकती है कि पुराने प्रेम आपस मे रहें। इसीलिये वे इन सब बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एकतो यह कि वे तमाम भारतवर्ष मे अपने आपको सबसे ऊंचा समझते है कि हमारा सब प्रदेशों पर आधिपत्य है—केन्द्र पर भी है और यहां पर पश्चिमी जिलों पर भी है और पूर्वी और पहाड़ी जिलों पर तो है ही। तो मन्त्रिगण अपना यह प्रभुत्व समझे हुये है, जिसको वे दूर करना नहीं चाहते और यह दिखलाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं। दूसरी बात एक और है कि जब कोई भी दो भाई या आपस के सम्बन्धी अलग होते हैं तो उनके अन्दर अलग होने के समय कुछ प्रेम सा भी उमड़ जाता है और जब वे अलग होते हैं तो प्रेम के कारण उनको अलग करना एक मुश्किल बात होती है। तो यह भी रुकावट हो रही है। लेकिन इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि यह भावुकता और विचार छोड़ कर अपने प्रदेश के हित के लिये सोचा जाय तो यह सबसे उत्तम हित होगा कि यू० पी० के दो भाग हों जिस प्रकार के परगने, तहसील और जिले बनाये हुये हैं यह भी प्रबन्ध के लिये ही है। कहा यह जाता है कि हमारा छोटा राज्य होने से खर्च अधिक पड़ेगा और हमको रुपये-पैसे की कठिनाई पड़ेगी। मैं कहता हूं कि खर्च अधिक नहीं पड़ेगा, बल्कि खर्च कम हो जायगा जैसे कि मैंने बजट के सम्बन्ध मे आंकड़े दिये थे और इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश मे भाषा मे भी बड़ा अन्तर है, यानी चार भागों मे भाषा के अनुसार यह प्रदेश बंटता है। पश्चिमी जिलों की भाषा हिन्दी या ब्रज भाषा है, पूर्वी जिलों की भोजपुरी, बिहारी या मैथली है और फिर पहाड़ी क्षेत्र की पहाड़ी भाषा है, और मध्य उत्तर प्रदेश की अवधी है। तो चार-चार हिस्सों में सेन्सस रिपोर्ट १९५१ मे इसको बांटा गया है। तो इसकी भाषा भी अलग-अलग है, रहन-सहन, खाना-पीना, त्योहार इत्यादि, ये भी सब चीजें अलग-अलग हैं।

अब रहा यह कि हम अपने भारतवर्ष को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। यह तो हम तभी कर सकते है जब किसी प्रकार का आपस में झगड़ा न हो, किसी प्रकार की जातीयता का प्रचार न हो, किसी प्रकार से जनता को कष्ट न हो, सब की तबीयत अपने आप में लगी रहे। लेकिन जहां जातिवाद चलेगा या खर्च करने का संघर्ष चलता रहेगा तो हम इन्हीं झंझटों में पड़े रहेंगे और अपने देश की कभी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिये हम यह चाहते हैं कि रस्मों-रिवाज, रहन-सहन, अजातिवाद, आर्थिक दशा, संगठन और प्रबन्ध के रूप में मैंने जितना भी क्षत्र बतलाया यदि वह एक हो जाय तो फिर जातिवाद का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मेरे कुछ यहीं के मित्र एक गलत बात फैलाते हैं जो यहां सदन में तो नहीं आयी लेकिन मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वह यह है जो लोग बाहर हैं उन्होंने जातीयता की बात फैलायी और यह कहा कि यह तो जाटिस्थान बनता है। कोई कहता है कि यह तो उर्दू का स्थान बनता है, कोई कुछ कहता और कोई ईर्षा की बात। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आंकड़े यहां प्रस्तुत ह और जिनको मैंने पहले सब जगह पर बंटवा भी दिया है उसमें जाटों की संख्या ५ प्रतिशत है, हरिजनों और मुसलमानों की १८ प्रतिशत, ब्राह्मण और राजपूत ७ प्रतिशत हैं, इसी प्रकार से सबकी संख्याएं हैं। और
अपनी जाति पर जाते हैं तो अवश्य [illegible] जा शष जातया ह व सब उस जाति के विरोध मे एक जायेंगो। मान लीजिये कि हरिजनों या मुसलमानों की संख्या १८ प्रतिशत है। अब अगर उनके अन्दर मुसलमानी या हरिजनपन की भावना पैदा होती है तो बाकी ८२ प्रतिशत स्वयं ही एक हो जायेंगे। सोचिये तो यह कभी नहीं हो सकता कि एक जाति का आतंक या प्रभुत्व छा जाय। यह झूठा प्रचार भी एक गलत चीज है।

[श्री श्रीचन्द्र]

इसके अलावा एक सबसे बड़ी हानि हमारे यहां यह हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या का ५वां हिस्सा है। तो आबादी के अनुसार हमको केंद्र से रुपया भी ५वां हिस्सा खर्च करने के लिये मिलना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि साढ़े १८ या १९ प्रतिशत के बजाय ५ या ७ प्रतिशत हमको मिल रहा है। इतनी बड़ी हमें हानि हो रही है जिसकी वजह से हमारी उन्नति भी एक प्रकार से रुकी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में उन्नति के हमारे बिचारों में अन्तर होने के कारण हमारे प्रदेश के सब आदमियों को हानि उठानी पड़ रही है। अब इसके लिये यह कहा जाता है केंद्र से कि जब उत्तर प्रदेश सेल्फ सपोर्टर है और अपने खर्च से इसका कार्य चल रहा है तो फिर कोई कारण नहीं है कि उसको और रुपया दिया जाय। मैं यह कहता हूं कि पश्चिमी जिलों में जितना कार्य हो रहा है, जैसे नहरें बनीं उनको ठीक करने के लिये, विकास का कार्य करने के लिये और जो ट्यूबवेल्स बने थे उनको बने हुये १३,१४ वर्ष हो गये हैं, वह बेकार हो चुके हैं, उनकी मरम्मत नहीं की गई है। तो जो रुपया पश्चिमी जिलों से मिले उससे पश्चिमी जिलों का हित हो और जो रुपया केंद्र से मिले उससे पूर्वी जिलों की उन्नति हो सके, तो इस रुपये से हम अपने प्रदेश की उन्नति कर सकते हैं।

अब रहा कानून वगैरह बनाने के बारे में कि अगर स्टेट्स अलग हो गईं तो नये कानून बनाने पड़ेंगे, जिससे बड़ी परेशानी होगी तो कानून से कुछ परेशानी तब होती है जब तक नये कानून न बनें। अगर कोई छोटे या बड़े क्षेत्र में परिवर्तन होगा, सीमाओं में परिवर्तन होगा तो उनमें भी कानून का अन्तर तो पड़ेगा ही और वहां वह लागू किये जायेंगे तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो सब में एक-सी ही दिक्कत पड़ सकती है। जब प्रदेश के दो हिस्से होंगे तो कानून भी कुछ समय तक अलग-अलग चलते रहेंगे और फिर एक से कानून बनाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—अब तीन मिनट आपके और बाकी रह गये हैं। आपका भाषण समाप्त होने पर ही हम उठेंगे।

श्री श्रीचन्द्र—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले मिला दिये जायं तो हमें इसमें कोई उज्र नहीं है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले उत्तर प्रदेश में मिलाने से यह और अधिक बढ़ेगा। परन्तु देखना यह है कि जब इतना बड़ा प्रदेश है तो इसका सुचारु रूप से प्रबन्ध हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उनके मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र की जनसंख्या ढाई करोड़ के करीब है और जिन को हम ले रहे हैं उनमें ५७ लाख की जनसंख्या है और आध के करीब क्षेत्रफल है और वहां सिंचाई वगैरा का भी प्रबन्ध करना है। जब यहां यह नहीं हो रहा ह तो वह वहां किस प्रकार से किया जा सकता है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी न कहा और कुछ कटुता वगैरह के शब्द आये। हमने प्रारम्भ से यह किया है कि किसी प्रकार से आपस में द्वेष-भाव या कटुता पैदा न होने पाये और उसके लिये हमने कार्य किया और अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हो सकी जिससे कोई झगड़ा हो या किसी किस्म की कटुता फैले। बल्कि हमारे माननीय मंत्रियों की ओर से जगह-जगह पर विरोधी द्वेषपूर्ण भाषण भी हुये और जो हमारा मेमोरेंडम राज्य पुनर्गठन आयोग को भेजा गया था उसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। यह हमारी सरकार का कर्त्तव्य नहीं था। उनको तो पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिये थी कि सब अपने-अपने विचार लोग प्रकट करें, बल्कि हमारी सरकार को मेमोरेंडम भेजना ही नहीं चाहिये था। उसको तो एम० एल० एज० और जनता के ही ऊपर विचार करने के लिये छोड़ देना चाहिये और सरकार को तटस्थ रहना चाहिय था। लेकिन जो-जो बातें हुईं वह आपके सामने जाहिर हैं। जो हार्दिक भावना होती है वह पहली बार में ही प्रकट हो जाती है। पहले ९७ प्रतिशत एम० एल० एज० उत्तर प्रदेश के विभाजन के हक में थे, लेकिन बाद में दबाव देने से और ज्यादती करने से वह सक्रिय नहीं रहे तो यह कहना कि वह इसके हक में नहीं हैं मैं यह उचित नहीं समझता हूं और हमारा कर्त्तव्य यह है कि हमें अपने प्रदेश की भलाई सोचनी

चाहिये। लेकिन हमारी सरकार ने जो किया वह अनुचित-सी बात थी और हमारी यह भावना है कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से, जिस प्रकार स हमने कहा है, उसमें थोड़े हेरफेर करने में हमें आपत्ति नहीं है, किये जायं कि जिससे जो कठिनाइयां और जो दिक्कतें बताई गई हैं वह सब की सब दूर की जा सकें और आगे के लिये हम इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बात का प्रयत्न करेंगे और कर रहे हैं कि भविष्य में चल कर जैसी और प्रदेशों में बातें हो रही हैं उसी तरह की हमारे प्रदेश में कोई एक भी बात न हो। लेकिन हमको यह चाहिये कि हम अपनी बातों को स्पष्ट करने में, कहने में स्वतंत्र हों और हमें कहनी चाहिए। यदि हमने बाद में छिप कर कोई ऐसी बात की तो वह अनुचित होगी।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, "यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है, पर साथ ही भौगोलिक तथा अन्य विशिष्ट आधारों पर वर्तमान विन्ध्य प्रदेश तथा वर्तमान मध्यभारत के मोरेना, भिन्ड, शिवपुरी व ग्वालियर जिले उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाये जाने पर जोर देना आवश्यक समझता है।"

श्रीमन्, जो प्रस्ताव पेश करते वक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विभाजन न होने के लिये जो जो दलील पेश की मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनको दोहराऊं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के सामने जब हम देश के हर एक एरिया के विकास और तरक्की के लिये जो हम आज पुनस्संगठन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं तो हमको इसके साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि जो एरिया ऐसे हैं कि जिनको मिलाने से यदि उस एरिया का विशेष लाभ होता है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है तो उनमे हमें परिवर्तन कर देना चाहिये। मेरी राय से स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के पेज १३० पर जहां उन्होंने यह निश्चय किया है कि विभाजन के किन-किन हिस्सों को एक साथ रहना चाहिये और क्या-क्या कारण हैं जिनकी वजह से मध्यभारत के चार जिले और उसकी कम यूनिट रखने के लिये जो तजवीज रखी है मैं उसको पढ़ना चाहता हूं उसमें यह है कि—

"474. As for the four northern districts of Madhya Bharat, there seems to be no particular reasons why they should be separated from the proposed State. Rajasthan has not claimed these four districts, which are predominantly Hindi speaking, with ninety to ninety-nine per cent of the population in each district speaking this language. We are not recommending the formation of any other Hindi speaking State, of which these four districts may form a part. On the other hand, these districts have fairly close economic and adminstrative links with the *Mahakoshal area*."

श्रीमन्, महाकोशल एरिया के लिये यह कहा गया है कि हिन्दी स्पीकिंग एरिया की कोई जरूरत नहीं है और न इसकी कोई तजवीज है, लेकिन यहां पर उन्होंने यह कहा है कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से एक साथ रहना चाहिये तो उत्तर प्रदेश के साथ लिंक करें। यदि हम इस नक्शे को देखें तो मालूम होगा कि यू० पी० का नक्शा इन चार जिलों के अन्दर कुछ घुसकर बना हुआ है। ऐडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमने यह देखा कि अभी जो मानसिंह डाकू के लिये ला एन्ड आर्डर के हिसाब से वहां पर पुलिस के संगठन का कार्य किया गया है उसमें तीनों राज्यों की पुलिस विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत और उत्तर प्रदेश तीनों की पुलिस वहां पर प्रबन्ध कर रही थी और ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत होगी और उसके लिये सजेशन यह दिया गया था

[राजा वीरेन्द्रशाह]

कि इस तरह की स्टेट नहीं रहनी चाहिये जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है । आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस एरिया का आ जाना महाकोशल में चले जाने की बनिस्बत अधिक ठीक होगा । अब यह कोई कहे कि उत्तर प्रदेश स्वयं ही इतना बड़ा है कि उसमें और कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये । लेकिन यह कहना कुछ ठीक नहीं मालूम होता कि उत्तर प्रदेश के बड़ा होने के कारण उसमे कोई चीज शामिल ही न की जाय या उसमें से कुछ घटा ही देना चाहिये, यह कोई दलील नहीं है । दलील ऐसी होनी चाहिये कि जो एरिया शामिल किया जा रहा है उनका भी लाभ हो । वहां पर जो बैकवर्ड एरिया है उसका भी सुधार हो और साथ ही साथ भौगोलिक रूप से भी उसमे एकता हो । वहां की भाषा, वहां का रहन-सहन एक सा है । इस प्रदेश

कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़े एरिया की स्टेट है उसका इन्तजाम करना बहुत कठिन होगा उसके बारे में मै यहां यह बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एरिया १,१३,४१० वर्ग मील है जब कि इन चार मध्य भारत के जिलों को व विन्ध्य प्रदेश को मिला दिया जायगा तो वह कुल मिलाकर १,४६,२१५ वर्ग मील हो जायगा । इसके मुकाबिले में मौजूदा मध्य प्रदेश का एरिया १,७१ हजार वर्ग मील है, जो घटकर अब १,३६,००० होगा । श्रीमन्, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा एरिया आता है और वह इतना बड़ा बैकवर्ड है कि उसका संभालना बहुत ही मुश्किल हो जायगा । उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने कम होंगे कि इतने बड़े एरिया को संभालने में बड़ी दिक्कत होगी । इसलिये मै यह कहना चाहता हूं कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी के ये चार जिले मध्य भारत के व विंध्य प्रदेश में, बघेलखंड के चार जिले और बुंदेलखंड के चार जिले उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं । बुन्देलखंड का काफी एरिया यू० पी० में अब भी है और इसी के पास के ४ जिले और मिलने चाहिये । उस एरिया में माताटीला डैम बन रहा है । इसके अतिरिक्त रिहन्ड डैम के आसपास का कुछ एरिया ऐसा है जो बघेलखंड में आता है, अगर वह एरिया भी उत्तर प्रदेश मे मिला दिया जाय तो कुछ हर्ज न होगा । इसी प्रकार से मध्य भारत के चार जिलों के उत्तर प्रदेश में मिला दिये जाने से उनका बड़ा उपकार होगा । इसके अलावा जो विन्ध्य प्रदेश के जिले आ जाते है उनका भी विकास हो जायगा । उत्तर प्रदेश सदैव से यह देखता रहा है कि सारे भारत का कल्याण हो इसलिये आज भी अगर कोई एरिया ऐसा आ जाता है जो बैकवर्ड है तो उसी दृष्टि से उसको ले लेना चाहिये । इससे सारे भारत के विकास और कल्याण में मदद मिलेगी । तो बुन्देलखंड का वह एरिया जो बैकवर्ड समझा जाता है अगर वह आप के प्रदेश में आ जाता है तो हमको इतना उदार होना चाहिये कि उसको मिला लें । मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस एरिया के साथ-साथ अगर बुन्देलखंड के एरिया को भी जोड़ लिया जाय तो हमारे ऊपर उसका कोई विशेष एफेक्ट नहीं पड़ेगा । उत्तर प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ट आफ व्यू से भी ठीक रहेगा और भौगोलिक नक्शा भी उसका ठीक रहेगा । लैंग्वेज तथा भाषा के हिसाब से इन सब बातों को देखते हुये हम समझते हैं कि इससे मध्य प्रदेश को कोई हानि नहीं होगी । मध्य प्रदेश का एरिया काफी बड़ा रहता है, जिसमें भोपाल है तथा बस्तर का एरिया है जहां बहुत से मिनरल्स हैं, मध्य भारत का मेन ला एरिया, जिसको मालवा प्रांत कहते है सब उसी में रहता है, इंदौर भी रहता है, इस तरह से उसमें कोई कमी नहीं होती । हम मध्य प्रदेश की तरक्की को किसी तरह की हानि पहुंचा कर कोई स्टेट का हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं । लेकिन जब मध्य भारत स्टेट बनी नहीं रहेगी उसको किसी न किसी स्टेट में मिलना ही है तो ऐडजस्टमेंट के हिसाब से यू० पी० का विभाजन न करते हुये हम यह चाहते हैं कि बुन्देलखंड के चार जिले, विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य भारत के चार जिले इसमें आ जायं तो बड़ा अच्छा होगा । मैं समझता कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे । मध्य भारत के माननीय मुख्य मंत्री ने तो कहा भी है कि ये ५ जिले यू० पी० या देहली प्रांत में मिला दिये जायं तो इसको हम बेहतर समझेंगे । राजस्थान ने उसको मांगा नहीं है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये चार जिले मध्य भारत

के मोरेना, भिंड, शिवपुरी व ग्वालियर मिला लिये जायं तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमारी यह सिफारिश होनी चाहिये कि इनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। श्रीमन्, अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे इस कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसको डिस्टर्ब किया जाय। अगर मध्य भारत बना रहता है तब तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं रहता है और किसी न किसी के साथ मिलाया जाता है तो इसका ख्याल जरूर होना चाहिये, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आ सकता है। बहुत दिनों के बाद यह मौका मिला है इसलिये सब लोगों को मिल-जुल कर वैधानिक तरीके से एक चीज की मांग करनी चाहिये। हम समझते हैं कि इन चार जिलों के मिला लेने से यू० पी० का नक्शा सुन्दर हो जायगा, साथ ही साथ वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कामना भी पूरी हो जायगी।

जहां तक ला ऐन्ड आर्डर का सवाल है, कहा यह जाता है कि वह चम्बल का एरिया है, जहां ला ऐन्ड आर्डर की हालत ठीक नहीं है। यह भी विचार करने की बात है कि मध्य प्रदेश के हेड क्वार्टर से वह एरिया कितना दूर हो जायगा। हेडक्वार्टर चाहे जहां भी रहे, लेकिन वह उस स्थान से काफी दूर हो जायगा, इसलिये उसको कंट्रोल करना असंभव सा होगा। मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि लोगों की तकलीफ और बढ़ेगी और कोई लाभ नहीं होगा। जहां तक यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सारे भारतवर्ष में इसका नाम है कि यू० पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा पुलिस आदि का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। जहां तक मैं समझता हूं कि बड़े बड़े स्टेट ही होने चाहिये। क्योंकि मौका पड़ने पर बड़े बड़े स्टेट ही किसी की मदद कर सकते हैं। मान लीजिये कि भारतवर्ष में कहीं अकाल पड़ गया या और कोई दैवी आपत्ति आ गयी तो उस वक्त जो बड़ा स्टेट होगा वही मदद कर सकेगा। यू० पी० की ही बात ले लीजिये, जब यहां पर बरसात से लोगों को तकलीफ हुई, कहत पड़ा तो यू० पी० चूंकि बड़ा होने की वजह से सेल्फ सफिसिएंट था इसीलिये वह अपने यहां के लोगों की मौके पर मदद कर सका। अगर छोटा स्टेट रहता तो इतनी मदद नहीं कर सकता था। जो बड़े-बड़े स्टेट होते हैं वे ही सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हम तो इस सिद्धांत को मानते हैं कि जो छोटे-छोटे स्टेट होंगे वे सिवा दुख देने के कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को मानते हुये मैं यह कहूंगा कि यू० पी० में जोड़ने की बात करके कोई यह न सोचे कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी को हड़पना चाहते हैं। हम तो इन्साफ व न्याय चाहते हैं। हमें वास्तविक स्थिति को देखना चाहिये और हमें यह देखना चाहिये कि जो एरिया जहां फिट-इन होता है वह किया जाय और हमें केंद्रीय सरकार से कहना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री से भी मैं कहूंगा कि यह नीचे का एरिया और विन्ध्य प्रदेश का जो क्षेत्र मैंने रखा है वह जोड़ दिया जाय और इन ४ जिलों के बढ़ने से यह होगा कि यह प्रदेश और अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा और वह वहां उन्नति कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की पंक्ति १ में शब्द "की" के बाद शब्द "बहुत सी" जोड़ दिया जाय, और प्रस्ताव की पंक्ति २ के प्रथम शब्द "है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय तथा उस के बाद के सभी शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "परन्तु इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का तथा भारत संघ के अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों——बिहार, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश (हिन्दी), मध्यभारत, दिल्ली, पूर्वी-पंजाब का हिन्दी भाषी भाग——का अधिक वैज्ञानिक, उप-भाषावार एवं सुसंगत फिर से बटवारा होना चाहिये और इस प्रकार निर्मित प्रदेशों में एक प्रदेश (बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी जिलों को मिलाकर) भोजपुर प्रदेश अवश्य होना चाहिये।" रख दिये जायं, यह संशोधन मैं पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ से ही इस बात की मांग रही कि देश के सूबों का फिर से एक वैज्ञानिक बटवारा होना चाहिये। महात्मा गांधी ने भी

[श्री झारखण्डे राय]

इस सिद्धांत को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया था और इसीलिये १६२१ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान में तरमीम करके अपने संगठन के सूबों का भाषावार बटवारा किया था। सन् १६२७ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक आल पार्टीज कमेटी नियुक्त की थी, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू थे और जिसके सेक्रेटरी हमारे देश के आज के प्रधान मंत्री थे। उस कमेटी ने भी इस सिद्धांत को माना था कि देश के सूबों का बटवारा जो अंग्रेजों ने किया है वह अवैज्ञानिक और असंगत है और उनका फिर से वैज्ञानिक बटवारा होना चाहिये, इस संबंध में कमेटी ने इसी बुनियादी सिद्धांत को माना था। मैं आपकी आज्ञा से उसके दो-तीन उद्धरण पेश करना चाहता हूं--

"What principles should govern this redistribution ? Partly geographical and partly economic and partly financial, but the main consideration must necessarily be the wishes of the people and the linguistic unity of the area concerned."

आगे उन्होंने कहा--

"Hence it becomes most desirable for provinces to be regrouped on a linguistic basis. Language, as a rule corresponds with a special variety of culture, of traditions and literature. In a linguistic area, all these factors will help in the general progress of the Provinces."

लेकिन हमें इस बात का दुःख रहा कि कांग्रेस पार्टी ने शासनारूढ़ होने के बाद इस सिद्धान्त को छोड़ दिया। सन् ४८ में जयपुर कांग्रेस के समय एक लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज कमेटी नियुक्त की गई थी जिसके सदस्य स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री पट्टाभि सीतारमैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इस समय भाषावार प्रान्त निर्माण सिद्धान्त का विरोध किया। लेकिन अन्त में उनको भी यही मानना पड़ा। आप की आज्ञा से मैं एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं--

"Nevertheless, if there is a strong and widespread feeling in the areas for the linguistic Provinces, a democratic Government must ultimately submit to it, unless there is a grave danger to the state.

We realise that there is not only a strong feeling, but also much merit behind these proposals for the formation of Andhra, Kerala, Karnataka and Maharashtra Provinces. We also realise that some of these liguistic areas, notably Kerala and Karnataka, have rather suffered in the past from their association with larger multilingual provinces."

और वही दुराग्रह कांग्रेस पार्टी और उसके शासक गुट के लोगों का बहुत दिनों तक रहा। लेकिन उसके विरुद्ध पहली विजय आंध्र प्रदेश की स्थापना से हुई और दूसरी विजय इस सीमा निर्धारण आयोग की स्थापना से हुई। सीमा निर्धारण आयोग ने जो सिफारिशें हमारे सामने पेश की हैं और जिन पर आज बहस यहां हो रही है उसकी बहुत-सी बातों का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने ए० बी० सी० स्टेट्स का अन्तर दूर करने की जो सिफारिश की है उसका मैं अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने राजप्रमुख के पद को समाप्त करने की जो सिफारिश की है वह स्तुत्य है। लेकिन उन्होंने यदि इन राजप्रमुखों के प्रिवी पर्सेज की समाप्ति के लिये सिफारिश की होती, जो विशेष सुविधायें उनको दी जाती हैं और साथ ही उनकी जो तथा कथित व्यक्तिगत सम्पत्ति है जो उन्होंने लूटपाट कर एकत्र की है, यदि उसकी समाप्ति के लिये सिफारिश की होती कि उनका खात्मा करके उनको राज्य के हित में लगाया जाय तो वह बहुत ही उत्तम होता।

अध्यक्ष महोदय, सीमा आयोग ने जो सबसे बड़ी भूल की है वह यह कि बिना किसी मूलभूत सिद्धान्त के, किसी मौलिक सिद्धान्त के उन्होंने अपना काम शुरू किया है। उन्होंने इस सिद्धान्त को नहीं माना और इसके खिलाफ बहुत से तर्क इस मोटी-सी पोथी

में दिये हैं कि हिन्दुस्तान के सूबों का बटवारा अनिवार्यतः भाषावार ही होना चाहिये। यद्यपि नतीजे में हिन्दुस्तान के १६ सूबों में से १४ सूबे इसी दृष्टिकोण से उनके जरिये बांटे गये। इस प्रकार उनके अपने ही तर्क उनके अपने ही जरिये से खत्म किये गये। साथ ही साथ दूसरी बुनियादी चीज जो उन्होंने नहीं मानी है और जिससे अनेक पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, वह यह कि उन्होंने ग्रामों की सबसे छोटी इकाई को बटवारे के सिलसिले में नहीं माना है। उन्होंने अपने फैसले के पक्ष में कहीं जिलों का तर्क लिया है और कहीं तालुके का तर्क दिया है। विवाद-ग्रस्त सीमान्त क्षेत्रों के लिये अगर गांव की बुनियादी इकाई को मान कर वह चले होते तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र-कर्नाटक, कर्नाटक-तामिलनाद और आंध्र और तामिलनाद के बीच में जितने बाउंडरी डिस्प्यूट्स हैं वे न उठे होते और वे स्वतः खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने इन दोनों वैज्ञानिक बुनियादी सिद्धान्तों को न मान कर बहुत बड़ी गलती की है।

जहां तक एस० आर० सी० की रिपोर्ट में अन्य प्रान्तों का सम्बन्ध है उसके विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। गोकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव में उसकी बहुत सी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और उनका हम स्वागत करते हैं। आयोग ने तैलंगाना का अलग सूबा बनाने की सिफारिश की थी जो प्रतिक्रियावादी चीज है। आंध्र की जनता की सर्वदा यह मांग रही है कि एक विशालांध्र प्रदेश बनना चाहिये जिसमें हैदराबाद राज्य के आठ तैलगू भाषाभाषी जिले भी मिलाये जाने चाहिये। लेकिन वर्किंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव के जरिये इस गलती को दूर करने की सिफारिश की है। उसका हम स्वागत करते हैं। आयोग ने विदर्भ के नये राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी, जो एक बिल्कुल ऊल-जलूल-सी चीज दिखाई देती है। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के एक द्विभाषी राज्य को बनाने की सिफारिश की थी। यह सब प्रतिक्रिया-वादी सिफारिशें थीं। बम्बई को उसमें एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एस० आर० सी० की रिपोर्ट की बहुत सी मान्यताओं को ठुकराया है उनका हम स्वागत करते हैं। वह प्रगतिशील दिशा की तरफ एक कदम है। अब विदर्भ और महाराष्ट्र को एक में मिला कर एक प्रदेश बनेगा, जो विशाल महाराष्ट्र होगा। उसके बन जाने के बाद और महागुजरात की स्थापना की सिफारिश के बाद बम्बई को वर्किंग कमेटी ने भी महाराष्ट्र के साथ नहीं जोड़ा है। यह भयानक भूल है। हम यह समझते हैं कि एस० आर० सी० ने जिन धारणाओं को ध्यान में रख कर आत्मसमर्पण किया है उन्हीं धारणाओं ने वर्किंग कमेटी को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वह धारणा है बिग बिजनेसमैन, जो बम्बई के हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, जो उनके सामने घुटने टेकने की और इसीलिये अब बम्बई का एक अलग प्रान्त बनने की बात उठाई जा रही है। हम समझते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र का अविभाज्य अंग है और यह महा-राष्ट्रियों की मांग स्वीकार हो जानी चाहिये। आज विशाल आंध्र, तामिल नाड, केरल आदि दक्षिण भारत के जितने अन्य सूबे हैं उनकी मांगें करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं और इसीलिये आज वहां पर शान्ति है। मुख्य मंत्री जी ने भाषण देते वक्त शुरू में ही एक संकेत किया। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। असन्तोष के मूल कारणों को रखते हुए सन्तोष की आशा रखना व्यर्थ है। आज आंध्र में क्यों झगड़ा नहीं होता, इसलिये कि उनकी मांग पूरी हो गई। केरल में कुत्ता भी नहीं भौंकता आदमी की कौन कहे, इसलिये कि शुरू में ही एस० आर० सी० ने उनकी मांगें स्वीकार कर लीं। महाराष्ट्र में क्यों आग लग रही है। इसलिये कि मरहठों की यह मांग कि महाराष्ट्र में बम्बई मिलना चाहिए अब भी नहीं मानी जा रही है। न एस० आर० सी० ने मानी और न वर्किंग कमेटी मान रही है। सीमा आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद जो असन्तोष दिखलाई पड़ रहा है, अध्यक्ष महोदय, आप देखें, पहले जितना असन्तोष था, उससे कई गुना कम हो गया है। वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के बाद असन्तोष और भी कम हुआ है। जिनकी मांगें अब भी अधूरी हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, उनमें असन्तोष व्याप्त है।

[श्री झारखंडे राय]

पश्चिमी जिलों के बटवारे की बात शुरू में इस प्रान्त में उठाई गई--इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बहुत पहले उठाई गई थी-मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। वह गलत आधार पर मांग थी। आज जिस रूप में यू० पी० के बटवारे की बात कही जा रही है उसको भी मैं बहुत वैज्ञानिक और सुसंगत नहीं समझता। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सारे भारत में मुख्यतः भाषावार प्रान्त बनाने की बहुत बड़ी समस्या रही। अंग्रेजों ने जाति-जाति में लड़ाई और फूट डलवाने के लिये असमान बटवारा करके अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। इसीलिये महात्मा गांधी ने सन् २१ में आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस सिद्धान्त को मान लिया कि भाषावार प्रान्त बनने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी उसी बात पर आ रहा हूं जो मैंने अपनी इस तरमीम में पेश की है। मैं समझता हूं कि आज एक दूसरा सीमा निर्धारण आयोग बैठाया जाय। आज नहीं तो १० वर्ष के बाद चाहे कोई दूसरी सरकार होगी उसको यह करना होगा। विचार का विषय है सारे हिन्दी भारत का फिर से बटवारा होगा। दो ही उपाय हैं या तो समस्त हिन्दी भाषी भारत को मिला कर एक प्रान्त बने लेकिन यह बेवकूफी मालूम होगी--या फिर आज जैसी स्थिति है वह बनी रहे। लेकिन आज की चीज साम्राज्यवादियों ने बनाई थी, ऊल-जलूल तरीके से, जैसे-जैसे अंग्रेज कब्जा करते गये, बगैर किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रक्खे हुए उन्होंने प्रान्तों का निर्माण किया था। इसलिये मैं समझता हूं कि समस्त हिन्दी भारत का फिर से बटवारा होना चाहिये। बटवारा किस आधार पर हो?

श्री अध्यक्ष--आपका समय खत्म हो रहा है। इसलिये जरा आप अपने आर्गूमेंट्स न दोहरायें।

श्री झारखंडे राय--शायद २५ मिनट हैं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, १५ मिनट।

श्री झारखंडे राय--मैं तो प्रस्तावक हूं।

श्री अध्यक्ष--यह निश्चय हुआ था कि दो नेताओं को और श्री श्रीचन्द्र जी को २५-२५ मिनट और दूसरों को केवल १५-१५ मिनट मिलेंगे। मैं आपको दो-तीन मिनट और दे दूंगा।

श्री झारखंडे राय--मैं कह रहा था कि हिन्दी भाषा भाषी भारत का फिर से वैज्ञानिक बटवारा होना चाहिये और उसका मुख्य आधार भी उप-भाषावार ही होना चाहिये। ऐसी हालत में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र हैं उन सबका एक सूबा हो सकता है। साढ़े तीन करोड़ के लगभग आबादी होगी। एक बड़ा राज्य भी होगा। उस हालत में निश्चित रूप से पश्चिमी यू० पी० के बहुत से जिले जो खड़ी बोली के हैं, दिल्ली, पंजाबी, हरियाना और राजस्थान के अनेक क्षेत्र मिल कर एक सूबा बनेगा। अनिवार्यतः ऐसी हालत में पंजाब का जो झगड़ा खड़ा हो गया है वह खत्म हो जायगा और पंजाब विशुद्ध पंजाबी भाषा भाषी प्रांत हो जायगा और हिमांचल अलग हो जायगा, जिसको कि वर्किंग कमेटी ने मान भी लिया है। हिमांचल के साथ उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र मिलाये जा सकते हैं। ऐसी हालत में जो पश्चिमी जिले के रहने वाले कुछ लोग बटवारे की मांग उठा रहे हैं उनकी भी मांग का प्रगतिशील अंश पूरा हो जायगा और सारे हिन्दी भारत का एक वैज्ञानिक तरीके पर भाषावार बटवारा हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, १६१२ में जार शाही रूस में ऐसा ही प्रश्न पैदा हुआ था। गो उसकी ठीक तुलना हमारे देश से नहीं की जा सकती। जार शाही रूस में ग्रेट रशिया साम्राज्यवादी नेशन था, जाति थी, जो अन्य जातियों, नेशनलिटीज पर हुकूमत करती थी। हमारे यहां कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब गुलाम थे, और आज हम सब आजाद हैं। लेकिन उनके सामने जातियों की समस्या पेश थी, इतने बड़े महादेश की व्यवस्था करनी थी। स्टैलिन ने १६१२ में इस सम्बन्ध में जो थीसिस पेश की थी उसमें एक सिद्धांत दिया था, नेशनलिटी

का जिससे अधिक मान्य और वैज्ञानिक सिद्धान्त मुझे कम से कम नहीं मिला है कहा है—"जाति एक ऐसा स्थायी जन समुदाय है जिसका इतिहास के द्वारा निर्माण हुआ है, और जो एक समान भाषा, समान क्षेत्र, समान आर्थिक जीवन तथा एक समान संस्कृति के रूप में प्रकट होने वाले समान मानसिक गठन के आधार पर बना है।" एक ही नियम अगर एक जन-समुदाय में कायम रहे तो वह नेशनलिटी या जाति नहीं मानी जा सकती। ऐसी हालत में यह जरूरी नहीं है कि सारा हिन्दी भाषा भाषी भारत की एक नेशनलिटी या जाति बन सके, क्योंकि विदेशों में डेनमार्क और नार्वे की एक ही डेनिश भाषा होते हुए भी दो अलग-अलग राष्ट्र बने हुए हैं। इसलिए हिन्दी भारत के पुर्नविभाजन की आवश्यकता है। एक भाषा भाषी होते हुए भी यहां अनेक जाति के लोग रहते हैं। इसके बटवारे के लिए एक हाई पावर कमीशन नियुक्त होना चाहिए जो तमाम चीजों को देख कर इसका बटवारा करे। मैं समझता हूं कि इसमें प्रांतों की संख्या भी शायद नहीं बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी भी तो एक-दो से अधिक नहीं बढ़ेगी और यह प्रश्न भी हल हो जायगा। ऐसी हालत में दक्षिणी भारत की समस्या हल होने के बाद, हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के बटवारे के बाद जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी समस्या भी अपनी अलग है। वे आटोनामस एरियाज हो सकते हैं। वे अपनी संस्कृति और शिक्षा के मामले में आजाद होते हुए, कम्युनिकेशंस, वैदेशिक मामलों में, या अन्य समान भारतीय समस्याओं में एक साथ रह सकते हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार के बटवारे के साथ हमारे देश की भाषा समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जायगी और हम सफलता के साथ एक कदम जनवादी आन्दोलन की तरफ आगे बढ़ायेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मेरे संशोधन का बहुत कुछ अंश माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में आ गया है। इस वास्ते मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—दो संशोधन और हैं। एक श्री राधामोहन सिंह जी का है, जो शाब्दिक है। वह आप पेश करना चाहते हैं ?

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—दूसरा श्री नारायण दास जी का है जो सिर्फ बोलने का ही है। श्री अतहर हुसैन ख्वाजा, आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जी, मैं पेश करना चाहता हूं। जो मैंने अभी भेजा है।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद मैं कोई संशोधन नहीं लूंगा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, मैं जो संशोधन श्रीचन्द्र जी का है उसमें यह तरमीम पेश करता हूं आपकी इजाजत से। संशोधन की पंक्ति ४ में शब्द "जिलों" के बाद शब्द "(झांसी डिवीजन) जैसा कि सरदार पणिक्कर ने तजवीज की है और इलाहाबाद डिवीजन का इटावा जिला जिसकी कि आगरा आल पार्टी कनवेंशन ने सिफारिश की है" बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आपके संशोधन से पूरा क्या रूप होगा जरा आप सुना दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—रेजोल्युशन तो है ही नहीं मेरे पास। वह तो जनाब को ही श्रीचन्द्र जी ने दे रखा है। जनाबवाला पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—आप कम से कम अपने भाषण में समझा दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—इस तरमीम की वजह यह है कि बुनियादी तौर पर सरदार पणिक्कर की रिपोर्ट पर हमने अपने इस मांग की बुनियाद रखी है। जनाब देखेंगे कि

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

सरदार पणिक्कर ने झांसी डिवीजन को उसमें शामिल किया है और जहां तक मैं समझता हूं उसकी वजह यह है कि हमारे यू० पी० में चार डाइलेक्ट्स बोली जाती हैं। एक पहाड़ी, दूसरी ब्रजभाषा, जो कि झांसी डिवीजन तक में बोली जाती है, उसके बाद अवधी बोली जाती है, लखनऊ से गोरखपुर के बीच में और उसके बाद बिहारी या भोजपुरी।

श्री अध्यक्ष—बुन्देलखंडी आप छोड़ गये शायद।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—अगर जनाब की यह मरजी हो तो मैं उसको पांचवीं जबान मानने को तैयार हूं। बहरहाल मैं इसकी बेसिस सेंसस रिपोर्ट पर रख रहा हूं जिसमें नक्शों के जरिये से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि असल में ये चार डाइलेक्ट्स हैं और मेरा जहां तक खयाल है सरदार पणिक्कर ने इसी को अपने डिवीजन की एक बुनियाद बनाया है बहरहाल जनाब इसे देखेंगे कि जहां तक कि तारीख का सवाल है गंगा और जमुना का बेसिन पांच हजार वर्ष से एक ही रहा है। उसके बाद जब अफगान आये तो अफगानों के वक्त भी यह एक ही सूबा था, मुगलों के जमाने में भी एक ही था और सन् १८५८ में पंजाब को सिर्फ अलग किया गया सजा के तौर पर। इसलिये कि फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस में वहां के बहादुर लोगों ने वतन के लिये अपनी जानों की कुरबानी दी, इसलिये उनको अलग करना अंग्रेजों के लिये जरूरी था। इस तरह से १८५८ में यह तकसीम हो गया और वह जो हरियाना प्रांत कहलाता है वह पंजाब में चला गया और आगरे का हिस्सा और दिल्ली का हिस्सा उससे अलग कर दिया गया। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है जहां तक लैंग्वेज का ताल्लुक है, जहां तक कल्चर का ताल्लुक है, जहां तक ट्रेडीशंस का और और चीजों का ताल्लुक है यह जितना हिस्सा है हमेशा से यह एक साथ ही रहा है, एक जगह ही रहा है और आज जब कि हम आजादी की दुनिया में सांस ले रहे हैं, और आज जबकि मुल्क आजाद हो चुका है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि वह सजा जो उस हिस्से को फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस में कुरबानी करने के कारण मिली हुई थी, वह आज भी सौ बरस के बाद तक कायम रखी जाय। वह एक सजा थी पोलिटिकली जो हमको दी गई थी उस बहादुरी की वजह से जो हमारे बुजुर्गों ने दिखलायी थी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल जायज मांग है कि इस हिस्से को अलग किया जाय और उसको एक अलग प्रदेश बनाया जाय जिसका नाम ब्रज प्रदेश हो। आगरा, दिल्ली और हरियाना के हिस्से को मिलाकर यह ब्रज प्रदेश बनाया जाय और ब्रजभाषा उसकी जबान समझी जाय।

जनाबवाला, यह कहा गया कि यह डिमांड तो बिल्कुल नयी है और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि फिर जरा तारीख को दुहराइये तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि १६२० से यह डिमांड शुरू हुई और बहुत बड़े-बड़े लोगों के हाथों से शुरू हुई। महात्मा गांधी ने इसका खैरमकदम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारे कांग्रेस के सूबे बने उसमें मेरठ इस इलाके का और देहली और पंजाब के उस इलाके का एक सूबा बनाया गया। चुनान्चे उसके बाद इसी तरह के पोलिटिकल डिवीजन पर भी जोर दिया गया और यह कहा गया कि पोलिटिकल डिवीजन भी इसी तरह होनी चाहिये। सन् १६२८ से ३३ तक बराबर कांफ्रेंसेज हुईं। साइमन कमीशन के समय, राउंड टेबुल कांफ्रेंस के समय, १६३१ में इलाहाबाद में यूनिटी कांफ्रेंस के समय और फिर १६४६ और ४७ में जो कांफ्रेंसें हुईं, सब में यह मांग की गई और इस मांग को दुहराया गया कि यह स्टेट इस तरह से बननी चाहिये। तो यह कहना कि इसकी कोई मांग नहीं है, बिल्कुल गलत है। मांग इसलिये नहीं है कि हमने सिखों का रवैया अख्तियार नहीं किया। हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के डिरेक्टिव्ज पर अमल किया। इसलिये अगर कहा जाय कि मांग नहीं है तो हो सकता है कि मांग नहीं है। लेकिन अगर मांग उस जबान में समझी जानी चाहिये थी तो सिखों की मांग सबसे पहले मांग समझी जानी चाहिये थी। और अगर शराफत और बुर्दबारी और तहम्मुल की जबान समझी जानी थी तो हमारी डिमांड सबसे पहले मंजूर की जानी चाहिये थी।

मैं नहीं जानता कि कमीशन ने किस तरीके से यह कहा है कि हमारी डिमांड नहीं है और किस तरह से उसका यह जजमेंट है और क्या क्राइटेरिया रखा गया है जिसकी वजह से कहा है। तो मैं अर्ज करूंगा शद्दोमद के साथ यह डिमांड है और हर बच्चा-बच्चा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का चाहता है कि सेपरेट स्टेट बनायी जाय। असेम्बली में भी हमने कहा था कि अगर आप इसको गलत समझते हैं तो इसके ऊपर रेफरेंडम करा सकते हैं, उसके लिये हम तैयार हैं। जो भी नतीजा निकले हमें मंजूर होगा। एलेक्शंस आ रहे हैं। अगर कांग्रेस इसको अपना एलेक्शन का एक खास ईश्यू नहीं बनायेगी तो दूसरी कोई पार्टी बना लेगी और आप देख लेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। जो शख्स इस डिमांड को लेकर खड़ा हो जायगा मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि उसको कामयाबी हासिल होगी चाहे वह किसी पार्टी के टिकट पर खड़ा हो या इंडिपेंडेंट खड़ा हो। तो शद्दोमद के साथ यह कहना कि डिमांड नहीं है, मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है।

अब जो आर्गूमेंट्स दिये हैं कमीशन ने रिजेक्शन के लिये उनकी बाबत अर्ज है कि उन्होंने यह कहा है कि इसमें इकानामी है इसलिये कि बड़ी स्टेट होने की वजह से इकानामी होती है। दूसरे उन्होंने यह कहा कि हेडवर्क्स जो हैं वह वेस्ट में हैं और ईस्ट को वहां से पानी सप्लाई होता है इसलिये ठीक नहीं है। तीसरी बात यह कही कि डिमांड नहीं, जिसका मैंने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि फेडरल क्वेश्चन पर हम कुछ ज्यादा जोर नहीं देते हैं, हालांकि उन्होंने यह मान लिया कि यह हकीकत है कि इस किस्म का लोगों में जजबा है कि यू० पी० को इतना बड़ा नहीं होना चाहिये कि इतनी बड़ी आवाज पार्लियामेंट में रखे और ज्यादा असर कायम करें।

यह कहा गया कि यू० पी० में प्राविंशियलिज्म नहीं है और यह सही है कि यू० पी० में तो नहीं है, हमारा वतीरा भी ऐसा नहीं है, हमारा तरीकेकार ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी स्टेट्स के लोग जो हैं वह भी ऐसा समझते हैं या नहीं ? गलत सही, ठीक सही, लेकिन उनका जजबा क्या है ? फेडरल क्वेश्चन पर जोकि पणिक्कर साहब ने अपनी राय पेश की है, मैं समझता हूं कि उससे बेहतर एक्सपोजीशन नहीं किया गया होगा।

कुछ साहबान ने यह कहा है कि वह नोट मीनिंगलेस है। वह जरूर मीनिंगलेस है लेकिन इसलिये नहीं कि वह वाकई मीनिंगलेस है, बल्कि इसलिये कि वह साहब समझ नहीं सके कि उसके मानी क्या हैं। क्योंकि उसको समझने के लिये बड़ी अक्ल और तमीज और दिमाग की जरूरत है। वह इसलिये भी मीनिंगलेस है कि उसके समझने के लिये कांस्टीट्यूशनल हिस्टरी से वाकफियत होनी चाहिये और मुख्तलिफ स्टेट्स के कांस्टीट्यूशन की वाकफियत होनी चाहिये। वह इसलिये मीनिंगलेस है कि उसको समझने के लिये इंसान के दिमाग में अक्ल का खजाना होना चाहिये, और लास्टली वह इसलिये मीनिंगलेस है कि छोटा मुंह बड़ी बात की मशहूर पुरानी कहावत को सही साबित रखने के लिये एक ताजी मिसाल की जरूरत थी। हो सकता है कि किसी बात में आनेस्ट डिफरेंस आफ ओपीनियन हो। हो सकता है कि पणिक्कर साहब ने गलत कहा हो। लेकिन यह कह देना कि मीनिंगलेस है, मैं समझता हूं कि वह "मीनिंगलेस" वर्ड को ही नहीं समझते कि उसका मतलब क्या है। चाहे उसके माने गलत हों क्यों न हों मतलब तो कोई होता ही है। बहरहाल जो भी उन्होंने सोचा हो, इससे मुझे बहस नहीं है। अब जनाब खुद ख्याल फरमायें कि इतनी बड़ी स्टेट को कायम रखने के लिये .. . . .

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या "तमीज" शब्द पार्लियामेंटरी है ?

श्री अध्यक्ष—मैं उसको अनपार्लियामेंटरी नहीं समझता जिस कंटेक्स्ट में वह आया है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, विद रेफरेंस टु कांटेक्स्ट उसको समझने की कोशिश की जाय। तो जनाबवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि बड़ी से बड़ी स्टेट को बड़ा रखने के लिये एक वजह यह बतलायी जा सकती है कि इसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेंसी बहुत ज्यादा है, प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो फिगर्स मुलाहिजा

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

फरमाइये कि क्या डेवलपमेंट की फिगर्स हैं। सरदार पणिक्कर ने लिखा है कि यू० पी० की लिट्रेसी १०.८ है जबकि देहली की ३८.४, ट्रावनकोर की ४६.४ और उड़ीसा जैसे बैकवर्ड सूबे में १५.८ है। एक्सपेंडीचर इन एजूकेशन में आप देखें कि यहां १.३ है, बम्बई में ३.६ और मैसूर में ३.७, ट्रावनकोर में ३.६, सौराष्ट्र में ३ और जनाब पर कैपिटा एक्सपेंडीचर जो है सोशल सर्विसेज पर वह है २.७ यू० पी० में, ६.८ मैसूर में और ६ बम्बई में। अब उन्होंने जो फीगर्स नहीं रखी हैं वे अर्ज करता हूं ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाय। मेडिकल सर्विसेज की फीगर्स मुलाहिजा फरमाइये। ०.२ हास्पिटल बेड्स हैं अपने यहां एक हजार पापुलेशन पर यानी कि ६,३०० आदमियों पर एक। नर्सेज की हालत यह है कि ४३ हजार आदमियों पर एक नर्स है यू० पी० में। १४५ बेड्स हैं टी० बी० पेशेन्ट्स के लिये एक करोड़ आबादी पर, ८१ मेटर्निटी सेन्टर्स हैं १ करोड़ आदमियों पर, जबकि यू० एस० ए० में १०.४८ और चायना में ७.१ (यानी कि ८०० पर एक तादाद है)। एक डाक्टर है ६,३०० आदमियों पर जबकि चीन में ८८० आदमियों पर १ डाक्टर है। तो जनाबवाला, यह स्पीड है प्रोग्रेस की और मैं समझता हूं माफ किया जाऊंगा अगर यह कहूं कि अगर इस स्पीड के मुताल्लिक यह कहा जाय कि यह ऐटोमिक एज में बुलक कार्ट की स्पीड है तो कुछ बेजा नहीं होगा।

अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही हैं उनका बहुत जल्दी-जल्दी जवाब दे रहा हूं। उन्होंने एक तो मुकाबिला किया यू० पी० के एरिया का आस्ट्रेलिया और दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्रीज से। मैं बहुत अदब से यह अर्ज करूंगा कि एक पूरे इंडिपेंडेंट कंट्री का मुकाबिला एक फैडरेशन की फेडरेटिंग यूनिट से करना मेरे खयाल में कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)——और चीन का यू० पी० से मुकाबिला करना?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा——वह जायज है इसलिये कि वह मुकाबिला था और मेरा मुआजना है। एक बात उन्होंने यह फरमायी है कि कैपिटल्स और कंट्रीज के सेंटर में नहीं हैं। तो हम तो इस वक्त कैपिटल का झगड़ा ही नहीं उठा रहे हैं। वह तो दिल्ली, आगरा, मेरठ कहीं हो जाय। हमने तो अपनी डिमांड को कैपिटल के साथ नहीं लगा रखा है। मैं इसलिये यह अर्ज कर रहा था कि हमारी डिमांड में वह लचक है, यही नहीं कि कैपिटल में ही लचक है, बल्कि हमारी डिमांड में तो उस एरिया में भी लचक है कि जितना एरिया मुनासिब हो, उसमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुये, इकोनामी को मद्देनजर रखते हुए जहां मुनासिब हो कैपिटल बनाया जाय।

इस फेडरल प्रिंसिपिल के सिलसिले में एक बात और अर्ज करके मैं खत्म करता हूं। जहां तक फेडरल प्रिन्सिपिल के एप्लीकेशन का सवाल है यह एक बहुत ही जरूरी चीज है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम में नेहरू जैसा लीडर मौजूद है। आज वह तमाम लोगों को दबा कर एक साथ रख सकते हैं, तमाम हिन्दुस्तान उनको अपना लीडर तसलीम कर रहा है। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि फार आल टाइम टु कम हर आदमी जो उस पोजीशन में हो उसका वैसा ही असर मुल्क पर जैसा कि आज पंडित जी का है। तो पेश्तर इसके कि डिसयूनिटी के बीज बोये जायं और ज्यादा डिसयूनिटी बढ़े, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है कि अभी से इसका इन्तजाम कर लिया जाय कि वे जज्बात कम हो जायं और जो नफरत हमसे दूसरी स्टेट वालों को पैदा होती चली जा रही है और पैदा हो चुकी है, वह कम हो जाय और यू० पी० को जो आइन्दा एक शदीद नुकसान इस नफरत की बाइस उठाने का इमकान है वह बाकी न रहे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय श्रीचन्द्र जी, अतहर साहब और माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना। मैं चूंकि अपने को सीमित रखना चाहता हूं अपने सूबे के मसले से, इसलिये मैंने माननीय झारखंडे राय जी के भाषण का जानबूझ कर जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसमें जाने से मैं झंझट में पड़ जाऊंगा और सारे हिन्दुस्तान के मामले में राय देना मेरे लिये मुश्किल काम है। मैं मुख्य मंत्री जी की

इस सलाह को भी मानता हूं और इसको मुनासिब समझता हूं कि अपने सूबे तक ही हमें अपने को सीमित रखना चाहिये। छोटी मोटी बातें दूसरी जगहों के सम्बन्ध में कह लें तो कोई बात नहीं है।

मैं उस प्रस्ताव का जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, साधारण तौर पर समर्थन करना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि असल में हम लोग इस मसले को लेकर कुछ भटक गये हैं। हमें जिन मसलों को अपनी सारी शक्ति लगा कर हल करना चाहिए उस ओर हमारा ध्यान जरा कम है। वह मसला यह है कि हमारा मुल्क रोटी और वस्त्र किस तरह से पावे और यह रोटी, वस्त्र और घर जरूरी मसला है और जब इसके लिये सारे देश की जनता आवाज उठाती है तो कभी-कभी हमारे सामने ऐसी चीज रख दी जाती है जिससे हम भटका करें। मैं समझता हूं कि बारह आने यह मसला इसी तरह का है। वैसे मैं इसको भी मानता हूं कि भाषावार प्रान्तों की मांग लोकप्रिय है, लेकिन यह रोटी और कपड़े से पहले नहीं हो सकती है। मैंने अभी तक यह आवाज नहीं सुनी कि जो साधारण लोग गांव या शहर के रहने वाले हैं जिनको थाने पर, लेखपाल तथा कानूनगो के सर्किल पर और तहसील की अदालत में जाना पड़ता है, उसकी किसी ने नाप-जोख की है और उसकी दिक्कत को देखकर हेड क्वार्टर को बदला जाय ऐसी सलाह दी है। यह सुनकर मुझे बड़ी निराशा और घबराहट होती है। मैं इस चीज को मानता हूं कि जिस हद तक जनता को स्वराज्य मिला है उनके लिये यह मांग लोकप्रिय कही जा सकती है कि हम स्टेट्स का रिआर्गनाइजेशन कर दें क्योंकि इस समय उस तबके के हाथ में राजनीतिक सत्ता है और जब तक उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता है तो हमें दूसरे क्या कहना चाहेंगे।

हमारे दोस्तों ने जो सुझाव दिये और संशोधन रखे हैं उनके संबंध में यदि मैं कुछ न कहूं तो यह बड़ा अन्याय हो जायगा। माननीय श्रीचन्द्र जी की बात मैंने बहुत ही ध्यान से सुनी और बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं। मैं उनसे अदब से कहना चाहूंगा कि जब वह अपने को पणिक्कर साहब के साथ करते हैं तो उन्होंने शायद उनको गौर से पढ़ा नहीं है। पणिक्कर साहब जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा श्रीचन्द्र जी कहते हैं। वह कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, हमें सेंटर से मदद नहीं मिल पाती, सेंटर हमारे साथ अन्याय करता है और हमें जितना पैसा मिलना चाहिये वह मिलता नहीं है चाहे वह इंकम टैक्स में से हो, एक्साइज ड्यूटी की आमदनी में से हो, लेकिन जितना हिस्सा हमारी स्टेट का है वह हमें मिलना चाहिये. जो नहीं मिलता है, लेकिन पणिक्कर साहब का नोट इस आधार पर है कि हम अनुचित लाभ उठाते हैं अपने साइज और स्वरूप की वजह से और लोक सभा तथा राज सभा में भी हम अधिक मेम्बर्स भेजने के कारण दूसरी स्टेट्स का हिस्सा भी खींचते हैं यह पणिक्कर साहब की राय है। श्रीचन्द्र जी की यह राय नहीं है उनकी राय यह है कि जितना हक़ इसको मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि हमारे दोस्त, बुजुर्ग श्रीचन्द्र जी किस तरह पणिक्कर जी के नोट आफ़ डिसेंट को सपोर्ट करते हैं। उसके कंटेंट जो हैं वह श्रीचन्द्र जी की बात के माफिक नहीं है। मैं पणिक्कर साहब की बात से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मैं उस मामले में श्रीचन्द्र जी की बात से सहमत हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय, कई बार यह निवेदन किया है कि हमारी सरकार में जो एक फाल्स नोशन आफ़ डिग्निटी है उसने अपने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे ढकेला है। पिछले पांच, सात वर्ष की हुकूमत में सरकार ने, जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा, डेवलपमेंट के काम में जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया, जो कर सकती थी वह भी पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिल्कुल मुनासिब शिकायत है अतहर साहब की, बिल्कुल मुनासिब शिकायत है श्रीचन्द्र साहब की। इन दोनों साहबान की शिकायत अपने मंत्रियों के विरुद्ध है। वे कहते हैं कि मिनिस्टर साहबान जो हैं वह जनता के प्रति अपने फर्ज को जो अदा करना चाहिये वह अदा नहीं करते। सरकार को चाहिये था कि वह अस्पताल ज्यादा खोले, सरकार को चाहिये था कि वह ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम करे, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये और डेवलपमेंट के काम तो तभी बढ़ सकते थे जब कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ें, हमारे हाथ में पैसा होता। पैसा लाने के लिये जिस वक्त बात आती थी उस वक्त हमारी हुकूमत कहती थी कि हम तो सेल्फ

[श्री नेवासिंह]

इनफीशियेन्ट है। अब भी वह यही ग़लती करती है। अभी कुछ दिन पहिले नियोजन पर बहस हुई थी तो हमारी तरफ़ से यह बात कही गई। हमको कहा गया कि तुम अशुभ बात कहते हो। जब हमने कहा कि हमारा सूबा पिछड़ा हुआ है तो मुझे डांटा गया और मेरी बदनामी की गई। मैं कहता हूं कि आज भी वही बात है। उस दिन तो हमारे श्रीचन्द्र जी और अतहर साहब मुझको डंटवाने में मदद करते हैं जब वह वहां बैठ कर यह कहते हैं कि यह स्टेट सारे हिन्दुस्तान के स्टेट्स में पिछड़ा हुआ नहीं है। यही तो मैं कहता था और जब मैं यह कहता था तो क्यों नहीं आपने सच्चा बात को कबूल किया? अगर आप उस समय नहीं रहे तो किसी वक्त उस बात को कबूल करना चाहिये। मैं आज भी आपको मुबारकबादी देता हूं ख्वाजा साहब को कि जो अपनी हुकूमत की कलई को खोल रहे हैं और इस हाउस के सामने इन बातों को रखा है। इन मसलों पर जरा इस समय हमें गौर करना चाहिये। अतहर साहब की बात बेबुनियाद नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं, वह मौजूद हैं। मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं. मैं चाहता था कि वे भी मेरी सुन लेते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम अशुभ बात कहते हो। पिछली पंचवर्षीय योजना में २३ अरब रुपया खर्च होने वाला था और उसमें कुल १ अरब ६६ करोड़ रुपया हमको मिला। इस बार कुल ४२ अरब रुपया खर्च होना तय हुआ है जिसमें हमको कुल २ अरब ६० करोड़ रुपया मिलने वाला है। यह कौन सा परसेंटेज है? यह मैं पणिक्कर साहब से पूछूं या वित्त मंत्री जी से? पणिक्कर साहब मुझको मिलते नहीं, मैं वित्त मंत्री जी से पूछता हूं। मैं यह क्या कहूं कि हमारे मिनिस्टर काम करने वाले नहीं हैं। वह लोग झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में रहते हैं। यह सही है मैं नहीं चाहता कहना, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है, श्रीचन्द्र साहब और अतहर साहब की वह हमको इसी चक्कर में डालती है।

मैं कहता हूं कि जो हमारे पश्चिम के साथी नाराज हो गये और चाहते हैं कि अलग हो जायं वह पणिक्कर साहब की बात को लेकर अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि पणिक्कर साहब तो कहते हैं कि स्टेट दूसरों का हक छीनने के लिये बड़ा है। इसलिये इसको टुकड़े कर दो, लेकिन हमारे दोस्त सरकार को कहते हैं कि तुम अपना हक नहीं ले पाते हो और इसलिये हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? ऐसे लोगों के साथ रहेंगे कि जो दिल्ली की हुकूमत से लड़कर ठीक ठीक अपना हक ले सकें? इस मांग का स्वागत करना चाहिये और हमारे सामने के ओर उन माननीय सदस्यों को भी समझना चाहिये कि वह क्या कह रहे हैं और पणिक्कर साहब के साथ अपने को क्यों जोड़ रहे हैं। असल बात कुछ और है। आखिर हमारे माननीय सदस्य चुन कर यहां पर आये हैं। हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उस आजाद हिन्दुस्तान के वह मेम्बर हैं। जिस वक्त उनके चुनने वाले यह सवाल करते हैं कि आप ने हमारे लिये क्या किया तो बेचारे वह सिवाय इसके कि और क्या कहें कि सारा का सारा पैसा पूर्वी जिलों को चला जाता है। उनके पास और कोई इसका जवाब नहीं है। आखिर जनता उनसे पूछती है कि तुम वहां किस लिये गये तो वह यही कहते हैं कि जब बटवारा होगा तब तुम्हारा भला होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार को आपने यहां सुनाया यही बात, यदि जनता को भी सुनाया करें तो यह गवर्नमेंट कुछ सुधरती। यह गवर्नमेंट यदि कुछ सलाह आपकी भी मान ले और उस सलाह से अगर आप उनको फायदा पहुंचायें तो देश की जनता को और जिले के लोगों का लाभ हो सकता है। यह मसला हमारे सामने है और सबके सामने है कि वहां पश्चिमी जिलों की जनता कहती है और किसान और खेती में मजदूरी करने वाले कहते हैं कि चाहे दिल्ली की सरकार से कहो या आगरा में सरकार बनाओ, लेकिन हमको रोटी रोजी मिलनी चाहिये। वह तो रोजी रोटी के लिये जान दे रहे हैं, लेकिन आप उस बात को महसूस नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को इस दृष्टि से न देखें कि मैं सरकार को कुछ सुनाने के लिये कह रहा हूं। मैं सचमुच अपनी भावना को कह रहा हूं कि पश्चिमी जिले के लोगों की शिकायतों को जानने की कोशिश की जाय। यह बात निश्चित है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार से इस वक्त काम कर रही

है उसमें पच्छिमी जिले के लोग यह जरूर कहेंगे कि हमको अलग हो जाना चाहिये। इसलिये कि पूर्वी जिलों को प्रदेश से इगनोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं है। उनकी जनसंख्या इतनी है कि सचमुच वहां से ज्यादा मेम्बर आयेंगे, इसलिये कि पापुलेशन को बेसिस पर सीटों का बटवारा है। ज्यादा मेम्बर वहां से आयेंगे तो वह अपनी गवर्नमेंट बनायेंगे। तब उस गवर्नमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि उधर के लिये कुछ किया जाय। उसको कैसे उपेक्षा करें, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है। अगर वह उपेक्षा करेंगे तो पार्टी उनकी नहीं रह सकती। यदि सरकार उपेक्षा नहीं करेगी तो फिर पैसा कहां से आवे। दिल्ली से मांग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़प्पन में फर्क पड़ जायगा। अगर वहां से मांग नहीं करते तो फिर क्या हो। तब पश्चिम वाले अलगाव की बात न करेंगे तो क्या करें। यह हमारे लिये मुनासिब बात नहीं होगी और पश्चिम के ही दोस्तों के लिये यह मुसीबत की बात होगी तो फिर सरकार को जरा इसे महसूस करना चाहिये। यू० पी० की सरकार को हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स में अगुवा होना चाहिये और एक नए ढंग पर प्लानिंग की बात करनी चाहिये। मैं यहां पर प्लानिंग की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह आपको सोचना चाहिये कि किस तरह से सारे देश को रोटी दें, वस्त्र दें और आश्रय दें। अगर सब के लिये इस प्रकार का इन्तजाम हो जाय तो फिर पच्छिम वाले झगड़ा नहीं करेंगे और वह नहीं चाहेंगे कि दूसरी तरफ जायं।

दूसरी बात यह कही गयी और मैं भी इतनी बात को जरूर समझता हूं। श्री चन्द्र जी ने यह कहा कि कोई देश रकबे से बड़ा नहीं माना जाता है। जहां पर आदमी ज्यादा हों वही बड़ा माना जाता है। मैं भी कहता हूं कि रकबे से तो जंगल बड़ा होता है। रकबे से मुल्क कोई बड़ा नहीं माना जाता है। इसी तरह से मैं उनसे एक बात और निवेदन कर दूं कि कुछ आदमी तो पूरे आदमी होते हैं और कुछ आधे आदमी होते हैं। यह खुशकिस्मती की बात है कि कुछ व्यक्ति कभी-कभी पैदा होते हैं, वह सारे प्रदेश और देश के देखे जाने लगते हैं। महात्मा गांधी मामूली सी जगह राजकोट में पैदा हुये और सारे भारतवर्ष के नेता हो गये तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि वह राजकोट के थे। तिलक जी पैदा हुये महाराष्ट्र में लेकिन सारे देश के नेता हुये। गोखले जी पैदा हुये देश के एक कोने में परन्तु सारे देश के नेता हुये। इसी प्रकार से जब यह देखते हैं जवाहर लाल जी पैदा हुये यू० पी० में मगर उनको भी यह हक हासिल है और गौरव हासिल है कि वह सारे भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकें तो फिर यह चिढ़ की बात तो नहीं होनी चाहिये। क्या राजा जी सारे देश के नेता नहीं हैं? हम तो उनको भी सारे देश का नेता मानते हैं और कोई चिढ़ नहीं समझते। ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं कि उनके पीछे चलना पड़ता है और यह व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को घटाया न जाय, जो व्यक्तित्व उठे हुए हैं, उनको नीचे न खींचा जाय, क्योंकि वे मुल्क की भावनाओं के प्रतीक है। इसी प्रकार से डा० राजेन्द्र प्रसाद बिहार में पैदा हुए लेकिन उन्हें सारे देश के लोग अपना नेता मानते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट में नहीं हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव के लिये यह मानने के लिये कौन तैयार होगा कि वे केवल उत्तर प्रदेश के है, उसी प्रकार से जय प्रकाश नारायण के लिये भी मैं यह मान नहीं सकता कि वे केवल बिहार की संपत्ति हैं। अतः ऐसे व्यक्तित्व को हमें बनाना होगा, जो सारे मुल्क को अपने पीछे ले जायेंगे। मैं बहुत ही अदब से उस नोट आफ डीसेंट के खिलाफ यह बात कहना चाहता हूं कि पणिक्कर साहब ने जो बात कही है वह उचित नहीं है। कहीं भी ऐसी जो पर्सनालिटीज हैं वह इसलिये नहीं हैं कि वे अपने व्यक्तित्व से दूसरे लोगों को अनुचित फायदा पहुंचायें बल्कि उन पर्सनालिटीज का रहना हमारे सबके हित में ही है। हम चाहते हैं कि हिन्दोस्तान हमारा है और उसके टुकड़े न हों। अगर हिन्दोस्तान के टुकड़े न होने देना है तो ऐसी पर्सनालिटीज को हमें बढ़ाना होगा। हम आज डैमोक्रेटिक मुल्क में हैं और डेमोक्रेसी में यह होता है कि अगर कोई बात गलत कही जाती है जो नुकसान की बात हो तो उसका विरोध हम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी बातों को भी ध्यान में रखना होता है कि जो पर्सनालिटीज बड़ी हैं उनको हम नीचे न गिरायें।

[श्री गेंदा सिंह]

एक बात बहुत जरूरी है उसको भी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश भूमि के मामले में बहुत गरीब है, बहुत ही घना बसा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हो सकता कि और देश बहुत घने हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जिन जिलों में पहाड़ी एरिया है जिनको हम आबाद नहीं कर सकते, उसके कारण मालूम होता है कि हमारे प्रदेश की आबादी घनी नहीं है। हमारे प्रदेश की आबादी घनी है और अगर उसके लिये किसी दूसरी स्टेट को नुकसान पहुंचाये बिना, उसका कोप भाजन बने बिना, हमें कोई हिस्सा मिल सके तो उसका हमें प्रयत्न करना चाहिये और वहां अपनी आबादी को खपाना चाहिये। लेकिन इसके लिये हम किसी दूसरे प्रांत के हिस्से को जबरदस्ती लेना नहीं चाहते। अब यह मुसीबत तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हम ऐसा इंवेस्टमेन्ट न करें, जिससे खेती और दूसरे रिसोर्सेज के लिये ऐसी चीज न मिले, जिससे हम अपने प्रदेश को और आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ाने की बात तो और है लेकिन हम इस वक्त तो रोटी और वस्त्र की बात ही करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोगों को नाराजगी हो। हम नहीं चाहते कि दूसरी स्टेट अगर बन रही है तो उनका हिस्सा काट कर उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। अगर उत्तर प्रदेश अपने रिसोर्सेज को और अपनी अक्ल को ठीक से काम में लाये तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी को कोई शिकायत बाकी नहीं रह जायगी। उससे पश्चिमी लोगों को भी फायदा होगा, उनकी शिकायत दूर हो जायगी और पूर्वी लोगों की शिकायत भी अगर जल्दी दूर न हुई तो थोड़ी देर में अवश्य दूर हो जायगी। जो लोग अलहदा होने की बात सोचते हैं वे भी ठंडे दिल से सोचें कि क्या हम सब मिल कर सूबे को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते और अगर ले जा सकते हैं तो फिर वे यह न सोचें कि मैं इस तरफ की बेंच से कह रहा हूं। इसलिये उसका किसी न किसी प्रकार से विरोध होना ही चाहिये। अपने जीवन में जब से मैं यहां आकर बैठा हूं हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि उस तरफ से कोई भी बात कही जाय तो उसके मेरिट पर ही विचार करें और मेरिट पर विचार करके मेरी बुद्धि में जितनी बात आती है, हो सकता है कि मेरी बुद्धि में न आती हो, लेकिन मेरिट पर विचार करके ही कुछ कहता हूं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और हम अपने सूबे की तरक्की करना चाहते हैं, अपने सूबे की भलाई करना चाहते हैं तो स्टेट लेविल पर सोचने के साथ-साथ हमको गांव के लेविल पर, उस निचले स्तर पर भी सोचना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं और अपने दोस्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि वे यह न समझें कि हमारे साथ रह कर उनकी गरीबी बढ़ेगी। यह बड़ी अपमानसूचक बात है, मैं एक बात कहने के लिये आपकी इजाजत चाहता हूं कि कुछ दिन पहले देहली से कुछ लोग आये और हमसे उन्होंने बात की कि हमको इस सूबे से अलग हो जाना चाहिये और देहली में कुछ जिलों की राजधानी बनानी चाहिये। मैंने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है, कारण उन्होंने बतलाये वह यह कि हमारा इकनामिक स्टैंडर्ड ऊंचा है और इन लोगों के साथ रहने से हमारी तरक्की रुकती है। उन्होंने शायद समझा नहीं था कि मैं उसी एकनामिक स्टैंडर्ड का हूं जो उनसे नीचा है। इस पर मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझको राजी करने की मेहनत न करें। यह तो उसी तरह की बात हो गयी कि एक ही घर के दो भाइयों में एक भाई अगर धन वाला हो जाय तो वह छोटे भाई का अपमान करे। इसी तरह की बात मुझे वह लगी कि चूंकि हम दरिद्र हैं इसलिये वे हमारे साथ नहीं रह सकते। मैंने कह दिया कि अगर आप देहली में हुकूमत बनाना चाहते हैं तो जाइये वहीं पर बनाइये, हम आपके रास्ते में बाधक नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की बात कहना ही नामुनासिब है कि हमारा सब रुपया इन पहाड़ वालों में या पूरब वालों में खर्च हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर बहुत से आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये। अगर वे आंकड़े प्रस्तुत करते तो जहां कहा जाता है कि हमारा सारा पैसा इधर ही खर्च हो जाता है, मैं समझता हूं कि हिसाब जोड़ने पर ज्यादा अन्तर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं उसको जोड़ता नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह आदत भी नहीं है जोड़ने की कि गोरखपुर में कितना

खर्च हुआ और मेरठ में कितना खर्च हुआ। लेकिन हां, उस समय जरूर जोड़ा करता हूं जब अखबारों द्वारा यह खबर मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना रुपया दिया है, तो उस समय मैं जोड़ता हूं कि कितना रुपया किसको दिया गया और हमारे हिस्से में कितना मिला। जब मैं कभी इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न करता हूं तो चूंकि वह जुरिस्डिक्शन में नहीं आता इसलिये नामंजूर हो जाता है। मैं पूछा करता हूं कि सरकार हमको बतलाये कि कितना हमारा हिस्सा है उसने कितना प्राप्त किया। मैं समझता हूं कि अगर हमारी सरकार खबरदारी के साथ अगली पंचवर्षीय योजना के हर काम के लिये अपने हिस्से की परवाह करेगी और बिलकुल मेरठ के स्टैंडर्ड से अपने को न नाप कर सारे देश के स्टैंडर्ड से नापने की कोशिश करे तो सूबे की बड़ी उन्नति हो सकती है। जब देहली वाले मेरठ या गाजियाबाद में कभी आते हैं तो उसी हिस्से को देख कर समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इतना डेवलप्ड है वहां डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है और इस तरह से एक झूठी तसवीर यू० पी० की वे अपने मन में बना कर चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि हम इस झूठे बड़प्पन में न पड़ें।

रह गयी बात भाषावार प्रान्त की। जैसा कि श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि इस तरह का प्रान्त बनना चाहिये, लेकिन मैं फिर भी कहना हूं कि भाषा के आधार पर अगर कोई स्टेट आर्गनाइज हो जाय तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि इसके लिये हमको कीमत कितनी देनी पड़ेगी। अगर हम इतने छोटे-छोटे स्टेट बना डालें तो जितने स्टेट के गवर्नर साहब होंगे, पार्लियामेंट होगी, असेम्बली होंगी, मिनिस्टर्स होंगे, उन्हीं के रखने में किसानों और कमाने वालों का सारा पैसा खर्च हो जायगा। इस तरह से अगर हम जनता से सारा पैसा खींच कर उन्हीं के ऊपर खर्च कर डाले, इससे तो अच्छा यही है कि हम जिस तरह से पड़े हैं उसी तरह से पड़े रहें। लेकिन अगर स्टेट्स अधिक बनाने हो तो बहुत सी बुनियादी बातों पर सोचना होगा और उन पर जिनसे जनता पर टैक्स का बोझ न पड़े। सरदार पणिक्कर ने भी कहा है कि जो स्टेट बाकी रेजीडुएरी स्टेट रह जायगी उसको टैक्स बढ़ाने की बात सोचनी पड़ेगी लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्टेट्स ठीक ढंग से फिर से आर्गनाइज हो जायं और एक वैज्ञानिक ढंग से आर्गनाइज हो जायं लेकिन टैक्स बढ़ाने की बात हम कैसे कबूल कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी कहना पड़ेगा कि कांस्टीट्यूशन में राज्य प्रमुख नहीं रहेंगे लेकिन राज्यपाल तो रहेंगे, क्योंकि उनके दर्जे को मन्सूख करने का हमें अधिकार नहीं। वह भी रहे, असेम्बली ऐसी ही बनी रहे, यही हमारा वेतन बना रहे, यही यहां के खर्च बने रहें इसके बावजूद हम कहें कि स्टेट बढ़ाओ तो फिर उसके लिए पैसा कहां से आयेगा। एक तरफ हम यह बात स्वीकार कर लेंगे तो दूसरी तरफ बजट प्रोपोजल आयेगा और हाफिज जी जैसे सिद्धहस्त लोग दूसरों से बात को मनवाने वाले कहेंगे कि उस दिन तो तुम ने कहा था कि स्टेट बढ़ाओ और अब टैक्स प्रोपोजल पर क्यों मुखालफत करते हो और उस वक्त उसका हमारे पास कोई जवाब न रहेगा। मैं श्री झारखंडे राय के टर्म्स पर भी सोचता हूं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि टैक्स बढ़ा कर, क्योंकि यहां की जनता के पास पहले अन्न, कपड़ा और रहने का घर होना चाहिए और उसे छोड़ कर टैक्स बढ़ा कर यहां बैठ कर हुकूमत की जाय यह किसी को मंजूर न होगा। अन्त में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस प्रस्ताव से मैं आम तौर से सहमत हूं और जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कहीं उनसे कई स्थान पर मतभेद है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर कुछ हिस्सा इस राज्य में मिलाया जाय तो बहुत ही कुशलतापूर्वक मिलाया जाय, किसी की नाराजगी से नहीं, मर्जी से और हम चाहते हैं कि हमारा काम ठीक हो, और दिक्कत दूर हो, लेकिन उससे दूसरों की दिक्कत न बढ़े इसका ध्यान अवश्य रहना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) (जिला बिजनौर)—जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मेरी आवाज बहुत पड़ी हुई है और मैं बोलूंगा भी कुछ दिक्कत के साथ। मगर मैं चूंकि कल और परसों कहीं और होऊंगा इसलिए मैंने स्पीकर साहब से इजाजत ली कि मैं पश्चिमी जिलों का एक आदमी हूं और मैं इस वक्त गवर्नमेंट का एक मेम्बर होने की हैसियत से नहीं, बल्कि पश्चिमी जिले का एक आदमी होने की हैसियत

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]
में अपने कुछ ख्यालात एवान के सामने रखना चाहता हूं। मैं यह नहीं कर सकता कि इस थोड़े से वक्त में जो बातें यहां कही गई हैं उन सबके मुताल्लिक कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन दो-चार बातों के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज करूंगा। मैं अव्वल ख्यालात इस सदन के सामने रखूंगा कि यह कहां तक मुनासिब है कि यू० पी० के जिलों को इससे कट करके किसी और तरफ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। जब से यह सवाल उठा मैंने उस पर वक्तन-फवक्तन सोचा भी मगर जो तकरीरें आज यहां हुईं इसकी मुआफिकत में कि यू० पी० का कुछ हिस्सा कट कर किसी दूसरी जगह जाय तो मैं कुछ समझा और जो समझा वह मैं समझता हूं कि बिल्कुल यही समझा हूं और उसको समझने के बाद मुझको गालिब साहब का एक शेर याद आ गया वह मैं सदन को इसलिये सुनाना चाहता हूं कि यह जो सवाल है वह क्यों उठा है और इसका नतीजा क्या है।

श्री अध्यक्ष--उसका मतलब भी बता दीजियेगा अगर हम लोग न समझें तो।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिलकुल समझ जायेंगे। मालूम नहीं गालिब साहब को उस जमाने में यह बात मालूम होगी कि उन्होंने इस किस्म का शेर कह दिया। जब मैं अपने भाई श्रीचन्द्र साहब को और अतहर साहब को सुन रहा था तो मुझे वह शेर बराबर याद आ रहा था। वह शेर यह है :

"अब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जायेंगे।
मर के भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे।।"

तो मैं दरअस्ल इसी झगड़े में पड़ा हुआ था अपने दिमाग में कि मेरे भाई जो फरमाते हैं उसके ऊपर अमल होने के बाद भी अगर हम वहीं के वहीं रहे या और कहीं ज्यादा मुसीबत में मुब्तिला हो गये तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब मेरे भाइयों की तकरीर में मुझे कहीं नहीं मिला। बड़ा है यू० पी० और इंतिजाम बड़े स्टेट का सही नहीं हो सकता है और बड़ा रकबे में नहीं, बल्कि बड़ा आदमी ज्यादा होने से। कहा जाता है कि डेवलपमेंट में जो कुछ वहां होना चाहिये था वह नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार से जिस कदर रुपया मिल सकता था और जो वहां पर खर्च किया जा सकता था वह खर्च नहीं हुआ, वहां रुपया नहीं मिला। ये सब बातें ऐसी हैं कि जो इस वक्त यहां कह दी गईं, इसकी मुआफिकत में कि यू० पी० के जिले यहां से कट जायं। मैं यू० पी० का एक आदमी शायद यू० पी० के पश्चिमी जिले की बदकिस्मती से हूं और सन् १९४६ से लेकर सन् १९५२ तक उन मुहकमों का इन्चार्ज रहा, जिन मुहकमों में डेवलपमेंट का काम होता था। फिगर्स कुछ तो दी गईं मेमोरेंडम में वे गलत दी गई थीं और मैं अब दे दूं तो वे भी गलत हों, लेकिन मैं तवज्जह दिलाता हूं कि वे इस बात को इस नुक्तेनजर से देखें कि सन् १९४६ से लेकर ५० तक जितने ट्यूबवेल्स बने वे कहां बने, जितने चैनेल्स, नहरें बनीं, वे कहां बनीं, बिजली के लिये जितने काम हुये वे कहां हुए। कभी-कभी यह होता है कि बहुत बड़ी रोशनी सामने भी हो तो वह नजर नहीं आती। पश्चिमी जिलों में इस वक्त तक तीन पावर स्टेशंस बने। इस हाउस को उनके पूरे हालात मालूम हैं या नहीं। खटीमा पावर स्टेशन बना। कहा गया कि यह पश्चिमी जिलों में खारिज हो, लेकिन कम्बख्त खारिज नहीं हुआ और वह वहीं का वहीं रहा। पश्चिमी जिलों में मुहम्मदपुर पावर हाउस बना तो कहां बना ? यह जो बिजली का डेवलपमेंट इस वक्त तक इस स्टेट में हुआ है तो वह कहां हुआ और वह किस तरीके से हुआ यह मैं इस हाउस को बतला दूं। यह नहीं कि आगे की कोई बात बतला रहा हूं। आगे की बात भी है और इस वक्त की भी है और मैं एक फिकरे में उस बात को वाजेह करता हूं कि जो सहारनपुर का रहने वाला एक काश्तकार है उसकी किस्मत बलिया के रहने वाले एक काश्तकार से बंधी हुई है। जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जितनी बिजली बन कर इन पावर स्टेशंस में मिल गई है वह आगे को बढ़ा कर सारी स्टेट के अन्दर, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फैल जायगी और जितने पावर स्टेशन्स हैं वे सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं।

एक बात कही जा रही थी कर्ज लेने की। मेरी समझ में नहीं आता कि रेवेन्यू का सवाल कहां से आता है। जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं वे सब कर्जा लेकर तो हुए ही हैं। जितने पावर स्टेशन्स बनाये गये हैं कर्ज लेकर, जितनी नहरें और ट्यूववेल्स बनाये गये हैं वे कहां से बनाये गये--सब कर्जे के रुपये से बने हैं। कर्जा तकसीम करके लेंगे? तब नहीं लेंगे। जब सवाल यह आये कि इतने करोड़ रुपये का जो यू० पी० पर कर्जा है उसमें से इतना हिस्सा जो पश्चिम के लिये है वे दें तब कोई उस वक्त देने के लिये तैयार नहीं होगा। जब कोई बात कहे तो पहले यह सोचे कि उसके इम्पलिकेशंस, जो-जो बातें उसके अन्दर से निकलती हैं और किस तरह से उसका एक-दूसरे पर असर पड़ता है--उन सब का क्या होगा। इन सब बातों को समझ कर कोई एक बात कायम की जाय तब तो उसके कुछ मानी हो सकते हैं वर्ना महज इस बात पर कि मुझे यह डिसटिस्फेक्शन है सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। मैं नहीं जानता कि कहां मैं रहता हूं और कहां दूसरे भाई रहते हैं। यू० पी० के अन्दर सहारनपुर से लेकर बलिया तक क्या यह जबान नहीं बोली जाती जो यहां इस सदन में बोली जा रही है? कौन सा जिला है इस यू० पी० में, जिसमें यह जबान नहीं बोली जाती जो इस सदन में बोली जाती है चाहे इसको जो कुछ भी कहते हों? हर जिले के अन्दर यही जबान बोली जाती है। यही कपड़ा जो यहां पहने बैठे हैं तमाम पश्चिमी और पूर्वी जिलों के नुमाइन्दे वहीं सारे यू० पी० के अन्दर पहना जाता है। इनके कल्चर के अन्दर क्या फर्क है। इनके खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने में जो जिन्दगी की रहन-सहन से ताल्लुक रखती है उनमें क्या फर्क है। किस बिना पर उनको एक नहीं कहा जा सकता। कहां जबानें दो बनीं या तीन बनीं ऐसे तो अंग्रेजी भी बोली जाती है और यों शायद अरबी, फारसी के बोलने वाले भी हैं, लेकिन वे सारी जनता के आदमी जिस जबान को बोल रहे हैं उसे देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि सहारनपुर से लेकर बलिया तक एक जबान नहीं है या सहारनपुर से लेकर बलिया तक एक कल्चर नहीं है। यों तो एक-एक घर में, एक एक मोहल्ले में आदमियों के अन्दर कुछ न कुछ फर्क होता ही है। लेकिन वह फर्क कभी कोई नोटिस में नहीं लाता। यह एतराज भी किया गया कि आदमी ज्यादा हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी बतलाई गई। मेरी समझ में नहीं आया। फर्ज कीजिये इस जिला लखनऊ में जितने आदमी रहते हैं, इससे दुगने यहां रहने लगें, एक बात है और इसी जिले के आदमियों को छांट करके दो जिलों के अन्दर बांट दें। इन्तजाम किस हालत में मुश्किल होगा? इन्तजामी मुश्किल तो रकबे की लम्बाई से ज्यादा पैदा होती है, ज्यादा आदमियों की तादाद से नहीं। मैं नहीं समझता इस बात को। तो जो बड़ाई है, अगर रकबे की बड़ाई है, तो उससे ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी पैदा हो सकती, अगर्चे यू० पी० इतना बड़ा रकबा रखता है जिसको कोई साहब यह भी कह दें कि इतना नहीं होना चाहिए किसी स्टेट को। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि बतलाओ, उस रिपोर्ट में किसी ने लिख दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं और उससे दुनिया इनकार नहीं कर सकती, और जिनका ऐसा ख्याल है वह बतला दें, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी स्टेट इस देश की जिसका ऐडमिनिस्ट्रेशन यू० पी० से अच्छा हो। मैंने यह सवाल किया है और उन साहबान से किया है जो साहबान जिम्मेदारी से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसका जवाब कोई नहीं पाया। मैं कहता हूं कि बतला दें। छोटी को बतला दें अगर रकबा कम होने से अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है अगर यहां आदमियों की तादाद ज्यादा है तो उस हालत में जब कि वहां का इन्तजाम खराब नहीं है तो कैसे मैं मानूं इस बात को, आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जिस चीज का रोजाना तजुर्बा हो, उसको देखते हुए किसी और वजह से इस बात को पलट कर कहने लगें तो माकूल बात थोड़े ही हो सकती है। मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई माकूलियत नहीं है इस बात के कहने के वास्ते कि चूंकि यू० पी० का इन्तजाम खराब है, इसलिए यू० पी० को बांट दिया जाय। चूंकि यू० पी० में तीन जबानें बोली जाती हैं, चूंकि यू० पी० के कल्चर में तीन रंग हैं इसलिए बांटें, इसमें एक भी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बात एगजिस्ट नहीं करती। यू० पी० के आदमी वहां ज्यादा जाते हैं, उनका यू० पी० वाले से कम से कम कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यू० पी० के सहारनपुर के जिले को काट करके वहां मिला दो, पंजाब में। अगर कोई शख्स समझता है कि कल्चर और जबान किस चीज का नाम है, तो कभी कोई नहीं कह सकता कि लुधियाना और अमृतसर में वही जबान बोली जाती है जो सहारनपुर में बोली जाती है। पंजाब के जिलों में और यू० पी० के पश्चिमी जिलों में खुला हुआ फर्क है, जो गैर से गैर आदमी जरा सी देर में महसूस कर सकता है। मै कहता हूं कि ख्वाजा अतहर हुसैन साहब को और अमृतसर के एक आदमी को साथ-साथ खड़ा कर दीजिये, अगर वह यह कहें कि हां, साहब दोनों बिल्कुल एक हैं तो मै मान लूंगा और अगर उस आदमी को और ख्वाजा साहब को यह कहें कि यह दो है तो मैं मान लूंगा। पंजाब के साथ जोड़ने को तैयार हैं। मुझे कोई चीज नजर आयी नहीं, जिससे कटौती करके यहां से वहां को ले जायें।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को उपस्थित करने की तो आज्ञा नहीं मिली, लेकिन जो आपने मुझे यहां पर अपने विचार रखने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। ऐसा मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव नेता सदन ने हमारे सामने रखा है वह हर तरह से उपयुक्त है और हम उसका समर्थन करना चाहते हैं यद्यपि मैं यह पसन्द करता कि यह प्रस्ताव कुछ और स्पष्ट और कुछ और जोरदार होता फिर भी जैसा यह है मैं इसका समर्थन करता हूं।

उत्तर प्रदेश के संबंध में जहां तक विचार करना है पहले मैं उस पर भौगोलिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूं। इतिहास बदला करता है लेकिन भूगोल नहीं बदलता। अगर हम केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से ही विचार करें तो हम साफ-साफ देखेंगे कि प्रकृति ने ही उत्तर प्रदेश को अविभाज्य बनाया है। चन्द मित्रों को अविभाज्य शब्द खटकता है तो मैं अविभाज्य की जगह इकाई शब्द प्रयोग करूंगा। उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई है और मैं यह उनसे कहूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के इतिहास और भूगोल का अध्ययन करें तो उनको मालूम होगा कि सदा से यह ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहना चाहिये। कभी-कभी इतिहास में ऐसे अवसर आये हैं जब कि बाहरी लोगों ने उत्तर प्रदेश के कुछ अंगों पर कब्जा कर लिया है, थोड़े समय के लिये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा इससे अलग रहा है, लेकिन जब कभी उत्तर प्रदेश के लोगों में ताकत हुई है तो बराबर उत्तर प्रदेश अपने असली रूप में आ गया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि स्वतंत्र हिन्दुस्तान में हमारा भी एक स्थान है और हम अपने पुराने भौगोलिक और ऐतिहासिक इकाई के आधार पर अपने रूप को पा गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों से ले करके और जहां पर घाघरा बलिया जिले में गंगा से मिलती है वहां तक की तमाम गंगा की घाटी को देखा जाय तो मालूम होता है कि यह एक प्राकृतिक देन है चाहे इसको दक्षिण से देखा जाय या उत्तर से देखा जाय दोनों तरफ से भिन्न-भिन्न धारायें आकर गंगा में मिलती हैं और इस इकाई को पुष्ट करती हैं। यह सब प्राकृतिक देन ही दिखाई देती है और जहां तक सवाल संस्कृति का है, मैं तो यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान की संस्कृति का मेल यदि कहीं देखने में आ सकता है तो वह इस उत्तर प्रदेश में ही। अगर आप बनारस में जायं तो आप वहां दक्षिणी लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या में पायेंगे। वहां पर बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों को भी आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश तो केवल गंगा और जमुना का ही नहीं, बल्कि हमारी तमाम भारतीय संस्कृति का एक संगम स्थान है। ऐसे प्रदेश के विभाजन करने का विचार तो वही कर सकते हैं या सोच सकते हैं जिनके पास कि हृदय नहीं है या बुद्धि नहीं है। इस शब्द का प्रयोग करने के लिये मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि भौगोलिक आधार कभी बदल नहीं सकता है, प्रकृति अपनी जगह पर रहती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जिसको हमने आज गंगा की घाटी बतलाया, उसमें कई राज्य कायम हुये हैं, लेकिन सर्वत्र और सर्वकाल में एकता कायम रही है। आज भी मैं देखता हूं, भाषा हिन्दी ही है यद्यपि जैसा मेरे एक मित्र ने बताया कहीं पर ब्रज भाषा, कहीं पर अवधी और कहीं पर भोजपुरी और गढ़वाली बोली जाती है, लेकिन सबका आधार संस्कृत और हिन्दी ही रहा है और आज तक है। इसके अलावा जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करते हैं तब भी ऐसा ही लगता है। आज के दिन हमारे राष्ट्र के लिये यह दृष्टिकोण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा राष्ट्र एक बहुत बड़े प्रयोग में लगा हुआ है। हम अपने लोगों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। जि प्रस्ताव के द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया है उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हम ऐसा कोई रिआर्गेनाइजेशन न करें, जिससे हमारे इकोनामिक संगठन और प्रगति में बाधा पड़े। आज हम इस दृष्टिकोण से विचार करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सिंचाई के साधन हैं, जितने भी बिजली के साधन हैं, जितने भी यातायात के आज हमारे साधन हैं इन सबको देखेंगे तो इन सबका उद्गम स्थान पश्चिम में पायेंगे और पूरब को वह जाते हैं। अगर हम इस आर्थिक संगठन को और भी सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें इस विचार को अपने समक्ष रखना पड़ेगा। हम और भी बातों को देखें। छोटी-छोटी बातों में मैं नहीं जाना चाहता। हमारे बहुत से भाई बोलने वाले हैं। लेकिन मैं कुछ बड़ी बातों की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जोकि बहुत ही मौलिक और फंडामेंटल (बुनियादी) बातें हैं और जिनकी हम कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते। स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के संगठन वाले प्रस्ताव में एक और बड़ी भारी बात का जिक्र है और हम चाहेंगे कि सदन के सदस्य उसको अपने सामने रखें। वह इस बात का निर्देश करता है कि हमें इस मसले पर कैसे गौर करना है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमको इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर और डिस्पैशनेटली विचार करना चाहिये। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जबकि हम इसको भूल जायं कि हम पूर्व के हैं या पश्चिम के हैं। हमको समूचे राष्ट्र और तमाम उत्तर प्रदेश राज्य को अपने सामने रख कर इस मसले पर विचार करना है। किसी ऐसे संकुचित दृष्टिकोण से कि हमारे खास जिलों को, खास तबके को, खास दृष्टिकोण को कैसे पुष्टि मिलेगी, या कैसे हम किसी क्षेत्र का समर्थन पायेंगे, इस आधार से जब हम विचार करेंगे तो हम कभी भी उस बड़े पैमाने पर, जोकि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिये आवश्यक होता है, उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से यानी वर्तमान संगठन और भविष्य के निर्माण की दृष्टि से इस बात को देखें तो समस्त उत्तर प्रदेश का आर्थिक संगठन या आर्थिक स्वार्थ एक ही है, ऐसा स्पष्ट हो जायगा, उसको हम बांट नहीं सकते हैं और इस तस्वीर को आज हमें सब के ऊपर और आगे रखना है।

अभी हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाया और मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि हमको इस मसले पर तमाम उत्तर प्रदेश को सामने रखकर विचार करना है और इन छोटी-छोटी बातों को कि पूरब के लोगों को कितना रुपया मिला और पश्चिम के लोगों को कितना मिला, इस मसले पर उस दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस सदन में रोज ही बहुत से प्रश्न आये हैं, उन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार हम करते हैं और करेंगे, लेकिन इस प्रश्न पर तो हमको एक बड़े दृष्टिकोण से विचार करना होगा तभी हम उसका सही अन्दाज लगा सकते हैं।

अब संस्कृति की बात रह गयी। मैं आपसे इस संबंध में पहले ही निवेदन कर चुका हूं। फिर भी जहां तक रहन-सहन का सवाल है मैं तो यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जरूर ऐसा है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का स्तर ऊंचा है। किसी का रहन-सहन ऊंचा है और किसी का मन्द है, लेकिन इससे संस्कृति में भेद नहीं आता। अगर आप गढ़वाल या अल्मोड़ा या बद्रिकाश्रम में जायं या पूर्वी जिलों के बहुत से पिछड़े हुये गांवों में जायेंगे तो लोगों के जीवन, रहन-सहन, विचारधारा की ओर देखेंगे

[श्री राधामोहन सिंह]

तो उसमें एकता पायेंगे। ऐसी हालत में इस चीज को सोचना कि पूरब और पश्चिम की स्थिति में इस सम्बन्ध में भेद है और सांस्कृतिक आधार पर कोई बटवारा हो सकता है तो वह नितान्त निर्मूल है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन कायम हुआ उसका असली ध्येय यह था कि जहां कहीं हमारे देश में भाषावार प्रान्तों का प्रश्न बहुत जटिल हो गया था उन्हीं को सुलझाने के लिये यह कमीशन कायम हुआ था। लेकिन यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि हमारे यहां के कुछ लोगों ने इस मौके पर अपने मन की करने के लिए प्रान्त के विभाजन का प्रश्न खड़ा कर दिया जहां भाषा का कोई प्रश्न नहीं था। मैं भी जानता हूं कि पश्चिम के जिलों में बहुत से ऐसे हमारे माननीय सदस्य हैं जो बहुत ऊंचे खयाल के हैं और उन्होंने इस प्रश्न पर बड़े ऊंचे स्तर से विचार किया है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि कुछ लोगों ने इस मौके पर गलत प्रयास किया और गलत तौर पर यह कोशिश की कि उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा हो जोकि इस कमीशन के उद्देश्य से परे की चीज थी। उस प्रस्ताव के क्षेत्र में यह बटवारे का प्रश्न किसी तरह से बैठता नहीं है। न तो उसमें कोई सांस्कृतिक प्रश्न उठता है और न भाषा आदि का कोई ऐसा प्रश्न है कि जिसको लेकर हम उत्तर प्रदेश के बटवारे के प्रश्न को ले सकते हैं।

मुझको, अध्यक्ष महोदय, स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ते समय एक बहुत ही दुखद अंश भी देखने को मिला। उक्त कमीशन के एक माननीय सदस्य श्री पणिक्कर साहब के असहमति के नोट को भी पढ़ने का हमें मौका मिला। मुझे दुख हुआ कि ऐसे ऊंचे दरजे के आदमी जिनके बारे में मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वह बहुत ही विद्वान् और बहुत ही पढ़े-लिखे और यहां के सांस्कृतिक साहित्य के विशेषज्ञ हैं। ऐसे ऊंचे दरजे के आदमी के नोट को पढ़ करके मुझे बहुत वेदना हुई। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इससे बढ़ करके डिसरेप्टिव विभेद उत्पन्न करने वाला और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक और राज्यों में क्षोभ की सृष्टि करने वाला कदाचित् ही कोई और लेख हो।

इस रिआर्गनाइजेशन का जो उद्देश्य लिखा है वह स्पष्टतः "नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी" ही है। तो विभिन्न विचार रखते हुए भी हमें इस बात को नहीं भूलना है कि आज जो हम अपने राष्ट्र को संगठित करने जा रहे हैं उसका मूलभूत आधार नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी है। आज हमारे देश में विभिन्न स्थितियों के होते हुये भी राष्ट्रीय कांग्रेस का पिछले ६० साल का इतिहास यह जाहिर करता है कि हमने सबको एक करके एक राष्ट्र कायम करने का प्रयत्न किया है। उत्तर प्रदेश में कुछ भिन्नतायें होते हुये भी मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पिछले दिनों में बहुत कुछ एकता कायम की है और अपने छोटे-मोटे स्वार्थों को त्याग कर एकता की भावना से एक बड़ा राष्ट्र कायम करने का हमने यत्न किया है। आज उस भावना को जो क्रमशः दृढ़ होती जा रही थी पणिक्कर साहब के नोट ने एक झटके से एक नया मोड़ दिया। मुझे दुख है कि कुछ लोगों ने उसे समझने में गलती की है। मुझे अपने मित्र श्रीचन्द्र जी के भाषण के प्रति भी कुछ कहना है। पणिक्कर साहब के नोट का जो खतरनाक नोक और निम्नतर स्तर था वह यह कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है और कहा कि उत्तर प्रदेश अपने आकार-प्रकार के कारण देश की राजनीति में एक डामिनेट पावर रखता है जिससे राष्ट्र के अहित की आशंका है। मैं उनसे पूछूं कि इतने बड़े आदमी ने अपने नोट में एक भी उदाहरण इस बात का नहीं दिया है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का आज तक बहुमत होने के कारण किस जगह पर अपने स्वार्थ में हमने राष्ट्र का अहित किया है। अगर वह इस भावना के समर्थन में एक भी ऐसा उदाहरण दिये होते तो मुझे आज इन शब्दों के कहने का अवसर न होता। लेकिन उन्होंने अपनी दलील की पुष्टि करते हुये यह कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश का बहुमत है इसलिये और राज्यों को इस बात की आशंका हो सकती

है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वे इतिहास और राजनीतिक विद्यार्थी होने हुये भी उन्होंने इस बात की बिल्कुल अवहेलना कर दी कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। किस राज्य को कितना और क्या दिया जाय इसका फैसला तो कैबिनेट करती है न कि पार्लियामेंट। इसलिये इसकी आशंका बिल्कुल नहीं है कि किसी एक विशेष राज्य का बहुमत पार्लियामेंट मे होने के कारण कैबिनेट या सरकार पर कोई असर पड़ सकता है। तो मै यह निवेदन कर रहा था कि पणिक्कर साहब के नोट से मुझे बड़ा दुख हुआ।

एक बात मै और कहना चाहता हूं कि जहां मैंने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इकाई की बातों का जिक्र किया वहां हमें एक बात कहनी है आज के नये जमाने मे देखना है कि हमारा फ्रंटियर स्टेट बहुत ही विशाल और सुदृढ़ होना चाहिये। उत्तर प्रदेश एक सीमा का राज्य है। अभी हमारे देखने म आया कि हमारे एक मित्र राष्ट्र के नेतागण हिमालय को पार करके यहां आय हुये है। हमारे प्रधान मंत्री ने बताया ह कि हिमालय अब विभाजन का कारण न होकर वह एक जोड़ने का कारण हो सकता है। ऐसी हालत मे हमे यह देखना है कि हिन्दुस्तान की सुरक्षा को खतरा पूव या पश्चिम से नहीं है बल्कि उत्तर से हो सकता है। इसलिये उत्तर मे हमें एक ऐसा सुदृढ़ राज्य कायम करना है जो हमारी रक्षा कर सके। ऐसी हालत में मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह पर है।

उत्तर प्रदेश की प्रगति के जो आंकड़े दिये गये हे कि उत्तर प्रदेश कोई उन्नति नहीं कर रहा है मै इसमें पड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह तो रोज ही हम देखते है कि सदन मे इस पर बहस होती है कि हमारी गवर्नमेंट योग्य है या अयोग्य। लेकिन मै यह समझता हूं कि आज मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश या और छोटे-छोटे प्रदेशों मे जो डाकुओं क हमले हो रहे है तो अगर वहां कोई बड़ा राज्य होता तो वह इन घटनाओं का मुकाबिला कर सकता था। आज देश मे बड़ा राज्य होना अभिशाप न होकर एक अनिवार्य आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मै यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अविभाज्य है और अविभाज्य रहना चाहिए।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)--अध्यक्ष महोदय, मै उस समय जब कि मैंने संशोधन वापस लिया था तो यह कह रहा था कि विचित्र बात यह है कि प्रान्तीय सभाओं मे वादविवाद होने क पश्चात् यहां से जो निर्णय जात उन सब के पहुंचने क पश्चात् आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सोचकर कोई निर्णय करना चाहिये था। किन्तु बात ऐसी हुई कि पहले उन्होंने निर्णय ले लिया फिर निश्चय किया कि अमुक तारीख तक सब विधान सभायें, विधान परिषद् या राज्य परिषद् अपना निर्णय देगी। अनुशासन मे रहते हुये भी और इस प्रजातन्त्र मे आने पर भी अध्यक्ष महोदय, मै इस बात को कभी नहीं मान सकता हूं कि जिधर ज्यादा हाथ उठते है उधर ही सत्य होता है। लेकिन यह बात और है कि मै अनुशासन मे होने के कारण चुप हो जाऊं, मौन धारण कर लूं। लेकिन यह नहीं मान सकता कि जिधर कम हाथ उठते है उधर असत्य ही होता है।

मै विचित्र परिस्थिति मे हूं और अंग्रेजी के पढ़ने के पश्चात् और शास्त्रों का अध्ययन कर चुका हू, इसलिए मै जब कभी भी बोलने के लिये खड़ा होता हू तो दो विचारधारायें मेरे सामने आ जाती है कि सभा मे जाकर मनुष्य को सत्य बोलना चाहिये या मौन रह जाना चाहिये। तो उस समय यह सोचना पड़ता है कि प्रिय सत्य बोलूं या फिर मौन ही रहूं। ऐसे समय म शास्त्रकारों के दो मत है कि "मौनात्सत्यं विशिष्यते" अगर तुममे हिम्मत है तो मौन को छोड़ो और सत्य बोलो। एक मत यह भी है कि "सत्यात् मौनं विशिष्यते" यानी यदि किसी मे ऐसी बात हो कि दुर्बल हो या भय हो, दबता हो और सत्य कहने की शक्ति न रखता हो तो मौन धारण कर ले और तीसरा यह भी है कि सभा में से उठकर चला जाय तो इसमें वह हर विपत्ति से भी बच जायगा। विदुर ने कहा है कि "सकारणं व्यपदेशं कुर्यात्" यदि तुममें हिम्मत नहीं है तो सभा से बहाना बनाकर चले जाओ। मैं आज सत्य का आश्रय लेने वाला हूं और कुछ कहना चाहता हूं।

[श्री नरदेव शास्त्री]

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विभाजन का प्रश्न है वह आज का नहीं है बल्कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी तब का है। मेरा सम्बन्ध देहरादून से १६०७ से है। १६०५ में बंगाल पार्टिशन का प्रश्न सामने आया और कहा गया कि यह एक सैटिल्ड फैक्ट है लेकिन पालिटिक्स में कोई सेटिल्ड फैक्ट नहीं हुआ करता है। फिर भी दिल्ली बनी और बंगाल प्रान्त जैसा था वैसा नहीं रहा। पालिटिक्स में सेटिल्ड फैक्ट नहीं होता है। शासकों की नीति भी भिन्न प्रकार की होती है जैसे एक गणिका की होती है। "वश्य इनव नृपनीतिरनेकरूपा" जैसे गणिका कभी नर्म, कभी गर्म, कभी कटु और कभी प्रिय होती है उसी प्रकार शासन की दशा है। इसलिये राजनीति की बातों पर भरोसा रखना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि शासक इसमें सत्य की और धर्म की भी परवाह नहीं करते हैं। इसीलिये कहा है कि "न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति सत्यम्" कहने का आशय यह है कि वह सभा सभा नहीं है जहां पर कोई वृद्ध न हो, यथार्थवाद का कहना जो ठीक न समझता हो वह धर्म नहीं है और वह सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ हो। इसलिये मैं राजनीति की बात छोड़ कर यह कहना चाहता हूं कि हम सोचा करते थे और यह अफवाह थी देहरादून वगैरह में कि यह जो नई दिल्ली बनी है, यह एक आगे चलकर प्रान्त बन जायगी जिसमें अम्बाला, देहरादून और मेरठ डिवीजन वगैरह इसके अधीन रहेंगे। इसलिए यह कहना कि आज ही कोई विभाजन-बवंडर आ गया यह बात नहीं है। यह न मालूम अंग्रेजों ने क्यों नहीं बनाया और यह क्यों नहीं हुआ। फिर गलती तो अपने आप करोगे और दोष दूसरों को दोगे? गलती अपने आप करेंगे और दूसरों को देशद्रोही कहेंगे? कमीशन को मुकर्रर करने के लिये कौन-सा प्रार्थना-पत्र गया था? आंध्र के लोगों ने जब आन्दोलन किया तो कैसे आपने आन्ध्र को १०, १५ दिन के अन्दर ही रामलू की मृत्यु के उपरान्त एक प्रदेश मान लिया? यह किसकी गलती है? जब ब्रिटिशों का शासन था तो आपने ही कहा था कि जब हमारा स्वराज्य हो जायगा तो हम प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर प्रान्त बनायेंगे। फिर आपने आन्ध्र को पृथक् बनाकर लोगों में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न की कि इस प्रकार होने से पृथक् राज्य बनेंगे। मैंने रिपोर्ट को पूरा-पूरा पढ़ा है। उसमें मैं कमीशन वालों की नीयत पर कोई बात नहीं कहूंगा और इस प्रकार की कोई बात कहना सभ्यता से विरुद्ध बात है। जैसे कि हमारे एक भाई ने कहा कि श्री पणिक्कर ने किसी प्रान्त के पेट में छुरा भोंक दिया, शायद राष्ट्र के पेट में छुरा भोंकने की बात कही थी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात किसी विधान सभा के सदस्य के कहने लायक नहीं है। फिर हम यह देखते हैं कि कमीशन ने ऐसा कोई मापदण्ड नहीं रखा कि जिसके आधार पर यह प्रान्त बनाये गये हों। या तो यह होना कि हम चार करोड़ की आबादी का प्रान्त बनायेंगे, या ६ करोड़ की आबादी के प्रान्त बनायेंगे। ऐसा होने से गवर्नर भी घट जाते और प्रान्तीय सभायें भी घट जातीं। लेकिन ऐसा कोई मापदण्ड निश्चित नहीं किया गया और पणिक्कर जी की जो बात है उसमें तो उन्हें जैसा भान हुआ वैसा उन्होंने कह दिया।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने विभाजन का पक्ष क्यों लिया। मैं दोनों तरफ के इतिहास को जानता हूं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक देश की सीमायें एक-सी रही हों, कम ज्यादा न हुई हों। मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप विभाजन के नाम से डरते हैं। तुमको ऋण चाहिये, धन चाहिये और विभाजन से डरते हो, तो कैसे होगा? घर में विभाजन न हो तो सब नष्ट हो जायंगे। विभाजन तो अच्छी चीज है, उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? अधिकार बांटते हो तो विभाजन करते हो, घर में प्रबन्ध करते हो तो विभाजन करते हो, विभाजन से कैसे डरते हो? तो इसलिये इस प्रान्त की यह कोई नयी बात नहीं है। यह १६ जिलों की बात है। मैंने इसलिये हस्ताक्षर किये कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां ८० फीसदी गढ़वाली रहते हैं और जब पणिक्कर जी का डेपुटेशन वहां आया तो मैं उनके

साथ था। मेरी राय तो १६ जिलों की थी, लेकिन वहां के गढ़वाली जो थे वे चाहते थे कि हिमांचल प्रदेश से हमारे रीति-रिवाज मिलते हैं तो हमको उसके साथ मिलाया जाय। श्री हृदयनाथ कुंजरू ने उनसे कहा कि अगर तुम इस बात से असन्तुष्ट हो कि तुम्हारी ओर यू० पी० की सरकार अधिक ध्यान नहीं देती और तुम्हारे सुधार के लिये पूरा प्रयत्न नहीं करती तो हम यह सिफारिश कर देंगे कि यू० पी० की सरकार पहाड़ी प्रदेशों की ओर पूरा ध्यान दे। तो इस बात पर गढ़वालियो ने कहा कि हम तो यू० पी० में रहना ही नहीं चाहते। मैं देहरादून का प्रतिनिधि हूं और उत्तराखंड से मेरा सम्बन्ध है, गढ़वाल से भी मेरा सम्बन्ध है तो क्या कांग्रेस सरकार का सदस्य होने से मुझको वह नही बोलना चाहिये कि जो वहां के लोग चाहते हैं? वहां के लोगों की यह राय थी कि अगर हिमाँचल प्रदेश बनाकर देहरादून को राजधानी बना दिया जाय तो ठीक होगा। तो प्रजा की यह राय होने से मुझको यह लिखना पड़ा कि इसके विषय मे वहां विभाजन होना चाहिये। मैंने संस्कृत पढ़ी है। मनुस्मृति में लिखा है कि आर्यावर्त जो था वह उत्तर मे हिमांचल, दक्षिण में विन्ध्य, पूर्व और पश्चिम में समुद्र जहां तक था। लकिन आर्यावर्त कभी घट गया और कभी बढ़ गया। महाभाष्य मे आया है कि अर्वली से लेकर बिहार के कालकवन तक यह देश आर्यावर्त बन गया था। वहां तक हमारा यह आर्यावर्त फैला हुआ था। इतना बड़ा था। बहुत से देशों का तो आज नक्शे में पता नहीं लगता है। इसलिये पालिटिक्स मे यह कहना कि इस प्रकार से कोई कमी या ज्यादती नहीं हो सकती यह मेरी समझ में नहीं आता। जो लोग कहते हैं और नेता लोग उपदेश करते है कि हमारे देश के तीन शत्रु हैं। प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और जातीयता। जब हमारी यू० पी० के नेता लोग बोलते हैं तो उसमें मुझे प्रान्तीयता की गन्ध आती है। क्योंकि यह नहीं कहते कि हम भी उसी के साथ हैं। महाराष्ट्र के बारे में एक भी यू० पी० वाले ने यह नहीं कहा कि बम्बई को महाराष्ट्र से क्यों अलग किया जाता है। किसी ने यह बात नही कही है। सब अपने-अपने फायदे की बात सोचते हैं। कोई नहीं कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। जब अपना मामला आता है तो कहा जाता है कि अन्याय हो रहा है। हमने १०, १५ आदमियों ने विभाजन की बात कही तो हरद्वार में एक शिविर लगाया गया और कापी बांटी गयी कि उत्तर प्रदेश अविभाज्य है। क्या यह बहुत बड़ी बगावत है, जिससे उत्तर प्रदेश नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। हमने अपनी राय को बतलाया जो कि शासन के असन्तोष से वहां पर प्रकट हुआ उसी को सरकार तक पहुंचाया। सत्य प्रकट करने के कारण हमको देशद्रोही कहा गया। क्या आपने हमसे ज्यादा संगठन किया है? क्या आपने हमसे ज्यादा जनता की सेवा की है और देश के लिये कष्ट उठाया है? जनता की भावना को देखकर हमने भी उस आवाज को ऊपर तक पहुंचाया तो फिर कौन सा ऐसा विरोध का काम किया। मैं पचास-पचपन वर्ष से उत्तर प्रदेश में रहा इसलिये यहीं का नागरिक हूं। मैं शोलापुर के पास एक गांव का रहने वाला हूं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि प्रान्तीयता नहीं लाना चाहता।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री नरदेव शास्त्री---मैं तो अभी १०-५ वर्ष और जिन्दा रहूंगा।

श्री अध्यक्ष---मेरा मतलब आपके बोलने के समय से है। वैसे आप १०, २० वर्ष, भगवान् करे, जीवित रहें।

श्री नरदेव शास्त्री---जो संशोधन मेरे नाम पर था उसकी वजह से मुझको १०, १५ मिनट और ज्यादा मिलने चाहिये। इतनी रियायत तो हमको मिलनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजा वीरेन्द्रशाह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सरदार पणिक्कर के इस नोट का विरोध

[श्री रामसहाय शर्मा]

करता हूं जो कि उन्होंने अपनी राय दी है कि यह उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसका विभाजन हो जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश के बड़ा होने के अतिरिक्त उनके लिये मैं यह सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मध्य भारत के चार जिले भिन्ड, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी शामिल हों और बुन्देलखंड के चार जिले दतिया, टीकमगढ़ छत्तरपुर और पन्ना शामिल किये जायं।

इनको शामिल करने के लिये मेरे कुछ तर्क हैं। आपको याद होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुन्देलखंड है जिसके दो टुकड़े हैं। एक टुकड़ा उत्तर प्रदेश के साथ है और दूसरा टुकड़ा विन्ध्य प्रदेश के साथ है। यह एक ऐसा अवसर है जब कि हिन्दोस्तान में बहुत समय के लिये सीमा निर्धारण का काम हो रहा है। इस समय यह आवश्यक है कि बुन्देलखंड के जो दो टुकड़े अलग-अलग पड़े हुए हैं उनको एक ही प्रान्त में शामिल किया जाय। अब प्रश्न यह होता है कि इन चार जिलों को उधर कर दिया जाय या उन चार जिलों को इस प्रान्त में शामिल कर दिया जाय। यह बात कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई पाप या अभिशाप की बात नहीं है। हमें यह देखना है कि वहां की जनता क्या चाहती है और उसका लाभ किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिये कि लखनऊ की तरफ से यह आवाज उठाई जाय कि बुन्देलखंड के लोग गरीब हैं, उनके ऊपर अधिक रुपया खर्च होता है, हम उनसे उकता गये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और न यह बात है कि बुन्देलखंड के लोग कहते हैं कि लखनऊ से हमारी ओर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। जब दोनों ओर से आवाज नहीं उठती है तो फिर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमारे उत्तरीय जिलों के प्रतिनिधियों की यह बड़ी उदारता है कि वह पिछड़े हुए इलाके को छोड़ना नहीं चाहते हैं हालांकि उनको उस पर ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर वे उनको उतना ज्यादा रुपया न दें तो वह अपने क्षेत्र का ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़े हुए भाइयों की ओर से भी आवाज नहीं लगायी जाती कि हमारे साथियों द्वारा हमारे साथ अन्याय किया जाता है। पणिक्कर जी का 'नोट आफ डिसेंट' तो ऐसा है जैसा कि महमूद गजनवी ने कहा था, जब उससे कहा गया था कि तुम्हारे राज्य में बड़ा अंधेर है तो उसने कहा था कि मेरा राज्य ही इतना बड़ा है कि उसका ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां प्रश्न प्रबंध के गड़बड़ होने का नहीं है, केवल राज्य के बड़े होने का है। आप जानते हैं कि जिला झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ा हुआ है लेकिन उसके पास के पन्ना, छत्तरपुर, दतिया और टीकमगढ़ आदि भी चाहते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, लेकिन केवल यह कहना कि यह बड़ा है इसके ऊपर यह बड़ा भारी लांछन है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने झांसी का तथा बुन्देलखण्ड का जोकि उसके बिलकुल दक्षिण में है उसके लिये इतना अच्छा प्रबन्ध किया है कि सपरार, ललितपुर, अर्जुन, कबरई और माताटीला आदि बांध उधर की ओर बनाये हैं। माताटीला बांध पर ही ३ करोड़ ८७ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है, ८ करोड़ रुपया बिजली के लिये खर्च किया जा रहा है। सरकार ने और पश्चिम और पूर्व के एम० एल० एज० ने वहां के लोगों का बहुत ध्यान रक्खा है इसलिये वहां के नागरिकों की ओर से मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के शेष चार जिले जो आज विन्ध्य प्रदेश के भाग कहे जाते हैं उनको उत्तर प्रदेश में मिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय। आज वह समय है जब कि हिन्दोस्तान की सीमायें हमेशा के लिये बनायी जा रही हैं उस समय ऐसी गलती न की जाय कि उनको जबलपुर या भोपाल की राजधानी में ले जाया जाय। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि झांसी में ऐसी भी सड़कें हैं, जैसे मऊ रानीपुर से झांसी की सड़क, कि जिसमें चार-चार फर्लांग तक विन्ध्य प्रदेश की सड़क आ जाती है। इधर के लोगों की मोटरें गिरफ्तार हो जाती हैं, सवारियां पकड़ ली जाती हैं। इसी प्रकार की अड़चनें और सड़कों पर भी आती हैं। अतः मेरा कहना यह है कि जो झगड़े अभी होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाय।

सरदार पणिक्कर जी के नोट में जो यह बात कही गयी है कि यह प्रान्त बहुत बड़ा है इसलिये इसको बांट दिया जाय, यह बड़े शर्म की बात है। मेरी समझ मे नहीं आता कि अगर यह प्रान्त बड़ा है तो इसने कौन सी ऐसी गलती की है जिससे इसके बड़प्पन में फर्क आया हो। उनका कहना है कि ८६ मेम्बर पार्लियामेंट में पहुंच जाते है, मै उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय पंडित जवाहर लाल जी को जो कि मास्को मे १५ लाख आदमियों के बीच में खड़े हुए और वहां उनका आदर हुआ तो क्या इस कारण से कि वह इस प्रदेश के थे। यह ८६ मेम्बरों वाला प्रदेश हमेशा से एक महान् प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश की यह परम्परा रही है कि यहां भगवान राम पैदा हुए, भगवान् कृष्ण पैदा हुए और आज भी हमारे इस प्रान्त को पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा पंडित पंत जैसे विद्वान् पैदा करने का श्रेय प्राप्त है। बड़े प्रान्तो में केवल यही प्रांत ऐसा है, छोटे-छोटे प्रान्तों को देखें तो मालूम होगा कि देश के स्वतंत्र होने के बाद बड़ा कितने मंत्रिमंडल बने वहां अविश्वास के प्रस्ताव आये लेकिन केवल उत्तर प्रदेश को ही सौभाग्य प्राप्त है कि इतना बड़ा होने पर इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। यह इस बात को साबित करता है कि बड़ा प्रान्त होने पर भी हम यहां का शासन बहुत उत्तमता के साथ कर सकते है। मै आपके सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि इस दृष्टि से भी इन ८ जिलों को उत्तर प्रदेश में शामिल करना जरूरी है कि श्री पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि ग्वालियर से उज्जैन-इन्दौर को कोई सीधी रलवे लाइन नहीं है, इसलिये रलवे लाइन बनेगी लेकिन यहां तो रेलवे लाइन पहले से ही बनी-बनायी है। मेरा सुझाव है कि ग्वालियर से झांसी तक का क्षेत्र तथा दतिया, टीकमगढ़ आदि जिलों को उत्तर प्रदेश मे मिला दिया जाय। जहां श्री पणिक्कर ने उत्तर प्रदेश के बड़ा होने की बात कही है वहीं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़े क्षेत्र-फल का मध्य प्रदेश बना कर तैयार किया है। तो क्या वजह है कि जब एक ओर तो आप यह कहते है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और दूसरी ओर एक बहुत बड़ा प्रान्त बनाने का तैयार है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जितना बड़ा भाग है उसमें से कम से कम चार जिले उत्तर प्रदेश में अवश्य सम्मिलित होने चाहिये।

मै एक बात और आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि अगर मध्य भारत के चार जिले उत्तर प्रदेश मे शामिल कर लिये जायं तो उसको जमीन ज्यादा मिल जायगी, वहां की आबादी कम है। अगर जमीन ज्यादा होगी तो उत्तर प्रदेश के ऊपर जो अधिक भार है वह कम हो सकेगा और हरिजन भाइयों को, जिनके पास जमीन बहुत कम है, वहां बसाने का एक अवसर प्राप्त होगा। अगर वहां की आबादी कम है और भूमि ज्यादा है तो ऐसे क्षेत्र को अपने मे शामिल कर लेने से हमको भूमि अधिक मिल सकेगी। वहां पर बहुत सी जमीनें जो बेकार पड़ी हुई है, लोगों को भूमिदान का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा चार जिले बुन्देलखंड के, जो टीकमगढ़, दतिया, पन्ना और छतरपुर, है वहां पर खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते है। यह तो सभी जानते है कि उत्तर प्रदेश मे खनिज पदार्थ बहुत कम है। खास कर इन दो जिलों मे पन्ना तथा छतरपुर मे हीरा, सोना, चांदी, लोहा आदि तमाम चीजें अधिकता से पायी जाती है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को बड़ा भारी फायदा होगा। इन जिलों के मिल जाने से यहां के कला-कौशल को बढ़ाने के लिये हमें लोगों को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा एक बात मै यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस इलाके को कुछ लोग पिछड़ा हुआ मानते है, मैने माना कि आर्थिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश की रौनक भी इसी इलाके से है। यह वह इलाका है जहां गोस्वामी तुलसीदास तथा केशव जैसे कवि हुए है जिन्होंने हिन्दी के मस्तक को ऊंचा किया है। आर्थिक दृष्टि से वे भले ही नीचे हों लेकिन जिस भाषा की बिना पर आप प्रान्तों का निर्माण करने जा रहे है उस भाषा को ऊपर उठाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास तथा केशव जैसे कवियों को ही रहा है। आज भी हमारे कवि सम्राट्, श्री मैथिलीशरण गुप्त इसी क्षेत्र के रहने वाले है। हिन्दी के सर वाल्टर स्काट और ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री वृन्दावन लाल वर्मा उसी क्षेत्र के रहने वाले है। इसलिये हमको चाहिये कि इस क्षेत्र के कवियों से पूरा लाभ उठावें। वहां के

[श्री रामसहाय शर्मा]

रहने वाले गंगा के पानी से भी अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। बेतवा, धसान, केन और सोन का पानी जहां तक बहता है, वहां के रहने वालों का कहना है कि हमारा सम्बन्ध गंगा और यमुना क्षेत्र के रहने वालों से हो। अगर इस इलाके को हम अपने में शामिल न करके अलहदा कर दें तो यह उस इलाके के लिये बड़ी बदकिस्मती और दुर्भाग्य की बात होगी। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पश्चिमी जिले की जनता ने भी इस बात की मांग की है कि हम लोगों का सम्बन्ध इस प्रान्त से बना रहे। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पश्चिमी जिले के ही रहने वाले हैं उन्होंने इस बात को बतलाया है कि वे जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां की जनता ने इस बात को माना है कि पच्छिमी जिले भी इस प्रदेश के भाग रहें। मैं थोड़ा सा पिछले दिनों का अनुभव भी आप की सेवा में रखूंगा और वह यह कि अभी विन्ध्य प्रदेश में टीकमगढ़ का कुछ भाग मिलाया गया था और उसमें झांसी के कुछ गांव भी शामिल करने की बात थी और वहां के ३ गांव शामिल किये गये थे और इतने पर ही वहां के हजारों आदमियों ने इस बात की दरख्वास्त दी थी कि उनको इसी प्रदेश में रहने दिया जाय। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस प्रदेश से किसी भाग को भी अलग किया गया तो वहां के लाखों और करोड़ों लोगों की बुलन्द आवाज उठेगी और उसको दबाना आपके लिए मुश्किल हो जायगा। आज प्रान्त की जनता का एक-एक आदमी इस बात के लिए कटिबद्ध है और अपना गौरव समझता है कि सारा प्रान्त अविभाज्य रहे। आज यह प्रदेश अपने शासकों, कवियों और विद्वानों पर फख्र करता है और यह प्रदेश पूर्ण देश को नहीं बल्कि सारे संसार को सन्देश दे रहा है कि हमारे प्रान्त की जनता ने महान् विद्वानों को पैदा किया है और जिन पर वह ही गर्व करता है। हमारा प्रान्त बहुत बड़ा और एक आदर्श प्रान्त रहा है और बड़ा होने के नाते आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसके कारण से कोई कह सके कि बड़ा होने के कारण किसी बात में भी दुरुपयोग यहां के लोगों ने किया है। हां, एक बात अवश्य है कि पंडितजवाहर लाल की वजह से और पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की वजह से उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा उठा है लेकिन यह कोई इस समय की ही बड़ी बात नहीं है, वरन् राम, कृष्ण के समयसे ही उत्तर प्रदेश देश का मुकुटमणि रहा है और आज भी यहीं के पं० जवाहर लाल नेहरू सरीखे शासक मौजूद हैं। इसलिए किसी तरह से भी ऐसी कल्पना करना कि आगे हमारा पतन होने वाला है उचित न होगा। इसकी कल्पना करना मैं समझता हूं हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। मैं इस पर गर्व करता हूं कि इसी प्रदेश ने नेता पैदा किये हैं और आगे भी जवाहर लाल नेहरू से भी बड़े विद्वान् यहां पैदा होते रहेंगे और कवि और बड़े वीर पुरुष यहां पैदा हुए हैं और होंगे। इसलिए भविष्य के लिए भी ऐसी आशा करनी चाहिए कि हमारे यहां ऐसे ही योग्य शासक पैदा होते रहेंगे जो कि प्रान्त का शासन सम्भाल सकेंगे और प्रान्त की हर दिशा में उन्नति कर सकेंगे। हमारे लिए यह कोई स्वप्न की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं राजा वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं कि मध्य भारत के चार जिलों और विंध्य प्रदेश के चार जिलों को यू० पी० में मिला दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सदन के सम्मुख काफी भाषण हुए और विभाजन के समर्थन में तरह-तरह के कारण यहां रखे गये। सरदार पणिक्कर का नाम भी लिया गया, उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी भी दोहाई दी गई, लेकिन यह साफ है कि सरदार पणिक्कर ने जिस लक्ष्य को सामने रख कर अपना मत रखा है उसको न तो मेरे मित्र चौधरी श्रीचन्द समझे और न कुछ और वक्ता समझे, सरदार पणिक्कर ने केवल एक दृष्टिकोण को सामने रख कर उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिये अपनी राय दी और वह लक्ष्य यह था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसका बड़ा होना राष्ट्र के हित में नहीं है और अगर इसके दो टुकड़े नहीं किये गये और यह छोटा नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश राष्ट्र की एकता में, राष्ट्रीयता में बाधक हो जायगा। उसके साथ-साथ उन्होंने फिर अपनी

वजूहात पेश कीं। अगर उसको गौर से पढ़ा जाय तो उन्होंने अपनी जो वजूहात पेश की है उसमें भी वे काफी उलझन में आ गये है। एक जगह उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाका और गंगा और जमुना की वादी का इलाका मिलाकर बनता है और जिनमें आपस में कोई मुआफिकत नहीं है लेकिन उन्होंने जो तजवीज सामने रखी है उसमे पहाड़ी इलकों और मैदानी इलाकों को मिलाया है। अगर उन्हीं की वजूहात को मान लिया जाय तो ऐसा सूबा बन जाता जिसमे पहाड़ी इलाके एक तरफ होते और मैदानी इलाके एक तरफ होते लेकिन उन्होंने साफ कहा है और जो तजवीज सामने रखते है वह सिर्फ एक दृष्टिकोण की तहता में है और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा रहने से खतरा है। उन्होंने कहा कि संसद् के अन्दर ४९९ सदस्यों मे से ८६ उत्तर प्रदेश के सदस्य है और कौंसिल आफ स्टेट्स में उत्तर प्रदेश के २१६ में से ३१ है और इस तरह से उत्तर प्रदेश की आवाज बड़ी भारी हो जाती है और वह भारी आवाज खतरे से खाली नहीं है। मै श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि इस तर्क के पीछे अगर कोई सत्यता है, कोई वास्तविकता है तो वह जाहिर नहीं होती। श्री पणिक्कर ने जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में और सूबों की तजवीजों पर दस्तखत किये है सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी राय अलग दी है। अगर वह कहते कि तीन-चार करोड़ की ही आबादी का सूबा रहना चाहिये या दो-तीन करोड़ के बीच की आबादी का सूबा रहना चाहिये या इतने रकबे का सूबा रहना चाहिये तो जाहिर है कि ६ या सवा ६ करोड़ का सूबा वजनी होता है और उसको काट दिया जाय तब उनके कहने में शायद कुछ तत्व होता, लेकिन स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें सरदार पणिक्कर के दस्तखत है उसमे आपको कहीं ४० लाख का सूबा, कहीं ७० लाख का सूबा, कहीं एक करोड़ का सूबा, कहीं सवा करोड़ का सूबा मिलेगा और बम्बई और संयुक्त गुजरात और महाराष्ट्र की जो तजवीज उन्होंने की थी वह तो चार करोड़ से ऊपर जाती थी। तो किस तरह से वह यह कहते है कि ४ करोड़ का तो ठीक है और ४ करोड़ से ऊपर हो गया तो वह भारत की एकता में, भारत की राष्ट्रीयता में खलल पैदा करेगा, यह श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता। जहां तक रकबे को देखा जाय तो जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मध्यभारत का जो नक्शा स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने सामने रखा, राजस्थान और बम्बई का जो नक्शा सामने रखा वह हमारे सूबे के रकबे से कहीं ज्यादा है। उस वक्त सरदार पणिक्कर को ख्याल नहीं आया कि इतने बड़े ये सूबे है जिनका रकबा बहुत ज्यादा है कि वे राष्ट्रीयता के हित में बाधक बन जायेंगे। हमारे सूबे की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा है लेकिन महज आबादी की बुनियाद पर यह समझना कि यह देश की राष्ट्रीयता में बाधक हो रहा है यह मुनासिब नहीं है। आज पार्लियामेंट में जो सदस्य जाते है वे एक सिद्धांत पर जाते हैं। आबादी के अनुपात से जाते है। अगर सूबे के दो टुकड़े कर दिये जायेंगे तो जितना सूबे का विस्तार होगा उसी के अनुपात से उतने आदमी जायेंगे चाहे किसी नाम से भेजें। कहीं इसकी आवाज उठ सकती है तो शायद कांग्रेस वालों में और कांग्रेस के अन्दर उठ सकती थी कि यू० पी० की आवाज भारी है लेकिन पार्लियामेंट में या केंद्र में कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, वहां आवाज उठती है तो पार्टी के नाते। अगर आज सूबे के दो की जगह तीन टुकड़े कर दिये जायं और कांग्रेस मजबूत है तो उन तीनों टुकड़ों के कांग्रेस के सदस्यों की एक ही आवाज उठेगी। केन्द्र में यू० पी० की आवाज ज्यादा उठती है इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है।

यह जो मेरे मित्र श्रीचन्द्र जी ने कहा कि वह यू० पी० के टुकड़े इसलिये करना चाहते हैं कि आज केंद्रीय सरकार यू० पी० के साथ नाइंसाफी करती है। सरदार पणिक्कर कहते हैं कि यू० पी० का वजन ज्यादा है और श्रीचन्द्र जी कहते हैं कि यू० पी० में तादाद और रकबे के अधिक होते हुये भी यू० पी० को जो मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। मैं श्रीमन्, खुद तजुर्बे से कहता हूं कि प्रयाग प्रधान मंत्री का घर है लेकिन प्रयाग के साथ केंद्र क्या करता है। भारत के प्रधान मंत्री हमारे यहां के हैं मगर सूबे के फायदे का हिसाब देखा जाय तो सूबा शायद घाटे में रहता है। यह जाहिर है कि पिछले १०० वर्षों से इस सूबे

[श्री शिवनाथ काटजू]

जो नक्शा हमारे सामने रहा है उसमें पहाड़ी और मैदानी सब इलाके सम्मिलित हैं। बटवारे के लिये जो तर्क दिय गये हैं उसमें कहा गया है कि यहां के लोगों की आदतें और खसलतें जुदा-जुदा हैं। साइज बहुत बड़ा है, जिससे यहां का शासन ठीक नहीं चलता है और पश्चिमी जिलों की तरफ माकूल तवज्जह नहीं दी जाती। ये सब बातें रक्खी गई। मेजोरिटी रिपोर्ट ने सबको सामने रखते हुये यह कहा कि जितनी वजूहात रक्खी गई वे सब बेबुनियाद हैं। यह कहना कि पश्चिमी जिलों के साथ अन्याय होता है इसके जवाब में माननीय मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी जिलों में कितना रुपया लगा बिजली और उद्योग के संबंध में, उसको देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि इन जिलों की तरफ तवज्जह नहीं दी गई। लेकिन साथ-साथ में श्रीमन् यह कहूंगा कि मैं उस जिले का हूं जो न पश्चिम में है और न पूर्व में, बीच में है और दोनों में वह जिला पिसता है। प्रयाग के प्रतिनिधि के नाते, सूबे के नागरिक के नाते मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है कि अगर आज बुन्देलखंड में जरूरत हो तो उस पर खर्च किया जाय और अगर पूर्वी जिलों में बाढ़ आ जाय तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। अगर यह लक्ष्य लिया जाय कि हमारा रुपया हमारे जिले में लगे तो मैं कहूंगा कि दक्षिण का रहने वाला जो सैनिक है वह आपके लिये सर क्यों कटाये और जो यहां का रहने वाला है अगर आसाम के ऊपर हमला हो तो वह वहां क्यों सर कटाये। अगर इस प्रकार की संकुचित भावना चले तो हमारा देश कितने दिनों तक समृद्धिशाली रह सकता है। श्रीचन्द्र जी ने जितने तर्क पेश किये उन पर मैं आश्चर्य के साथ सोच रहा हूं। अगर जिन्ना मरहूम होते तो शायद वे भी इस पर आश्चर्य करते। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिले के रहने वाले और पूर्वी जिले के रहने वाले खान-पान, रहन-सहन, बोली और भाषा में बिल्कुल अलग हैं। जब से यह नया सदन बना है मेरा सौभाग्य है कि श्रीचन्द्र जी के साथ बैठता हूं। मैंने तो महसूस नहीं किया कि श्रीचन्द्र जी और मुझ में भाषा या रहन-सहन के ख्याल से कुछ अन्तर है। खान-पान में हां कुछ फर्क ही हो, मैं मांसाहारी हूं और वे शायद शाकाहारी हों। इससे यह कहना कि मैं अलग हूं और वे अलग हैं यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ख्वाजा अलहर साहब ने एक नई चीज पैदा कर दी। अब तक सुनते थे हिन्दी, उड़िया और बंगला इत्यादि अलग-अलग भाषायें हैं लेकिन अब उन्होंने ब्रजभाषा, अवधी का जिक्र किया कि इसके हिसाब से यहां पर विभाजन होना चाहिये, सुरसेनी वे भूल गए थे। मेरे सामने झारखंडे राय जी ने भोजपुरी भी शुरू कर दी। अगर यह सब इस देश में चलने लगा तो श्रीमन्, भविष्य में क्या होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। ख्वाजा साहब ने ब्रजभाषा के प्रति इतना प्रेम प्रगट किया कि मैं सोच रहा था कि कम से कम उनकी बोली से नहीं मालूम हो रहा था कि ब्रजभाषा का उनको कितना ज्ञान है। लेकिन उन्होंने ब्रजभाषा के प्रति अपना प्रेम और भावनायें बहुत जोरदार शब्दों में प्रगट कीं। बहुत सारी बातों को तो मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन हमारा सूबा पिछले १०० वर्षों से अपना एक स्थान रखता है और हम दावे से यह कह सकते हैं कि इस प्रांत में प्रांतीयता नहीं है। हमारे यहां का दृष्टिकोण है, वह है भारतीयता। हमारे यहां का कोई नाम नहीं है, बंगाल को बंगाली, पंजाब को पंजाबी, गुजरात को गुजराती अपनाते हैं परन्तु हमारे सूबे का कोई नाम नहीं। अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्राविंसेज कहा। फिर उत्तर प्रदेश बन गया। पहले शायद आर्यावर्त था। लेकिन वह एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें भारतीयता भरी हुई है और सौ वर्ष से एक ही सूत्र में पिरो दिया गया है। अगर कोई माकूल वजह होती तो कह सकते थे कि इसके टुकड़े किये जायं। सरदार पणिक्कर ने कहा कि यहां शिक्षा का अभाव है। सरदार पणिक्कर उसका मुकाबला दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली बड़ा शहर है। नगर होने के नाते वहां की शिक्षा पर ज्यादा रुपया सर्फ होता है। वहां के देहात के रकबे में और दिल्ली के शहरी रकबे में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। फिर हमारा सूबा गरीब सूबा है। हमारे यहां अगर शक्कर की मिलें नहीं होतीं तो जो आज हम कर सकते हैं वह भी नहीं कर सकते थे। कानपुर के अन्दर कुछ थोड़े से टैक्सटाइल

और चमड़े का कारबार था और उसके अलावा सिवा इसके कि कृषि की चीजें थीं और कुछ नहीं था। शक्कर की मिलों की वजह से कुछ हम थोड़ा सा पनपे हैं। लेकिन इतने बड़े प्रांत को साथ लेकर और इस शासन को एक सूत्र में बांध कर एकीकरण से हमने बहुत कुछ कर लिया है। अगर आज बिल्कुल बिला वजह किसी माकूल दलील के बगैर इसका विभाजन किया जाता है या सोचा जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम जनता इसके माफिक नहीं है। अब लोग अपने-अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और आजकल तो यह एक रवैया हो गया है कि खुद जो कहते हैं, उसको कहते हैं कि जनता की आवाज है। मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जनता की आवाज यह साफ कहेगी कि यू० पी० के टुकड़े न किये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय बालेंदुशाह जी कल बोलेंगे।

मैं एक सूचना दे दूं। मेरे पास कई एक संशोधन आये हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जितने संशोधन आये हैं उनके अनुसार और इस प्रस्ताव के अनुसार यू० पी० की क्या शक्ल होगी। तो मैं यह समझता हूं कि इन संशोधनों के अनुसार जो शक्ल उत्तर प्रदेश की हो सकती है उसके नक्शे बनाकर छोटे-छोटे, लाबी में टंगवा दूं हर एक के संशोधन के अनुसार, जिससे समझने में आसानी हो। तो वह मैं कल टंगवा दूंगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ नवम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

गत बारह महीनों में गाजीपुर जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों में बनाये गये तथा बनाये जाने वाले नलकूपों की सूची

तहसील का नाम	बनाये गये नलकूप की संख्या	स्थान का नाम
गाजीपुर ..	१२	१—खोतरी
		२—ससुड़ी
		३—चक दाउद
		४—तिलाड़ी
		५—कस्तुआ
		६—गाइ
		७—मरदह
		८—सिगेरा
		९—गाजीपुर केन्ट नं० १
		१०—गाजीपुर केन्ट नं० २
		११—बीकापुर
		१२—तलवल ।
सैदपुर ..	१	बूढ़नपुर
मोहम्मदाबाद यूसुफपुर.	१३	१—बांका
		२—दौलताबाद
		३—डिहवा नं० १
		४—डिहवा नं० २
		५—अलावलपुर
		६—रसूलपुर
		७—उवधी
		८—भेख
		९—लोकनाथ पाह
		१०—अहोरन पाह
		११—दिलेवरपुर
		१२—शेरपुर
		१३—ग्राम घाट

४८ प्रस्तावित नलकूपों का विवरण इस प्रकार है :

तहसील का नाम	प्रस्तावित नलकूपों की संख्या	
सैदपुर ..	२७	इन नलकूपों के स्थान अभी निश्चित नहीं हुए हैं।
गाजीपुर ..	७	
मुहम्मदाबाद ..	१४	
योग ..	४८	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ नवम्बर १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ मे ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची ३२८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार , श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री

जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री

मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुह इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सम्रादत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

काटेज इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट द्वारा दिल्ली में शो रूम स्थापित करने पर व्यय

*१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने अप्रैल, १९५४ में दिल्ली में एक शो रूम स्थापित किया है? यदि हां, तो उस पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और अब तक कुल कितनी आमदनी हुई है?

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)--(अ) जी हां।

(ब) सन् १९५४-५५ में ३५,१७३ रुपये की आमदनी हुई और ३०,४०१-११-० रुपया खर्च हुआ। सन् १९५५-५६ के आय व्यय का लेखा अभी तैयार नहीं है। अतः अप्रैल, १९५५ से अब तक के आय-व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सत्य है कि शो-रूम (Show room) प्रादेशिक सरकार की नियमानुकूल आज्ञा प्राप्त किये बगैर ही स्थापित किया गया था, यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--सन् १९५३-५४ में केंद्रीय सरकार ने देहली में शो-रूम की स्थापना के निमित्त ४,००० रुपये का अनुदान स्वीकार किया। शो-रूम की स्थापना के लिये यह धन अपर्याप्त था अतः केंद्रीय सरकार के अधिक धन के लिये प्रार्थना की गई और साथ ही साथ शो-रूम के लिये स्थान की खोज की जाने लगी। मार्च, १९५४ में केंद्रीय सरकार के प्रयत्न से एक छोटा-सा स्थान मिला और केंद्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार को इस स्थान को प्रयोग करने के संबंध में निर्णय करने के लिये लगभग एक सप्ताह का समय दिया। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था, शो-रूम की स्थापना के लिये आवश्यक कदम उठाये गये।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ के आय-व्ययक को आडिट किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो इसका आडिट कब तक होगा?

श्री बनारसीदास--विभाग की तरफ से कितनी आमदनी हुई, इसका तो आडिट होता ही है और बाकी आडिटर जनरल की तरफ से इसके आडिट की सूचना विभाग को मिली नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खर्चे में जो आंकड़े दिये गये हैं वह किन-किन चीजों के हैं और उनमें कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं? उनमें क्या ओवरहेड चारजेज शामिल हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं?

श्री बनारसीदास--खर्चे के अन्दर दूकान की स्थापना, कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, हैंडीक्राफ्ट के स्टोर, लखनऊ से सामान आदि पहुंचाने के लिये जो व्यय हुआ, वह सब शामिल है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे शो-रूम और कौन-कौन नगरों में खोले गये हैं?

श्री बनारसीदास---वैसे अभी तक तो दिल्ली में खोले गये हैं। योजना थी कि को-आपरेटिव सोसाईटीज की तरफ से जहां को हैंडीक्राफ्ट का सामान जाता है, बम्बई आदि शहरों में, वहां भी हमारे शो रूम खोले जायं।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ४,००० रुपये का जो अनुदान भारत सरकार ने स्वीकार किया था, वह रिकरिंग है या नान-रिकरिंग ?

श्री बनारसीदास---यह नान-रिकरिंग है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने इसी किस्म का एक शो रूम का निश्चय जबलपुर में खोलने का किया है, जोकि ६ महीने से मकान किराये पर लिया गया लेकिन अभी तक नहीं खोला गया ?

श्री बनारसीदास---जैसा मैंने निवेदन किया, हम चाहते हैं कि हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में हमारे शो रूम खुलें। अभी तक तो जिले के अन्दर ही खोले गये हैं। जबलपुर के बारे में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, इसके बारे में मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। अगर चाहें तो इसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

खीरी जिले की निघासन तहसील में शराब की कच्ची भट्ठियों को समाप्त करने में विलम्ब

*३---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने तहसील निघासन, जिला खीरी में शराब की कच्ची भट्ठियों को समाप्त करने का विचार पिछले वर्ष किया था ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---जी हां।

*४---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---यदि यह सत्य है, तो अब तक समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल---इस योजना के अन्तर्गत एक शराब का गोदाम खोलना था पर प्रयत्न करने पर भी गोदाम में माल पहुंचाने के लिये आवश्यक मालगाड़ियों का प्रबन्ध रेलवे अधिकारी न कर सके। फलतः यह योजना १ अप्रैल, १९५५ से चालू न हो सकी।

बस्ती जिले के सहकारी चर्खा केंद्र

*५---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने सरकारी चर्खा केंद्र हैं और कहां खुले हैं ?

श्री बनारसीदास---इस जिले में ११ खादी केंद्र निम्नलिखित स्थानों में चल रहे हैं---

१---मदनपुर,
२---तितरी बाजार,
३---बनकटवा,
४---महदावल,
५---जीवां,
६---महाराजगंज,
७---नागर,
८---बिशेसरगंज,
९---कलवारी,
१०---दिवाकरपुर,
११---हैसरबाजार

*६---श्री राजाराम शर्मा---इन केंद्रों में कितनी कत्तिनें शिक्षित हुई और कितने चर्खे बांटे गये

श्री बनारसीदास---१४५८ कत्तिनें शिक्षित हुईं और १४५८ चर्खे बांटे गये।

-श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सहायता की दृष्टि से बस्ती जिले में ५० और चर्खा केंद्र खोलेगी ?

श्री बनारसीदास---सरकार कुछ नये खादी केंद्र राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यदि इन केंद्रों को खोले जाने की स्वीकृति हो गई तो कुछ केंद्र बस्ती जिले में भी खोले जा सकते हैं।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो चर्खे बांटे गये उनकी कीमत ली गयी या मुफ्त दिये गये ?

श्री बनारसीदास---जो चर्खे बांटे गये ये तो सब सब्सिडाइज्ड हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हैंसर बाजार में जो खादी केन्द्र खुला है वहां पर उनका स्टाक और चर्खे पहुंच गये हैं ?

श्री बनारसीदास---यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो १४५८ चर्खों का जिक्र किया गया है यह पहले ५ केन्द्रों के बारे में है और जहां तक ६ नये केन्द्रों का सवाल है ये इसी वित्तीय वर्ष में कायम किये गये हैं। यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है कि आया वहां पर चर्खे पहुंचे हैं या नहीं ?

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूत कत्तिनें कातती हैं वह कौन खरीदता है ?

श्री बनारसीदास---यह गांधी आश्रम द्वारा खरीदा जाता है और इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में २ आना प्रत्येक हुन्डी पर सब्सिडी भी दी जाती है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चर्खों पर क्या सब्सिडी दी गयी है ?

श्री बनारसीदास---ये आधे मूल्य पर दिये गये हैं।

*८---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---[हटा दिया गया।]

आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल में शैय्याओं की कमी

*९---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल के शैय्या विस्तार के लिये जो पच्चीस लाख रुपया व्यय करने की योजना थी, उसमें कितना रुपया अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री बनारसीदास---२,८३,८२२ रु० अब तक व्यय हुआ है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बाकी रुपये का क्यों नहीं उपयोग हुआ ?

श्री बनारसीदास---उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से यह रुपया खर्च नहीं हो सका और इस बात की पूरी कोशिश की गयी कि पंचवर्षीय योजना में जिन कामों के लिये धन को व्यय किया जाना चाहिये था वह व्यय किया जाय, लेकिन इस बात का बड़ा खेद है कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से पूरा रुपया खर्च नहीं हो सका।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सरोजिनी नायडू हास्पिटल में शैय्याओं की बहुत कमी है, जिसके कारण बहुत से मरीज बाहर सड़क पर ही पड़े रहते हैं ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि वहां शैय्याओं की कमी है और काफी तादाद के अन्दर रोगी वहां आते हैं जिसकी वजह से अवश्य उनको कठिनाई होती है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि वे सड़क पर पड़े रहते हैं, लेकिन यह सही है कि वहां बड़ा रश रहता है और लोगों को वेटिंग लिस्ट पर रहना पड़ता है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया लैप्स हो गया है तो आगे जो वहां कमी है उसकी पूर्ति के लिये वह क्या विचार रखते है ?

श्री बनारसीदास—जो पंचवर्षीय योजना बनायी गयी थी उसमें जिन-जिन चीजों का विस्तार या जिन नयी चीजों की स्थापना के लिये वह रुपया रखा गया था उसके लिये पूरा प्रयत्न किया जायगा कि उस कमी को शीघ्र ही पूरा किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह परिस्थिति क्या थी और क्या विशेष सुविधायें थीं, जिसकी वजह से रुपया खर्च नही हो सका ?

श्री बनारसीदास—जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थी ऐस्टीमेट्स बनाने थे और मैटीरियल तथा आदमियों की आवश्यकता थी, उसमें देर हो गई और वह नहीं मिल पाये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह रुपया जो लैप्स हो गया है उसको सैकिंड फाइव ईयर प्लान में फिर से रेस्टोर करने का विचार करती है ?

श्री बनारसीदास—मै उत्तर दे चुका हूं कि जिनका विस्तार करना है या जिनकी स्थापना करनी है और जो आइटम्स बाकी रह गये हैं, अवश्य उनको पूरा किया जायगा।

खटाना, डेरी मच्छा, मकोड़ा, जिला बुलन्दशहर में नलकूपों पर व्यय

*१०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में सहकारिता के आधार पर बनाये जाने वाले ट्यूबवैल्स खटाना, डेरी मच्छा और मकोड़ा पर सरकार और सोसाइटी का अलग-अलग क्या-क्या व्यय हुआ है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जिला बुलन्दशहर पर तीनों ट्यूबवैल्स पर सरकार और सोसाइटी का खर्चा इस प्रकार है—

नलकूप	सरकार का खर्च	सोसाइटी का खर्च	कुल खर्च
	रु०	रु०	रु०
१—खटाना ..	७,०१७	२,०००	९,०१७
२—डेरी मच्छा ..	१०,९५०	३,४००	१४,३५०
३—मकोड़ा ..	१७,०८९	२,९९४	२०,०८३

*११—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतायेगी कि यह तीनों कुएं इस समय किस दशा में हैं ?

श्री फूलसिंह—मकोड़ा तथा डेरी मच्छा के कुयें तो पूरे करके चालू हालत में क्रमशः जुलाई, १९५४ तथा अप्रैल, १९५५ में ही सोसाइटियों को सौंपे जा चुके हैं परन्तु विभिन्न कारणवश वे चल नहीं रहे हैं। खटाना नलकूप में इंजिन बैठाने तथा पाइप फिट करके ट्रायल का काम शेष है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मकोड़ा और मच्छा के कुयें जुलाई १९५४–५५ में तैयार कर के दिये गये तो कितने समय तक चले ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है मगर यह सूचना है कि वह कुयें चलते रहे और बाद में खराब हो गये।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह खटाना कुआं कितनी बार बनाया गया है और भविष्य में कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री फूलसिंह—खटाना वाला कुआं अभी बना नहीं है, बन रहा है और थोड़े दिनों में चालू हो जायगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कुआं चल कर बंद हो गये दुबारा कब तक चालू हो जायंगे ?

श्री फूलसिंह—इन कुंओं की पक्की नालियां नहीं बनी थीं इससे कुंओं में पानी घुस गया और कुंयें खराब हो गये। सोसायटी के पास पैसा नहीं है, अब सोसायटी को प्रबन्ध करना होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, ५५ मे कुयें बनाकर चालू करके दिये गये और बन्द हो गये, तो अब उनके बनाने की जिम्मेदारी सोसाइटी की होगी या सरकार भी कुछ सहायता करेगी ?

श्री फूलसिंह—इस मामले को हमदर्दी से देखा जायगा और सम्भव होगा तो सरकार से सहायता दी जायगी।

सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब, पर व्यय

*१२—श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब (लखनऊ) में सन् १९५४–५५ में कितना व्यय किन-किन मदों में किया गया ?

श्री फूलसिंह—इस ब्लाक में सन् १९५४–५५ में होने वाले व्यय की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५९ पर)

राष्ट्रीय विकास सेवा खण्ड, बख्शी तालाब के कार्य

*१३—श्री श्याममनोहर मिश्र—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास सेवा खंड, बख्शी तालाब के अन्तर्गत कितने गांव हैं तथा उनमें गत वर्ष कितना विकास का कार्य हुआ है ?

श्री फूलसिंह—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड बख्शी तालाब के अन्तर्गत १९२ गांव हैं। इस खंड में ३० सितम्बर, १९५५ तक हुए विकास कार्य का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६०–२६३ पर)

*१४—श्री श्याममनोहर मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विकास सेवा खंड में किसी ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने की योजना है अथवा नहीं ? यदि है, तो वह कब तक पूरी होगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है। आदर्श ग्राम बनाने का भार जनता पर ही है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिन गांवों के नाम लिये हैं उनमें उद्योग-धंधों के विकास के लिये भी कुछ कार्य हुआ है ?

श्री फूलसिंह—यह तो बड़े ब्योरे का प्रश्न है, माननीय सदस्य चाहेंगे तो बतला सकूंगा।

कुटीर उद्योग विषयक ११ सूत्री योजना के अन्तर्गत कार्य में प्रगति

*१५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सदन द्वारा कुटीर-उद्योगों के सम्बन्ध में जो ११ सूत्री संकल्प पास हुआ था उस सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्य हो चुका है और आगे क्या कार्य किया जायेगा ?

श्री बनारसीदास—कथित संकल्प की कुछ बातों पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है और शेष बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी क्रमवार यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि उस प्रस्ताव के जो ११ सूत्र थे उनमें क्या क्या कार्य हो चुका है ?

श्री बनारसीदास—बिक्री कर से गृह-उद्योगों को अपवाद देने के लिये, छूट देने के लिये सरकार की ओर से आदेश दिये गये हैं। जो दरियां हैन्डलूम से बनती हैं और निवाड़, ऊनी कम्बल, नमदे और ऊनी कालीन जो कि भारतवर्ष से बाहर निर्यात किये जाते हैं, लकड़ी का सामान, हाथी दांत का सामान, संगमरमर का सामान, हाथ की बनी हुई कैंचियां, चाकू और मैथमेटिकल सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जो क्वालिटी मार्क होते हैं और चिकन का कपड़ा, इन सब को बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया है। दूसरे इलेक्ट्रिसिटी में काटेज इंडस्ट्रीज के लिये जो यूज की जाती है और उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको छोड़ने के संबंध में हमारे उद्योग विभाग के संचालक बिजली विभाग से सलाह मशविरा कर रहे हैं और इस संबंध में जल्दी ही निर्णय होने की आशा है। जहां तक बड़े उद्योग धंधों पर कर लगाने का प्रश्न है यह प्रदेशीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आता है, इसको केन्द्रीय सरकार करती है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक पैसा गज की ड्यूटी मिल के कपड़े पर लगा रखी है और हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनको उससे सहायता दी जा रही है और ३८ लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हैन्डलूम बोर्ड ने हमको स्वीकृत किया है। विशेष तौर पर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो योजनायें हैं, बनारस में सिल्क की योजना है इन के संबंध में बंबई में विचार किया जा रहा है। चौथे जो गृह-उद्योग के कार्यकर्त्ता हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें जहां पर कि उनको सस्ती दरों पर माल मिल सके। मिसाल के तौर पर अभी रुड़की में मैथमेटिकल और सर्वे इंस्ट्रूमेंटस् के जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको १ लाख १० हजार रुपया लगा कर संगठित किया गया है, सरकार की ओर से मदद की जा रही है। गांवों में जो टैनर्स हैं उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, जिनमें उनको मदद दी जाती है। हैंडीक्रैफ्ट्स की पांच मुख्य शाखायें यहां हैं जो मुख्यतया काटेज इंडस्ट्रीज की बिक्री का मुख्य माध्यम हैं, फिर लखनऊ स्टेशन पर भी एक शाखा खोली गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्रेफ्ट्स की एजेंसियां भी देश में हैं, अभी दिल्ली में एक शाखा खोली गई है और बंबई में कोआपरेटिव विभाग ने अपनी शाखा खोली है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक एक्सपोर्ट डिवीजन कायम किया गया है जो हमारे प्रदेश से बनी हुई करीब ढाई लाख रुपये की चीजों का

बाहर निर्यात करता है । इसके अतिरिक्त हमारे यहां नये किस्म के डिजाइन्स के लिये एक डिजाइन्स डिवीजन कायम किया गया है जो तरह-तरह के नये डिजाइन्स का निर्माण करता है । एक्सपोर्ट डिवीजन का मार्केटिंग का सारा काम हम संगठित कर रहे हैं और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि बाहर के देशों में जो क्वालिटी का माल हो वही निर्यात किया जाय और इस सम्बन्ध में विशेष रूप से फर्रुखाबाद की छीट बाहरी देशों को जा रही है ।

(७) इतनी योजनाओं को हम प्रोत्साहन देते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह बहुत लम्बी लिस्ट है । इसमें सबको दिलचस्पी नहीं है । आप कृपा कर इसकी नकल उनके पास भेज दीजियेगा ।

श्री बनारसीदास—इसके बारे में कागज उनके पास भेज दिये जायंगे । किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया करीब-करीब सभी प्वाइंट्स पर सहायता करने की कोशिश की गयी ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि काटेज इंडस्ट्रीज का और दीगर इंडस्ट्रीज का जो क्षेत्र का विभाजन है चूंकि अब कारवे कमीशन की रिपोर्ट आउट हो गयी है तो इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास—माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विषय केन्द्रीय सरकार से संबन्धित है और कारवे रिपोर्ट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं दिया है ।

*१६-१७—**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९-२०—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं-गढ़वाल सर्वे डिवीजन की पेय जल संम्बन्धी योजनायें

*२१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि कुमाऊं गढ़वाल सर्वे डिवीजन द्वारा इस वर्ष कुछ पीने के पानी पहुचाने के हेतु योजनायें भी संचालित की जाने वाली है ? अगर हां, तो वे कौन कौन सी योजनायें है, जिन्हें संचालित किया जायेगा ?

श्री फूलसिंह—मांगी हुई सूचना एकत्र नहीं हो पाई है । सूचना प्राप्त होने पर बतलाई जायगी ।

फैजाबाद जिले में कर्घा उद्योग मे उन्नति

*२२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले मे कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये सरकार ने १९५३-५४ तथा १९५४-५५ तथा १९५५-५६मे अब तक क्या कार्य किये है ?

श्री बनारसीदास—इस जिले में इस अवधि में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं—

(१) ४२ करघा कोआपरेटिव सोसाइटीज संगठित की गई है जिनमे ७ प्रोडक्शन सोसाइटीज हैं ।

(२) दो रंगाई घर खोले गये हैं ।

(३) तीन सेल्स डिपो खोले गये हैं ।

(४) २,२३,३२१ रुपया ७ आना ६ पाई की आर्थिक सहायता दी गई ।

नोट—(१) तारांकित प्रश्न २१ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछा ।
(२) तारांकित प्रश्न २२-२४ श्री कल्याणचन्द मोहिले ने पूछे ।

*२३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिले में कितने तथा कहां-कहां इससे सम्बन्धित विकास के लिये सरकारी केन्द्र अब तक खोले गये हैं ?

श्री बनारसीदास—इस जिले में निम्नलिखित स्थानों में प्रोडक्शन केन्द्र खोले गये हैः—

१—जलालपुर
२—अकबरपुर
३—सकवाल
४—सिताहा
५—छज्जापुर
६—टांडा (दो केन्द्र)

रंगाई घर टांडा और जलालपुर में खोले गये हैं।
सेल्स डिपो टांडा, फैजाबाद और जलालपुर में खोले गये हैं।

सामूहिक विकास योजनाओं में बदलने वाले राष्ट्रीय प्रसार विकास खण्ड

*२४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि १९५५ में कितने राष्ट्रीय प्रसार विकास खंड सामूहिक विकास योजनाओं में परिवर्तित किये जाने वाले हैं ?

श्री फूलसिंह—ऐसे कुल २८ ब्लाक हैं जिनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६४ पर)

बनारस वीविंग इन्स्टीट्यूट के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मुलाजमत

*२५—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बनारस वीविंग इन्स्टीट्यूट में सालाना कितना रुपया सरकार खर्च करती है ?

श्री बनारसीदास—लगभग ५७,७०० रुपया सालाना खर्च किया जाता है।

*२६—श्री लालबहादुरसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वीविंग इन्स्टीट्यूट बनारस में किस योग्यता के लड़के भर्ती किये जाते है ?

श्री बनारसीदास—इस संस्था में डिप्लोमा क्लास में हाई स्कूल या हाई स्कूल के बराबर कोई अन्य परीक्षा पास विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं।

आर्टीजन क्लास में भर्ती होने के लिये विद्यार्थी की योग्यता इतनी हो कि वह पढ़ लिख सके।

जूनियर आर्टीजन क्लास के लिये आर्टीजन क्लास पास अथवा इसके बराबर कोई परीक्षा पास होना आवश्यक है।

एडवांस आर्टीजन क्लास के लिये जूनियर आर्टीजन क्लास पास अथवा इसके बराबर कोई परीक्षा पास होना आवश्यक है।

*२७—श्री लालबहादुरसिंह—इन्स्टीट्यूट से पास होने पर क्या यह निश्चित है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जगहें दे दी जाती हैं ?

श्री बनारसीदास—सरकार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जगहें देने का वायदा नहीं करती पर अधिकतर विद्यार्थियो को जगहें मिल जाती है ।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अब तक इन पिछले तीन सालों में कितने विद्यार्थी पास हुये और कितनों को जगह दी है ?

श्री बनारसीदास—यह तो लिस्ट बहुत लम्बी है लेकिन यह इन्स्टीट्यूशन काफी समय से कायम है । हर साल काफी विद्यार्थी पास होते हैं । यह पूरे फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं कि कितने पास हुये । इसके सम्बन्ध मे माननीय सदस्य को बाद में, नोटिस आने के बाद, सूचना भेज दी जायगी ।

श्री लालबहादुरसिंह—श्रीमन्, मैं पिछले तीन साल के बारे मे जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी पास हुये और कितनों को जगह दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो उन्होंने बतला दिया कि वह नोटिस चाहते हैं ।

*२८–२९—श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले की नियोजन समिति के कार्यों में शिथिलता

*३०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले की नियोजन समिति ने जनवरी, सन् १९५५ से जून, सन् १९५५ तक जिले भर के लिये तहसीलवार कुओं, भवनों, खडंजों तथा पुलियों के लिये अलग-अलग जो अनुदान स्वीकृत किया उसका कितना रुपया जनता को दिया जा चुका है ?

श्री फूलसिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६५–२६७ पर)

*३१—श्री राजाराम शर्मा—जो मंजूर शुदा रकम अभी नहीं दी गयी है उसका क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से संबंधित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने और जिले में सीमेंट के अभाव के कारण मंजूर शुदा रकम नहीं दी जा सकी ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्लानिंग विभाग की असावधानी के कारण समय पर सहायता न मिलने की वजह से बहुत से खुदे कुयें और आधे बने कुये गिर गये ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है । परन्तु यह सम्भव हो सकता है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या प्लानिंग कमेटी ने जो अनुदान उपरोक्त कार्य के लिये स्वीकृत किया और वह अनुदान अभी तक नहीं दिया गया तो क्या इसके लिये फिर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी या वही लागू हो जायगी ?

श्री फूलसिंह—वही लागू की जायगी ।

*३२–३३—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद जिले के सरकारी अस्पताल

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में तथा नगर में कितने अस्पताल ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक हैं, जो सरकारी खर्च से चलाये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—इलाहाबाद जिले में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या निम्नलिखित हैः—

एलोपैथिक १४ (५ चिकित्सालय नगर में तथा शेष ग्रामीण क्षेत्रों में)
आयुर्वेदिक तथा यूनानी .. ९ ।
होम्योपैथिक कोई नहीं । ..

*३५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के आंख के सरकारी अस्पताल में आंख जांचने के पूरे औजार न होने से पूरे तरीके पर आंख की जांच नहीं हो पाती ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता देकर इस कमी को पूरा करेगी ?

श्री बनारसीदास—सरकारी आंख के अस्पताल में साधारणतः जो औजार चाहिये वह मौजूद हैं। कुछ विशेष प्रकार के औजारों की आवश्यकता है और सरकार उनका प्रबंध कर रही है तथा कुछ औजार भेजे भी जा चुके हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें से कितने स्त्रियों के हैं ?

श्री बनारसीदास—एक जनाना अस्पताल इलाहाबाद नगर में है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत धन

*३६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना सरकार ने प्लानिंग कमीशन के पास स्वीकृति हेतु भेजी थी उसकी कुल लागत क्या थी ?

श्री फूलसिंह—राज्य सरकार ने प्लानिंग को जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना भेजी थी, उसकी कुल लागत ६७४७५.३३ लाख रु० थी।

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि प्लानिंग कमीशन ने उक्त योजना को काट छांट कर कम कर दिया है ? अगर हां, तो कितना?

श्री फूलसिंह—हां। प्लानिंग कमीशन ने इस सम्बन्ध में, अभी तक केवल २६५००.०० लाख रु० की स्वीकृति दी है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्लानिंग कमीशन ने जो हमारी स्कीम्स की काट छांट की है वह किस बेसिस पर की है ? कोई परसेंटेंज काटा है या हमारी कोई स्कीम खत्म कर दी और उसके लिये रुपया नहीं दिया ?

श्री फूलसिंह—अभी इस योजना का अन्तिम रूप तो सामने नहीं आया पर शुरू उन्होंने ऐसे किया कि तमाम प्रान्तों की जो योजनायें बनी थीं उनको उन्होंने उस रेश्यो से खत्म कर दिया, जितना रुपया सरकार इन ५ सालों में दे सकती थी लेकिन अभी और योजनाओं पर विचार हो रहा है। उदाहरणार्थ उन्होंने यह किया कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनके लिये कुछ रुपया देंगे। एन० इ० एस० ब्लाक्स के लिये २८ करोड़ रुपये का इस योजना में ब्योरा था लेकिन यह रकम बढ़ कर ४६ करोड़ के करीब हो जायगी। इसी तरह पानी पीने के कुवें, गृह निर्माण और पिछड़ी जातियों के लिये कुछ रुपये और मिलने की आशा है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३६—३७ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे ।

*३८-३९—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ डिवीजन के लिये चुने गये ग्राम सेवकों में हरिजनों की संख्या

*४०—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—गत सितम्बर माह में लखनऊ में, लखनऊ डिवीजन के लिये जिन ग्राम सेवकों का चुनाव हुआ उनमें हरिजनो की संख्या क्या है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—१० ।

*४१—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ग्राम सेवकों के चुनाव के लिये कोई एडवर्टिजमेंट अखबारों में प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो उम्मीदवार की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । निम्नतम योग्यता हाई स्कूल (द्वितीय श्रेणी) थी ।

*४२-४३—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी जिले में मऊ विकास केन्द्र पर व्यय

*४४—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊ (झांसी) विकास केन्द्र के लिये सरकार की ओर से ३ वर्ष में कितना रुपया किस मद में दिया गया और कितना किस मद में व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह—मोरानीपुर (झांसी) विकास केन्द्र के लिए ३ वर्ष में दिये गये रुपये का विवरण और व्यय के व्योरे की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६७-२६८ पर)

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि मऊ विकास व बघेरा-गढ़सराय की सड़क के लिये जो रुपया दिया गया वह सड़क बनी है या नहीं ?

श्री फूलसिंह—इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

*४५-४६—श्री गज्जूराम—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में कूप निर्माणार्थ दिये गये अनुदान का दुरुपयोग

*४७—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में प्लानिंग योजना के अन्तर्गत जो गत वर्ष के पहले कुयें बन गये हैं उनकी जांच करके सब्सिडी दे दी गई है ?

श्री फूलसिंह—गत वर्ष से पहले जो कुएं बन चुके हैं उनमें से ९२१ के लिए अनुदान (सब्सिडी) दी जा चुकी है ।

*४८—श्री राजवंशी—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से लोगों ने उपर्युक्त योजनान्तर्गत सीमेंट, लोहा, कोयला लेकर दूसरों के हाथ बेच दिया ?

श्री फूलसिंह—जिन लोगों ने वर्षान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निर्माण नहीं कराया उन्हें नोटिस दी गई और उनसे दी गई निर्माण सामग्री का मूल्य तथा ५० फीसदी और वसूल किया जा रहा है ।

श्री राजवंशी—जो कुयें बने हुये हैं उनको कितनी सब्सिडी दी गई है ?

श्री फूलसिंह—यह इत्तिला तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन जिनको बनना है और जिनको सब्सिडी नहीं दी गई है उनकी संख्या लगभग १५० है।

श्री राजवंशी—कितने आदमी ऐसे हैं जिन्हें नोटिस दी गई है ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—कितने ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सामान लिया और कुंये नहीं तैयार किये ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना यहां मौजूद नहीं है।

*४९-५०—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल में नर्सों की कमी

*५१—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल में नर्सों की कमी है जिससे मौजूदा नर्सों को अधिक ड्यूटी देनी पड़ती है ?

श्री बनारसीदास—उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल कानपुर में मौजूदा नर्सों की संख्या निम्नलिखित है—

श्रेणी	निर्धारित संख्या	नियुक्त संख्या
१—मैट्रन	१	१
२—सिस्टर और एक वार्ड मास्टर ..	१३	१२
३—स्टाफ नर्सें ..	२७	२२
४—विद्यार्थी नर्सें ..	८६	१९

प्रदेश के बहुत से राजकीय अस्पतालों में ट्रेंड नर्सों की अवश्य कमी है। कारण यह है कि अस्पतालों में जितनी जगहें हैं उतनी ट्रेंड नर्सें नहीं मिलती ह जहां तक संभव है अधिक संख्या में नर्सें ट्रेनिंग में भेजी जाती हैं।

*५२—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इसी अधिक परिश्रम के कारण एक नर्स से भूल हो जाने के फलस्वरूप एक मरीज को गलत दवा देने के कारण प्राण गवांना पड़े ?

श्री बनारसीदास—इस मामले में पुलिस द्वारा जांच हो रही है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि नर्सों की कमी के कारण बाकी नर्सों पर अधिक बोझ होने की वजह से पिछले सप्ताह इस अस्पताल से एक बच्चा चोरी चला गया ?

श्री बनारसीदास—नर्सों की कमी है परन्तु बच्चा चोरी जाने की बात मुझे नहीं मालूम है। नर्सों की कमी के कारण और नर्सों पर अवश्य अधिक बोझ पड़ता है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार उर्सुला अस्पताल में नर्सों की ट्रेनिंग जारी करने का पुनः प्रयास करेगी ?

श्री बनारसीदास—बतलाया गया है कि कुछ नर्सें ट्रेनिंग ले रही हैं।

आजमगढ़ जिले में शुगर, जूट तथा सूती मिलें खोलने की मांग

*५३—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ की नियोजन समिति तथा जिले के अन्य लोगों ने माननीय. मंत्री से जिले में शुगर नियोजन जूट तथा सूती मिल खोलने के लिये प्रार्थना की थी ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*५४—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा सकी है ?

श्री बनारसीदास—सरकार ने भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे स्थानों की सूची भेजी है जो चीनी मिल लगाने के लिये उपयुक्त हैं और उस सूची में इन्दारा का भी नाम है। इसके अतिरिक्त अनुपयुक्त स्थानों पर स्थित चीनी मिलों को हटाकर दूसरी उपयुक्त जगह लगाने के संबंध में एक प्रादेशिक निरीक्षण भी कराया जा रहा है जिसमें इन्दारा का पूरा ध्यान रक्खा जायगा।

सूती और जूट मिलों के लगाने के लिये आजमगढ़ उपयुक्त जगह नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—आजमगढ़ में जूट मिल उपयुक्त न मानने के क्या कारण हैं ? इसका आधार क्या है ?

श्री बनारसीदास—हमने अपने डाइरेक्टर और विशेषज्ञों से मालूम किया। हमारे यहां पहले से ही ३ जूट मिलें हैं, एक गोरखपुर में और २ कानपुर में। हमारे यहां जूट ऐसी क्वालिटी का नहीं है जिसके माल की मांग अधिक हो। इसलिये उपयुक्त नहीं समझा गया। आजमगढ़ में न कपास पैदा होती है और न वहां का टैम्परेचर और दूसरी बातें जो सूती मिल के लिये जरूरी हैं वहां पाई जाती हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग में विशेषकर फूलपुर और सदर तहसील में अधिक जूट पैदा होता है। वहां क्यों नहीं मिल हो सकती, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि आजमगढ़ जिले में भी जूट पैदा होता है। लेकिन ३ मिलें हमारे यहां पहले ही काम कर रही हैं। जिनको जूट की आवश्यकता है और आजमगढ़ का जूट अच्छी क्वालिटी का नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस व्यक्ति ने यह जांच की कि आजमगढ़ का जूट अच्छा नहीं है ?

श्री बनारसीदास—यह तो विभाग का काम होता है। उसके संचालक ने विशेषज्ञों से सलाह मश्विरा किया और उनकी सलाह के मुताबिक यह निश्चय किया गया कि आजमगढ़ में जूट मिल नहीं कायम की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—जो शुगर मिल खोलने को केंद्रीय सरकार कहती है वह कब तक योजना कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री बनारसीदास—अभी वहां से कोई उत्तर नहीं आया है और उत्तर आने के बाद भी यह मिल्स प्राइवेट सेक्टर में कायम होंगे। जो उद्योगपति चाहेंगे कायम कर सकेंगे। इसलिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहां कब कायम होंगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की फिर से जांच कराने का प्रयत्न करेंगे कि जूट जो वहां पैदा होता है वह किस क्वालिटी का है ?

श्री बनारसीदास--यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि वहां का जूट अच्छी क्वालिटी का है तो उसकी फिर से जांच करा ली जायगी। जहां तक सरकार के पास इत्तला है वह यह है कि वहां पर जूट मिल कायम होने की गुंजाइश नहीं है।

*५५-५७--श्री रामप्रसादसिंह (जिला गोरखपुर)--[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-६०--श्री रामेश्वरलाल--[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५१-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६१-६३--श्री रामसुन्दर पांडेय--[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हजरतगंज चिकित्सालय में कम्पाउन्डरों की कमी

*६४--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि चिकित्सालय हजरतगंज, लखनऊ में इस समय कुल कितने डाक्टर है ?

श्री बनारसीदास--तीन। दो स्थायी तथा एक रिजर्व ड्यूटी पर।

*६५--श्री महीलाल--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चिकित्सालय में कुल कितने कम्पाउन्डर हैं ?

श्री बनारसीदास--चार।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री जी हजरतगंज के चिकित्सालय मे डाक्टरों की संख्या को देखते हुये कम्पाउन्डरों की संख्या को कम समझते हैं ?

श्री बनारसीदास--कम्पाउन्डरों की नियुक्ति वहां की आवश्यकतानुसार ही होती है। वहां पर दो मुस्तकिल डाक्टर हैं। एक पी० एम० एस० (प्रथम) और दूसरे, पी० एम० एस० (द्वितीय) के। एक डाक्टर रिजर्व मे रहता है। डाक्टरों की संख्या को देखते हुये कम्पाउन्डरों की संख्या कम नहीं है।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि साधारणतया एक डाक्टर के पीछे तीन कम्पाउन्डर रक्खे जाते हैं ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार का कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं है। प्रत्येक अस्पताल मे आवश्यकतानुसार डायरेक्टर साहब कम्पाउन्डर्स को नियुक्त करते हैं। हजरतगंज डिस्पेंसरी मे भी उसी के अनुसार रखे गये होंगे।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अनेक बार सरकार के पास मांग आयी है कि वहां कम्पाउन्डर बढ़ा दिये जायं क्योंकि वहां आने वालों को असुविधा होती है ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार की मांग के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन यदि कम्पाउन्डरों की कमी के करण वहां लोगों को असुविधा होती है तो इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायगा और अधिक कम्पाउन्डरों की जरूरत होगी तो अधिक रख लिये जायेंगे।

आजमगढ़ जिले में मादक वस्तुओं की दुकानों से आय

*६६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मादक-कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां ताड़ी तथा शराब, गांजा आदि की दूकानें हैं ?

श्री गिरधारीलाल--आवश्यक सूचना नत्थी 'क' मे दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६९-२७२ पर)

*६७---श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मादक-कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में अलग-अलग आजमगढ़ जिले की मादक वस्तुओं की दुकानों से कितनी आय हुई ?

श्री गिरधारीलाल--आवश्यक सूचना नत्थी 'छ' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २७३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---नत्थी (छ) में नम्बर (१) और नम्बर (५) के संबंध में, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देशी शराब, विदेशी शराब और अफीम की बिक्री से ५३-५४ के मुकाबिले में ५४-५५ में अधिक आय क्यों हुई ?

श्री गिरधारीलाल---खर्च ज्यादा हुआ होगा इसलिये आय भी ज्यादा हो गयी।

केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कुटीर उद्योग संबंधी योजनायें

*६८---श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार दिनांक २४-८-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ४५ के उत्तर में दी गई नत्थी १ में वर्णित योजनाओं के संबंध में यह बतायेगी कि यह नई योजनायें केंद्रीय सरकार के अभी विचाराधीन हैं अथवा नामंजूर कर दी गई हैं ?

श्री बनारसीदास--अभी विचाराधीन है।

*६९--श्री तेजप्रतापसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नत्थी १ में नं० ७, नं० १२, १५ व १६ में दी गई योजनाओं को किस प्रकार और कहां कार्यान्वित किया जायेगा ? क्या इन योजनाओं का विस्तृत विवरण वह सदस्य की मेज पर रखेगी ?

श्री बनारसीदास--वांछित सूचना संलग्न नत्थी १ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २७४ पर)

आगरे में फुटवियर उद्योग विकासार्थ कार्य

*७०---श्री तेजप्रतापसिंह--क्या सरकार दिनांक २४-८-५५ के तारांकित प्रश्न सं० ४६ के उत्तर में दी गई नत्थी २ में नं० ४ पर आगरा फुटवियर उद्योग के विकास के लिये जो केंद्रीय सरकार से सहायता मिली है उस योजना की रूपरेखा तथा उस योजना को चालू करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उन्हें बतायेगी ?

श्री बनारसीदास---वांछित सूचना संलग्न नत्थी २ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २७५ पर)

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नयी योजनायें केंद्रीय सरकार के पास भेजी थीं, वह कब भेजी थीं और वे कब से विचाराधीन पड़ी हुई हैं ?

श्री बनारसीदास---वह तो इसी वर्ष भेजी थीं, बाकी जो प्रश्न ६९ और ७० हैं उसका जवाब है, कि वे तो मंजूर हो गयी हैं और बाकी जो योजनायें भेजी थीं, अभी तक केंद्रीय सरकार का उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री तेजप्रतापसिंह--नत्थी २ के पैराग्राफ प्रथम में कर्माशियल कारपोरेशन के लिये ४ लाख रुपया रखा गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार से और किन-किन बातों पर वह खर्च होगा ?

श्री बनारसीदास--वहां पर प्रोडक्शन सोसाइटी बनायी जायगी, जिसमें कि तमाम जूते बनाने वाले उसके अन्दर शामिल होंगे और उसमें नये किस्म की मशीन होगी जिससे एफिशियेंसी काम की बढ़ सकेगी और उनको रा मैटीरियल सस्ते दामों पर मिलेगा तथा इसके अलावा रिटेल की दूकानें भी वहां आगरे के अन्दर कायम की जायेंगी। इन सब बातों पर यह रुपया व्यय किया जायगा।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इसको साफ करने की कोशिश करेंगे कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी फुट वियर उद्योग के लिये बनेगी उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा और सरकार अनुदान के रूप में जो रुपया देगी वह क्या उसी ४ लाख रुपये में से देगी?

श्री बनारसीदास--जी नहीं, कुल रुपया तो देने के लिये ५ लाख है। ५ लाख मे से ४ लाख रुपये तो कमर्शियल कारपोरेशन के लिये है, और एक लाख रुपये काटेज वर्कर्स को ऋण की शक्ल में दिया जायगा। इसके अलावा ७०,१३७ रु० की ग्रांट दी गयी होगी और वह रुपया वहां के इस्टेबलिशमेंट पर और सुपरविजन वगैरह के लिये जो दूसरे व्यय सरकार की ओर से होंगे उन पर खर्च किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भेजी जाती है, क्या वह कागज के ऊपर ही स्कीम वहां भेजी जाती है या उनको प्रेस करने के लिये वह अपने किसी अफसर को भी देहली भेजती है?

श्री बनारसीदास--जी हां, केवल कागज पर ही स्कीम नहीं भेजी जाती बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के बहुत से बोर्ड्स है, जैसे हैंडलूम्स बोर्ड, स्माल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, काटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इसके अलावा और भी बहुत से बोर्ड हैं जहां हमारे डाइरेक्टर या उद्योग विभाग के दूसरे कर्मचारी जाते हैं और जो विशेष स्कीम होती है, उसको स्वीकार कराने के लिये जाते हैं, तथा उसके लिये विशेष रूप से व्यक्तिगत प्रयत्न भी किया जाता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी फुट वियर के लिये आगरा में बनेगी वह प्रोडक्शन के लिये होगी या मार्केटिंग के लिये होगी?

श्री बनारसीदास--प्रोडक्शन के लिये होगी और आगरे के अन्दर ४ रिटेल की दूकानें भी उसकी तरफ से कायम की जायेंगी।

रामपुर जिले में अवैध मादक वस्तुओं का पकड़ा जाना

*७१--**श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में १६ अगस्त, १९५४ से १५ अगस्त, १९५५ तक शराब, अफीम तथा अन्य नशीली वस्तुओं के कितने अवैध मामले पकड़े गये?

श्री गिरधारीलाल--निम्नलिखित मामले पकड़े गये:--

शराब	१४७
अफीम	३४
गांजा, भांग, चरस	१५

*७२--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामलों में क्या-क्या और कितनी-कितनी मादक वस्तुयें पकड़ी गई ?

श्री गिरधारीलाल--उक्त मामलो मे निम्नलिखित वस्तुएं पकड़ी गई :--

शराब खींचने के भबके	..		४१
कच्ची शराब	..	..	९५ गैलन
गांजा	..	..	५७ तोला
अफीम	..	..	१ मन १५ सेर २०।। तोला
चरस	..	..	६।। तोला

*७३--श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मे से कितने मामलों का न्यायालय में चालान हुआ तथा कितनों में अपराधियों को दण्डित कराने मे सफलता प्राप्त हुई ?

श्री गिरधारीलाल--१८९ मामलो का चालान किया गया तथा इसमे मे ९८ मामलो मे सजा हुई ।

बदायूं जिले में सरकारी सहायता से निर्मित कूप

*७४--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बदायूं जिले मे पिछले ३ वर्षों मे कितने कुयें सरकारी सब्सिडी की सहायता देकर बनवाये गये हैं और उसमे से कितनों को कम्पलीशन सार्टिफिकेट और सब्सिडी दी जा चुकी है ?

श्री फूलसिंह--१८२ कुएं बनवाये गये है और १५० को कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया जा चुका है ।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में कितने ऐसे कुवे हैं जिनको सब्सिडी देना स्वीकार हुआ और कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स भी दिये जा चुके हैं लेकिन उनको कोई सब्सिडी नहीं दी गयी हे ?

श्री फूलसिंह--मेरे खयाल मे १८२ मे १५० को दी जा चुकी ह, बाकी ३२ ह ।

एन० ई० एस० ब्लाक अवागढ़, जिला एटा के लिए अनुदान

*७५--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन० ई० एस० ब्लाक अवागढ़, जिला एटा को ५३-५४ व ५४-५५ मे कितनी धनराशि उसके संचालन हेतु दी गई ?

श्री फूलसिंह--यह ब्लाक २६, जनवरी १९५५ को खुला था। इसलिये १९५३-५४ में धनराशि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। १९५४-५५ मे दी गई धनराशि की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २७६ पर)

*७६--श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च किया गया ?

श्री फूलसिंह--इसकी सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई ह ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २७७ पर)

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रिकरिंग और नान-रिकरिंग ग्रांट जो दी गई है वह किस मद में व्यय की गई ?

श्री फूलसिंह—यह तो प्रश्न में पूछा नहीं गया था, दोबारा सवाल किया जायगा तो बताया जायगा ।

सीतापुर जिले में विकास कार्य के लिये प्लानिंग ग्राफिसर को दिया गया धन

*७७—श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार बतायेगी कि सीतापुर जिला प्लानिंग ग्राफिसर को विकास कार्य में सन् १९५४–५५ में कितनी रकम किस-किस मद में दी गई थी ?

*७८—उपर्युक्त रकम में कितनी व्यय हुई और कितनी रह गई ?

श्री फूलसिंह—मांगी हुई सूचना का ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर रक्खा है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २७८ पर)

हरगांव तथा बेहटा, जिला सीतापुर, राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक पर व्यय

*७९—श्री बशीर अहमद हकीम—हरगांव तथा बेहटा, जिला सीतापुर राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक पर कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना शेष है ?

श्री फूलसिंह—हरगांव ब्लाक में १,२७,६३० रु० खर्च हो चुका और २२,३७० रु० बाकी है ।

बेहटा ब्लाक में ३२,५०० रु० खर्च हुआ और २७,५०० रु० बाकी है ।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब मदों के लिए रुपया दिया जाता है तो क्या उसके लिए रिपोर्ट जिलों से मांगी जाती है या अन्दाजे से दिया जाता है ?

श्री फूलसिंह—यहां से तो कर्ज के लिए अलग और अनुदानों के लिए अलग से रुपया दिया जाता है और जिले की जो कमेटियां हैं वह उसको आवश्यकतानुसार बांट देती हैं।

श्री बशीर अहमद हकीम—जब यह रुपया आवश्यकतानुसार दिया जाता है तो वह खर्च क्यों नहीं होता है और इसके क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—खर्च न होने के कारण मुखतलिफ हो सकते हैं । यदि माननीय सदस्य बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही या गलती से ऐसा हुआ है तो उसकी देख भाल की जायगी ।

मुजफ्फरनगर जिले में नलकूप निर्माणार्थ सहयोग समितियों द्वारा एकत्रित धन की वापसी

*८०—श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर म कोग्रापरेटिव सोसाइटी (१) भोकरहेड़ी, (२) अमुपुरा, (३) बेगरजपुर, (४) गादला, (५) जसोई, (६) कान्दीपुर, (७) खाईखेड़ी, (८) कुटबा, (९) भोगपुर, (१०) नरा, (११) पंडौर', (१२) तकावी के कितने-कितने रुपये ट्यूबेल बनवाने के लिये कब-कब जमा हुये और यह ट्यूबेल नहीं बनवाये ?

श्री फूलसिंह—इन सहकारी समितियों की रुपया जमा करने की तिथि धनराशि संलग्न तालिका में दी हुई है। मोकरहेड़ी के नलकूप का अनुमानित व्यय लगभग २५,००० रु० होता था क्योंकि पानी की सतह बहुत गहराई पर थी। समिति इतना व्यय करने में असमर्थ थी, अतः उन्होंने नलकूप बनाने का विचार छोड़ दिया। अन्य समितियों ने भी स्वयं नलकूप बनाने का विचार छोड़ दिया।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २७६ पर)

*८१—श्री बलवन्तसिंह—क्या यह सही है कि यह रुपया उपरोक्त सोसाइटी के बार-बार मांगने पर भी वापस नहीं किया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं। ५,६६२ रु० ६ आने ६ पाई तो पूर्व ही सम्बन्धित समितियों को वापस किये जा चुके हैं तथा शेष धनराशि भी जिला नियोजन अधिकारी के पास सम्बन्धित समितियों को वापस करने के लिये अब भेज दी गई है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह रुपया दो साल तक सरकार ने क्यों अपने पास रखा ?

श्री फूलसिंह—ऐसा मालूम होता है कि कुछ सोसाइटियों का कुछ रुपया बकाया था और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने चाहा कि इसी तरह से वह रुपया वसूल हो जाय।

श्री बवलन्तसिंह—क्या सरकार इस रुपए पर इन कोआपरेटिव सोसाइटियों को सूद देने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—यदि सूद का प्रश्न उठेगा तो बहुत सी सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने रुपया अदा नहीं किया है, तो उस में तो और दिक्कत पैदा होगी।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिन सोसाइटियों ने सरकार को अपने हिस्से का रुपया नहीं दिया, क्या वह सोसाइटीज इन सोसाइटियों से अलग है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, अलग हैं लेकिन प्रश्न सब के लिए एक ही होगा।

श्री रामदास आर्य—क्या यह सही है कि सोसाइटियों ने इस कारण से कुआं बनाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं पहुंचाई ?

श्री फूलसिंह—सरकारी सहायता तो निश्चित ही है, हर सरकारी ट्यूबवेल के लिए दस हजार की तकावी दी जाती है और बाद में कुआं बनने पर दस हजार में से ५ हजार अनुदान में परिणत हो जाता है।

उत्तर प्रदेश शुगर केन रूल्स, १९५४ के रूल नम्बर ४० (—डी) का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी

*८२—श्री महीलाल—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में ऐसी कितनी शुगर मिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश शुगर केन रूल्स १९५४ ई० के रूल नं० ४० (—डी) का पालन नहीं किया है ?

श्री फूलसिंह—दस या बारह मिलों को छोड़ कर प्रायः अन्य मिलों ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम १९५४ के नियम ४० (डी) का पालन सन्तोषजनक रुप में नहीं किया।

*८३—श्री महीलाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी शुगर मिल्स के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री फूलसिंह—गन्ना निरीक्षकों द्वारा ऐसी मिलो को चेतावनी दे दी गयी है और कुछ मिलो के विरुद्ध नियम की अवहेलना के लिए कानूनी कार्यवाही भी की गयी है। केन कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में सरकारी गन्ना निरीक्षकों, जिलाधीशो तथा जिला गन्ना अधिकारियो को आगामी सीजन में इस विषय पर विशेष ध्यान देने के लिये लिख दिया है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह चेतावनी देने की कार्यवाही उन मिलों के खिलाफ जिन्होंने नियम ४०–(डी) का पालन नही किया है, कितने वर्षो से होती आ रही है ?

श्री फूलसिंह—जिस नियम का हवाला दिया गया है यह तो दिसम्बर सन् ५४ में लागू हुआ है तो उससे पहले इस नियम के पालन करने का प्रश्न नही पैदा होता।

श्री महीलाल—उत्तर मे बताया गया है कि अवहेलना के लिये कानूनी कार्यवाहियां भी की गई है तो ऐसी कितनी मिले है जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाहियां की जा चुकी है ?

श्री फूलसिंह—१९ मिले।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शेष मिलो के खिलाफ जिन्होने इस नियम का पालन नही किया है अब तक क्यों कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री फूलसिंह—जैसा मने अभी निवेदन किया था इतना समय नही हुआ इस नियम को लागू हुये कि सब मिलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। साथ ही कुछ कठिनाइयां भी थीं और यदि सीजन मे यह नियम ठीक तरह से लागू न किया जा सका तो यह सोचा जा रहा है कि इस नियम मे परिवर्तन कर दिया जाय और सरकार वह सब बाते पूरी कर दे और रुपया मिलो से वसूल कर ले।

कानपुर जिले की घाटमपुर और पुखरायां तहसीलों मे निर्मित नलकूपों पर व्यय

*८४—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला प्लानिंग कमेटी, कानपुर के निश्चयानुसार घाटमपुर और पुखरायां मे जो ट्यूबवेल बनाना निश्चय हुआ था उसमे कितने ट्यूबवेल सफल हुये तथा कितना समय और धनराशि खर्च हुई ?

श्री फूलसिंह—तहसील घाटमपुर व पुखरायां मे तीन नलकूप बनाने का निश्चय किया गया था। उनमे से केवल एक नलकूप का निर्माणकार्य आरम्भ किया गया है जिसमे अभी तक साढ़े आठ मास का समय लग चुका है और ३१ अगस्त, १९५५ तक २,४१३ रु० व्यय हो चुके है।

*८५—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त स्थानों के ट्यूबवेल निर्माण करने वाले इंजीनियर और उनके सहायको के वेतन और भत्ते मे अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री फूलसिंह—कृषि इंजीनियर, सहायक कृषि इंजीनियर व मेकेनिकल इन्सपेक्टर का वेतन व भत्ता नल कूप निर्माण करने वालों के खर्चे में शामिल नहीं किया जाता है। केवल ट्यूबवेल टेक्नीशियन के वेतन व भत्तों का खर्चा ट्यूबवेल के खर्चे मे शामिल होता है। उपरोक्त नलकूप के निर्माण करने वालों के वेतन व भत्तों मे अभी तक क्रमशः ६८६ रु० व १७५ रु० व्यय हुये है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन नलकूपों के निर्माण की गति धीमी क्यों है और क्या यह भी सही है कि इस धीमी प्रगति के कारण व्यय अधिक हो जाने की संभावना है ?

श्री फूलसिंह--इन नलकूपों की २१८ फीट गहरी बोरिंग हो चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि हैंड बोरिंग से इसकी बोरिंग हो रही है और उसका स्ट्रेटा नीचे सख्त आ गया है। अब दूसरे तरीके की बोरिंग्ज मंगाई जा रही है और उससे भी काम न चला तो फिर बोरिंग मशीन से यह बोरिंग की जायगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार इस नलकूप को रोटरी से खुदवाने का प्रबन्ध करेगी ताकि ठीक से कुआं बन सके ?

श्री फूलसिंह--आवश्यकता पड़ने पर जरूर किया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिस नलकूप में अब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ उसके क्या कारण है और क्या दिक्कतें हैं ?

श्री फूलसिंह--यह तो शायद अच्छा ही है कि पहले एक नलकूप को लगा कर देख लें। अगर सफल न हुआ तो बाकी नलकूपों पर रुपया खराब न जाय।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घाटमपुर में अनुभव के तौर पर जो नलकूप बनाया जाने वाला था उसमें वित्तीय वर्ष में हाथ लगा दिया जायगा ?

श्री फूलसिंह--इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

महाराजगंज, जिला रायबरेली में राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र खोलने का विचार

१--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र कहां और कब तक खुलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस ब्लाक को जनवरी, १९५६ में महाराजगंज में खोलने का विचार है।

उन्नाव जिले में करघा उद्योग केन्द्र

२--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में करघा उद्योग का कोई केन्द्र खोला गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

३--श्री देवदत्त मिश्र--यदि हां, तो कहां और कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उन्नाव और बांगर मऊ में लगभग दो वर्ष पहले दो बुनाई केन्द्र खोले गये। उन्नाव में अप्रैल, १९५५ में एक सेल्स डिपो खोला गया।

बेला, जिला इटावा के सरकारी अस्पताल की इमारत

४--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेला (इटावा) के सरकारी अस्पताल के लिये सरकारी इमारत है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं है ।

गोंडा जिले के उत्तर राप्ती इलाके में घरेलू उद्योग-धंधों के विकास केन्द्रों के विकास की आवश्यकता

५--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला के उत्तर राप्ती भाग में कौन-कौन से घरेलू उद्योग-धंधे वहां के विकास के लिये खोलने का विचार सरकार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय कोई उद्योग खोलने का विचार नहीं है ।

जौनपुर में बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस वसूली विषयक आन्दोलन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं एक श्री राजनारायण जी का है और दूसरा श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने दिया है । और दोनों का विषय जौनपुर में जो बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस की वसूली करने की नीति के सम्बन्ध में वहां पर आन्दोलन चला, उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही स्थानीय शासन वर्ग ने की, उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके ऊपर विचार करने के लिए सदन काम स्थगित करता है, इस सम्बन्ध में है ।

इसमें राज नारायण जी ने मेरे पास कुछ परचे भेजे हैं जो छपे हुए हैं, कुछ बुलेटिन्स वगैरह हैं, उनका मैं अध्ययन नहीं कर सका हूं ।

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन से यह सम्बन्धित विषय है, और पुलिस शासन भी उनके हाथ में है, वे आज यहां मौजूद नहीं हैं । उनके पास मैं यह कार्यवाही भेज भी नहीं सका हूं । ऐसी हालत में इसको मैं कल लूंगा । उनके पास भी भेज दूं और मैं भी पढ़ सकूं, उसके पश्चात् ही इस विषय के ऊपर निर्णय करूंगा । आज मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि बिना पढ़े हुए इसके ऊपर कोई फैसला दे दूं ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, इस सम्बन्ध मे मैं महज सूचना जानना चाहता हूं अभी कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना आयी है कि जो लोग गिरफ्तार करके जेल में रखे गये थे वह आज तक छूट गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में कोई खबर है कि वह छूट गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैंने, जनाब, अर्ज करना नहीं चाहा, इसलिए कि आपने कल के लिए इसको मुल्तवी कर दिया । मुझको मालूम नहीं है कि कोई आदमी छूटा है या नहीं । लेकिन यह मालूम है कि इन आदमियों के खिलाफ १०७ का मुकदमा अदालत में पहुंच चुका है ।

श्री अध्यक्ष--यह बात तो कल होगी । आप उन लोगों के बारे में बता सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--नहीं मालूम है ।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २६ सितम्बर, १९५५, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १५ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५, का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया है ।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब नेता सदन द्वारा राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसके ऊपर विवाद जारी रहेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, पंचशिला के निर्माता ने एक मधुमक्खी के छत्ते पर यह कमीशन बिठा कर कंकड़ फेंक रखा है।

कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह सही कहा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो उस पर धीरजपूर्वक विचार करके शंका का समाधान और मतभेद दूर कर लेना लाभप्रद सिद्ध होगा। हमारे मंत्रिमंडल के एक दूसरे मंत्री महोदय ने यह ठीक कहा था कि जहां तक विभाजन का प्रश्न है वह जनता के लिये, उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं जितना कि नेताओं के लिये है। किन्तु इसके साथ सहमत होते हुए भी मैं, जहां तक हमारे मित्र श्रीचन्द्र जी का प्रश्न है, यह मानने को तैयार नहीं हूं कि श्रीचन्द्र जी किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के विभाजन का सुझाव लाये हैं। प्रश्न जो भी हो और श्रीचन्द्र जी का उपाय सही हो या गलत, किन्तु वास्तव में हमारे सामने जो बात आती है वह यह कि पश्चिमी जिले जिनके मुखिया इस सम्बन्ध में श्रीचन्द्र जी हैं वहां कुछ ऐसी भावना फैली हुई है, असंतोष की भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माननीय श्रीचन्द्र जी का विचार यह था और यह है कि सम्भवतः प्रदेश के विभाजन से जो असन्तोष फैला हुआ है वह दूर हो सकता है। यह विधि या उपाय सही है या गलत, यह एक दूसरी बात है और अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के विभाजन के विरुद्ध हूं। किन्तु साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जिन कारणों से यह आवाज उठी है जो फोड़ा इस समय केवल इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, जो रोग और जो फोड़े हैं उनको सम्भवतः कुछ समय के लिए मरहम पट्टी करके कुछ आराम दिया जा सकता है किन्तु जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन फोड़ों को एक बार हमेशा के लिए दूर करना भी हमारा कर्त्तव्य है और दूर करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आया यह मांगें, विभाजन की मांगे चारों ओर से क्यों आ रही है। हमें विशेषकर उत्तर प्रदेश के ही सम्बन्ध में अपने भाषणों को सीमित रखना चाहिए और जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है हमारा मुख्यतः श्री पणिक्कर जी के नोट से ही अधिक सम्बन्ध है। जहां तक कि श्री पणिक्कर जी के नोट का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, उसके सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय उतना ही उचित है। यदि श्री पणिक्कर का नोट कुछ भी है तो भाषा के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, किन्तु इन चाणक्य मुनि ने एक बहुत ही मिस्चीवश नोट उस कमीशन की रिपोर्ट में रखा है, केवल मात्र मिस्चीवश ही नहीं वह नोट एक परवर्स भावना प्रकट करता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सब निवासियों को एक किस्म से प्रोवोकेशन दे रहा है। मैं हर एक ऐडजेक्टिव को क्वालीफाई करूंगा। एक तरफ तो मित्र श्रीचन्द्र जी का जो सुझाव था उसको उन्होंने ठुकरा दिया है किन्तु साथ ही साथ ताकि श्रीचन्द्र जी उत्साह न छोड़ें उनके लिए एक सुझाव भी दे दिया है कि वह हिम्मत न हारें और उनका जो विचार है उसको साथ ही साथ वह बढ़ाते रहें। यह केवल मात्र एक मिस्चीव करने का तरीका हुआ। जो मुख्य डिमांड थी श्री श्रीचन्द्र जी की उसको तो वह एकदम ठुकरा गये हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि यदि किसी भी रूप में विभाजन हो तो मैं समझता हूं कि श्री श्रीचन्द्र जी का जो सुझाव था वह श्री पणिक्कर जी के सुझाव से कहीं बेहतर है। मैं पणिक्कर जी के नोट को परवर्स इसलिए कहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारे प्रदेश के राज्य शासन की गलतियां निकाल कर वह इससे यह मतलब निकालते हैं कि यह गलतियां अगर दूर करनी हैं। तो प्रदेश का विभाजन किया जाय। यह तो केवल उनका अनुमान है

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

और यदि उनका अनुमान यह है कि प्रदेश को कम करके और छोटा करके यह गलतियां और खामियां दूर हो सकती हैं तो सम्भवतः दूसरा अनुमान भी सही हो सकता है कि प्रदेश को और बड़ा करके खामियां दूर की जायं ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जब उस समिति के किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कुछ कहें तो भाषा अगर थोड़ी सी अच्छी रहे तो ज्यादा अच्छा हो और दूसरी बात यह कि अगर उनके किसी मत के विरुद्ध कुछ कहना है तो उन्होंने क्या लिखा है वह भाग भी थोड़ा सा पढ़ दिया जाय नहीं तो ऐसा होगा कि हवा की सी बात होगी ।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--अध्यक्ष महोदय, समय जरा कम था, इसलिए .

श्री अध्यक्ष--तो यह थोड़ा-सा उसका खुलासा ही आप बता देते ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--तो जहां तक अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वह प्रदेश के विभाजन का जो प्रश्न है तो श्री श्रीचन्द्र जी का जो पहले वाला सुझाव था वह और जो अब श्री पणिक्कर का सुझाव है इनमें बहुत अन्तर है और वर्तमान सुझाव को मैं ऐसा समझता हूं कि श्री श्रीचन्द्र जी उसको पूर्णतः अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। डिसेंटिंग नोट के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है और होगी भी और अध्यक्ष महोदय, इस समय उस नोट पर अधिक न कहकर मैं इस सदन के सदस्यों का और आपका और मंत्रीगण का ध्यान उस दूसरे प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं जिस प्रश्न के कारण विभाजन की मांगें चारों ओर फैली जा रही हैं। यह तो स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों से हमारे पश्चिमी जिलों के भाई असन्तुष्ट हैं । यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन भाइयों की निगाह, पूर्वी जिलों में जो प्रगति के कार्य, उन्नति के कार्य किये जा रहे हैं, उन कार्यों पर एक प्रकार की डाह की निगाह पड़ रही है । मैं यदि प्रगति के कार्य की तुलना म्युनिसिपैलिटी की सड़क धोने वाली वाटर लारीज से करूं तो मैं समझता हूं वह एक अनुचित तुलना नहीं होगी। पानी वाली लारी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर गयी। पहले पश्चिम में पानी सींचा और वहां जो कुछ भी हो सका, पानी दिया कुछ छींटे उत्तर और दक्षिण की ओर पड़े। शनैः-शनैः उसकी प्रगति पश्चिम से पूरब की ओर हो रही है। अब इस समय वह पूर्वी जिलों में फंसी हुई है, बाढ़ के कारण या और किन्हीं कारणों से। उसका अब पश्चिम की ओर दोबारा लौटना कुछ दूर भविष्य में ही होगा। इसको निगाह में रखते हुए और सम्भवतः इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अब भविष्य में जो कुछ भी कार्य होगा वह केवल आबादी के लिहाज से होगा और पूर्वी जिलों की आबादी पश्चिमी जिलों से कहीं अधिक है, इसलिए यह गाड़ी या प्रगति का जो अधिकांश भाग है यह सम्भवतः पूर्वी जिलों में ही बटेगा। मैं समझता हूं कि बैकग्राउंड में हमारे पश्चिमी भाइयों के यही विचार हैं कि अब जो कुछ इस प्रदेश से मिलना था वह तो मिल चुका है। अब हमें जो कुछ भी मिलेगा वह एक कम मात्रा में मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह विचार बहुत हद तक सही है और यह उस पालिसी का एक दुष्परिणाम है जो हम यहां कई बार ला चुके हैं, यह प्रदेश के विभिन्न भागों में पाये गये अनइक्वल प्रोग्रेस का परिणाम है। यदि हम केवल पहाड़ों का जिक्र करें तो उचित नहीं होगा लेकिन यह सही बात है कि सम्पूर्ण प्रदेश में उसी रफ्तार से प्रगति और उन्नति नहीं हो रही है। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, कि जो पश्चिमी जिलों के भाइयों के प्रश्न हैं, जो शिकायत है उससे कहीं अधिक शिकायत हम पहाड़ी क्षेत्र वालों को और हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग के बुन्देलखंड के निवासियों को है। वहां तो वाटर केरियर के पहुंचने का कोई

प्रश्न ही नहीं उठता, जो पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बढ़ गयी है। वहां से कोई छींटे दक्षिण की ओर पड़ जाते हैं, उसी में हमको संतुष्ट रहना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि विभाजन हो या न हो। प्रश्न यह है कि जो विभाजन की मांग हुई है उसका क्या कारण है और उस कारण को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिये। यदि सारांश में देखा जाय तो विभाजन का एक ही कारण है और वह यह कि उत्तर प्रदेश वास्तव में एक बड़ा राज्य है। यह नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा राज्य है और इसका विभाजन करना अनिवार्य होगा। लेकिन वास्तव में एक बड़ा राज्य है जहां कि लखनऊ से बहुत दूर पड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनकी देखभाल उचित और पूरे रूप से नहीं हो पाती। इसका फिर उपाय वही है और वही तरीका निकलता है जिसकी ओर इस रिपोर्ट में भी संकेत किया गया है कि ग्रेजुअली डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय। मैं समझता हूं कि यदि हमारे पश्चिमी भाइयों की जो चन्द एक मांगें थीं जैसे हाईकोर्ट का एक एक बेंच मेरठ में कायम किया जाय और इस प्रकार कई और सुविधाएं जो वह आवश्यक समझते थे अगर वह दे दी जातीं तो सम्भवतः इस मांग को, जिस जोरों से यह पेश की जा रही है, वह न की जाती। यदि अध्यक्ष महोदय, देखा जाता तो कांस्टीटयूएंट असेम्बली की बैठक के समय हमारे उस समय के न्याय मंत्री डा० अम्बेदकर का विचार यह था कि राज्य बड़े-बड़े बनें। आज देखें तो उनका विचार यह है कि राज्य को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार यह है और मैं समझता हूं कि इससे बहुत काफी लोग सहमत होंगे कि यदि किसी एक जिले के लिये कानून लखनऊ में बन सकता है तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि वह कानून दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता और यह कहना कि दिल्ली से लखनऊ तक डिसेन्ट्रलाइजेशन हो चुका है इसका जहां तक जनता से सम्बन्ध है उसको इससे कोई लाभ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में लखनऊ के शासन से कोई उनका डाइरेक्ट सम्बन्ध नहीं है। जो मुख्य कारण है और जो मैं समझता हूं इस अवसर पर सरकार को अपनाना चाहिये वह यह कि डिसेन्ट्रलाइजेशन करे। डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर यदि न हो पाये और मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल बहुत छोटा यूनिट है तो रीजनल लेबिल ले ले, ताकि इस प्रदेश के या भारत के किसी भी अंग की यह शिकायत न हो कि हमारा शासन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रगति के सिलसिले में भी मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि अपने प्रदेश को किसी और रूप में विभाजित करे और उन विभाजित अंगों में डायरेक्ट एलोकेशन आफ एलाटमेंट आफ फंड्स हो। यह कहना ठीक है, अध्यक्ष महोदय कि जहां आबादी ज्यादा हो वहां अधिक धन व्यय किया जाय लेकिन यदि इस पैमाने से कार्य किया जायगा तो बहुत से हमारे अंग ऐसे हैं जैसे पर्वतीय और बुन्देलखंड के जहां पापुलेशन बहुत ही स्पार्स है किन्तु क्षेत्र बहुत अधिक, उनकी बारी सम्भवतः कभी न आयगी। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा इस अवसर पर यह सुझाव सरकार के सम्मुख है कि वह डिसेंट्रलाइजेशन की ओर कदम अवश्य बढ़ाये और रीजनल लेविल पर, कमिश्नर्स डिवीजन्स में स्टेट्यूटोरी टेरीटोरियल स्टैंन्डिग कमेटीज कायम करे। अध्यक्ष महोदय, हम यहां ४३० मेम्बर बैठे हैं। किसी मेम्बर का अपमान न करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि हममें से ५० सदस्य काफी हैं इस काम के लिये और जो कार्य यहां होता है उसको भलीभांति हम उतने से ही कर सकते हैं। हमारा मुख्य कार्य उस रीजनल लेविल पर है जहां की जनता और सरकार की नीति के बीच में हमको आना चाहिये और सरकार की नीति को कार्यान्वित करने में हम सहायता दे सकते हैं। यहां बैठ कर जो शोभा हमको मिलती है उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं किन्तु वास्तव में पूर्ण रूप से हम अपनी एग्जि-स्टेन्स जस्टिफाइ नहीं कर पा रहे हैं। कमिश्नर के डिवीजनल लविल में अगर स्टेट्यूटोरी बाडीज कायम की जायं और मैं समझता हूं यह उचित अवसर है इसके लिये, कांस्टीट्यूशन दस बार बदला जाता है, इस सम्बन्ध में भी अगर बदला जाय और डिसेंट्रलाइजेन इस बेसिस

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]
पर लायें कि जो स्टेट्यूटोरी बाडीज डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर रहें उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव और संशोधन पर कोई अपनी राय नहीं दे रहे हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द्र जी के सुझाव के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मित्र राजा वीरेन्द्रशाह ने जो सुझाव बुन्देलखंड के कुछ जिलों के सम्बन्ध में रखा मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। इसलिये नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ेगी, बल्कि इसलिये कि जिन क्षेत्रों के सम्बन्ध में राजा वीरेन्द्र-शाह जी ने सुझाव रखा है उनको यदि लाभ पहुंचना है तो वह उत्तर प्रदेश से है। यदि उनके निकट के रास्ते देखे जायं तो वे सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र का मुंह उत्तर प्रदेश की ओर है। साथ ही साथ यह एक बड़ी भारी बात है कि इस क्षेत्र के रहने वाले भी यही चाहते हैं कि यदि वे अलग नहीं रह सकते तो बजाय मध्य प्रदेश में सम्मिलित किये जाने के वे उत्तर प्रदेश का एक अंग बनाये जायं। इसलिये मैं उनके सुझाव का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में जब स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार करने पर यह कहा जाता है कि हमारे साथियों की कुछ बातें जिन्ना टाइप की होती हैं तो वास्तव में हमें ही खेद नहीं होना चाहिये, बल्कि हमारे देश के सभी निवासियों को खेद होना चाहिये। जो सज्जन ऐसी बात कहते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के प्रति इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, वह हमेशा देश के वफादार हैं और रहेंगे लेकिन यह बात भी है कि ऐसे सज्जन जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह भी उसी मात्रा में वफादार हैं जैसे कि हम अपने को कहते हैं। लेकिन एक खतरा अवश्य हो जाता है और वह यह कि आप इस तरह की बात पैदा करके हमारे देश के वातावरण को दूषित करते हैं.......

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन में ऐसी चीज किसी ने नहीं कही।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—कल कही गयी।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, ऐसा कुछ कहा गया था कि कुछ लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि ख्वाजा साहब ने कहा था।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—हमारे साथी काटजू साहब ने कहा था कि आज जिन्ना साहब होते तो वह भी ऐसी बात करते।

खैर, इस तरह की बात करके मैं समझता हूं कि अपने देश की एकता और सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस विषय पर विचार करने पर और इससे पहले भी यह कहा गया कि हम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या पदों के लिये हम लालसा कर रहे हैं। जिन सज्जनों ने और नेताओं ने ऐसी बात कही, क्योंकि वह हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इस बात का तो साहस नहीं है कि उसके विरोध में कुछ कहें लेकिन यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं यह तो समय बतला सकेगा। जहां तक पद लोलुपता का प्रश्न है, हम दावा करते हैं कि हम लोगों में जन सेवा की भावना है और रहेगी। चाहे उसके लिये पद लोलुपता कहिये या कुछ भी कहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार प्रकट करते समय पूर्वी और पश्चिमी जिलों का प्रश्न उठाना नहीं चाहता हूं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं और यह कह सकता हूं कि मुझे पूर्वी जिलों से पश्चिमी जिलों के बजाय अधिक प्रेम है।

श्री शान्तीप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)--अभी तक तो आपने कुछ नहीं कहा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--मैं कह रहा हूं। आप अगर इंटरप्ट करना चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--आप जारी रखें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जहां तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और दूसरे प्रदेशों के कुछ जिलों को लेकर एक प्रदेश बनाये जाने का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मांग राष्ट्रीय मांग है, प्राकृतिक मांग है और ऐतिहासिक मांग है, यह किस तरह से है। जो कुछ मैंने इतिहास पर विद्यार्थी-जीवन में दृष्टि डाली है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब से भारतवर्ष में दिल्ली नगर का निर्माण हुआ तो उस समय से गंगा जमुना के बीच का हिस्सा एक राजनीतिक और प्रशासकीय इकाई रहा है। पृथ्वीराज चौहान के बाद वह हिस्सा अफगानों के हाथ में गया तो वहां हम पाते हैं। मुगलों के समय में मेरठ डिवीजन का पूरा हिस्सा, कुमायूं और रुहेलखंड का कुछ हिस्सा और हरियाना यह सब एक ही हिस्सा था, जैसा आइने अकबरी से पता लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह हिस्सा मराठों के पास गया और इस हिस्से में आगरा जिला, मथुरा जिला और अलीगढ़ जिले भी थे। इस तरह से यह तीन जिले, मेरठ कमिश्नरी और हरियाना प्रान्त एक था। जब अंग्रेजों ने मराठों को १८०३ में हराया तब से यह हिस्सा १८५७ तक उसी रूप में रहा। उसके बाद १८५७ में हरियाना प्रान्त जिसको कि अम्बाला डिवीजन कहा जाता है, ने देश को गुलामी से लड़ने के लिये बहादुरी दिखलायी और मेरठ वालों के साथ मिलकर बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को बुरा माना और उनके संगठन, एकता को खत्म करना चाहा और उनको यह दंड दिया गया कि हरियाना को उन्होंने पंजाब के साथ १८५८ में डाल दिया।

अब यह मांग राष्ट्रीय किस तरह से है इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस मांग के साथ महात्मा गांधी जी थे। १९२० में सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के उन लोगों का नेतृत्व किया जिन्होंने इस आवाज को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने उठाया था कि दिल्ली का कुछ हिस्सा और पश्चिमी जिलों को मिला कर एक कांग्रेस प्रान्त बनना चाहिये। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस सिद्धान्त को अपनाया है और उसको कार्य रूप में परिणत किया वह इस तरह से कि १९३७ तक हमारे पश्चिमी जिलों के कुछ जिले दिल्ली प्रान्त में थे और १९३७ में जब कांग्रेस सरकार ने शासन की बागडोर सम्हाली तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को वे जिले दे दिये गये।

(कुछ व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष--आप उस तरफ ध्यान न दें और अपना भाषण जारी रखें। मैं चाहूंगा (सदस्यों से) कि आप उनको बोलने दें।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--उसके बाद हम देखते हैं कि १९२८ में भी हमारे देश के नेता मिले और एक उप-समिति का निर्माण किया। उसमें कांग्रेस प्रान्त बनाने की मांग नहीं थी बल्कि इसी तरह से राज्य निर्माण करने की बात थी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को और पंजाब के कुछ जिलों को मिला कर एक अलग प्रान्त बनाया जाय। हम देखते

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

हैं कि १९२८ से १९३१ तक जब कि अंग्रेज यह सोच रहे थे कि हिन्दुस्तान में हमको क्या राजनैतिक सुधार देने हैं इस संबंध में बहुत सी मीटिंग्स हुईं। १९३३ में जब कि इंग्लैन्ड में राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस हो रही थी जिसमें कि महात्मा गांधी थे उसमें वहां एक मेमोरन्डम प्रस्तुत किया गया था। उस ममो रेन्डम को प्रस्तुत करते समय महात्मा गांधी के क्या विचार थे अगर उनको हमारे साथी लोग देखना चाहते हों तो राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। मैंने उनको देखा है। उसमें महात्मा गांधी का यही विचार था कि हरियाना को या अम्बाला डिवीजन के ५ जिलों और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को मिला कर एक सूबा बनाना चाहिये। उसका कारण यह दिया गया था कि जो पांच जिले अम्बाला डिवीजन के हैं उनका पंजाब से कोई संबंध नहीं है। १८५७ तक कोई संबंध नहीं रहा। जहां तक इरिगशन का प्रश्न है उनका इरिगेशन पंजाब की पांच नदियों से नहीं होता, बल्कि जमुना से हुआ करता है। इसी तरह से यह भी कहा गया कि वास्तव में अगर पंजाब की कोई साम्प्रदायिक समस्या है और अगर उनका कोई हल हो सकता है तो वह इसी तरह से हो सकता है कि हरियाना प्रान्त को वहां से निकाल कर उत्तर प्रदेश में ले आना चाहिये। मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि अगर यह समस्या उसी समय हल कर ली गई होती तो आज हिन्दुस्तान का इतिहास दूसरा ही होता। वह क्या होता? आज जो पाकिस्तान बना हुआ है वह मैं समझता हूं कि इस प्रकार का देश न बन पाता। अब मुझे यह कहना है कि अगर देश की सुरक्षा और एकता की दृष्टि से यह उचित है कि हमारे प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिये तो ठीक है। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि हमारे कौन से भाइयों ने ऐसे कारण दिये, जिनमें यह बतलाया हो कि इस विभाजन द्वारा हमारे देश की एकता और सुरक्षा में इस प्रकार से बाधा आती है। म आपके सन्मुख यह बतलाना चाहता हूं कि आज एक पणिक्कर नहीं, हजारों और लाखों पणिक्कर नहीं, बल्कि करोड़ों पणिक्कर यहां पर मौजूद हैं। आज आप दक्षिण में चले जाइये और वहां जाकर देखिये कि आपके उत्तर प्रदेश के लिये उनके दिलों में क्या भावना उत्पन्न हो रही है। आपके बिजनेस का दक्षिण में बहिष्कार किया जाता है। मैं इस बात को जानता हूं और उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते अपने को देश का वफादार समझता हूं। इस कारण से मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जब किसी में बड़प्पन आता है और दूसरे लोग उसके सामने कोई चीज रखते हैं तो वह उससे नाराज होता है। आज करोड़ों पणिक्कर इस देश में हैं जो यह समझते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा क लिये यह खतरे की चीज है। हमको यह देखना चाहिये कि दूसरे प्रान्त के जो लोग हैं आपके लिये वह क्या बहस करते हैं और किस प्रकार का विचार रखते हैं। इस प्र कार से एकता और सुरक्षा के हित में यह सब उचित नहीं है। अगर थोड़े से जिलों को मिला कर एक सूबा बना दिया जाय तो इसमें क्या हानि उपस्थित होती है? मैं समझता हूं कि इसमें कोई हानि नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से कि हमारी सरकार में जो हमारे कुछ साथी बैठे हुये हैं वह बुजुर्ग हैं लेकिन सन् १९४७ में उनकी क्या आवाज थी। दिल्ली में जब एक कांफ्रेंस बुलायी गयी और हमारे कुछ मंत्री जो कि बुजुर्ग हैं क्या वह उस कान्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे? उनकी क्या आवाज थी? मैं उनका नाम लेने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन इस समय वह किसी कारण से ठीक नहीं समझते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक कह सकता था लेकिन अपने बुजुर्गों के प्रति और मंत्रियों के प्रति एक ऐसी चीज जो किसी प्रकार से कमजोरी की हो यहां पर कहना ठीक नहीं समझता हूं।

यह तो एक स्वाभाविक मांग है और इसके पीछे प्रकृति है जिसके कारण यह मांग आयी है। आप समाचार-पत्रों को देखिये कि कौन सा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का समाचार-पत्र है जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की सेवा कर रहा है। दिल्ली के समाचार-पत्र उन पच्छिमी जिलों की ही सेवा करते हैं। दिल्ली के समाचार-पत्र ही वहां की खबर देते हैं। पूर्वी जिलों के

समाचार-पत्र कितनी खबर देते हैं ? क्या इलाहाबाद के जितने पेपर हैं वह पच्छिमी जिलों की खबर देते हैं ? यह बात जरूर है, कि कुछ खबर देते हैं लेकिन आम तौर से पूर्वी जिलों की खबर छिपा करते हैं । इसी प्रकार से रेडियो का भी प्रोग्राम चलता है । वह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये ही चलता है । पच्छिमी जिलों में दिल्ली के प्रोग्राम को ही लोग सुनते हैं, क्योंकि वह उनकी भाषा से मिलता-जुलता होता है । हम समझते हैं कि यह बातें रहेंगी जब कि यह मांग है । यह मांग इतिहास पर निर्भर करती है । यह ऐतिहासिक मांग है । यह राष्ट्रीय मांग है । यह एकता के लिये मांग है । जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जायगा देश के लिये खतरा दूर नहीं होगा । मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता । केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों को यह समझ लेना चाहिये कि अगर हम कोई विचार इस स्वतंत्र भारत में प्रकट करना चाहें तो उसके लिये यह कहना कि यह बटवारे वाले हैं मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं । उनको यह भी जान लेना चाहिये कि जिस प्रकार वह अपने को वफादार समझते हैं उसी तरह से हम भी वफादार हैं लेकिन इस प्रकार से उलटे शब्द कहना ठीक नहीं है क्योंकि महात्मा गान्धी भी इस डिमान्ड के साथ थे । राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस में महात्मा गान्धी ने क्या कहा था वह इसको जाकर देख सकते हैं । उनका यह विचार था और उनके विचार से यह राष्ट्रीय मांग है । यह प्रकृति की मांग है । इस प्रकार की मांग के लिये यह कह देना कि यह बटवारे की मांग है अच्छा मालूम नहीं पड़ता है । मैं इसको पार्टीशन नहीं कहता हूं । यह तो देश के हित की बात है । यह बात दूसरी है कि कोई लोग इसमें बुराई देखते हों । हम तो इसी देश के निवासी हैं । अपने देश के हित की दृष्टि से और गरीब देश वासियों के हित की दृष्टि से यह मांग स्वीकार करने के योग्य है । इसमें किसी पंजाब या और किसी प्रदेश का सवाल नहीं है । प्रदेश के हित की दृष्टि से इस पर हमको विचार करना चाहिये । यह बात बुरी मानने की नहीं है और हमारे साथी जो यहां बैठे हुए हैं उनके बुरा मानने की बात नहीं है । हम पहले देश हित को देखेंगे और फिर अपने हित को देखेंगे । मैं माननीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो शब्द कहे हैं वह देश हित में कहे हैं यदि उनसे किसी सज्जन को ठेस पहुंची तो यह गलत बात होगी । डैमोक्रेसी में अपने विचारों को, चाहे वे कुछ भी हों व्यक्त करना ही चाहिये । जैसा कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी का विचार है कि अपने विचारों को व्यक्त न करना पाप है, ठीक ही है और इन अर्थों में मैं उनका चेला हूं ।

श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य पुनस्संगठन का प्रश्न एक प्राचीन प्रश्न है । देश के स्वतंत्र होने के पूर्व से हमारे इस भारतवर्ष में राज्यों के पुनस्संगठन की मांग बराबर चली आ रही है । आज हमारा देश जब कि निर्माण कार्यों में अग्रसर हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यह राज्यों का पुनस्संगठन भी देश के निर्माण कार्यों से संबंधित है और मैं इसे मानता हूं कि यदि हमारा देश राज्यों के संगठन में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषा आदि के प्रश्नों को वैज्ञानिक ढंग से हल कर सका तो विकास के कार्यों में और भी प्रगति के साथ अग्रसर हो सकेगा । जहां तक यू० पी० का प्रश्न है इसके विभाजन का प्रश्न उपस्थित है या नहीं, इस पर विचार प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा ।

कुछ दिनों पूर्व यू० पी० के पूर्वी भागों में भोजपुरी प्रान्त का प्रश्न चला था और कल इस सदन में एक माननीय सदस्य ने भी भोजपुरी प्रदेश के बनाने की मांग का प्रस्ताव उपस्थित किया था । लेकिन बहुत दिनों से इस प्रश्न पर कोई विचार प्रकट नहीं हुआ था क्योंकि यह प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों में आउट आफ डेट हो गया था । मैं समझता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी ने संभवतः किसी दूसरे प्रस्ताव के बदले में उस प्रस्ताव को उठाया है ।

इस सदन के आरम्भ काल से ही पश्चिमी जिलों के कुछ जिलों ने यह आवाज उठाई थी कि अपना एक अलग प्रदेश बनाया जाय और उन्होंने उसके सिलसिले में यह आवाज उठाई थी कि पूर्वी जिलों के विकास पर ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है और पश्चिमी जिलों की अवहेलना की जा रही है । मैं इस संबंध में सदन के पश्चिमी जिलों के सदस्यों को दावत

[श्री पद्मनाथसिंह]

देना पसंद करूंगा और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि सरकारी खर्चे पर उनको पूर्वी जिलों में भेजा जाय और वे वहां जाकर देखें कि पूर्वी जिलों में जो विकास का कार्य हो रहा है वह आवश्यक है या नहीं। विकास के विषय में यदि पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों को मिलाया जाय तो अमेरिका और भारतवर्ष में जो अंतर है वही अन्तर उनको पूर्वी और पश्चिमी जिलों में मिलेगा। जहां एक ओर पश्चिमी जिले अधिक उन्नतिशील हैं वहां पूर्वी जिलों में अधिक गरीबी और बैकवर्डनेस है, मैं अपने दोस्तों से वहां चलने के लिये प्रार्थना करता हूं और हम पूर्वी सदस्य उनका खर्चा भी बरदाश्त कर लेंगे। वे वहां चल कर विकास के कार्यों को देखें और अनुभव करें कि वे कार्य अनिवार्य हैं अथवा नहीं और यह उनके हित में भी है या नहीं। लेकिन यदि किसी देश अथवा प्रदेश के लोग केवल इसलिये विभाजन की बात करते हैं कि उसके एक भाग पर अधिक रुपया खर्च हो रहा है और दूसरे भाग पर कम इसलिये उसका विभाजन कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न इस आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा देश का विभाजन ही किया जा सकता है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है आम तौर से वह इस प्रदेश की जनता की सही राय उपस्थित करता है। इसके अतिरिक्त मैं श्री वीरेंद्र-शाह जी के प्रस्ताव में वजन समझता हूं और चाहता हूं कि सदन उस प्रस्ताव पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करे, क्योंकि यह प्रस्ताव भी इस प्रदेश की अधिकांश जनता के भावों को प्रदर्शित करता है और अपने पीछे एक वैज्ञानिक आधार रखता है।

माननीय श्रीचन्द्र जी और माननीय अतहर हुसैन साहब ने जो विचार प्रकट किये हैं उन पर मैं बाद में अपने विचार प्रकट करूंगा। इस समय पणिक्कर साहब के नोट आफ डीसेंट के बारे में मैं कुछ विचार प्रकट कर देना उचित समझता हूं। उन्होंने पापुलेशन की बात कही और बताया कि उत्तर प्रदेश की पापुलेशन ६,३२ लाख है और यह कि उसकी जनसंख्या इतनी अधिक और अनवील्डी हो गयी है कि उसका प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। मेरा कहना इस संबंध में यह है कि संसार के किसी देश में भी पापुलेशन के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है अगर किसी देश में केवल पापुलेशन के आधार पर विभाजन हुआ हो तो भारत में भी हो। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि राज्यों का पुनस्संगठन जहां पर भी हुआ है वहां पर पापुलेशन उसके लिये आधार नहीं रखा गया है। यदि आज उत्तर प्रदेश का पापुलेशन अधिक है तो कल मध्य प्रदेश जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, जिसकी एरिया बहुत ज्यादा है, १० वर्ष के बाद उसका पापुलेशन बढ़ जाय तो क्या इसी आधार पर मध्य प्रदेश को बांटना पड़ेगा, यदि बिहार की जनसंख्या और बढ़ गयी तो क्या फिर बिहार राज्य का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या बढ़ गयी, उत्तर प्रदेश की जन-संख्या यदि कम हो जाय १० वर्ष के बाद तो क्या उसकी सीमा बदल दी जायगी? इस प्रश्न के ऊपर सीमा के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से विचार नहीं किया जाता। मैं इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, लेकिन जन-संख्या अधिक होना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे सीमा को बार-बार बदला जाता रहे। केंद्र की बात कही जाती है, श्री पणिक्कर ने अपने नोट में लिखा है कि फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, भारत का विधान ऐसा बना हुआ है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश की संख्या अधिक होने से बड़ी गड़बड़ी होती है। रूस, अमेरिका आदि का हवाला देते हुये आपने कहा कि वहां ऊपर की जो कौंसिलें हैं उसमें राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के कारण किसी एक को दूसरे पर प्रभुत्व करने की गुंजाइश नहीं है। यह बात केवल अपर हाउस के संबंध में है। एक बड़ी भारी गलती उन्होंने यह की है कि राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करते हुए अपर और लोअर हाउस का विश्लेषण नहीं किया। अपर हाउस जो अमेरिकन सिनेट है वह राज्यों की समान संख्या के बेसिस पर है लेकिन हाउस आफ रेप्रेजेंटेटिव्स में सदस्यों की संख्या आबादी के ऊपर ही है। इसी तरह से रूस के कौंसिल आफ नेशनलिटीज में तो राज्यों के बेसिस पर संख्या सब की बराबर है लेकिन हाउस आफ कामन्स में,

लोकसभा में प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर ही मेम्बर रखे जाते हैं। श्री पणिक्कर ने अपने नोट में कहा है, उसकी दो-एक लाइन ही मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"In both the houses of Parliament representation is, broadly speaking, on the basis of population. Thus in the lok Sabha Uttar Pradesh has 86 members (out of 499) and in the Rajya Sabha it has 31 (out of 216)."

जहां तक कौंसिल आफ स्टेट की बात है उसके लिये अगर यह कहा जाता कि सब प्रदेशों की प्रतिनिधि संख्या बराबर होनी चाहिये तो यह तो एक बात समझने की हो सकती थी और विधान में साधारण परिवर्तन से ही फेडरेशन की इस कमी को ठीक किया जा सकता है; लेकिन लोक सभा में तो जन-संख्या के आधार पर ही सदस्यों को रखना पड़ेगा। यू. एस. अमेरिका या संसार के किसी भी देश में इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि हाउस आफ रेप्रेजेन्टेटिब्स में सदस्यों की संख्या जन-संख्या के आधार पर न हो। आगे श्री पणिक्कर ने अपने नोट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बहुत ज्यादा हैं, बहुत बैकवर्ड है, इनएफिसिएंट है और इसलिये इस लाजिक पर उत्तर प्रदेश का बटवारा होना चाहिये। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश किसी माने में बैकवर्ड है. इसको और उन्नतिशील होना चाहिये लेकिन साथ ही साथ क्या यह विभाजन का आधार है? बम्बई स्टेट जो बेस्ट गवर्न्ड स्टेट कहा जाता है वहां पर बम्बई स्टेट के रिआर्गेनाइजेशन के प्रश्न को लेकर जैसी छीछालेदर मची हुई है, वहां पर गोली चली है तथा और भी बहुत सी परेशानियां हैं उसको देखते हुये तो इनएफिसियेंसी आदि जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, बटवारे की दलील नहीं रखते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उनका कहना है कि हमारा प्रदेश बैकवर्ड है, यहां शिक्षा पर कम खर्च होता है तथा पर कैपिटा विकास पर भी कम खर्च होता है वह केवल इस प्रदेश के ऐग्रिकल्चरल होने के कारण है। जो भाग केवल ऐग्रिकल्चरल है वह खर्च में कमजोर होता है। उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश को ले लीजिये, रूस ने भी जो राज्यों के पुनर्निर्माण का कदम उठाया वह केवल तीन प्रश्नों को लेकर ही उठाया। एक ज्योग्राफिकल, दूसरे एकनामिकल, तीसरे एथनाग्राफिकल। एथनाग्राफिकल के अन्दर भाषा, संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा सब शामिल हैं। इन्हीं तीन प्रश्नों के आधार पर प्रदेशों का निर्माण हुआ करता है। श्री पणिक्कर ने जो आधार अपनाया है वह राज्यों के निर्माण का है। इसलिये आधार नहीं कहा जा सकता है। मैं अपने उन मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने दलीलें पेश की हैं कि श्री पणिक्कर ने इसके अलावा एक दूसरा जबरदस्त नोट लिखा है। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश के प्रभुत्व से ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे केंद्रीय सरकार में और देश की राजनीति में यह प्रदेश बहुत प्रभावशाली हो रहा है और इससे देश की राजनीति में घातक असर हो रहा है। यदि हम भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो यहां एक हिस्टारिकल कमी रही है और वह यह है कि यहां बिलगाव की एक भावना रही है और एक स्पिरिट आफ डिसइन्टेग्रेशन लोगों में मौजूद रही है, जिसके कारण से हम आपस में लड़ते रहे और उसका प्रभाव यह पड़ा कि हमारा देश गुलाम हो गया और दूसरों के कब्जे में चला गया और आज हम देखते हैं कि वही बिलगाव की भावना श्री पणिक्कर के नोट आफ डिसेंट में मौजूद है। परन्तु यदि हम उसको देखें तो हमें एक बात दिखाई देती है कि यह इस प्रदेश के प्रति एक जेलेसी है, यह एक ईर्षा और द्वेष की भावना है और मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये एक अभिशाप है। यदि ऐसी भावना का उद्रेक किसी ओर से होता है और ऐसी भावना के माने यह है कि स्पिरिट आफ डिसइन्टेग्रेशन स्टिल एग्जिस्ट्स इन अवर कंट्री। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह की भावना आज भी विद्यमान है, यह बिलगाव की भावना उपस्थित है तो उसको दूर करने का एक ही वैज्ञानिक आधार हो सकता है और वह भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाज को लेकर ही हो सकता है, यद्यपि राज्यों के पुनस्संगठन में भाषा, वेश-भूषा आदि विषय विशेष आधार अब नहीं रह गये हैं लेकिन ऐसे समय में यही आधार हो सकते हैं। आज तो हम समझते हैं कि इन्टरनेशनल संस्कृति सब एक ही है और सब का घुलमिलकर एक ही रूप होता जा रहा है, थोड़ी भिन्नता चाहे उनमें हो। लेकिन जहां तक इस प्रदेश का प्रश्न है यहां न अलग भाषायें हैं, न अलग संस्कृति है।

[श्री पद्मनाथसिंह]

राजा वीरेंद्रशाह के प्रस्ताव के संबंध में मैं कह रहा था कि वह अवश्य वजन रखता है और मैं भी चाहूंगा जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विन्ध्य प्रदेश का वह भाग जो रेहन्ड डैम से संबंधित है, जिसका कुछ अंश डैम में आता है उसका इस डैम के दृष्टिकोण से सम्मिलित होना ठीक होगा और वैसे ही बुन्देलखंड का वह हिस्सा आ जाय जहां जमीन अधिक है और आबादी कम है तो मैं यू० पी० के पूर्वी जिलों के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर कहता हूं कि यहां जो इतनी अधिक जनसंख्या हो रही है कि उसके लिये खाना नहीं है, गल्ला नहीं है, जमीन नहीं है, तो अगर उस हिस्से को मिलाने का प्रस्ताव मान लिया जाय तो उस तरह से हमें करीब ३०,००० वर्गमील अधिक जमीन मिल जायगी और वहां की ५० लाख जनता होगी, अगर वहां जनसंख्या कम है तो वहां प्रदेश के उस पूर्वी भाग के लोग जहां जनसंख्या अधिक है, बस सकेंगे और वह लाभान्वित हो सकेंगे। रेल और सड़कों से भी उनका संबंध है और यू० पी० की संस्कृति भी उस बुन्देलखंड के भाग से मिलती है इसलिये अच्छा हो कि यू० पी० का विभाजन न करके उन जिलों को इधर मिला दिया जाय। श्री वीरेंद्रपति यादव ने बहुत आवेश में आकर भाषण दिया, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जब राज्यों के पुनस्संगठन का प्रश्न है तो इसमें कोई आवेश या तेजी की गुंजाइश नहीं है बल्कि हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखना है। यह प्रदेश एक एग्रीकल्चरल प्रदेश है और इस के पास इंडस्ट्रीज़ को फैलाने के साधन नहीं हैं इसलिये हमारी मांग होनी चाहिये कि मध्यभारत का वह भाग जो रेहन्ड डैम से संबंधित है और बुन्देलखंड का वह हिस्सा जिसे मिलाकर हमारी भूमि और आबादी का प्रश्न किसी सीमा तक हल हो सकता है मिला दिया जाय। साथ ही हमें जो स्प्रिट आफ डिसइन्टेग्रेशन है उसको दूर करने की चेष्टा करना चाहिये, जरूरत है इस बात की कि हम अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखें और इस समय भारत में मजबूत और बड़े राज्य की एक आवश्यकता है और इस तरह से हम पूरे देश को अग्रशील बनाते चले जायं। पणिक्कर जी के नोट के अनुसार डर भले ही हो लेकिन यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश बड़ा बना रहे। इस बात की भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा बना रहे और उत्तर प्रदेश से बड़े-बड़े राज्य बने रहें, ताकि हमारा भारतवर्ष जो आज केवल फेडरेल इंस्टीट्यूशन नहीं है वहां एक तरह से यूनिटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट है और फेडरेल सिस्टम आफ गवर्नमेंट का कम्बिनेशन है वह सेंटर को अधिक अधिकार प्रसारित करता रहता है उसी प्रकार से हमारा देश हिस्टारिकल डिसइन्टीग्रेशन की स्प्रिट को दूर कर शक्ति सम्पन्न हो सके।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा किसी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। परन्तु एक बात मुझे अवश्य नजर आती है और वह यह है कि थोड़ी बहुत लीपापोती करने की कोशिश की गई है और उसी से मेरा मतभेद है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो लोग संस्कृति की बुनियाद पर, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का डिवीजन चाहते हैं वह बिलकुल गलत आधार को लेकर आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रश्न है यू० पी० एक है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है, वह और है और वह यह है कि आया यू० पी० का डिवीजन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। वह क्या कारण है? और अगर कारण इस प्रकार के हैं कि वे सच्चे और सही हैं तो हमें यू० पी० को डिवाइड कर देना चाहिये क्योंकि उन कारणों के रहते हुये डिवीजन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है और उन कारणों को डिवीजन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि यू० पी० का डिवीजन अनिवार्य है और कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सच्चाई है और इसको चाहे कोई कितना छिपाने की कोशिश करे, परन्तु वह छिपाई नहीं जा सकती। आज इस सदन में उत्तर प्रदेश का भविष्य बोल रहा है, यह चन्द्रसिंह रावत नहीं बोल रहा है। मैं कहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दस साल बाद यू० पी० का डिवीजन होगा और अवश्य हो करके रहेगा। उसके जबर्दस्त कारण मैं उपस्थित करना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य, यह हमारे भाग्यविधायक हैं, निर्णायक हैं और न भी [illegible] कि इन्हें निष्पक्ष होकर फैसला देना है क्योंकि भावी संतानें हमारी स्पीचेज को पढ़ेंगी और वे [illegible] और हमारा निर्णय इस बात का साक्षी होगा कि हमने अपने [illegible] इस सदन में किस तरह की स्पीचेज देने का दावा किया है और किस तरह से हम अपने [illegible] निर्माण करना चाहते हैं। वे लोग जो कहते हैं कि ६ करोड़ की आबादी का स्टेट होना चाहिये, मैं उनसे कहता हूं अगर यह बात सही है तो क्यों नहीं कहा गया जब हम स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करते हैं, तो क्यों नहीं यह प्वाइन्ट कहा जाता है कि केवल ६ स्टेट्स होनी चाहिये। ३६ करोड़ की आबादी भारतवर्ष की है तो छः-छः करोड़ की छः स्टेट्स होनी चाहिये। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि केवल पापुलेशन की बेसिस पर हम स्टेट्स का निर्माण नहीं करने जा रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत से आधार ऐसे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुये हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब आता है उनकी बुद्धि पर जो कहते हैं कि ६ करोड़ का एक स्टेट होना चाहिये जब कि इस देश की आबादी ३६ करोड़ है तो उसके एक स्टेट को इतना बड़ा होना चाहिये। इंग्लैन्ड की आबादी ४ करोड़ है, फ्रांस की आबादी ६ करोड़ है, जर्मनी की आबादी ८ करोड़ है, रशिया की आबादी १८ करोड़ की है और अमेरिका की आबादी १२ करोड़ की है। क्या आप समझते हैं कि यू० पी० इतना बड़ा स्टेट एक साथ रह सकता है? मैं आपके सामने उसका नक्शा खींचना चाहता हूं, उसका नक्शा सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। जिन कारणों से मैंने पूर्व में यह बात कही थी कि इस प्रदेश का डिवीजन होना चाहिये वह क्या है? क्योंकि मैं इस बात को महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश की कल्चर, सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी [illegible] सारे यू० पी० की एक है लेकिन इसके बावजूद भी हम मजबूर हैं कि हम डिवीजन चाहते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा हमारे शिक्षा विभाग का नक्शा है। उसको आप देख लीजिये। जो शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन, कालेजों, स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों का नक्शा है उसको देख लीजिये। माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार इस पूरे प्रदेश के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सके हैं उसके नक्शे को देख लीजिये। जो हमारे शिक्षा का आधार है जो उसका विस्तार है जो उसको चलाया जा रहा है उसका तरीका जो है उसको देख लीजिये। जो शिक्षा का व्यय है और जिस प्रकार से उसका प्रसार है जो सन् १९५१ के बाद आज चार साल में पूरा होने जा रहा है उसको देख लीजिये। मैं बताना चाहता हूं कि क्या कारण है। उत्तर प्रदेश के बहुत से हिस्सों को अछूता छोड़ दिया गया है और वहां माननीय मंत्रियों का कोई दौरा नहीं हो सका और वे सच्चाई से महरूम हो गये। मैं किसी को बदनियत नहीं बतलाना चाहता हूं, लेकिन उसका सही कारण यह है कि हमारा प्रांत इतना बड़ा है कि उनके पास समय नहीं है कि वे इस छोटे समय के अन्दर ५२ जिलों का पूरा निरीक्षण कर सकें। मैं उत्तर प्रदेश का सच्चा नक्शा विधायक निवास में दिखला सकता हूं। विधायक निवास के पीछे जो गलियारा है वह इतना गन्दा है और इतने लोग इसमें रहते हैं कि उसका माकूल इन्तजाम नहीं हो पाता। इतने उसमें नौकर हैं और लोग आते जाते हैं, यही पता नहीं चलता कि कौन विजिटर हैं और कौन विधायक हैं। आपने देखा होगा उसके चारों ओर कितनी जमीन छूटी हुई है लेकिन इसका भी आज तक पता नहीं लगा कि उसकी क्या व्यवस्था है। तो यह तो विधायक निवास का हाल है। यह अव्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने है। अगर आप विधायक निवास को देखें तो वही व्यवस्था आज हमारे यू० पी० के शासन की है। हमारे प्रांत के अन्दर हमारे देहात की जनता बड़ी दुखी है। पहाड़ी जनता भी बड़ी दुखी है। वे लोग मुझसे आकर शिकायत करते हैं। पुलिस इस प्रांत के ऊपर हावी है। उसका कारण है। हमारी सरकार ने प्राब्लम्स को ठीक तरह से हल नहीं किया। मैं बतलाना चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं कंट्रोल नहीं की जा सकतीं। यही वजह है कि आपको मानना होगा कि यू० पी० का डिवीजन होना चाहिये। आप रोक नहीं सकते इस डिवीजन को। आप लोगों को जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हैं और आप उनको उनकी जिन्दगी के विकास से महरूम करना चाहते हैं, यह हो नहीं सकेगा। यह आपकी चेष्टा विफल होगी।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मैं बतलाना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनता, इतना बड़ा बजट आपने इसके लिये क्या व्यवस्था की है? आप कोई उचित व्यवस्था कर नहीं सकते। न कोई डिसिप्लिन है और न कोई उचित व्यवस्था है। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था दिखाई पड़ती है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके संशोधन के ऊपर ही भाषण दीजिये। अगर सब समय आप बजट पर ही ले लेंगे तो संशोधन पर कुछ न कह सकेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत--जो बजट था वह मैंने छोड़ दिया। अगर आपके पास ताकत थी कंट्रोल करने की, आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चला सकते थे तो चार साल के दौरान में कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बार-बार चिल्ला कर इस सदन में अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचाने को कोशिश की लेकिन आपके कान के अन्दर कोई आवाज नहीं पहुंची। मैं बतलाना चाहता हूं क्या आप इन परिस्थितियों को नजर अन्दाज कर सकते हैं? हर्गिज नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बुन्देलखंड का हिस्सा इस यू० पी० में मिलाया जाय जिसमें लाखों नंगे और भूखे हैं वे बनारस जाकर विश्वनाथ का मंदिर देखें, गरीबों के लिये विश्वनाथ का मंदिर है और बाकी लोगों के लिये रुपया है, पैसा है, खेती है, शिक्षा है, दीक्षा है, यूनिवर्सिटी है लेकिन उन गरीबों के लिये विश्वनाथ जी है। इसी प्रकार मैं बतलाना चाहता हूं कि मिस्टर पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट दी है उस संबंध में उस व्यक्ति पर जो बड़ा भारी अनुभव रखता है, जिसने इंसाफ को सामने रख कर रिपोर्ट लिखी हो, लांछन लगा देना अनुचित सा है। उसके अन्दर कोई बेईमानी है तो केवल एक है और मैं अध्यक्ष महोदय का आदेश मानते हुये बतलाऊंगा कि वह बेईमानी कहां पर है। सारी रिपोर्ट को देख जाइये। कोई अपील अदालत इस रिपोर्ट के खिलाफ अगर सेटअप हो जाय तो बिना किसी संकोच के वह अपील अदालत मजबूर होगी इस बात के लिये कि वह उस रिपोर्ट के खिलाफ यू० पी० के मामले में अपील को बहाल करे।

मैं चाहता हूं कि क्या शराफत का तकाजा अपनी राय को छिपा देना है? मैं अगर कोई कमी समझता हूं तो वह कमी यह है, उन्होंने अपने सच्चे और सही फैसले को स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा आप देख लीजिये पैराग्राफ ५९५ से लेकर ६१३ तक। पैराग्राफ ५९५-६१३ से साफ मालूम होता है कि कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि यू० पी० का बटवारा होना अनिवार्य है और जरूर हो जाना चाहिये। लेकिन आप जानते हैं, यह इंसानों की दुनिया है। उसमें मजबूरियां होती हैं। उसमें जोर, दबाव, और दांवपेंच होते हैं। परन्तु वह व्यक्ति जो सारे भारतवर्ष के प्रति जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखता हो, जो ईमानदारी से महसूस करता हो कि ऐसा होना चाहिये, वह उस जिम्मेदारी के जुये को उतार कर सच्चे देशहित में रोड़ा अटकाता है। हम कहते हैं कि हम भारतवर्ष की हुकूमत को मजबूत बनाना चाहते हैं; जो लोग कहते हैं कि स्टेट के हिस्से करने से उसकी ताकत कम होती है, उनसे मैं कहता हूं कि ब्रिटेन की हुकूमत इसका जीता-जागता उदाहरण है। वहां की चार करोड़ जनता ने ४० करोड़ हिन्दुस्तान की जनता पर राज्य किया। उनमें डिसिप्लिन था, उनका आर्गेनाइजेशन था, उनके अन्दर राष्ट्र के प्रति प्रेम था। वह अपने मुल्क के झंडे को दुनिया की चारों दिशाओं में फहराने के लिये अपनी जान कुर्बान करने के लिये तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग ३६ करोड़ हैं उसमें ६ करोड़ का यह सूबा है। तीन-तीन करोड़ का सूबा जरूर होना चाहिये, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना बड़ा आप का मुल्क है। मैं आपकी ही दलील को पढ़ता हूं कि आप भाई-भाई में क्यों बटवारा चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जब एक खान्दान में चालीस-पचास आदमी होते हैं तो उनका क्यों बटवारा हो जाता है? आपने क्यों सूबे में जिले और जिलों में तहसीलें बना रखी हैं? आपने देवरिया को गोरखपुर से क्यों अलग किया? यह इस बात को साबित करता है कि जब आप एक जिले का सही तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो यू० पी० के छः करोड़ का ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इसका बटवारा निश्चय करना होगा। आपने गोरखपुर से देवरिया को अलग करके अपनी डिफीट को मंजूर किया है कि देवरिया गोरख-

पुर के साथ रखते हुये उसकी सच्ची और सही व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जो मेरे भाई हंसते हैं उनके हंसने में तत्व नहीं है। उनको दुख होना चाहिये कि और बुद्धिवादी बुद्धि से सोचना चाहिये। जो एक राष्ट्रीय समस्या को निष्पक्ष होकर सोचने की कोशिश नहीं करते, जो कहते हैं कि इस सदन में एम० एल० ए० आकर जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते मैं पूछता हूं कि वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के रिमार्क्स पर मैं खेद प्रगट करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन कमीशन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। चूंकि आगरा राज्य बनाने की बात पणिक्कर साहब के नोट में उठायी गयी है, जिनकी राजधानी आगरा ही शायद प्रस्तावित है इस वजह से यह विभाजन का जो प्रश्न है उससे आगरा निवासियों का ज्यादा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मैं सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में माननीय सदन का ध्यान रिपोर्ट के उस चेप्टर की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कास्ट आफ चेंज के बारे में लिखा गया है। जिसमें यह लिखा गया है कि जो परिवर्तन किये जायंगे उनके कारण न केवल शासन प्रबन्ध में ही कुछ समय के लिये अव्यवस्था आने की सम्भावना है बल्कि लोगों के जीवन में भी। उसका हमें पैसे से भी, कर के बोझ के रूप में भी कुछ न कुछ मूल्य देना पड़ेगा और हमारा जो प्लानिंग का काम है उसमें भी कुछ रुकावट और बाधा पड़ेगी। यह मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया क्योंकि इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कमीशन कम से कम इस मत का तो अवश्य मालूम पड़ता है कि जहां पर कि वास्तव में कोई असन्तोष न हो, जहां के लोगों में भेद की भावना आपस में इस प्रकार की पहले से मौजूद न हो वहां पर हमें विभाजन की छुरी या कैंची चलाने का कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि इसका हमें मूल्य काफी देना पड़ता है। तो हमारे सामने यह अवश्य सवाल है कि वाकई क्या जिन बातों की वजह से दूसरी जगहों पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है वह यहां भी मौजूद है या नहीं। यह सवाल मुख्य रूप में लिंग्विस्टिक और कल्चरल और इंटीग्रेशन का है। दक्षिण में यह सवाल भाषावार प्रान्तों के लिए ही उठा और वहां पर इस तरह की भाषायें भी हैं लेकिन क्या हम यू० पी० के लिए भी ऐसा कह सकते हैं। कमीशन ने कहा है कि कल्चर को हम लैंग्वेज से ज्यादा अलाहिदा समझकर उसको विभाजन का कारण नहीं मान सकते क्या हम वाकई समझते हैं कि हमारे यहां भाषा के ऐसे भेद हैं जिनके कारण यू० पी० का विभाजन होना चाहिए ? अभी भाषा का सवाल उठा नहीं कि हमारे यहां एक अमेंडमेंट उप-भाषाओं का भी आ गया और उस दृष्टि से यू० पी० के शायद दो खंड नहीं बल्कि चार खंड होने चाहिए क्योंकि एक पर्वतीय भाषा है, एक बुन्देलखंडी, एक ब्रजभाषा, एक मैथिली और एक अवधी बल्कि पांच हो जायंगे। इस तरह से पांच खंड होने चाहिए अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन इन उप-भाषाओं के आधार पर होने वाला है। लेकिन ऐसा तो पणिक्कर साहब ने भी नहीं कहा। तो हमारे यहां जो मुख्य आधार भाषा का माना गया है वह तो कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अब रहा जनता में एकता की भावना का अभाव अथवा ऐसा कोई असन्तोष जिससे कि हमारी सरकार को पूरी तरह से योजनाओं में जनता का सहयोग नहीं मिला इस तरह की भी कोई बात रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के पहले तक तो आयी नहीं। यहां पर तो विशेषतः जो प्रश्न उठा वह एक और बात को लेकर उठा और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं उस मनोवृत्ति से बिल्कुल असहमत हूं। यहां पर तो यह सवाल इसलिए उठा कि पूर्वी जिलों के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और पश्चिमी जिलों पर कम खर्च हो रहा है। वैसे तो इसका जो उत्तर है वह इस कमीशन की रिपोर्ट में ही मिल जायगा। जो हमारी सरकार ने फिगर्स दस साल के दिये हैं उनकी जांच और छानबीन के पश्चात् कमीशन ने लिखा है कि इसका कहीं हमको कोई

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

मालूम नहीं मिला कि पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन एक दफा यह मान भी लिया जाय कि ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है पश्चिमी जिलों के मुकाबिले तो भी मैं पूछना हूं कि क्या इसके ऊपर विभाजन की मांग की जाय? यह तो बड़ी संकीर्ण मनोवृत्ति होगी। यह मैंने उस समय भी कहा था। अगर आप यह कहा जा रहा है कि पश्चिमी जिले प्रान्त की ट्रेजरी को ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा खर्च हो और पूर्वी जिले कम देते हैं इसलिए उनके ऊपर कम खर्च हो तो इस प्रकार से तो कभी भी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। इसका क्या जवाब है। आगरा प्रदेश बन जाने पर हम भी अपने को उसी परिस्थिति में पायेंगे क्योंकि आगरा भी मेरठ के मुकाबले में उतना ही पिछड़ा हुआ है तो यही आर्ग्युमेंट हमारे ऊपर भी लागू होगा कि आगरा, उतना रेवेन्यू नहीं देता इसलिए आगरे पर कम खर्च किया जाय और मेरठ पर ज्यादा खर्च किया जाय। तो जो एक बार आगे बढ़ गया, जिसने एक बार किसी तरह अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, उसी का बोलबाला हो गया तो फिर उस पिछड़े हुए प्रदेश को कोई पूछने वाला है ही नहीं। और आखिर यह संकीर्ण मनोवृत्ति कहां तक ले जायगी? पहले प्रान्त में, उसके नीचे कमिश्नरियों में, कमिश्नरियों के नीचे जिलों में और उसके बाद गांव-गांव में यह भेद पैदा हो सकता है। तो क्या इस तरह से हम अपने देश में एकता की भावना को फैला रहे हैं या उसके टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं और इस देश में एक ऐसी बात पैदा करना चाहते हैं जिसमें सिवा वैमनस्य और आपस में मनमुटाव के दूसरी बात न हो सके।

हमारे सामने तो एक प्रलोभन विशेष दिया गया कि आगरा राजधानी बनेगी, लेकिन मैं देखता हूं कि आन्ध्र बना और उसके बनते ही जो यह मालूम होता था कि आन्ध्र में बड़ी भारी एकता है, आपस में ही उनमें मतभेद पैदा हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि कैपिटल के ऊपर ही कितने दिनों तक आपस में वैमनस्य रहा और मालूम होता था इसी एक प्रश्न पर ही सब एकता समाप्त हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ क्षेत्र के विषय में आज तक तय नहीं हो पाया कि कौन सा ताल्लुका किस के पास जायगा। हाफुज ताल्लुके की बात तय नहीं हो पायी। वहां के मंत्री अभी मिले थे और वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये और उसके लिए बाउंडरी कमीशन बैठेगा। तो अगर इस संकीर्ण मनोवृत्ति को लेकर चलें तो देश की एकता, जिसको कमीशन ने भी महत्व दिया है, को न तो दृढ़ कर सकेंगे और न हम उसमें अपना और न प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि किसको यह कहने का दावा है कि इसके पीछे भी जनमत है। जनमत जो शायद तब विरोध पर में होता जब कोई एक प्रस्ताव होता। जब से यह बात उठी है तब से तीन या चार प्रस्ताव इस सम्बन्ध में आ चुके हैं। पहला एक प्रस्ताव जो कि शायद माननीय श्रीचन्द्र ने पेश किया था। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव पणिक्कर साहब का आया और अब तीसरा प्रस्ताव वह है जिसने कि हम कुछ खंड हरियाना प्रान्त का भी लेना चाहते हैं और उसके साथ-साथ दलील क्या दी जाती है कि हमारा हिस्टारिक सम्बन्ध है। ठीक है, अगर हिस्टारिक सम्बन्ध है तो काबुल पर भी कब्जा करना चाहिये, क्योंकि किसी जमाने में काबुल भी हमारे देश के अन्दर था। लेकिन हिस्टारिक जो बात कही जाती है वह पिछले सौ वर्ष की हिस्टरी को बिल्कुल भुला कर, उसके पहले की सदियों पहले की हिस्टरी को लेते हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई आज की अपनी बीबी को छोड़ कर दूसरी पूर्व-जन्म की बीबी से सम्बन्ध स्थापित करना चाहे, क्योंकि यह बीबी ज्यादा खर्चीली है, इस पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और आज के अपने निजी रिश्तेदारों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए पूर्व जन्म वालों से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। और आज के रिश्तेदारों को छोड़ना चाहते हैं जिनके साथ हम सौ वर्षों से साथ रहे हैं और तीन सौ या हजार

वर्ष पहले की हिस्टरी की बातें यहां दोहरा रहे हैं। हमें उनमें भी कोई एतराज नहीं है। वह भी अच्छी बात है कि हमारे भाव उनके प्रति उदार हों, उनसे मिलें, लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि जो आज हमारे साथी हैं उनका हम परित्याग कर दें, जिनके साथ आजादी की लड़ाई कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ी थी और हम उसमें सफल हुए।

उन साथियों से हमारा जरा सी बात के लिए कि हमारे यहां थोड़े से ट्यूबवेल्स नहीं बन रहे या थोड़ी सी सिंचाई नहीं हो रही है अलहदा होना चाहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मुझे भी शिकायत का मौका होता अगर यह बात होती कि हमारा स्टैन्डर्ड उतना ही गिरा हुआ होता जितना कि पूर्वी जिलों का है। अगर पश्चिमी जिलों का स्टैन्डर्ड पूर्वी जिलों से ऊंचा है और फिर हम उनके उद्धार के लिए ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारे लिए यह शान की बात है, गर्व की बात है। मैं समझता हूं कि हर एक को यही भावना लेकर हमारे जो इस प्रदेश के प्रतिनिधि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वह आगे चल रहे हैं, आगे चलना चाहिये। हमारी जिस बात को लेकर पणिक्कर साहब ने विभाजन की बात कही है वह यह कि यू० पी० का केन्द्र में प्रभुत्व है। आज यू० पी० का प्रभुत्व इसी में प्रदर्शित होता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीपरपज़ स्कीम्स देश में खोली गयीं उनमें से उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं खुली। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनमें कोई कमजोरी नहीं है। मैं माननीय गेंदासिंह जी से सहमत नहीं हूं, मैं समझता हूं कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है लेकिन अगर हमारा प्रदेश बड़ा है तो हमारा हृदय भी इतना ही विशाल है और हमने यह समझा है कि सारे देश में जहां जिसको आवश्यकता है वहां उत्थान होना चाहिये, जिसको जरूरत है वह पूरी होनी चाहिये। ऐसा नहीं कि इसी प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरलाल हैं, या वहां के गृह मंत्री आज माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त हैं इसलिये सब को समेट कर हम उत्तर प्रदेश में रख लें। और यह तो मैं आपसे निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि सारा भारतवर्ष शायद इस बात को मानता है कि अगर प्रान्तीयता की बात कहीं नहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में नहीं है। और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि अगर इस तरह से खंड-खंड हुये तो प्रान्तीयता देश में और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं समझता हूं देश का कल्याण नहीं हो सकता।

अब दूसरी बात जिसके बारे में पणिक्कर साहब ने कुछ बातें लिखी हैं वे बहुत बड़े योग्य और विद्वान् हैं और मैं इतनी धृष्टता भी नहीं करता कि मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहूं लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जो कारण उन्होंने पुनर्संगठन की रिपोर्ट में दिये हैं उनमें यह नहीं बताया कि कौन से ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पर लागू होते हैं और जिनकी वजह से इसका विभाजन होना चाहिये। रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा कि यह राज्य इतना बड़ा हो गया है कि उसका डामिनेन्स हो जाय या उसका माल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं, जो उन्होंने कहा है उसको मान कर चलता हूं हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन यह कहना कि माल-ऐडमिनिस्ट्रेशन है यह तो यहां की जनता की बात है। अगर वह समझती है कि हमारी गवर्नमेंट ठीक काम नहीं करती है तो उसको निकाल कर फेंक दे। लेकिन कमीशन इस बात पर रायज़नी नहीं कर सकता कि माल ऐडमिनिस्ट्रेशन है इसलिये इसके खंड कर दिये जायं इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायगा।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह बहुत अजीब सी मालूम होती है। उन्होंने हमारे एजुकेशन और वेलफेयर के ऊपर जो खर्चा होता है उसको दिखलाया है। इसी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं या रीवर वेली स्कीम्स हैं वे ज्यादा उपयोगी हैं बजाय इसके कि सोशल वेलफेयर जैसी स्कीम्स पर ज्यादा खर्च हो। मेरे पास फीगर्स नहीं हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अपने बजट से अगर किसी दूसरे प्रदेश के रीवर वेली और डैम्स वगैरह के बजट का मुकाबला किया जाय तो उसमें उत्तर प्रदेश का सब से अग्रिम स्थान रहेगा। इस चीज की तरफ हमारे पणिक्कर साहब ने ध्यान नहीं दिया महज़ इस वजह से कि सोशल वेलफ़ेयर वगैरह के ऊपर

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]
हमारे यहां कम खर्च किया गया उन्होंने यह लिख दिया कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रबन्ध अच्छा नहीं है। वास्तविकता यह है कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है इस प्रदेश की ख्याति सारे देश में है और यह कमीशन ने खुद स्वीकार किया है कि छोटे-छोटे राज्यों की अपेक्षा बहुत से बड़े राज्यों का शासन अच्छा और प्रगतिशील है।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहस इस वक्त हमारे भवन के सामने हो रही है उसमें जैसा कि खयाल किया जाता था कि पूरब और पश्चिम का नाम जरूर आयेगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरब और पश्चिम का नाम आता रहता है और बजट मे हम यह बात सुनते रहते हैं और आज हम देखते यह हैं कि यह बात इस हद तक पहुंची है कि सूबे की तकसीम के लिये पूरब और पश्चिम का सवाल पैदा हुआ। मैं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से न तो पूरब से और न पश्चिम से आया हूं बल्कि सेंट्रल जिलों से आया हूं, इसलिये मैं समझता हूं कि जो बात मैं रखूंगा उसको दोनों सुन सकेंगे।

इसमें कोई शक नहीं है कि जो मसला हमारे सामने है वह बहुत ही अहम मसला है और न सिर्फ ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक चंद दिनों या चंद सालों से हो बल्कि हमेशा के लिये है और हम हिन्दुस्तान का नया नक्शा तैयार करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैं इस बात को मानूंगा कि हममें से हर एक शख्स को यह हक हासिल है कि वह अपने लिये जैसा चाहे रहन-सहन, मकान और जिस तरीके हुकूमत को वह पसन्द करता हो, करे। यह बुनियादी हक है और हर शख्स को यह हक मिलना चाहिये। इस एतबार पर जो लोग अपनी राय जाहिर करें वह गौर करने के काबिल हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या फैसला होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उसके अंदर बहुत सी तरमीमें और तब्दीलियां पेश की गई हैं लेकिन वह ज्यादातर दूसरे सूबे के मुताल्लिक हैं। इसलिये इस भवन में इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब सवाल यह आता है कि हमारे सूबे को दो हिस्सों में तकसीम किया जाय, एक हिस्सा मगरबी जिलों को मिलाकर एक सूबा आगरा बनाया जाय और दूसरा बाकी हिस्सा यू० पी० का रहे, उस वक्त सवाल यह आता है कि कैसे उस पर गौर करें और कैसे देखें।

मैं जाती तौर पर इस बात को मानने वाला नहीं हूं और यही चाहता हूं कि जहां तक हो सके यू० पी० को तकसीम न किया जाय। हमारा यू० पी० का सूबा बहुत प्रोग्रेसिव है और इसमें एक खास अहमियत यह है कि इसमे प्राविंशियलिज्म नहीं पाया जाता है जो और दूसरे सूबों में पाया जाता है। एक तरफ अगर यह कहा जाय तो बेजा नहीं होगा कि यू० पी० एक कास्मोपोलिटन प्राविन्स है। इसके अंदर सब तरह के लोग आबाद हैं, इसके अंदर कई तरह की भाषायें बोली जाती हैं और इसमें मुख्तलिफ कल्चर के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन एक साथ रहते हुये हमने कास्मोपोलिटन स्प्रिट के मातहत एक खास किस्म की फिजा पैदा की है, एक खास किस्म का एटमोसफियर पैदा किया है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों मे नहीं पाया जाता है। इसलिये यू० पी० के तकसीम के सवाल से दिलों में खटक पैदा होती है बिलखुसूस ऐसी हालत में जब हम तकसीम को अपनी आंखों से देखते हैं। हमारे सामने वह नक्शा और वह मंजर भी फिर जाता है कि जब इस पूरे मुल्क की तकसीम का सवाल पैदा हुआ और इस मुल्क की तकसीम किसी न किसी तरीके पर हो गई। लेकिन जिन लोगों ने तकसीम की या जो लोग तकसीम के खिलाफ थे या जो लोग उसके माफिक थे, आज उनमें से हर एक शख्स इस बात को तसलीम करता है कि मुल्क की तकसीम करने के बाद हम ज्यादा खुशहाल नहीं रहे और इसलिये वह चाहे मुत्तहिदा मुल्क हो या सूबा हो उसकी इकोनामिक, उसकी कल्चरल वैल्यूज का जो कांबिनेशन होता है वह एक ऐसी चीज है कि जो तकसीम करने के काबिल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान बन गया, तकसीम हो गई। वह हिन्दुस्तान से अलग हो गया। गो सियासी तौर पर वह हिन्दुस्तान से अलग हो गया, लेकिन अब भी हमारे अंदर सोशल, कल्चरल और इकोनामिक टाइज ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर शख्स महसूस करता है कि वह हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसी तरह से जहां तक हमारे प्राविंस का ताल्लुक है उसकी जो प्लानिंग हुई, वह अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने वैसी नहीं की जैसी कि आज हो रही है, तो ठीक है, लेकिन पिछले जमाने में जो काम हुए, जो यूनिवर्सिटियां, कालेज, हाईकोर्ट, अदालतें वगैरह बनीं, जिलों के हेड क्वार्टर बनाये गये, तो उनको बनाते समय इस बात का किसी को खयाल नहीं हो सकता था कि १९५५ ई० में कोई ऐसा मौका आ सकता है कि इस वक्त यह बात उठेगी कि इस सूबे को तकसीम कर दिया जाय।

इस बात का एतराज किया गया कि यू० पी० और सूबों से बाज चीजों में पीछे है, तालीम में और-और चीजों में पीछे है। हो सकता है कि यू० पी० इन चीजों में दूसरे सूबों से पिछड़ा हुआ हो लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बाज चीजों में यू० पी० सबसे आगे है और कोई चीज हो या न हो, लेकिन जहां तक सेक्योरिटी और यूनिटी का ताल्लुक है, जिसको कि इस कमीशन के हर मेम्बर ने, चाहे वह माफिक हो या खिलाफ इस बात को माना है कि मुल्क की सेक्योरिटी सबसे अव्वल होनी चाहिये और उसके बाद मुल्क की यूनिटी और इकोनामिक यूनिटी पर जोर दिया गया है, उसमें हमारा सूबा सबसे अव्वल रहा है। बाज मर्तबा यह सवाल भी उठता रहा है कि जबान की बेसिस पर तकसीम हो और मैंने जैसा कहा कि हर शख्स को बुनियादी तौर पर अपनी राय देने का और अपनी बात मनवाने का हक है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब चीजें बाद में आती हैं।

सबसे पहले सेक्योरिटी और यूनिटी की बात आती है और हमें फख्र है कि इस सूबे ने जो यूनिटी की मिसाल पेश की उस तारीखी जमाने में जब कि हर तरफ काले बादल छाये हुये थे और इस सूबे में जैसी फिजा रही वह काबिले कद्र है। तो इस एतबार से मैं समझता हूं कि यू० पी० की तकसीम होना न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि वह नामुमकिन अमल भी है। बाज चीजों की शिकायतें की हैं बाज लोगों ने, बहुत सी बातें की हैं, ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिये कि आखिर जिन लोगों ने इस सूबे की तकसीम का सवाल उठाया है उसके असबाब क्या हैं? मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं कि मैं इस सदन के मोअज्जिज मेम्बरों में से किसी की नियत के मुताल्लिक कोई शकोशुबहा करूं। उनमें मुखालिफत भी हो सकती "Two persons can agree to disagree." लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर जिन लोगों ने यह सवाल उठाया है कि इस देश की तकसीम की जाय उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम बतौर भाई के इस बात पर सोचें, क्योंकि हम यहां इसलिये नहीं हैं कि इस सवाल को लेकर लड़ें या झगड़ें। आज हम प्लानिंग के उस काम में लगे हुये हैं कि जिससे हम चाहते हैं कि अपने मुल्क को और सूबों को ऊपर उठायें और इस वक्त में अगर इस तरह के एजीटेशन का सवाल उठाया गया या कोई ऐसी ही बात की गई कि जो जनरल इंटरेस्ट में न हुई तो वह बहुत ही अनफार्चुनेट होगा। इसलिये मैं यह अर्ज कर रहा था कि सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उनकी ग्रीवियेन्सेज क्या हैं? क्या असबाब हैं कि जिनके मातहत लोगों ने इस तकसीम के सवाल को उठाया है? इसके लिये जरूरत इस बात की है कि हम बतौर भाई के उन बातों पर गौर करें, हमारा हाई कमान्ड भी गौर करे, हमारा सेन्टर भी इस बात पर गौर करे और हमारा कमीशन भी इस बात पर गौर करे कि वह चीजें क्या हैं और किस तरीके पर वह दूर हो सकती हैं।

मैं समझता हूं कि एक बात जो यह कही गयी कि ऐडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रहा और ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइन्ट आफ व्यू से इसका तकसीम होना चाहिये मैं इससे एग्री नहीं करता। जहां तक इस एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है ऐडमिनिस्ट्रेशन पहले भी अच्छा रहा है और आज भी अच्छे तरीके से चल रहा है। इसकी बाबत दो खत अखबारों में निकल चुके हैं। डा० पन्नालाल और सर महाराज सिंह इस सूबे के बहुत मुअज्जिज ओहदों पर रहे हैं। एक चीफ

[श्री सुल्तान आलम खां]

सेक्रेटरी और दूसरे होम मेम्बर रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइन्ट आफ़ व्यू से इस सूबे में कभी दिक्कत पैदा नहीं हुई। यह बात सही है कि यह सूबा बहुत बड़ा है, लेकिन जो पणिक्कर साहब का नोट है उसके मातहत अगर नया सूबा बनाया जाय तो फिर भी यह सूबा बड़ा ही रहेगा। अगर आज ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी इस सूबे की है तो जो तजवीज है उसके मुताबिक सूबा बनाने पर उसकी आबादी भी ४ करोड़ की होगी। बिहार की भी तकसीम की बात हो रही है तो फिर यही बड़ा सूबा रह जायगा और यह बड़े सूबे की तकसीम का सवाल रह जायगा।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है कोई नहीं कह सकता है कि यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब रहा है। यह कहा जा सकता है कि इस पिछले जमाने में यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन कुछ लूज रहा है। कुछ ऐसी चीजें आयीं और कुछ ऐसे वाकयात थे जिनकी वजह से ऐसी बातें पेश आयीं और उसके मातहत कुछ दिक्कतें और दुश्वारियां आयीं, लेकिन आइन्दा चलकर ऐडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलता रहेगा। लेकिन यह बात भी सही है कि इस यू० पी० के मगरबी हिस्सों का जो डेवलपमेंट किया गया और वहां का कल्चर कुछ ऐसा रहा है कि पिछले जमाने में मगरबी यू० पी० का कुछ डेवलपमेंट ज्यादा होता रहा है। पिछली बार कांग्रेस के आने के बाद भी मगरबी जिलों का ही खयाल किया गया, लेकिन अब मशरकी जिलों की तरफ तवज्जह की जा रही है और वहां पर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। जब हम यहां पर भाईचारे की हैसियत से रहते हैं तो वह लोग जो पिछड़े हुये हैं अगर उनको थोड़ा सा फायदा मिलता है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको किसी खास तरीके से देखा जाय और जो दिक्कत की बात समझी जाय। अगर यह तजवीज जो पणिक्कर साहब ने पेश की मंजूर हो जाय तो हमारी दिक्कत का हल वहां पर नहीं मिलता है बल्कि दिक्कत में और इजाफा हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा सूबा ४ करोड़ की आबादी का फिर भी रहता है। तो जो दिक्कत आज बड़े सूबे की वजह से कही जाती है वह फिर भी कही जायगी और दूसरी सूरत यह पेश हो सकती है कि जो सेन्ट्रल प्राविन्स से आते हैं उनके लिये यह सवाल पैदा होगा कि वह कहां जायं।

अगर सूबे की तकसीम आती है या तकसीम का कोई सवाल किया जाता है तो बहुत से लोगों की राय बदलेगी। सब एक जगह पर रहते हैं बिल्कुल ठीक है। मैं यह भी मानता हूं कि जो लोग इसकी तकसीम की आवाज उठाते हैं उनको यह हक है और उनको अपनी आवाज उठाने का हक हासिल है और उनको अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिये, जब मैं इस बात पर गौर करता हूं तो मैं कन्फ्यूजन में पड़ जाता हूं कि आखिर जो दोनों के बीच में रहते हैं उनका क्या होगा। जो बुनियादी हैसियत से और उसूली हैसियत से खाका खींचा गया है उसके लिये बाउन्डरी कमीशन बैठेगा। तो उस वक्त बहुत से लोगों को राय बदलने का मौका मिलेगा। मसलन मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं जोकि सेन्टर में है। जो नक्शा इस वक्त बनाया गया उसके मातहत हमारा जिला मशरकी यू० पी० में होगा जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। फर्ज कीजिये कि यह हुआ और तय होने के बाद सवाल पैदा होता है कि बाउन्डरी का किस तरह से बटवारा हो। तो जो सूबे के जिले सेन्टर में आते हैं जैसे कि हमारा जिला है तो उसके लिये यह सवाल पैदा होगा कि मशरकी जिलों में जायं या मगरबी जिलों के साथ जायं। तो जाहिर बात है कि हम यह पसन्द करेंगे कि मगरबी जिलों के साथ जायं इसलिये कि मशरकी जिलों की निस्बत मगरबी जिले ज्यादा डेवलेप्ड हैं। तो प्रायरिटी गेंदा सिंह जी को मिलेगी, लेकिन हमको भी मिलेगी। उसूलन हमको भी मौका मिलना चाहिये। डेवलपमेंट की प्लानिंग में हमको प्रायरिटी मिलनी चाहिये। कुदरतन् यह सवाल पैदा होगा कि अगर यह सवाल तय कर दिया तो यह सवाल हमेशा के लिये खत्म नहीं होगा, इसमें कुछ और सवाल पैदा होंगे। इसमें कुछ और प्राबलेम पैदा होंगे और यह एक डिटेल की चीज बन जायगी। उसको बाउन्डरी कमीशन को तय करने में बड़ी दिक्कत और दुश्वारी होगी।

एक बात इस सिलसिले में जरूर सोचने की है और वह यह कि जैसा मैंने अर्ज किया कि मैं इस बात का हामी हूं कि सिक्यूरिटी यूनिट, एकोनोमिक यूनिट इन चीजों के मातहत हमें गौर करना है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसमें जिन लोगों को जो शकूक हैं उनके उन शकूक को दूर करने की तरफ गवर्नमेंट को खास तवज्जह देनी चाहिये। गवर्नमेंट के एक स्टेप की भी मैं ताईद करता हूं कि जो कमिश्नरियां उठा दी गयी थीं उन कमिश्नरियों को दुबारा रेस्टोर कर दिया गया है। रीजनल ऐडमिनिस्ट्रेशन अगर हेड क्वार्टर पर हो जाय तो वह बेहतर ही है। बाज लोगों का यह भी सही ख्याल है कि रीजनल तरीके पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होना चाहिये। वाकई लोग इस बात को फील करते हैं कि जो दुश्वारियां लोगों को ऐडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हैं जो लेजीटिमेट ग्रीवान्सेज हैं उनको जरूर दूर किया जाना चाहिये और उस तरीके पर जो होगा, मैं समझता हूं कि वह रीजनेबिल तरीके की प्लानिंग होगी। जैसे मेरठ में यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज है। हाई कोर्ट की बेंच भी मेरठ में कायम कर दी जाय या इसी किस्म की और भी बातें कर दी जायं तो कोई गलत कदम न होगा। अगर इस तरह से रीजनल बेसिस पर ऐडमिनिस्ट्रेशन कायम करने की बात की गयी, जिसके मातहत रीजनल ग्रुप्स को आसानी हुई, उनकी दिक्कतें और दुश्वारियां दूर हुईं, तो मेरा ख्याल है कि यह जो दो हिस्सों में कर देने की बात कही जाती है वह चीज भी पैदा न होगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह) (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक उस प्रस्ताव के समर्थन के सम्बन्ध में युक्तियां देने का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बातें कही हैं। मुझे अपने भाई श्रीचन्द्र की तकरीर सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आज मैंने अखबारों में उनकी बातें संक्षेप में पढ़ीं। ख्वाजा अतहर हुसैन साहब की तकरीर सुनने का मुझे मौका मिला था और श्री पणिक्कर जी की रिपोर्ट को भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। जहां तक श्री पणिक्कर जी की रिपोर्ट का ताल्लुक है, एक मुख्य बात उन्होंने यह कही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, यहां के प्रतिनिधियों की तादाद सेंटर में बहुत बड़ी है इसलिए अपनी तादाद के जोर पर वहां हिन्दोस्तान के राजनीतिक क्षेत्र में अपना असर कायम करते रहते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह कहना उचित नहीं है कि जितना यू० पी० बड़ा है वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उनके दृष्टिकोण से हमारे यू०पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है और अपनी इस युक्ति की ताईद में उन्होंने कुछ बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यू० पी० की लिटरेसी बहुत कम है उड़ीसा की अपेक्षा। मैं उस रिपोर्ट को और उनके नोट आफ डिसेंट को पढ़ता ही रहा सिर्फ यह जानने के लिये आया उन्होंने कोई ऐसी मिसाल भी दी कि यू० पी० के नुमाइंदों ने वहां जाकर कोई धांधली की या भारत के मामलों में अपने बहुमत के कारण यू०पी० के लिये नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न किया हो और उसमें सफल हुये हों। मैं इस बात को खोजता ही रहा। लेकिन मुझे एक भी बात उनके सारे नोट में नहीं मिली। यदि उदाहरणों से वह अपनी इस बहस और युक्तियों की ताईद करते तो बात मेरी समझ में आती और और लोग भी समझते तथा मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे भाई श्रीचन्द्र जी भी पूरे तौर पर उसको समझ लेते।

श्री चन्द्र जी ने अपनी जो युक्तियां दी हैं उसमें उन्होंने श्री पणिक्कर से बिल्कुल ही विलग और अलग बातें कहीं। श्रीचन्द्र जी को श्री पणिक्कर की युक्तियों में विश्वास नहीं है, मैंने उससे ऐसा नतीजा निकाला है। डिवीजन दोनों ही चाहते हैं लेकिन श्रीचन्द्र जी का ग्राउन्ड डिफरेंट है श्री पणिक्कर के ग्राउन्ड से। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि उनकी बहस भाई श्रीचन्द्र जी को भी कबूल नहीं है। मेरी तो शिकायत यह है कि हमारे नुमाइन्दे वहां तादाद में काफी हैं लेकिन वे हर मौके पर जब भी यू०पी० का मसला आता है तो वे इतनी डिसेंसी बरतते हैं और बरतनी भी चाहिये, इसकी मुझे शिकायत नहीं है लेकिन यू०पी० के मसले के ऊपर भी वे इमबेरेस्ड फील करते हैं और हमारा जो हक है वह हक भी नहीं मिल पाता। इसके उदाहरण तो हम दे सकते हैं लेकिन श्री पणिक्कर को ऐसा एक भी उदाहरण देने को नहीं मिला जहां पर अपने हक से ज्यादा हमें कोई चीज वहां मिली हो। तो उसमें कोई तत्व नहीं है, और ऐसी बहस

[श्री हुकुम सिंह]

करना हम तो उचित नहीं समझते । मैं यहां अपने इस सदन में भी देखता हूं कि बस्ती के १८ नुमाइन्दे हैं, और उसमें देवरिया तथा गोरखपुर को जोड़ दिया जाय तो करीब एक-चौथाई हिस्सा उनका इस सदन में हो जाता है । देहरादून के तीन-चार मेम्बर हैं लेकिन बस्ती, देवरिया, गोरखपुर वाले अपनी तादाद की बिना पर कौन सा नाजायज फायदा उठा रहे हैं यह तो कभी होता नहीं है । यहां गवर्नमेंट पार्टी लाइन पर कायम है । पहले ह्विप जारी हो जाता है और हर मसले पर राय देने के लिये पार्टी ह्विप की पाबन्दी होती है । लिहाजा ऐसा कहना मैं किसी तरह से भी ठीक नहीं समझता । पणिक्कर साहब ने कहा है कि यहां एजूकेशन बहुत कम है और उड़ीसा का फीगर बतला दिया और यहां का फीगर बतला दिया । उन्होंने यह भी कहा है कि बम्बई का बेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर बहस करते हुये कोई चूहा भी यहां नहीं कूदा और बम्बई में क्या हुआ, इस बात को मैं यहां कहना नहीं चाहता लेकिन यहां तो बिलकुल एक शांत वातावरण में यह बहस हो रही है । इसी से साबित होता है कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--जैसे बाराबंकी में ऐडमिनिस्ट्रेशन है ।

श्री हुकुमसिंह--लेकिन गांधी जी भी दिल्ली में मारे गये थे । तो इस एक मिसाल को लेकर यह कह देना कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है यह बात ठीक नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिये कि जहां दो आदमी हैं उसमें एक आदमी पढ़ा है तो उसमें ५० परसेंट लिटरेसी हो गयी और जहां आदमी एक हजार हैं और वहां १०० आदमी पढ़े लिखे हैं तो वहां ५० परसेंट से कम लिटरेसी हो गयी । उन्होंने एजूकेशन के मामले में उत्तर प्रदेश का मुकाबिला उड़ीसा जैसे छोटे राज्य से किया है । जहां तक उड़ीसा का ताल्लुक है वहां की आबादी एक करोड़ ४६ लाख के करीब है, जिसमें से २३ लाख पढ़े-लिखे हैं और हमारे यहां की आबादी जो ६ करोड़ ३२ लाख है उसमें से ६८ लाख पढ़े-लिखे हैं । तो यह तो सीधी सी बात है कि जहां ज्यादा आदमी होते हैं जैसे हमारे यहां एजुकेशन के बजट पर करीब ६ से लेकर १२ करोड़ रुपये तक खर्च होता है लेकिन उड़ीसा के एजूकेशन का बजट पता लगाया जाय तो वह बहुत ही कम होगा । तो जब बड़ा परिवार होता है बड़ा खानदान होता है तो उसमें काफी खर्च करना पड़ता है । लिहाजा हर जगह परसेंटेज से काम चलता नहीं है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे भाई श्रीचन्द्र जी ने कहा कि हमारे यहां की जबान एक नहीं है, उन्होंने कल्चर का ऐसा डेफिनिशन दिया कि मैं तो हैरान हो गया । मैं तो सुना करता था कि भारतवर्ष का कल्चर एक है, लेकिन अब उनके कहने के मुताबिक जिले-जिले का कल्चर अलग-अलग मालूम होता है । १८ जिलों का कल्चर अलग है और बाकी जिलों का कल्चर अलग है । यह भी पता नहीं की श्री सुल्तान आलम साहब किस कल्चर में आयेंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--एग्रीकल्चर में ।

श्री हुकुमसिंह--उसमें तो मैं आता हूं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कल्चर की बहुत सी संकीर्ण परिभाषायें देना उचित नहीं है । कोई साहब कहें कि सहारनपुर से बलिया तक दूसरी जबान है तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती । वहां दो जबानें नहीं हैं जबान एक ही है । कल्चर एक ही है । श्रीचन्द्र जी कहते हैं कि पहनावा भी अलग है, कुरता वह भी पहने हैं और मैं भी पहनता हूं, देवरिया के लोग भी पहनते हैं और वेशभूषा क्या शक्ल-सूरत में भी कोई अन्तर नहीं है । अगर श्रीचन्द्र उधर हैं तो राजा राम शर्मा इधर हैं, तो महावीर सिंह देवरिया के इधर भी हैं, एक ही शक्ल है और एक ही पहनावा है । कोई अन्तर नहीं है । अगर मोहन सिंह उधर हैं तो मान्धाता सिंह बलिया में भी हैं, हरिसिंह उधर हैं तो इधर शिवनारायण हैं न वेश में अन्तर है न भूषा में फर्क है, न जबान में फर्क है जो फर्क है वह मैं आगे बताऊंगा । एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि जहां तक श्रीचन्द्र का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि उनको अपनी शक्ल-सूरत के बारे में ज्यादा गर्व का मौका नहीं है ।

पं० कमलापति त्रिपाठी जैसा तनदुरुस्त पश्चिमी जिलों का कोई यहां है, आप गिरधारी लाल को पैदा कर सकते हैं कमलापति को नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई अन्तर नहीं है और अलग होने के कोई वजूहात नहीं है। हम और वह हमेशा से एक चले आये हैं। श्रीचन्द्र जी और पणिक्कर जी उसको भूल गये होंगे। मुझे एक मिसाल याद आ रही है। एक आदमी ने घर बनवाया और इत्तफाक से उस वक्त उसके घर वाले छोटे कद के थे तो उसने छोटे दरवाजे लगाये और उस समय सब लोग उनमें से निकल सकते थे, लेकिन इत्तफाक से आगे चलकर उस घर में कुछ लोग श्रीचन्द्र के बराबर लम्बे हो गये तो वह कहने लगे कि दरवाजे न बदले जायं बल्कि उनके सिर काट कर उनको छोटा कर लिया जाय। यही पणिक्कर साहब चाहते हैं। अगर वह संविधान को बदलवाकर बराबर प्रतिनिधित्व करा ले तो ठीक हो सकता है या वेटेज दे दिया जाय, लेकिन वह न कहकर वह कहते हैं कि बांट दिया जाय, दरवाजे न बदले जायें बल्कि सिर को ही काट दिया जाय। मैं तो समझ नहीं सकता कि इसमें उनकी कौन सी युक्ति सही है। हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, वह हमारे बड़े भाई हैं हम उनके छोटे भाई हैं, वह अमीर हैं हम पूरब वाले गरीब हैं, उधर के लोग धनी हैं हम पूरब के लोग गरीब हैं यह अन्तर अवश्य है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते जैसे खानदान मुश्तर्का में बड़े भाई को खूब तालीम दी गयी, खूब पढ़ाया-लिखाया गया और खानदान का सारा पैसा उनको विलायत भेजकर बैरिस्ट्री पास कराने में लगा दिया गया, उसके बाद वह हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे और खूब वकालत चलने लगी और उसके फलस्वरूप उनके रहन-सहन में परिवर्तन हो गया और वह बहुत बड़े आदमियों की तरह रहने लगे और उनकी वजह से ही जो दूसरे भाई थे वह बगैर पढ़े या कम पढ़े-लिखे रह गये तब उन बैरिस्टर साहब ने सवाल उठाया कि अब घर वालों से हमें अलग होना चाहिये, क्योंकि हमारी पढ़ाई-लिखायी का और रहन-सहन का स्तर उन से बहुत ऊंचा है और वह लोग नीचे स्तर के हैं जो उन के भाई हैं इसलिये उनको अलग रहना चाहिये, क्योंकि उनके साथ रहने से उनका स्टैन्डर्ड नहीं मिलता और उनकी बदनामी होती है, उनके साथ बैठना-उठना ठीक नहीं है। लेकिन आप गौर करें कि ऐसा करना उनके लिये कितनी शर्म की बात है! मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह तरीका गलत है कि अगर एक भाई कुछ कारणों से एक समय में धनी-मानी हो जाय तो वह दूसरे भाइयों को पीछे छोड़ दे यह ठीक नहीं है। उसकी कोशिश उनको सीने से लगाने की होनी चाहिये कि वह भी उसी स्तर के लोग हो जायं। इस तरह से देवरिया के भुखमरे गेंदासिंह भी उनके स्तर पर आ जायं। मैं नहीं समझता कि यह बटवारे की बात सोचना कहां तक उचित है। तफसील में जरा सोचिये कि १६ जिले निकालकर उनका अमल में क्या होगा, इंतजाम में क्या खर्च होगा, सारा बजट वह कैसे बनाते, श्रीचन्द्र कई करोड़ रुपया कन्टिन्जेंसी में बचाते हैं १६ जिले चाहें अलग हों या न हों। बनाना जरूरी होगा, लेकिन अगर बनायेंगे तो वह ठीक बने और अगर बनायें तो दोनों एन्ड्स को मिला नहीं सकते, बड़ी दिक्कतें होंगी। कल गालिब के शेर को हाफिज जी ने पढ़ा था वह मुझे याद नहीं है वह बिलकुल चस्पां होगा। लिहाजा इस दृष्टि से देखा जाय तो बटवारा नामुनासिब है, फाइनेंशल ढंग से देखा जाय, इकनामिक ढंग से देखा जाय, इखलाकी ढंग से देखा जाय, इतने दिनों का मेलजोल और जरा सी बात पर और यह कहना भी तो ठीक नहीं कि प्रबंध की वजह से आप नेगलेक्ट किये जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—इसी बात से तो दुख होता है।

श्री हुकुमसिंह—गलत बात से हमेशा दुख होगा ही। सही बात सोचें तो दुख न हो। जैसे हाफिज जी ने कहा कि अगर मान लीजिये कि कुछ दे ही देते हैं ज्यादा तो दुख क्यों होता है। आप बड़े भाई हैं, कुछ तो रहम कीजिये। यह नहीं कि १२ आना तो आप लेते रहें और ४ आने हम भुखमरों के लिये रहें तो क्या आपकी यह नीयत अच्छी है? आप जरा हमदर्दी करें। बिला वजह फिक्रमन्द होना नामुनासिब है। क्योंकि इधर भी फिक्र है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जिस शक्ल में है वैसा रहे। देश के लिये, सारे भारतवर्ष के लिय यूनिटी बहुत जरूरी है और टुकड़े-टुकड़े में सिक्योरिटी खत्म हो जायगी और हजारों वर्षों से

[श्री हुकुम सिंह]

हम लोग खतरे में रहे हैं आपस में विभाजित होने के कारण तो हमें उस सबक को भूलना नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं हमें एक साथ रहना है। मैं आपको यह बताऊं कि श्री पणिक्कर जी भी उसूल वही मानते हैं। उन्होंने कहा यह कि यूनिट बराबर होने चाहिये। लेकिन उसूल तो रख दिया अमल उस पर नहीं किया। जो प्रोपोज्ड स्टेट उन्होंने बताये हैं वह यू० पी० से बाज़-बाज़ रकबे में बहुत ज्यादा है और इधर छोटे-छोटे भी बना दिये। उधर बड़े से बड़ा बना दिया और इधर छोटे से छोटे भी बना दिये। अगर उसूल ठीक था तो उस उसूल पर अमल करना था। प्रोपोजल के साथ बात कोई दूसरी हो और अमल में दूसरी हो अगर दोनों में फर्क होता है तो लोग बड़े भ्रम में पड़ते हैं तो हम यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बाटने के लिये यह बात सोची गई हालांकि असलियत यह नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, कल से राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर इस सदन में वादविवाद हो रहा है। जब हमने इस आयोग की सिफारिशों को पहले देखा समाचार-पत्रों में और उसके बाद विवाद के अवसर पर कल परसों से जो पुस्तिका हमें मिली है उसको भी देखा है और जैसा माननीय कृषि मन्त्री जी ने उस प्वाइंट को टच किया हैं हम समझते हैं कि हम जैसा समझ रहे थे कि आयोग की सिफारिशें वैज्ञानिक ढंग पर होंगी, लेकिन किसी वैज्ञानिक आधार पर वह सिफारिश नहीं की गई हैं। एक आधार लिया गया भाषा का। हम मानते हैं कि राजस्थान से लेकर विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और यू० पी०, बिहार और कुछ हिस्सा पंजाब का यह तमाम इलाका हिन्दी भाषी था। यद्यपि यहां पर आर्गूमेंटस बहुत से दिये गये हैं कि यहां पर भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, अवधी है राजस्थानी है लेकिन हम मानते हैं कि न तो हम अवध के रहने वाले हैं और न ब्रजभाषा ही बोलते हैं, न मैथिल बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते ह कि ब्रजभाषा को हम उसी प्रकार समझ पाते हैं जैसे मैथिल को या भोजपुरी को। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बंगाल के और पंजाब के कुछ भाग को छोड़कर उत्तर भारत के इस बड़े विस्तृत इलाके में हिन्दी भाषा बोली जाती है। यद्यपि हम पहाड़ी हैं और यों तो कहने के लिये पहाड़ में भी दो भाषायें गढ़वाली और कुमायूंनी बोली जाती हैं, लेकिन इतना होने पर हम समझते हैं कि समस्त उत्तर भारत में हिन्दी ही भाषा एक भाषा है जो बोली जाती है। यद्यपि भाषा विज्ञान के आधार पर तो पांच या ६ मील की दूरी पर कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जबसे अवधी, ब्रजभाषा, मैथली या राजस्थानी को छोड़कर खड़ी बोली बन गई है तब से उत्तर प्रदेश में एक ही बोली है। अगर भाषा के हिसाब से राज्य का निर्माण करें तो गलत होगा।

संस्कृति के लिये कहा गया कि यहां की सभ्यता अलग है। पूर्वी यू० पी० और १६ जिलों और पश्चिमी यू० पी० के जिलों की सभ्यता अलग-अलग है मैं तो समझता हूं कि यह भी गलत है, क्योंकि हमारे यहां गंगेश्च यमुनाश्चव गोदावरी सरस्वती नर्वदे सिन्धु कावेरी आदि जो श्लोक हैं उससे सिद्ध होता है कि देश की जो संस्कृति है वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक है। इस आधार पर भी राज्यों के पुर्ननिर्माण की जो मांग है वह गलत है। यह कहना उचित न होगा अगर कोई व्यक्ति या कोई स्थान अगर राज्य चाहते हैं तो भारत की अक्षुण्य एकता में बाधक हैं। इस प्रकार की भावनाओं को सुनकर हमें दुख हुआ।

अब मैं उत्तर प्रदेश पर आपकी आज्ञा से आता हूं। जिस आधार पर इस आयोग ने भारत का विभाजन किया है वह वैज्ञानिक नहीं है जैसी कि कृषि मंत्री महोदय ने यह बात कही कि एक करोड़ से लेकर या कुछ लाख से लेकर ६ करोड़ तक एक स्टेट मानी गई है। वैज्ञानिक आधार माना जाता भाषावार प्रांत बनाने का तो जितने लोग उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर बिहार तक एक भाषा बोलने वाले हैं उनका एक ऐसा विभाजन किया जाता कि उसमें दो, तीन या चार करोड़ जितनी भी आबादी आती उसको लेकर राज्य बनाते। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मान लीजिये कि उत्तर प्रदेश में दो राज्य

हो जाते हैं तो वह भी बड़ी भारी आपत्ति की बात नहीं है। देश तो हमारा एक है। भारत संघ के अन्दर हम सब एक इकाई होंगे। भारतीय संविधान की तरफ से जो पावर दी गई है अगर कोई प्रांत अलग हो जाता है तो उसमें देश को कोई खतरा नहीं है और न हमारी सरकार को जो इस समय पावर में है यह भावना लेनी चाहिये। जो लोग देश के, प्रांत के विभाजन की मांग करते हैं वह गलत हैं। इस पुस्तिका को देखने का जो मौका मुझे मिला है उसे देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि एक किस्म का पैच-वर्क किया गया है और जो चीज केन्द्र को सिफारिश के तौर पर दी जा रही है वह भी पैच-वर्क के आधार पर दी जा रही है। यह भी सही है कि पणिक्कर महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उनको हमारी सरकार भी रिफ्यूज नहीं कर सकती कि यहां शिक्षा में बहुत कमी है, कई बातों में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश यह कहता है हमारा राज्य बहुत विकसित और समृद्ध है तो वह भी गलत होगा क्योंकि आंकड़ों को देखने से यह साबित नहीं होगा और जितने उन्होंने आंकड़े या सेन्सस रिपोर्टस आदि के दिये भी हैं उनमें यह साबित नहीं होता कि वे प्रमाणित आंकड़े हैं और इसके कहने में कोई लज्जा की बात नहीं होगी अगर यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। लेकिन इसका दोष किस पर है ? जो भावनायें प्रदर्शित की गईं कि उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाय इसका उत्तरदायित्व किस पर है? सन् ४६ से लेकर इस देश के अन्दर जो कार्यवाहियां हुई हैं और जिस प्रकार से भेदभाव की नीति बरती गई है उसी के फलस्वरूप यह मांग की जा रही है। जब किसी चीज का बीजारोपण हो जाता है और पानी उसे मिलेगा तो वृक्ष उत्पन्न होगा, उसके बीज होंगे, वह पेड़ उखाड़ भी दिया जाय तो जो बीज पड़ चुके हैं उनसे नये पौधे होंगे। इसलिये इस दृष्टिकोण से हम इस पृष्ठ को देखेंगे। अगर विकास की बातों को लेते हैं तो हम न पूर्वी जिलों में आते हैं और न पश्चिमी जिलों में आते हैं। हम तो पहाड़ी जिलों में आते हैं। हम तो पहाड़ी जिलों के रहने वाले हैं।

पणिक्कर महोदय ने अपनी डिसेंट रिपोर्ट में पहाड़ी जिलों का जिक्र करते हुये कहा है, "There is or can be very little in common between the still nomadic inhabitants of the Garhwal and Kumaon Himalayas." तो हम तो नोमेडिक हैं और आगे भी नोमिडिक रहेंगे। अगर पिछड़ा हुआ इलाका यू० पी० का कोई हो सकता है तो पूर्वी हो सकता है, दक्षिणी इलाका भी हो सकता है लेकिन सबसे पिछड़े हुये लोग हम हैं। हम देखते हैं कि पेप्सू से लेकर हिमाचल प्रदेश और मनीपुर से लेकर आसाम तक का विस्तृत वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है और ये सुझाव दिये गये हैं कि उनको विकसित करने के लिये क्या-क्या करना चाहिये और उनको क्या-क्या सेफगार्ड देने चाहिये। यह भी कहा गया है कि उनके लिये अलग बोर्ड बनाना चाहिये और जहां तक हमने अखबारों में देखा है कि आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य मान लिया जाना चाहिये क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा भी एक पहाड़ी प्रदेश है। अगर हम उसके एरिया पर आते हैं तो वह १६,४७१ वर्ग मील है और आबादी २५,२१,६०० के लगभग है। यह एरिया उत्तर प्रदेश का १/५ हिस्सा है। अगर भाषा का प्रश्न लिया जाय तो दो भाषायें है, एक गढ़वाली और दूसरी कुमायूंनी। गढ़वाल का क्षेत्रफल ११,३४४ वर्ग मील है और उसकी आबादी १४,१३,६७७ है। इस प्रकार से इतना बड़ा एरिया है और छोटी सी पापुलेशन है। कुमायूं डिवीजन के अन्दर जिसमें अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी शामिल है, केवल १६ प्रतिनिधि हैं जबकि जैसा कि माननीय कृषि मंत्री ने कहा बस्ती से, देवरिया से या बलिया से, एक-एक जिले से उतने प्रतिनिधि आते हैं।

अगर विकास को लिया जाय तो मैं अपने जिले का उदाहरण देता हूं। १६४६ से लेकर आज तक, जब कि वहां आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं, सिर्फ १० मील सड़क बनी है। उसके अलावा सड़कों का कोई कार्य नहीं हुआ है। अन्य जिलों में रेलवे हैं, हवाई जहाज हैं, सड़कें भी हैं, उसके अलावा साइकिलें भी चलती हैं। लेकिन हमारे गढ़वाल

[श्री गंगाधर मैठाणी]

के अन्दर दस वर्षो के अन्दर सिर्फ दस मील सड़क बनती है। एक वर्ष मे एक मील सड़क बनायी जाती है। तो क्या इससे लोगों की भावनाएं खिलाफ नहीं होती हैं? मैं अपने जिले की बात कहता हूं, क्योंकि और जिलों का मुझे उतना अनुभव नहीं है। हमारे निकट में हिमाचल प्रदेश है। उसको पिछले दिनों में भारत सरकार ने साढ़े आठ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है जिसके कारण वहां सैकड़ों हजारों मील सड़कें बनी हैं। लेकिन हमें एक पैसा भी भारत सरकार से नहीं मिला। इसका दोष किसके ऊपर है? इस सरकार के ऊपर ही कहा जायगा। इस सरकार के दोष के कारण और वहां की गरीब जनता की आवाज न होने के कारण उसको कोई सहायता नहीं मिली। कल माननीय नरदेव शास्त्री जी ने कहा कि वे देहरादून से आये हैं। वहां ८० प्रतिशत सैकड़ा आबादी गढ़वालियों की है और उनकी मांग थी कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से मिला दिया जाय। हम अपने को हिमाचल प्रदेश से आगे समझते हैं, हमारी शिक्षा भी उनसे अधिक है। हमारी हिमांचल प्रदेश में जाने की भावना नहीं है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। इस प्रदेश मे बड़े-बड़े शहर हैं, और हमारा इससे सम्पर्क भी बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर लोग यह भावनाएं प्रदर्शित करते है तो इस सरकार को उधर ध्यान देना चाहिए। आज भी लोगों की यह भावनाएं नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश मे मिलें। लेकिन हम देखते हैं कि केन्द्र से हिमाचल प्रदेश को साढ़े आठ करोड़ की सब्सिडी मिली, लेकिन हमको एक पैसा नहीं दिया गया। उसका क्या कारण है? कहा गया है कि पेइंग कैपेसिटी आफ टैक्स के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहां गढ़वाल, यहां तक कि समस्त कुमायूं के अन्दर टैक्स की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो क्यों नहीं, सेंटर से सब्सिडी दी गयी? क्यों इस सरकार ने प्रयत्न नहीं किया? मैं तो कहता हूं कि इसके लिए एक अलग बोर्ड बना दिया जाय और उसके द्वारा उस हिस्से का विकास किया जाय। वहां की जो हालत है उसको कहने का यह विशेष अवसर नहीं है। प्रदेश के अन्दर जो लोगों की भावनायें हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने सहारनपुर के इलाकों मे भी और-और इलाकों में भी देखा, अगर इसको कहा जाय कि हम इसको दबा देंगे तो यह गलत काम होगा। जैसा अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं या जैसे आन्ध्र मे हुआ कि जब वहां पर ऊधम हुआ, तब जाकर कांग्रेस झुकी, तो वैसा ही अगर यहां भी सोच रहे हों तो यह एक गलत चीज होगी। इस आधार को जो कि चल रहा है, जैसी आज लोगों की भावनायें हैं, इसको लेना चाहिए और इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट में कहीं पर लिखा हुआ है कि पहाड़ आलवेज इज नाट बैकवर्ड? तो शायद पेप्सू, हिमांचल प्रदेश से आसाम तक कहीं पर शायद ऐसा हो सकता है। मुमकिन है नैनीताल का जिला बैकवर्ड न हो क्योंकि मार्शल बुलगानिन अभी नैनीताल के कालोनाइजेशन वाले इलाके को देखने गये हैं, इस तरह से कहा जा सकता है कि वह बैकवर्ड नहीं है लेकिन ऐसे इलाके बहुत ही कम हैं। मैं तो कहता हूं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उसकी केवल दो तहसीलों को छोड़कर बाकी उसका सारा हिस्सा उतना ही बैकवर्ड है जितना कि गढ़वाल और टेहरी का पूरा इलाका है। इसलिये यह देखने की आवश्यकता है कि यह जो भावना फैल चुकी है, इसका दोष किसके ऊपर है और उस दोष को हम तो देखते हैं कि वह सरकार के ऊपर है और उसके अनफेयर डिस्ट्रिब्यूशन के कारण है। अनफेयर डेवलपमेंट प्लान के कारण यह भावनायें उत्पन्न हुई है और होंगी। जब तक कि सुधार नहीं किया गया तब तक यह बढ़ती जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, कल से आज तक अनेक भाषणों के साथ-साथ मैंने मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री के भाषण सुने। कृषि

मंत्री का भाषण बहस मे रूखेपन को हटाने के लिए था इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। किन्तु मुख्य मंत्री के भाषण से मुझे सन्तोष नहीं मिला और वित्त मंत्री के भाषण से मुझे निराशा हुई। मुख्य मंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं और ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री होते हुए भी सब से बड़ा सूबा वह बनारस के आसपास ही देखना चाहते हैं। यदि यह बात न होती तो वह केवल रिहंड डैम के आस-पास के बघेलखंड के इलाके की ही मांग न करते अपितु माताटीला बांध के आसपास के इलाके की भी मांग भारत सरकार से करते। उन्होंने कहा कि मैं खनिजों की दृष्टि से बघेलखंड को चाहता हूं और इस दृष्टि से भी बघेलखंड को चाहता हूं कि वहां पर रिहंड डैम के लिए कुछ जरूरत जमीन की होगी। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि माताटीला के बांध के लिए जिसमें कि यह सरकार करोड़ों रुपये व्यय करने जा रही है उसके आसपास के इलाके की उत्तर प्रदेश को जरूरत क्यों नहीं है? मेरा तो विचार है कि मुख्य मंत्री जी ही नहीं उनके पड़ोस के दूसरे बनारस के मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहते हैं। अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि डेवलपमेंट की दृष्टि से पश्चिमी जिलों की कोई उपेक्षा नहीं की जा रही है और इसके लिए वह आंकड़े देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आंकड़े नहीं दिये। मैं आंकड़े न देना चाहता था और न आज देना चाहता हूं लेकिन मैं उनसे और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी जिलों की पिछले दिनों उपेक्षा नहीं की गई। मुझे इस सदन में वित्त मंत्री जी का वह भाषण याद है जब कि उन्होंने मरोड़ा डैम के सम्बन्ध में यह कहा था आज से कई वर्ष पहले कि जब मरोड़ा बांध बन जायगा तब गढ़वाल न केवल कश्मीर को मात करेगा अपितु स्विटज़रलैण्ड को भी मात करेगा। मैं उनसे पूछूं कि जब वह मंत्री थे बिजली के और नहरों के तब तो मरोड़ा बांध बनने की योजना थी, लेकिन अब वह योजना कहां चली गई? मेरा ख्याल है कि मरोड़ा बांध की योजना की उपेक्षा केवल इस कारण हो रही है कि प्रादेशिक सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछूं कि आज से पांच या छः साल पहले देहरादून जिले के डाकपाथर में लाखों रुपया व्यय करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आधारशिला रखवाकर डाकपाथर में बिजली घर को क्यों बन्द करवा दिया? और केवल इस बात से यहां की सरकार ने सन्तोष कर लिया कि हमने उस डाकपाथर के खाली बंगलों में टी० बी० का अस्पताल खोल दिया है। देहरादून जिले के श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा डाकपाथर के बिजलीघर के बजाय टी० बी० के अस्पताल से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उन जिलों के रहने वाले जो कि मरोड़ा से या डाकपाथर से बिजली पाने की आशा रखते थे उनसे तो पूछिये? क्या यह उपेक्षा की बात नहीं है?

मैंने इसी तरह से पिछले दो तीन वर्षों में मेरठ की यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया। आज शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं। उनको अपने तीन सौ या चार सौ लड़कों वाले २ कालिजों के लिये गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनाने की बात सूझ गयी, लेकिन मेरठ या देहरादून के डी० ए० वी० कालिजों की ओर जिनमें कि हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं और मेरा ख्याल है कि मेरठ कालिज में साइन्स के जितने विद्यार्थी हैं उतने शायद सारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, वहां यूनिवर्सिटी के लिये उनको प्रेरणा नहीं मिलती। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की जाती है? मेरा विश्वास है कि पश्चिमी जिलों की पिछले दिनों उपेक्षा की गयी है। इसके साथ ही मैं आप से यह भी कहता हूं कि ठीक है कि उपेक्षा हुई और आज भी होती है, लेकिन अब कुछ दिनों से एक दूसरी रागिनी सुनायी देती है। चकरौता के ठंडे पहाड़ों में पहुंच पर नियोजन मंत्री ने कहा है कि हम मेरठ में यूनिवर्सिटी बनायेंगे, लेकिन इधर अक्तूबर महीने में ही हमारे न्याय मंत्री ने यहां एक सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि चाहे स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश भले ही रही हो, लेकिन हम मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की इच्छा नहीं रखते।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

तो मैं यह कहता हूं कि यह उपेक्षा तो सदा से कायम है। किन्तु मेरा यह भी विश्वास है कि चाहे डेवलपमेंट हो या न हो, केवल डेवलपमेंट को प्रांत के विभाजन का आधार न बनाना चाहिये। प्रांत का विभाजन होना चाहिये भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के आधार पर। हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिले दिल्ली और अम्बाला के रीजन से मेल खाते हैं। इस प्रदेश का रहने वाला एक-एक व्यक्ति हिन्दी की बात करता है और हमारे मुख्य मंत्री ने भी कल बहुत सी बातें इस बारे में कहीं और यह कहा था कि हिन्दी भाषा का एक प्रदेश क्यों न बने? लेकिन मुझे दुख यह है कि हिन्दी प्रदेश की वह ६०-७० लाख जनता जो यमुना के पार रहती है और जिसको अम्बाला डिवीजन में रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है उसको इस प्रदेश के निवासी हमेशा के लिये भूल जाते हैं। हममें से किसको पता है कि मथुरा की सरहद का एक-एक गांव आज पंजाबी पढ़ता है चाहे वह ब्रज भाषा घर में बोलता है? यही क्यों, गुड़गांव, रोहतक, करनाल और अम्बाला जिलों की रहने वाली जनता जहां कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ससुराल है और ठाकुर फूल सिंह का घर है, वहां के लोग हिन्दी बोलते हैं घर में, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि पंजाब के साथ नत्थी हैं इसलिये उनको पंजाबी और गुरमुखी में पढ़ने के लिये लाचार होना पड़ता है। तो मैं क्या पूछ सकता हूं अपने मुख्य मंत्री से कि क्या वह इलाके इसी प्रकार हमसे जुदा बने रहें? यदि आप उनको हिन्दी से हटाकर पंजाबी के घर में नहीं सौंपना चाहते हैं और यदि चाहते हैं कि हिन्दी के वह बने रहें तो उन प्रदेशों का दिल्ली और अम्बाला डिवीजन का, भी आपको इलाज निकालना होगा। और वह इलाज दो तरह से निकल सकता है। एक इलाज तो यह है कि उत्तर प्रदेश और बड़ा हो जाय और वह जिले इसी में शामिल हो जायं किन्तु अगर वह मंत्री जोकि आज भी यमुना से पार के इलाके को अपना नहीं गिनते, अगर उसको अपने में शामिल करने में संकोच करते हों तो दूसरा इलाज वही है जो हम कहते हैं कि इस प्रदेश के कुछ जिले इसमें से काट कर और अम्बाला और दिल्ली में मिलाकर एक नये प्रदेश की रचना करें। इतिहास ने बतलाया है कि सन् १८५७ तक अवध और आगरा जुदा थे। और यह भी हमसे कहा जाता है कि प्रदेश के रुपये से गंगा की नहर बनी थी, उस कर्जे को पहले उतारो तो आगे बात करें। अवध वाले सोचें कि जब वे सन् १८५७ तक इस सूबे में थे ही नहीं और गंगा की नहर १८४८ में बन गयी थी तो उनको यह कहने का क्या हक है कि उस नहर के कर्जे को पहले उतारो तो अगली बात हम करेंगे? जो फायदा हुआ उससे उसको तो मैं इसलिये नहीं कहता हूं क्योंकि उसको तो अवध वालों ने हिस्से में डाल लिया है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कमीशन ने यह कहा है कि दिल्ली में प्रजातंत्र सरकार नहीं रहनी चाहिये और वहां पर केवल कार्पोरेशन बन जाना चाहिये। मैंने दुनिया की थोड़ी सी तवारीख पढ़ी है। मैंने यह पहला इतिहास का पन्ना देखा है कि किसी इलाके को आप जनतंत्र सौंप दीजिये, उसको असेम्बली दीजिये और फिर बिना किसी कसूर के उससे छीन लीजिये इसलिये कि पास-पड़ोस वाले प्रदेशों की इच्छायें पूरी हो सकें। मैं पूछता हूं कि जब दिल्ली प्रदेश को विधान सभा आपने दे दी तो फिर उसे छीनने का आपके पास क्या आधार है? लोग कहते हैं कि दुनिया की और राजधानियों में भी ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अव्वल तो दो प्रकार के देश हैं, एक तो वे जिनमें एक ही भाषा और एक ही जाति वास करती है, जैसे कि इंग्लैन्ड और फ्रांस। उनकी राजधानियों के प्रतिनिधि वहां की पार्लियामेंट्स में जाते हैं। एक दूसरे तरह के देश जोकि फेडरल कहलाते हैं, उनकी राजधानियों में यह सवाल जरूर उठता है कि उन राजधानियों को जनतांत्रिक शासन का आनन्द मिले या न मिले। कहा जाता है कि वाशिंगटन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, वह इसलिये प्राप्त नहीं है कि जो १३ रियासतें अमरीका की स्थापना के समय बनी थीं उनके पास राजधानी कोई नहीं थी। उनको बाद में राजधानी बनानी पड़ी और उन्होंने राजधानी को इस सुख से वंचित रखा। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया की छहों रियासतों ने बहुत दिनों के बाद सोच कर इसी सदी में अभी हाल में कैनबरा की स्थापना की और यह फैसला किया कि वहां के चन्द हजार आदमियों को हम वोट

का अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन आज मुख्य मंत्री जिन महाशय का स्वागत करने के लिये तराई में गये हैं, मार्शल बुलगानिन का, उनके देश मे क्या है ? मास्को सारे सोवियट यूनियन की भी राजधानी है और रशिया नाम की रिपब्लिक की भी राजधानी है। यानी रशिया नाम के राज्य की भी राजधानी है और सोवियट यूनियन की भी राजधानी है। रशिया की रिपब्लिक बाल्टिक से शुरू होती है और पूर्व में पैसिफिक सागर में जाकर समाप्त होती है। मास्को दोनों की राजधानी है और दोनों की असेम्बलियों मे अपने प्रतिनिधि भेजती है। तो फिर दिल्ली को यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये ? हां, यह हम कह सकते है कि दिल्ली छोटा है इसलिये उसको बड़ा बनाया जाय जैसे कि मास्को के चारों ओर के प्रदेश को रशिया में बनाया गया है। तो फिर दिल्ली नाम हो, आगरा नाम हो या और कोई नाम हो, एक पश्चिमी प्रदेश की स्थापना आवश्यक हो सकती है। उसमें दिल्ली हो, अम्बाला कमिश्नरी हो और इस प्रदेश के पश्चिमी जिले हों। इन जिलों को मिलाकर हम एक नये हिन्दी राज्य की स्थापना करते हैं।

मैं, श्रीमन्, आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने इतिहास की दृष्टि से बतलाया कि सन् १८५७ तक अम्बाला डिवीजन और दिल्ली इस राज्य में रहे थे। भूगोल की दृष्टि से आप देखिये तो अम्बाला डिवीजन वर्तमान पंजाब मे ताल्लुक नहीं रखता। हमारे पिछले मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि राम और कृष्ण की जन्मभूमि इकट्ठी रहनी चाहिये। मैं उसे स्वीकर करता हूं। लेकिन कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को पानी अगर मिलेगा तो राम की जन्मभूमि सरयू से नहीं मिलेगा, वह मिलेगा गंगा या भाखरा की नहरों से जो कि अम्बाला डिवीजन के उस सिरे पर विद्यमान है जो कि हिन्दी बोलता है। भाखरा के चारों तरफ हिन्दी भाषा बोली जाती है। आप जबरदस्ती इसको पंजाबी गिनते हैं। आप अम्बाला को अपनी ओर लीजिये और उससे आने वाले सिंचाई के साधनों से मथुरा और आगरा को हरा भरा कीजिये। यह नहीं हो सकता है कि रामचन्द्र जी की सरयू मथुरा को हरा भरा कर दे, वह प्रकृति के विरुद्ध चीज है। आपको प्रकृति के अनुसार करना होगा तभी आप सफल हो सकेंगे और आगरा हरा भरा होगा और मथुरा भी हरा भरा होगा, अम्बाला में हिन्दी भाषा पनपेगी, दिल्ली में हिन्दी पनपेगी और ये दोनों पश्चिमी जिलों के साथ-साथ इस नये राज्य का निर्माण करेंगे जो न अपने आप में सेल्फ सफीशियेंट होगा बल्कि सेंटर द्वारा अगर रुपया ज्यादा होता है तो पूर्वी प्रदेश को जिसे कंगला कहा जाता है, मदद दे सकेगा।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय ! मै मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव इस सूबे के रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में सदन में प्रस्तुत किया है, उसको सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे अफसोस है कि मेरे बहुत से पश्चिमी जिलों के दोस्त जिनकी तमन्ना मुझसे होगी कि मैं भी उनके साथ सूबे के बंटवारे के समर्थन में अपने विचार प्रगट करूं तो उनको थोड़ी सी नाउम्मीदी होगी। मै चाहता हूं कि वह मुझे माफ करें।

इस सूबे के बंटवारे के लिये हमें कई दृष्टिकोण से सोचना होगा। एक ही बात मुख्यतः बहुत से लोगों ने कही है और जिसका ताल्लुक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से है, और इसी बात को लेकर हम गम्भीर नतीजे को सोचने लगें कि सूबा दो हिस्सों में तकसीम हो जाना चाहिये तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है। जहां तक इस सूबे के पुनस्संगठन का ताल्लुक है, जैसा कि दूसरे दोस्तों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया उसका ताल्लुक भाषा और सभ्यता से जरूर है और अगर उसको लेकर कसौटी पर कसें तो कहीं भी तत्व नजर नहीं आता है कि सूबे को तकसीम कर दिया जाय। अब सवाल यह रहता है कि दूसरे सूबों के कुछ हिस्सों को मिला दिया जाय। अगर जरूरत है मिलाने की जैसा कि शास्त्री जी ने फरमाया तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मिल सकते हैं। अम्बाला डिवीजन की बात कही वह मिलाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूब सिंह]

जा सकता है। लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा मिलाने के लिये सूबे को दो हिस्सो में तकसीम करना पड़ जाय तो इससे ज्यादा दोषपूर्ण विचार दूसरा नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि आप देखे कि इसको ज्योग्राफिकली भी सोचना चाहिये। अगर हम सोचें कि आपके सूबे का बटवारा होना चाहिये या नहीं तो मेरा ख्याल यह है कि यह मुनासिब नहीं है। हमारे पानी के बांटने वाले जो ऊंचे स्थान हे वह सहारनपुर के पश्चिम मे है, वह हमीरपुर बांदा के करीब है। दक्षिण में जिसे विन्ध्याचल की शाखा कहा जाता है, वह मथुरा के करीब है, एक तरफ हिमालय है। सब दरियाओं का बहाव ऊपर से पूरब की ओर चला जाता है और दक्षिण का उत्तर की तरफ आता है। अगर ज्योग्राफिकली भी देखे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर बाढ़ के सिलसिले मे कुछ काम हो सकता है तो उसके लिये जो पानी के विभाजन के ऊंचे स्थान है, उसके लिये सूबे को एक ही रखना होगा तभी हम बाढ़ पीड़ितो की बला को टाल सकेंगे। इस तरह से आप सोचे कि जितना सूबा इस समय हमारे पास है वह ऐसा ही रहना चाहिये और उसके दो हिस्से कर देना मेरे ख्याल मे मुनासिब नहीं है।

एक बात म कहना चाहता हूं पश्चिम के साथियों से जो चाहते हे कि सूबे का बंटवारा हो जाय। सूबे की बटवारे की जो योजना और जो नकशा उन्होंने पेश किया हे इस भवन के सामने और इसके बाहर भी, उसमें कहीं भी इस सूबे के उत्तर मे जो बड़ा वन का प्रदेश है उसका कोई जिला भी, कोई हिस्सा भी शामिल नहीं किया गया है। सूबे के पश्चिमी जिलों के रहने वालों से बगैर पूछे-गछे इतने बड़े रिसोर्सेज से उनको वंचित कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। वन के जो रिसोर्सेज हे वह बहुत बड़े ह और उनसे सूबे की खुशहाली पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मै नहीं चाहता कि जो हिस्सा इस सूबे से निकाला जाय उसको उस वन से अलग कर दिया जाय। वहां केवल लकड़ी का ही फायदा नहीं है बल्कि बहुत सी इंडस्ट्रीज वहां चल रही है और कितनी ही इंडस्ट्रीज चल सकती है जिनका कि अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, केवल उम्मीद की जा सकती है।

एक बात और मै अर्ज करना चाहता हूं। कुछ लोगों का दृष्टिकोण यह भी है कि चूंकि पूर्व के कुछ जिले हमेशा डेफिसिट एरियाज रहते है और वहां पैदावार बहुत कम होती है, आबादी वहां ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा आती है इसलिये उनका ख्याल है कि उनकी वजह से पश्चिम के जिलों की माली हालत पर फर्क पड़ता है। उनके काम मे कुछ कमी आती है। यह बात है और सही है। इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह हमारा एक बड़ा खान्दान है? एक बड़ा घर है और मुख्तलिफ किस्म के भाई हमारे यहां रहते हैं। कुछ की माली हालत अच्छी है और कुछ की खराब है। तो जिनकी हालत कुछ खराब है उनकी हालत हम अच्छी न बनायें, जो पीड़ित है अकाल से, बाढ़ से, उनकी तरफ हम ध्यान न दें और खुदगर्जी को आधार मान कर एक नया तरीका निकालें और हम उनसे अलग हो जायं, यह मेरे ख्याल से इंसानियत के नुक्ते निगाह से कोई उम्दा पालिसी नहीं है। मै समझता हूं कि यह विचार भी थोड़े अर्से के बाद अच्छा साबित नहीं होगा। यह बात जरूर है कि वहां कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत है लेकिन वहां दो-तीन इंडस्ट्रीज ऐसी डेवलप हो चुकी है कि जिनसे इस सूबे को बहुत बड़ी आमदनी होने वाली है। मिसाल के लिये सीमेंट की फैक्टरी और रिहन्द डैम का मै खासतौर पर जिक्र करता हूं। एक दो और भी होने वाली है। तो जिन चीजों मे हम आज पैसा खर्च कर रहे हे, भले ही वह पश्चिम मे खर्च न हो रहा हो और वह पूर्व में ही खर्च हो रहा हो लेकिन उनसे बहुत जल्द ही काफी पैसा वापस आने की उम्मीद है और उनसे इतना पैसा आयेगा सीमेंट फैक्टरी और रिहन्द डैम से, कि जितना हम आज पूर्व वालों पर खर्च कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पसा हमें वापस मिल जायगा। लखनऊ में सारे सूबे का पैसा जमा होता है चारों तरफ से आकर यहां एक पूल हो जाता है और फिर वह किस तरह से सारे सूबे में जाकर खर्च होता है? उस पैसे की बारिश सारे सूबे में होती है। यहां से बादल उठते है और सारे सूबे पर जा

बरसते हैं। अगर यह मान लें कि आज कुछ ज्यादा बादल पूर्व की तरफ चले जाते हैं तो यह बात कुछ ज्यादा टिकने वाली नहीं है। जब पूर्व से ज्यादा पैसा आने लगेगा तो फिर यह बात नहीं रहगी जो कि आज है। यह डेफिसिट एरियाज, देने वाले एरियाज में शामिल हो जायेंगे। अब रही बात यह कि रिहन्द डैम वहां क्यों बना दिया? यह तो वहीं बनेगा जहां उसकी सिचुयेशन होगी। सीमेंट की फैक्टरी अगर कोई चाहे कि बिजनौर में बनाई जाय तो वह नहीं बन सकती। तो इस नुक्ते निगाह से मैं कहता हूं कि चन्द रोज में हम अपने सारे नेचुरल रिसोंसेज को डेवलप कर लेंगे और तब यह बात नहीं रह जायगी। तो अगर हम खुदगर्जी को छोड़ कर इस बात को देखें और समझें कि जल्दी ही यह सारा सूबा खुशहाल होने वाला है तो मैं समझता हूं कि पश्चिम वाले इस कलंक की बात को अपने ऊपर लेने के लिये तैयार न होंगे।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मैं समझता हूं कि जो चीज विचार करने की है वह यह है कि यह सूबा काफी बड़ा है और इसकी बाउन्डरी दूसरे कई सूबों से मिलती है। मध्यभारत से मिली हुई है और बिहार से मिली हुई है लेकिन यह जो नैपाल है यह तो फारेन देश है जैसा कि हमने माना है। तो एक ऐसा सूबा जिसकी बाउन्डरी फारेन कन्ट्री से मिली हुई है वह सूबा ताकतवर होना चाहिये। वह बड़ा सूबा रहना चाहिये मैं यह कह सकता हूं कि चाहे इस सूबे में और किसी सूबे का थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल किया जाय तो कोई शिकायत नहीं है। अगर बुन्देलखंड का हिस्सा इसमें आ जाय तो ठीक है लेकिन इन हिस्सों को मिलाने के लिये इस सूबे के दो टुकड़े कर दिये जायं यह बिल्कुल गलत होगा हमारी स्टेट को ताकतवर होना चाहिये। इसके दो टुकड़े करने से यह कमजोर स्टेट हो जायगी। फिर कमजोर स्टेट होने के जो नतीजे होते हैं वह सब बरदाश्त करने पड़ेंगे। एक बात यह कही गयी कि हमको प्रबन्ध के नुक्ते से भी इसको देखना चाहिये कि हमको बड़ी स्टेट रखने में फायदा है या छोटी स्टेट रखने में फायदा है। मैं यह मान सकता हूं कि मुमकिन है किसी वजह से किसी-किसी जगह पर कुछ कमजोर प्रबन्ध हो या किसी समय यह कहा जा सके कि वहां पर किसी जिले का दौरा कम किया गया। मुमकिन है यह बात हो मैं इसको मान सकता हूं लेकिन प्रबन्ध की बात ऐसी है कि अगर यह तय किया जाय कि प्रबन्ध अच्छा करना है तो फिर प्रबन्ध अच्छा हो जायगा और अगर नहीं चाहते हैं तो जितना अच्छा है वह भी नहीं रहेगा। लेकिन बड़ी स्टेट का नहीं हो सकता है और छोटी स्टेट का अच्छा प्रबन्ध हो सकता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं क्योंकि जितनी छोटी स्टेट हिन्दुस्तान में हैं, उनके प्रबन्ध से इस सूबे के प्रबन्ध को मिला कर देखा जा सकता है। छोटी स्टेट का प्रबन्ध अच्छा नहीं होता बल्कि और खराब होता है, यह तजुर्बे ने बतलाया है उसका बहुत बड़ा कारण है। छोटी स्टेट से अच्छे आदमी का निकलना मुश्किल है क्योंकि उसका एरिया थोड़ा होता है इसलिये वहां से उम्दा आदमी नहीं मिलते हैं लेकिन बड़े एरिया से और बड़ी स्टेट में कहीं न कहीं से उम्दा आदमी निकल आयेंगे, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो वहां से ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये अच्छे आदमी मिल जायेंगे। इसलिये बड़ी स्टेट का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है।

एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर प्रबन्ध को सुधारने का सवाल है तो जिसको सुधार लेंगे, किसी सूबे के बंटवारे से वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता है। उतना बड़ा हमारा सूबा है और पणिक्कर साहब ने जो बातें अपनी रिपोर्ट में कहीं है मिलजुमला उन बातों के यह भी कहा है कि यू० पी० इतना बड़ा सूबा है जिसका असर मरकज पर पड़ता है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह बात उन्होंने कही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जो प्रतिनिधि हैं, वह स्टेट बेसिस पर नहीं हैं। वहां पर तो सब लोगों की राय का हक है, जो लोग वहां पर आते हैं चाहे वह बड़े हिस्से से आते हों या छोटे सूबे से आते हों, कम जाते हों या ज्यादा जाते हों लेकिन उनके सामने तो सारे भारतवर्ष का नक्शा रहता है चाहे वह किसी पार्टी के हों। वहां पर वही मामले तय होते हैं जो कि पार्टी मीटिंग में तय हो जाते हैं, वही बातें मरकज में तय हो जाती हैं। फिर यह सवाल कहां से आता है कि यह सूबा बड़ा है और यहां से ज्यादा प्रतिनिधि जाते हैं? यह बात इस दृष्टिकोण से जरूर है कि जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से

[श्री खूब सिंह]

हमारा रिप्रेज़ेन्टेशन वहां पर नहीं मिला हुआ है। हमें उससे कम मिला हुआ है। हमको पार्लियामेंट में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। वहां पर हमको कम मिला हुआ है। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि हमारा सूबा जो देहरादून से बलिया तक फैला हुआ है और झांसी से लेकर गढ़वाल तक फैला हुआ है, इसकी एकता के किसी प्रकार से भी दो टुकड़े करने का कोई मौका नहीं है। अगर बटवारे पर आप जनमत लें तो अपने बिजनौर जिले की बात मैं कह सकता हूं कि वह इसको नहीं चाहेगा। रावत साहब ने कहा था कि गोरखपुर के दो हिस्से कर दिये तो सूबा भी तकसीम होना चाहिये। इस उसूल को मान लिया जाय तो हिन्दुस्तान के और कई टुकड़े हो जावेंगे। हमने उसके दो हिस्से जिले के प्रबन्ध के लिहाज से किये, लेकिन सूबे का प्रबन्ध तो एक है। यह कोई दलील नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं दो शब्द प्रस्ताव के पक्ष में कह सकूं।

प्रान्तों के पुनर्निर्माण की योजना आज की नहीं है। सबसे पहले लार्ड कर्जन ने १९०३ में इस योजना को चलाया था। उसके बाद फिर १९१८ में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से इस प्रकार की योजना आई। सन ३६ में बाउन्डरी कमीशन ने इस बात की कोशिश की। उस समय केवल सिन्ध और उड़ीसा के दो प्रान्त बन सके। सन् १९५१ में जब नया विधान आया तो प्रदेशों के बटवारे की समस्या आई। आन्ध्र में भी इस प्रकार का प्रश्न आया और दक्षिण भारत में तूफान आया। कांग्रेस ने भाषा और राज्य प्रबन्ध के हिसाब से प्रान्त बनाये थे लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के बारे में कभी नहीं सोचा था कि इसके टुकड़े किये जावें। हमारे प्रदेश की भाषा, लिबास, संस्कृति और रहन-सहन एक-सा है।

यह कहा गया कि पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों का पालन-पोषण होता है। मानवता का तकाजा है और मैं उस बात की याद दिलाना चाहता हूं, जहां से इसकी बुनियाद पड़ी। कहा गया कि पश्चिम के ९७ एम० एल० एज० ने दस्तख्त करके इस प्रकार की बटवारे की रिपोर्ट कमीशन के पास भेजी। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन और व्यावहारिक दृष्टि से हमारा फर्ज था कि जिन लोगों ने दस्तखत करके कमीशन के पास भेजा. . . .

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि पार्टी की बातें यहां न कही जावें तो अच्छा होगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ——मानवता की दृष्टि से अगर हम पिछड़े हुये पूर्वी जिलों की सहायता न करें तो यह भी कहा जा सकता है कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनकी भी सहायता नहीं करनी चाहिये। श्री खूबसिंह जी ने इन्डस्ट्री और बिजली के डेवलपमेंट के बारे में कहा मैं उनका समर्थन करता हूं। पश्चिमी जिलों के लोग सोचते हैं कि उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी है, लेकिन थोड़े दिन बाद यह स्थिति आ सकती है कि पूरब के जिले ही पश्चिमी जिलों की मदद करें। हमको एक कुटुम्ब के नाते अपने लाभ और हानि को सोचकर चलना चाहिये। श्री दीनदयालु शास्त्री जी ने अम्बाला जिले के बारे में कहा। मैं हाथरस और अलीगढ़ के इलाके का रहने वाला हूं। हमसे पंजाब मिलता है और बृजभाषा बोली जाती है। अम्बाले में हिन्दी जरूर बोली जाती है, लेकिन उसमें उर्दू और पंजाबी के शब्द अधिक होते हैं। अम्बाला को मिलाने से कोई नुकसान नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अपने प्रदेश में कोई मिनरल्स नहीं हैं और दक्षिण में रीवां का जिला अगर मिला लिया जाय तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। वहां के लोग भी हमारे प्रदेश में मिलना चाहते हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। पहले भी रीवां उत्तर प्रदेश में शामिल था। दतिया मिलाने के लिए भी इस प्रकार की चर्चा चल रही है। उसे भी मिलाने में कोई हानि नहीं है। दो-चार और छोटे-मोटे इलाके इसमें आ जावें तो कोई हर्ज नहीं है। हमें यह सोचकर चलना चाहिये कि उत्तर प्रदेश सम्पन्न हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कल से यह बहस चल रही है और उन सज्जनों के भाषण सुनने का मुझे मौका मिला, जिन्होंने विभाजन के पक्ष में कहा। मैं उस जिले से आ रहा हूं जो कि न पश्चिम में है और न पूरब में कहा जा सकता है। कुछ और ध्यान दिया जाय तो वह पूरब में ही शामिल किया जा सकेगा। इसलिये जो कुछ मैं कहूं उसके मानी यह होंगे कि मैं पूरब के जिलों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के इतिहास में हम देखेंगे कि स्वराज्य प्राप्ति की लड़ाई के द्वारा हम इस भवन में आये हैं। सन् १८५७ के संग्राम में यह प्रेरणा हमारे अन्दर आई कि हम स्वराज्य प्राप्त करें और यहां आकर जनता की सेवा करें। यदि आप गौर से ध्यान दें तो आपको यह भी मालूम होगा कि १८५७ में जो स्वतंत्रता का युद्ध हुआ उसकी पहली चिनगारी मेरठ में हुई और पूर्व के लोगों ने उस चिनगारी से प्रेरणा ली और बाद में चलकर जो स्वतन्त्रता का संग्राम हुआ उसमें भी भाग लिया। कभी वह इस भावना से नहीं लिया कि पश्चिमी हिस्सा उनसे अलग हो जाय, बल्कि इस भावना से लिया कि सारा ही हमारा प्रान्त है। उसके बाद कभी भी यहां पर पूर्व, पश्चिम या मध्य की बात नहीं आयी, हमेशा यही भावना रही कि हमारा जो प्रान्त है, वह एक विशाल प्रान्त है, उसकी परम्पराए भी विशाल हैं। जब हमारी हमेशा से ये परम्परायें रही हैं, जब हमेशा से हम इसी भावना से कार्य करते चले आ रहे हैं तो फिर आज यह कौन सी बात हो गयी कि हम अपने में ही अलग हो जाने और छिन्न-भिन्न हो जाने की बात सोचते हैं।

जब हमें सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और स्वतन्त्रता के बाद हमने अपनी भावनाओं के भारत को देखा, फिर हमने यहां भी देखा कि अब हमको अवसर मिला है जब कि हम इस प्रान्त को पूरी शक्ति लगा कर जहां तक हो सके आगे ले जायं। उस समय हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि यह सहारनपुर का जिला है, यह बलिया का जिला है, या झांसी है अथवा यह पूर्व और पश्चिम है। हमने जब कभी इस भवन में किसी बात पर विचार किया, जब कभी अपनी प्रगति के सम्बन्ध में हमने विचार किया तब हमने हमेशा इस भावना से सोचा कि हमें संपूर्ण प्रदेश को आगे ले चलना है। फिर एक ऐसा काल भी आया जब कि सरकार की ओर से ज्यादा रुपया पूर्वी जिलों पर खर्च किया गया और उससे पश्चिमी भाइयों के हृदय में यह भावना पैदा हो गयी कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसी कारण वे सोचने लगे कि हम अलग हो जायं। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ दूसरी ही बात मालूम होती है। आप हमारे बड़े भाई हैं और हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमारा हाथ पकड़ कर हमको ऊपर उठायें और आगे अपने साथ-साथ ले चलें, ताकि हम भी आपके बराबर हो जायं और उसी तरह से हम भी फूलें-फलें जिस प्रकार आप फूलते-फलते हैं।

दूसरी ओर अगर आप इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो आपको मालूम होगा कि अवध के किसानों पर १८५७ के बाद कितनी मुसीबतें आयीं। यदि आप आगरा रेंट ऐक्ट और अवध रेंट ऐक्ट को देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि उस कानून के तहत अवध के किसानों पर जो मुसीबतें आयी थीं, उसके मुकाबले में आगरा के किसानों पर बहुत कम मुसीबतें आयीं। लेकिन आज हम और वह सब एक साथ बैठकर एक ही बात पर विचार करके अपने को ऊपर उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम सब मिल कर अपने प्रदेश को आगे ले चलें।

पणिक्कर साहब ने भाषा के सम्बन्ध में कहा, उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा प्रान्त हमेशा से ऐसा था और है कि जब हैदराबाद में, तैलंगाना में भयंकर झगड़ा हो रहा था तो यहां की पुलिस ने वहां जाकर उसको शांत किया। नेपाल के बोर्डर पर जब एक आपत्ति आयी

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

थी तो उस वक्त हमारे प्रान्त की पुलिस ने और सरकार के अन्य डिपार्टमेंट के लोग थे, जिन्होंने वहां जाकर उसे शान्त किया और हमको शक्ति दी तथा केन्द्रीय सरकार को भी शक्ति दी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रान्त के ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर देखा जाय तो हमारे यहां के आफिशियल्स के सम्बन्ध में जो सेक्रेटेरियट में ऊंचे पदों पर हैं तथा जिलों में ऊंचे पदों पर हैं, उनके सम्बन्ध में कोई नहीं कह सकता कि और प्रान्त के अफसरों के मुकाबले उनकी योग्यता कम है, बल्कि हमेशा यह कहा जा सकता है और कहा गया है कि हमारे प्रान्त के जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं वे अन्य प्रान्तों के मुकाबले में बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा तो यह सौभाग्य है कि हम इतने विशाल प्रान्त का कार्य आज कर रहे हैं। छोटे-छोटे दायरे में रह कर हम उतनी प्रगति नहीं कर सकते हैं, जितनी कि बड़े दायरे में रह कर। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको संकुचित भावना नहीं रखनी चाहिये, बल्कि विशाल हृदय करके हमको आगे बढ़ना चाहिये।

भाषा के सम्बन्ध में भी इस भवन में बातें की गयीं हैं। भाषा का मतलब उससे नहीं है जो कि गांवों में बोली जाती हैं। अगर इस तरह से देखा जाय तो भाषा के सम्बन्ध में कहा गया है और यह कहावत भी है कि बारह-बारह कोस पर भाषा बदलती है। अभी हम लोग जब सहारनपुर कैम्प में गये थे तो देखा कि वहां वही भाषा बोली जाती है जो बलिया, बनारस और इधर गोरखपुर व बस्ती में बोली जाती है, इसमें कोई अन्तर नहीं है। संस्कृति की बात जो कही गयी है कि हमारी संस्कृति में विभिन्नता है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि महज इस प्रान्त में ही नहीं, बल्कि अगर देखें तो महाराष्ट्र और मद्रास में भी बहुत सी बातें आपको दिखलायी पड़ेंगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में दिखलायी पड़ती हैं। हमारी संस्कृति बहुत विशाल है। अगर इसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें तो दूसरे प्रान्तों में भी हमारी एक ही संस्कृति दिखलाई पड़ेगी, जिसको कि हम यहां देख रहे हैं। क्या यह साधारण गौरव की बात है कि हम इस बात को आज कहते हैं कि हमारे प्रान्त में इतने बड़े-बड़े शहर हैं, बड़े अच्छे-अच्छे और रम्य स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं? आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस प्रान्त में मथुरा है, काशी है, प्रयाग है, अयोध्या है, हरद्वार है और उसके साथ यह भी कह सकते हैं कि हमारे इस प्रान्त में बदरीनाथ भी है। जब इस प्रान्त का विभाजन हो जायगा तो फिर हम इस बात को कैसे कह सकेंगे? आप इस तरह से हमको उनसे वंचित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस गौरव से हटें? मैं यह समझता हूं कि हमारे पश्चिमी जिलों के भाई देहली वालों से प्रभावित हो गये। न मालूम वे क्या सोचते हैं कि यदि वे देहली में मिल जायं तो उनका स्तर केन्द्रीय सरकार का स्तर हो जायगा या क्या हो जायगा मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं यह समझता हूं कि बहुत लालच में न आइये, लालच का नतीजा बड़ा बुरा होता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने और आपने यह संकल्प किया है कि हम इस प्रान्त को हरा-भरा देखना चाहते हैं और इसी तरह का हम कार्य कर भी रहे हैं। अगर हमारे किसी कार्य में त्रुटि हो तो हमें उससे सजग हो जाना चाहिये। इसके लिये विभाजन करने से कोई प्रगति नहीं हो जायगी। अगर हम ज्यादा कार्य करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि ज्यादा तरक्की हो तो हमारा कर्तव्य है कि जिस कार्य को हमने अपनाया है, उसको दिलेरी के साथ लेकर चलें और छोटी-छोटी बातों में न पड़कर अपने कार्य को पूरा करें। हमारा विश्वास है कि यहां पर जो बहस हुई है, जो बहुत से सज्जनों ने इसके पक्ष और विपक्ष में कहा है, लेकिन जिन्होंने विभाजन के पक्ष में कहा है वह भी अनुभव करेंगे कि उनकी जो यह भावना है वह उचित नहीं है और जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा था उसका यह भी हृदय से समर्थन करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)——अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में यह आया कि मैं किधर की हूं तो मुझे दिखाई दिया कि मेरा जिला बीच का है, वह न पूरब में है न पश्चिम में, बीच की हालत ऐसी होती है कि वह रस्साकशी में न इधर के रहते हैं न उधर के.....

श्री अध्यक्ष——वह कभी-कभी बीच-बचाव कर सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी——बीच ऐसा होता है कि वह बीच में बैलेन्सिंग करने की कोशिश करता है। तो मुझे यह कहने में आज हर्ष होता है कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण इस राय के हैं कि हमारे घर का बटवारा न हो और कुछ थोड़े से भाई ऐसा चाहते हैं कि बटवारा कर लें, लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह बटवारा कहीं का भी हो अच्छा नहीं होता और वह सुनने में भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। हमारा घर जितना ही विस्तृत और लम्बा चौड़ा होगा उसमें उतनी ही सुन्दरता होगी, वह उतना ही फले फूलेगा और उतनी ही उसमें सुविधा प्राप्त होगी और उसकी ताकत बढ़ेगी। इसलिये मैं अपने उन भाइयों से अवश्य निवेदन करूंगी कि उनके मन में जो ख्याल है कि अलग हो कर वह बहुत बड़े सम्पन्न और समृद्धिशाली बन जायेंगे, कुछ भाग को छोड़कर वह बड़े समृद्धिशाली बन सकेंगे, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। यहां ६ करोड़ की आबादी है, ज्यादा आदमी हैं और ज्यादा तरह की भूमि है और उसी हिसाब से आज हमारी शक्ति भी उतनी ही अधिक है, उतनी हम और अधिक उन्नति कर सकेंगे। अगर भारतमाता का बटवारा होकर पाकिस्तान न बना होता तो देश की शक्ति और भी अधिक होती। अलग होने से पूर्वी जिलों की हालत बिगड़ जायगी और इस कारण से मैं समझती हूं कि वह भाई इस पर भी फिर से विचार करेंगे। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी हमने आवाज सुनी थी कि एक नया राज्य बनेगा और गूजर, राजपूत और जाट आदि लोगों ने संगठन किया था कि अलग राज्य बनावें. लेकिन अब हमारे यहां जातिवाद बहुत कम हो गया है और फिरकापरस्ती के आधार पर कोई भी सूबा बनना खतरनाक हो सकता है। हमारे प्रदेश का हित इसी में है, उसकी शोभा इसी में है कि प्रदेश एक में रहे। हमने लाबी में कई तरह के नकशे देखे, पणिक्कर जी की स्कीम का नकशा देखा, श्रीचन्द्र जी का नकशा देखा और राजा वीरेंद्रशाह का भी नकशा देखा और मुझे वही राजा साहब का नकशा सब से अच्छा लगा, वही सबसे बेहतर और सुन्दर है। मेरा निवेदन है कि वही नकशा सब से उत्तम है और उसी को हमें मानना चाहिये, क्योंकि देश तभी समृद्ध हो सकता है जब हर तरह की सुविधा उसमें हो। अगर राम और कृष्ण की भूमि बांटी गई तो हमारी आधी संस्कृति खत्म हो जाती है और सुविधायें भी जो आज हैं खत्म हो जाती हैं और जो शोभा है, महत्ता है और जो सरकार की बड़ी भारी शक्ति है, जिसके कारण से आज हमारा मस्तक ऊंचा है वह आधी खत्म हो जाती है। इसलिये राज्य का खण्डन किसी भी प्रकार से न होना चाहिये। इसलिये मैं तो अपनी तरफ से यह कहूंगी कि प्रदेश का बटवारा हम लोगों को किसी तरह से भी मंजूर नहीं हो सकता है।

यह भी सुनते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी जिलों में जो खर्चा होता है उसमें काफी फर्क है, उसी से यह किया जा रहा है कि प्रदेश का बटवारा कर दिया जाय। तो मैं तो यह कहती हूं कि आप भ्रम में न पड़ें और यह कि पूर्वी जिलों ने पश्चिमी का हिस्सा कुछ ले लिया तो वह भी आपके भाई हैं। उन्होंने अगर एक रोटी आपकी ज्यादा खा ली और तुम्हारा हिस्सा कुछ कम हो गया तो इसमें परेशान होना तो एक बहुत छोटी सी बात है। हमें सोचना चाहिये कि हमारा पूर्व तथा पश्चिम सब एक-सा समृद्ध हो, सब एक से प्रगतिशील हों, एक सा ही सब भाग का शिर ऊंचा हो। इसी प्रदेश के पंडित जवाहरलाल जी हैं, इसी की विजयलक्ष्मी जी हैं जो विदेशों में आज भी अपना मस्तक ऊंचा कर रही हैं। इन सब बातों को सोचकर हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं, हमें आपको साथ-साथ रहना है। हमारी जो ताकत है वह दूसरों की रक्षा के लिये हो, दूसरों की भलाई के लिये हो और हम एक साथ रहकर सारे देश को ताकत पहुंचावें और लोग समझें कि हम कैसे इतने बड़े प्रदेश का सुशासन कर रहे हैं। यहां के डेवलपमेंट को यहां की ताकत को देखकर सेंटर से हमें अधिक धन मिले और हमारी तरक्की होती जाय। लेकिन यदि हम छोटे-छोटे

[श्रीमती लक्ष्मी देवी]

टुकड़ों में बंट गये तो उसमें कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। हमारा धन बंट जायगा, हमारी ताकत बंट जायगी, केंद्र से भी हमें धन कम मिलेगा और इन सब बातों के कारण हमारी तरक्की म बाधा हो सकती है। हमें तरक्की करना है न कि छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने घर को बांटना है, यह अशोभनीय है। इसलिये मैं अपनी राय जाहिर करती हूं कि प्रदेश की एकता बड़े और प्रदेश में जो खनिज पदार्थों की कमी है उसके लिये बुन्देलखंड और बघेलखंड का भाग यदि मिल जाय तो अच्छा है और वह खुशी से मिलना चाहें तो अवश्य मिलाना चाहिये। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने जो एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर अपना मत प्रकट करने का अवसर मुझे दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज मैं प्रदेश के उस गोशे से आया हूं जहां पर लोग कहते हैं कि भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से भोजपुरी भी बोल सकता हूं, इंगलिश भी बोल सकता हूं, हिन्दी भी बोल सकता हूं और संस्कृत भी बोल सकता हूं और परशियन भी बोल सकता हूं। आज इस प्रदेश में राष्ट्रीयता का झंडा, एकता का झंडा लहरा रहा है और मैं इस सम्मानित सदन के सामने आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ५ मई सन् १८५७ को जो व्यक्ति सबसे पहले आया था और अंग्रेजों की बंदूकों के आगे जिन लालों ने झंडा ऊंचा किया था दिल्ली के मैदान में, उनका खून आज पुकार रहा है, आज भगतसिंह का खून पुकार रहा है कि एक बनकर रहो, देश का कल्याण सोचो यह नवजवानों की पुकार है। मुझे दुख होता है कि वह संतानें, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की हैं जिन्होंने मेरठ डिवीजन में सन् ५७ में विद्रोह का झंडा बुलन्द किया था, जिन्होंने सन् १८५७ की आग को संभाला था झांसी की रानी और नाना साहब की संतानें, जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी कुरबानियां की थीं उनकी संतानें आज विभाजन की मांग करें। आज तो मुझे स्वरूपरानी और बहन कमला की याद आती है, पूज्य बापू की आवाज आज गोशे-गोशे से आ रही है कि एक रहो, एक बनो।

मैं तो कहूंगा कि पंचशील की जो देन है वह उत्तर प्रदेश की देन है इसका मुझे गर्व है। आज उसी पंचशील के नाते मैं कहता हूं कि १८ नवम्बर सन् १९५५ भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा जबकि रूस ऐसे महान देश के दो महान नेता इस देश में आज विद्यमान हैं, जिन्होंने इस देश के लिये क्या कहा वह सब स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। लेकिन बटवारे का जब प्रश्न उठता है तो मुझे खेद होता है कि उस घर से तो मैं आया हूं जो चमारों का कहा जाता है, मैं छप्परों में पैदा हुआ हूं, लेकिन अपने प्रांत को ऊंचा रखना चाहता हूं। आज हम जो कुछ हैं वह कांग्रेस की देन है। न कोई चमार है, न कोई भंगी है, न कोई मुसलमान है, न कोई धुनिया है। सब एक है। जब से यह हाउस है ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और चमार सब एक साथ बैठते हैं। मेरी औकात नहीं थी कि मैं इस विधान सभा का सदस्य होकर आता अंग्रेजी काल में। आज कांग्रेस का प्रताप है, नेहरू की देन है, कांग्रेस के संगठन पर आज हम यहां हैं। मैं कल बड़े ठंडे दिल से श्रीचन्द्र जी की स्पीच सुन रहा था, लेकिन उनकी स्पीच जो सुनी तो बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी के बजट की स्पीच की तरह मालूम हुई। मुझे बड़ा खेद हुआ कि उनकी तरफ से इतने लो स्टैंडर्ड की स्पीच हुई।

श्री अध्यक्ष——इस शब्द "लो स्टैंडर्ड" को वापस लें। यह पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री शिवनारायण——मैं वापस लेता हूं, अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, मैं आप से निवेदन करूंगा कि मैंने और सदस्यों की भी स्पीचेज सुनीं। इस सदन में ब्रजभाषा का जिक्र किया गया। आज हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। मुझे गर्व है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कल सदन में यह कहा कि हिन्दी हमारे देश की रीढ़ है और उत्तर प्रदेश की देन है। उत्तर प्रदेश ही हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है और उस हिन्दी को हमें जिन्दा रखना है। मैं

ख्वाजा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उर्दू को क्यों छोड़ दिया। लखनऊ में तो उर्दू बोली जाती है। शायद उसमें एक रहस्य है। मैं बड़ा गम्भीर हो गया था....

श्री अध्यक्ष—आगे आप न बढ़ें। किसी के मोटिव पर कुछ न कहें।

श्री शिवनारायण—किसी के मोटिव पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि उर्दू भी हमारे इस प्रान्त की भाषा है। मैं खुश होता अगर किसी माननीय सदस्य ने यह कहा होता कि उर्दू भी इस प्रान्त की भाषा है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं 'सत्यम ब्रूयम प्रियम ब्रूयम'। हमारे एक माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा कि राजनीति और वेश्याओं में कोई अन्तर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी लचर बात है। मैं अध्यक्ष महोदय समझता हूं कि हम जो बात कहे तो हम समझे कि हमारी एक एक बात की, एक-एक शब्द की कीमत है। सोच समझकर ही हमें कुछ कहना चाहिये। मैं आपका बड़ा आभारी हूं जब आप मुझे रोक देते हैं। मुझे मलाल नहीं है। मैं राजा वीरेन्द्रशाह का आभारी हूं जिन्होंने यह अमेंडमेंट दिया कि विन्ध्य प्रदेश का वह टुकड़ा जो ४० मील का है जिसका कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया उसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। वहां की जनता भी यही चाहती है। हमारी नीति नहीं है कि हम किसी पर जबरदस्ती करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सन् ५७ में आजादी की भावना हमारी झांसी की रानी ने ही फूंकी थी। आज भी उनके नाम पर हम दो आंसू बहाना चाहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शान्ति मिले। इतना ही नहीं, मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि १८ परसेंट हरिजन वहां बसते हैं। न मैं १८ के चक्कर में हूं और न १० के चक्कर में हूं। जो कुछ यह सरकार चाहे वह दे। हमारी चुनी हुई सरकार है। गरीबों की झोपड़ी का मुझसे बड़ा मलाल किसको होगा। बार-बार मैंने इस गवर्नमेंट से कहा कि बस्ती में एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय लेकिन आज तक वह नहीं खुला। लेकिन इसकी हमको शिकायत नहीं है। थोड़ी सी शिकायत पर हम नाक न काट लें, अपनी गर्दन न काट लें। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उधर के लोगों को एक हाईकोर्ट पश्चिम के जिलों में न खोलने की वजह से यह मांग है तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि उनकी यह मांग स्वीकार की जाय और एक बार और हाई कोर्ट खोल दी जाय। हमें इसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। एक और बेंच खोल दी जाय और उनकी सुविधा का ख्याल किया जाय। मुझे हमदर्दी केवल बस्ती और गोरखपुर वालों से नहीं है। मैं तो समझता हूं कि साढ़े ६ करोड़ का नुमाइन्दा हूं।

पणिक्कर जी ने जो नोट दिया है यू० पी० के बारे में मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कलम से खुद ही अपनी रिपोर्ट को काट दिया। एक जगह कहा कि इतने छोटे-छोटे राज्य बनें दूसरी जगह कहा कि इतना बड़ा राज्य बना है। हमारे उत्तर प्रदेश पर यह आक्षेप है। सबसे बड़ा एतराज उनका यह है कि उत्तर प्रदेश का डामिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर डामिनेशन है और हमारे प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर जरा भी ध्यान किये होते तो हम पिछड़े हुए न होते। हमको रुपया मिल जाता। लेकिन हमारे उन महान नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान है। उन्होंने सारे देश को समान दृष्टि से देखा। उनकी नजर वहां तक पहुंचती है। गेंदासिंह जी सर हिलाते हैं। मैं गेंदा सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। मैं उनसे कहता हूं कि देवरिया आज बस्ती से ज्यादा चमक रहा है। हमसे ज्यादा चमक रहा है। दो-दो डिग्री कालेज हैं। तमाम कचेहरियां बन गयी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आंख खोल कर, ठंडे दिल से देखें। हमारे मिनिस्टर जहां जायं वहां वह देखें। इसी सदन में माननीय हुकुम सिंह जी ने विकल जी से कहा कि हमको तो बुलाते नहीं हो, कहां जायं साहब, बड़ा काम है, २५, २५ आदमी

[श्री शिवनारायण]

घेरे रहते हैं। थोड़ी सी बात के लिए इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए जिसके लिए जीवन भर रोना पड़े। १९०५ के उस इतिहास को याद कीजिये जिसमें बंग भंग हुआ। मैं कहता हूं कि मुसीबत न खरीदिये। आज थोड़े से लालच में हम अपने को इतना फंसा रहे। बाहर के दुश्मन हमारे ऊपर पंजा लगाये हुए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, पश्चिम और अन्य प्रान्त वाले कहते हैं कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। १९३७ की पंत मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में लण्डन के गार्डियन ने कहा था "पन्त मिनिस्ट्री इज वन आफ दि बेस्ट मिनिस्ट्रीज।" १९३७ की मिनिस्ट्री के लिए बता रहा हूं। गेंदासिंह जी अखबार पढ़े। श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पश्चिम के भाइयों की मुसीबतों को समझता हूं। शास्त्री जी ने कहा कि हमारे यहां तो १९४८ में नहरें बन गयी थीं, लेकिन वह इसी देश के पैसे से बनी थीं। अंग्रेजों के पैसे से नहीं बनी थीं। बड़े भाई होने के नाते उन्हें ध्यान करना चाहिए। हमने जयचन्द और पृथ्वीराज का इतिहास पढ़ा, राणासांगा का इतिहास पढ़ा।

श्री अध्यक्ष——उसका उदाहरण मत दीजिये।

श्री शिवनारायण——मैं अपने पुराने इतिहास की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम वही ब्लंडर न करें जिससे जीवन भर रोना पड़े। बड़ी मुसीबत के बाद गुलामी कटी है। पंचशील का सिद्धान्त उत्तर प्रदेश की ही देन है जो विदेश को गया। भगवान बुद्ध के समान हमारे जवाहरलाल नेहरू चीन को और रूस को शान्ति का सन्देश लेकर गये। आज ऊपर से गांधी जी देख रहे हैं, सरदार पटेल देख रहे हैं, ऐसा ब्लंडर नहीं करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों को दुःख और तकलीफ हो। रिपोर्ट में यह है कि भाषावार प्रान्त बनाये जायं। जहां जहां लोगों ने सत्याग्रह किया, हमने मान लिया। लेकिन अगर हमने कोई बात मान ली तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? अगर एक जगह गलती हो जाय तो रोज उसी ब्लंडर को दोहराए? देश के संगठन के लिये आवश्यक है कि हम एक जगह रहें। एक बुड्ढा जब मरने लगा तो अपने बेटों को उसने बुलाया। उसने उनको एक रस्सी दी और कहा कि तोड़ो। उन्होंने जोर लगाया नहीं तोड़ पाये। फिर बाप ने उसको ढीली कर दिया, तो पट से टूट गयी। तो उसने अपने बेटों से कहा कि अगर इस तरह तुम एक रहोगे तो तुमको कोई नहीं नष्ट कर पायेगा। तो देश को तोड़वाओ नहीं। देश का कल्याण इसी में है। "एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।"

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)——मान्यवर, बटवारे का प्रश्न आज जो इस सदन में प्रस्तुत है वह कोई नयी बात नहीं है। जब कभी भी सामान्य हितों के लिए लड़ाइयां समाप्त हुआ करती हैं और देश के नेता या नेताओं के साथ चलने वाले लोग जब अपने सामने वह सामान्य हित की लड़ाई समाप्त समझते हैं तो फिर वह जाति-वर्ग और ऐसे ही अन्य विभागों में अपने को बांटते हैं जैसा कि हमने रूस में भी महाक्रांति के बाद देखा। हमने देखा कि रूस में महाक्रांति के बाद वहां जन नायक ऐसे ही खेमों में अपने को विभाजित करते हुये देखे गये। वही हूबहू हालत हम अपने यहां इस प्रान्त में भी पा रहे हैं। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि सुगम्य शासन के लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर या हिस्टारिकल बेसिस के कारण बटवारा न हो। लेकिन यदि बटवारा स्वार्थान्धता से परिपूर्ण है तो मैं यह कहूंगा कि प्रान्त के हर एक आदमी को यह तय करना चाहिये कि इस तरह का बटवारा कदापि हम कबूल नहीं करें। बंटवारा एक ऐसा शब्द है चाहे माननीय वीरेन्द्र पति जी यादव उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहें लेकिन जब बटवारे का प्रश्न आता है तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि बटवारे के प्रश्न को लेकर हिन्दुस्तान के लोगों ने पागल होकर एक दूसरे के खून की होली खेली, जब हम देखते हैं कि यहां पर बटवारे के प्रश्न को लेकर एक दूसरे के साथ खून की होली खेली जाती है और जब हम इसी बटवारे के प्रश्न पर आन्ध्र और दकन में बहुत से अमानुषिक कार्य होते हुए देखते

हूं तो फिर एक बार रोमांच हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आज हम इसी दृष्टि-कोण को लेकर इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हूं। बटवारे के सवाल के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये उनके तीन-चार कारण हैं। एक तो उनका कहना है कि सुगम्य शासन हो और इसके लिए आवश्यक है कि प्रान्त का बटवारा हो जाय। दूसरे पूरब और पश्चिम के झगड़े को लेकर कुछ लोग इस प्रदेश का बटवारा चाहते हैं, और तीसरा कारण प्रादेशिक संगठन के सम्बन्ध में लोगों का कहना है कि हम पंजाब के अम्बाला आदि डिवीजन के जो जिले हैं, उनको मिलाकर दीनदयालु शास्त्री जी के शब्दों में इस प्रान्त का बटवारा होना चाहिए। कुछ लोग दिल्ली के साथ हमदर्दी जाहिर करने के लिए प्रान्त का बटवारा चाहते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि चूंकि सेंटर में प्रान्त का बाहुल्य है और इस लिये सेंटर पर नाजायज दबाव इस प्रान्त का पड़ता है इसलिए इस प्रान्त का बटवारा हो जाय।

मान्यवर, सबसे पहले सुगम्य शासन के सम्बन्ध में मै आपके सामने अपने विचार रखना चाहूंगा। जो कुछ भी हमने देखा है इस शासन काल मे, हम यह दावा नहीं करते कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इतने बड़े विस्तृत इस प्रदेश में एक समान सारा काम हुआ हो, लेकिन पूरब और पश्चिम के बटवारे का अर्थ होगा कि हम गंगा और यमुना का बटवारा करना चाहते है, राम और कृष्ण का बटवारा करना चाहते है। मै पश्चिम के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह यह चाहते है कि पूरब के लोगों की गरीबी, उनकी बेकारी, उनकी अशिक्षा, आदि कारणों से बटवारा चाहते हैं इसलिए कि उसके कारण पूरब पर पैसा ज्यादा व्यय हो रहा है, पश्चिम की बनिस्बत पूरब में यूनिवर्सिटी अधिक खुली हैं, तो मै अपने पश्चिम के भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि हम इसके लिए तैयार है कि पूरब की तरक्की के सारे काम बन्द कर दिये जायं। यदि इससे पश्चिम के भाई अपने बटवारे के विचार को बदलने को तैयार हों तो मै अपने पूरब के भाइयों को इसके लिए राजी कराने को तैयार हूं। अगर माननीय श्रीचन्द्र जी और अन्य सदस्य सहमत हो जायं तो मै पूरब के सब भाइयों को इसके लिए सहमत कराने की चेष्टा करूंगा कि अगले दस वर्ष तक ये सारे तरक्की के काम पूरब में बन्द कर दिये जायं। हम अपनी गरीबी में रह लेगे, हम मजबूरी में रहना पसन्द कर लेंगे, लेकिन किसी भी हालत मे पश्चिमी भाइयों से अलगाव पसन्द नहीं करेंगे। जिनकी संस्कृति और इतिहास एक है, गंगा और यमुना एक है, राम और कृष्ण एक है। कैसे उनसे पृथक रहना पसन्द करेंगे?

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि बटवारा न हो और बटवारा नहीं होना चाहिये। बटवारे के सम्बन्ध में जो भाषावाद की बात उठायी गयी, मान्यवर यह सही है कि यदि इस देश में भाषा के आधार पर प्रान्त बन तो मुश्किल से ८-१० प्रान्त बनेंगे और दिल्ली और अम्बाले डिस्ट्रिक्ट से, जिनकी चर्चा माननीय दीनदयालु शास्त्री जी ने की, वहां से लेकर पटना तक एक खड़ी बोली है जिसे हिन्दी भाषा हम लोग कहते हैं। इस आधार पर यदि इस देश का बटवारा हो और दीनदयालु शास्त्री जी को शान्ति मिल जाय और अन्य माननीय सदस्यों को शान्ति मिल जाय तो मै यह कहने के लिए तैयार हूं कि जो आज इस कमीशन ने रिपोर्ट दी है वह सारी की सारी गलत है। इस आधार पर इस बटवारे का नक्शा कुछ और बनना चाहिये, लेकिन आज भाषा का जो रूप दिया जा रहा है वह बोल-चाल की भाषा की बात कही जा रही है। मान्यवर, ध्यान से देखा जाय तो गांव और शहरों के रहने वालों की भाषा में अन्तर है। हर १०-१२ मील की बोल-चाल की भाषा में अन्तर पाया जाता है। कहीं बोला जाता है, "कहां गये छे" ? और कहीं "कहां जा रहे हो ?" कहीं कहा जाता है, "कहां गइली?" और किसी जगह "कहां गइनी?" इस तरह से शब्दों के उच्चारण का हेर-फेर हुआ करता है और यदि इस आधार पर बटवारा किया जाय तो कम से कम हजारों ऐसे प्रदेश बनाने पड़ेंगें जिससे माननीय श्रीचन्द्र या उनके समर्थक सहमत नहीं होंगे। मान्यवर, इसलिए में समझता हूं कि हमारे बटवारे के पक्ष में बोलने वाले भाई इस पर विचार करेंगे।

[श्री रामेश्वर लाल]

बटवारे के नारे के इच्छुक लोगों ने गोरखपुर और मेरठ की बात कही। उनका कहना है कि मेरठ में यूनिवर्सिटी नहीं खुली और वह पैसा गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए व्यय किया जायगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व के लोगों ने कभी मेरठ में यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध नहीं किया और मैं तो समझता हूं कि उसके लिए कोई डिमांड ही नहीं आई। यदि किसी माननीय सदस्य ने अपनी बजट स्पीच में कहा भी तो किसी पूर्व के सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया कि मेरठ में यूनिवर्सिटी न खुले, केवल गोरखपुर में ही खोली जाय। जहां पूर्व में बनारस और इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है तो पश्चिम में अलीगढ़ और आगरे में है और दिल्ली में है और लखनऊ सेंटर में है। और मैं तो यह कहूंगा कि मेरठ वाले, आगरे को, अलीगढ़ और दिल्ली को अपना समझते ही नहीं। अगर वह समझते तो ऐसी मांग न रखते। और अगर आज भी मेरठ को यूनिवर्सिटी की मांग करने वाले लोग और प्रान्त के विभाजन के इच्छुक लोग इस बात को सदन में रखें तो मैं समझता हूं कि सदन के सब लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के लालचवश कि गोरखपुर में खुलती है और मेरठ में नहीं खुलती तो मेरठ क्या, उनके गांव में खोल दी जाय, जो चाहते हैं लेकिन यू० पी० का विभाजन न होने दिया जाय।

मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न बटवारे का है, मैं यह कहूंगा कि यह बटवारे की आवाज केवल बटवारे के लिए नहीं उठी है। मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय श्री चन्द्र जी और माननीय ख्वाजा साहब से कि इस सदन में जब जमीन के बटवारे का प्रश्न उठता है तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ हाथ उठा कर वह उनके मन की बात क्यों बोलते हैं और जब मिनिस्टरों आदि की तनख्वाहों को कम करने का प्रश्न उठता है तो कहते हैं कि नहीं घटना चाहिये और उनके साथ हाथ उठा कर वोट करते हैं, उस वक्त अपोजीशन में कौन रहता है? उस वक्त क्यों उनकी जी हुजूरी करते हैं?

श्री अध्यक्ष--"जी हुजूरी" अच्छा नहीं मालूम होता। आप गर्म मत होइये।

श्री रामेश्वर लाल--मैं वापस लेता हूं। मैं आपके द्वारा·····।

श्री अध्यक्ष--इस वक्त कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह आप समझ लीजिये। इस वक्त मतों का सवाल है।

श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी और हाफिज जी यह कहते हैं कि पश्चिम में हम ज्यादा खर्च करते है, तो यह जो एक दूसरे पर हेर फेर के आरोप लगाये जा रहे हैं, मैं समझता हूं यह बिल्कुल एलेक्शन स्टंट है। और माननीय श्री चन्द्र जी और उनके साथी जो बटवारा चाहते हैं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी और उनके अगल-बगल में बैठने वाले मिनिस्टर लोग आज प्रान्त की जनता को गुमराह करने के लिये बटवारे की आवाज उठवा रहे हैं मेरा ऐसा खयाल और विश्वास है। हमने देखा श्रीमन्, कि बटवारे के सम्बन्ध में बहुत से प्रस्तावक और संशोधकों ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिय और मैं जानता हूं कि माननीय श्री चन्द्र जी भी अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे। मान्यवर, मैं माननीय श्री चन्द्र जी और माननीय देवेन्द्र प्रताप जी का ध्यान जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी की बात की है आकर्षित करना चाहता हूं कि २२ करोड़ रुपया इस प्रान्त के गन्ना के मिल वालों ने किसानों का लूटा! हमने आवाज लगाई और इस सदन के माननीय विरोधी दल के नेता, श्री गेंदा सिंह जी जेल में बन्द हुये, इस सदन में चर्चा हुई, लेकिन यही बटवारे के इच्छुक लोग उस समय जब कि प्रदेश के गरीबों का पैसा लूट कर पूंजीपतियों की जेब में जा रहा था, २२ करोड़ रुपया, जिससे मेरठ में ही नहीं, मेरठ ऐसे सैकड़ों शहरों में यूनिवर्सिटी खुल सकती थी, उस समय वे लोग चुप थे। क्या वजह है कि आज वह यह कहते है कि प्रान्त का बटवारा हो जाना चाहिये और नाराज होते हैं कि पूर्व में यूनिवर्सिटी खुल रही है, वहां पैसा ज्यादा जा रहा है, वहां सारा काम हो रहा है,

पश्चिम में कुछ नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं एक मिनट माननीय श्रीचन्द्र जी और उनके समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक साल का समय शेष है। यदि वे सचमुच चाहते हैं कि इस प्रान्त की भलाई हो और यदि वे चाहते हैं कि जो साधन हमे प्राप्त हैं उनका समुचित बटवारा हो तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि ले आये कल इस सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव और उखाड़ कर फेंक दे इसको और इसकी जगह पर उनकी सरकार बने जो इस प्रान्त की भलाई चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसके लिये आगे न श्री चन्द्र जी आयेंगे न वीरेन्द्रपति जी आयेंगे। लेकिन अगर आप संभालना चाहते हैं तो अभी एक साल का समय शेष रह गया है और इस साल के समय में जो आपकी डिमांड्स हैं और इस प्रान्त के विकास का जो अनुचित बटवारा है उसको अगर आपको ठीक करना है तो फिर इस सरकार को बदलना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। मान्यवर, ख्वाजा साहब रेफरेन्डम की बात कह गये। आखिर रेफरेन्डम किस बात पर हो? जमीन के बटवारे पर, गन्ने के दाम बढ़ाने पर? मैं जानना चाहूंगा ख्वाजा साहब से कि क्या वे रेफरेन्डम की बात को स्वीकार करेंगे जमीन के बटवारे पर? वे कहते हैं कि अगले चुनाव में मालूम हो जायगा। क्या मालूम हो जायगा? कांग्रेस और देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि नेहरू के बिना कांग्रेस की गाड़ी आज भी चलने मे असमर्थ है। आप बटवारे की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि कोई किसान बटवारे का इच्छुक नहीं है। बटवारे के इच्छुक जाब सीकर्स हैं जो समझते हैं कि बटवारे के बाद उन्हे पावर मिलेगी, वे मिनिस्टर होंगे।

मान्यवर, माननीय वीरेंद्रपति यादव जी ने बापू को याद किया। राउन्ड टेबिल कांफ्रेस में गांधी जी ने कहा था कि लिंगुइस्टिक आधार पर प्रांत बनने चाहिये। मगर बापू ने यह भी तो कहा था कि ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह मत लो। उन्होंने यह भी तो कहा था कि कांग्रेस को तोड़ दो और लोक सेवा संघ बनाओ। लेकिन उस वक्त वीरेंद्रपति जी के कान बहरे थे। बापू ने कहा था कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। बापू ने कहा था कि किसी को ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये, बापू ने कहा था कि दिल्ली मे गरीब का बेटा गद्दी पर बैठेगा, लेकिन जो बापू ने कहा था उसको आप लोगों ने कब माना? जो लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं उन्होंने आपको कई बार दावतें दीं लेकिन आपने उनको कबूल नहीं किया। आपने उन लोगों का साथ दिया जो आज ऊंची गद्दी पर हैं। आप कहते हैं कि पश्चिम मे कुछ नहीं होता है, इसलिये सूबा बांट दिया जाय। मान्यवर, यदि इसके बांटने से तरक्की हो सकती है तो इस पर विचार होना चाहिये। बटवारा के इच्छुकों ने क्यों नहीं कहा कि हम नये प्रांत मे ५०० से अधिक तनख्वाह नहीं लेंगे, जमीन का बंटवारा होगा, गन्ने के दाम ठीक होंगे और सब के साथ ठीक बर्ताव होगा। यह कुछ न कह कर बंटवारे की बात कहना ठीक नहीं है।

†**श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)**--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कमीशन के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश के सामने वह ऊंची बातें रखीं जिसके आधार पर अपने देश को पूर्ण बनाया जाय। यह माना कि हमारा मतभेद है कुछ ऐसी बातों से कि कौन सा प्रांत किसमें लगाया जाय और कौन सा प्रांत कहां जाय किन्तु जो आधार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रखे है, वह ऐसी बातें हैं जिनको हर समझदार आदमी को मानना पड़ेगा।

अब हमें देखना यह है कि हमारे प्रांत का संगठन या विघटन उन आधार पर हों जो कमीशन ने रखे हैं वह कहां तक पूरे उतरते हैं। कमीशन ने सबसे पहली बात यह रखी कि हमारे देश की एकता और हिफाजत के ऊपर, हमारे इस प्रांत के ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि हर एक चाहे कोई इसके पक्ष में बोला हो या विपक्ष में बोला हो, यह मानता है कि अगर हमारे प्रांत का बंटवारा हो जाय या जैसा है वैसा ही रह जाता है तो हमारे देश की एकता और विभाजन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

दूसरी ऐतिहासिक बात है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ भाइयों ने बतलाया कि हमारे सूबे का बंटवारा हो जाना चाहिये। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इतिहास का

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्त सिंह]

जहां तक मानता हूं, समय-समय पर जैसा-जैसा लोगों को जंचता रहा उसी प्रकार से सूबे बनते रहे, बिगड़ते रहे। मुगलों का जमाना ऐसा आया जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद एक तरीके की हुकूमत चली और उस समय हमारे यू० पी० में ५, ६ सूबे थे तो उस समय की दृष्टि से हम अपने सूबे के इतने हिस्से करने के लिये हर्गिज तैयार नहीं होंगे। इसी तरीके से अंग्रेज आया और उसने देखा और अपनी सुविधा के अनुसार वह सूबे बनाता चला गया। जब हम अपनी सुविधा को देखते हैं तो हमें अधिकार है कि हम पुरानी बातों को छोड़ते हुये जो नये सिद्धांत कायम करते हैं उसके आधार पर अपने सूबे को बनायें या बांटकर टुकड़े कर दें। मैं समझता हूं कि इतिहास की पुरानी रट लगाने की क्या आवश्यकता थी कि हिन्दू काल में ऐसा था, मुगलों के जमाने में ऐसा था तो मुझे यह बात जंचती नहीं है।

अब सवाल रहा आर्थिक दृष्टि से कि आया जो सूबा हमारा है वह किस तरह से रहना चाहिये ? यह सब कोई मानता है कि जितना बड़ा सूबा होगा उसके रिसोर्सेज भी उतने ही ज्यादा होंगे, उसके पास काफी मात्रा में धन भी होगा और वह बड़े-बड़े काम कर सकेगा।

मगर मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि जो प्रपोजल हमारे भाइयों ने रखा है उसमें भी यह विचार है कि वह इतना छोटा सूबा न बन जाय कि हम यह कह सकें कि जो प्रांत हमारा बनेगा वह आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ रहेगा और वह अपना खर्च भी पूरा कर सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण का सवाल है और इन नये सूबे के बनने या बिगड़ने का सवाल है वह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें यह कहा जाय कि इससे बड़ी इधर-उधर की बात हो सकती है।

भाषा और वेश की बात भी कही जाती है। मैं यह मानता हूं कि हमारे सूबे की भाषा एक है। जिन भाइयों ने यह बतलाया कि हमारे सूबे में चार भाषायें हैं, मैं समझता हूं कि वह किसी तरह से भी ठीक नहीं है। यह तो ठीक है कि जैसा कई भाइयों ने कहा कि हर १०, १२ मील पर हमारे डाइलेक्ट में फर्क हो जाता है, वह बदलती रहती है। यह तो हमारे घरों में भी होता है। एक छोटा बच्चा एक प्रकार से बोलता है और जब वह पांच वर्ष का हो जाता है तो उसके बोलने में फर्क आ जाता है। स्कूल में वह एक तरह से बोलता है और अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसकी भाषा दूसरी हो जाती है। तो जहां तक भाषा का प्रश्न है उसके लिये यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर हमारे सूबे का भाषा के आधार पर बंटवारा होना है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भाषाओं के हिसाब से देखें तो पटने से लेकर अम्बाला तक एक भाषा और गढ़वाल से लेकर जबलपुर तक एक भाषा बोली जाती है। लेकिन हमारे प्रांत को बांटने का सवाल इन्तजाम के दृष्टिकोण से पैदा होता है। वही एक बात है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रांत का बटवारा होना चाहिये या नहीं होना चाहिये ? यह आधार हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन प्वाइन्ट है। यह चीज हमारे सामने आनी चाहिये, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रांत इतना बड़ा है कि इसका बंटवारा होना चाहिये क्योंकि, मैं मानता हूं कि बड़ा होना खराब नहीं और अगर पणिक्कर साहब ने यह कहा है कि दूसरे लोगों में आपसे इसलिये प्रतिस्पर्धा है कि आप बड़े हैं जनसंख्या की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से, तो मैं उनको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर हमारी नाक लम्बी है और हमारे देश में नैपाल के छोटी नाक वाले लोग आ जायं तो क्या हम समानता के लिये अपनी नाक कटवा देंगे ? अगर पणिक्कर साहब का यही विचार है तो वे दूसरे सूबों को बड़ा बना देते बजाय इसके कि वह यह सुझाव देते कि हमारे सूबे को छोटा कर दिया जाय। तो यह बात तो मानने के काबिल नहीं है। सिर्फ एक बात है कि आया ऐडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हमारे सूबे को छोटा होना चाहिये या नहीं। मैं एक बात मानता हूं और उसकी तरफ अपने सारे हाउस की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं। अगर यह मान लिया जाय कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन दूसरे सूबों के मुकाबिले अच्छा है, जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन मुझे इससे संतोष नहीं है और अगर हमारा

ऐडमिनिस्ट्रेशन इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं इस बात को मानता हूं कि आज नहीं तो कल, भले ही आज बंटवारा न हो, लेकिन कुछ दिनों बाद बटवारा जरूर हो जायगा। जिस प्रकार से हमारे यहां पार्टीबन्दी होती है, जिस प्रकार हमारे यहां मिनिस्टर बनते हैं डिप्टी मिनिस्टर बनते हैं वह तरीका ऐसा नहीं है कि जिन तरीके को सफल ऐडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सके। मैं आप से ईमानदारी से पूछता हूं कि एक-एक जिले के तीन-तीन मिनिस्टर बनते हैं और बहुत से जिले ऐसे हैं कि जहां पर दूर-दूर तक कोई मिनिस्टर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उनको ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं? क्या आप जो काम करते हैं उससे कोई भी कह सकता है कि आप मिनिस्ट्री के ख्वाहिशमन्द नहीं हैं? मैं साफ कर दूं कि मैं पहला आदमी हूं कि जिसे मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर होने की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आपके यहां जो तरीका चल रहा है उससे लोगों में असंतोष होना जरूरी है। आपके यहां जो ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें मैं जानता हूं कि एक-एक छोटे से छोटा अफसर भी कार और जीप रखने का हकदार है और रखता है और आप छोटी-छोटी और मामूली-मामूली चीजों पर कोई विचार नहीं करते जिसकी वजह से आपके यहां के लोगों में असंतोष की भावना दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर यह बातें आपके यहां चलती रहीं तो भले ही पश्चिम के लोग यह बात मान जायं कि बंटवारा न हो, पूर्व के लोग गरीब हैं और उन पर ही सारा रुपया खर्च कर दिया जाय, लेकिन उसके बाद भी अगर मैलऐडमिनिस्ट्रेशन है तो थोड़े दिनों के बाद पूर्व के लोग भी इससे ऊब जायंगे और थोड़े दिनों में तो क्या अभी भी आप देखते हैं कि जितने एलेक्शन होते हैं, चाहे पश्चिम वाले बात मान जायं, और किसी तरह से आपकी बातें मानकर रिटर्न कर दें मगर पूर्व वाले तो फौरन थपेड़ा मारते हैं। इसलिये अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन ढंग का नहीं है तो पूर्व क्या और पश्चिम क्या, बिलकुल यह होना ही है कि पूर्व वाले भी आपकी मुखालिफत करेंगे और पच्छिम के आदमी भी आपकी मुखालिफत करेंगे।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व का पिछड़ा हुआ इलाका है उस पिछड़े हुये इलाके से मुझे पूर्ण सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरक्की के जराये सोचे जायं और उनकी तरक्की के लिये रुपया खर्च किया जाय। मगर एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि मैं पश्चिम के इलाके का रहने वाला हूं और ऐसे जिले का रहने वाला हूं जो जिला आपके सूबे में एक अच्छा दर्जा रखता है। मगर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मेरे जिले से टैक्स तो बराबर लेते रहे और वहां पर एक पैसा भी खर्च न करें तो क्या मैं खड़ा होने की शक्ति रख सकता हूं। मुझको मेरी कांस्टीटचुएन्सी के लोग यह कहेंगे कि हमारे लिये तो धेला भी यहां पर खर्च नहीं करते और बराबर हमसे लेते ही रहते हो। तो जनाबवाला, मैं भी रिटर्न होकर यहां नहीं आ सकता। इसलिये आपको यह सोचना जरूर पड़ेगा, चाहे आप कम कीजिये। मैंने इसको माना कि आप पूर्व में दो हिस्से खर्च करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पश्चिम में एक हिस्सा ही कर दीजिये, जिससे लोगों को जाहिर हो कि वहां पर भी कुछ किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह कहा गया कि पश्चिम में नहर बना दी। वह नहर कब बनाई गई, कब वहां पर टचूबवेल्स बनाये गये और आज आप क्या कर रहे हैं? कितने अस्पताल वहां पर हैं और कितने एडेड स्कूल वहां पर हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां १०-१० वर्ष हो गये गांव के लोगों ने अपने बलबूते पर स्कूल खड़े किये, लेकिन उनको सरकार एक पैसा भी नहीं दे रही है। इसके साथ-साथ मैं आपको अस्पताल की बात भी बतलाऊं और सड़कों के मंत्री जी ही हमारे इलाके के रहने वाले हैं। तो उनसे पूछें कि हमारे यहां का इलाका सड़कों के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां अनुपात से सड़कें बहुत कम हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें हैं। अस्पताल वगैरा की भी यही बात है। यहां पर दूर-दूर तक अस्पताल देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोगों ने अपनी मेहनत से कुछ कर लिया है तो उसके लिये भी कोई इमदाद हमको गवर्नमेंट से नहीं मिलती है। तो माननीयवर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। यह पूर्व और

[श्री बलवन्त सिंह]

पश्चिम वाली दिक्कत हम नहीं समझते। जो लोग यह कहते हैं कि सब पूर्व के ऊपर खर्च हो जाता है इस बात को हम नहीं मानते। यही नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि यह मैलऐडमिनिस्ट्रेशन और बेढंगी हुकूमत का तरीका चल रहा है वह सब से बड़ा तकलीफदेह साबित होता है। मगर सवाल यह होता है कि चाहे यह मानें कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन कुछ खराब है मगर जिधर हम जाना चाहते हैं वहीं का कौन सा बढ़िया है। दिल्ली में भी कई बार उलट-पलट हुई है और पंजाब में भी हमने उलट-पलट देखी है। सवाल यह है कि अगर हम अपने घर को ही ठीक कर लें और अपने घर का ढंग ठीक कर लें तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हम बिखरे फिरें, कोई इधर जायं और कोई उधर जायं यहीं रहना उचित है। क्योंकि नई हुकूमत बनाने में बटवारा करके नया राज्य बनाने में और नया राज्य खड़ा करने में जो तकलीफ हुआ करती है और जो सबसे बड़ी दिक्कत हुआ करती है वह तकलीफ हमने देखी है। पिछले दिनों देखा जब कि हमारे देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना कि किस कदर लोगों को परेशानी हुई। दूसरे प्रान्त आन्ध्र को भी हमने देखा। इसलिये मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आज इस बात से कि हमारी मांग पूरी नहीं होती और हमारी बातों को सुना नहीं जाता और हमारे इलाके के लिये पूरा रुपया नहीं लगाया जाता, इससे हमारी परेशानी दूर नहीं होती। हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि जो आज बेतरीके से काम हो रहा है उसको ठीक करें और ठीक करने के बाद हम समझेंगे कि हमारा जैसा एक प्रान्त है वह उसके मुकाबले में अच्छा रहेगा।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अवसर दिया है मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

मैं सीमा कमीशन के माननीय सदस्यों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं और न मैं वर्किंग कमेटी के माननीय सदस्यों की आलोचना करना चाहता हूं। मैं अपने कुछ सुझाव आपकी और सरकार की सेवा में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप प्रस्ताव पर ही कहेंगे। केवल अपने ही सुझाव नहीं कह सकते हैं।

श्री गज्जूराम--माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो इस सदन में कहा है कि हमारे प्रदेश का बटवारा होना चाहिये, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उनका यह क्या तुक है कि एक बड़े राज्य या घर को दो हिस्सों में बांट दिया जाय? हम बड़े राज्य को चलाने में असमर्थ हों तब तो हम उसे बांटें। हम अपने प्रदेश का सुचारु रूप से विकास कर रहे हैं और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश में वह कोने-कोने में विकास करे।

मैं कुछ बुन्देलखंड के हिस्सों के बारे में कहना चाहता हूं कि मध्य भारत के चार जिले हैं जैसे कि भिन्ड, ग्वालियर, गिर्द, मौरेना और शिवपुरी। विन्ध्य प्रदेश का शाहडोल छोड़ कर हमारे प्रदेश में मिला दिया जाय। झांसी, जालौन और हमीरपुर बुन्देलखंड के ही हिस्से हैं, जो कि किसी मुसीबत के दौरान में अलहदा हो गये थे। जब आज हमारी सरकार के सामने एक दूसरे भाई से मिलने का सवाल आता है तो इन अलहदा हुये हिस्सों को हम अपने साथ क्यों नहीं मिला लें और उनका विकास क्यों न करें? यह हमारा कर्तव्य और धर्म है कि अपने भाई की सहायता करें। माता टीला बांध झांसी जिले में बनाया जा रहा है। उसके ३ कोनों में तीन प्रदेश हैं, एक तरफ मध्य भारत, दूसरी ओर विन्ध्य प्रदेश और तीसरी ओर उत्तर प्रदेश है। उससे सिंचाई का साधन हम इन तीनों प्रदेशों को देना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में इन बंटे हुये टुकड़ों को अपने साथ मिला कर उनका विकास क्यों न किया जाय और दूसरे प्रदेश

में होते हुये उनका विकास क्यों करें? जहां तक मध्य भारत का सवाल है, यह हमारे बुन्देलखंड का वह हिस्सा है जब कि महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मुसीबत आई और अंग्रेजों का सामना किया तो ग्वालियर में वह सहायता लेने के लिये गई और इस नाते से गई कि उनका एक भाईचारा था और पड़ोस था और उनकी एक हमदर्दी थी इसलिये वे वहां गयीं। इसलिये अपने भाइयों को मिलाने में हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हम अपनी सरकार के सामने यह सुझाव रख सकते हैं कि यह ऐसा इलाका है जो किसी जमाने में हम से अलग न था। झांसी का जो इलाका है वह हमीरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ आदि से मिला हुआ था। इसलिये सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस इलाके को अपने में मिला दिया जाय। हमारे राजा साहब ने जो सुझाव रक्खा है सरकार उसके ऊपर गौर करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विन्ध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल २३,६०६ वर्गमील है और उसकी जनसंख्या ३५ ७४,६६० है। मध्य भारत की जनसंख्या इन चारों जिलों की मिला कर ५७४२६४० है और उसका क्षेत्रफल ४५८०५ वर्गमील है। इतने बड़े क्षेत्रफल में से हमें चार जिलों को निकाल देना है। बुन्देलखंड में जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां हरिजनों को जमीन नहीं मिलती जब कि उनके पास क्षेत्रफल ज्यादा है तो हम उस जगह ले जाकर हरिजनों को बसा सकते हैं। इस प्रकार हम बुन्देलखंड के हरिजनों का उत्थान कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने सीमा कमीशन और केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन प्रदेशों को मिलाकर हमारे प्रदेश का जो नक्शा हो जाता है उसको मैंने देखा है वह बड़ा खूबसूरत लगता है, जो आपने भी माना होगा और हमारे माननीय सदस्यों ने माना होगा। हमने जो सिंचाई के साधन बनाये हैं उनके आसपास कुछ हिस्सा मध्य भारत का भी आता है और कुछ हिस्सा विन्ध्य प्रदेश का भी आता है। इसी प्रकार मैंने बिजली का एक प्रश्न पूछा था उसके जवाब में मुझे बताया गया कि विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत को भी उससे लाभ होगा। जब ऐसा है तो फिर उसको अपने में ही क्यों न मिलाया जाय। और मेरा यह निवेदन है कि उसको अवश्य ही अपनी सरकार को और केन्द्रीय सरकार को अपने में मिला लेना चाहिये। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से जो विवाद इस स्टेट रिआर्गेनाईजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर हमारे सदन में हो रहा है उसके संबंध में मैंने सभी साथियों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना। मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने उन मित्रों की तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने बिना किसी भेद भाव से या किसी लालच से अपने विचारों को व्यक्त किया। यह मैं कभी नहीं कहूंगा कि आज उन्होंने अपने विचारों को किसी लालच से यहां पर व्यक्त किया है। मैं इस बात को जानता हूं कि माननीय श्री चन्द्र जी बहुत दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने हमसे बहुत बातें कीं और आपने हर एक को समझाने की कोशिश की। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि माननीय श्रीचन्द्र जी ने किसी मिनिस्ट्री के लालच से अपने विचारों को सदन के सामने रक्खा है और यह कहा है कि इस स्टेट का विभाजन किया जाय। मैं ख्वाजा साहब की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपने विचार इस सदन के सामने रखे। पर अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा उनसे यह भी पूछना चाहता हूं और इस सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ख्वाजा साहब, श्रीचन्द्र जी, श्री बलवन्त सिंह, श्री जयपाल सिंह तथा और जितने साहबान हैं, आखिर वे क्यों उत्तर प्रदेश का बटवारा चाहते हैं, वे अपने घर के दो टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? इसका क्या कारण है इस ओर हमें अवश्य जाना होगा।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि श्री बलवन्त सिंह ने यह नहीं कहा। उन्होंने बंटवारे के खिलाफ में कहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय बलवन्त सिंह ने कारण बतलाये और मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं कि इसमें सरकार का दोष है, यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन का दोष है जिसकी वजह से हमारे कुछ भाई उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कारण बतलाये जिनकी वजह से ये लोग हमारे इस प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं, जिस बंटवारे को यह सदन कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है।

श्री अध्यक्ष---आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ नवम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र बख्शी का तालाब (लखनऊ) में सन् १९५४-५५ में होने वाले व्यय की सूची

	रु०	आ०	पा०
१—अफसरों का वेतन	७४८	११	०
२—कर्मचारियों का वेतन	७२६	६	०
३—भत्ता और मानदेय	८६४	६	०
४—आकस्मिक व्यय—			
(अ) आवर्त्तक—			
(१) सामाजिक शिक्षा	५,०००	०	०
(२) दूसरी मदें	३२६	१४	३
(ब) अनावर्त्तक—			
(१) दफ्तर का सामान	१,६५१	१२	३
(२) डिमान्सट्रेशन से सम्बन्धित सामान ..	४,७७६	८	६
५—वर्क्स (ब्लाक की इमारतों पर होने वाला खर्च) ..	२४,०५२	०	०
कुल व्यय	३८,४५५	१३	३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

---

२ अक्टूबर, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५५ तक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, बख्शी का तालाब, में किये गये कार्य का पूर्ण विवरण

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	३	४
१—कृषि	१—(अ) सिंचाई —		
	१— नलकूप——		
	(अ) सहकारी	२	
	(ब) सरकारी	१२	
	२— सिंचाई के कुएं	१७	
	३——बोरिंग	५	
	४——रहट ..	५	
	(ब) उन्नतिशील बीज वितरण		
	१——गेहूं ..	२७६४ मन ४ सेर	
	२——चना ..	७१९ मन २२ सेर ४ छटांक	
	३——मटर ..	१४८ मन ३५ सेर ४ छटांक	
	४——जौ ..	१३४ मन ३० सेर	
	५——धान ..	४३४ मन ३४ सेर २ छटांक	
	६——गन्ना का बीज	१९५० मन	
	७——आलू का बीज	१७६ मन २० सेर	
	८——बरसीम .	१ मन १० सेर	
	९——मूंग नं० १	६ मन २४ सेर	
	१०——सनई व ढेंचा	८७ मन ३५ सेर ८ छटांक	
	११—— मक्का टी० ४१	३ मन ३८ सेर	
	१२——अरहर न० १ व १७	१ मन ११ सेर	
	(स) खाद		
	१——खाद के गड्ढे	२६६	
	२——अमोनियम सल्फेट	६७० बोरी	
	३——सुपरफासफेट	८ बोरी	
	४——मिक्सचर	८६ बोरी	
	५——यूरिया	२५ बोरी	
	६——अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	१९ बोरी	
	७——अण्डी की खली	३ बोरी	

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	३	४
१—कृषि	(द) यन्त्र वितरण		
	१—मिट्टी पलटने वाला हल	३३	
	२—अन्य ..	२	डस्टर
	(र) प्रदर्शन		
	१—खाद सम्बन्धी	२६५	
	२—बीज सम्बन्धी	५६	
	३—यन्त्र सम्बन्धी	२५३	
	४—कल्चरल सम्बन्धी	४५	
	५—रोटेशन सम्बन्धी	८३	
	६—जापानी धान	३०४	एकड़ ए० व बी०
	७—जापानी धान की नरसरी	१६	एकड़ प्लेट (अ)
	८—गरमी की जुताई	८०	एकड़
	(ल) फसल सुरक्षा		
	१—गन्धी से बचाव	६९	एकड़
	२—अन्य पेड़ों पर छिड़काव	१६ ३०	एकड़ रोगिंग व पेड़ों पर छिड़काव
	(व) भूमि सुधार		
	१—बबूल ..	२	एकड़
	(श) फसल प्रतियोगिता		
	१—ग्राम सभा पर एन्ट्री	६१	
	२—जिला स्तर पर	४	
	३—स्टेट ..	१	
	(ष) सब्जी उगाना		
	१—सब्जी एकड़ों में	१३५ १/२	एकड़
	२—बीज जो बांटा गया	११	पौण्ड
	३—पौदें जो बांटी गई	४५९३	
	(क) वन महोत्सव		
	१—फलदार	९८६४	
	२—बिना फलदार	५१२०	
	३—पपीता	७३५	
	४—बांस	९७२७	
	५—सामूहिक बाग	३	
	६—बच्चों की बाटिका	२६३	
२—जन-स्वास्थ्य			
	१—पानी पीने के नानहरिजन कुएं	१५	
	२—पानी पीने के हरिजन कुएं	२५	
	३—खड़न्जा	१८४६	गज २ फीट

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेश विवरण
१	२	२	४
२—जन-स्वास्थ्य (क्रमशः)	४—धूम्ररहित चूल्हा	१	
	५—रोशनदान	९	
	६—घनोची	१	
	७—सोख्ता	२२९	
	८—पक्की नाली	२	
	९—कच्ची नाली	१ मील २ फर्लाङ्ग ११० गज	
	१०—हाथ का नल	८	
	११—गांव की सफाई	५१	
	१२—घूरे का हटाव	१०	
	१३—कुएं की मरम्मत	१६	
	१४—लालटेन	९८	
	१५—कुओं में लाल दवा	१५८१	
	१६—घरों में गैमेग्जीन का छिड़काव	४७७ घर	
	१७—मरीजों की संख्या जिन्हें दवा दी गई	५७२७	
	१८—दवा (पैलूड्रीन) की गोली बांटी गई	३६९	
	१९—हैजे के टीके	११०७	
	२०—चेचक के टीके	२६५९	
	२१—स्वास्थ्य प्रदर्शनी	१	
	२२—स्वास्थ्य समिति	३	
	२३—नहाने का चबूतरा	२५	
३—पशु-पालन			
	१—एच० एस० के टीके	१०,३२६	
	२—आर० पी० के टीके	६८५७	
	३—कृत्रिम गर्भाधान—		
	(अ) गाय ..	५२	
	(ब) भैंस ..	१४६	
	४—सुअर जो बांटे गये	३	
	५—बकरा सांड़ जो बांटे गये	७	
	६—मुर्रा भैंसा जो बांटा गया	१	
	७—आदर्श मुर्गी फार्म	१	
	८—मुर्गियों की संख्या जो फार्म पर लाई गई	२४	
	९—चरनी जो बनाई गई	१	
	१०—जानवरों को दवा दी गयी	४,४११	
	११—जानवरों को बधिया किया गया	१३६२	
४—कोआपरेटिव			
	१—प्राइमरी समितियां जो बनीं	१८	
	२—मेम्बर जो भर्ती किये गये	३४५	
	३—हिस्सा का रुपया जो वसूल किया गया ..	३८८ रु०	
	४—कर्जा जो बांटा गया	२०० रु०	

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	३	४
५—सड़क			
	१—कच्ची नई सड़क	१८	मील ५ फर्लांग २५ गज
	२—कच्ची सड़क की मरम्मत	५६	मील ४ फर्लांग
	३—नया पुल ..	२	(कुम्हरावां, अर्जुनपुर)
	४—पुरानी पुलिया की मरम्मत	१	
	५—नई पुलिया ..	२२	ह्यूम पाइप द्वारा
	६—प्राइमरी स्कूल भवन	२	(इन्दौरा-बाग, रायपुर-राजा)
	७—स्कूल खुला ..	२	(कन्या तथा लड़कों का)
	८—जूनियर हाई स्कूल भवन	१	(पंचायतघर तथा जूनियर हा० स्कूल अर्जुनपुर)
	९—पंचायत घर	पहला अस्ती में बन चुका।	
	,,	दूसरा दोगवां में बन चुका।	
	,,	तीसरा रुखाड़ा में बन चुका।	
	,,	चौथा राजापुर में बन रहा है।	
	,,	पांचवां कल्यानपुर में बन रहा है।	
	,,	छठवां बसहा में बन रहा है।	
	,,	सातवां रसूलपुर में बन रहा है।	
	,,	आठवां बाहरगांव में बन रहा है।	
	,,	नवां बेलवा में बन रहा है।	
	,,	दसवां भेसामऊ में बन रहा है।	
	,,	ग्यारहवां दौलतपुर में बन रहा है।	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

सन् १९५५-५६ में इन्टेन्सिव डेवलपमेंट ब्लाक्स में परिवर्तित किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की सूची

खंड का नाम			जिले का नाम
१--पुरकाजी ..	..	..	मुज्फ्फरनगर
२--लोनी ..	..	..	मेरठ
३--ऊंचागांव ..	..	..	बुलन्दशहर
४--छप्पल ..	..	..	अलीगढ़
५--गोवर्द्धन ..	..	..	मथुरा
६--कोतवाली	..	..	बिजनौर
७--जोया ..	..	..	मुरादाबाद
८--जहानाबाद (लालुसखेरी)	..	..	पीलीभीत
९--ऐंट ..	..	..	जालौन
१०--मौदहा ..	..	..	हमीरपुर
११--महुआ ..	..	..	बांदा
१२--ओरई ..	..	..	बनारस
१३--बादशाहपुर	..	..	जौनपुर
१४--सरगहाखत	..	..	नैनीताल
१५--गोसाइनगंज	..	..	लखनऊ
१६--नवाबगंज ..	..	..	उन्नाव
१७--सालोन ..	..	..	रायबरेली
१८--हरगांव ..	..	..	सीतापुर
१९--बिलग्राम ..	..	..	हरदोई
२०--बेहजाम ..	..	..	खीरी
२१--कैसरगंज ..	..	..	बहराइच
२२--बाह ..	..	..	आगरा
२३--खेरागढ़ ..	..	..	आगरा
२४--कोरौन ..	..	..	इलाहाबाद
२५--निचलौल ..	..	..	गोरखपुर
२६--कैप्टेनगंज ...	..	..	देवरिया
२७--दादामन्डी ..	..	..	गढ़वाल
२८--पुरोला ..	..	..	टेहरी-गढ़वाल

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

क्रम-संख्या	नाम तहसील	नाम व्यय	मास जनवरी १९५५ ई० से जून, १९५५ ई० तक स्वीकृत व्यय का विवरण — अनुदान जो स्वीकृत हुआ	अनुदान जो अब तक दी गई	विवरण
			रु०	रु०	
१	बस्ती ..	१--पेय जल व्यवस्था (नलकूप मरम्मत)	५०,१४५	४,१७०	
		२--भवन	४३,२६०	१४,७६०	
		३--खरंजा	२,०४५	१५०	
		४--पुलिया	१५,६००	१,३००	
		योग ..	१,११,०५०	२०,३८०	
२	बांसी ..	१--पेय जल व्यवस्था (नया कूप मरम्मत नल)	८८,०८८	३,३७५	
		२--भवन	६१,४५०	१५०	
		३--खरंजा	१,५४०	..	
		४--पुलिया	२३,१९०	..	
		योग ..	१,७४,२६८	३,५२६	
३	खलीलाबाद	१--पेय जल व्यवस्था (नया कूप मरम्मत नल)	२८,७४२	३,०१२	
		२--भवन	४८,८४४	७,३००	
		३--खरंजा	७,५२२	..	
		४--पुलिया	२६,२२५	१,६००	
		योग ..	१,११,३३३	११,९१२	
४	डुमरिया गंज	१--पेय जल कूप व्यवस्था (नया कूप मरम्मत)	१८,४००	३४०	
		२--भवन	३,५९०	५००	
		३--खरंजा	..	..	
		४--पुलिया	३,४१०	१५०	
		योग ..	२५,४००	९९०	

क्रम-संख्या	नाम तहसील	मास जनवरी, १९५५ ई० से जून, १९५५ ई० तक स्वीकृत व्यय का विवरण			विवरण
		नाम व्यय	अनुदान जो स्वीकृत हुआ	अनुदान जो अब तक दी गई	
५	हरैंया	१--पेय जल व्यवस्था (नया कूप मरम्मत नल)	२६,८८५	२,०८५	
		२--भवन	९,२८४	३००	
		३--खरंजा	५,३००	..	
		४--पुलिया	४,३३४	..	
		योग ..	४५,८०३	२,३८५	
		कुल योग ..	४,६७,८५४	३९,१९२	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

मौरानीपुर (जिला झांसी) सामुदायिक विकास खण्ड के संबंध में १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ (१८-११-५५ तक) के लिये स्वीकृत अनुदान और किये गये व्यय का विवरण :

शीर्षक	१९५३-५४		१९५४-५५		१९५५-५६	
	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय
	रु०	रु०	रु०	रु० आ० पा०	रु०	रु० आ० पा०
१—कृषि के लिए सहायता—						
(१) हानि को पूरा करने के लिए कृषि प्रदर्शन ..	५००	..	१,०००	१,०४० ० ०	..	७५ ० ०
(२) बीज भाण्डार ..	८,०००	..	३,०००	१,४२७ ० ०	१,५००	१०,९४८ ० ०
(३) नरसरी ..	२,५००	..	४,०००	६,५०० ० ०	..	..
२—पशु-पालन—						
(१) फुट बाथ्स आदि के लिए सहायता	५००	..	५००	९९० ८ ०	..	..
(२) बैल इत्यादि खरीदने के लिए सहायता ..	२,०००	..	..	..	..	५१५ फुट बाथ्स के लिए दिए
(३) पोल्ट्री विकास ..	२५०	..	..	१३० ० ०	२००	२०० ० ०
३—रिक्लेमेशन—						
(१) प्रयोगिक मिट्टी संरक्षण के लिए सहायता ..	१,०००	..	..	..	..	१,००० ० ०

शीर्षक	१९५३–५४ अनुदान	१९५३–५४ व्यय	१९५४–५५ अनुदान	१९५४–५५ व्यय			१९५५–५६ अनुदान	१९५५–५६ व्यय		
	रु०	रु०	रु०	रु०	आ०	पा०	रु०	रु०	आ०	पा०
४—सार्वजनिक स्वास्थ्य—										
(१) पीने के पानी के लिए सहायता	१०,०००	१४३	१०,०००	१९,८५७	०	०	७८५	७५१	०	०
(२) ड्रेनेज के लिए सहायता	१,०००	..	..	..			७१५	..		
(३) सफ़ाई सम्बन्धी निर्माण के लिए सहायता ..	..	..	..	..			१,५००	३००	०	०
५—शिक्षा—										
स्कूलों के भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता	८,०००	..	..	७,९२४	०	०	१,०००	७७५	०	०
६—यातायात—										
कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण ..	१,९४,०००	..	१५,०००	१,७५,१४१	०	०	४१,०००	२,५८६	०	०
७—ग्रामीण कलाकौशल और उद्योग धन्धे—										
(१) चरखा वितरण के लिए	२५०	..	४,५००	४,४२७	०	०	..	३१६	४	०
(२) मधु मक्खी पालन के लिए ..	२५०	..	५००	..			५००	..		
योग ..	२,२८,२५०	१४३	३८,५००	२,१७,४३६	८	०	४७,२००	१७,४६६	४	०

नोट :—(१) यातायात के लिए स्वीकृत अनुदान में से १,७५,००० रु० रुमोठ-बघेरा–गुरसराय सड़क के लिए दिया गया।

(२) नान प्राजेक्ट ग्रान्ट्स में से २०,००० रु० और ६०० रु० की धनराशियां बाढ़पीड़ित हरिजनों के लिए मकान और कुएं बनाने के लिए स्वीकृत एवं वितरित की गयी।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

नत्थी 'क'

आजमगढ़ जिले में ताड़ी की दुकानें

तहसील सदर

१—भदली
२—भिलौली
३—बलरामपुर
४—बिन्द्रा बाजार
५—मल्लाही टोला

आजमगढ़ शहर

६—मुहम्मदपुर
७—निजामबाद नं० १
८— ,, नं० २
९—कुर्मी टोला
१०—पहाड़पुर
११—रानी की सराय नं० १
१२—रानी की सराय नं० २
१३—परसहा
१४—सराभेरि नं० १
१५—सराभेरि नं० २
१६—शहबाजपुर
१७—शर्फदीनपुर
१८—सीधारी

तहसील फूलपुर

१९—अहरौला
२०—अम्बारी
२१—अतरौलिया
२२—कोडिया
२३—खुसरो रोड
२४—कोइलसा
२५—माहुल
२६—मसगैदिया (नूरपु :)
२७—फूलपुर

तहसील मुहम्मदाबाद

२८—बरहलगंज
२९—बरपुर
३०—भांटकोल
३१—मुल्लोपुर
३२—छटिगांव
३३—चिरैयाकोट उत्तर
३४—चिरैयाकोट दक्षिण
३५—गालिबपुर
३६—जहानागंज
३७—करहा
३८—खैराबाद
३९—खुरहट
४०—मऊलहलादपुर
४१—मऊमहरनिया
४२—मऊ रेलवे स्टेशन
४३—मऊ उत्तरटोला
४४—मकरी
४५—मुहमदाबाद रेलवे स्टेशन
४६—मुबारकपुर गोला
४७—मुबारकपुर कटरा
४८—चकसिकटी
४९—नवीनगंज
५०—पर्दहा
५१—रायपुर
५२—रकौली
५३—सरसेना
५४—शाहगढ़
५५—सिकठी
५६—वलीदपुर

तहसील लालगंज

५७—डीहा (देवगांव)
५८—लालगंज
५९—मेहनगर दरगाह
६०—मेहनगर कुतबा
६१—ठेकमा

तहसील सगड़ी

६२—अजमतगढ़
६३—बाबा की बाजार
६४—बनकट
६५—भींवर
६६—बिलरयागंज
६७—ग्प्तानगंज
६८—चांदपट्टी
६९—दाउदपुर
७०—काश मोर
७१—जीमनपुर
७२—लालघाट
७३—महराजगंज
७४—महलिया
७५—कौजी की सराय
७६—रजादेपुर
७७—समनपुर
७८—सरदहा
७९—खालिसपुर (जोल्हापुर)

तहसील घोसी

८०—अदरी
८१—अमिला (पूरब)
८२—बड़ा गांव
८३—अमिला (पश्चिम) महमिला
८४—बहादुरपुर
८५—दरगाह
८६—दोहरीघाट
८७—दुबारी
८८—फत्तेपुर
८९—बाग दलजीत
९०—घोसी (रौजा)
९१—गोंठा
९२—कल्यानपुर
९३—कटघरा
९४—कोपागंज अखाड़ा
९५—कोपागंज शहीदा
९६—मनिकापुर
९७—नदवा सराय
९८—नई बाजार
९९—पूरामालक
१००—रामपुर
१०१—रसूलपुर
१०२—सिपाह

आजमगढ़ जिले की अफीम की दूकानें

तहसील सदर

१—चौक (आजमगढ़ शहर)
२—मुहम्मदपुर
३—सराय मीर

तहसील फूलपुर

४—अहरौला
५—अतरौलिया
६—माहुल
७—फूलपुर

तहसील मुहमदाबाद

८—बरहलगंज
९—मऊ
१०—मुहमदाबाद
११—मुबारकपुर

तहसील लालगंज

१२—लालगंज
१३—मेहनगर
१४—तरवा
१५—डेकमा

तहसील सगड़ी

१६—बाबा की बाजार
१७—जीमनपुर
१८—महराजगंज

तहसील घोसी

१९—दोहरी घाट
२०—कोपागंज

आजमगढ़ जिले की मुश्करात (गांजा व भांग) की दूकानें

तहसील सदर

१—ब्रह्म स्थान
२—चन्देसर
३—चौक (आजमगढ़ शहर)
४—दुर्वासा
५—मोहमदपुर
६—मुसीपुर (रेलवे स्टेशन)
७—निजामाबाद
८—रानी की सराय
९—सराय मीर
१०—सिधरी

तहसील फूलपुर

११—अहरौला
१२—अम्बारी
१३—अतरौलिया
१४—अटरैट
१५—कोइलसा
१६—माहुल
१७—फूलपुर

तहसील मुहमदाबाद

१८—बरहलगंज
१९—बठुवा गोदाम
२०—जहानागंज
२१—करहा
२२—खरगेजपुर
२३—मऊ
२४—मऊ खडहरा
२५—महमदाबाद
२६—मुबारकपुर
२७—रामपुर
२८—बलीदपुर

तहसील लालगंज

२९—बाजार गोसाईं
३०—कमहरीया
३१—लालगंज
३२—मेहनगर
३३—पलहला
३४—तरवा
३५—ठेकमा

तहसील सगड़ी

३६—बाबा की बाजार
३७—बलकट
३८—बिलरियागंज
३९—कप्तानगंज
४०—जीयनपुर
४१—लालघाट
४२—महाराजगंज
४३—सरदहा

तहसील घोसी

४४—अदरी
४५—अमिला
४६—दरगाह
४७—दोहरी घाट
४८—दुबारी
४९—घोसी
५०—गौंठा
५१—कटघरा
५२—कोपागंज
५३—नदवा सराय
५४—रामपुर

आज़मगढ़ ज़िले की शराब की दूकानें

तहसील सदर

१—एलबल (आजमगढ़ शहर)
२—चन्देसर
३—चौगान (आज़मगढ़ शहर)
४—दुर्वासा
५—मुहम्मदपुर
६—भुसेपुर रेलवे स्टेशन
७—निजामाबाद
८—रानी की सराय
९—सराय मीर
१०—सीधारी

तहसील फूलपुर

११—अहरौला
१२—अम्बारी
१३—अतरौलिया
१४—अटरैट
१५—कोइलसा
१६—माहुल
१७—फूलपुर

तहसील मुहमदाबाद

१८—बरहलगंज
१९—चिरैयाकोट
२०—जहानागंज
२१—करहा
२२—मऊ टाऊन
२३—मऊ खडहरा
२४—महमदाबाद
२५—मुबारकपुर
२६—बलीदपुर

तहसील लालगंज

२७—बाजार गोसाईं
२८—लालगंज
२९—मोहनगर
३०—तरवा
३१—ठेकना

आजमगढ़ जिले में शराब की दूकानें

तहसील सगड़ी

३२—आजमतगढ़
३३—बाबा की बाजार
३४—बकट
३५—बिलरया गंज
३६—कप्तानगंज
३७—जीमनपुर
३८—महराजगंज
३९—सरवहा

तहसील घोसी

४०—अदरी
४१—बड़ा गांव
४२—दोहरीघाट
४३—दरगाह
४४—दोवारी
४५—घोसी
४६—गौठा
४७—कठघरा
४८—कोपागंज
४९—नदवा सराय
५०—रामपुर

विदेशी शराब की दूकान

१—चौक (आजमगढ़ शहर)

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

नत्थी "ख"

आजमगढ़ जिले में मादक वस्तुओं की दूकानों से आय १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में

मादक वस्तुओं का नाम		आय					
		१९५३–५४			१९५४-५५		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१––देशी शराब	..	६,०६,५४७	०	८	६,५६,७२९	८	३
२––विदेशी शराब	..	२४३	८	०	५४७	१०	०
३––ताड़ी	..	२,३३,६०५	७	०	२,१६,०७३	१४	०
४––मुश्करात (गांजा व भांग)	..	१,८०,८४०	१	०	१,५१,३०२	५	०
५––अफीम	..	२६,५८४	६	०	३३,१०८	१४	०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

नत्थी १

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में १६ रूरल वर्कशाप्स बनाने की योजना--

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में १६ ग्रामीण स्थानों में वर्कशाप्स खोली जायेंगी, जिनमें ग्रामीण कारीगरों को लोहारी, बढ़ईगीरी, मोल्डिंग आदि विभिन्न टेक्निकल विषयों की ट्रेनिंग दी जायगी। कारीगरों को ट्रेक्टर, आयल इंजन, कोल्हू, पम्पिंग सेट आदि की मरम्मत करने की भी ट्रेनिंग दी जायगी। इसके अतिरिक्त उन्हें कृषि सम्बन्धी औजारों को बनाने की भी ट्रेनिंग दी जायगी। ट्रेनिंग की अवधि ६ माह से लेकर एक वर्ष की होगी और ट्रेनिंग की अवधि में छात्रवृत्ति दी जायगी। वर्कशाप्स खोलने के लिये स्थानों का चुनाव अभी नहीं हुआ है।

खेल-कूद के सामान बनाने के उद्योग के विकास की योजना--

इस योजना के अन्तर्गत बरेली तथा मेरठ में दो ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायेंगे, जिनमें इस उद्योग से रुचि रखने वाले व्यक्तियों को खेल-कूद के सामान बनाने की ट्रेनिंग दी जायगी। ट्रेनिंग की अवधि १ वर्ष की होगी और इस अवधि में ट्रेनीज को छात्रवृत्ति दी जायगी, ट्रेनिंग पाने के पश्चात् यह ट्रेनीज अपनी वर्कशाप्स खोलेंगे, जिसकी स्थापना के लिये उन्हें आर्थिक तथा अन्य सहायता भी दी जा सकेगी।

चलती-फिरती कारपेन्ट्री दूकान की योजना--

इस योजना के अन्तर्गत चार मोटर गाड़ियों में कारपेन्ट्री उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक और उन्नतिशील यंत्रों को रखा जायगा, इन गाड़ियों में इन्स्ट्रक्टर्स रहेंगे। यह गाड़ियां राज्य के विभिन्न भागों में घूम-घूम कर बढ़ईगीरी का काम करने वाले व्यक्तियों को आधुनिक और उन्नतिशील यंत्रों के प्रयोग करने के प्रदर्शन करेंगी। उन व्यक्तियों को इस प्रकार के औजारों को खरीदने के लिये आर्थिक सहायता भी देने का आयोजन है।

चलती-फिरती लोहारी की दूकान की योजना--

चलती-फिरती कारपेन्ट्री दूकान की योजना की तरह इस योजना के अन्तर्गत भी चार मोटर गाड़ियों में लोहारी उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक और उन्नतिशील यंत्रों को रख कर इन्स्ट्रक्टर्स द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में घूम-घूम कर इन यंत्रों का प्रदर्शन लोहारी का काम करने वाले व्यक्तियों के सामने किया जायगा, ताकि वे इन औजारों के प्रयोग को जान जायं और स्वयं भी इनका प्रयोग करें। इन औजारों को खरीदने के लिये भी आर्थिक सहायता देने का आयोजन है।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

नत्थी २

भारत सरकार से आगरा के फुटवियर उद्योग के लिये जो आर्थिक सहायता मिली है उससे एक योजना बनाई गई है जिसके द्वारा आगरा के फुटवियर उद्योग को तरक्की दी जायगी। चार लाख रुपया कमर्शियल आपरेशन्स के लिये रक्खा गया है और एक लाख रुपया काटेज वर्कर्स को वर्किंग कैपिटल के लिये ऋण के लिये दिया जायगा। अनुदान की रकम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जायगी, बिल्डिंग का किराया दिया जायगा, बिजली का व्यय होगा, प्रचार तथा प्रोपेगन्डा होगा, टाइपराइटर और फर्नीचर आदि खरीदा जायगा।

आगरा में फुटवियर उद्योग में लगे हुए काटेज वर्कर्स की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जायगी। यह सोसाइटी प्रोडक्शन सोसाइटी होगी और जूते बनायेगी। इसके द्वारा बने हुये जूतों पर क्वालिटी मार्क लगाया जायगा और उनकी बिक्री के लिये चार रिटेल दूकानें खोली जायेंगी जहां से आम जनता उनको खरीद सके। इन काटेज वर्कर्स को उचित दामों पर कच्चा माल सप्लाई किया जायगा और उनके द्वारा बनाये गये जूतों के सम्बन्ध में हर प्रकार की इकोनामिक बातों की जांच की जायगी। इसके अतिरिक्त उनको यह बताया जायगा कि किस प्रकार के जूतों की मांग बाजार में अधिक है। उनको अच्छे प्रकार के फर्मों (lasts) का प्रयोग करना सिखाया जायगा तथा इसमें काम आने वाली छोटी-छोटी मशीनों का प्रयोग करना उन्हें बताया जायगा और उसकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी जायगी।

यह योजना प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०९ पर)

आजमगढ ब्लाक को १९५४-५५ में दी गई धनराशि की सूची

क्रम-संख्या	मद	धनराशि
		रु०
१	अफसरों का वेतन	२६४
२	कर्मचारियों का वेतन	१,४०६
३	भत्ता और मानदेय	१,६३६
४	आकस्मिक व्यय (रेकरिंग)	५,२२०
५	आकस्मिक व्यय (नानरेकरिंग)	८,८००
६	स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए अनुदान	१०,०००
७	सिंचाई के छोटे कामों के लिये ऋण	१,१००

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर)

आजमगढ़ एन० ई० एस० ब्लाक में ३० सितम्बर, १९५५ तक अनुदान द्वारा होने वाले व्यय की सूची

क्रम-संख्या	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	दी गई रकम
		रु०
१	पानी पीने के कुएं	१,६३६
२	कुओं की मरम्मत	४७५
३	गलियों के फर्श का पक्का किया जाना	८६४
४	पंचायतघर, स्कूल, वाचनालय और अस्पताल	४,१९६
५	पुलिया	५२७
६	सड़कों की बनवाई	२,०००
७	नालियों की बनवाई	२००
	कुल अनुदान	९,८९८

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७–७८ के उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

जिला नियोजन समिति, सीतापुर के फंड मे स्वीकृत अनुदानों से प्राप्ति और व्यय का विवरण

अनुदानों की दरे	पिछला बैलेन्स १–४–५४ को	१९५४–५५ में प्राप्त अनुदान	टोटल	खर्चा अब तक	शेष
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—पानी की व्यवस्था	..	८५,०००	८५,०००	६२,३००	२२,७००
२—स्थानीय विकास कार्य ..	५६,५००	१,००,०००	१,५६,५००	१,५६,०००	..
३—शारीरिक विकास	१,२२५	१,०००	२,२२५	१,४२५	८००
४—श्रमदान संबंधी अनुदान	..	१०,०००	१०,०००	१०,०००	..
५—हरिजनों के लिए गृह-निर्माण	७,६००	२,०००	९,६००	८,४००	१,२००
६—हरिजनों के लिए कुआं निर्माण	६,५००	१,०००	७,५००	६,०००	१,५००
७—अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार	१,०००	१,०००	२,०००	८९५	१,१०५
८—स्व-सहायता	४,३००	९०,०००	९४,३००	९४,३००	..
९—शिक्षा सम्बन्धी अनुदान	९,९००	२०,१००	३०,०००	३०,०००	..
१०—सूचना	१,२५०	५००	१,७५०	५५०	१,२००
११—भूत-पूर्व क्रिमिनल ट्राइब्स	..	१०,५८०	१०,५८०	..	१०,५८०
योग	८८,२७५	३,२१,१८०	४,०९,४५५	३,७०,३७०	३९,०८५

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

मुजफ्फरनगर की सहकारी समितियों द्वारा रुपया जमा करने की तिथि तथा जमा की गई धनराशि की तालिका

क्रम-संख्या	समिति का नाम	जमा करने की तिथि	जमा की गई धनराशि
			रु०
१	भोकरहेड़ी	मार्च, १९५३	५,०००
२	अमुपुरा	मार्च ५, १९५४	१,०००
३	बेगरजपुर	मार्च १, १९५४	१,०००
४	गादला	फरवरी ५, १९५४	१,०००
५	जसोई	मार्च २४, १९५४	२,२००
६	कादीपुर	फरवरी २५, १९५४	१,०००
७	खाई खेड़ी	जनवरी १८, १९५४	१.०००
८	कुतुबपुर	मार्च १, १९५४	५,०००
९	भागपुर	अप्रैल १९, १९५४	५,०००
१०	नरा	मार्च १, १९५४	२,७७५
११	पंडोरा	मार्च ३१, १९५४	५,०००
१२	तितावी	मार्च ४, १९५४	५,०००
		योग	३४,९७५

पी० एस०यू० पी०—ए० पी० १४२ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्शसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री

हृदयालसिंह पिपल, श्री
हृदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ नवम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के लिये कमेटी बनी है उसके होते हुये भी बहुत से पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सीधे सरकार के द्वारा हुई है? यदि हां, तो क्यों?

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—चूंकि पैरोल मैजिस्ट्रेटों के कार्य अवैतनिक मैजिस्ट्रेट के कार्य से बिलकुल भिन्न है, इसलिये उनकी नियुक्ति अवैतनिक मैजिस्टटों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नहीं की गई है। अतः जिले की चुनाव कमेटी से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है?

श्री मुजफ्फर हसन—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर कमिश्नर ने कुछ नामों को गवर्नमेंट के पास भेजा था और वही मंजूर कर दिये गये थे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि पैरोल के काम के लिये कोई नियम सरकार बनाने का विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं सदन में पहले भी साफ़ कर चुका हूं कि पैरोल मैजिस्ट्रेटों के नाम पर "मैजिस्ट्रेट" शब्द तो केवल शोभा की चीज़ है और उनको मैजिस्ट्रेसी का कोई काम नहीं करना पड़ता, उनका काम केवल यह है कि जो कैदी पैरोल पर छोड़े जाते हैं उनकी देखभाल करें और विशेष कर देहातों में जो छोड़ने के लायक हैं उनकी देखभाल और मदद करें, अभी तजुर्बे के तौर पर केवल ५ जिलों में यह काम शुरू किया गया है इसलिये नियम बनाने का कोई सवाल नहीं उठता, अगर यह प्रयोग सफल रहा तो और जगह बढ़ाया जा सकता है वर्ना यह प्रयोग कर के आगे छोड़ दिया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इलाहाबाद में जो पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है उनकी क्या योग्यता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनकी योग्यता यह है कि कमिश्नरों और कलेक्टर ने जो इशार कया है कि जो काम उनको दिया जायगा उसको वह खूबसूरती के साथ कर सकते हैं।

मिर्जापुर के चुनार थाने के थानेदार ठाकुर कल्पनाथसिंह का कत्ल

*५—**श्री ब्रजभूषण मिश्र**, (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मिर्जापुर के चुनार थाने के थानेदार ठाकुर कल्पनाथ सिंह की चौराहे पर सैकड़ों आदमियों की उपस्थिति में गुन्डों द्वारा घातक अस्त्रों से निर्मम हत्या कर डाली गई ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां।

*६—**श्री ब्रजभूषण मिश्र**—क्या सरकार थानेदार के निराश्रित परिवार के भरण-पोषण के हेतु कोई पेन्शन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है ?

†**श्री जगनप्रसाद रावत**—इस सम्बन्ध मे ४ गिरफ्तारियां हुई हैं परन्तु अभी तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उस मुख्य हत्यारे का नाम बताने की कृपा करेंगे जो गिरफ्तार हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह शोभा नाम का व्यक्ति बताया जाता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त थानेदार के परिवार को सरकार ने क्या दिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनको अभी पुलिस बेनिफिट फंड से १२०० रुपया दिया गया है लेकिन पेंशन के कागजात अभी चल रहे हैं, उनके पूरे होने पर उनके परिवार को पेंशन मिलेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस विशेष परिस्थिति में, किस अवसर पर उनकी किस प्रकार मृत्यु हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ठाकुर कल्पनाथ सिंह एक मुकदमें से शहादत से आ रहे थे वहां कुछ भीड़ जमा थी उसमे से कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जब तक उनकी पेंशन निश्चित नहीं होती तब तक अन्तरिम काल मे सरकार उनको कुछ दे रही है या नहीं या कुछ इस सम्बन्ध में वह विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने बताया कि इसी लिये जब तक उनके कागजात का फैसला न हो उनको १२०० रुपया दिये जा चुके हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात की सूचना है कि जब कत्ल करने के लिये थानेदार साहब पर हमला हुआ तो वहां आसपास एकत्र जनता ने कातिलों के विरुद्ध कोई प्रतिरोध किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा सुना जाता है कि जनता ने कुछ विरोध किया था।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि किन कारणों से थानेदार की हत्या की गई थी ?

---

†२२ दिसम्बर, १९५५ को सदन में उपमंत्री द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार संशोधित।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह मामला अदालत सुपुर्द है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस केस की पैरवी से वह आ रहे थे उससे संबंधित गुन्डों ने उनको मारा है या अन्य गुन्डों ने ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह सब तो जब केस के दौरान में तफतीश होगी तब सामने आवेंगी। इस समय कुछ कहना मुश्किल है।

राज्य के राइफल क्लब

*७--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कुल कितने रायफल क्लब हैं और उनके पास अपने कितने लाइसेंसी हथियार हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रदेश में इस समय कुल ५४ राइफल क्लब हैं और उनके पास अपने कुल ५४ लाइसेन्सी हथियार हैं।

*८--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या यह सच है कि इन राइफल क्लबों के नियमों के बनाने में सरकार की कोई स्वीकृति नहीं ली जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां। सभी क्लब अपने आवश्यकतानुसार नियम बनाते हैं तथा इनमें संशोधन करते हैं। सरकार से इस सम्बन्ध में अनुमति लेने से उन्हें तथा सरकार दोनों ही को असुविधा होगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर ग्राम रक्षा समितियां हैं वे उन क्लबों को ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अगर क्लब उनको अपना सदस्य रखना चाहें तो जरूर आकर राइफल क्लब में काम कर सकते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--जो लाइसेंस क्लब को मिलते हैं वह क्लब के नाम से मिलता है या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम से ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जो क्लबों को लाइसेंसेज मिलते हैं वह क्लब के नाम से मिलते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ५१ जिलों में ५४ क्लब हैं, तो क्या कुछ जिलों में दो दो हैं और कुछ में नहीं भी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--साधारणतया तो एक जिले में एक ही क्लब है लेकिन एकाध जिलों में एक से अधिक क्लब हैं। लेकिन यह केवल ५४ क्लब ही नहीं हैं। कुछ उनके उप क्लब भी हैं, कुछ तहसीलों में भी और कुछ देहातों में भी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राइफल क्लबों को संगठित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या आदेश दिये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार के कोई विशेष आदेश नहीं हैं। एक अखिल भारतीय राइफल क्लब असोसियेशन है उसने प्रचार किया और यहां के कुछ लोगों ने इस ओर कदम बढ़ाया और उन्होंने अपने अपने राइफल क्लब खोल दिये हैं। यहाँ से कोई विशेष आदेश या विशेष प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन राइफल क्लबों में लाइसेंस शुदा हथियारों से शिक्षित व्यक्तियों को फौज और पुलिस में भर्ती होने में कोई विशेष सुविधा दी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस प्रकार की कोई सुविधा किसी को नहीं मिलती है।

सीतापुर जिले में हरगांव थाने के अन्तर्गत वारदातें

*९—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९५३ से अब (३१–८–५५) तक थाना हरगांव, जिला सीतापुर में कितने कत्ल हुये, कितनी डकैतियां हुई और इनमें से कितनों में चालान हुआ और कितने मुकदमों के मुलजिमों को सजायें हुई और कितने छूटे और कितने अभी अदालत में जेरे समाअत हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६० पर)

*१०—श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थाना हरगांव में इतनी संख्या में कत्ल और डकैतियां क्यों हुआ करती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कत्ल की संख्या में कमी हुई है। डकैती में कुछ वृद्धि अवश्य हुई। इसका कारण गोस नामक कुख्यात डाकू था। यह डाकू २५ जून सन् १९५५ को गिरफ्तार किया गया तब से इस क्षेत्र में स्थिति ठीक है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार को यह यकीन है कि तीन कत्लों में चालान बेकसूरों के हुए थे इसलिए वे छूट गये। यदि हां, तो सरकार ने उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिसने गलत चालान किया और असली मुलजिम का पता लगाने में नाकामयाब रहा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुकदमा तो किसी मुलजिम के खिलाफ सही समझ कर ही चलाया जाता है लेकिन शहादत ठीक तरह से न होने पर अगर जज की निगाह में वह बेकसूर होता है तो छोड़ दिया जाता है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार यह बतायेगी कि बकिया तीन कत्लों में जिनमें न कोई चालान हुए और न किसी को सजा हुई ...

श्री अध्यक्ष—आप यों ही पूछिये। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बशीर अहमद हकीम—इन कत्लों का पता लगाने में वह थानेदार नाकामयाब रहा तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—किन कत्लों की तरफ आपका इशारा है।

श्री बशीर अहमद हकीम—जिन कत्लों का जिक्र इस लिस्ट में है।

श्री जगनप्रसाद रावत—यानी आपका मतलब उन कत्लों से है जो ट्रेस नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष—अगर प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता हो तो वह दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री बशीर अहमद हकीम--यह लिस्ट है इसमें ६ कत्ल दिये हुए है और उसमें तीन पर मुकदमे चले हैं और तीन छूट गये और तीन लापता है इन तीन मुकदमों का कोई तजकिरा नहीं है कि वे जेरे तफतीश हैं, छूट गये या सजा हुई।

श्री जगनप्रसाद रावत--तीन के मुताल्लिक इसमें लिखा हुआ है लापता। इनके मुलजिम जो हैं उनका पता नहीं लग सका।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत नहर रेट विरोधी आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर हुए जुर्माने की वापसी की मांग

*११--**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अन्तर्गत नहर रेट विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में गत वर्ष जो जुर्माने सत्याग्रहियों से वसूल किये गये थे, वे वापस किये जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि स्पेशल पावर ऐक्ट के मातहत की गई सजाओं के विरुद्ध इसे अवैधानिक करार देते हुए हाई कोर्ट ने सितम्बर, १९५४ में फैसला किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जब गृह मंत्री थे, मुख्य मंत्री नहीं थे, को यह याद है कि उन्होंने इस हाउस में वायदा किया था कि सरकार की तरफ से जुर्माने वापस करने का आदेश जल्दी चला जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ये सारे मामले इसलिये विचाराधीन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं। जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम कुछ करने में मजबूर हैं।

श्री राजनारायण--क्या इस हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार की जानकारी में यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी अभी हुई नहीं लेकिन करने का इरादा हो रहा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं हो जाता तो जो वसूली की कार्यवाही लोगों के विरुद्ध हो रही है उसको मुल्तवी करने का आदेश देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा खयाल है कि वसूली की कार्यवाही बन्द है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मियाद कितनी होती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो कानूनी सवाल है। यह आप नहीं पूछ सकते।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री को याद है कि इस सदन में जब हमने एडजर्नमेंट मोशन रखा था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इशारा किया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है और इसका फैसला एक या डेढ़ महीने के अन्दर हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, ऐसा मैंने कहा था। अपील का प्रोसीजर एक कानूनी बात है जिसे मैं नहीं जानता लेकिन अपील के प्रोसीजर में कुछ गल्ती हो गई थी। नया जो प्रोसीजर है उसके अनुसार अपील होने जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब तक जो जुरमाना वसूल किया गया है उसकी कुल कितनी रकम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि कुल कितना जुरमाना हुआ था और कितने व्यक्तियों पर ?

श्री अध्यक्ष—वह कह चुके हैं इसके लिये वह नोटिस चाहते हैं ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील करने की राय दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं कह सकता । लेकिन जो कुछ किया जायगा ऐडवोकेट जनरल की राय से ही किया जायगा ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जब माननीय मुख्य मंत्री अभी तक ठीक नहीं कह सकते कि अपील होगी या नहीं होगी इसके लिए ऐडवोकेट जनरल ने राय दी है या नहीं तो किस आधार पर कहते हैं कि अपील की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आधार यही है कि एक महत्वपूर्ण बात है । अगर ऐसी अंतिम कानूनी राय मिली कि अपील करने के लायक मामला नहीं है तो अपील नहीं की जायगी । मैं समझता हूं कि जल्दी इसका निर्णय हो ही जायगा । लेकिन अगर यह कानूनी राय हुई कि अपील करने के लायक है तो अपील होगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सवा वर्ष का समय व्यतीत हो जाना इतने इम्पार्टेन्ट विषय पर क्यों आवश्यक हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं भी समझता हूं कि इतना समय नहीं लगना चाहिए लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं कानून की बातें ज्यादा जानता नहीं इतना ही मुझे मालूम है कि कोई प्रोसीड्योर में गलती हुई । उस प्रोसीड्योर को दुरुस्त करने का खयाल हो रहा है ।

*१२—**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

राज्य के लोन किये गये गजटेड कर्मचारी

*१४—**श्री भगवानसहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के गजटेड कर्मचारियों में से कितने इस समय केन्द्रीय सरकार के पास तथा दूसरी राज्य सरकारों के पास Loan किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य सरकार के गजटेड कर्मचारियों में से इस समय केन्द्रीय सरकार के पास १४४ तथा दूसरी राज्य सरकारों के पास ५२ कर्मचारी Loan किये गये हैं ।

राज्य में सन् १९५४ में डकैतियां, चोरियां तथा कत्ल

*१५—**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् ५४ में कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल हुये तथा उनकी जिलेवार संख्या क्या है ?

श्री जगन्नप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६१-३६३ पर)

*१६-१७—श्री रामेश्वरलाल—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हिमांचल प्रदेश के डोडाक्वार तथा उत्तर प्रदेश के लिवाड़ी गांव में तनातनी

*१८—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि बावजूद हिमांचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्रमशः डोडाक्वार और लिवाड़ी गांव के सम्बन्धित जिलों के उच्च अधिकारियों के बीच समझौता होने पर इस वर्ष माह जुलाई में फिर डोडाक्वार के लोगों ने लिवाड़ी गांव के लोगों के पशु लूटे और झगड़ा किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि इस साल जुलाई में डोडाक्वार गांव के लोगों ने लिवाड़ी गांव की भेड़ों को चराने करने से रोका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, यह ठीक है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि इसी झगड़े के सम्बन्ध में टेहरी-गढ़वाल के डि० मैजिस्ट्रेट शिमला गये थे और वहां के मुख्य मंत्री जी से मिले थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात की तो मुझे सूचना नहीं है। लेकिन जो कानफरेंस हुई थी उसकी बाबत मुझको सूचना जरूर है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि पिछले साल जो समझौता टेहरी-गढ़वाल के अधिकारियों से और मासू जिले के अधिकारियों के बीच हुआ था उसको इस सरकार ने तो माना लेकिन हिमांचल प्रदेश की सरकार ने उस समझौते को नहीं माना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतावेंगे कि शिमला में जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें क्या तय हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तय तो कई बातें हुई थीं। बहुत लम्बी-चौड़ी प्रोसीडिंग है लेकिन उसका नतीजा कोई निकला नहीं। मुख्य बाते तीन-चार थीं, एक तो हिमांचल प्रदेश सरकार को यह आपत्ति है और उनका कहना है कि लिवाड़ी के पास कुल १२ सौ भेड़ हैं और हमारे पास ८ हजार भेड़ हैं। एक तो उनकी बहुत बड़ी आपत्ति यह है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि लिवाड़ी को मांझीबन की गोचर भूमि में कभी भी किसी प्रकार से भेड़ चराने का हक था। उन्होंने यह कहा है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि इधर से लोगों का उधर जाना और उधर से लोगों का इधर आना बन्द कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ऐसी स्थिति में जब कि हिमांचल प्रदेश की सरकार समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अब इसके लिये क्या हो सकता है कि हम एक बार गवर्नमेण्ट आफ इंडिया को रिफर करें अगर आपस की बातचीत से यह तय नहीं हुआ अगर वह तय करा सकें तो करायें ।

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि हिमांचल प्रदेश की भेड़ें टेहरी गढ़वाल में चरान चुगान के लिये आया करती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। हमारी तरफ से तो यही कहा गया है।

राज्य में पिछड़ी जातियों को सुविधायें

*१६--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार पिछड़ी जातियों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पिछड़ी जातियों की प्रामाणिक सूची बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यथासमय बनाई जायगी, फिलहाल संलग्न सूची "क" और "ख" व्यवहार में लाई जा रही है, सूची "क" १६५१ की जनगणना के सिलसिले में तैयार की गई थी और इसमें उल्लिखित जातियों को सरकारी नौकरियों में विशेष सुविधायें दी जाती हैं । सूची 'ख' में उल्लिखित जातियों को केवल शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जाती हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वे विशेष सुविधायें कौन कौन सी हैं जो दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विशेष सुविधायें यही होती है कि नौकरी का जब कोई सवाल होता है तो उस समय ऐसी जातियों के उम्मीदवारों का खयाल किया जाता है, उम्र वगैरह में रियायत दी जाती है अगर सम्भव हुआ तो शिक्षा सम्बन्धी रियायतें भी दे दी जाती हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो केवल १५ पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की गई है सरकारी नौकरियों में सुविधा देने के लिये वह किस आधार पर बनाई गई है और यह जो शिक्षा विभाग की सूची थी उसमें से इतना कम क्यों कर दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह १५ जातियां वह हैं जो पिछड़ी जातियों में भी अधिक पिछड़ी हुई हैं । शिक्षा वगैरह में जो ये ज्यादा पिछड़ी हुई है इसलिए विशेष आवश्यकता हुई उनकी मदद देने की ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम कायस्थ कौन हैं और कहां रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह आपने कहां से निकाला ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, यह सूची में दिया हुआ है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हिन्दू कायस्थ तो मैं खुद हूं अपनी बाबत जानता हूं । मुस्लिम कायस्थ की बाबत मैं जानता नहीं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार उस सर्क्युलर पर जो कि उसने ६ सितम्बर, १६५५ को निकाला है पुनर्विचार करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शायद नव-इन्सपेक्टरों के चुनाव का मामला था इसलिये उस समय तो इस पर विचार कर लिया गया, लेकिन स्थायी रूप से विचार रोक रखा है शायद जल्दी ही बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट आ जाय। लेकिन इस समय काम चलाने के लिये हमने यह लिस्ट बना ली थी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह आशा करूं कि इस कारण कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में बड़ा समय लगेगा, तो अभी उस पर वह पुनर्विचार करा लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। अगर सचमुच उसमें बहुत समय लगा तो निश्चय ही हमको विचार करना होगा, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल था कि शायद वह बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियां कौन-कौन मानी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी वह रिपोर्ट हमारे सामने आयी नहीं। अभी गवर्नमेण्ट आफ इंडिया के ही पास है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट माननीय सदस्य की मेज पर रखी है और उसमें मुस्लिम कायस्थ जाति ऐसी है जिसे वह स्वयं नहीं जानते तो क्या यह सूची गलत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सूची में तो ऐसी बहुत सी जातियों के नाम हैं जिनको मैं नहीं जानता यह मेरे भूगोल के ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वह जातियां ही नहीं हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या वजीर आजम साहब मेहरबानी करके बतलायेंगे कि बैकवर्ड क्लास की, चाहे मुसलमान हों या हिन्दू हों जो फेहरिस्त मुरत्तिब की गयी है वह किन लोगों ने की और किन लिट्रेचर या मालूमात को सामने रख कर इस फेहरिस्त को तरतीब दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब इस लिस्ट की बाबत आखरी जिम्मेदारी गवर्नमेण्ट की है। गवर्नमेन्ट ने बहुत से अफसरों से काम लिया होगा। सरकारी रिपोर्ट देखी गयीं, इन बातों को देखा गया कि किन बिरादरियों के लोग लिखने-पढ़ने में पीछे हैं और जो सरकारी कागजात हैं उनकी बिना पर मुरत्तिब हुई और आखीर में गवर्नमेण्ट ने मंजूरी भी दे दी।

*२०---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१---**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)---[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

जिलाधीशों को कथित कम्पेन्सेटरी एलाउन्स

*२२---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**---क्या यह सत्य है कि कुछ जिलाधीशों को प्रदेश में कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितना-कितना और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२३—**श्री जोरावर वर्मा**—[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में हुई वारदातों से सम्बन्धित मुकदमे

*२५—**श्री रामसुन्दरराम** (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला बस्ती के खलीलाबाद तहसील में जनवरी, सन् १९५४ से सितम्बर, सन् १९५५ तक तहसील के प्रत्येक थाने में कितनी-कितनी डकैतियां हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—थाना मुंडेरवा दुधारा तथा खलीलाबाद प्रत्येक में एक-एक डकैती हुई। मेंहदावल, महुली तथा धनघाटा में कोई डकैती नहीं हुई।

*२६—**श्री रामसुन्दरराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी उन डकैतियों में कितनों पर कार्यवाही अब तक हुई है और कितने शेष हैं जिन पर कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—तीनों अभियोगों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये। एक में अभियुक्त बरी हो गये, दो अभी अदालत के विचाराधीन हैं।

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ये मुकदमे अदालत में चल रहे हैं वह किस थाने के हैं और कौन से गांव के हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक तो थाना दुधारा में और दूसरे खलीलाबाद में और मुंडेरवा के थाने के जो थे वह छूट गये।

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद थाने में जो डकैती हुयी वह किस तारीख को हुयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—३१ अगस्त, १९५५ में आधी रात को डकैती हुयी।

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि उस डकैती में गांव वालों ने डकैतों का मुकाबला किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना तो माननीय सदस्य को मुझसे अधिक है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि खलीलाबाद के थाने में जो डकैती पड़ी उसमें बन्दूक से डाकुओं ने काम लिया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, ऐसा मालूम हुआ कि वहां बन्दूकें इस्तेमाल हुयीं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह जो डकैती खलीलाबाद तहसील में पड़ी थी उसमें १४ आदमी बन्दूक से घायल हुये थे जो अस्पताल में बहुत काफी दिन तक रहे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुछ आदमी बन्दूक से घायल हुये, कुछ अस्पताल में दाखिल हुये। बाकी तफसील तो मुकदमे के दौरान में आयेगी। मैं इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डालना मुनासिब नहीं समझता।

इलाहाबाद में बन्दूक व पिस्तौल के नये लाइसेन्सदार

*२७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जनवरी, १९५४ से मार्च, १९५५ तक कितने आदमियों ने इलाहाबाद में बन्दूक तथा पिस्तौल के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उसमें कितने आदमियों को लाइसेन्स दिये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुल ६८७ आदमियों ने दरखास्तें दीं, जिसमें से ३४४ स्वीकृत हुयीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार की ओर से प्रति वर्ष लाइसेंस देने के लिये कोई संख्या नियत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई संख्या नियत नहीं है।

रानीखेत तहसील में सिवाली पट्टी कण्डारखुवा निवासी श्री गोविन्दवल्लभ द्वारा आत्महत्या

*२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई, १९५५ के प्रथम सप्ताह में ग्राम सिवाली पट्टी कन्डारखुवा, तहसील रानीखेत, जिला अलमोड़ा के एक व्यक्ति की पेड़ में लटका कर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो वह लाश किस प्रकार दफनाई गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—८ जुलाई, सन् १९५५ को थाने पर श्री गोविंदवल्लभ के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर लेने की रिपोर्ट हुयी। जांच में इसकी पुष्टि हुयी और पंचायतनामा बनाने के बाद लाश मृतक के पुत्रों को, अन्त्येष्टि क्रिया के लिये दे दी गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को जांच करने पर श्री गोविंदवल्लभ द्वारा आत्म हत्या करने के कुछ कारण भी ज्ञात हुये ? यदि हां, तो वे क्या कारण थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कारण की तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किनके द्वारा की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो वहां के थानेदार और गांव के पंच वगैरह होते हैं उनके द्वारा जांच हुयी और पंचायतनामा लिख कर वह लाश दे दी गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पंचायतनामा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति आत्म हत्या करने वाले व्यक्ति के ही निकट सम्बन्धी थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यदि वे पंचायत वगैरह के सदस्य होंगे तो सम्भव है पंचायतनामा में शामिल हों।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह लाश पोस्ट मार्टम के लिये भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट रही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पंचायतनामा के बाद जब लाश दे दी जाती है तो उसको पोस्ट मार्टम के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी जुर्म का सन्देह होता है तो पोस्ट मार्टम के लिये भेजना जरूरी होता है।

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर में कोतवाली की नई इमारत बनाने का विचार

*३०—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजनौर नगर में कोतवाली का स्थान बहुत छोटा और अपर्याप्त है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*३१—श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार कोतवाली की नयी इमारत बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां । परन्तु स्थान और समय के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कोतवाली का स्थान इतना छोटा है कि न उसमें कोतवाल रहते हैं और न कोई अफसर जिससे पुलिस के काम में अड़चन पड़ती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां ।

श्री रतनलाल जैन—क्या यह सही है कि पहले इमारत के लिये एक स्थान लिया गया था, जिसमें बाद को शरणार्थियों के क्वार्टर्स बना दिये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई स्थान लिया गया था। लेकिन कुछ स्थानों के लेने की तजवीज थी और जब हमारे यहां से नयी कोतवाली बनाने के लिये योजना मंजूर हो जायगी उस समय जमीन को लेने का प्रश्न होगा ।

श्री रतनलाल जैन—नयी इमारत की आवश्यकता को समझते हुये क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में बड़ी इमारत को बना देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हमने तो इस इमारत को बनाने के लिये आगामी पंचवर्षीय योजना से पहले ही स्वीकृति लेने की कोशिश की है ।

*३२-३३—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

माधोगढ़, जिला जालौन में पुलिस थाना खोलने की मांग

*३४—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माधोगढ़, जिला जालौन को जहां पहिले पुलिस थाना था पुलिस स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—माधोगढ़ में पुलिस थाना खोलने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि रामपुरा में एक पुलिस थाना है जो माधोगढ़ की अपेक्षा सरहद के निकट होने के कारण अधिक उपयोगी है । माधोगढ़ में शासन सम्बन्धी कोई विशेष समस्यायें भी नहीं हैं ।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माधोगढ़ २०-२५ साल पहले थाना था और अब उसको तोड़कर वर्तमान थाना रामपुरा और रेहड थाने में मिला दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२०-२५ साल पहले की सूचना तो नहीं है लेकिन कोई आवश्यकता हुयी होगी तो ऐसे परिवर्तन अवश्य किये गये होंगे ।

श्री बसन्तलाल—क्या वर्तमान थाने रामपुरा और रेहड का हल्का बढ़ जाने से पुलिस को इंक्वायरी करने में और जनता को १४,१४ मील जाने में दोनों को कठिनाई होती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी कठिनाई की सूचना तो नहीं मिली, अगर कोई कठिनाई महसूस होगी तो पुनः उस पर विचार कर लेंगे ।

१९४२ की क्रान्ति में बनारस जिले के धानापुर काण्ड में मारे गए पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को पेन्शन

*३५--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४२ की जून क्रांति में बनारस जिले के धानापुर कांड में चार पुलिस वाले जो मारे गये थे, उनके परिवार वालों को कुछ पुरस्कार स्वरूप धन दिया गया या कुछ मासिक पेंशन दी जा रही है ?

*३६--यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना ?

श्री जगनप्रसाद रावत--धानापुर कांड में जो चार पुलिस वाले मारे गये थे उनमें से प्रत्येक के परिवार को पेंशनें दी गयीं, जिनका विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ--३६६--पर)

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पेंशन ग्रेचुयेटी कब से जारी की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी ठीक तिथि तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसको जारी किये हुये काफी अरसा हो चुका है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह चार पुलिस वाले जो इस कांड में मारे गये । जो भावी स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे थे उन लोगों को यह डिफेंड करने वाले थे या सप्रेस करने वाले थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उस समय वह अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, जो उनके अधिकारी थे उनका आदेश पालन कर रहे थे ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद उनकी पेंशन क्यों बंद नहीं कर दी गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उसको बन्द करने का कोई उचित कारण दिखायी नहीं देता ।

गाजीपुर जिले के एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तबादले की मांग

*३७--**श्री भोलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के तबादिले के लिये कोई अवधि निर्धारित होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई अवधि निर्धारित नहीं है परन्तु तीन साल के बाद अफसरों के तबादले के बारे में आम तौर पर विचार किया जाता है ।

*३८--**श्री भोलासिंह यादव**--क्या मंत्री जी बता येंगे कि गाजीपुर जिले में कितने ऐसे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट है जिनको ३ वर्ष से ज्यादा हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गाजीपुर में केवल एक ऐसे जुडीशियल अफसर है जिनको इस जिले में तैनाती के तीन वर्ष गत सितम्बर मास में पूरे हो गये हैं ।

श्री भोलासिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनक तीन साल पूरे हो गये हैं; उन्हें हटाने के लिये सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—हटाने का सवाल नहीं है, तबादले का सवाल था, आप सवाल ठीक करें।

श्री भोलासिंह यादव—उनका ट्रांसफर करने का विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खास तौर से उनकी बाबत विचार नहीं हो रहा है लेकिन जब अफसरों का तबादला होगा तो शायद उनका भी तबादला हो जाय।

बन्दीपुर ग्राम, जिला फैजाबाद में पुलिस चौकी खोलना स्थगित

*३९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा सदन में एक वर्ष पूर्व की गयी गांव बन्दीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अपराध संख्या कम होने के कारण बन्दीपुर में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

पनगरा ग्राम, जिला बांदा में कुछ व्यक्तियों पर गोली चलाने की शिकायत

*४०—**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री** (जिला बांदा)—क्या पुलिस मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के पनगरा ग्राम के श्री रामेश्वर प्रसाद, रामानन्द, जगदेव प्रसाद के ऊपर तारीख १२-७-५५ को रात को डाकुओं ने जो गोली चलायी थी और जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलायी थी उसका विवरण क्या सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—श्री रामेश्वर प्रसाद, रामानन्द और जगदेव प्रसाद के ऊपर डाकुओं द्वारा गोली चलाये जाने की कोई घटना नहीं हुयी। जो घटना हुयी उसका विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ—२६७ पर)

श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त घटना से संबंधित एक हेड कांस्टेबिल गायब हो गया था जो बिसौरा गांव के जंगल के पास दूसरे दिन सुबह पाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

*४१-४२—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले में घटित अपराधों के सम्बन्ध में पूछताछ

*४३—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण १९५४ और ३१ जुलाई, १९५५ तक उन्नाव जिले में जो हत्यायें हुयीं उनमें से कितने मामलों का चालान हुआ, कितने सजायाब हुये और कितने मामलों का पता लगा सकने में पुलिस असमर्थ रही ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी १६ महीने में १०१ हत्यायें अर्थात् औसतन प्रति मास ५ से अधिक हत्याओं को देखते हुये जिले की सुरक्षा के लिये कुछ विशेष व्यवस्था काम में लाने का विचार कर रहे है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उन्नाव जिले की जो घटनायें हुयी है वह सरकार के सामने है और उनके लिये काफी प्रबंध भी किया गया है और जो आवश्यक होगा प्रबंध किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन हत्याओं में अधिकांश में किन हथियारों से काम लिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--लाठी और भाले से अधिक काम लिया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या इन अराजकता को देखते हुये माननीय मंत्री जी संपूर्ण राज्य में नहीं तो कम से कम इस जिले में धारदार हथियारों पर रोक लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उन्नाव जिले के कुछ लोगों की उच्छृंखल कार्यवाही के कारण सारे सूबे में इस प्रकार की रोक लगाने का कोई विचार नही है।

श्री रामेश्वरलाल--जो हत्याये हुयी है उनमे यदि राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भी हत्याये हुयी है तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--राजनैतिक कारणों से की गयी किसी भी हत्या की सूचना मेरे पास नहीं है।

*४४-४५--श्री देवदत्त मिश्र--[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६--श्री शिवबक्ससिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७-४८--श्री तेजप्रताप सिंह--[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में हुए कत्लों के मुकदमें

*४९--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन् ५४ तथा ५५ में बांदा जिले की किन-किन तहसीलों मे कितने-कितने कत्ल हुये ?

*५०--कितने कत्लों मे अपराधियों ने सजा पायी और कितने छूट गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी हुयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र मे देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

श्री जगपतिसिंह--यह देखते हुये कि सन् १९५४ की अपेक्षा सन् १९५५ मे जुर्मो का पता लगाने में पुलिस असमर्थ रही है, इस विषय मे सरकार कुछ पुरस्कार देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसा तो कोई विचार नहीं है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उस पर विचार किया जाय।

भाला, फरसा, गड़ासा आदि हथियारों पर लाइसेंस लगवाने की मांग

*५१—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार भाला, फरसा, गड़ासा आदि तीक्ष्ण धारों वाले हथियारों पर लाइसेंस लगवाने को सोच रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

*५२-५३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४-५६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८—श्री रामचन्द्र विकल—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री तुलाराम (जिला इटावा)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

२—श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ित को पेन्शन

३—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला झांसी में सन् १९५४-५५ में किन-किन राजनैतिक पीड़ितों को कितनी-कितनी मासिक पेंशनें दी गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल श्री अशर्फीलाल सक्सेना को ३० रु० मासिक पेंशन दी गयी।

४-५—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले में बन्दूक के नये लाइसेन्सदार

६—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में १९५३-५४ और १९५४-५५ में बंदूक के लाइसेंस की कुल कितनी दरख्वास्तें आयीं और उनमें कितनी स्वीकार हुयीं और कितनी अस्वीकार की गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५३-५४ में कुल १,१२१ दरख्वास्तें आयीं जिसमें से ३४७ स्वीकार की गयीं और ५३९ अस्वीकार तथा २३५ दरख्वास्तें विचाराधीन हैं।

१९५४-५५ में १,१८७ दरख्वास्तें आयीं और पिछले वर्ष के २३५ मिलाकर कुल संख्या १४२२ हुयी, उनमें से २४१ स्वीकार की गयीं। ५२१ अस्वीकार तथा ६६० विचराधीन हैं।

सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ की घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव का समाचार-पत्रों में गलत प्रकाशन

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मैं आपका ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत २१ नवम्बर को जो कामरोको प्रस्ताव मैंने इस सदन में उपस्थित किया था उसमें जिस गांव का जिक्र मैंने किया था, सिकन्दरपुर का, उसके विषय में करीब-करीब सभी अखबारों मे गलत रिपोर्ट छपी है और मैंने आपकी विषय मे एक शिकायत भी लिखकर आज दी है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आया है उसका निर्णय होने पर आप अपनी बात उठायें।

जौनपुर में बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस वसूली विषयक आन्दोलन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना—

श्री अध्यक्ष—कल मेरे पास जो कामरोको प्रस्ताव आये, मैंने उन्हें पढ़ा और वे दो तरह के थे। यद्यपि वे एक ही मामले के बारे में थे। जौनपुर में बाढ़-पीड़ित विद्यार्थियों से फीस वसूल करने के बारे में जो आंदोलन हुआ और उसके लिये जो स्थानीय शासकों ने कार्यवाही की उससे उत्पन्न हुयी परिस्थिति पर विचार करने के बारे मे ये दोनों कामरोको प्रस्ताव आये। चूंकि कल मैं पढ़ नहीं सका था इसलिये मैं ने आज के लिये फैसले के लिये रखे थे। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि यह मामला अदालत के सिपुर्द कर दिया गया है। तो पहले मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस विषय में मामला अदालत के सिपुर्द किया है या नहीं, वह कम से कम अपनी मालूमात मुझे बता दें कि क्या परिस्थिति है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जहां तक मेरी मालूमात है वह यह है कि १४४ को तोड़ने का मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी, मुझे यह बतलावें कि १४४ के अलावा और कोई मामला इससे संबंधित है और सरकार से उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मेरा प्रस्ताव १४४ तोड़ने के सम्बन्ध में जो केवल गिरफ्तारियां हुयी हैं उनके सम्बन्ध में ही नहीं है। रात में छापा मार कर सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री शरतकुमार, श्री विश्वनाथ सिंह वकील और एक अखबार के सम्पादक और ३ और सोशलिस्ट व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। यह साफ है कि वे १४४ कहीं नहीं तोड़ रहे थे बल्कि अपने घर में थे २ बजे रात के समय....

श्री अध्यक्ष—यह वाकयात की बात है। उन लोगों पर १४४ तोड़ने का मामला अदालत में है या नहीं ?

श्री राजनारायण—१४४ के सम्बन्ध मे, जहां तक मैं जानता हूं, मुकद्दमा नहीं है। अब अगर सरकारी कर्मचारियों की ओर से इन लोगों को फंसाने के लिये १४४ भी लागू कर दी गयी है तो यह दूसरी बात है। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला बड़ा अहम है। नागरिक अधिकारों से संबंधित मौलिक प्रश्न है और सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध है। जो अखबार की कटिंग मैंने आपकी सेवा मे पेश की है, उसके १०७, १५१, ११७ सब ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन्स है और मनमाने तरीके से विरोधी पार्टियों के सदस्यों को और उनके अधिकारों को कुचलने के लिये सरकारी कर्मचारी इन धाराओं का उपयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपने सरकार से पत्र-व्यवहार करके इस विषय में उनको मालूमात दी हैं ?

श्री राजनारायण--मैं आपको इस बारे में बतला दूं कि जौनपुर में समस्या बहुत पहले की है। वहां ६ नवम्बर से हड़ताल करने की नोटिस भी दी गयी थी तो मैंने कहा कि हड़ताल मत करो। इस मसले को हम उठावेंगे।

श्री अध्यक्ष--सरकार से और आपसे कोई बातचीत हुयी ?

श्री राजनारायण--हम यह सरकार के नोटिस में लाये और उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने भी लिखा, जिनका नाम . . . . .

श्री अध्यक्ष--आपने लिखा है यह आप कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय उपाध्याय जी से भी (श्री राजनारायण से) आप कृपा कर बैठ जावें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--१४४ बेलेबिल आफेंस है। हमने लिखा है कि यह लोग जमानत पर भी नहीं छोड़े गये और सरकार से सम्बन्ध इसलिये है कि फीस की माफी सरकार से मंजूर हुयी है और वहां के कलेक्टर साहब ने सरकार की आज्ञा न मानकर लड़कों से फीस वसूल की और इसके लिये जो आंदोलन हुआ उसमें रात के २ बजे लोगों को पकड़ कर ले गये और उन्हें अभी तक जमानत पर नहीं छोड़ा है। अगर १४४ होती तो उन्हें जमानत पर छोड़ देना चाहिये था उसके बाद सभा करने की इजाजत भी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष--(मुख्य मंत्री से) श्री विश्वनाथ सिंह, श्री सदानन्द पांडेय, महादेवराम इत्यादि के ऊपर कोई मुकद्दमा १४४ में अदालत में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं जानता हूं इन कुछ लोगों के ऊपर मुकद्दमा १०७ और ११७ का चलेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन लोगों की तरफ से जमानत की दरख्वास्त दी गयी थी और उस पर उन लोगों को रिहा नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--यह अदालती कार्यवाही है। इससे सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न यह था कि यह विषय सरकार से संबंधित है या नहीं। सरकार की अटैन्शन ड्रा करने का पता तो लगता है। तो ऐसी अवस्था में मैं इसे वैध करार देता हूं। जो लोग इस पक्ष में हैं कि इस श्री राजनारायण जी के कामरोको प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जाय, उपस्थित करने के लिये, वे कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

(२० सदस्य खड़े हुए)

बीस की संख्या है जो कम है जितनी संख्या होनी चाहिये उससे, ३६ होने चाहिये कम से कम। इसलिये सदन की अनुमति नहीं है।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की शिफारिशों पर विवाद सम्बन्धी भाषणों का समय कम करने की मांग

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बोलने वालों की संख्या अधिक मालूम होती है, इसलिये समय कम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह बात बाद में उठा सकते हैं।

सिकन्दरपुर, जिला आजमगढ़ की घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के समाचार-पत्रों में गलत प्रकाशन पर तथा बाराबंकी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट द्वारा उसके खंडन पर आपत्ति

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कल २१ नवम्बर, को जो कामरोको प्रस्ताव मैंने रखा था और जिसे बाद में आपने इनवैलिड घोषित किया था उसकी रिपोर्टिंग करीब-करीब सभी अखबारों में बहुत गलत छपी है जिससे एक भ्रम फैल गया है। इस सम्बन्ध में मैंने एक शिकायत की रिपोर्ट भी दी है। उसमें सिकन्दरपुर गांव जो जीयनपुर थाने में आजमगढ़ जिले में है, लेकिन अखबारों में अकसर छपा है कि बाराबंकी जिले में है। इसकी वजह से नेशनल हेराल्ड में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें वहां के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बाराबंकी में किये हमारे की बात को खंडन किया है। मैं चाहता हूं कि इस बात की रिपोर्ट दुरुस्त कर दी जाय कि सिकन्दरपुर गांव आजमगढ़ जिले में है। जहां मीटिंग हुयी उस गांव का नाम टेंघाना है जो घोसी थाने में है और वह आजमगढ़ जिले में है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें श्री दीक्षित सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने बयान दिया है। मेरे विचार से दीक्षित साहेब का बयान एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हाउस की कन्टेम्प्ट है क्योंकि यह बयान हाउस में हुआ। ऐसा एडजर्नमेंट मोशन दिया गया जो आपके द्वारा डिसअलाऊ कर दिया गया था। उसमें अगर एस० पी० को बयान देना था या कुछ कहना था तो उसका यह तरीका नहीं था कि अपना बयान बाराबंकी के रिप्रिजेंटेटिव को दे दे, बल्कि उसका तरीका यह था कि होम मिनिस्टर के द्वारा या उनसे सीधे पत्र लिखकर वह उसको अवगत करा सकते थे। मेरे विचार से तो बिना इस प्रकार की कार्यवाही किये गये ऐसे एडजर्नमेंट मोशन पर राय देना जो कि आपके द्वारा डिसअलाउ कर दिया गया था और जिसके बारे में सरकार बयान देना उचित नहीं समझती थी, तो ऐसा बयान एक प्रकार से सदन की कन्टेम्प्ट है। मैं समझता हूं कि आप अपनी राय निश्चित करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—इस समय दो प्रश्न मेरे सामने पेश किये गये। श्री झारखंडे राय का कहना यह था कि जिस गांव के बारे में उन्होंने यहां कहा था वह आजमगढ़ जिले में है न कि बाराबंकी में। बहुत से अखबारों में गलत छप गया और उन्होंने उस गांव का नाम भी बताया जिस गांव में उनकी हत्या के बारे में षडयंत्र हुआ। तो यह तो मैं समझता हूं कि दुरुस्ती करने का प्रश्न उन्होंने मेरे सामने रखा है कि अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उससे जो गलतफहमी पैदा हुयी उसकी दुरुस्ती हो जाना चाहिये। यहां स्पष्टीकरण करके मैं तो पहले यह कह देता हूं कि अगर इस तरह की गलती हुयी है तो अखबारों के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं वह उसको देख लें और सही कर दें। लेकिन मेरा काम भी इतना है कि मुझे अगर झारखंडे राय जी ने अभी थोड़ी देर पहले लिखकर दिया था कि फलां गलती हुयी है और जिस अखबार में गलत छप गया है उसकी नकल भी यदि वे मुझे दे देते और मैं उस पर विचार कर लेता तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण उस विषय में इस सदन में दे देता। वह स्पष्टीकरण मैं इस सदन में आज ही सही वाकया और स्थान बताकर कर देता।

दूसरा प्रश्न विशेषाधिकार का है जो श्री नारायणदत्त तिवारी ने यहां उपस्थित किया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस का इस तरह का बयान आज यहां अखबारों में छपा है। इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। अभी इस बारे में कोई निश्चित राय मैं नहीं दे सकता हूं। जो बातें अखबारों में छपी हैं। जब तक मैं उसकी मुख्य मंत्री जी द्वारा तहकीकात न कर लूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कि यह कहां तक सही है कि यह उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन भाषणों का जो यहां पर हुये हैं, जिक्र किया है और खंडन किया है, निश्चित राय नहीं दे सकता। इसके विषय में पूरी जानकारी के बाद जो निर्णय होगा सदन को उस निर्णय से सूचित कर दूंगा।

'नेशनल हेरल्ड' में कार्य-स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी कार्यवाही को ठीक ढंग से न छापने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, एक निवेदन मुझे भी करना है। इच्छा न रहते हुये भी कर्त्तव्य से प्रेरित होकर यह निवेदन कर रहा हूं। आज के नेशनल हेरल्ड के पहले पेज पर दो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में यह लिखा हुआ है कि--

"The Speaker said that since the motions had been received very late he could not give them full consideration."

इससे यह प्रकट होता है कि हमने विलम्ब से आपको यह प्रस्ताव दिया है और आपने इसलिये उस पर विचार नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण है, अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की बातें नहीं कहीं कि उनका प्रस्ताव देर से मिला इसलिये उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समाचार-पत्रों में ऐसी बातें अनेक बार हो जाया करती हैं। मेरी शिकायत करने की इच्छा नहीं है किन्तु मैं आपके द्वारा समाचार-पत्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की बातों पर ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी, मैं समझता हूं कि इतनी छोटी बात यह है कि जिसके विषय में जैसे साधारणतया मैं कह देता हूं कि मुझे समय पढ़ने का नहीं मिला उसी प्रकार इस विषय के बारे में भी पत्र ने मेरा कथन छाप दिया है। अखबार ने कोई इरादतन् यह किया होगा यह मैं अन्दाजा नहीं लगा सकता। यह साधारण मेरे कहने का रवैय्या रहा है। मैं यह कह देता हूं कि मुझे अभी सूचना मिली है लिहाजा मैं कल विचार करूंगा। तो इस तरह से यहां के पत्र प्रतिनिधियों के दिमाग में यह आया होगा और कुछ पूरे शब्द वे नहीं सुन पाये होंगे, इस कारण यह जोड़ दिया होगा तो यह चीज कभी-कभी अनअवायडेबिल हो जाती है। अखबार वाले यहां बैठते हैं। कभी शोर हो जाता है हम लोग बोलने लगते हैं तो पूरे शब्द उनको सुनाई नहीं पड़ते और कुछ शब्द छूट जाते हैं। तो वह अपनी अक्ल से बोलने वाले का रवैय्या समझकर कमी को पूरा कर देते हैं, जो बात छापी गयी है वह कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है और न उससे कोई ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अखबार वाले ध्यान-पूर्वक सुनें और इस तरह की कोई गलती भविष्य में न की जाय। मैंने कल यह नहीं कहा था कि मुझे देर से नोटिस मिला। मुझे पहले ही मिल चुका था। बात सिर्फ यह थी कि मेरे पास बहुत से लोग बैठे हुये थे, जिनसे मैं बात कर रहा था और मैं नोटिस के साथ जो पर्चे थे उन्हें पढ़ नहीं पाया था। इसलिये मैंने कहा कि "मैं पढ़ नहीं पाया हूं, जब पढ़ लूंगा और चूंकि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद नहीं हैं, तो कल इस प्रश्न पर विचार कर लूंगा"। यह मैंने कल कहा था।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २२ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अभी एक प्रश्न आया था कि कुछ समय कम कर दिया जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके विशेष महत्व को देखते हुए १५ मिनट का समय हमने काफी समझा था। कई लोग वैसे बोलने वाले होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि यह विषय, कि समय कम कर दिया जाय, इसे आज शाम के बाद लिया जाय तो ठीक होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पांच-पांच मिनट या दस-दस मिनट ही बोलना चाहेंगे। उसकी सूचना यदि मेरे पास आयेगी तो मैं उनको पांच मिनट या १० मिनट समय दे दूंगा और इस तरह से १५ मिनट में दो या तीन सदस्य बोल सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उसका बन्धन सब के लिये लागू कर देना कुछ थोड़ा अनुचित-सा होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि हमको जानने की कोशिश करनी है कि आखिर पश्चिमी जिले के हमारे बहुत से भाई हमसे क्यों अलग होना चाहते हैं। जो बातें मैंने यहां सुनीं उससे मैं यह अन्दाजा लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से स्टेट को आमदनी काफी है और उसके अनुपात से उनके जिलों में रुपया ज्यादा नहीं खर्च किया जा रहा है। मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात नहीं की गयी, डाकपाथर में जो डैमव बिजली का कारखाना खोला जाने वाला था वह नहीं खोला गया, उनके यहां सड़कें नहीं बनायी गयीं, उनके यहां अस्पताल नहीं खोले गये और एस० आर० सी० ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हमारे पश्चिमी जिलों के भाई इसलिये उत्तर प्रदेश का विभाजन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनामिक ग्राउन्ड पर भी वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हमारे पश्चिमी जिले अलग हो जायं। अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत हमारे पश्चिमी जिले के भाइयों की है और उसे हमको मानना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि उनकी शिकायतें दूर की जायं। किन्तु आज इस सदन के सामने उनकी एक और नयी शिकायत आ गयी है जो उनको सरदार पणिक्कर साहब ने दी है और वह यह है कि उत्तर प्रदेश का विशाल बहुमत होने से देहली की पार्लियामेंट में हमारे ८६ मेम्बर हैं और इस तरह से हिन्दुस्तान की पोलिटिक्स में उत्तर प्रदेश डामिनेट करता है। मैं अपने पश्चिमी जिलों के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देहली पार्लियामेंट में अगर किसी तरह से हावी हो सकता है तो क्या इसकी उनको शिकायत होनी चाहिये? आज अगर हम अलग भी हो जायेंगे तो देहली की पार्लियामेंट में अगर कोई उत्तर प्रदेश का मसला आवेगा तो क्या अलाहदा हो जाने की वजह से हमारे पश्चिमी जिलों के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी शिकायत तो यही है कि श्री पणिक्कर ने हमारे बीच में एक ऐसा बीज बो दिया है कि हमारे भाई ही यह कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश का बहुमत पार्लियामेंट के अन्दर न हो, इसलिये इसका विभाजन होना ही चाहिये। सरदार पणिक्कर ने इसके लिये यह भी सुझाव दिया है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में भी तब्दीली की जाय ताकि हर स्टेट बराबर-बराबर मेम्बर देहली भेज सके। ठीक है, ऐसा कीजिये, अगर कांस्टीट्यूशन में तब्दीली होगी तो भी उत्तर प्रदेश के जो रेप्रेजेंटेटिब्स होंगे उनको सीट सेंट्रल पार्लियामेंट में दी जायगी ही और वह उस हालत में भी डामिनेट करेंगे। जब स्टेट्स का विभाजव होगा तो उसका कोई बेसिस तो होगा, अगर पापुलेशन का बेसिस होगा तो हमारे यहां की ६ करोड़ आबादी है और जैसा वह कहते हैं दो भाग कर दिये जायं उस वक्त भी हम देश की पालिटिक्स में डामिनेट करेंगे। लेकिन क्या आज इस प्रदेश के जो मंत्री लोग वहां हैं वह इस प्रदेश को किसी तरह से वहां डामिनेट करने देते हैं? क्या वह किसी तरह से भी इस प्रदेश की कोई रियायत करते हैं? आप बतायें कि ४८ सौ करोड़ का बजट हमारे सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान का है। लेकिन सरकार ने हमें बताया कि हमें उसमें से केवल २६५ करोड़ मिला है, क्या आबादी के हिसाब से हमें इतना ही मिलना चाहिये था। बावजूद इसके कि प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी हैं,

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

पं गोविंद वल्लभ पंत हैं, डाक्टर काटजू हैं, माननीय लालबहादुर शास्त्री यहीं के हैं, श्री अजीतप्रसाद जैन यहां के हैं, श्री महावीर त्यागी यहीं के हैं, श्री सतीशचन्द्र डिप्टी मिनिस्टर यहां के हैं, श्री केशवदेव मालवीय यहीं के हैं, सारे विभागों के मिनिस्टर हैं और देश की राजनीति में उच्च स्थान रखते हैं लेकिन क्या इसी का यह नतीजा है कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में केवल इतना रुपया हमारे सूबे को मिल रहा है। इस तरह से उल्टा हमें नुकसान ही मालूम होता है।

आप रेलवे में देखें या फौज में देखें क्या इसी प्रदेश के तमाम आदमी वहां डामिनेट करते हैं, कितने आदमी हमारे प्रदेश के इन विभागों में काम करते हैं। हो यह रहा है कि उत्तर प्रदेश अपने लोगों के वहां होते हुए भी उनकी उदारता के कारण हानि उठा रहा है। लेकिन पणिक्कर साहब को फिर भी डर है कि हम वहां डामिनेट कर रहे हैं। अगर हमें सबसे अधिक रुपया मिला होता तो कुछ कहा जा सकता था। हमें तो शिकायत है कि हमारे यहां के लोगों को पार्लियामेंट को मजबूर करना चाहिए था कि हमारी आबादी और हमारी गरीबी के लिहाज से हमें रुपया दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सरदार पणिक्कर साहब को यह कहने की हिम्मत न पड़ती कि यह प्रदेश शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, सोशल सर्विसेज में रुपया यहां कम व्यय होता है, यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है, मैं यह नहीं कहता कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उसकी मैं कोई तारीफ नहीं करता लेकिन मैं कहूंगा कि क्या बड़े होने से ही ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है और वह उसके टुकड़े करने से अच्छा हो जायगा? जहां तक वह कहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है मैं कहता हूं कि वह खराब है। उनके मध्य प्रदेश का रकबा १ लाख ७१ हजार वर्गमील का होगा और हमारा रकबा १ लाख १३ हजार वर्गमील है और इसमें से भी हमारा २१ हजार वर्गमील का पर्वतीय प्रदेश है और मैं समझता हूं कि अगर डेनसिटी आफ पापुलेशन के हिसाब से देखा जाय तो कोई भी प्रदेश ऐसा न होगा जो इतना घना आबाद होगा तो इसलिए भी एक साथ रहना ही ठीक है। लेकिन सरदार पणिक्कर साहब न जाने क्यों हमारे शरीर के दो टुकड़े देखना चाहते हैं। विशाल आन्ध्र रह सकता है, लेकिन पणिक्कर साहब चाहते हैं कि किसी तरह से यू० पी० के दो भाग होकर विभाजन हो जाय और कहीं ऐसा न हो कि यह प्रदेश राजनीति में इस देश को डामिनेट करने लगे। वह हमेशा डामिनेट करता है और करता रहेगा, वह अच्छे आदमी पैदा करता है, आज पं० जवाहरलाल जी यहां पैदा हुए वह लीडर हैं, कल को पं० गोविन्दवल्लभ पन्त जी हैं वह भी यहीं के हैं और आगे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट में जयप्रकाश नारायण आ सकते हैं, आचार्य नरेन्द्रदेव आ सकते हैं और वह भी यू० पी० के हैं। यू०पी० और बिहार तो अच्छे आदमी पैदा करता है, करता ही रहेगा। तो उनको शिकायत किस बात की है। हमें तो अपने देहली वाले भाइयों से मांग करनी चाहिए कि हमें हमारा पूरा भाग भी नहीं दिया जा रहा है हमें विकास कार्य के लिए और ज्यादा रुपया चाहिए। सरदार पणिक्कर साहब ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आदि खराब होने का यही इलाज है कि इसके दो टुकड़े किये जायं किन्तु क्या इसके छोटे हो जाने से ही इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायगा? मैं अपने पश्चिमी जिलों वाले सज्जनों से पूछना चाहता हूं कि अगर आज दो टुकड़े कर दिये गये और उसके बाद विन्ध्य प्रदेश या ग्वालियर के कुछ भाग को मिलाया गया और हमने उस पिछड़े इलाके की तरक्की में रुपया लगाया तो फिर इधर के बाकी लोग कहने लगेंगे कि सारा रुपया उधर ही लगाया जा रहा है, इसलिए अब हम भी अलग होना चाहते हैं और अगर कम खर्च करेंगे तो वह कहेंगे कि हम तो आपके पास यह सोचकर आये थे कि हमारी उन्नति के लिए आपसे मदद मिलेगी लेकिन आप हमारी आशा पूरी नहीं कर रहे हैं हमें अलग कर दीजिये। इस प्रकार अलग होते रहेंगे और हमारे विभाजन का नतीजा यह होगा और हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायंगे।

पश्चिमी जिले वालों को कुछ शिकायतें हैं, लेकिन वैसी ही शिकायतें पर्वतीय प्रदेश व बुन्देलखंड वालों की हैं लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कभी नहीं कहते कि इसका विभाजन किया जाय। हम बड़े प्रदेश में रह कर अपनी उन्नति करना चाहते हैं। हमारा पर्वतीय प्रदेश तो हिमांचल प्रदेश में जा सकता था जिस हिमांचल के लिये करीब ६ करोड़ रुपया पंडित जवाहरलाल जी ने देकर उसकी उन्नति कर डाली है लेकिन हम नहीं चाहते। वहां ११ लाख की आबादी है हिमांचल प्रदेश की, लेकिन हमारे चार जिलों की अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी की आबादी २२ लाख है। हम वहां डामिनेट करते और मैं वहां का मुख्य मंत्री हो जाता और कौन मुख्य मंत्री होता क्योंकि पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त तो अब केन्द्र में चले गये। लेकिन क्या करूं बदकिस्मती से अपने थोड़े से चीफ मिनिस्टरी की लालच में प्रदेश के टुकड़े नहीं करना चाहता। मुझे तो दुःख है कि पणिक्कर साहब ने वह बीज इस प्रदेश में बो डाला जिसके शिकार हमारे पश्चिमी जिलों वाले भाई हो गये।

सरदार पणिक्कर ने तो बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं उनकी एक और बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बैकबोन आफ इंडिया है और इससे और स्टेट्स कल्चर और आइडियाज को लेते रहते हैं। लेकिन इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन वीक है। मैं भी इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा कट्टर विरोधी हूं इसलिये कि इसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी खराबी है। जो पणिक्कर साहब ने कहा है वह इस माने में तो बिल्कुल ठीक है कि उसके कारण ही हम बैकवर्ड हैं। उसके फैक्ट्स ऐण्ड फिगर्स हैं उसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक पणिक्कर साहब की कल्चर और आइडियाज वाली बात है बहुत कुछ यह बात सही है। हमने हिन्दुस्तान के अन्दर आइडियाज और कल्चर की बातें रखी हैं। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन कितना अच्छा है। यहां से हिन्दुस्तान के लोग आइडियाज लेंगे, नये-नये आइडियाज लेंगे। अभी हाल में दिल्ली में सारे भारत के पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनों की कांफ्रेंस सारे हिन्दुस्तान के स्टेट्स वाले वहां आये। हमारे मावलंकर साहब उसके प्रेसीडेंट थे। वहां देखकर मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि हमारे डाक्टर जीवराज मेहता के फायनेंस मिनिस्टर हमारी कांफ्रेंस में आये हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं बम्बई गवर्नमेंट की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूं। मुझे दुःख है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स में अपने को इतना कहते हैं उसकी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वहां का फायनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि हम दो घंटे में सारे कामों को, सारे मामलों को निपटा लेते हैं और यह उनके लिये बड़े गर्व की बात थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सब जानते हैं कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिये फायनेंस सबसे बड़ी चीज है और उसका ठीक-ठीक खर्च हो रहा है या नहीं हो, रहा है इसकी देखरेख के लिये कमेटी, जिसमें विरोधी पक्ष का नेता चेयरमैन हो मान लिया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यही होता है और मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन को विरोधी पक्ष से चुनने की प्रथा को कायम किया है। यह उत्तर प्रदेश को ही गौरव है कि वह अकेला ही ऐसा प्रदेश है और किसी प्रदेश के अन्दर यह चीज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आइडिया उत्तर प्रदेश ने डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स के लिये सारे हिन्दुस्तान के सामने नहीं रक्खा? अध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडे राय जी हमारे कम्यूनिस्ट मेम्बर हैं। कोई दूसरे प्रदेश वाला किसी कम्यूनिस्ट को पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में घुसने नहीं दे सकता, लेकिन आज वह कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं लेकिन फिर भी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में वे हमारे साथ हैं और यही नहीं, यह सिस्टम सन् ३७ से चल रहा है और इसको

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जो भी गवर्नमेंट आयेगी वह मानेगी। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है। यह तो सिस्टम है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यह आइडियाज़ है जो उत्तर प्रदेश बाहर फैलाता रहता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पणिक्कर साहब ने कहा कि कुमायूं, गढ़वाल व यहां के पहाड़ी लोग तो नोमेडिक रेस के हैं। उन्हें पता नहीं है कि हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर व गृह मन्त्री पं० पन्त भी नोमेडिक रेस के हैं। हम पहाड़ वालों को तो उन्होंने नोमेडिक रेस कह कर अलग कर दिया। उसकी तरक्की की उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। मनीपुर और आसाम के हिल स्टेट्स की चर्चा हुई कि इसमें डेवलपमेंट नहीं है। उस वक्त हमारे यहां की भी चर्चा होनी चाहिये थी। क्या हमारे पर्वतीय प्रदेश के लिये वह कुछ नहीं कह सकते थे? अगर वह अलग थे तो उन्हें भी अलग प्रान्त में डाल देते। लिंगुइस्टिक सवाल भी हमारे सामने नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे औरत और मर्द में आपस में झगड़ा हो गया। एक मर्द शादी करके अच्छे घर की लड़की लाया। मर्द के भाई बन्द सब गरीब थे। पढ़े-लिखे नहीं थे। वह औरत जब आई तो पहले ही उसके पास १०, ५ साड़ियां थीं। आते ही उसने कहा कि ५ साड़ियां और खरीद कर लाओ। आदमी ने कहा साड़ी तुम्हारे लिये कहां से खरीदूं। पहले भाई जो बेपढ़े हैं उन्हें पढ़ा लूं। औरत इस पर रूठ गई। इसी तरह हमारे श्रीचन्द्र जी कह रहे हैं कि मैं अलग चली जाऊंगी। यह तो औरत और मर्द जैसा झगड़ा है। सिर्फ इसी बात के लिये कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमें पैसा नहीं मिलता है अलग हो जाना यह बात कुछ समझ में नहीं आती। यह कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं असेम्बली में चुन कर आया तो सबसे पहले मैंने ही कहा था कि जिस वक्त डाक पाथर बिजली का कारखाना जिसका पं० जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडेशन स्टोन दिया था उसको क्यों छोड़ दिया। कल मरोड़ा डेम के लिये जो जिक्र किया गया उसके लिये भी हमने कहा था कि उसे क्यों खत्म कर दिया। आज पश्चिमी जिलों के लोग इस बात के लिये प्रस्ताव लावें तो देखें कि हम साथ देते हैं उनका या नहीं तब वे ऐसी बात कह सकते हैं। डिवीजन होने से क्या एडवांटेजेज होंगे और क्या डिसएडवांटेजेज, इसको वे देखें। डिसए-डवांटेजेज यह होंगे कि हमारी नहरें बट जायंगी, बिजली के कारखाने बट जायंगे, उद्योग-धंधे बट जायंगे, लेकिन एडवांटेजेज क्या हैं, कुछ नहीं। अगर उनकी मनोवृत्ति यह है कि पैसा वे ज्यादा देते हैं और खर्च दूसरे जिलों पर ज्यादा होता है और वे क्यों इस तरह से दबते रहें उनका पैसा उन पर क्यों नहीं खर्च किया जाता, यही उनकी मनोवृत्ति है तब काम बनने वाला नहीं है। मैं तो यह चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है चाहे वह बुन्देलखंड के लोग हों या और कहीं के सबकी तरक्की हो। हमारा विकास हो। हमारे पर्वतीय प्रदेशों में तो न आज रेल है, न हवाई जहाज के अड्डे हैं, न पूरी सड़कें हैं, न सस्ते मोटर के साधन हैं, बड़े-बड़े कारखाने नहीं हैं, गर्ज कि कोई चीज नहीं है, लेकिन इस पर भी हम अलग नहीं होना चाहते और यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो।

विन्ध्य प्रदेश व मध्य भारत के कुछ जिलों के संबंध में भी मेरी यह राय है कि अगर उसके टुकड़े न होते, मध्य भारत में उसको मिलाये जाने की बात न होती तब तो हमें कुछ नहीं कहना था। लेकिन जब उसके टुकड़े किये जा रहे हैं, और वहां के लोग चाहते हैं कि उसको उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जाय तो क्या कारण है कि न मिलाया जाय। मैं इसके साथ हूं। माननीय राजा वीरेन्द्रशाह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

एक बात और है माननीय ख्वाजा साहब ने रिफरेंडम की बात कही कि रिफरेंडम में हम जीत जायेगे। अगर उत्तर प्रदेश में आज यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है या नहीं तो सारे लोग कहेंगे कि खराब है लेकिन इस विभाजन के मामलों में जहां बाहर निकल कर माननीय मुख्य मंत्री और पं० जवाहरलाल जी ने पश्चिमी जिलों के लोगों को समझाया और कहा कि विभाजन का होना ठीक नहीं है तो यही पश्चिमी जिले के लोग जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं इन मामलों में फौरन कहेंगे कि पूर्व हमारे साथ ही रहे। ये लोग तो बिल्कुल उनके गुलाम बने हुए हैं और जो वे कह देंगे वही होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन किसी हालत में नहीं होगा। और विभाजन करने के लिये हम किसी प्रकार भी तैयार नहीं हैं।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन का प्रश्न बहुत महत्व का है और इसके ऊपर जितना देश में विवाद छिड़ा हुआ है उसको देखते हुए यह अवश्य है कि कोई भी प्रोग्रेस इस देश की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि ये छोटे-छोटे मसले पहले तय न हो जायं। यही विचार करके यह स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बनाया गया था और उसने दक्षिण में तो बोली और भाषा के आधार पर सारे दक्षिण को बांट दिया, लेकिन जहां तक हिन्दी बोलने वाले प्रान्तों का ताल्लुक है उन्हें वह भाषा के आधार पर बांट नहीं सकता था। न तो उनको मिला कर बड़ी भारी १७ करोड़ की एक स्टेट बनाई जा सकती थी और न हम बहस करके भाषा के आधार पर उन्हें बटवा सकते हैं। जो अब तक दलीलें दी गई हैं उनमें से बहुत-सी को तो मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पा सका।

इस प्रदेश की भाषा एक है। लेकिन डायलेक्ट्स अलग-अलग है। डाइलेक्ट्स के आधार पर कोई प्रदेश नहीं बन सकता। बहुत से ऐसे इलाके हैं। पश्चिमी जिलों के किसान पूर्वी जिलों के किसानों की भाषा नहीं समझ सकते। पहाड़ के लोग जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो हममें से बहुतों को समझने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन भाषा तो इतने धीरे-धीरे बदलती जाती है। हिन्दी भाषा भाषी प्रांतों में इस आधार पर कि इधर जरा खड़ी बोली है, उधर जरा ब्रजभाषा है, मेरी समझ में उसका बटवारा नहीं आता।

कल्चर का जहां तक ताल्लुक है इस पर भी बहुत कुछ बहस हो सकती है क्योंकि कल्चर, रहन-सहन का जहां तक ताल्लुक है, खानपान में आम तौर से किसान वह खाता है जो वहां पैदा होता है। पश्चिमी जिलों में जिन इलाकों में चावल पैदा होता है वहां के लोग चावल खाते हैं। देहरादून के लोग चावल खाते हैं। पूर्वी जिलों में चावल पैदा होता है वहां के लोग चावल खाते हैं। कपड़ा जितना मिलता है पहन लेते है। उसमें बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं मालूम होता। लेकिन जहां तक रिश्तेदारियों का ताल्लुक है यह जरूरी है कि जहां हद होगी वहीं रिश्तेदारी होगी। बुलन्दशहर की गुड़गांव में होगी और बलिया की छपरा और बिहार में होगी, इसलिए इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दे कर हम इस प्रदेश के बटवारे की बात कहें उसमें बहस करना और उसका जवाब देना इसको मैं जरूरी नहीं समझता। इससे ज्यादा जरूरी कुछ और चीजें मालूम होती हैं। इस वक्त इस मामले पर इतना जोश है और इतना इसमें इमोशन ला दिया गया है कि इसमें अपनी सही राय देना काफी मुश्किल हो जाता है।

मुख्य मंत्री जी ने अपील की और सही अपील की, और यह अपील सही इसलिये भी है कि जो लोग यह चाहते हैं कि साथ रहें उनको तो कम से कम भड़काने की बात नहीं कहनी चाहिये। जो लोग अलग होना चाहें, अगर वह गलती करें, वह भड़काने की बात कहें तो समझ में आ सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि साथ रहें वह भड़काने की बात कहें, जब जिम्मेदार मिनिस्टर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

साहबान उसमें मोटिव इम्प्यूट करें, लोगों को अनपैट्रियाटिक कहें, सेल्फिश कहें, अनरिप्रेजेंटेटिव कहें, या उन लोगों को दबाने की कोशिश करें जो अपनी राय जाहिर करना चाहते हों, तो वह तरीका गलत है। मेरा खयाल है कि गवर्नमेंट को इस बात पर कोई रुपया खर्च नहीं करना चाहिए था "उत्तर प्रदेश अविभाज्य" पर। इस मसले पर लिटरेचर बांटना और रुपया खर्च करना मैं समझता हूं कि यह न हुआ होता तो माननीय मुख्य मंत्री जी के उस विचार के साथ होता जो सब को प्यार से रखने के लिए कहा।

एक साहब कह रहे हैं कि बैठ जाओ, व्हिप हैं। शायद गवर्नमेंट का आर्डर लेकर, मंत्रियों से राय लेकर आये हों क्योंकि व्हिप साहब जब बोलते हैं तो यह मानना चाहिए, खास कर डिसिप्लिंड आदमी को कि वह पार्टी का व्हिप है, उसकी बात माननी चाहिए। मुझे डर लगता है कि डिसिप्लिन में कहीं निकाल न दिया जाऊं।

बहरहाल, व्हिप साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जितना खामोश रहा करें उतना ज्यादा अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, माननीय गौतम जी ने यहां पर कहा कि यहां एक व्हिप साहब इस तरह की बातें सदन में कह रहे हैं। तो क्या व्हिप को सदन में किसी माननीय सदस्य से इस तरह से बैठ जाने के लिए कहने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आपस में उन लोगों के ताल्लुकात जो हैं और मजाक वगैरह होती है, वह सब को मालूम है। उन्होंने जवाब दे लिया और कड़ा जवाब दे लिया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—मैंने कहा था कि पैड में क्या है, जो पैड बटे थे, "उत्तर प्रदेश अविभाज्य", उसमें क्या है? मैंने कहा—पैड में क्या है और वह बैठना समझ गये। यह गलतफहमी जरा दूर करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—बहरहाल फिर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर व्हिप साहब इतना दखल न दें तो डिसिप्लिंड मेम्बर्स आफ दी पार्टी को ज्यादा सहूलियत होगी अपनी कार्यवाही करने में इस हाउस में। इस वक्त यह जो रियासतों का बटवारा हो रहा है इसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक यह समझकर कि यह बार बार नहीं होना चाहिये, यह समझकर कि यह फर्स्ट स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन नहीं है लास्ट ही है, यह हमें समझकर इस ओर इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिये। बहुत सी बातें कही जाती हैं। कोई इसको पाकिस्तान से मिला देता है, कोई इसको पार्टीशन आफ बंगाल से मिलाकर उन तमाम बातों का नकशा सामने लाता है कि यह बड़ी खतरनाक चीज होगी। मैं बहुत अदब से माननीय स्पीकर साहब, इस सदन के मेम्बरान के सामने यह निवेदन करना चहता हूं कि इस पर इत्मीनान के साथ, संजीदगी के साथ, शांतिपूर्वक ठंडे दिमाग से सोचकर विचार कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है। इस वक्त जब कि स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है तो हमें अपने सूबे को देखना है। हमारा सूबा काफी बैकवर्ड है, इस पर बहस करके मैं आपका और अपना समय खराब नहीं करना चाहता। बहुत सी चीजों में हम पिछड़े हुये हैं। आबादी हमारी ज्यादा है हालांकि कुछ इलाकों की आबादी हमसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों को निकाल दिया जाय, झांसी के डिवीजन को निकाल दिया जाय तो जो बीच का इलाका है उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। फिर कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि ऐग्रीकल्चरल इकानामी हमारी है, अगर यही इकानामी रही तो हम बहुत बैकवर्ड रहेंगे, हम उन्नति कैसे करेंगे। दूसरे प्रदेशों ने जितनी उन्नति इस

बीच में कर ली है उतनी हम नहीं कर पाये, क्योंकि हमारे पास उन्नति के साधन नहीं हैं। साधन इसलिये नहीं है कि हमारी ऐग्रीकल्चरल इकानामी है, इंडस्ट्रीज हम डेवलप नहीं कर सकते। पहले तीन वर्ष में केंद्र के २२ कारखाने खुले, लेकिन एक भी यू० पी० में नहीं था। हमारे यहां के नेताओं ने आवाज उठायी कि यहां पर भी कारखाने खुलने चाहिये। तो हमारे प्रदेश के ही एक मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्र के आये और हमको यह नसीहत कर गये कि क्योंकि यहां रा मैटीरिअल नहीं है इसलिये यहां कारखाने कैसे खुल सकते हैं। हमारी भी समझ में यह आता है। तब सवाल पैदा यह होता है कि यह प्रदेश जो इतना गरीब है जो कई तरह से पिछड़ा हुआ है, इसकी उन्नति कैसे हो। किस तरह से इसकी उन्नति करें कि यह इतना गरीब न रहे। इसके लिये जरूरी यह है कि कुछ मिनरल रिसोर्सेज अगर हों तो हमारे यहां भी इंडस्ट्रीज डेवलप की जायं मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं और इसी वक्त हो सकते हैं। अगर इस मौके को हमने नहीं देखा, अगर हमने कुछ काम्प्लेक्सेज से काम लिया, अगर कुछ हम अपने ही ढंग से सोचते रहे तो इस वक्त मिनरल रिसोर्सेज नहीं आयेंगे और फिर आगे कभी नहीं आयेंगे। हमारे प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज कहीं नहीं मालूम होते हैं, जहां तक कि अभी तक के रिसोर्सेज से पता चलता है। हमारे पड़ोस में विन्ध्य प्रदेश है और उसके बघेलखंड और बुन्देलखंड में मिनरल रिसोर्सेज हैं। अगर उसका मिनरल रिसोर्सेज का वह हिस्सा हमें मिल जाय तो हम कुछ तरक्की कर सकते हैं और अपने यहां की गरीबी को कुछ कम कर सकते हैं। तो क्या हम इस तरफ ध्यान न दें? मुझे बहुत खुशी है कि एक माननीय सदस्य ने इस सदन का ध्यान इधर दिलाया कि हमको विन्ध्य प्रदेश मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है और यह हमारे लिये भी अच्छा होगा और विन्ध्य प्रदेश के लिये भी अच्छा होगा। उसके लिये अच्छा इसलिये होगा कि जिस हिस्से में वह जा रहा है वहां के और इलाकों में कहीं ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं मध्य प्रदेश में, पुराने महाकोशल में, बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसलिये मध्य प्रदेश में इसके मिलने पर इसके इलाके के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लायटेशन होने में काफी देर लगेगी और उन इलाकों के मिनरल रिसोर्सेज का पहले एक्सप्लायटेशन होगा। इसलिये विन्ध्य प्रदेश की भी तरक्की उतनी जल्दी नहीं हो सकती। देश की दृष्टि से जहां तक सब रिसोर्सेज को एक्सप्लायट करने की बात आयेगी उसमें कलेक्टिवली देश पीछे रह जायगा. क्योंकि विन्ध्य प्रदेश के रिसोर्सेज अगर मध्य प्रदेश के साथ हो गये तो देर में एक्सप्लायट होंगे और अगर यू० पी० के साथ हो गये तो जल्दी होंगे। इसलिये उससे देश का फायदा होगा, विन्ध्य प्रदेश का फायदा होगा और उत्तर प्रदेश का फायदा होगा। अगर विन्ध्य प्रदेश इधर आये और उसके रिसोसज एक्सप्लायट हुये तो यू० पी० का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और इलाहाबाद की तो बहुत ज्यादा ताकत बढ़ सकती है और वह टाउन बहुत इंडस्ट्रियली डेवलप कर सकता है।

दूसरा सवाल यह है कि हमारी आबादी काफी है, डेंसिटी काफी है और अब जमीन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐग्रिकल्चरल एकोनामी में और क्या होगा? तो जब जमीन पर बोझ हो तो जमीन हिस्टारिकली कुछ खास कम्युनिटीज ने ले ली और दूसरी कम्यु-निटीज हैं जिनके पास नहीं है। वह लैंडलेस हैं और इस इकानामी में अपने आप तरक्की करने की बात आयेगी तो उसमें "हंगर फार लैन्ड" बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और हर बिरादरी और सब लोग चाहेंगे कि हमें जमीन मिले। लेकिन जमीन आपके पास नहीं होगी। कहां से लायेंगे? उससे यह कशम कश और झंझट बढ़ेगा, जिससे हमारी हालत खराब होगी। अगर हम को पड़ोस का ऐसा इलाका मिल जाता है जो कम आबाद है, जो हजारों मील खाली जमीन पड़ी हुई है तो उस जमीन पर अपने लाख दो लाख आदमियों को बसाकर हम यहां के बोझ को हल्का कर सकते हैं। इसमें क्या गलत चीज है? इसलिये मैं उस प्रस्ताव के दूसरे हिस्से को भी बहुत मुनासिब समझता हूं जो यह कहता है कि ग्वालियर के चार जिले इधर आ जायं। उनमें मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं और फिर उस इलाके में डेंसिटी आफ पापुलेशन नहीं है। काफी लाख दो लाख आदमी वहां बस सकते हैं। इससे उस इलाके का, देश का और उत्तर प्रदेश का भी भला होगा।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इन दो बातों का ख्याल रखते हुये अगर हम अपनी इकानामी को ठीक कर सकते हैं तो हमें उस पर विचार करके काम करना है। तो अगर इस तरह से ये दोनों हिस्से मिल जायं—मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जब सवाल आये और डिस्कशन हो तो दूसरी बात है—तो एक इतना बड़ा प्रदेश हो जाता है कि फिर यह सोचना पड़ेगा कि क्या वह ऐडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबिल है ? चल सकता है ? क्या ला एंड आर्डर उसमें मेंटेन हो सकता है ? क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन उसका ठीक-ठीक चल सकता है ? इस सवाल पर मेरी तो साफ राय यह है कि इतने बड़े प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन एक जगह ठीक-ठीक नहीं चल सकेगा। इसलिये उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसका होना चाहिये ? मेरी अपनी राय है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये दो करोड़ से चार करोड़ तक के यूनिट्स बनाये जायं तो ज्यादा मुनासिब है और २५-३० जिले एक राज्य में हों तो ज्यादा अच्छा है। इससे कम ठीक नहीं, इससे ज्यादा में दिक्कत पड़ेगी। यह केवल हिन्दी स्पीकिंग एरिया के लिये हो सकता है, क्योंकि दूसरी जगह तो भाषावाद का जोश है और वहां तो गोलियां चलेंगी। इसलिये वहां के लिये इस चीज को मै नहीं मानता सिर्फ हिन्दी स्पीकिंग एरिया के लिये अगर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो तो मुनासिब होगा। और उसके कारण भी हैं। क्योंकि मिनिस्टर अपने प्राब्लम साल्व करे, लेजिस्लेटिव वर्क करे, पहाड़ पर जाय, बाई एलेक्शंस में हिस्सा ले, अपनी कांस्टीटुएंसी में भी जाय ताकि लोग नाराज न हों और खुदा न करे कभी बीमार पड़ जाय, तो मुश्किल से सौ या ८० दिन बच सकते हैं और जब तक कि वह तीन-चार दिन एक जिले में नहीं रहेगा उस वक्त तक जिले को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता और उसको दिक्कतें होंगी। मुझे फतेहपुर में एक ऐड्रेस मिला था कि अंग्रेजों ने पश्चिमी जिलों की तरक्की की, कांग्रेस सरकार पूर्वी जिलों की तरक्की कर रही है और हमारी आवाज जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनकी भी कोई सुध ले, मिनिस्टर साहब यह लखनऊ तक पहुंचा दीजियेगा। तो यह सवाल अलग-अलग है। कोई पहाड़ की कहता है, कोई कहीं की। तो होता यह है कि वह तीन-चार दिन तक एक जिले की प्राब्लम नहीं समझेगा तो वह ठीक-ठीक काम नहीं कर सकता है और कोई सही नतीजा नहीं निकाल सकता है। बनारस के घाट पहले नहीं थे ? उनकी शिकायत पहले नहीं थी ? बनारस के मिनिस्टर्स पहले नहीं थे ? क्यों एक साहब बनारस के जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनको लाखों रुपये मिल गये ? क्यों ? क्योंकि वे वहां की हालत को रोज देखते हैं। वहां जो काम हुआ वह गलत नहीं हुआ, मुनासिब हुआ, मै भी चाहता था। लेकिन साथ ही मिर्जापुर के भी घाट खराब हैं। मेरे सामने यह भी शिकायत आयी कि वहां के घाट खराब हो रहे हैं और वहां की आबादी और मकानों को खतरा है। यू० पी० में और बहुत से घाट हैं, वहां का कोई पता नहीं है। तो यह तभी हो सकता है जब एक जिले में ३-४ दिन एक मिनिस्टर रहे और वहां की प्राब्लेम्स को समझे। लेकिन जब ८० और १०० दिन से ज्यादा दौरा करने के लिये एक मिनिस्टर को मिलते नहीं तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? इसलिये २५-३० जिलों का एक सूबा होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—हर जिले का एक मिनिस्टर हो तो अच्छा हो।

श्री मोहनलाल गौतम—हर जिले का भी मिनिस्टर हो सकेगा अगर ११ ही आदमी उस पार्टी में हों, लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो शायद हर जिले का मिनिस्टर न बन सकेगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस संबंध में विचार करते समय श्रीमन्, में चाहता तो यह हूं कि इस सदन की बहस का स्तर यदि कुछ ऐसा हो जैसी कि कल्पना माननीय मुख्य मंत्री ने की

थी तो अधिक उत्तम हो। मैं इन मसलों पर विचार करते समय यह तो नहीं कहना चाहता कि जिलों के मंत्री बनने से किस जिले का क्या कल्याण हो सकता है क्या नहीं। इसलिये कि मैंने इन माननीय विरोधी मित्रों को बार-बार एक पहाड़ी मुख्य मंत्री होने के समय यह कहते सुना है कि पहाड़ों के हित का सम्पादन नहीं होता। इस प्रकार की बातों से हम अपने तर्क से किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। सवाल इस समय विचार करने का है और मुझे याद आता है [illegible] रूजवेल्ट ने एक बार लिखा था अपने एक सलाहकार को कि क्या करना चाहिये जब कि हम किसी क्राइसिस के समय पर हों। तो उसने उनको सलाह दी कि "When in difficulty follow your heart, not your mind." मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके अपने दिल को टटोलें, क्योंकि राजनीतिक परिभाषायें करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिज्ञ तो बहुत सी बातें ऐसी कहता है जो संभवतः वह जानता है कि सही नहीं है। मैंने पढ़ा था कि चर्चिल ने एक बार यह कहा था कि "The politician is he who can predict future but when it does not come off, can conveniently explain it away." राजनीतिज्ञ वही है जो भविष्य के बारे में बहुत कुछ कह सकता है लेकिन जब वह पूरा नहीं होता तो बड़ी आसानी से सफाई दे कर उससे निकल भी सकता है। नियत की बातें तो बहुत कुछ कही गई। हमारे माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने एक शेर भी कहा था। मैं भी नियत के बारे में एक पूर्वी जिले का आदमी होते हुये केवल यही निवेदन करूंगा कि:—

"हमारा साफ दिल है, हम तो मिलते हैं सफाई से,
अब इसको यार तू जाने कि तू किस दिल से मिलता है।"

अब यह तो अपने-अपने समझने की बात है लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जरा इस मसले पर भौगोलिक रूप से विचार करें। जिस समय भगीरथ ने गंगा को इस सूबे में हमारे बीच में ला कर खड़ा कर दिया, उस समय से लेकर आज तक युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े-बड़े विदेशी नरेशों की आंखें इस उर्वरा भूमि पर लगी हुई थीं और भारतीय नरेशों ने भी कलिंग, अशोक, हर्षवर्धन इत्यादि ने सदैव इस बात की चेष्टा की कि गंगा के ऊपर और नीचे के भाग को मिला कर रखें। जिन लोगों ने यहां पर बहस की वे शायद भूल गये इस बात को। यदि फ्रांस के लोग वीर हो सकते हैं क्योंकि उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से दूसरे लोग देखा करते है तो उत्तर प्रदेश के लोग भी वीर हो सकते हैं चाहे वे मेरठ डिवीजन के हों, चाहे बलिया, गोरखपुर और गाजीपुर के हों। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसी बातें हैं, श्रीमन्, जो हमारे लिये विचारणीय हैं। क्यों पूरब गरीब है और क्यों पश्चिम धनी है? गंगा के दो हिस्से हैं: एक तो ऊपर का हिस्सा और दूसरा नीचे का हिस्सा। एक अपर गंगा और दूसरा लोअर गंगा। गंगा के लोअर डिवीजन की आबादी करीब सात करोड़ के है और यह ५ करोड़ ८१ लाख एकड़ भूमि में बसी हुई है। यह गंगा के नीचे का हिस्सा है और अगर यहां पर जमीन का बंटवारा कर दिया जाय तो पूर्वी जिलों में एक स्क्वायर मील में ८३२ आदमी पड़ते हैं। मैं इसलिये यह सब कह रहा हूं कि मेरे पूर्व वक्ता ने डेंसिटी की बात कही थी। अब आप इधर गंगा के ऊपरी हिस्से को ले लीजिये जिसे अपर गंगा डिवीजन कहते हैं। इसकी ३ करोड़ ८६ लाख के करीब आबादी है और यह हिस्सा फैला हुआ है ३ करोड़ १६ लाख एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में। यदि इसमें भूमि का बंटवारा किया जाय तो एक स्क्वायर मील में ६१६ या ६३२ आदमी पड़ते हैं। लेकिन यदि अनुपात देखा जाय तो नीचे हिस्से के रहने वाले २०० आदमी ऊपर के रहने वाले आदमियों से प्रति स्क्वायर मील अधिक पड़ते हैं। इसलिये हम गरीब हैं और हमारी गरीबी रहेगी और इसके रहते हुये इस प्रश्न पर विचार करना शुरू करें तो इतिहास के विरुद्ध बात कौन कह रहा है, भूगोल के विरुद्ध कह रहा है।

श्रीमन्, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने प्रदेश की प्रगति की और उत्थान की बात कह डाली। कुछ लोगों को इस बात में संतोष हुआ इस बात के देखने में कि और जगहों के मुकाबले में हमारा उत्तर प्रदेश कितना नीचे गिर रहा है। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है। इस

[श्री प॰ पूर्णानन्द वर्मा]

बात को जाने दीजिये कि हम कितने आगे बढ़े हैं । उन्होंने इस बात को बताया कि हम कितने नीचे गिरे हैं और फैसला दे दिया गया कि हमारा प्रदेश नीचे गिर रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन के आंकड़ों को वह समझने की चेष्टा करें, मैंने भी चीन के चेयरमैन के एक व्याख्यान को पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि हमारे यहां ७० ऐसी दवायें हैं जो इन्सान की जिन्दगी के लिए ज़रूरी हैं लेकिन आज उनमें से ४५ दवायें नकली हैं, फर्जी हैं । हमें यह परेशानी है और हमारे यहां आदमी मरते चले जा रहे हैं । वहां यह हालत है और हमारे यहां के लोगों को इतना तक पता चल गया कि चीन के अस्पतालों के कितने बेड्स हैं । हमें चीन के आंकड़ों को देखते समय याद रखना चाहिये कि वहां ४,७०० चीनी सिक्का हमारे यहां के एक रुपये के बराबर होता है ।

चीन की बात को जाने दीजिये । हम कहते हैं कि हम शिक्षा में कम हैं । हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रावनकोर-कोचीन और बड़ौदा की तरह हम निरंकुश शासक नहीं थे । ब्रिटिश प्रणाली ने हमें शिक्षित नहीं किया । लेकिन यह वही उत्तर प्रदेश है जब कि हम १९४९–५० में भूखों मर रहे थे और २०० करोड़ मन गल्ला बाहर से मंगा रहे थे । लेकिन आप को पता है कि इस प्रदेश ने उस समय से अब तक क्या किया? उन्हीं दिनों ट्रावनकोर-कोचीन से भी कहा गया कि अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करो और जितना उन्होंने उत्पन्न किया वह आंकड़े हमारे सामने हैं । उनके अनुसार यदि १९४९–५० को बेसिक ईयर मान लें तो ३०. ६१ प्रतिशत कम था । यह ट्रावनकोर-कोचीन की उत्पत्ति है जो कि इतना शिक्षित था । उन्हीं दिनों बिहार की उत्पत्ति १९५४ में एक लाख २५ हजार टन कम थी । बम्बई ने उन्नति की और इसकी १९४९–५० को बराबर मान लें तो १९५४ में तथा १९५५ में ४.५४ से अधिक यानी २ लाख ३२ हजार टन गल्ला अधिक पैदा किया । लेकिन हमारे समूचे देश में जो २०० करोड़ मन गल्ला बाहर से आता था उस को रोक दिया गया और इसका श्रेय केवल हमारे उत्तर प्रदेश को ही है । इसी हमारे उत्तर प्रदेश ने ९ लाख १२ हजार टन गल्ला अधिक पैदा किया । जिसको १९४९–५० का बेसिक ईयर मान लें तो इसकी पैदावार सब से अधिक है यानी ८.१७ प्रतिशत के करीब है । यही हमारा उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट है कि आजादी के बाद सबसे अधिक सड़कें उत्तर प्रदेश ने ही बनाई हैं । इसने ३ हजार मील लम्बी सड़क बनाई है जो भारतवर्ष के ८ प्रदेशों के कुल निर्माण से अधिक है । तो आखिर यह कहना कि उत्तर प्रदेश तो गिरता चला गया, शासन बहुत खराब होता चला गया और इन बातों को लेकर एक नये प्रदेश की रचना के बारे में बात कहना, मैं नहीं समझता श्रीमन्, कि कहां तक वांछनीय है, कहां तक उचित है और मुझे तो भाषावार प्रान्त की बात पर आश्चर्य होता है । पहले तो मैं इसका समर्थक नहीं हूं । जो लोग भाषावार प्रान्त बनाने की बात करते हैं वह संभवतः हमारे प्रदेश को ऐसा समझते हैं कि यह योरप के देशों से भी गया गुजरा है । यदि भाषावार प्रान्त बनने की बात ही वहां अपनाई जाती तो स्वजरलैंड के चार भाग होने चाहिये । भोजपुरी की बात वे उठाते हैं जिनके समर्थकों का कहना था कि जर्मनी का बटवारा भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिये । वहां उनकी बात को सुनकर आश्चर्य होता है । उत्तर प्रदेश को अगर बांटा भी जाय तो लाभ किसका होगा और वह कहां से और कैसे लाभ करेंगे । मुझे तो बड़ा दुःख हो रहा था कि जब इस सदन में कुछ लोगों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश का एक केन्द्रीय स्थान से बैठकर शासन का संचालन नहीं हो सकता है । डेमोक्रेसी का पता नहीं कौन सी परिभाषा उन्होंने पढ़ी है? पता नहीं वह डेमोक्रेसी के विषय में जानते क्या हैं । पहले तो कोई कम्युनिस्ट इस बात को नहीं कहेगा क्योंकि मन्त्रियों का दौरा यदि कोई मापदण्ड है, देश की प्रगति का तो यह मानना पड़ेगा कि हमारा प्रदेश एक उन्नत प्रदेश है । यदि प्रजातंत्र का वास्तविक संगठन हो जाय तो मन्त्रियों को दौरा करने की कतई ज़रूरत न होगी । मैं जानना चाहता हूं और अपने उन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जो

कम्युनिस्ट सिद्धान्तो को बहुत ज्यादा मानते हैं कि वे जरा पता लगाकर बतायें तो कि मास्को के शासक कितनी जगह दौरा करते हैं ? मैं पूछता हूं कि प्रजातन्त्र के जानने वाले जरा इंगलैंड के मंत्रियों के दौरे का रेट लगा लें और बतायें कि वह क्या है। डेमोक्रेसी में सब से महत्वपूर्ण कार्य होता है नीति-संचालन, जो केवल मंत्रियों और लेजिस्लेचर्स को करना चाहिये। हम एम० पीज० और एम० एल० एज० अपने अधिकारों को ज्यादा समझते हैं। हां, यह कहना जरूरी है कि हमारा प्रजातंत्र अभी शैशव अवस्था में है। इसको उन्नत करना होगा और इसके साथ ही साथ हमको यह भी देखना होगा कि शासन का संचालन कैसे हो। जिन लोगो ने क्वीन्सलैंड की बात का खंडन किया वे जानते नहीं कि उसकी रचना कैसी है। श्री नरदेव शास्त्री जी ने बहुत से श्लोक निवेदन कर दिये। वह मेरे बुजुर्ग हैं, मै उनसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि—

"कः कालः कानि मित्राणि, को देशः कौ व्ययागमौ।
कश्चाहं का च मे शक्तिः, इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः॥"

इसको यदि वे सदैव सामने रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अन्त में पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से और अपनी परम्परा की दृष्टि से इस विषय में उत्तेजित होकर विचार करना इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध नहीं बल्कि इस उत्तर प्रदेश की मर्यादा के विरुद्ध होगा।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी) (जिला गढ़वाल)—आदरणीय अध्यक्ष जी, मै इस राज्य पुनस्संगठन कमीशन को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर नक्शा हमारे देश को राज्यों में विभाजित करने के लिये जो पेश किया है। मै इसको भली प्रकार समझता हूं कि यह इतना बड़ा कठिन कार्य था कि जिसको सभी की इच्छा के अनुसार कर सकना एक दुर्लभ बात थी। उस पर हमारे उत्तर प्रदेश के संबंध में जो उन्होंने सर्वसम्मति से व्यवस्था की है वह मै समझता हूं कि उन्होंने सब से उत्तम बात की है और उस पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें इन शब्दों को इतने सुन्दर तरीके से उन्होंने रखा है कि "केवल ऐसे सीमा संबंधी छोटे-छोटे संचाल को छोड़कर जो आवश्यक हों, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश पूर्ववत् बना रहे" वह बहुत ही सुन्दर है। यद्यपि हम सब लोगों की यह भावना हो सकती है कि इसमें हम बघेलखंड को भी मिला लें, मध्य भारत का भी कुछ हिस्सा मिला लें या विन्ध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला लें लेकिन ऐसी मांग खुले शब्दों में रखना हमारी नीति के विरुद्ध जाता है। जब हम अपने प्रदेश में से कुछ अंश भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम किस मुंह से इस बात को कहें कि हमारे प्रदेश में किसी दूसरे प्रदेश का इतना हिस्सा और जोड़ दिया जाय। तो इसको अच्छी तरह से रखने के लिये, यह कहा गया है कि पड़ोस के विलीन होने वाले प्रदेश के वे भाग जो हमारे लिये बहुत ही हितकर हों और जो समीपस्थ राज्य हैं, जो एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, उनके लिये भी यह आवश्यक था। उनके लिये और हमारे लिए वह हितकर हो तो इस प्रदेश में मिला दिये जायें। उस तरीके से उन्होंने रखा है कि जिससे यह भावना हमारी कहीं पर प्रकट न हो कि हम दूसरे हिस्सों को हड़पना चाहते हैं। मै एक बात आप के द्वारा इस सदन के सामने कह देना चाहता हूं कि जहां तक सीमाओं का सम्बन्ध है वह राष्ट्रीयता के आधार पर और नेशन के आधार पर देशों में होती है। परन्तु उनके अन्तर्गत राज्य के भाषावार प्रान्त बनें या और किसी तरह से प्राकृतिक रूप से वह एक हों तो इस पर मै समझता हूं कि उचित-सा नहीं लगता है, क्योंकि भाषावार प्रान्त का बनना मै तो एक प्रकार से संकीर्णता का पोषक समझता हूं। यह बात ठीक है जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि यह गलती किसकी है। कांग्रेस कमेटी ने बार-बार भाषावार प्रान्त बनाने का विचार जो देश के अन्दर रखा है वह तो समयानुसार निश्चय था। तो फिर शास्त्री जी ने अपने शब्दों में यह भी कहा कि पोलिटिक्स में सेटिल्ड फैक्ट नहीं माने जाते हैं, मैंने उनकी

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

इसको इतने को मान लिया है मैं उनसे कहूंगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय दिया है भाषावार प्रान्तों को मानते हुये भी यह हमको एक मूलमन्त्र भी दिया कि इस प्रकार राज्यों का संगठन न हो जिससे देश की एकता और हमारी उन्नति में बाधा आवे। और मैं समझता हूं कि इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने इन चीजों को आधार मानकर ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

परन्तु जहां तक यू०पी० का सवाल है, पणिक्कर साहब ने क्यों यह राय प्रकट की कि इसको भी दो हिस्सों में होना चाहिये । मैं उनके प्रति आदर का भाव रखता हूं किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कही है ऐसे विचारों को उचित विचार नहीं कहा जा सकता । हमें यह देखना है कि रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने कारण क्या-क्या प्रस्तुत किये हैं । उन्होंने अपने मत के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिये और बहस की । उन्होंने इस बात को कहा है कि पहाड़ी लोगों में और मैदानी लोगों में भिन्नता है । मगर जब उन्होंने अपना नकशा बनाया तो पहाड़ों को जोड़ दिया पूर्वी जिलों के साथ । मैं पूछना चाहता हूं कि बलिया, गाजीपुर पहाड़ों से ज्यादा दूर है या मेरठ ज्यादा दूर टेहरी-गढ़वाल, जो हिमांचल प्रदेश से मिला हुआ है उससे उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बहुत दूर है बनिस्बत मेरठ या सहारनपुर के, फिर पणिक्कर साहब ने टेहरी-गढ़वाल को पूर्व के साथ जोड़ा । अगर शासन की कठिनाई की वजह से वह प्रदेश का विभाजन चाहते थे तो उनका यह तरीका मेरी समझ में नहीं आया कि टेहरी-गढ़वाल का हिस्सा भी पश्चिमी जिलों से उन्होंने क्यों नहीं मिलाया और क्यों पूर्व से मिलाया । किन्तु एक बात अवश्य है कि पहाड़ों के बगैर न तो पूर्व और न पश्चिम वाले जिन्दा रह सकते हैं । इसका कारण मैं आपको बतलाना चाहता हूं । यह बात जरूर है कि यह कृषि प्रधान देश है । मगर आपके देश की उन्नति के लिये हमको औद्योगिक उन्नति जरूर करनी पड़ेगी और औद्योगिक उन्नति के लिये कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी । पश्चिमी जिलों के लिये जैसा कि पणिक्कर साहब ने अपने नक्शे में बतलाया है उनमें रा-मैटीरियल कहां से आयेगा ? उसका उन्होंने प्रबंध नहीं किया है । जो उन्होंने नकशा बनाया है उसमें उन्होंने पहाड़ों को उसमें से निकाल दिया है । अगर उन्होंने एक शरीर बनाया तो उसमें सिर को नहीं बनाया है । पणिक्कर साहब के नक्शे में सिर नहीं है । सिर के बिना कोई स्टेट चल सकेगी या नहीं यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं । मैं आपसे इस बात को कह सकता हूं कि इस बात को आप मान लें कि हमारे श्रीचन्द्र जी ने जो दूसरा नकशा तैयार किया है उसमें उन्होंने सिर के भी दो हिस्से कर डाले हैं । टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल को उधर अपने साथ रखा है और नैनीताल और अल्मोड़ा को पूर्व के साथ रखा है । इस तरह से मस्तिष्क के दो हिस्से कर डाले । हमारे गौतम जी ने यह जरूर बतलाया है कि दोनों स्थानों में खनिज-पदार्थों की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है । सब कुछ बतलाते हुये भी अन्त में उन्होंने यह कह दिया कि शासन की दृष्टि से यह बड़ा मुश्किल होगा कि यहां से वहां तक ठीक-ठीक काम हो । इसलिए दो राज्यों में बांटना जरूरी है । मैं इस बात को मानता नहीं हूं, फिर अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि ऐसे स्थान जहां के खनिज-पदार्थ और रा-मैटीरियल, जो उद्योग के लिये आवश्यक हैं पर्वतीय जिलों में प्राप्त होते हैं, वे सिवा पहाड़ और तराई के हमारे प्रदेश में कहीं भी नहीं पाये जाते हैं, तो अगर उनके भी दो हिस्से हो जायं तो न तो खनिज-पदार्थ या कच्चा माल इस स्टेट को मिल पायेगा और न उस स्टेट को मिल पायेगा और इस तरह से दोनों के दोनों ही कमजोर हो जायेंगे । पणिक्कर साहब ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में इस चीज को दिखलाया है कि इसकी आमदनी और डेफिसिट क्या होगी । तो मेरी समझ में नहीं आया कि वे क्यों उत्तर प्रदेश को पंगु बनाना चाहते हैं ।

ऐतिहासिक दृष्टि से यहां पर कहा गया है कि पहले आर्यावर्त था, फिर इसका क्षेत्र बढ़ा, फिर म्युटिनी के बाद ऐसा हुआ और सन् १८५७ के गदर के बाद इसका रूप ऐसा हो गया । यह भी कहा गया है कि आज नहीं तो भविष्य में जरूर बटेगा । मैं तो कोई

मैं वक्ता नहीं हूं जो इस बात को कहूं कि अगर इस प्रदेश का विभाजन न भी हो तो गलत हो जायगा। मगर एक बात मैं जरूर कहता हूं कि अगर इसका विभाजन का .... यह अलग रह नहीं सकता है। ऐसा तर्क तो सुबह से शाम तक दिया जा सकता है .... उत्तर भी एक दूसरे को दिया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्वयंसिद्ध होती हैं और जिन्हें तर्क से छिपाया नहीं जा सकता। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नाते नहीं बल्कि समस्त देश के हित के नाते इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। अगर भविष्य में जरूरत पडेगी तो जिस वक्त समय होगा उसकी आवश्यकता के अनुसार बदलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है और जिसकी पूरी तसवीर बन चुकी है, उस बनी-बनायी हुयी तसवीर को बिगाड़ना न उनके लिये हितकर होगा जो विभाजन चाहते हैं और न किसी के लिये हितकर होगा। अगर इस बात की नाराजी है कि इधर ज्यादा खर्च होता है हमारे यहा कम खर्च होता है तो इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन् ३६,३७ से मैं बराबर इस असेम्बली में सुनता आया हूं सन् ४६ तक बजटों की बहस के सिलसिले में कि कुल का कुल रुपया पश्चिमी जिलों में खर्च होता है, बिजनौर में सड़कें बन गयी हैं, पश्चिमी जिलों में इतना ज्यादा रुपया खर्च हो गया है। पूर्वी जिलों की बराबर यह शिकायत रही। मैं पहाड़ो की तरफ से हमेशा चिल्लाता रहा। अध्यक्ष महोदय को स्वयं पता होगा कि उस वक्त तक यह पुकार रहती थी बल्कि यहा तक लोगो की शिकायत बढ़ी कि गरीब और पिछड़े हुए पहाड़ी जिलों पर भी उनकी कोप दृष्टि पड़ी और उपेक्षित पहाड़ी जिलो पर भी इन शब्दों में फबती कसने लगे कि गंगा तो ऊपर से नीचे को बहती है लेकिन चाँदी का दरिया नीचे से ऊपर को बहता है। पहाडी जिलो की यह बराबर शिकायत रही है कि प्लेन्स को ज्यादा रुपया मिलता है। मैं कहता हूं कि शिकायतें हैं मगर शिकायतों की वजह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेना या अपना सर काट देना यह कहां की बुद्धिमानी है ? यहां पर हमारी संस्कृति या सभ्यता की बात नहीं है लेकिन जहां तक आमदनी का सवाल है मान लीजिये कि किसी जिले की मालगुजारी की आमदनी कम है, या किसी की ज्यादा है, तो क्या उसका और कोई मूल्य नहीं है ? मैं अपने जिले के ही विषय में बता दूं कि हमारे गढ़वाल में दो या ढाई लाख रुपये की आमदनी मालगुजारी से होती है लेकिन हमारे जंगलों की आमदनी करीब ४० लाख है। गोरखपुर की आमदनी मेरठ के मुकाबिले में कम है लेकिन वहां गोरखपुर के जंगल की आमदनी ४० लाख रुपया है जब कि मेरठ को जंगल से आमदनी एक पैसा भी नहीं है। जहां तक आमदनी और खर्चे का सवाल है मैं इस बात का दावा नहीं करता कि पब्लिक एक्सचेकर तथा राज्य कोष से पहाड़ों को एक पैसा भी नहीं मिला लेकिन पहाड़ वाले अगर पहाड़ी भूमि में वनस्पति ही लगा दें तो फिर वनस्पति से करोड़ों रुपया स्टेट को दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि ६ करोड़, १० करोड़ या २० करोड़ रुपया फ्लड के सम्बन्ध में खर्च हो रहा है तो वह कुछ भी नहीं है। अगर हम देश की रक्षा उत्तर तिब्बत की तरफ से कर सकते हैं तो हम इस देश और प्रदेश की सेवा करते हैं और वह सेवा सबसे बड़ी मानी जा सकती है। किसी भी प्रदेश में या किसी भी परिवार में सब आदमी एक तरह के नहीं होते, और जिस तरह से कि एक हिन्दू परिवार में कोई बुद्धि का काम करने वाला होता है, कोई हाथ का काम करने वाला होता है इसी तरह से इस स्टेट की चारो दिशाओ मे भी हम उत्तर और पूरब-पश्चिम में पूरे शरीर के अवयवों की तरह काम करते रहे हैं। और अगर वह शरीर किसी ओर से भी कटता है तो हम अंगहीन हो सकते हैं और फिर कोई काम होना तो दूर जीवित रहना भी सम्भव नहीं हो सकता।

इसी तरह से प्रदेश का विभाजन कर ऐडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत की बात अब तक समझ में नहीं आयी। इस बात का माननीय हाफिज जी ने भी पहले जवाब दे दिया था कि अगर अब खराब है तो बटने के बाद और बदतर ऐडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो हम किधर जायेंगे। इसकी कोई गारन्टी तो है नहीं कि छोटे होने पर ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो ही जायगा। पणिक्कर साहब ने जो कमियां बतायी हैं उनको पढ़ने वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि यह

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

प्रगति या अवनति शिक्षा या दूसरी चीजों में इन पांच-सात वर्षों की है या अंग्रेजों की शासन-व्यवस्था के जमाने की है। वह तुलना करें कि ४७ के बाद जब से स्वराज्य मिला है और हमारा सीधा शासन स्वतंत्र हुआ है तब से अब तक यहां अवनति हुयी है ? मैं तो समझता हूं कि इस बीच में पहले से प्रगति हुयी है। स्कूलों की और दूसरी चीजों की चौगुनी रफ्तार से उन्नति हुयी है और उसको और तेज करने की हमारी अभी योजना है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कमीशन की रिपोर्ट को पूरा पढ़ा और माननीय सदस्यों के भाषण को भी सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कमीशन के सदस्यों के दिमाग में क्या चीज रही। उसमें एक तो वह सदस्य थे जो चाहते थे कि इस प्रदेश का बटवारा न हो और उन्होंने यह निर्णय कर लिया था और समझ लिया था कि इस प्रदेश को न हटाया जाय और न इसमें कुछ जोड़ा जाय और दूसरे वह सदस्य थे जिनमें पणिक्कर साहब थे कि जिन्होंने निर्णय कर लिया था कि किसी तरह उत्तर प्रदेश का बटवारा कराना है। इसी प्रकार यहां भी दो प्रकार के मत व्यक्त हुये एक तो कुछ पश्चिमी जिलों के लोगों का खयाल रहा कि प्रदेश का बटवारा हो, दूसरी ओर हमारी सरकार इस भय से कि कहीं प्रदेश बट न जाय इस प्रयत्न में रही कि प्रदेश वैसे ही जैसा है बना रहे। मेरा मत है कि सरकार इस विचार पर न होती तो गौतम जी ने जो बात कही थी और जो प्रस्ताव माननीय वीरेन्द्रशाह ने रखा है अगर वही मांग रखी जाती तो मैं समझता हूं यह अनुचित न होता। मेरी समझ में आज पश्चिमी जिलों के भाइयों ने जिस मांग को रखा है उन्होंने उसके कुछ आधार बताये है उनमें से एक यह और बताया है कि जो रुपया आधा हमारे यहां से लिया जाता है वह पूर्वी जिलों में व्यय होता है। दूसरे जैसे कि पणिक्कर साहब की राय थी कि कोई सूबा इतना बड़ा नहीं होना चाहिये जो दूसरों पर हावी रहे या सन्तुलन बिगाड़े, वह बात उन्होंने रखी है, लेकिन जहां तक बड़े और छोटे का प्रश्न है वहां मैं समझता हूं कि कमीशन ने इस बात में कोई बेसिस नहीं निश्चय किया कि वह प्रदेशों के बारे में कोई निर्णय कर सके कि एक सूबा कितना बड़ा होना चाहिये। जन-संख्या आदि के विषय में भी कोई निर्णय नहीं किया कि वह एक प्रदेश की अधिक से अधिक और कम से कम कितनी होनी चाहिये। उसका नतीजा हम यह देख रहे है कि उत्तर प्रदेश के लिये जहां इस नोट आफ डिसेंट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और यह फेडरेशन में इम्बैलेंस क्रियेट करेगा। वहां हम देख रहे हैं कि बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में इतने बड़े प्रदेश बना दिये गये हैं जो उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक बड़े हैं। मध्य प्रदेश तो क्षेत्र में इतना बड़ा बना दिया गया है कि मैं समझता हूं कि उस पिछड़े इलाके के उन लोगों के लिये जिन के हाथों में शासन की बागडोर होगी वे कदापि उसका शासन-भार नहीं संभाल सकते हैं। हम सभी इस बात को जानते है कि अभी मानसिंह का दौर-दौरा उसी मध्य प्रदेश और मध्य भारत में रहा जहां के क्षेत्रों को इस प्रदेश में मिला दिया गया है, जो कि इस काम के लिये बिलकुल अनुपयुक्त तथा असमर्थ सिद्ध हो चुका है। हमारी सरकार ने इसमें काफी बल दिया और उसी के प्रयत्न का परिणाम है कि मानसिंह का गिरोह बहुत कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारे कुछ पश्चिमी जिले के भाई हैं, उनकी आज वह मांग है कि डिवीजन होना चाहिये। यह कहां तक ठीक है, यह तो इस सदन में बहुत कहा जा चुका है। मेरा ऐसा विचार है कि जैसा माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा था कि अगर उनकी यह मांग है तो उसका कुछ न कुछ आधार अवश्य होगा। उन मांगों से उन कारणों को अलग नहीं किया जा सकता है और अगर उनको अलग नहीं किया जाता है तो उनको दूर किया जाना चाहिये हम लोगों का ऐसा विचार है। इसके अलावा जो उन्होंने विरोध प्रकट किया है उसके बहुत बड़े कारणों में से यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ और बिजनौर जिलों से वहां के दो-दो मिनिस्टर्स हैं। लेकिन बुन्देलखंड से जहां की स्थिति इस प्रदेश में और जगहों से बिलकुल भिन्न है वहां का कोई भी प्रतिनिधि कैबिनेट में नहीं है। इसी तरह से पहाड़ी प्रदेशों की बात है। पहाड़ी इलाकों की स्थिति उत्तर प्रदेश में और इलाकों से

बिल्कुल भिन्न है फिर भी उनकी समस्याओं को समझने के लिये कोई भी सर्वे नहीं लगा गया। यह कुछ ऐसी बातें है जिनसे लोगों में यह भावना अवश्य होती है कि पूरे सूबे के लोगों के साथ जस्टिस नहीं होती। इसीलिये लोगों को ऐसी बातें कहने का मौका भी होता है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि जो स्टेट्स मेनटेन करने वाले लोग हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी यह धारणा रही है कि कहीं हमारा प्रदेश बट न जाय, और इसीलिये उसी स्टेटस को मेनटेन करने के लिये वे प्रयत्नशील हैं और ऐसा करके वे उसी अंग्रेजी परम्परा को प्रतिपादित कर रहे है जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु सारे हिन्दुस्तान के नक्शे को बनाया। फिर यही बात विन्ध्य प्रदेश वाले कहते हैं यही तो राजस्थान वाले कहते हैं जो आप चाहते हैं और कहते हैं कि विभाजन नहीं होना चाहिये। फिर क्या आधार है आपके यह कहने का था कमीशन के नियुक्त करने का कि इस देश के सूबों का पुनस्संगठन होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की दलील देने वाले लोग ही इस कमीशन की अयोग्यता बैठाये जाने के लिये सिद्ध करते हैं कि इस कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कमीशन की नियुक्ति ठीक की गयी है तो मैं माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। हमको यह नहीं कहना चाहिये कि स्टेट्स मेनटेन रहे। मैं चाहूंगा कि मध्य भारत के जो चार जिले हैं भिंड, शिवपुरी, मोरेना और गिर्द (ग्वालियर) हमें उन जिलों को उत्तर प्रदेश में मिला लेना चाहिये और बघेलखंड को मिलाकर जो विन्ध्य प्रदेश बना हुआ है उसको भी मिला लेना चाहिये। बुन्देलखंड की बात मैं इसलिये कहता हूं कि झांसी कमिश्नरी के चार जिले आधा बुंदेलखंड का भाग हमारे यहां है और चार जिले दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर वगैरह आधा उधर हैं। अगर कमीशन का निर्णय यह होता कि पहले जैसा था वैसा रहना चाहिये तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आठ जिले एक हैं। वह चाहे जहां रहें एक हो कर रहें। जहां तक बघेलखंड की बात है उसके लिये तो स्वयं मुख्य मंत्री जी ने रखा है कि इसके हिस्से को मिला लेना चाहिये और उसका कारण वे बताते हैं कि रिहंद डैम बन रहा है और हम चाहेंगे कि उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन उसकी बाउन्डरी दो राज्यों की नहीं होनी चाहिये। अगर सचमुच में रिहन्द डैम ही इसका कारण है कि विन्ध्य प्रदेश का कुछ भाग यू० पी० में मिलाया जाय तो मैं चाहूंगा कि जो रंगवा डैम छतरपुर के पास है उसके लिये बुन्देलखंड के ४ जिलों को भी उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहिये। माताटीला डैम के लिये मध्य भारत के भिंड, मुरैना, गिर्द तथा शिवपुरी जिलों को उत्तर प्रदेश में मिलाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, कमीशन ने दलील दी है कि ये चारों जिले मध्य भारत में मिलने चाहिये। मैं समझता हूं कि ये जिले मध्य भारत में मिलाये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश में मिलाये जाने के लिये उपयुक्त है। इस कमीशन की रिपोर्ट १३० पेज पर पैराग्राफ ४७४ से लेकर ४७७ तक इस सम्बन्ध में है। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मुख्तसर में पढ़िये।

श्री जोरावर वर्मा—पहला प्वाइंट यह है कि यह पूर्ण हिन्दी बोलने वाला सूबा है। दूसरे ला और आर्डर की दृष्टि से यह अधिक अच्छा रहेगा कि इनको मध्य भारत में मिलाया जाय। तीसरे माताटीला डैम जो है, इसका बहुत कुछ हिस्सा मध्य भारत के चारों जिलों को सींचेगा। चौथी बात यह है कि इन चारों जिलों में मीन्स आफ कम्युनिकेशंस नहीं है लेकिन जो रेलवे बोर्ड है उसने इस बात की सिफारिश की है कि एक लाइन इस प्रकार की बनाई जायगी जिससे इन चारों जिलों में आने-जाने में सुविधा होगी। मेरी समझ में यह जो चारों बातें हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिये अधिक लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश पूर्ण हिन्दी बोलने वाला सूबा है। ला एण्ड आर्डर में मध्य भारत से हमारा प्रदेश अच्छी स्थिति पर है। जहां तक माताटीला की बात है मैं पहले बतला चुका हूं कि उसका निर्माण हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और जो मीन्स आफ कम्यूनिकेशंस की बात है, झांसी से ग्वालियर

[श्री जोरावर वर्मा]

तक. और ग्वालियर से शिवपुरी तक जो ग्वालियर स्टेट की रेल है वह चलती है। लिहाजा, भिंड, गिर्द, मुरैना और शिवपुरी ये चारों जिले हमारे उत्तर प्रदेश में मिलाये जा सकते हैं। बघेलखंड की मांग के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि रेहन्द डैम तो इसका कारण है ही, दूसरी बात यह भी है कि जो चार जिले हैं उनमें बहुत कुछ रा-मैटीरियल भी पाया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो बुन्देलखंड के चार जिले रह जाते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर लेना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुन्देलखंड के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा-- उन बुन्देलखंडियों के लिये जिन्होंने अन्तिम वक्त तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा। इसलिये उन्हें जहां भी वे रक्खा जाय एक साथ रक्खा जाय

अध्यक्ष महोदय, उत्तर और पूर्व का प्रश्न बजट की तरह छिड़ गया है। मैं नहीं चाहता कि पूर्व और पश्चिम के चक्कर में हम इस कमीशन की रिपोर्ट को डाल दें। मेरा तो यह विचार है कि हम मिल करके कोई ऐसी बात करें जिससे हमारा उत्तर प्रदेश जैसा है वैसा तो बना ही रहे लेकिन अगर हमको कुछ एडजेसंट एरियाज मिल सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिये बहुत अच्छा होगा और इस एरिया के मिलने से कोई बड़ा अन्तर भी नहीं पड़ता है। ये चार जिले भिंड, मुरैना, गिर्द और शिवपुरी हैं। इनका एरिया १२,२०२ वर्ग मील हैं और आबादी २१,६७,९५० है और जो विन्ध्य प्रदेश है इसका क्षेत्र २३,६०३ वर्ग मील है और आबादी ३५,७४,६९० है। अगर इस एरिया को मध्य प्रदेश से घटा कर उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्षेत्रफल जो उत्तर प्रदेश का १,१३,४१० वर्ग मील है उसमें ३५,८०५ वर्ग मील जोड़ देने से १,४९,२१५ वर्ग मील हो जाता है और आबादी जो ६ करोड़ ३२ लाख है उसमें ५७,४२,६४० और जोड़ देने से इसकी आबादी ६,८९,४२,६४० हो जाती है और जो मध्य प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल है वह इस हिसाब से कम हो जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एक लाख ४० हजार ८ सौ १४ वर्ग मील और जनसंख्या २ करोड़ १० लाख ८ हजार ११७ रह जाती है। इस प्रकार यह प्रोपोर्शनेट हो जाता है क्योंकि इसमें जैसा मैंने पहले बताया कमीशन ने कोई ऐसी कसौटी नहीं रखी है कि किसी स्टेट की अधिक से अधिक कितनी जनसंख्या होनी चाहिये और कितना क्षेत्रफल होना चाहिये। हम देखते हैं कि कमीशन ने जो सिफारिश की है उसमें मध्य प्रदेश एक हाथी स्वरूप बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश शेर की तरह डटा है और दूसरी ओर विदर्भ एक चूहे की तरह बैठा दिया गया है। इस तरह से जब मध्य प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल हो सकता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी यह जिले मिलाये जा सकते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजा साहब का जो संशोधन है वह स्वीकार हो जाना चाहिये।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। चूंकि बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा हैं इसलिये मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि दस मिनट का समय हर सज्जन के लिये कर दिया जाय और ६ बजे तक आज सदन बैठे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---मैं प्रथम खंड का तो विरोध करता हूं लेकिन दूसरे का समर्थन करता हूं कि आज हाउस का समय ६ बजे तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है, आज सदन ६ बजे तक बैठे इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

श्री केशवगुप्त--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय सरदार पटेल ने कुछ बिखरे हुये भारत को एकता के सूत्र में बांधकर हमारी आजादी को स्थापित किया और उसको चार चांद लगाये। इसके लिये देश का प्रत्येक व्यक्ति और देश का प्रत्येक अणु अणु उनका आभारी है। स्वर्गीय सरदार के इस महान् प्रयास को सुदृढ बनाने के लिये और देश की एकता की रक्षा करने और उसको बनाये रखने के लिये प्रयत्न करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिये आवश्यकता थी और आवश्यकता है कि हम अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को नये रूप से निर्माण करते और ऐसा नया ढांचा और व्यवस्था कायम करते, जिससे कि ऊंच और नीच का, छोटे और बड़े का, अमीर और गरीब का भेद भाव दूर होकर हमारे बीच से एक वर्गहीन समाज कायम होता जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सकता। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुये अपने जीवन को सुख और शान्ति से बिता सकता। यह एक महान् प्रयास है और कठिन प्रयास है क्योंकि इसके लिये तो हमें एक नये समाज का निर्माण करना होगा, एक नयी इन्सानियत को अपने देश में जीवित करना होगा। हमने इस प्रयास को करने का, इसके महान् और कठिन होते हुये भी, संकल्प किया है और हम इस संकल्प की ओर बढ़ने वाले ही थे कि राज्य पुनस्संगठन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने एक चट्टान के रूप में आकर खड़ी हो गई और इसने तमाम हमारे मार्ग को ओझल कर दिया। जिस वक्त यह आयोग नियुक्त हुआ था, उस समय हमने देश के तीन महान् व्यक्तियों को, जिनकी ईमानदारी और वफादारी में हमें विश्वास था, मुकर्रर किया था और यह आशा की जाती थी और हम ठीक तौर पर आशा करते थे कि जो निश्चय होगा वह पंच फैसले के रूप में देश को मान्य होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के निकलने के बाद जो वातावरण देश का बिगड़ा और जो टेंडेंसी यहां उभरी उससे हमारी जितनी आशायें थीं वह निराशा में परिवर्तित हो गयीं, और हमें यह प्रतीत होने लगा कि अगर यह आयोग न बैठता तो वह देश के हित में होता। परन्तु जब कि रिपोर्ट निकल चुकी और अब वाद विवाद भी हो रहा है, मैं रिपोर्ट के दूसरे भागों को छोड़ कर समय के अभाव के कारण, छोड़े देता हूं केवल जितना उसका उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है उस पर ही विचार करना उचित समझूंगा। मैंने भी कुछ पोलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, और हमारे दूसरे वक्ताओं ने भी किया है और जो लोग कि हमारे इस प्रदेश के विभाजन के हक में हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि किसी देश या प्रदेश के विभाजन के लिये या नया बनाने के लिये यही आधार होते हैं--संस्कृति, उस देश की भाषा और उसकी भौगोलिक परिस्थिति। जो विभाजन के हक में हैं, वह भी इस बात को मान चुके, दीनदयालु शास्त्री जी भी इस बात को मान रहे हैं, गौतम जी भी मान रहे हैं और रावत जी भी मान चुके कि इन तीनों वैज्ञानिक आधारों के सहारे हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हो सकता बल्कि अगर इन तीनों को मान कर हम प्रदेश का निर्माण करें तो १५ करोड़ के लगभग का, ३६ करोड़ की आबादी में १५ करोड़ की आबादी का एक सूबा हमारा बनता है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, अम्बाला डिवीजन और बिहार को भी अपने अन्दर समावेश करता है। और मुझे कोई दुःख भी नहीं होगा अगर ऐसा सूबा बन जावे क्योंकि अगर रूस के अन्दर ११ करोड़ का एक यूनिट हो सकता है, चीन के अन्दर जहां कि आबादी ५० करोड़ के करीब है, वहां १ यूनिट हो सकता है, और वह उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है तो १५ करोड़ का सूबा हमारे यहां न हो सके, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। परन्तु चूंकि वातावरण ऐसा नहीं था, देश की एकता इस बात का तकाजा नहीं करती थी, इसलिये आयोग के व्यक्तियों ने ऐसी सिफारिश नहीं की। यह ऐसे समय में ठीक ही किया। लेकिन जबकि हम यह मान चुके कि वैज्ञानिक ढंग से जो आधार उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में हो सकता था वह तो मौजूद नहीं, तब दूसरे आधारों का आश्रय लेना पड़ रहा है यह बात कही गयी कि पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की गयी और वहां पर उन्नति नहीं की गयी और इस कारण से हमें विभाजन करना आवश्यक है और विभाजन हो जाना चाहिये। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की गयी, लेकिन अगर मान लीजिये

[श्री केशव गुप्त]

थोड़ी देर के लिये कि उपेक्षा की गयी तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? आज कैबिनेट में ११ मेम्बरों में से ५ मेम्बर पश्चिमी जिलों के मौजूद हैं, और पिछले जो मुख्य मंत्री थे वह भी पश्चिमी जिलों से सम्बन्ध रखते थे। यदि श्री सी० बी० गुप्त, जो कि अपने को अलीगढ़ का बतलाते हैं, उन्हें शामिल कर लें तो ११ में से ६ मंत्रिगण पश्चिमी जिलों के मौजूद हैं। १२ में से ६ उपमंत्री वेस्टर्न जिलों से संबंध रखते हैं और जो चार पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, उनमें से ३ वेस्टर्न जिलों से सम्बन्ध रखते हैं। अगर इतने व्यक्तियों के होते हुए भी जिनके ऊपर शासन का भार है और जो प्रदेश की नीति को चलाते हैं, पश्चिमी जिलों की उपेक्षा हुई तो उसका कसूर किस पर है? उस का कसूर हम पर है जिन्होंने इन को प्रतिनिधि के रूप में माना हुआ है। लेकिन मैं तो यह नहीं मानता कि कोई उपेक्षा हुई, बल्कि मैं तो मानता हूं कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारी उपेक्षा करने की क्षमता रख सके या उपेक्षा कर के रह सके। केवल हमारे दृष्टिकोण में भेद है। हम प्रतिनिधियों को चूंकि प्रदेश को देखने का मौका नहीं मिलता और एक एक सीमित क्षेत्र से आते हैं, हमारी दृष्टि सीमित रहती है क्षेत्र तक ही और जो हमारी कैबिनेट में मेम्बर्स होते हैं, चूंकि उनके सामने सारे सूबे की दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि विस्तृत रहती है और उस विस्तृत दृष्टि से वह सारे सूबे को देखते हैं और हम सीमित दृष्टि से देखते हैं। इसलिये थोड़ा-सा विरोधाभास होता है। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि उपेक्षाभाव से हमारे पश्चिमी जिलों को देखा गया और यह कोई कारण विभाजन का हो भी सकता है।

यह कहा गया कि दक्षिण के लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना महान देश उनके ऊपर प्रभुत्व करता है, उनको डामिनेट करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो यह बात कही जा रही है और दूसरी ओर से यह बात कही जा रही है वह भी हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वालों की तरफ से कि उत्तर प्रदेश इतना विशाल है और विशाल होने के कारण वह अपने हकों को केन्द्र से नहीं पा सकता और उसको जितना हक मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको छोटा हो जाना चाहिये। ये दो कारण जो उत्तर प्रदेश को छोटा होने के लिए पुटअप किये जाते हैं उनमें बहुत बड़ा विरोधाभास है और इससे पता चलता है कि दोनों कारण भी सत्य नहीं हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं है। अगर हम यह बात मान भी लें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की गयी, ऐडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी है और भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा के ऐसे आधार विद्यमान हैं जिससे उत्तर प्रदेश का बटवारा हो जाना चाहिए तो तब भी मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसा विशाल गुण मौजूद है जिससे उत्तर प्रदेश अविभाज्य रहना चाहिये, उसका विभाजन नहीं होना चाहिये और वह है उत्तर प्रदेश की उदारता और उसकी विशाल-हृदयता। क्या हम आज देश के चारों तरफ नहीं देखते कि पंजाब पंजाबियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियंस के लिए, मद्रास मद्रासियों के लिए, उड़ीसा उड़ीसा वालों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश किनके लिए? उत्तर प्रदेश उनके लिये है जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहां पर बसते हैं और यहां के जलवायु से लाभ उठाते हैं। "प्रत्यक्षं किम् प्रमाणम्"? इसी हमारे भवन में आप देखें कि एक तरफ हमारे पुलिन दादा हैं तो दूसरी तरफ नरदेव गुरु हैं। एक तरफ हमारे दीनदयालु शास्त्री हैं और ठाकुर फूलसिंह हैं जो कि पंजाब से आते हैं और हमारी प्रकाशवती सूद हैं जो कि लुधियाने से आती हैं। यहां हमारे सरदार शिव मंगलसिंह कपूर हैं जो कि प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं और हम उनमें और अपने में कोई मतभेद नहीं समझते। उनको भी हम वैसा ही नागरिक समझते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों को समझते हैं। यह दूसरी बात है कि सरदार भाई कभी समय के वशीभूत होकर ऐसी बात कह देते हों जिससे वह अपने व्यक्तित्व को अलग बनाने की बात करते हों, लेकिन हम उनको एक मानते हैं और मानते रहे हैं। इसी उदारता का यह कारण है कि यद्यपि हमारे प्रतिनिधि केन्द्र में ज्यादा हैं, और जन-गणना के अनुसार लोक सभा और राज्य सभा में भी हमारे प्रतिनिधि ज्यादा

हैं, लेकिन हमारा विशाल हृदय है और उसके कारण हम इस बात की बराबर कोशिश करते हैं कि हम अपने दूसरे भाइयों और दूसरे प्रदेशों को उदारता की दृष्टि से देखें जैसे एक घर का बड़ा आदमी अपने छोटे भाइयों और बच्चों को खिला कर आनन्दित होता है और सन्तोष का अनुभव करता है उसी प्रकार से हम वहां विशाल हृदयता से काम करते हैं पहले छोटों को जो कमजोर हैं उनको बराबर में लाने की चेष्टा करते हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि उनकी कमजोरी हमारी कमजोरी है । इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी यह विशाल हृदयता है तो यही इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश विभाजन के योग्य नहीं, न वह विभाजित होना चाहिये और न किसी में शक्ति है कि उसको विभाजित कर सके ।

यहां पर कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन की बातें भी कही गयीं । मैं मानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी है, यही नहीं, सारे देश में कमजोरी है । देश में भ्रष्टाचार भी है । यह कह देना कि छोटे प्रदेश का प्रबन्ध अच्छा हो सकता है यह भी सही नहीं है । कल ही मेरे एक महानुभाव ने कहा कि दिल्ली का प्रबन्ध देख लीजिये, वह कौन-सा अच्छा है, अजमेर का प्रबन्ध देख लीजिये, वह कौन-सा अच्छा है । इसलिये छोटा और बड़ा होना एफिशियन्सी का सबूत नहीं हो सकता है । आज अगर गरीबी है तो सारे देश में गरीबी है, आज अगर बेकारी है तो सारे देश में बेकारी है । इसलिये मैं अपने भाई श्रीचन्द जी और अपने भाई अतहर साहब से यह विनय पूर्वक विनती करूंगा कि वे इस बटवारे वाले पचड़े को छोड़ दें और समाज के नये ढांचे को बनाने की चेष्टा में लग जाय जिससे हम, आप सब का उत्थान हो और हमारे सब भाग उन्नति कर सकें । जंजीर की जो मजबूती है वह उसकी सबसे कमजोर कड़ी से नापी जाती है । अगर कोई भी कड़ी कमजोर रहती है तो सारी जंजीर कमजोर रहती है । याद रखिये, जब तक आप अपने देश के वातावरण को ठीक नहीं करते, समाज के ढांचे को ऊंचा नहीं बनाते, वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं करते उस समय तक यह आशा करना कि हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर हो, हमारे देश से जातीयता और साम्प्रदायिकता का नाश हो, हमारे देश से धर्म-धर्मान्तरों का नाश हो यह एक झूठी आशा करना है । इसलिये मैं सब भाइयों से जो यहां बैठे हैं, निवेदन करूंगा कि इस बटवारे के प्रश्न को थोड़ी देर के लिये आंखों से ओझल कर दें । इस प्रश्न को लाकर ऐसा मालूम होता है कि हम अपने संविधान को भी भूल बैठे । हमारा संविधान ऐसा नहीं जैसा कि रूस का संविधान है । रूस के संविधान में तो सब यूनिट्स स्वतंत्र हैं वे जब चाहें अपने को संघ से अलग कर लें । लेकिन हमारे यहां यूनिट्स को यह स्वतंत्रता नहीं है । इसलिये हमारे यहां अगर आयोग बैठा था तो वह रिआर्गेनाइजेशन के लिये बैठा था, रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिये नहीं । लेकिन अब तो यह मालूम होता है कि प्रत्येक सूबा यह समझ रहा है कि वह एक इंडिपेंडेंट हैसियत से इस संघ का यूनिट है । इसलिये हमारी आंखों से रिआर्गेनाइजेशन का प्रश्न ओझल हो गया । इसी वजह से आज हमारा वातावरण विषाक्त हुआ । इसलिये मैं अपने सब भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को आंखों से ओझल कर दें । जो सबसे पहला प्रश्न है वह यह है कि जब तक आप अपने सामाजिक ढांचे को ऊंचा नहीं करेंगे, जैसा कि परसों गेंदासिंह जी ने कहा था और जब तक आप अपने साधनों को नहीं जुटायेंगे तब तक आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, नहीं मालूम कितने टुकड़े देश के हो जायं, ऐसी मुझे आशंका है । लेकिन अगर आपका आर्थिक और सामाजिक ढांचा ऊंचा होगा और हर व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हुईं और हर एक को सुख और शांति मिली तो याद रखिये ये सब प्रश्न पीछे पड़ जायेंगे और हम सब एक साथ रह कर सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे ।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा सुनहरा मौका आपके जरिये इस हाउस को कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने का मिला है । सूबों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को देखते हुये एक कमीशन की नियुक्ति हुई और वह रिपोर्ट आज इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है । अब हमें देखना है कि देश की सुरक्षा, एकता और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जयपाल सिंह]

देश को शक्ति बनी रहनी चाहिये तो फिर ऐसे कमीशन की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन यह एक माना सिद्धान्त है और बहुत दिनों से पहले इस बात को मान लिया है और संविधान ने भी स्वीकार किया है कि देश का ऐसे सूबों में बटवारा किया जाय जिससे वहां के रहने वाले लोगों की तरक्की के लिये, इंतजाम के लिये, बेहतरी के लिये, माली हालत को अच्छा करने के लिये अधिक सुविधायें और साधन उपलब्ध हों।

अब सवाल रह जाता है कि जहां दूसरे सूबों का बंटवारा वहां की जुबान, तहजीब और तमद्दुन और रस्मो रिवाज को देखकर किया गया है वहां हमारा उत्तर प्रदेश अंग्रेजी जमाने से नहीं बल्कि पहले से ही ऐसी परिस्थितियों से गुजरता हुआ आया है। आज से साढ़े तेइस सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान की हिस्ट्री को यदि देखें तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान के सिर्फ उस समय ५ हिस्से थे यानी सारा हिन्दुस्तान केवल ५ सूबों में बंटा हुआ था। तो ऐसी अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान के वही हिस्से होने चाहिये, ज्यादा की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि हमारे पूर्वज ज्यादा योग्य रहे हों और वह इंतजाम कर सकते रहे हों। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गयीं देश का विभाजन होता गया और आज हमारे सामने विभाजन की समस्या है। हम नये सिरे से आजाद हुये हैं और हमें देखना है कि हमारा निजाम कैसे बेहतर और खूबसूरती से चल सकता है। यह समस्या हमारे सामने है। ऐसी अवस्था में जब उत्तर प्रदेश का सवाल उपस्थित होता है तो एक भाषा के रहते हुये हम कह सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और अम्बाला डिवीजन तथा देहली के आसपास के कुछ जिलों को मिलाकर एक भाषा-भाषी प्रांत बना दिया जाय। लेकिन ऐसी बात नहीं सोची गई कि एक भाषा-भाषी प्रांत होना चाहिये लेकिन सोची यह बात गई है कि किस खूबसूरती के साथ इन्तजाम किया जा सके और वह दृष्टिकोण हमारे सामने है।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें विन्ध्य प्रदेश का हिस्सा मिलाने की बात उन्होंने रखी है। कई एक सदस्यों ने भी उसको मिलाने की मांग की है। झांसी के पास के ८ जिलों को मिलाने के लिये मांग की है। तो ऐसी अवस्था में यह प्रदेश बढ़ाया जाय यह मांग की गई है। हमारे श्रीचन्द्र जी ने अम्बाला डिवीजन, दिल्ली तथा पेप्सू से महेंद्रगढ़ आदि लेकर पश्चिमी जिलों को मिलाकर एक सूबा बनाने की मांग की है। मैं कह सकता हूं यह एक इकाई रह सकती है और यह होना नामुमकिन नहीं है जिन्होंने तस्लीम किया है कि यह हिस्सा मिला दिया जाय यदि इसको कबूल कर लिया जाय तो यह ठीक है वरना यह बंटवारा होना लाजमी है, निश्चित है। आज नहीं तो कल यानी एक न एक दिन होना है। ऐसी अवस्था में सवाल यह रह जाता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के दोष देखे जायं तो हम कह सकते हैं कि आज यदि सही रूप में डेमोक्रेसी को कायम करना है तो जितनी छोटी इकाई होगी उतनी ही अच्छी और मजबूत डेमोक्रेसी होगी और राजनीतिक सिद्धांत भी यही है कि जितनी छोटी इकाई होगी उतना ही अच्छा इन्तजाम हो सकेगा। इससे वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और सही इन्तजाम हो सकता है। हमारे मंत्री लोग जो यहां के रहने वाले हैं वह क्या इस सूबे की सब तहसीलों में पहुंच चुके हैं, क्या वह सूबे के सब गांवों का दौरा कर चुके हैं, वहां की हालत देख चुके हैं कि वहां क्या हालत है, कैसे लोग रहते हैं और कैसे उनकी तरक्की की जा सकती है। मैं यह कह सकता हूं कि यहीं तक नहीं, हमारे जो सदन के सदस्य हैं वह भी नहीं जानते हैं कि कितनी तहसीलें हमारे प्रांत में हैं सिवाय इसके कि हम अपनी अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में ही जायं और देखें। वास्तविकता तो यह है कि सारे सदस्य वहां के भी प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी हालत में मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा अपना सूबा होने के कारण हर जगह हमारे अफसरान का पहुंच पाना नामुमकिन है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब हम वहां जा नहीं सकते और वहां की हालत देख नहीं सकते तो वहां का इन्तजाम क्या कर सकेंगे। इन्तजाम की हालत आज हमारे सामने है और हम देख रहे हैं कि कैसा इंतजाम हो रहा है। एक

[illegible] हालत बहुत ऊंचा रहा है [illegible] बहुत [illegible] मौजूद है कि जो [illegible] कि यहां का शासन कमजोर है [illegible] से ५०० आदमियों ने एक आदमी को कत्ल करने के लिये हमला किया [illegible] कर डालते हैं। एक दूसरे आदमी को, जो उसको बचाने वाला था, वे [illegible] किसी काबिल नहीं रहने और फिर उसे ले जाकर जिन्दा जला डालते हैं। इस तरह की [illegible] जब होती है तो वहां इस बात का कोई यकीन नहीं करता। लोग कहते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। किसी मुल्क मे ऐसा नहीं हुआ है। जो बाहरी राजदूत हमारे देश में है उनके दिमाग मे भी यह बात नही आती है कि इतनी सुन्दर व्यवस्था मे ऐसा कैसे हो पाया। यह बात एक ही जगह नहीं बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि हालत यहां तक पहुच गई है कि हमारे मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज इंतजाम नहीं कर सकते है। कारण यह है कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो उनके बस के बाहर हो गया है. वह ठीक अप्रोच नहीं कर पाते। मै इतना जरूर कहूंगा कि जो शासन में, उसकी प्रणाली में कमियां हैं उनको दूर होना चाहिये और वह नहीं हो रही है।

हमारे बहुत से सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां प्रांतीयता नही है। अगर प्रांतीयता नहीं है तो जातिवाद (रेशनलिज्म) यहां मौजूद है। माननीय हुकुम सिंह जी यहां बैठे हैं। जब वे हमारे यहां एक गांव में राजपूत हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन करने गये थे तो वहां एक राजपूत लड़के ने एक हरिजन औरत को इतना मारा था कि वह खून से लथपथ थी। वहां के कलेक्टर डी० डी० शाही और ठाकुर फूलसिंह जी वहां मौजूद थे। उसकी तरफ जब उनकी तवज्जह दिलाई गई तो उन्होंने देखा तक नहीं और एक तरफ को चल दिये। तो यह हालत है हमारे समाज की कि वह दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, दूसरे की तकलीफ को तकलीफ नही समझता। आप यह कह सकते हैं कि आपके यहां प्रांतीयता नहीं है। लेकिन उसकी जगह आपके यहां जातिवाद है और वह बढता जा रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। मैं तो आज यहां तक कह सकता हूं कि आज कांग्रेसमैनों का भी ऐसे तत्वों से संबंध है कि जो सांप्रदायिकता मे विश्वास रखते हैं. जो जातिवाद में विश्वास रखते है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हुकूमत करने वाली पार्टी है उसकी भी जब यह हाल हो गया है और उसकी भी जब ऐसी अवनति हो गई है तो यह हमारी शासन-प्रणाली कैसे सुरक्षित रह सकती है। आज हमारे सामने देश और सूबे की सुरक्षा का सवाल है। अगर हमारे सूबे की सुरक्षा खतरे मे है और हम देखते है कि हमारा शासन अच्छी तरह से नहीं चल सकता है तो ऐसी अवस्था मे हमें कहना पड़ेगा कि व्यक्ति की एक सीमित शक्ति होती है। वह अपनी ताकत भर ही काम कर सकता है। अगर इतने योग्य व्यक्ति होते हुये भी इतने बड़े प्रांत पर ठीक से शासन नहीं कर पाते तो हमें यह कहना पड़ेगा कि इसके एरिया को कम कर दिया जाय ताकि हम छोटे एरिया में कामयाबी के साथ शासन कर सकें। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि इस प्रदेश के दो हिस्से बनाये जायं और दो हिस्से उस प्रकार बनाये जायं जैसा कि श्री श्रीचन्द्र जी ने सुझाव दिया है। मै उनके प्रस्ताव की ताईद करता हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह हिस्से मिला दिये जायं, उससे मुझे कोई उज्र नही है। वह जरूर मिलाये जायं लेकिन जो झांसी के इर्द गिर्द के हिस्से हैं, उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि वह कुछ अम्बाले का जिला, करनाल का जिला और उत्तर प्रदेश के १६ जिले मिलाकर एक प्रांत बना दिया जाय। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा कायम रहेगी और धनदौलत भी बढ़ेगी और हमारी एकता भी कायम रहेगी उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं आयेगी।

आज यह कहा जाता है कि हमारी आर्थिक अवस्था किसी हद तक कमजोर हो जायेगी। जब हम दो-तिहाई हिस्से को पैसा दे सकते है तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि चन्द जिलों को मिला कर हम पैसा नहीं दे पायेंगे। आज भी जो हमारे पूर्वी जिले हैं उनसे टैक्स १ रुपया फी आदमी लिया जाता है और पश्चिमी इलाके से १॥ रुपया फी आदमी टैक्स लिया जाता है। लेकिन आप खर्च को देखिये कि उतना खर्च नहीं होता है। हम वहां पर खर्च कर सकते है तो जब यह जिले

[श्री जयपाल सिंह]

मिल जायेंगे तो इनका खर्चा भी हम चला सकते हैं। हम अपने नजदीक के लोगों के लिये खर्च नहीं कर पायेंगे यह नामुमकिन बात है। आज हमारे सामने सवाल आता है कि विभाजन नहीं हो सकता है और उसमें बड़ी कठिनाइयां हैं। लेकिन हमने देखा कि रोजमर्रा हर चीज का विभाजन होता है। एक परिवार में एक भाई अगर पहलवान है, वह अगर यह कहे कि वह अपने कमजोर भाई को दूध नहीं देगा और सब अपने आप ही पियेगा या कमजोर भाई कहे कि वह सब पियेगा पहलवान भाई को नहीं देगा तो यह चलने वाली बात नहीं है। दोनों को बराबर मिलेगा तो उचित यही कहा जायगा। इसी प्रकार से अगर आप पश्चिमी जिलों की अवहेलना करें तो मैं यह समझता हूं कि यह अननेचुरल बात है और यह नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं कि जहां तक सोशल और कल्चर की यूनिटी का सवाल है वह हमारे सामने है, उस प्रांत का जो नकशा बनाया गया है वह तो नकशा ऐसा बनाया गया है कि वहां की रहन-सहन और उसमें कोई अन्तर नहीं आता है। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि पश्चिम के किसान को आप देखिये जो कभी बाहर नहीं गया है और उसके साथ आप पूर्व के किसान को बैठा दीजिये और उनको बातें आपस में करने दीजिये। अगर वह अपनी आपस की बातें समझ लें तो मैं समझ लूंगा कि उनका रहन-सहन एक और उनकी भाषा एक है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है।

इसी तरीके से शासन प्रणाली की बात है। जब हमारे सामने ट्रांसफर का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि जो जहां पर रहता है उसको वहीं पर रहना चाहिये। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि जब उनकी यह हालत है तो इससे हमारे प्रांत को एक सुविधा होगी और मै तो यह कहता हूं कि हमारे इस डिवीजन से देश की एकता और बढ़ेगी और इसमें मजबूती आयेगी और कोई भी इस तरीके की बात पैदा नहीं होगी जिससे यह समझा जाय कि देश कमजोर होगा और वह मजबूत नहीं होगा। करीब ३ करोड़ की आबादी का यह प्रांत बनेगा। मैं यह नहीं कहता कि मध्य प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश होगा उसमें से कुछ हिस्सा देने की बात की जाय ताकि वह इतना बड़ा प्रदेश न रह जाय। तो ऐसी हालत में म यह निवेदन करूंगा कि यह इस तरीके से सोचने की बात है। मध्य प्रदेश जो है वह बड़ा है और उनके बड़े होने की वजह से उसमें से कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो यह संभव हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की यह समस्या है इस पर ठंडे दिल से विचार करने की बात है और हमको इस पर ठंडे दिल से विचार करना पड़ेगा। आज हालत यह हो गयी है कि हमारे यहां जनता अन्दरूनी सुरक्षा नहीं महसूस कर रही है और एक तरीके से यह अन्दर आग सुलग रही है। अगर प्रदेश की सुरक्षा करनी है तो अन्दरूनी आग को बुझाना होगा। आज हालत यह हो गयी है कि हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। गांवों की हालत यह हो गयी कि कोई सुरक्षा का अनुभव नहीं करता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आज इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है और जिस पर माननीय मुख्य मंत्री और सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उसके विषय में सदन में काफी विचार-विनिमय हुआ है। सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों ने जिस तरह से के० एम० पणिक्कर के ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया है उसको भी सुनने का मुझे मौका मिला। मैं श्रीमन्, यह समझ सकने में असमर्थ रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को देखकर कि और उनके तर्क को सुनकर कि क्यों उत्तर प्रदेश का रिआर्गेनाइजेशन न किया जाय। हमने श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के जितने तर्क देखे उनमें मुझे कोई भी मौलिकता प्रतीक नहीं हुयी जिससे यह बात समझ में आती कि उत्तर प्रदेश का पुनस्संगठन क्यों न किया गया। श्रीमन्, मैं एक वाक्य में अपनी इस भावना को अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि मेरा वश चले तो जो वह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर बहस करने की तकलीफ किसी को न दूं। क्योंकि ये तीनों सम्मानित सदस्य, श्री फजले अली, श्री हृदय नाथ कुन्जरू और श्री पणिक्कर विद्वान् हैं और अनुभवी भी हैं। मगर इस सारी रिपोर्ट को देखने के बाद, श्रीमन्, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि इस तरह की रिपोर्ट इस सदन में

प्रस्तुत न होती तो अच्छा था। इस रिपोर्ट में मौलिकता कुछ भी नहीं है और न कहीं ब्रेन टैक्स किया गया है। कौन-सी बात इसमें नयी निकाल कर रख दी गयी है? केवल इधर-उधर बाउन्डरी ऐडजस्टमेंट की सिफारिश कर दी गयी है और देश की सुरक्षा कैसे हो, देश की समृद्धि कैसे हो देश अच्छी तरह से विकसित कैसे हो इन तमाम बातों के ऊपर कहीं भी रोशनी नहीं डाली गयी है।

श्रीमन्. माननीय मुख्य मंत्री जी कहते है कि जिस तरह से स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट है, कुछ बाउन्डरी ऐडजस्टमेंट के साथ वे उसे मानने को तैयार हैं। क्यों? केवल एक तर्क है, श्रीमन्, कि सूबे को फिर से रिआर्गेनाइज न किया जाय. चूंकि अब एक चीज बन गयी है तो फिर उसको पुनर्संगठित करने में हो सकता है कि दिक्कत पेश हो, परेशानी आये। इसलिये जब वह बना हुआ है तो हमें उसी को लेकर चलना चाहिये। इस तर्क को तो मैं समझ पाता हूं लेकिन यह कह देना कि माननीय पणिक्कर ने जितनी बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं वे सब हवाई हैं, मैं समझता हूं कि यह अपनी बुद्धि के साथ धोखा करना है श्रीमन्, मुझे ज्यादा खुशी है कि इस सम्मानित सदन में साढ़े तीन वर्ष तक जिन तर्कों को मैंने प्रस्तुत किया आज उन तर्कों का सहारा बहुत से माननीय सदस्यों ने लिया है। क्या यह असत्य है श्री पणिक्कर का कहना कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की कमी है? यह सत्य है। क्या श्री पणिक्कर का यह कहना असत्य है कि यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन और ला एन्ड आर्डर मेनटेन करने का जो तरीका है उससे अच्छा दूसरे सूबों में ला ऐन्ड आर्डर मेनटेन हो रहा है और कम खर्च में हो रहा है? श्रीमन्, उनका कहना यह है कि यहां सोशल वेलफेयर पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वह बहुत कम है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सत्य है कि दूसरे सूबों के मुकाबिले में सोशल वेलफेयर पर उत्तर प्रदेश में कम खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन अन्य सूबों की बनिस्बत खराब है। शिक्षा की व्यवस्था जो किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिये सबसे बड़ी चीज कही जा सकती है, हमारे यहां शिक्षा की कमी है। फिर माननीय परिपूर्णानन्द जी ने दूसरी बात कह दी कि खाद्य में हमारे प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है यदि सन् १९४९ के आंकड़े को आधार मान कर देखा जाय। मैं उनके आंकड़े को भी गलत समझता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्रीमन् कि सरकारी किताबों में जो विभिन्न अवसरों की रिपोर्ट है अगर उनके आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करें तो सारे के सारे आंकड़े सरकारी तर्क से ही कटते चले जाते हैं। देखा यह जाना चाहिये कि रिआर्गेनाइजेशन होना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो तर्क दिया उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं जो उन्होंने सौ और डेढ़ सौ वर्ष की बात कह दी। अगर हम बुनियाद में जाना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि राम और कृष्ण को क्यों अलग किया जाय? अयोध्या और मथुरा को क्यों अलग किया जाय? काशी और हरद्वार को क्यों अलग किया जाय? नरदेव शास्त्री जी ने जो तर्क दिया उसको भी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था मगर हमको प्राचीन इतिहास की तरफ देखना चाहिये। मसलन चाहे संस्कृति को लें, चाहे कल्चर को लें, चाहे सभ्यता को लें, आज कृष्ण की संस्कृति, कृष्ण का कल्चर उत्तर प्रदेश के तमाम पश्चिमी जिले से लेकर क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक नहीं है? क्या बिहार तक नहीं है? क्या राम का प्रभाव क्षेत्र बिहार और इस प्रदेश में सबमें नहीं है या श्रीकृष्ण का प्रभाव क्षेत्र मध्य भारत या राजपूताना व और प्रदेशों तक नहीं है? तो यह भी आधार माना जा सकता है तो इस आधार पर फिर जाने की क्यों कोशिश नहीं करते? मैं कहता हूं कि जाना चाहिये और अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दूंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि पुनः कोई अच्छी कमेटी बैठे और वह अच्छी तरह से तमाम समस्याएं, जो इस समय खड़ी हो रही हैं उन पर विचार करे और उनका समाधान करे और मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट बिलकुल अधूरी है और इसमें देश की और समाज की, आज की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है और न उस ओर कोई प्रयत्न है।

जो बटवारे की बात कही गयी मैं उसके लिये बटवार शब्द का प्रयोग नहीं करता और पश्चिम के जो मित्र बटवारे की बात करते हैं उनसे मैं कहूंगा कि

[illegible] नन्द का प्रस्ताव [illegible] प्रान्त [illegible] कह [illegible] केवल [illegible] [illegible] हिन्दुस्तान का [illegible] बहुत चीज नही है [illegible] लिये यहा की उन्नति और [illegible] वृद्धि को [illegible] अगर प्रदेश का पुन सगठन होना आवश्यक है, जिससे यहा [illegible] जनतात्रिक [illegible] होती हो, अधिक मात्रा [illegible] और आर्थिक उन्नति होती हो और सुरक्षा अधिक हो सकती हो और जनता अधिक आसानी के साथ अपने हितो को प्राप्त कर सके तो क्या यह गलत बात होगी ? लेकिन मुझे दुख है कि इस रोशनी मे विचार करने की कोशिश न तो कमेटी के सदस्यो ने की है और मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी भी नही करते और यहा के आफिशियल ग्रुप के लोग तरह तरह से जायज और नाजायज तरीके से प्रदेश की अखडता के लिये प्रयत्न कर रहे है । इसके लिये मै कहूगा कि गलत आधार, गलत बुनियाद से चीजो को बहुत दिनो तक नही देखा जा सकता, हमको सही तत्व को सामने रखना होगा । इस अवसर पर मै एक प्रश्न और उठाना चाहता हू और वह यह है कि क्यो स्टेट्स ही आवश्यक तौर पर रहे, अगर इस समय स्टेट्स को रिआगनाइज करने की बात है तो वर्तमान स्टेट ही क्यो रहें, एक सेंटर रहे और छोटे-छोटे रीजन्स मे देश को बाट दिया जाय और उनको एकोनामी आदि मे पूरी आजादी दे दी जाय और वह अपनी समस्याओ का स्वय समाधान कर सके । क्या इस प्रकार की व्यवस्था इस समय नही हो सकती ?

इस समय जो देश के मौलिक प्रश्न और समस्याये है उनको तो इन कमीशन के सदस्यो ने छुआ तक नही, वह विद्वान हो सकते है, लेकिन विद्वता के यह अर्थ नही होते कि पुरानी किताबो को पढकर उन्ही तक एक दायरे मे अपने को सीमित रखा जाय, उनको नई आवश्यकताओ, नयी समस्याओ, सामाजिक, आर्थिक ढाचे को समझकर इस प्रश्न को देखना था । आखिर इतना पैसा खर्च हुआ । सारे देश का उस कमेटी ने भ्रमण किया और यह रिपोर्ट उसके फलस्वरूप हमारे सामने आयी । हम तो आशा करते थे कि नयी जिन्दगी देश को उससे मिलती, नयी परिस्थितिया सामने आती और उनका कुछ अच्छा समाधान बताया जाता, लेकिन न किसी विषय को उसमे पणिक्कर साहब जिनका बहुत चर्चा है उन्होने, या श्री फजले अली साहब ने या श्री कुजरू ने छेडा है और न उन समस्याओ को हल करने की कोशिश की है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो थोडी सी सीमा मे हेर-फेर करने के बारे मे कहा और दलीले दी उनको भी थोथी दलीलें कहा जा सकता है । उनको साफ कहना चाहिये था कि जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गयी है उस रिपोर्ट से हमारे देश की समस्याओ का समाधान नही हो सकता और हमको आज फिर से सारे देश की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये एक ऐसी प्रभावशाली कमेटी की स्थापना की माग करना चाहिये कि जो नवीन जनतात्रिक प्रणाली को सुचारुरूप से प्रतिष्ठित करने के लिए सुन्दर सुझाव दे सके और देश की सुरक्षा की गारन्टी जिसकी रिपोर्ट मे रहे ।

एक बात और कही गयी थी और जिम्मेदार व्यक्तियो की ओर से कही गयी थी कि इस रिपोर्ट को ज्यो का त्यो लागू कर दिया जायगा, लेकिन आज यहा वह भी नही किया जा रहा है, आज काग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठकर कहती है कि बम्बई सिटी की अलग स्टेट बननी चाहिये । क्या तर्क है ? क्यो बम्बई को अलग स्टेट बनावें, क्यो बम्बई महाराष्ट्र के साथ न जाय, क्या औचित्य है ? कुछ नही केवल पावर पालिटिक्स । अपनी जगह पर अपना प्रभुत्व स्थित रहे स्थायी रहे इसके फेर में पडकर सारी बातें हो रही है ।

जब आज एस० आर० सी० पर पुनर्विचार हो रहा है और उसमें रद्दोबदल हो रहा है तो जब तब्दीली हो तो अच्छी तरीके से विचार-विनिमय करके सारे देश के लिये क्यो न हो और क्यो न उसके लिये एक नई समिति बनायी जाय ।

हमारे माननीय मित्र माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने एक प्रस्ताव पेश किया और अगर कोई यह कहता है कि उनके प्रस्ताव का कोई अर्थ नही है तो वह ठीक नहीं कहता बल्कि मै तो कहता हू कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के तर्क से माननीय वीरेन्द्र-शाह जी का तर्क बहुत ऊचा है, इसलिये कि वे केवल विंध्यप्रदेश के उस

हिस्से को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इस प्रश्न के लिये [illegible] हों [illegible] एक ऐसे हिस्से का जो अविकसित है उसको छोड़ देना चाहते हैं। [illegible] को लेकर आज मशविरा दे रहा हूं चाहे वह चीफ मिनिस्टर हों, [illegible] मेम्बर [illegible] हों और चाहे एक्स मिनिस्टर हों। आज जब हम इतने बड़े प्रश्न का विचार कर रहे हैं तो [illegible] निवेदन करूंगा कि भावावेश में न आवें। स्टेट्स छोटे होकर भी रह सकते हैं और बड़े होकर भी रह सकते हैं, छोटे स्टेट के पक्ष में भी तर्क हो सकते हैं और बड़े के पक्ष में भी तर्क हो सकते हैं। बड़े स्टेट से भी मिनयोरिटी हो सकती है और छोटे स्टेट की मिनयोरिटी भी हो सकती है. बशर्ते कि हम उसका मूल्य तय कर देते हैं कि हम किस मूल्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। आज सही मानों में जो हम साढ़े तीन वर्षों से कह रहे हैं चौखम्भा राज्य की बात है उसके सिद्धान्त को अन्य लोग भी प्रतिपादित कर रहे हैं। अगर उस चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त को मानते होते तो आज यह सारी बातें न होतीं। अगर आगरा जिले की, मथुरा जिले की, या मेरठ जिले की जितनी आमदनी है उसकी चौथाई आमदनी वहीं की जिला कमेटी को दे देते और वह उस चौथाई आमदनी से बिना किसी सरकारी हस्त-क्षेप के रहते हुये अपना सारा कार्य चलाते तो यह सब बातें न होतीं। आज हम क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि एक ही स्टेट के अन्दर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा लेजिस्लेचर क्यों रहे? दो-दो तीन-तीन जिलों को लेकर रीजन की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद डाइलेक्ट्स् भी उसमें आजाये, क्यों न पुनस्संगठित किया जाय ताकि उसमें पूरी आटानामी भी सुरक्षित रहती। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं अगर उसको हम आटानामी देते, कानून बनाने का अधिकार देते पुलिस रखने का अधिकार देते और डेवलपमेंट करने का काम दे देते तो वह सारा काम स्वयं अपने क्षेत्र का कर लेते। आज लोगों का जो यह आक्षेप है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब से मुख्य मंत्री हुये तब से बनारस के घाटों का निर्माण शुरू हो गया। हालांकि मैं तो यह कहता हूं कि जब से माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री हुये हैं तब से बनारस का अहित हुआ है, लाभ नहीं हुआ है। खैर, वह दूसरी बात है। जो लोग आज आगरा को राजधानी बनाकर अपने प्रदेश में कुछ जिलों को ले लेना चाहते हैं, दूसरे और कहीं कुछ लेकर अपना प्रदेश बनाना चाहते हैं तो वह हमको कहां के लिये छोड़ देंगे। हमारे ऐसे ख्याल के लोगों को वह कहां रखेंगे?

श्री अध्यक्ष---वह आगरा में आप को रखेंगे। (हंसी)

श्री राजनारायण---आखिर बाराबंकी (जहां घृणित ढंग पर नर हत्यायें हुईं) वह तो लखनऊ के अन्दर रहेगा। जौनपुर जहां दो बजे से ५ बजे रात तक गिरफ्तारियां हुयीं वह तो लखनऊ के रहेगा। तो समस्या का समाधान मूल रूप से सोचा जा रहा है तो वह इस तरह से नहीं हो सकता है। समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है कि पुनः एक कमेटी का निर्माण किया जाय और वह सारे एक भाषा-भाषी रीजन को एक करके उसका ठीक से फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करे। इसलिये इस सारे मामले को जो अच्छी तरह से देखें और विचार करें ऐसे कार्य के लिये एक कमेटी पुनस्संगठित होनी चाहिये, यह हमारा मत है।

श्री कालिकासिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय पणिक्कर जी की असहमति की टिप्पणी है उसके बहस के लिये मैं समझता हूं कि लोक सभा में यह बहस अधिक महत्वपूर्ण होगी। हमारे प्रदेश का जो सदन है इसमें एक मत से हम लोग यह राय देंगे कि इस उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिये और न इसकी अभी कोई समस्या प्रकट हुई है। जो संकेत पणिक्कर जी ने लिखा है वह लोक सभा के लिये दिया है अर्थात् लोक सभा में जब मत लिया जाता है जहां

[श्री कालिकासिंह]

कि ४९९ सदस्य हैं, तो इन ८६ सदस्यों का वहां बहुमत है इसलिये वे वहां प्रभावशाली हैं और इन ८६ के कारण लोक सभा से जो उत्तर प्रदेश चाहता है करा लिया करता है। उन्होंने शायद यही समझा होगा कि यह असहमति टिप्पणी जो हमने दी है यह लोक सभा में कारगर हो जायगी। यह कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था प्रभावशाली होने के लिये। अगर उन्होंने और और चीज रखी होतीं तो वह चीज एक युक्ति की चीज कही जा सकती थी, लेकिन यह युक्ति कि वहां पर ८६ सदस्य बैठते हैं कोई युक्ति नहीं है। हां, तो सम्पूर्ण देश में ६ या ७ लाख के ऊपर एक सदस्य गया है। उसमें कोई कमीबेशी नहीं हो सकती। न उससे किसी क्षेत्र का या किसी प्रदेश का कोई प्रभाव अधिक या कम होता है। किन्तु उनका जो संकेत उस असहमति टिप्पणी में है उस से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के जो ८६ सदस्य हमारी लोक सभा में हैं उनके लिये एक दिक्कत पैदा हो और दूसरे प्रदेशों के लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठायें--वह संकेत निराधार है। उनकी जो ८६ की संख्या है जिसकी वजह से उनका प्रभाव बड़े-बड़े व्यक्तियों पर है या और चीजों पर जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम खत्म कर सकें--ऐसा उनका सोचना भी निराधार है। आज हमने बहुत ही सहायता की होती इन ८६ सदस्यों की जो लोक सभा में हैं अगर विभाजन की समस्या को यहां पैदा न किया गया होता। उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग प्रदेश में जनता की तरफ से नहीं हुई। अगर ऐसी बात हुई होती तो जनता की तरफ से अखबारों में लेख निकलते। जहां तक मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहीं कोई ऐसी आवाज नहीं आई। जिस ईर्ष्या और डाह का जिक्र पणिक्कर जी ने किया है और लिखा है कि पंजाब, बंगाल और मदरास में इस तरह की डाह और ईर्ष्या की भावना है उस डाह की भावना की झलक भी कहीं भाषणों में या लेखों में नहीं आई। इसके विपरीत यह देखता हूं कि प्रेम की भावना है उत्तर प्रदेश के प्रति। लोक सभा में जितने सदस्य हैं सब ने पं० जवाहर लाल जी को सम्मान दे रक्खा है। श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो सम्मान दे रक्खा है या और जो भी उत्तर प्रदेश से जाते हैं उनको जो सम्मान दे रक्खा है उसको देख कर मैं तो यही समझता हूं कि सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के प्रति प्रेम की बड़ी भावना है। दूसरी बात जो सरदार पणिक्कर जी ने कहा है मैं उसे बिल्कुल असत्य समझता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रभावशाली है और अपने इस प्रभाव का वह दुरुपयोग कर सकता है।

दूसरी बात हमें यह देखनी है अगर ऐसी बात होती तो हमें उस प्रभाव का कुछ अनुचित लाभ प्राप्त हुआ होता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १,२४१ करोड़ रु० केन्द्रीय व्यय रक्खा गया था उसमें से २६६ करोड़ मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स जैसे दामोदर वेली, भाखरा, नंगल और हीराकुण्ड आदि के लिये रक्खा गया था, लेकिन उस सेंट्रल व्यय में जो रुपया खर्च किया गया उसमें से एक पैसा भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। बहुत कहने पर जो ५ मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स और जोड़े गये उनमें एक रिहन्द डेम उत्तर प्रदेश का भी जोड़ दिया गया उसमें ३५ करोड़ रुपये मिलने चाहिये थे, लेकिन ७ करोड़ रुपये की रकम ही मिली और वह भी कर्ज के रूप में। इसके मानी यह हैं कि २६६ करोड़ रुपये में से एक पैसा भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। ८९ करोड़ रुपया २१ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सम्पूर्ण भारत में खोलने के लिये केन्द्रीय व्यय में रक्खा गया, लेकिन एक भी उनमें उत्तर प्रदेश में नहीं रक्खा गया। अब बड़े-बड़े एक्सपर्ट लोगों की राय है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स खुल सकते हैं। जहां तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का संबंध है, हमारे देश में पहले पहल ५५ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स खोले गये, लेकिन ५५ में केवल ६ हमारे यहां खुले जब कि ९ होने चाहिये थे। इस तरह से और और चीजों में भी, रेलवे के २६० करोड़ पोर्टट्रस्ट में, जितना भी विकास का काम हुआ और केन्द्र ने जो १२४१ करोड़ रुपया खर्च किया उसमें उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं के बराबर मिला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हम देख रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो कमी रह गयी थी, उसका पूरा करना तो

दूर रहा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जबकि सम्पूर्ण देश का उद्योगीकरण होने जा रहा है और जिस पर २४ सौ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के ३३६ करोड़ रुपये के प्लान में सिर्फ १० करोड़ रुपया रखा गया है, ६ करोड़ [illegible] इण्डस्ट्रीज के लिये और १०—११ करोड़ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिये। इससे मालूम हो रहा है कि भारत के २६ प्रतिशत उद्योग धन्धे में से केवल [illegible] प्रतिशत, उद्योगीकरण के लिये इस प्रदेश को दिया जा रहा है। अगर केन्द्र के ऊपर हमारा प्रभाव होता तो उद्योगीकरण में [illegible] फायदा हुआ होता।

उन्होंने जो असहमति की टिप्पणी लिखी है, उसमें से कुछ बातों का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं।

पहले भाषा का प्रश्न है, भाषा को सभी लोगों ने मान लिया है और मेरे ख्याल से पणिक्कर जी ने भी मान लिया है कि इसका कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारे संविधान में जो १४ भाषाएं दी हुई हैं केवल उन भाषाओं के आधार पर भाषावार प्रान्त बनाये जा सकते हैं। जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है हमारे यहां चार भाषाएं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत—ये चार भाषाएं उन १४ भाषाओं में हैं, जिन १४ भाषाओं के आधार पर भाषावार प्रान्त बनाये जा सकते हैं। इन्हीं आधार पर केरल, कर्नाटक की मांग है और हैदराबाद का विघटन हो रहा है। इन १४ भाषाओं को लेकर पुनस्संगठन हो रहा है ताकि समस्या और खड़ी न होने पावे। इस तरह से भाषा का प्रश्न पैदा नहीं होता।

उन्होंने इतिहास के सम्बन्ध में भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास केवल सौ वर्ष का ही होता है। इतिहास से हमने क्या सीखा? उससे हमने यही सीखा कि हमारे प्रदेश में जो छोटे-छोटे राज्य पहले थे [illegible] हो गये थे, कहा भी गया पांच-छः पहले भी थे—पांचाल, कोशल, चेदि आदि। लेकिन इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कहीं हम रिवाइवलिज्म की स्पिरिट में न बहने जायें। कहीं पांचाल वाले अर्थात् बरेली के लोग कहने लगें कि कुरु वंश के लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था. अगर यह रिवायवलिज्म की स्पिरिट आ गयी तो छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ने लगेंगे। इतिहास से हमें यह सीखना चाहिये कि जिन पुरानी बातों से हमारा नुकसान हो गया था, उनको हम छोड़ दें। इन सौ वर्षों के अन्दर, जैसा कि पणिक्कर जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश एक हो गया उसी एकीकरण की तरफ हम बढ़ें तो कल्याण भारत का है।

इसमें पणिक्कर जी ने एक बात और कही है कि उत्तर प्रदेश बड़ा है। उन्होंने अपने नोट में भी लिखा है—

"In most federal constitutions though wide variations exist in respect of the population and resources of the unit, care is taken to limit this influence and authority of the larger states."

कान्स्टीट्यूशन भारत में यूनिटरी है। सरदार पटेल जी ने जब कि संविधान परिषद् में इसका प्रश्न पैदा हुआ था उन्होंने इसको फेडरल न मान कर यूनिटरी बनाया था, यानी रेजिडुअरी पावर केन्द्र में रखी थी न कि प्रदेशों में। इसलिये फेडरल का जो उदाहरण दिया है वह उदाहरण ठीक नहीं है। यूनिटरी मान कर के अगर देखा जाय तो प्रदेश का बटवारा उनके तर्क के अनुसार ही नहीं होना चाहिये।

पश्चिम और पूर्व के ऊपर खुद ही उन्होंने मान लिया है कि विकास में पश्चिम और पूर्व में कोई फर्क नहीं है। हमारे पश्चिमी भाइयों ने यह प्रश्न पैदा कर दिया कि हम लोगों ने पूर्व के ऊपर जो खर्च किया है वह बहुत ज्यादा खर्च किया है। लेकिन हमने देखा है कि पश्चिम को अभी कोई भी रकम हमारे बजट में ऐसी नहीं आयी जिससे यह कहा जाय कि हमारे पश्चिम के लोगों ने पूरब के विकास के लिये कोई

[श्री कालिकासिंह]

रकम दी हो। डेवलपमेंट लेवी जो लगाने वाले थे हम वह लगी नहीं। न कोई बेटरमेंट लेवी ही लगी, न वाटर रेट ही यहां पर लगाया गया। ऐसी हालत में यह कहा जाना कि पश्चिम के जिलों से कोई रकम लेकर पूर्व के जिलों का विकास होने जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि इसके बरअक्स यह कहा जा सकता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने छः सात करोड़ से बढ़ाकर २३ करोड़ रुपया सरकारी मालगुजारी कर दिया है और छः करोड़ रुपये जो इर्रीगेशन रेट का मिला है उस सबको मिलाकर करीब ३६ प्रतिशत इस वक्त जमीन के ऊपर भार है और उस ३६ प्रतिशत का भार सब पर समान रूप से है। वह पूरब के ऊपर भी पड़ता है और पश्चिम पर भी पड़ता है। ऐसी हालत में यह कहा जाना कि कोई ऐसी रकम पश्चिम के लोगों ने विशेष रूप से पूरब के लोगों के लिये दी हो, यह ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात अभी आयी नहीं है। जहां तक कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का सम्बन्ध है, जो पावर प्रोजेक्ट हमारे यहां है उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्व में हो शारदा खटीमा पावर हाउस है, ११-१२ करोड़ रुपये उस पर खर्च हुये हैं। कोई दूसरा पावर प्रोजेक्ट वहां बना नहीं। मुश्किल से मऊ में दो हजार किलोवाट का बना हुआ है और गोरखपुर में दो हजार का है। लेकिन जो ४० हजार और ६० हजार किलोवाट का पावर हाउस है, जो कि १६ पश्चिमी जिलों में बिजली दे रहा है उसके बराबर का कोई दूसरा नहीं है।

इसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में जमुना और रामगंगा पर जो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं वह दोनों पश्चिमी जिलों के दिये गये हैं। एक रिहैन्ड डैम रह जाता है। रिहैन्ड डैम की योजना ४५-४६ में बन चुकी थी और अब तक उसको रोका गया और बराबर रोका गया, यहां तक कि आज ५५ तक भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ और उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाल दिया गया। इस तरह से भी हम देख रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट के विभाजन में भी पूर्वी जिलों में अब तक कोई काम नहीं हुआ। एक चीज और है, नहर की समस्या। उत्तर-प्रदेश में आगरा नहर ईस्टर्न जमुना और अपर गंगा और लोअर गंगा नहरें हैं, इन नहरों को हम गंगा और जमुना के बीच में काट देंगे अगर विभाजन करेंगे। इसी तरह से शारदा नहर भी कट जाती है। रिपोर्ट में भी यह दिया हुआ है कि विकास का काम नहीं रुकने पावे। भारत की एकता, सुरक्षा और उसका विकास इन तीनों में कोई बाधा न पड़ने पावे। हम फ्री हैं अपना बटवारा करने के लिये, हो सकता है कि कारण भी हों, लेकिन अगर किसी तरह से भारत की एकता, उसकी सुरक्षा और उसके विकास पर कोई असर पड़ता है तो उसके लिये समय नहीं है अभी कि ऐसा विभाजन करके ऐसी चीज पैदा की जाय। इसलिये कोई भी वजह ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम यह कह सकते हों कि उत्तर प्रदेश का विभाजन इस समय किया जाय जब कि इसके लिये कोई उपयुक्त अवसर नहीं है। इसके लिये रिपोर्ट के अन्दर भी कहा गया है, हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने भी यह कहा है और हैदराबाद में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें भी यह चीज कही गयी थी और इस पर जोर दिया गया था कि कोई भी ऐसी प्रवृत्ति न पैदा की जाय, भीतर या बाहर, जिससे कि वातावरण विषाक्त हो जाय और जिससे कि भारत के निर्माण, उसकी सुरक्षा और एकता में किसी तरह की रुकावट पैदा होती हो। इसलिये मैं यह समझता हूं कि किसी भी प्रकार उत्तर प्रदेश के विभाजन की माँग सामयिक है ही नहीं और न कभी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे टुकड़े दक्षिण में हैं उनको अगर हम बिना आपत्ति के ले सकते हैं, तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---श्रीमान अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस सदन में राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर वाद-विवाद चल रहा है। बहुत से भाइयों ने अपने विचार प्रकट किये। बहुत से सदस्यों ने अपने विचारों में दोनों पक्षों के लिये काफी मसाला दिया और जहां तक मैंने सुना है, समझा है दोनों पक्षों के लिये ही पक्ष में और विपक्ष में चीजें आयी हैं।

परसों माननीय हाफिज इब्राहीम जी ने भी एक गालिब का शेर पढ़ा। उस वक्त बदकिस्मती से मैं सदन में हाजिर नहीं थी, लेकिन मैंने अखबार में उसको पढ़ा जरूर और पढ़ने के बाद मेरी बुद्धि में भी थोड़ा सा कविता के रूप में उसका जवाब देने की प्रवृत्ति पैदा हुयी। मैंने भी एक छोटी सी कविता अपनी ओर से बनायी है। "मर कर चैन पाना नहीं हाथ अपने। रहा जाना मरने के बाद ऐ गालिब, दैव जिधर भेजे उधर ही जाना बस में।"

मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि शास्त्रों में भी यह चीज सिद्ध है कि मरने के बाद मनुष्य चैन स्वयं ही पा जाता है। सांसारिक दुखों से छूट जाना मात्र सब से बड़ा प्रमाण है, और "मर कर भी किधर जायेंगे ?" यह तो मेरी एक छोटी सी बुद्धि में भी नहीं घुस पाया कि जब इन्सान मर जाता है तो अपने संस्कारवश या कर्मवश जो उसके सुसंस्कार या बुरे संस्कार होते हैं उन्हीं के वश उसे आना-जाना पड़ता है, आवागमन के सिद्धांत के अनुसार हमारा साहित्य और शास्त्र यह सोचने के लिये कभी भी राय नहीं देता कि मरने के बाद इन्सान जाने के लिये सोच सकता है। मेरे ख्याल से यह हमारा सदन एक पवित्र भूमि है और यहां पर ऐसी बातें जो अवसर पर घटती हों या न घटती हों उनको कहना तो ठीक नहीं है और जहां तक मेरी बुद्धि को अनुमान है यह गालिब का शेर अवसर के मुवाफिक नहीं उतरता है।

मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव यहां भवन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रही हूं। अच्छा यही होता कि और भी भाइयों की तरह से मैं भी हृदय से उसका समर्थन करती, किन्तु जहां तक मेरी समझ में बात आती है, मैं उसमें असमर्थ अपने को पाती हूं, मैं इस बात को मानती हूं कि कभी कोई चीज न अमर रही है और न कभी आगे रहेगी। केवल एक सत्य ऐसी चीज है जोकि सदा अमर रहेगी और सत्य मानी जायगी। सत्य से डर कर हम यदि आज इस भवन के सामने कोई गलत बात कहने में विवश हो जाते हैं तो हम चाहे दूसरों के सामने अपराधी न समझे जायं, लेकिन अपनी आत्मा के आगे हमको झुकना पड़ेगा और अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। आज देश के सामने एक ऐसी समस्या है, आज प्रतिनिधियों के सामने भी एक ऐसी जटिल समस्या है जिसको सुलझाने के लिये भारत की जनता की आंखें लगी हुई हैं और वह अपने प्रतिनिधियों तथा कर्णधारों से यह मांग करती है कि वे उसकी मांग और राय पर यहां निर्भीकता से विचार प्रकट करें। आज अगर मानव को लक्ष्मी पूजा के डर से, और पद लोलुपता के कारण, कुछ डर है तो मैं समझती हूं कि उसका जन्म निष्फल हुआ। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य को ही सामने रख कर बात करनी चाहिये। ऐसा सत्य-पथ का राही किसी से डर नहीं सकता। जो ईश्वर का चोर होता है वह हमेशा सुख और चैन नहीं पाता। जब से विभाजन की मांग करी गयी है तब से जो कुछ भी दबाव वगैरह हो सकता था वह बहुत ज्यादा डाला गया और बहुत से भाइयों ने जो डर कर बात करी है वह गलत करी है और मैं यह मानती हूं कि बहुत से भाइयों ने आत्मा के विरुद्ध भी बात करी है।

श्रीमन्, अब मैं एक बात और आगे कहना चाहती हूं कि आजकल हमारे भाई "राष्ट्र" शब्द का प्रयोग बड़े उत्साह से करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूं कि इस "राष्ट्र" शब्द के माने का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने या समझने की पर्वाह वे नहीं करते कि "राष्ट्र" शब्द क्या चीज है। शास्त्रों और राजनीति के पंडितों के अनुसार "राष्ट्र" के माने एक विशाल समुदाय है, जिसमें कि मनुष्य एक अटूट सूत्र में बंधे हुये सुख और शांति से रह सके। जिस सम्बन्ध में बंध करके आदमी दुःख अनुभव करे या असंतोष प्रकट करे उस राष्ट्र के कोई माने नहीं माने जाते और न ही हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं। अब राष्ट्र के लिये मैं कुछ बातों का जिक्र करती हूं, जोकि राष्ट्र का मुख्य अंग हो सकती हैं। इसमें ७ अंग आते हैं, जोकि एक राष्ट्र को बनाने में सहायक होते हैं। सबसे पहले देश सम्बन्धी एकता, दूसरा राज्य की एकता, तीसरा भाषा की एकता, चौथा धार्मिक एकता, पांचवां वर्ग की एकता, छठा हानि लाभ की एकता और सातवां जिस देश में ऐतिहासिक पूर्वजों के कारण तथा अन्य ऐसे ही कारणों से गौरव उत्पन्न हो, वह भी एकता मानी जाती है। अब हम इन बातों को लेकर विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे भारत में ये सब चीजें नहीं हैं। अगर देखा जाय तो हमारे भारतवर्ष में ये चीजें बहुत ही भिन्नता के रूप में पायी जाती हैं। तो भारत का एक राष्ट्र होना कदापि सत्य नहीं हो सकता। लेकिन जहां यह सवाल है वहां पर यह भी मैं

[श्रीमती चन्द्रवती]

मानने को तैयार हूं कि इन सब भिन्नताओं के होने के साथ ही साथ हिन्दुस्तान एक राष्ट्र माना गया है और यह भारतवर्ष के गौरव, उसकी महानता और उदारता का द्योतक है। यहां पर बहुत से काल, जैसे बौद्ध काल, गुप्त काल आदि हुये और जिनका कि समय-समय पर उनका अपना इतिहास रहा। इस तरह से सभी इतिहास का आधार में विश्लेषण करूं तो उसने १५ मिनट तो क्या मैं समझती हूं १५ घंटे भी थोड़े होंगे। इसलिये उन्हें विस्तारपूर्वक न कह कर सूक्ष्म रूप से ही कहना मैं पसन्द करूंगी। बौद्धकाल में इस उत्तर प्रदेश में १६ स्वतंत्र राज्य थे, और हर्षवर्द्धन का और अशोक का राज्य सब से बड़ा राज्य माना जाता था, इसमें भी यह राष्ट्र एक सूत्र में नहीं बंध पाया। सबसे पहली बात यह कही गयी कि उत्तर प्रदेश एकता में बंधा हुआ है और इसका विभाजन करना इसकी अखंडता को तोड़ना है। मैं इसको मानने के लिये कदापि तैयार नहीं हूं। यह केवल कुछ वर्षों की बात है जब हमने जिन जिलों की मांग सही समझते थे, की थी और यह हमारी एक पुरानी मांग है जो १९२१ में राष्ट्रपिता गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा की गयी थी और १९२८ से लेकर १९३३ तक बराबर यह मांग जारी रही और यह मांग बराबर प्रभावशाली रही। अब मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इस बात को आज दोहराया जाता है तो मांग करने वालों को गद्दारी का खिताब दिया जाता है और उनकी वफादारी पर शक किया जाता है। यह एक ऐसी बात है कि अगर दिन को दिन कहना मुनासिब नहीं तो रात को रात कहना भी मुनासिब नहीं हो सकता है। यह तो एक ऐसी बात हो गयी जहां सब अंधे बैठे हों और एक को दिखता हो तो जैसी चीज वह बतला देता है उसी को सबको मानना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके आंखें होतीं तो वह देखकर त्रुटि बतला सकते कि यह चीज नहीं है, फिर तुम क्यों बतला रहे हो कि यह चीज ऐसी है। वरना सही मांग करते समय यह कहना कि यह गद्दारों की मांग है और ऐसी मांग है जिससे गलत भावना जाग्रत होती है यह कदापि सत्य नहीं है।

आज यदि मैं भाषा का विश्लेषण करूं तो उसमें काफी समय लगेगा। इस संबंध में १९२१ की भाषा के सर्वे के अनुसार थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूं और वह यह कि जब सर्वे हुआ था तो उस समय सारे हिन्दुस्तान में १८८ भाषायें बोली जाती थीं और अगर बोली का इसमें मिश्रण किया जाय तो ५४४ से भी अधिक भाषायें हो जाती हैं। इसलिये यह भी चीज गलत है। दूसरी चीज है शासन व्यवस्था, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसको सोचने के लिये काफी गम्भीरता की जरूरत है। शासन का प्रबन्ध जितना नजदीक से अच्छा हो सकता है उतना दूर से नहीं हो सकता है। क्या मैं किसी माननीय मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लिया है और पूरा निरीक्षण करके उनकी जानकारी है कि कौन-कौन से जिले की तहसील में क्या चीज होती है और वह कैसे उसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

अब मुझे ऐतिहासिक घटना की बात याद आ गई है। जिस समय महा भारत हो रहा था तो विपक्षी दल की शक्ति क्षीण करने के लिये यह सोचा गया कि धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया जाय तभी काम हो सकता है तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लिये धर्मराज से यह कहलाया जाय कि वह मर गया तो उनका कार्य सिद्ध हो सकता था। धर्मराज ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन उनको कहा गया कि आप सत्य ही कह दो और वह सत्य जिस समय कहा गया तो उस समय हाथी मरा या आदमी आदि शब्दों को सुनने के लिए युद्ध के बाजों से इस प्रकार दबा दिया गया कि दूसरे वाक्य के अंतिम अंश को न सुनने के लिये विवश से हो गये। इस तरकीब से द्रोणाचार्य की मृत्यु निश्चित थी इस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय जन, अपने पुत्र की मृत्यु का संवाद सुना था और वह मर गये। जब उस समय ऐसी बात धर्मराज युधिष्ठिर से भी कहलाई जा सकती थी तो मैं सोचती हूं कि आज संसार में कोई उनकी समानता कर सके ऐसा मैं किसी को नहीं देखती, तो मैं झूठ बोलने वालों और बुलवाने वालों की संख्या को कहां तक गिना सकती हूं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि यह मांग आज समय की मांग है और इसको टालना एक बहुत बड़ी गलती होगी और यह कभी भी टलने वाली नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, म राज्य पुनस्संगठन आयोग की जो सिफारिश है और उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का जो प्रस्ताव ह उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि हमारे कुछ भाइयो ने आवश्यक समझा कि उस प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ कहे और उसमें संशोधन पेश करें। हम सब जानते हे कि हमारे देश मे उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई मानो मे और कई क्षेत्रो मे उत्तर प्रदेश हमारे सारे देश मे अगुवा रहा है और यही नही, हमारे देश की जो सालीडीटी व सेवयोरिटी है उसकी उत्तर प्रदेश रीढ़ है और उसकी एकता का प्रतिबिम्ब है।

पिछले १८ महीनों मे जो यह उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग ने ज्यादा जोर पकडा, उसकी जो गतिविधि हुई, उसकी कुछ थोड़ी-सी जानकारी मुझको भी है और उसके सिलसिले में मै चन्द बाते भवन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले साल अप्रल के महीने मे जब कि कुछ सदस्यों ने अपना पहला मेमोरेन्डम तैयार किया तो कुछ की मुझ से भी बातचीत हुई थी। मुझको यह बताया गया कि चूंकि पश्चिम के जो जिले हैं उनका स्टेट रेवेन्यू ज्यादा होता है और डेवलपमेंट के काम मे ज्यादा खर्च ईस्ट मे होता है, इसलिये हम चाहते हैं कि ईस्ट वेस्ट का विभाजन कर दिया जाय। जब मैंने यह कहा कि यह बड़ा खतरनाक मूव है और इससे जो डिसइंट्रीगेटिंग फोर्सेज हे उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो मुझ से यह कहा गया कि असल मंशा हमारा यह नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े कराये बल्कि हम केवल इसे सौदे के रूप मे मुख्य मंत्री जी के पास भेजेंगे कमीशन के पास नहीं.......

श्री अध्यक्ष--म समझता हूं कि यह अप्रासंगिक है।

श्री नवलकिशोर--ठीक है। तो म यह कह रहा था कि उस समय उनका यह विचार था जो उन्होने बताया वह बात यह थी और संभव है कि उसके पीछे यह आइडिया भी रहा हो कि इसको बतौर एक बारगेन के इस्तेमाल करें क्योंकि उनके विचार से पश्चिमी जिलो की तरफ उतना अटेंशन नही होता है जितना कि होना चाहिये। अतः इस तरह पर ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय। मैं इसकी डिटेल मे नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि इस भवन मे हमारे एक साथी ने यह कहा कि ९७ परसेंट साथी हमारी इस मांग के पीछे है लेकिन सरकार की तरफ से और कुछ मंत्रियों की तरफ से इस किस्म का दबाव डाला गया कि जिस की वजह से कुछ लोग पीछे हट गये। मै चाहता था कि यह ९७ परसेंट की बात यहां न आती। इस संबंध मे अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से ९७ परसेंट लोगों से बहका कर दस्तखत कराये गये वह भी कोई ज्यादा अच्छी कहानी नही है। इस तरह का कोई आक्षेप करना मेम्बर दबाव मे आकर इस मांग से पीछे हट गया, मैं समझता हूं कि यह कोई प्रजातांत्रिक विचार नहीं है और उन साथियों के आत्मसम्मान के विरुद्ध ह। मैंने इस संबंध मे यह भी देखा कि जब यह मांग उठाई गई तो उसका पहला दफ्तर दिल्ली मे खोला गया और रिपोर्ट के आने के बाद भी यह दफ्तर वही है। एक बड़ा दिल्ली राज्य बनाने के लिये एक कमेटी और उसकी एक्जीक्यूटिव बनाई गई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मांग के पीछे कुछ पोलीटिकल ऐम्बीशन था। मैंने यह भी देखा कि तीन मैमोरेन्डम पेश किये गय और तीनों की यदि हम सीमाओं को देखे तो भिन्न-भिन्न पाई जाती है। मै इससे यह नतीजा निकालता हूं कि विभाजन के विषय मे हमारे इन साथियों के स मने नये प्रदेश की कोई रूपरेखा नहीं है। वे चाहते है कि जिस तरह से भी हो, यू० पी० का विभाजन होना चाहिये। यही वजह है कि जिस समय कमीशन की रिपोर्ट जनता के सामने आई तो इन साथियों ने एक माननीय मेम्बर सरदार पणिक्कर साहेब के नोट को अपना आधार बना कर उस मांग को चलाना शुरू किया। मैं माननीय पणिक्कर साहेब की शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइंट आफ व्यू से स्टेट अनवील्डी है और संख्या के कारण इसका इनडाइ रैक्टली सेन्टर पर असर पड़ता है, जिससे दूसरे प्रदेशों को हानि होने की संभावना हो सकती है। मै दूसरे देशों की बात न कहते

[श्री नवलकिशोर]

हुये इतना कहूंगा कि सीमाओं के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान होता है। बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों उत्तर प्रदेश से कहीं बड़े हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनवील्डी होने के बारे में कोई मिसाल नहीं दी गई है। सेंटर पर दबाव पड़ने के बारे में बहुत से साथियों ने आंकड़े देकर इस बात को साबित किया है कि बावजूद इसके कि हमारे बड़े-बड़े मंत्री सेन्टर में हैं फिर भी उत्तर प्रदेश की अवहेलना होती आई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेन्टर का पूल २,२०० करोड़ का है जिसमें से केवल २६५ करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है जैसा कि आज के अखबारों में छपा है। अगर आबादी का कोई लिहाज हो तो मैं समझता हूं कि ४०० करोड़ से अधिक यू० पी० को मिलना चाहिये। बावजूद इसके कि हमारे यहां से ८६ मेम्बर केन्द्र में जाते हैं उन्होंने और हमारे मंत्रियों ने कभी अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। बल्कि इस बड़प्पन के कारण नुकसान ही हमेशा उत्तर प्रदेश को रहा है।

हमारे देश में पुनस्संगठन की आधारशिला भाषा ही थी, लेकिन अब इसमें कुछ और भी बातें शामिल कर दी गई हैं। कुछ भाइयों ने कहा कि हमारे प्रदेश में ४ डाइलेक्ट्स हैं, लेकिन भोजपुरी, अवधी व्रजभाषी, बुन्देलखंडी और गढ़वाली और हिन्दी मिला कर ६ तो हमारे ही सामने आ गये हैं। डाइलैक्ट किसी प्रान्त के बटवारे का आधार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसे भी माना जाय और मैमोरैन्डम का नक्शा हम देखें तो जो हिस्से मिलाये गये हैं उनका भी एक डाइलैक्ट नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में हर दस मील पर कुछ न कुछ अन्तर बोली में हो जाती है। एक साथी ने विरोध किया कि उत्तर प्रदेश जो गंगा जमुना का बेसिन है उसकी संस्कृति एक नहीं है। १९१४ से आगरा और अवध को मिला कर अंग्रेजों ने यू० पी० नाम रखा। अंग्रेजों ने हमें कुछ भी नाम दिया हो लेकिन इन्डो-गैन्जीटिक प्लेन की संस्कृति तो हमेशा से एक है। कोई साहब कहते हैं कि बाराबंकी, कानपुर और सहारनपुर में इन्तजाम नहीं है, वहां इन्तजाम की कमी है। बाराबंकी यहां से १०, १२ मील कानपुर ४५ मील है और सहारनपुर ज्यादा दूर है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि कैपीटल से पास या दूर होने से इन्तजाम में कोई फर्क पड़ता है। श्रीचन्द्र जी ने कहा कि एग्रीकल्चर विभाग में ५,७ डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं और यदि उनकी अपनी अलहदा स्टेट हो जाय तो उसमें एक ही रखेंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि डुप्लीकेट स्टेट होने से डुप्लीकेट गवर्नमेंट हो जायगी और हर चीज डुप्लीकेट होगी, जैसे २ स्पीकर, २ डिप्टी स्पीकर और हर विभाग के अलग अलग मिनिस्टर होंगे। छोटी स्टेट होने से अधिक खर्चा होगा। यह छोटा-सा उसूल इकोनामिक्स का है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। बड़प्पन की बात कही गई। बड़प्पन सीमाओं से नहीं होता है। बल्कि आबादी अधिक होने से होता है। बड़प्पन वहां के मनुष्यों के विचार और एप्रोच से होता है। उत्तर प्रदेश का कासोपोलीटन आउटलुक है और इसलिये हमारे प्रदेश का बड़प्पन है। सरदार पगिक्कर साहेब ने कुछ उन भावनाओं को भी प्रोत्साहन, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो, दिया कि जो कभी-कभी दिल्ली में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की बात पाई जाती है। जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा था, हमारे देश में जितने भी नेता हुये राजनीति या आर्ट या किसी और लाइन में सर्वंव सारे देश ने उन्हें अपना नेता माना है। सरदार पटेल हमारे अद्वितीय नेता थे और वह गुजरात से आते थे। गुजरात एक छोटी सी स्टेट बनने जा रही है। आज हमारी सारी शक्ति देश की एकता बनाये रखने में लगती चाहिये। ईस्ट और वेस्ट की बात बार-बार नहीं होनी चाहिये। इस उत्तर प्रदेश को पूरब या पश्चिम या जैसा कुछ भाइयों ने कहा कि बीच का, इस प्रकार बांटने से कोई लाभ होने वाला नहीं है बल्कि इससे आपसी कटुता व वैमनस्य ही बढ़ता है।

मेरा ख्याल है कि हमारे जिन साथियों ने विभाजन की मांग की है वे किसी भी पहलू से, भाषा, संस्कृति या कैसा भी हो, अपना केस नहीं बना पाये हैं। यह भी कहा गया है कि हमने शराफत बर्ती और एजीटेशन नहीं किया, तो यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे पीछे ताक़त नहीं है।

यहां के माननीय सदस्य जनता के ही प्रतिनिधि हैं और हम जानते हैं कि जनता या यहां के प्रतिनिधि क्या चाहते हैं । भवन में जो भाषण हुए हैं वे इसके सबूत हैं । मेरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता प्रदेश का विभाजन नहीं चाहती है । कुछ मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश के जिलों के मिलाने की भी बात कही गई है हम उन पर कोई बात थोपना नहीं चाहते हैं और वे समझते हैं कि उनका हित हमारे साथ शामिल होने में है तो वे शामिल हो सकते हैं । हम चाहते हैं कि सारे देश की एकता बनी रहे, यही हमारी आशा है ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस भवन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । आज तीन दिन से हमारे इस प्रदेश के विभाजन के ऊपर विचार हो रहा है । तब से मैंने अपने बहुत से माननीय सदस्यों का भाषण बहुत ध्यान से सुना । मेरे विचार से जो विभाजन के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं दोनों की नीयत पर कभी भी एक सेकिन्ड के लिये मेरे मन में यह भावना नहीं उठती कि उनके दिल में अपने प्रदेश की हमदर्दी नहीं या वह अपने प्रदेश का विभाजन करने के लिये, उसको टुकड़े करने के लिये किसी स्वार्थ के वश में हैं । स्वप्न में भी यह खयाल मेरे मन में नहीं उठ सकता । इस आदरणीय भवन में बैठने वाले व्यक्ति चाहे वह पक्ष में हों या विपक्ष में हों दोनों इस प्रदेश के रहने वाले तथा इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले माननीय सदस्य हैं । अभी मुझे अपनी एक बहन का भाषण सुन कर बहुत अफसोस और दुख हुआ । कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि किसी प्रभाव में आकर अपने मन के विचारों का दमन करके इस भवन के अन्दर कोई माननीय सदस्य बोल सकता है । मुझे याद आता है अंग्रेजी हुकूमत का जमाना जब इस भवन के बैठने वाले व्यक्ति कभी अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरे । कभी उस वक्त स्वार्थ के वश होकर गलत चीज नहीं की । तो आज इस देश के रहने वाले इस भवन के अन्दर नुमाइन्दे होकर बैठने वाले किसी प्रभाव में आकर बह जायेंगे और इस तरह से भाषण दे डालेंगे, यह कैसे हो सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से यह कहना चाहती हूं क्योंकि आपने मेरे पहले के भाई को रोक दिया था इसलिये मुझे डर हुआ कि माननीय अध्यक्ष शायद मुझे भी रोक दें । मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि विभाजन के पक्ष में मेरे बहुत से साथियों के जो हस्ताक्षर थे उनमें मैं भी एक थी जिसने उस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे । किसी डर से नहीं और किसी के प्रभाव से नहीं और यदि मैंने हस्ताक्षर को वापस ले लिया तो किसी के प्रभाव में आकर वापस नहीं लिया । मेरी ईमानदारी से राय यह थी कि क्योंकि हम प्रान्त में जनता के नुमाइन्दे हैं इसलिये जनता को सन्तुष्ट करने के लिये, उनकी मांग को ऊपर उठाने के लिये और अपने जिले का निर्माण करने के लिय हम यह अवश्य चाहते थे कि हम अपने मुख्य मन्त्री से यह कहें--अपना नेता होने के नाते उनसे लड़ें या उनसे झगड़ा करें कि हमारे जिलों का उत्थान करने के लिये और हमारे जिलों में काम को बढ़ाने के लिये ज्यादा खर्च होना चाहिये या हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगाये जायं । इस बात के लिये भी यहां हमको पूर्ण अधिकार है कि हम अपने मुख्य मंत्री जी से जाकर बहस करें, झगड़ा करें, उनकी खुशामद करें और उनको मनायें या अपने जिलों की दिक्कतों को या कष्टों को उनके सामने रखें । किसी के प्रभाव में आकर हमने अपने हस्ताक्षर को वापस नहीं लिया था । जिस समय मुझसे हस्ताक्षर कराये गये थे उस समय बताया गया था कि यह मुख्य मंत्री जी के सामने हमको भेजना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सद्भावना से अपने माननीय सदस्य भाइयों और बहनों से यह अपील करना चाहती हूं कि हमारा यह प्रदेश हमारे इस देश के अन्दर सूरज की तरह से चमकता रहा है । सन् १८५७ से लेकर उसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है और आजादी को प्राप्त किया । सदा उसने अपनी शान और अपनी मर्यादा को ऊंचा रखा है । आज हम इसको दो टुकड़ों में बांटकर कमजोर करना चाहते हैं । मुझे तो अफसोस होता है जब मैं यह सुनती हूं कि दूसरे प्रदेश के रहने वाले इस प्रदेश के ऊपर यह ईर्षा करेंगे तो उनकी बात

[श्रीमती प्रकाशवती सूद]

नही समझ मे आती है। यदि यह कहे कि यहा के नुमाइन्दे पार्लियामेंट मे जाते है यहा के मिनिस्टर वहा बहुत बैठे है तो इसमे तो हमे शान मिलती है, इसमे हमे मान मिलता है और इसमे हमारा सर ऊंचा होता है। यह उत्तर प्रदेश जब कुर्बानी देने का समय था उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी और आज जब देश के निर्माण का समय आया है तो मुझे यह भी विश्वास है कि यह उत्तर प्रदेश उसी तरह से चमकता रहे जैसा कि सदा चमकता रहा। लेकिन हम तभी अपने प्रदेश का निर्माण कर सकते है जब पूरब और पश्चिम के सब भाई और बहन मिल कर इस देश का निर्माण कर सके। जहा इस हुकूमत के मंत्रिगण, वे चाहे पूरब के रहने वाले हो या पश्चिम के रहने वाले हो, मुझे यह सुन कर भी खुशी हुई है और हर भाई ने यह कहा कि जब वे इन मंत्रिपद पर बैठ जाते है तो सारे प्रदेश को एक ही दृष्टि से देखते है। कुछ मेरे भाइयो ने यह भी कहा है कि रुहेलखंड का तो एक भी मंत्री नही है और हमारे मेरठ जिले के तीन मंत्री है, लेकिन फिर भी वे इसका विभाजन चाहते है। मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई और मेरा सर ऊंचा हुआ कि मेरे मेरठ जिले के रहने वाले मंत्री सारे प्रदेश के जिलो को उसी तरह से देखते है जिस तरह से मेरठ को देखते है। मुझे उन मंत्रिगण से कोई शिकायत नही है। यदि वे एक बार मेरठ जिले को इगनोर भी कर दे और दूसरे जिलो की उत्थान के लिये वे सहायता कर दे तो मुझे कम से कम उनसे हर्ष होगा कि उनकी पीठ ठोक कर यह कहू कि आपने हमारी वह शान रखी जो सन् ५७ मे पहले अपने प्रदेश और देश के लिये त्याग करने के लिये शान रखा करते थे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दो के साथ मे इस भवन के माननीय सदस्यो से यह प्रार्थना करना चाहती हू कि इस राम और कृष्ण की भूमि को एक रख कर उस गंगा और यमुना के बीच मे बसने वाले प्रदेश को खंडित न कर और उन शहीदो के खून की याद करें, मै उन रानी झांसी की याद दिलाना चाहती हू जिसने इस प्रदेश की शान और आन को ऊंचा उठाने के लिये अपना बलिदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय इन शब्दो के साथ मै ज्यादा न कहते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हू।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा) (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मै उन बदनसीब आदमियो मे से हू जिन्हे पश्चिम का होने का अवसर मिला है। जब से यह चर्चा चली तब से मुझे इस बात को सुन करके और अनुभव करके कि इस प्रदेश के टुकड़े होने की कल्पना की जा रही है सचमुच मे आन्तरिक कष्ट हुआ। वह दिमाग से ताल्लुक रखता था या नही रखता था मै कह नही सकता हू, लेकिन वह बहुत अन्दर तक मुझे चोट करती थी और बहुत पुराने जजबात को ठेस पहुचाती थी, इतना मै निर्भीक होकर सच्चाई के साथ कह सकता हू। मैने बहुत ध्यान से वह दलीले सुनी जो इसके पक्ष मे दी गयी है और जितना ज्यादा जोर के साथ, जितना अपने अन्दर भाव भर कर उन दलीलो को दिया जाता था मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मेरा सर शर्म से नीचे झुकता चला जाता था। लोगो ने कहा कि पश्चिम का पैसा पूरब मे खर्च हुआ। थोड़ी देर के लिये मै इसको मान लेता हू कि ऐसा हुआ लेकिन किसी भाई ने यह भी कहा कि पश्चिमके लोग भूखो मरते थे, नंगे फिरते थे, उनकी भूखमरी और नग्नता का खयाल न करके पूरब के लोग जो मौज मे रहते थे उनके लिये यह किया गया और उनके साथ पक्षपात किया गया और इस तरह से उनको ऐश आराम से रखा गया। सब जानते है और हमारे पूर्वी जिलो की यह बदकिस्मती है कि वह बहुत गरीब है, वहा दुख ज्यादा है विपत्ति है, कष्ट है और अगर हम एक प्रदेश, एक राष्ट्र होने का दम भरते है तो फिर विपत्ति के समय जो हमारे मे अच्छे है, धनी है वह उन गरीबो की मदद के लिये नही दौड़ते है तो फिर यह उपहास नही है तो क्या है ? और क्या हम फिर एक होने का दावा कर सकते है ? जितनी ही यह बात दोहराई जाती है उतनी ही हमारी मानवता को ठेस लगती है और हमे शर्म मालूम होती है अगर केवल यही कहा जाता कि पश्चिम मे लोगो को कष्ट है, उधर निगाह नही की जाती है, अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बात किसी हद तक समझ मे आ सकती थी, लेकिन यह किसी ने नही कहा कि पश्चिम की तकलीफ का नजर-

अन्दाज किया गया और पूरब में ही सारी हमदर्दी और सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया गया। जब यह सब बातें की जाती है तो लोग यह भूल जाते हैं कि आम्नव में यह सरकार दस साल की अभी मुश्किल से हुई है और उस दस साल के भी कुछ साल आरम्भ के लड़ाई झगड़े और मारकाट में खत्म हुये और उनको रोकने में हमारा काफी समय और धन व्यय हुआ। बहुत सी शिकायतें की गईं और कहा गया कि हमारे यहां शिक्षा नहीं हुई और यह नहीं हुआ, बहुत सी इसी तरह की शिकायतें की जाती हैं। तो कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि शिक्षा के ही क्षेत्र में इसी सरकार ने पांच-पांच हजार स्कूल एक-एक साल में खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां इस सरकार के जमाने में खोली गईं ? अगर इस सरकार के जमाने में खोली गईं तो एक और वह भी रुड़की में खोली गई। मैं फिर यही कहूंगा कि इस प्रकार का दृष्टिकोण नीचे ले जा सकता है जब दोनों भाई बराबर के हों और एक भाई की थाली में अगर दो चीजें अधिक आ जायं तो एक भाई कह दे कि अब हम भाई-भाई न रहेंगे, एक न रहेंगे लेकिन यह बात उचित नहीं हो सकती और यह सरासर गलत चीज है। यह नहीं हो सकता कि एक भाई को कमजोर होने के कारण ठोकर मार कर निकाल दिया जाय और इस तरह से हमेशा के लिये और सदियों के लिये प्रदेश के टुकड़े करने की बात सोची जाय।

यह कहा गया कि और देशों में तीन-तीन चार-चार करोड़ की बड़ी-बड़ी नेशन्स हैं, इंगलैन्ड है, फ्रांस है, जर्मनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा इसके दूसरे पहलू को भी देख लें कि सौ-सौ साल तक उन देशों की लड़ाई चलती रही कभी-कभी वह लगातार ३०—३० और ७—७ साल तक चलती रही और आज भी चलती रहती है। जर्मनी की हुकूमत को भी एक करने की बात सोची गई। यह जो हम तीन-तीन करोड़ के टुकड़े बनाने की बात सोचते हैं लेकिन उसको बनाने में दिलों के भी टुकड़े हो जाते हैं, दिमागों के भी टुकड़े हो जाते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। यह माननीय सदस्य जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से काम करते हैं उनकी नजर संकीर्ण हो जाती है और जिस समय वह यहां आ कर बैठते हैं तो उन्हीं के दिल और मेंटल होराइजन विस्तृत हो जाते हैं। इन छोटी-छोटी चीजों में अगर हम जायेंगे और रात दिन उनका मनन करेंगे और सोचेंगे तो यह बदकिस्मती की बात होगी। ह्यूमैन नेचर ऐसी है कि हम खुद भी छोटे हो जायेंगे। अगर मेरा बस चले तो १६ तो क्या मैं तो सात आठ से अधिक प्रदेश बनाना नहीं चाहूंगा मेरी यह राय अपनी जगह पर है। सौभाग्य से हम आज बड़े प्रदेश के नागरिक हैं और मैं यह दावा और चैलेंज कर सकता हूं कि बड़े-बड़े प्रदेशों का प्रबन्ध छोटे प्रदेशों से बहुत अच्छा रहा है, जिस समय हमारे पड़ोस में मारपीट हो रही थी उस समय यू० पी० ने पंजाब को बचा लिया और जिस समय दिल्ली में गदर मचा उस समय भी यदि यहां के लोग मदद को न जाते तो शांति का स्थापित होना नामुमकिन था। सूबा बड़ा था उसके रिसोर्सेज काफी थे इसी वजह से हम अपना कुछ योग ऐसे समय में दे सके यह हमें न भूल जाना चाहिये। इसके अलावा और दूसरे तर्क दिये गये हैं। मैंने उन्हें भी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश की।

इस मूवमेंट के सबसे बड़े नायक हैं हमारे माननीय श्रीचन्द्र जी। मैंने खास-तौर से उनके प्रवचन को बड़े ध्यान से सुना। लेकिन किस कदर विरोधों का उसके अन्दर समावेश किया गया, और उनके जैसा योग्य आदमी इसे न देख सके यह आश्चर्य की बात है। लेकिन मेरे खयाल में सिवाय इसके कि एक बात की लगन जब लग गई तो सब चीज उसमें ठीक मालूम होती है। दूसरा कारण इसका मैं कोई नहीं समझ सका। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि रेल, तार और हवाई जहाज के जमाने में बड़ी आसानी से यातायात की सुविधा प्राप्त हो सकती है। श्रीचन्द्र जी ने जवाब में फर्माया कि यह सब चीजें मिनिस्टरों के लिये ही काम में आ सकती हैं। दूसरे क्षण उन्होंने कहा कि मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह बड़ा प्रदेश होने से आ जा नहीं सकते हैं। और इसीलिये सूबा अलग होना चाहिये। अगर यह सुविधायें उनको सुलभ हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। कितने आदमी यहां पर आते हैं हम लोगों से मिलने के लिये क्या वह दूर होने की वजह से कम आते हैं ?

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जो यहां आते हैं, वे कितने कोमदी हैं उनके मुकाबिले में जो लोग जाते हैं अयोध्या, मथुरा में, कुम्भ मेले में, जो हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं वे लाखों की तादाद में, साल भर में इधर से उधर जाते हैं। तो अगर यातायात का सवाल है अगर वह दिक्कत है तो वह दिक्कत दूसरी जगह ज्यादा है बनिस्बत राजनीतिक मामलों में। फिर जिस समय मध्य भारत और मध्य प्रदेश की बाबत कहा गया कि जो सूबा होने जा रहा है उसे बड़ा दे तो श्रीचन्द्र जी कहते हैं कि बड़ा सूबा आबादी से होता है विस्तार से बड़ा नहीं होता है। साथ ही कहते हैं कि यातायात के कारण साधनों की कमी है। इससे उत्तर प्रदेश के दो हिस्से होने चाहिए। यातायात के साधन तो मध्य प्रदेश में तो कहीं कम हैं। उन सूखे इलाकों में, उन रेगिस्तानी इलाकों में यातायात की ज्यादा मुसीबत है। अगर वहां बड़ा राज्य बनना ठीक हो सकता है तो उत्तर प्रदेश जहां रातों रात एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, तो उसके बड़ा सूबा बनने में कोई कठिनाई की बात नहीं है। एक भाई तो यहां तक कह गये कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े इसलिए होने चाहिये कि हमारे कौंसिलर्स रेजिडेंस का सैनिटेशन खराब है यानी सड़क के इस पार एक राज्य और सड़क के उस पार दूसरा राज्य। तो यह दूरी का तर्क कोई तर्क नहीं हुआ। एक भाई मैठाणी साहब ने कहा कि पहाड़ों पर कुछ काम नहीं हुआ, न मालूम कितने सालों में १० मील की सड़क बनी है। मैंने सोचा सचमुच बड़ा अन्याय हो रहा है बेचारे गरीब पहाड़ियों के साथ, वे मारे गये। मैं भी बदकिस्मती से पहाड़ का हूं। तो मैंने उसी समय आंकड़े निकलवाये, और देखे। मैं देखता हूं कि जो सारा खर्चा हुआ है उसका १० फीसदी पहाड़ों पर खर्चा हुआ है जबकि वहां की आबादी मुश्किल से सब मिलाकर ३०, ४० लाख से ज्यादा नहीं होती है। अब आप खयाल कीजिये कि कहां तक हमारे विचार चले जाते हैं। हमारे दीनदयालु जी ने फर्माया कि हिन्दी बोलने वाला अम्बाला का प्रांत है और न मालूम कितनी मुसीबत उन पर आ रही है और जब इस समय एक भाषा के लोगों को एक जगह रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम उन गरीबों का खयाल रखते हैं ? वे बहुत सताये जा रहे हैं, वे ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन वे उसी क्षण भूल जाते हैं कि दूसरे हिन्दी वाले भी हैं जिनका संबंध सिख और पंजाबी एरिया से पड़ता है जो बाकी वहां बच जायेंगे उनका क्या हाल होगा और पंजाबी सूबा अगर बनाना पड़ा तो आप उन्हें इस शेर के मुंह के सामने कर देंगे। यह जायज नहीं है। उनके साथ शायद इंसाफ नहीं होना चाहिये। सिर्फ थोड़े से जो अम्बाला डिविजन में हिन्दी बोलते हैं उन्हीं के साथ इन्साफ हो। वे भी हिन्दी बोलते हैं जो आज आन्दोलन कर रहे हैं कि पंजाबी सूबा न बने, उन लोगों के लिये अम्बाला के भाइयों की वजह से राहत है, उन्हें कुछ हिम्मत बंधी हुई है। अगर उन्हें भी निकाल लेंगे तब तो बिल्कुल ही ऐसा हो जायगा जैसे शेर के सामने बकरी को छोड़ दिया जाय। तब आपका दिल और महब्बत करना कहां चला जाता है। अगर उन्हें आप बुरा समझते हैं तो इस दृष्टि से मेरे भाई देखें। मेरे भाई जो बगल में बैठे हैं गौतम जी ने भी एक बड़ा भारी तर्क दिया कि जो जिस जगह का मिनिस्टर होता है वह वहां का खयाल ज्यादा रखता है। शायद उनका अनुभव ऐसा ही हो।

श्री मोहनलाल गौतम--वह वहां की बातों को ज्यादा समझ सकता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--शायद ऐसा ही कहा हो। मैं कभी-कभी थोड़ा गलत समझ जाता हूं। बदकिस्मती से इसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्रीजी को नहीं है। यह तो फाइल मुद्दत से चल रही थी। इसकी मांग चल रही थी। उनके सौभाग्य से उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी स्वीकृति आ गई और मैं भी उन्हीं दिनों नया-नया पी० डब्ल्यू० डी० में गया था। मेरा भी उसमें थोड़ा हाथ था, तो मैंने उद्घाटन के समय कहा था कि यह तो मुख्य मंत्री जी का और मेरा सौभाग्य है कि यह जो वर्षों से चीज लटकी हुई थी उनके जमाने में हो गई और उनको श्रेय मिल गया। बनारस वाले यह समझेंगे कि वे मुख्य मंत्री हो गये इसलिये हो गया लेकिन सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। वर्षों से फाइल चल रही थी और एक तरह से बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। मिनिस्ट्री का उसमें क्या था। बहन प्रकाशवती जी की एक बात इतनी प्रिय लगी कि जो मिनिस्टर होता है वह किसी

खास जिले का मिनिस्टर नही होता, वह किसी खास पार्टी का मिनिस्टर नहीं होता। जहा तक उचित मांगो का सवाल है वह सारे प्रदेश का है। हर एक का उसके ऊपर अधिकार है। कोई यह नही कह सकता कि तुमने मेरे खिलाफ वोट दिया था लिहाजा तुम्हारी बात नही सुनेगे। कोई मिनिस्टर यह नही कह सकता और अगर यह आर्ग्युमेंट है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट के है और किस के नही तो फिर ५१ डिस्ट्रिक्ट है, ५१ मिनिस्टर बना लीजिये। आपके हाथ मे हैं। बजाय ५१ के १०० बना लीजिये। जहा पर दो है उनमे से एक देहरादून चला जायगा और एक किसी दूसरी जगह मे चुना जायगा। यह कोई मुश्किल बात नही हैं। ये चीजे बड़ी आसानी से हल हो सकती है। कोई इसमे कठिनाई नहीं है। अगर एक विचित्र नारायण को खत्म करके या दूसरे को हटा करके सूबा रह सकता है तो कान शर्म की बात है, कौन आंसू बहाने की बात है। मिनिस्ट्री चली जायगी यह बहुत नीची बात हैं। यह खयाल तो आपके दिमाग मे भूल कर भी नही आना चाहिये था। मै समझता हू कि जो खास-खास बाते सार की उधर से कही गई थी, वसे तो बहुत-सी बाते कही गई और उन सबका जवाब देना एक आदमी के लिये मुमकिन नही है और न मै समझता हूं कोई जरूरी भी है। लेकिन इतने व्याख्यान सुनने के बाद जो सार मुझे लगा मै समझता हूं कि उसमे उनका जवाब हो जाता है और मै चाहूगा कि हमारे भाई इस दृष्टि से इसको देखे। इस समय किसने कितनी गलती की और किस मिनिस्ट्री की मार्फत इंसाफ नही हुआ, ये सारी बाते ऐसी है जो आर्जी है, थोडे समय की है, स्थायी नही है--जमाना बदलता रहेगा और पार्टी पोलिटिक्स के हिसाब से चीजे होती रहती है--दूसरी मिनिस्ट्री आ गई तो दूसरी तरह से चीजो को देख सकती है, लेकिन सूबा आपने एक दफा बाट लिया, अपनी ताकत को घटा लिया तो फिर दोबारा आप नही जोड़ सकेंगे। इन शब्दो के साथ मै माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से बराबर उठक-बैठक के बाद जो मुझे आपने इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रश्न पर विचार करने का समय दिया उसके लिये मै आपको हृदय से धन्यवाद देता हू। मुझे हार्दिक दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रस्ताव का मुझे विरोध करना पड़ रहा है।

मै हर्गिज भी माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध न करता, यदि मुझे उनका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ होता। यदि प्रस्ताव का स्वरूप ज्यो का त्यो होता जिसमे उन्होने कहा कि पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमे थोडा बहुत हेरफेर के बाद, उन्हे रिपोर्ट स्वीकार है। लेकिन छोटे-मोटे हेर-फेर मे इन १६ जिलो की माग को जो सन् १९२० से गांधी जी, नेहरू जी और जयप्रकाश जी के सामने रही, जिसके लिए यह कमीशन मुकर्रर हुआ। जब यह कमीशन नियुक्त हुआ तो हमे आशा थी कि वह हमारी इस पुरानी, ऐतिहासिक और आवश्यक माग पर जरूर विचार करेगा। मै यह समझता था कि माननीय मुख्य मत्री जी हमारे इन १६ जिलों की मांग को ही अपने प्रस्ताव मे रखे हुए है। लेकिन जब मैने माननीय मुख्य मंत्री जी के विस्तृत भाषण को सुना, मै इस पूर्व पश्चिम के झगडे मे बिल्कुल नही पडना चाहता। यह पूर्व पश्चिम का सवाल तो मंत्रियो ने स्वय पैदा कर लिया है और इस सवाल को उठा कर, इस गम्भीर और ऐतिहासिक प्रश्न को इस विधान सभा मे उलझा दिया है। यह हमारी रांड निपूती की लड़ाई है। यदि भगवान को यही मंजूर है कि हमे रहना पड़ा तो बजट के अवसर पर और दूसरे अवसरो पर लड़ते झगडते रहेगे। लेकिन मै माननीय मुख्य मंत्री जी की उन दलीलो को जरूर यहा काटना चाहूंगा, जो उन्होंने इस हैसियत से दी कि पश्चिमी जिलों की नहरों पर पहले ही रुपया

[श्री रामचन्द्र विकल]

लगा दिया गया है । मुझे दुःख होता है कि मुख्य मंत्री जी ने सच्चाई से कोसो दूर अपने को रखा है और साथ में एक तुर्रा और लगा दिया। उन्होंने कहा कि यदि विभाजन हुआ तो वह कर्जा तुम्हें देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, होशियार दीवालिया यही किया करता है। वह सारी सम्पत्ति अपने बेटे, अपने बेटे की बहू और अपनी बेटी के नाम लिख देता है। फिर दीवालिया बन कर कह देता है कि हम गरीब हो गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सच्चाई को छिपाने में जरा भी संकोच नही किया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप कृपा करके जानबूझ कर ऐसा आक्षेप मत करें।

श्री रामचन्द्र विकल--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमारी नहरों की आमदनी है उसको उन्होंने छिपाने की कोशिश की।

श्री अध्यक्ष--मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें नीयत पर हमला होता है। सच्चाई छिपाने की कोशिश की या झूठ बोले, इस तरह के शब्द नहीं आने चाहिए।

श्री रामचन्द्र विकल--मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी नहरों में आमदनी है इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि तुम्हें यहां से जाना पड़ा तो वह घाटा किन जिलों के नाम लिखा जायगा। चाहे वह किन्हीं कारणों से आज तक कर्जा नहीं दिया, मैं सहर्ष यह बात कहने के लिए तैयार हूं कि इस ऐतिहासिक और आवश्यक मांग को अगर स्वीकार किया जाय तो भले ही वह कर्जा कितना हो, हम उस कर्जे को देने में समर्थ होंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात और कही जिसकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। उन्होंने कहा कि विन्ध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हमारे सूबे में मिला दिया जाय। उन्होंने यह भी चर्चा की कि वहां की जनता बराबर दिल्ली जा रही है, वहां के नेता बराबर जा रहे हैं, इसलिए उनकी यह मांग मालूम होती है कि उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। लेकिन इन तीन दिनों में इस सदन में जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि विन्ध्य प्रदेश का वह हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, वहां की जनता यह चाहती है, इसके लिये उन्होंने कोई जनमत नहीं लिया। क्यों चाहती है। और हम १९२० से बराबर एजीटेशन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन हम से कहा जाता है कि जनता की यह मांग नहीं है। जुलाई, १९४६ में एक कानफ्रेंस शाहदरे में हुई थी, जयप्रकाश जी की अध्यक्षता में। वहां पर पूज्य बापू भी विराजमान थे, उस सभा में, करीब २५ हजार के हाजिरी थी। उसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ था कि दिल्ली के डेढ़ सौ मील के चारों तरफ के एरिया को मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय। और मुझे यह कहने में दुःख होता है कि हमारे पश्चिमी जिलों की इस मांग को, जिसका स्वर्गीय आसफ अली और देशबन्धु गुप्त ने समर्थन किया, इसको उचित और सही समझा था और कांग्रेस के हाई कमांड ने हमेशा इस बात को उचित कहा। जैसा कि गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि जब हमारा प्रदेश पूर्ण स्वतन्त्र हो जायगा तो यह राज्यों के पुनर्गठन का सवाल, जो कि एक घरेलू सवाल है, इस घरेलू सवाल को घर में बैठकर हल कर लेंगे। गांधी जी के इस आश्वासन के बाद, हमारी इस ऐतिहासिक मांग पर हमें पूरी आशा थी कि कमीशन गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास था।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ लोगों ने जनमत सम्बन्ध में बातें कहीं मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। ९७ विधायकों के हस्ताक्षर को किन कारणों से वापस कराया गया। मैं कहता हूं वहां के जनमत की राय वह है, जो हमारे पश्चिमी जिले के विधान सभा के मेम्बर ने दस्तखत करके दिये। उनकी सचमुच राय वही है जिस पर उन्होंने

दस्तखत किये। अगर कोई भी विधायक यह कहता है कि मैंने भूल से हस्ताक्षर किये, मैंने अनजाने में हस्ताक्षर किये, तो मैं समझता हूं कि वह सच्चाई से बिल्कुल दूर है। हमारे मुख्य मंत्री का वह कार्टून, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, वह मेरे पूज्य हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनका वह कार्टून जो अखबार में निकला था, जिसमें वह लंगोट बांधे हुए हैं और हाथ में डंडा लिये हुए हैं, वही इन हस्ताक्षरों को वापस कराने वाले थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उनके भारत के गृह मंत्री होने की बात चल पड़ी। आज इस सदन के अन्दर भाई-भाई का उदाहरण दिया गया, घरेलू झगड़े की बात का उदाहरण दिया गया। मैं हर चीज को घरेलू मसला नहीं समझता, न भाई-भाई के सम्बन्ध का मसला इसमें आता है और यदि आता है तो मैंने पूछा था पंत जी से, उनसे मैंने दिल्ली में कहा था कि पन्त जी, यह पूरब, पश्चिम नाम के दो बेटे हैं, एक जगह रहने में इमकान नहीं नजर आता, होशियार व समझदार बाप का यह काम है कि अलहदगी की भावना पैदा हो जाय तो उन्हें वह झगड़े का मुंह न देखने दे, अदालत में न जाने दे, किसी किस्म का झगड़ा पैदा होने के पहले ही वह उन्हें खुद अलग कर दे।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

क्या इसमें दिक्कत है? कुछ लोगों ने इस सवाल को विभाजन कह कर पाकिस्तान से इसकी मिसाल जोड़ने की कोशिश की, यह बड़ी बेजा होशियारी की बात है। मैं इसको पुनर्गठन कहता हूं और इस पुनर्गठन में देश की एक इकाई होकर हम रहेंगे। देश से बाहर चले जाने वाली तो कोई बात है नहीं। मुझे भारत के गृह मंत्री व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और कांग्रेस अध्यक्ष श्री धेबर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में नहीं आता कि इस कमीशन के सदस्य सरदार पणिक्कर को, जो इतिहास का सच्चा ज्ञाता है, जो देश के भविष्य का सच्चा ज्ञाता है, जो किसी के प्रभाव में नहीं आ सका, उसको यहां चाणक्य और क्या-क्या उपाधियां दी गईं और जो अन्य मेम्बर हैं जिनमें कुंजरू साहब मौजूद हैं; फजल अली साहब बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार के बारे में राय देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरा यहां से सम्बन्ध रहा है, मगर कुंजरू साहब आगरे से सम्बन्ध रखते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा, बल्कि जब मैं लखनऊ में कुंजरू साहब से मिला था तो मोदी-नगर की फैक्ट्री की मिसाल उन्होंने मेरे सामने दी थी और उन्होंने गवर्नमेंट की वह लिस्ट मेरे सामने रख दी। मैंने कुंजरू साहब से यहां लखनऊ में कहा था कि रहने दीजिए इस लिस्ट को, मुझे यह सब अच्छी तरह मालूम है। मैं जनता के बीच में भी रहता हूं और सरकार के बीच में भी रहता हूं, यह जो लिस्ट बना कर सरकार ने आपको दी है फर्जी है, इसका चौथाई आइटम भी सही नहीं है जो जनता के बीच काम हुआ है। यह तो जब से यह एक मांग पैदा हुई है तब से अखबारों में और रिपोर्टों में मन्त्रियों ने यह बेजा तौर पर प्रचार किया है। यह मैंने उनसे कहा था। कुंजरू साहब से मैंने साफ-साफ कहा था कि हमारी बात ध्यान से सुनकर आपको हमारे खिलाफ फैसला देने का हक है। मगर जब मुझे मालूम हुआ सबसे पहले दफा अखबारों से कि कमीशन से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री धेबर साहब मिल चुके हैं, रिपोर्ट जाहिर करने से पहले ही, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी संकीर्णता है, यह मेरा एक बहुत छोटा खयाल है, मैंने उसी वक्त सैकड़ों लोगों से कहा था कि कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है क्योंकि मुझे पन्त जी का यहां का रवैया मालूम था।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगर आक्षेप के तौर पर कुछ न कहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामचन्द्र विकल--इससे बड़े-बड़े आक्षेप पणिक्कर साहब पर हो चुके हैं, लेकिन उससे बड़े सबूत मैं देता हूं। मैं जिस आधार पर यह कहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं जो बातें रिपोर्ट में नहीं हैं उनको नहीं कहना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल--उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष--नहीं, मैं समझता हूं कि चेयर से जो आपको आज्ञा दी जाती है उसको मान लेना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल--कोई ऐसी बात तो इसमें नहीं है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला, २७ अक्तूबर को, मेरे साथ और भी साथी थे जब हम उनसे मिले। मैंने एक सवाल किया था आखिर में उठते वक्त, कि पंडित जी आज से दो-तीन साल पहले आपने एक बयान दिया कि यू० पी० के दो टुकड़े हो जाने चाहिये, आपकी क्या राय है। उन्होंने हंसते-हंसते यह कहा कि मेरे से यू० पी० के चार टुकड़े हो जायं, मुझे कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने सूरत में जाकर अभी एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यू० पी० के चार टुकड़े और दो टुकड़े हो जायं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मानता हूं, लेकिन पंडित जी की इस खुली हुई राय के बावजूद आज उत्तर प्रदेश की उस ऐतिहासिक मांग के खिलाफ फैसला होता है, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि पंडित जी की आज इस देश में चलती नहीं है ? यह बात तो बिल्कुल तथ्यहीन होगी, अगर कोई यह कह दे कि उनकी नहीं चलती, वह जो चाहे कर सकते हैं। मैंने तो स्वयं पंडित जी से कहा था कि पंडित जी, कमीशन की रिपोर्ट से हमारी जनता में जरा भी उद्विग्नता, उच्छृंखलता और असंतोष नहीं है। मैंने २७ तारीख को उनसे कहा था कि जनता ने सुप्रीम कोर्ट आपको समझ लिया है और वह चुपचाप बैठी है। काश, अगर आपका फैसला हमारी जनता की स्वाभाविक मांग के खिलाफ हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो चुपचाप बैठ जायेंगे, तुम जानो और तुम्हारी जनता जाने, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन बावजूद इसके हमारे यहां आज यह सवाल पूर्वी और पश्चिमी जिलों का उठाकर उस झगड़े में फंसा देना है। यह कि हम संकीर्ण हैं इन झगड़ों में, देश के वफादार नहीं हैं, फौजों में बुरी भावना फैलेगी, इस प्रकार के झगड़े खड़े किये जाते हैं।

मैं आज यह कहना उचित समझूंगा कि आज हमारे वित्त मंत्री ने पश्चिम के होने का दावा किया, हमारे विचित्र नारायण जी ने पश्चिम का होने का दावा किया और एक नागरिक होने का दावा किया, मगर जब कमीशन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और मेरठ में दौरा कर रहा था तो एक-एक मिनिस्टर ने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं, मुझे दुख होता है। और जब विचित्र भाई की शर्म से आंखें गिरती हैं, वह उस चीज को भूल गये। मैंने हाफिज इब्राहीम के खत पढ़े हैं, जिनको पढ़कर उनकी आंखें शर्म से गिर गयीं। उन्होंने मजिस्ट्रेट और दूसरे मुसलमान सज्जनों को क्या-क्या लिखा है ? इसको पढ़कर उनकी आंखें ऊंची नहीं हुई। हमारे पश्चिमी मंत्री, जिन्होंने हरिजनों के सामने क्या, हिन्दू के सामने क्या, मुसलमान के सामने क्या, इस किस्म की भावनाएं भड़काईं, जिससे देश का पाप हो सकता है या देश का कलंक हो सकता है। आज इस प्रदेश में प्रांतीयता नहीं है, इस प्रदेश में संकीर्णता नहीं है, इस प्रदेश के लोगों में बेजा उदारता है, इस प्रदेश के लोग दूसरों को जगह देने वाले हैं, ये तमाम बातें कही गई। आज केंद्र में कितने मंत्री हैं, यह आज उपाध्याय जी ने चर्चा की, अन्य लोगों ने भी चर्चा की। मुझे और उपाध्याय जी को यहां उस पर गर्व हो सकता है कि केंद्र में हमारे इतने बड़े मिनिस्टर हैं, मगर क्या देश के सभी लोग इसी भावना से सोचते हैं जिस भावना से मैं और उपाध्याय जी सोचते हैं ? सारे देश की पुकार है कि उत्तर प्रदेश के लोग सारे देश पर राज्य शासन करते हैं और इन भावनाओं की वजह से सारे देश में एक विषमता पैदा हो गयी है। तो क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर बैठ कर हम यह सोचें कि हम तो उत्तर प्रदेश के इसलिये बड़े हैं कि हमारे केंद्र में पंडित नेहरू हैं, पंडित पंत जी हैं, कैलाशनाथ काटजू, अजित प्रसाद जैन, महावीर त्यागी और सतीश भाई वहां पर मौजूद हैं और फलां-फलां मिनिस्टर मौजूद हैं। इसलिये

यह हमारे लिये ठीक नहीं है कि हम अपनी मांग रख सकें, इस चीज को हम अपने घर में बैठ कर सोचते हैं, दूसरे लोग इसका दूसरा रूप लेते हैं। वह अपनी योग्यता के आधार पर चुने गये हैं, यह और वह अपनी और बातों के आधार पर चुने गये हैं, मगर जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं तो दूसरों को इस दृष्टि से सोचना पाप क्यों समझते हैं। साथ ही साथ जब हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं और अपनी तारीफ करते हैं तो दूसरों को स्वाभाविक ईर्षा होती है. जब हम कहते हैं कि पंडित नेहरू हमारे यू० पी० ने पैदा किये हैं इस कारण से दक्षिण के लोगों के अन्दर एक दुर्भावना पैदा हो गयी, जिसको रोकने का उपाय हमको सोचना पड़ेगा कि हमें इस प्रदेश को, देश को, इसलिये ऊंचा रखना है कि हम इस देश को इकट्ठा रख सकें। जहां तक निर्माण के कामों को आज चर्चा की गयी, मेरा यह निश्चय मत है कि देश का निर्माण जितना छोटी इकाइयों में आज हो सकता है, बड़ी इकाइयों में देश का शासन ठीक नहीं चल सकता और न उतना चल रहा है।

आज सड़कों की चर्चा की गयी और अपनी तारीफ की गयी। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर अपनी तारीफ मुझे भी अच्छी लगती है, मगर क्या आज वह सड़क इस योग्य है कि दिन में भी उन पर चला जा सके। आज अपने मुंह मियां मिट्ठू भले ही कोई बन ले, लेकिन मुझे तो वही कहावत उचित मालूम होती है कि अवगुण अपने देखो और गुण दूसरों के देखो, तभी उत्थान होगा। आप यहां बैठ कर दूसरों की बुराई करते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े हैं, हमारे कारनामे बहुत बड़े हैं, यही एक चीज है जो इस उत्तर प्रदेश के शासन में सुधार नहीं होने देती। आज मैं अनेक बातें निर्माण की ओर दूसरी रखने को तैयार हूं। तो मैं बहुत अदब से इस सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक मांग है, यह कोई पाकिस्तानी मांग नहीं है, यह बटवारे का सवाल नहीं है, यह भाई-भाई के जुदा होने का सवाल नहीं है। हम इस नये प्रदेश को देश की इकाई बनायेंगे और इस देश के झंडे के नीचे रहेंगे। और यदि देश के साथ वफादारी का कोई पैमाना आप रखना चाहते हैं तो मैं इसी समय बलिदान का एक अहदनामा लिखने को तैयार हूं। फौज में भरती होने की जरूरत हो तो हमारा बुलन्दशहर जिला हिन्दुस्तान में मशहूर है मगर उससे चार गुना फौज के लिये सिपाही देने को तैयार हूं। देश पर कोई आर्थिक संकट हो तो मैं अपने गरीब जिले से धन देने को तैयार हूं, मगर इन दलीलों से हम बहकने वाले नहीं हैं।

***श्री कल्याण चन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दो दिन से जो कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने उपस्थित है उसके बारे में जो वाद विवाद हो रहा है उसको सुन रहा था। उपाध्यक्ष जी, मुझे दुख होता है और दुख के साथ में थोड़ा सा क्रोध भी आता है। क्रोध का लफ्ज मैं इसलिये इस्तेमाल करता हूं कि उसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हो चुका हूं। जिस समय देश के बंटवारे का प्रश्न, पाकिस्तान के बनने का सवाल पेश था तो सर्वप्रथम प्रयाग में बटवारे का पदार्पण हुआ। जब हमारे यहां आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जलसा हो रहा था उस समय यह सवाल इलाहाबाद में माननीय राजगोपालाचार्य जी ने कमेटी में रखना चाहा था। उस समय तक मैं कांग्रेस का पूरा हामी था। मेरा पूरा सहयोग कांग्रेस के कार्य में था। परन्तु जिस दिन मुझे यह मालूम हुआ कि बटवारे का प्रश्न प्रयाग से शुरू होगा उस समय से मैंने उसका विरोध शुरू किया और विरोध यहां तक हुआ कि मुझे स्टेशन के ऊपर उसी दिन काले झंडे से स्वागत करना पड़ा और तीन दिन तक संघर्ष रहा। तो मैं जब कभी बटवारे का शब्द सुनता हूं तो मुझे वे पुरानी घटनायें याद आ जाती हैं। इसलिये पूर्व और पश्चिम के नाम पर जो बटवारे का नाम लिया जाता है वह अगर न लिया जाय तो अच्छा होगा। हां, प्रांत के पुनर्गठन का शब्द अगर इस्तेमाल होता तो अच्छा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्याण चन्द मोहिले]

श्रीमन्, शिकायत का जहां तक प्रश्न है तो सबसे ज्यादा शिकायत हमारे प्रांत के लोगों को होनी चाहिये न कि पूर्व और पश्चिम को कि हमारे प्रांत के ८ मंत्री लोक सभा में बैठे हुये हैं मगर हमारी मांगों को ठीक तरीके पर वहां नहीं रखते हैं। यह शिकायत अगर होती और उसकी चर्चा सदन में होती तो बहुत अच्छा था। परन्तु इसको छोड़कर हम दूसरी उलझनों में उलझ गये हैं और जो बहस हुई उसका नतीजा इस प्रांत में किस रूप में भुगतना पड़ेगा और पता नहीं इस प्रांत की क्या दशा होगी? मुझे इससे बहुत क्लेश होता है। श्रीमन्, जहां तक प्रांत का प्रश्न है, प्रांत का बटवारा होना किसी भी दशा में ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रांत जैसा कि पणिक्कर साहब ने भी कहा है सब से बड़ा है। शिक्षा के संबंध में जरूर कहा कि यहां बहुत कमी है। इसका दारोमदार किसके ऊपर है। इसका दारोमदार हुकूमत के ऊपर है, हमारे नेताओं पर है। अब जो शासन चल रहा है, मैं चाहूंगा अपने शहर या जिले के दृष्टिकोण से न देखकर प्रांत के दृष्टिकोण से देखना बहुत ही सुन्दर होगा।

श्रीमन्, शिकायत तो हमें होनी चाहिये कि हमारे जिले के चार-चार मिनिस्टर हों लोक-सभा में वहां की दशा दिन प्रति दिन गिरती चली जा रही है। वहां पर जो दफ्तर हैं उनको हटाया जा रहा है और हाई कोर्ट की शाखायें खोल रहे हैं, इन सबकी शिकायत अगर हो सकती थी तो हमको हो सकती थी परन्तु हमने शिकायत के रूप में न रख कर उसके विरुद्ध दूसरा तरीका अपनाया और जनता का मत संग्रह किया। यहां पर पश्चिमी जिले वालों की जो नीति है अगर जनता का मत होता तो इस चीज के यहां आने की आवश्यकता ही न होती, श्रीमन्, मैं ज्यादा न कह कर यह कहूंगा कि जिन हाथों में हुकूमत की बागडोर है अगर उन्होंने अपना दृष्टिकोण ठीक रखा होता तो यह पश्चिमी जिलों की शिकायत ही न होती। अंत में मैं यह कहूंगा कि जो सुझाव विन्ध्य-प्रदेश को मिलाने के लिये आया है, तो अगर वह हिस्सा चाहता है तो अवश्य मिला दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह) (जिला सहारनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस आदरणीय सदन में पिछले कई दिनों से विचाराधीन है, वह बहुत महत्व का है। ऐसे ही प्रश्न पर थोड़ा सा विचलित हो जाने से जो पिछले कुछ सालों में हुआ, देश का बटवारा हुआ और जो खून-खराबी हुई, उससे सब वाकिफ हैं। इसी प्रश्न पर बम्बई प्रांत में थोड़ी सी गर्मी आ जाने से जो कुछ हुआ उससे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति कभी भी गौरव प्रतीत नहीं करता। इस प्रश्न पर ठंडे दिल से विचार किया जाय और निर्णय किया जाय तो देश की उन्नति में यह सहायक हो सकता है। इसलिये इस प्रश्न पर बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि कहीं ऐसा न हो कि आवेश में कोई ऐसा शब्द निकल जाय जिसका दुष्परिणाम हो। बहरहाल जो प्रश्न सामने है उसमें मुख्य संशोधन भाई श्रीचन्द जी का है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न कमीशन के सामने उपस्थित हुआ। कमीशन ने अपना निर्णय उन साथियों के विरुद्ध किया। फिर यह प्रश्न कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने गया और उसने भी अपना निर्णय उन साथियों के विरुद्ध दिया। आज इस आदरणीय सदन में इस प्रश्न की स्थिति ऐसी है, जैसी कि किसी सेकिन्ड अपील की हो और जब तक कोई बहुत ठोस दलायल इस विभाजन के पक्ष में न हों, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को न मान कर मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को ही स्वीकार करें।

श्रीमन्, मुख्य बात यह है कि इस प्रश्न के पीछे कितनी जनता है। मेरे मित्रों में तो कई मित्रों ने यह कहा कि प्लेबिसाइट हो जाय और तमाम जनता इसके लिये परेशान है। यह कहना उचित नहीं है कि उन्होंने ठीक बात नहीं कही है, लकिन मैं केवल इस प्रश्न की हिस्ट्री का ब्यौरा देना चाहता हूं। बहुत चर्चा यहां हुआ कि पूज्य बापू जी का आशीर्वाद प्राप्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था इस मांग को। पिछली दफा जयपुर सेशन से कांग्रेस की एक कमेटी बैठी थी जिसके मेम्बर श्री जवाहरलाल जी, वल्लभ भाई पटेल और डा० पट्टाभिसीतारमय्या थे। उस कमेटी ने इस बात की चर्चा स्पष्ट रूप से की है कि शुरू में जब कांग्रेस ने यह निर्णय दिया कि भाषावार प्रान्त बनाये जायं उस समय उसके सामने इस प्रश्न की प्रैक्टिकल दिक्कतें नहीं थीं, चुनान्चे जो आश्वासन कभी पहले कांग्रेस ने दिया होगा उस कमेटी ने उसको मोडीफाई किया और फिर उस कमटी की रिपोर्ट को आल इंडिया कांग्रेस ने मंजूर किया। तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक मुनासिब है कि हम हर बात में गांधी जी को जामिन बना लें।

यह कहा जाता है कि यह आंदोलन बहुत पुराना है। बहरहाल श्री पणिक्कर जी ने, जो इस विभाजन के सपोर्टर हैं, अपनी रिपोर्ट में केवल दो बातें लिखी हैं। एक तो यह कि इस विभाजन के पक्ष में भी कुछ लोग हैं। उन्होंने यह नहीं लिखा कि बहुमत इसके पक्ष में है। और दूसरे यह लिखा है कि यह मांग नयी है। यह नहीं कहा कि यह पुरानी मांग है। बहरहाल, वह संस्था जिसका जिक्र इस भवन में कई बार हुआ और जो सन २० से इस विभाजन की मांग करती चली आई हो, जिसको पूज्य बापू का आशीर्वाद प्राप्त रहा हो कैसे इतनी कम मशहूर रही कि जिसका पता उसके, इस विभजन के चीफ सपोर्टर साहब को भी नहीं रहा। मुझे मालूम है, एक कमेटी थी दिल्ली में, लेकिन उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के विभाजन से नहीं था। स्वर्गीय आसफ अली साहब उसके कार्यकर्ता थे। लेकिन मैं अपने मित्रों से पूछता हूं कि कब उसकी मीटिंग हुई, उनका स्वर्गवास हुए तो बहुत दिन हुए।

एक सदस्य---आप उसके मेम्बर थे या नहीं ?

श्री फूलसिंह---नहीं था। आप थे। सन् ४६ का चर्चा भी हमारे कुछ साथियों ने किया। सन् १९४६ में मैंने और चौधरी चरणसिंह जी ने निमंत्रण भेजा था कि एक प्रान्त इस प्रकार का बनाया जाय। इसके लिये मीटिंग कांस्टीट्यूयेन्ट असेम्बली में हुई और उसमें यह निश्चय हो गया था कि बड़ी गलती हो गई यह मीटिंग बुला कर। उस मीटिंग में मैंने तो तोबा कर ली कि आइन्दा ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बहुत से साथी उस मीटिंग में से चले आये मगर मेरे दोस्तों को यह गुमान रहा कि इस पक्ष के यू० पी० में बहुत लोग हैं। चुनांचे मैंने तो झगड़ा नहीं किया। अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक बात है, उस मीटिंग में गांधी जी तक बात पहुंच गई थी। दोबारा मीटिंग मेरठ में हुई। मैं और मेरे साथी वहां नहीं गये, लेकिन वे उस मीटिंग में हार गये और वह दफन हो गई। इतना सपोर्ट विभाजन का उन जिलों में प्राप्त है। कौन-कौन जमातें देश में विभाजन के पक्ष में है ? सूबा कांग्रेस कमेटी तो है नहीं। किसी जिला कांग्रेस कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास करके नहीं भेजा। सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, जन संघ, क्रिश्चियन्स भी विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन हमारे कुछ दोस्त पश्चिमी जिलों के हैं। दो कमेटियां बैठी थीं एक तो लिन्गुइस्टिक प्राविन्सेज कमेटी जो कि कन्स्टीट्यएण्ट एसेम्बली ने बनाई थी जिसका नाम दर कमेटी था। उसने सन् ४८ में निर्णय किया कि अगर किसी विभाजन के पक्ष में मैजारिटी भी हो और एक स्ट्रांग माइनारिटी खिलाफ हो तो विभाजन नहीं होना चाहिये। दूसरी एक कमेटी कांग्रेस ने मुकर्रर की थी जिसके सदस्य पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डा० पट्टाभि थे। उन्होंने कहा कि अगर नये सूबे बनाते भी हों और उसके किसी इलाके के किसी मुताल्लिक दो राय हों तो उसे निकाल देना चाहिये। अगर यह भी मान लिया जाय कि उनका मत बहुत अधिक है तो कौन से उसूल पर आप कहेंगे कि नया प्रान्त बना दिया जाय। कांग्रेस वाली कमेटी ने यह तय किया कि अगर नया प्रान्त बनाने में यह निश्चय हो कि नया प्रान्त बनाने से सारे देश का बड़ा भारी उपकार होगा बावजूद उन कठिनाइयों के, जो नया प्रान्त बनाने में पड़ती है, तब यह कदम उठाया जाय। क्या माननीय सदस्य बिलकुल यकीन करते हैं कि इस नये कदम से बड़ा भारी उपकार होने वाला है ?

यह कहा गया कि यू० पी० डामीनेट करता है। इसके मुख्य सपोर्टर पणिक्कर साहब हैं। वे विभाजन चाहते हैं इस प्रदेश का। उन्होंने अपने सारे नोट आफ डिसेन्ट में कुल ४-५

[श्री फूलसिंह]

लाइन लिखी हैं । उन्होंने लिखा है कि यू० पी० डामीनेट करता है, डामेनेशन के दो मानी हैं। एक तो यह कि इनकी संख्या ज्यादा है और अपनी वोटों का नाजायज फायदा उठाते है, पार्लियामेंट में। इस तीन दिन की बहस में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं बतलाई गई कि जिससे यह शुबहा होता कि यू० पी० ने फलां नाजायज फायदा उठाया और न पणिक्कर साहब ने कुछ लिखा। क्या यू० पी० के पन्त जी या पंडित जवाहर लाल नेहरू सेण्टर में डामीनेट करते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि सूबा कट जाने से क्या उनका असर कम हो जायगा ? इन्टरनेशनल वर्ल्ड, रूस और अमरीका मे कौन मेम्बर यू० पी० के ह, जो वहां उनका इतना आदर होता है ? आदमी का बड़प्पन सूबे की आबादी से नहीं होता है। वह उसस बंधा हुआ नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो कुछ पणिक्कर ने लिखा वह एक हसद की बात थी, यू० पी० से। हमारे दोस्त भी यदि यह कहते हैं कि हमको भी पाकिस्तान समझ लो तो पाकिस्तान वाले भी तो यही कहते थे और उसका नतीजा हमनें भुगत लिया। यह दलील शोभा नहीं देती कि तकसीम ही हर चीज का इलाज है।

दूसरी दलील है कि सूबा बड़ा है। ये मेरे मित्र जो पश्चिमी जिलों के मेम्बर हैं वे पहले दिल्ली प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी के मम्बर थे। मेरठ व मुजफ्फरनगर दिल्ली सूबे के मेम्बर थे, तब यू० पी० प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी का आफिस इलाहाबाद मे था। अब जब यू० पी० में आ गये तो क्या अब लखनऊ, इलाहाबाद से दूर पड़ता है ? अगर उनको दिल्ली मे रहना पसन्द नहीं था और यू० पी० में आना पसन्द था तो बावजूद इसके कि यू० पी० का हेड क्वार्टर इलाहाबाद में था तो आज कौन वजह हो गई कि ये साथी फिर यू० पी० गवर्नमेंट से भागना चाहें जब उसका हेड क्वार्टर लखनऊ हो गया ? एक मेरे मित्र जयदेव यात्री थे जो २ दिन स ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। अगर मेरे मित्रों के साथ भी ऐसी बात है तो दूसरी बात है। भाषा की बात कही गई। मेरे मित्र शास्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। अम्बाला और सहारनपुर की एक जबान है और मेरा घर अम्बाला में है। बहुत पुरानी बात है। मगर उसके बावजूद भी में अपन मफाद को सूबे के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूं। शास्त्री जी का अम्बाले में घर अभी हुआ है, मेरा बहुत पुराना है। यह बात अम्बाले और सहारनपुर में ही है या यू० पी० के सरहद के सारे जिले की जबान दूसरे सूबों से मिलती जुलती है। यदि ऐसा ह तो क्या सबको शामिल करन का इरादा ह ? क्या यह वाकया नहीं है कि हिन्दी स्पीकिंग प्राविन्सेज कितने ही हैं ? तो क्या इन सबको, राजस्थान, यू० पी०, बिहार इत्यादि को मिला कर एक सूबा बनाना है ? तो यह दलील बहुत या कुछ भी असर रखने वाली नहीं है।

एक बात और मुख्य कहने वाली है कि यह भी कहा गया कि रिआयत होती है। मैं इसकी तरदीद नहीं करता हूं, लेकिन अगर रिआयत की बिना पर तकसीम चाहते हैं तो क्या हमारे साथी इस बात के लिये तैयार हैं कि वे नये प्रदेश में किसी जिले या तहसील की ऐसी शिकायत नहीं होने देंगे ? यदि ऐसी शिकायत उनके नये प्रदश में हुई तो क्या वे उस इसी बिना पर महज फिर और बांट कर कुछ नये प्रदेश बनाने के लिये तैयार होंगे ? ये तमाम बातें हमारे वास्ते सोचने की हैं। मेरे साथी मुझे बतलावें कि अगर बेइन्साफी पश्चिमी जिलों के साथ ही होती है तो क्या इसका यही इलाज है कि अलग-अलग हो जावें ? इस विभाजन के बाद आपको फिर उन जिलों का पेट भरना पड़ेगा। किसी ने कहा था चुनाव के समय कि यह कांग्रेस वाले बहुत रिश्वत खाते हैं और उनको वोट की मदद न दी जाय। तो फिर जवाब किसी ने दिया था कि इनको ही वोट देना चाहिये नहीं तो जो नये आयेंगे उनका भी पेट भरना होगा। इस प्रकार से हमेशा पेट ही भरते रहोगे। तो जो जिले मिलायें जायेंगे उनको भी खिलाना होगा। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अभी कुछ दिन तक और उन पूर्वी जिलों का पेट भरते रहें जिनके लिये आपने अभी तक रियायत की है बजाय उनके जिनको आप अपन में शामिल करना चाहते हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि जो दलील इसके लिये दी गयी है उसमें कोई तथ्य नहीं है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि

यह प्रश्न जिन्दगी और मौत का सवाल है। दुनिया के सब लोग यह देखना चाहते हैं कि ८ साल के अमन व अमान से क्या वह यह भूल गये कि सन् १९४७ में क्या हुआ था? हम लोगों को दुनिया आज देखने लगी है और थोड़ी सी तरक्की में हमको मगरूर नहीं हो जाना चाहिये जिससे एक साथ भी न बैठ सकें। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी इस प्रश्न पर बहुत ठंडे दिल से विचार करेंगे और इत्तिफाक़ करने की कोशिश करेंगे। यह तो यहां तक हुआ कि हमें इस देश में कोई आदमी ऐसा मालूम नहीं पड़ता जो निष्पक्ष हो, तो फिर भगवान् के ही फैसला करने का काम है। मेरे खयाल में जो भी किसी के विचार हों, राय हों और तजवीज़ हो उसको बहुत संयम के साथ रखने की जरूरत है इन शब्दों के साथ में चीफ मिनिस्टर के प्रस्ताव का समर्थन करता

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस होते हुये तीसरा दिन है और माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की रायें प्रकट की हैं, लेकिन जो तथ्य और सार इस बहस का निकल रहा है वह बहुत निराशाजनक है और वह सार भावना प्रधान ज्यादा है और उसमें तथ्य की कमी है। श्रीमन्, आज यह सदन एक अजीब परेशानी से गुजर रहा है। आज तक रवैया इस बात का रहा है कि जो कोई बात इस सदन के सामने रखी गयी है उसकी मुखालफत अपोजीशन की तरफ से सिद्धान्तत होती थी और आज यह नई बात प्रतीत होती है कि अपोजीशन वाले जनरली इसको सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजीशन कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता जाता है। कांग्रेस का दल उसका विरोध कर रहा है।

(इस समय ५ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज तीन प्रकार की भावनाओं का परिचय इस सदन में दिया गया। एक दल इस बात के पक्ष में है कि विभाजन किया जाय। दूसरा दल इस पक्ष में है कि विभाजन न किया जाय और कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरन अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते यद्यपि वे दिल से विभाजन के पक्ष में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि किसी बात को छिपाना या दबाना गलत बात होगी। मैं कोई मोटिव लेकर आक्षेप के रूप में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि पूर्वी जिलों के लोग विभाजन के पक्ष में नहीं हैं और जहां तक मैं स्पष्ट समझता हूं वे इस बात को महसूस करते हैं कि अगर विभाजन हो गया तो इन पूर्वी जिलों के जो पिछड़े हुये हिस्से हैं उनको इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी कि आज वे पा रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी कैबिनेट के जितने मंत्रिगण हैं वह सब विभाजन के विपक्ष में हैं। तीसरी बात को विकल जी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के अन्दर रहने पर और विचारधारा के अलग हो जाने पर किस तरह से उनको गुजरना पड़ता है। किस तरह से पहले पश्चिमी जिले के लोगों ने दस्तखत किये और फिर वापस लिये। यह परेशानी हमारे सामने मौजूद हैं तो दो बातें स्पष्ट मालूम पड़ती हैं कि विभाजन के विपक्ष में यहां की एक पावर पालिटिक्स काम कर रही है और दूसरी स्वार्थ की भावना। पुराने मुख्य मंत्री (पन्त) जी ने तो यह कहा था कि यह राम कृष्ण की भूमि है इसका विभाजन नहीं हो सकता। उसके बाद जो कृषि मंत्री जी का भाषण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि यहां छोटे और बड़े भाई की बात है कि छोटे भाई को बड़े भाई को नहीं छोड़ना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसी भावनापूर्ण दलीलें इस सदन के सामने देने का क्या मतलब है। श्री पणिक्कर की रिपोर्ट की बाबत बहुत सारी बातें कही गयी हैं, लेकिन विभाजन के लिए जो आवश्यकीय दलील है उसमें किसी ने छींटाकशी या आक्षेप नहीं किया है। सारी दलील यह है कि श्री पणिक्कर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यू० पी० का केन्द्र में ज्यादा बहुमत है और इससे सब लोग नाराज हैं। लेकिन श्रीमन्, उसके संबंध में इस सदन में यह भाषण दिया गया है कि लोक सभा में बावजूद हमारे प्रतिनिधियों के होने के भी हमारे राज्य को पूरी इमदाद नहीं दी गयी है। आर्ग्यूमेंट के लिये अगर कहा जाय तो इस

[श्री सत्यसिंह राणा]

बात को कह सकते है कि फिर क्या जरूरत है कि वे प्रतिनिधि वहां बहुमत मे रहे। बहरहाल यह दलील कोई ज्यादा असर नही रखती। मै सिर्फ इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री पणिक्कर साहब ने जो शिक्षा और सोशल सर्विसेज पर, पर कपिटा एक्सपेंडीचर की बाते कही है उसका प्रतिवाद किसी ने भी नही किया है। श्री विचित्र नारायण शर्मा जी ने बतलाया कि एक साल मे ५ हजार स्कूल खुले लेकिन स्थान का नाम उन्होंने नही बतलाया। श्री परिपूर्णानन्द जी ने सड़कों के बनने की बात कही लेकिन वे सड़के कहां बनीं, कितनी बनीं इसके सम्बन्ध मे कुछ नहीं बतलाया और इस सम्बन्ध मे भी कुछ नही बतलाया कि आज भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां सड़कों का निर्माण बिल्कुल नहीं हो सका है, वह क्यों नहीं हो पाया? यह भी कहा गया है कि डिवीजन के लिये यहां के लोगों की डिमांड ही नहीं है। इस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर विन्ध्य प्रदेश और बम्बई मे जैसा हाल हो रहा है अगर यह असेम्बली लखनऊ मे न बैठ कर कहीं मेरठ मे बैठती तो आपको मालूम हो जाता कि असलियत क्या है। मै तो चाहूंगा कि इसी प्रश्न पर रेफरेंडम करा लिया जाय, प्लेबिसाइट करा लिया जाय कि पब्लिक की पापुलर डिमांड क्या है। मै समझता हूं कि पब्लिक की पापुलर डिमांड को ठुकराना घातक है? रूस के उदाहरण दिये गये है। यह बात मेरी समझ मे नहीं आती कि जब अपने फायदे की बात होती है तब तो रूस आदि कम्युनिस्ट कंट्रीज के उदाहरण पेश कर दिये जाते है और जब अपने फायदे की बात नहीं होती है तो उन कम्युनिस्ट कंट्रीज की निन्दा की जाती है। वहां पर तो टोटलिटेरियम गवर्नमेंट है। लेकिन जब आपके यहां डेमोक्रेटिक सेट अप है तो डेमोक्रेसी का यह सिद्धान्त है कि आप लोगों को फ्रीडम आफ स्पीच देना चाहते हैं। उसके लिये यही ठीक है कि जितने छोटे-छोटे यूनिट होंगे अच्छा प्रबन्ध हो सकेगा। हमारे पहाड़ी प्रान्तों के जो रहने वाले है वे इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते है। माननीय नेगी जी ने ठीक ही कहा था कि टेहरी से बलिया कितना दूर पड़ जायगा। मै इस सदन के सामने इस बात का भी बयान कर देना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से, रिमोट कंट्रोल आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इतनी बड़ी स्टेट का रहना ठीक नहीं होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने भी पार्लियामेंट मे इस प्रकार का आभास दिया था कि यू० पी० अनविल्डी है और यू० पी० के चार टुकड़े भी कर दिये जायं तो उन्हे कोई एतराज नहीं होगा। तो इस सम्बन्ध मे पणिक्कर साहब ने अपने नोट मे लिखा है कि इतना बड़ा स्टेट नहीं रहना चाहिये, ठीक लिखा है। मै समझता हूं, कि इस वक्त पार्टी डिसिप्लिन की वजह से भले ही इसका डिवीजन न हो लेकिन आगे चल कर इसका डिवीजन नहीं रुक सकता। वह जमाना आयेगा जब कि इसका डिवीजन होकर रहेगा। इस सम्बन्ध मे मै कुछ सुझाव देना आवश्यक समझता हूं। साथ ही साथ मेरी शिकायत भी है कि पूरब और पश्चिमी जिलों के साथ-साथ उत्तर में जो पहाड़ी प्रान्त है उसके बारे मे कमीशन ने विचार करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मै नहीं जानता कि कमीशन ने हिमांचल और पंजाब के लिये तो विचार प्रकट किया, एक हिली यूनिट बनाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया। उनका कहना है कि इसके लिये किसी की डिमांड ही नहीं थी। मै नहीं जानता कि ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया कि इसकी डिमांड नहीं की गयी जब कि इसी सदन के हम लोग जो पहाड़ी प्रान्तों के एम० एल० एज० है, हमने एस० आर० सी० के पास एक मेमोरेंडम भेजा था और जिसमे इस बात का जिक्र किया था कि मुल्क के हित मे कांगड़ा, हिमांचल, गढ़वाल, देहरादून, टेहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा यानी चम्बा से लेकर अल्मोड़ा तक का एक पहाड़ी स्टेट बनाया जाय, क्योंकि इन सब के बीच मे एक रीति-रिवाज है, उनके भाषा-सामंजस्य और कल्चर को देखते हुए बहुत ठीक होगा। श्रीमन्, एस० आर० सी० ने अपनी रिपोर्ट में नेशनल सेक्योरिटी के प्वाइंट को बड़ा महत्व दिया है और वे इस बात पर जोर देते है कि

अगर बार्डर पर कोई स्टेट कायम रहनी है तो वह कोई छोटी स्टेट न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई हिल स्टेट बनाई जाय तो मुनासिब होगा, लेकिन यहां हमारे इस मेमोरेन्डम की सपोर्ट में हिमांचल प्रदेश वालों ने मांग की थी और टेहरी-गढ़वाल और देहरादून तथा गढ़वाली सभा की तरफ से भी इस तरह की मांग की गई थी। कल ही इस सदन में माननीय मैठाणी जी ने और चन्द्र सिंह जी ने इसका समर्थन किया था और यद्यपि महाराजकुमार बालेन्दु शाह जी ने उसका समर्थन पूरी तौर से नहीं किया, लेकिन उनका मत भी स्पष्ट ही था, वह भी चाहते हैं कि रीजनल आटोनामी होनी चाहिए और पावर का किसी तरह से डिमेन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिए वह भी डिवीजन के पक्ष ही में हैं। हमारे जितने पहाड़ की तरफ के लोग हैं वे डिवीजन के पक्ष में हैं। हालांकि अलमोड़ा और नैनीताल के लोगों ने एतराज किया था और कहा था कि हम तो यू० पी० के अंग ही रहना चाहते हैं और वह सही भी है। टेहरी और गढ़वाल से वहां तक कोई सीधा रास्ता नहीं है और नीचे मैदान में होकर वहां जाना होता है और दूसरे डिवीजन के पश्चात् जो स्टेट रह जाती है उसको एक हिल स्टेशन भी चाहिए, इसलिए नैनीताल का रहना ठीक ही है और बार्डर एरिया भी है इसलिए वह उधर रह सकते हैं, लेकिन पणिक्कर साहब ने जो स्टेट बनानी चाही है उसके साथ मैं राजी नहीं हूं। उनकी स्टेट मालूम होता है बगैर सिर के है। अगर उनकी स्टेट के साथ देहरादून, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल जोड़ दिया जाय तो ठीक हो सकता है। श्रीचन्द्र जी का सुझाव सही है। हिमांचल प्रदेश अगर श्री फजल अली के नोट के अनुसार सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड रखा जाय तो हम समझते हैं कि यह चीज कोई डेमोक्रेटिक नहीं है और हम उसके माफिक नहीं हैं और इस तरह की चीज ठीक नहीं है। जैसा सुना गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कुछ ऐसा निश्चय किया कि हिमांचल प्रदेश अलग स्टेट रहे लेकिन जैसा कि कमीशन ने कहा है कि बार्डर में छोटी स्टेट न रहनी चाहिए, मेरा सुझाव है कि हिमांचल प्रदेश का एक प्रान्त देहरादून गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को लेकर बनाना चाहिए और अगर यह सम्भव न हो तो मैं श्रीचन्द्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सब से पहले तो हिमांचल प्रदेश के बारे में अगर वर्किंग कमेटी ने तय कर दिया कि वह रहेगा तो उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं सिवा इसके कि उसमें देहरादून, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को उसी में जोड़ दिया जाय, नेशनल सिक्योरिटी इसी में हो सकती है, लेकिन अगर हिमांचल प्रदेश बदकिस्मती से पंजाब में गया तो यह सही है कि जिस पश्चिमी प्रान्त का श्रीचन्द जी ने सुझाव दिया है उसके साथ देहरादून, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को मिला दिया जाय। मैं इस बात से इसलिए सहमत हूं क्योंकि हमारा इलाका लखनऊ के मुकाबले में उससे नजदीक पड़ता है और दूसरे वह खुशहाल इलाका है और उधर जाने से हमें विकास का मौका मिलेगा। इन कारणों से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम उधर जाना चाहते हैं। हमारे यहां के लोगों के बारे में जैसा कि श्री नरदेव शास्त्री जी ने पहले ही कहा है कि वे इस स्टेट के ढांचे में रहने को तैयार नहीं हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो भाषावार राज्य के संकल्प को ले कर उन्होंने एक कमीशन नियुक्त किया। भाषा का सबसे बड़ा और भारी प्रश्न है और उसी के आधार पर हम एक सुदृढ़ शासन स्थापित कर सकते हैं। यह भाषा का प्रश्न आज का प्रश्न नहीं है, आज से हजारों वर्ष पहले इस देश के अन्दर जब आर्य संस्कृति थी तब उसमें जीवन और जगत् को देखने का जो एक दृष्टिकोण है जिसे हम संस्कृति कहते हैं उसके नाम पर भारतखंड स्थापित किया था और उसके अलावा हमने केवल ४ खंड स्थापित किये थे, एक काशीखंड था, एक नर्मदाखंड, उत्तराखंड था और उज्जैन खंड था। नर्मदाखंड के दक्षिण की ओर हम दक्षिण की दृष्टि से देखते थे और भाषा के आधार पर नर्मदा से उत्तर की तरफ उज्जैन तक उत्तराखंड और वह उत्तराखंड तो काशीखंड के अन्तर्गत आ जाया करता था। हमारी दृष्टि सदा भाषा के

[श्री रामलखन मिश्र]
ऊपर रही है। भाषा के आधार पर ही एक सुदृढ़ संगठन, शासन का, कर सके है और एक बात हमें और स्मरण रखनी चाहिये कि राज्यों के क्रमिक विकास में आदि मानव जाति का जब शासन बना था हमने एक प्रतिज्ञा की थी उस समय कि शासन को बनाने के बाद हम समाज को शिक्षित कर देंगे, हम मानवमात्र को शिक्षित कर देंगे, समाज में इतनी शिक्षा ला देंगे कि फिर शासन की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी, लेकिन इतिहास ऐसा बताता है कि शासन बढ़ता गया और समाज पर शासन का चाहे वह किसी प्रकार का शासन हो बहुत बड़ा प्रभाव हो गया है और उसमें समाज को शिक्षित करने के लिये भाषा ही एक माध्यम था। इस कारण से सृष्टि के प्रारम्भ से ही हमें भाषा के ऊपर विशेष जोर देना पड़ा है और भाषा के ऊपर ही हम राज्यों का निर्माण करते हैं। तो इस भाषा के प्रश्न को लेकर जो कमीशन नियुक्त हुआ वह हमारे देश के अन्दर एक बहुत ही पुनीत कार्य हुआ है लेकिन इतने पुनीत, पवित्र यज्ञ के पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की आज्ञा दें कि राजनीतिज्ञ लोग इसको एक्स्प्लायट कर रहे हैं और वे इसका जहां पर उपयोग होना चाहिये नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिये मैं उत्तर प्रदेश को ही ले लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भाषा का कोई प्रश्न नहीं है।" भाषाओं की जो बात यहां उठाई गई ब्रजभाषा आदि की वह तो भाषा की शैलियां हैं वह भाषा स्वयंमेव नहीं है। सौ वर्षों से तो इतना हिन्दीकरण हो गया है कि सब में संकरत्व आ गया है जैसे वर्णसंकर, भाषासंकर और खाद्यसंकर सब में संकरत्व आ गया है। भाषा का अर्थ है "भा" से भाव को प्रकट करना और "स" से सार को ग्रहण करना है। तो हमारे प्रदेश के अन्दर जहां सदियों से काशीखंड से लेकर नर्मदा के उत्तर की तरफ की हम सारी भाषाओं को समझ लेते थे तो इस समय भाषा के प्रश्न को लेकर प्रदेश को विभाजित नहीं कर सकते। जितने ब्रजभाषा या अन्य भाषाओं का नाम लिया गया है वह भाषा नहीं है शैलियां हैं और मैं इसको दोहराता हूं कि इस तर्क को समझने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। अगर इन्हीं को भाषा मान लिया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म-स्थान है और जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां तो नैपाली भाषा बोलते हैं। वहां "गते" आदि न मालूम कितने शब्दों के प्रयोग होते हैं और जिन शब्दों को यदि मैं आपके सामने रखूं तो उसके लिये एक अलग प्रदेश होना चाहिये और अलग उसका शासन होना चाहिये। यह तो हास्यास्पद है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर विभाजन का प्रश्न आज उपस्थित किया जाता है। इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने हृदय पर, अपने सीने पर हाथ रख कर देखें, यह बात कैसे किसी के हृदय में आती है। अध्यक्ष महोदय, यह मानव स्वभाव है, ऐसी यह मानवप्रकृति है कि समाज में आगे बढ़ने के लिये, शासन की इकाई में कुछ स्थान प्राप्त करने के लिये राजनीतिज्ञों की यह एक चाल सी है। मैं इसे दोहराना इस सदन के अन्दर कोई पाप नहीं समझता हूं कि जब श्रद्धेय पणिक्कर साहब इधर आये हुये थे तो कुछ भाई उनसे मिले थे तो उन्होंने उनके सामने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा विशाल देश है कि सारे देश पर उसका प्रभाव है। मैं श्रद्धेय पणिक्कर जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं। उनके ऐतिहासिक ग्रन्थ इतने सुन्दर और इतने उच्चकोटि के हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे श्रद्धेय पणिक्कर जी ने जो स्थान उत्तर प्रदेश को दिया है उनका फैसला उत्तर प्रदेश के लिये नहीं, उनकी दृष्टि उत्तर प्रदेश पर नहीं है, उनकी दृष्टि किसी अपने दक्षिणी प्रदेश पर है, वे किसी और जगह से उसका संबंध जोड़ना चाहते थे क्योंकि वे बड़े ही कलाकार हैं, बड़े ही उत्तमकोटि के इतिहासकार हैं। यह हम लोग बराबर सोचते है कि पणिक्कर जी की टिप्पणी के पीछे कोई सत्य होना चाहिये मगर उसके अन्दर कोई सत्य दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात अवश्य है। जो तर्क उन्होंने दिये हैं वह एक मिनट के लिये भी स्थिर नहीं हो पाते हैं।

यदि मैंने आज माननीय विकल जी का भाषण न सुना होता तो मैं अध्यक्ष जी, यह कहने वाला होता कि यह सारा सदन का विवाद केवल आभूषणात्मक है, आलंकारिक है और शोभा की वस्तु है। कुछ लोग हमारे नारदीय नीति, जैसे नारद भगवान उसी लक्ष्य को दूसरी दृष्टि से कहकर उसी लक्ष्य की ओर संकेत करते थे। ऐसा ही हमारे सदस्यगण करते हैं, क्योंकि जो तर्क उपस्थित करते हैं उनके भीतर कोई सिद्धांत नहीं रहता और सिद्धांतहीन तर्कों का

उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। जो तर्क उपस्थित किये जाते है उनमे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता कि इस प्रदेश का विभाजन होना चाहिये। जितने तर्क यहां उपस्थित किये गये उनमे अनेक माननीय सदस्यों ने छोटे स्तर की बातों का उल्लेख किया, जैसे हमारे मंत्री दौरे पर नही जाते या अमुक क्षेत्र मे अमुक समाचार पत्र का प्रभाव अधिक है, इत्यादि इत्यादि। ये ऐसी बाते हैं जिनको मैं इस सदन मे दोहराना नहीं चाहता। उनको कह कर विभाजन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जैसे किसी घर मे नाखुशी का इजहार दो भाई करते है और चूल्हे और चक्की का जिक्र वे करते हैं और इस तरह की चर्चा यहां करके इस सदन की शोभा बढ़ाना नहीं है। मै समझता हूं कि मानव स्वभाव मे इस प्रकार नाखुशी का इजहार करना स्वाभाविक है और कभी-कभी यह बाते मनुष्य को आगे भी बढ़ाती है पर इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रदेश के बटवारे के प्रश्न पर जिस प्रकार कि श्री पणिक्कर जी ने टिप्पणी दी है, इस प्रकार सोचना शोभनीय नहीं है। उन्होंने भाषा का नाम तक नहीं लिया। भाषा को छोड़ दिया जाय तो मेरा दावा है मनुष्य जो है, एक जीवित प्राणी है--उसके अन्दर बुद्धि, अहंकार, गर्व, द्वेष तथा क्रोध सभी कुछ हैं। एक जीवित सत्य है। कोई ईंटों का ढांचा नहीं है। किसी जनसंख्या के आधार पर हम बांटने का तर्क नहीं कर सकते और जितने तर्क हैं जैसे समृद्धि का जहां तक प्रश्न है, शासन की कुव्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, ये सब कंप्रेटिव टर्म्स हैं। किस शासन में अधिक सुव्यवस्था है यह तो बिल्कुल एक कंप्रेटिव टर्म है। इसके कोई स्थायी मानी नहीं होते। इन सब आंकड़ों को सामने रख ले और जिन-जिन दृष्टियों को रखकर इस सदन के अन्तर्गत विभाजन का प्रश्न रक्खा गया है उसमे मै कोई सत्य नही देखता हूं, कोई तथ्य नही देखता हूं। न इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रदेश का विभाजन किया जाना चाहिये। विभाजन का मुख्य आधार भाषा के प्रश्न पर होना चाहिये। भाषा के प्रश्न पर आज से हजारों वर्ष पहले कहा गया है "कृण्वध्वम् विश्वमार्यम्।" सारे संसार में आर्य संस्कृति को फैला दो। और इस दृष्टि को सामने रखते हुये जब कभी भारत का विभाजन किया था जैसा दोहरा चुका हूं वहां ४ खंड किये थे और वहां भाषा का प्रश्न था। भाषा का प्रश्न मुख्य प्रश्न है लेकिन भाषा का प्रश्न उत्तर प्रदेश में जैसा कि अभी कह चुका हूं कोई मानने को राजी नहीं होता। एक क्षणमात्र के लिये भी वह लागू नहीं होता। उसके अन्दर एक अरण्य रोदन करना होता है। हमारी तो दृष्टि दूसरी है। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे इस सदन की यह बिलकुल एक आभूषणात्मक बहस है। यह तो नारद नीति है। हमारे भाइयों ने जो तर्क उपस्थित किये हैं हमारे ही समर्थन में है। ऐसे तर्क उपस्थित किये है जिनका मीजान, जिनका गुणा-भाग और जिनका निष्कर्ष यह सिद्ध करता है कि इस प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत से भाई बोलने वाले हैं लिहाजा मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे और भाइयों ने तर्क में उपस्थित की है। इन शब्दों के साथ मैं इस विभाजन का विरोध करता हूं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो हामी नहीं हूं कि किसी मसले को तय करने के लिये किन्हीं बड़ी चीजों की दुहाई दी जाय। मैं इस बात का भी हामी नहीं हूं कि किसी मसले को तय करने के लिये गोलियां डाल ली जायं। ठीक उसी तरीके से मैं इस मसले को भी बौद्धिक रूप देता हूं। इस मसले पर मैंने देखा कि गंगा और यमुना, राम और कृष्ण की दलीलें दी गईं और दुहाई दी गई, लेकिन मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस मसले पर जब हमने गौर किया तो जिस समय यह कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई, यह नकशा हमारे सामने अखबारों मे आया और उसको देखा तो उस समय फौरन ही मुझ पर एक असर पड़ा और मैंने यह महसूस किया कि जिस आशा से कमीशन नियुक्त किया गया था शायद वह आशा पूरी नहीं हुई। इसके लिए मेरा अपना ख्याल था कि कमीशन की नियुक्ति किन्हीं आधारों के ऊपर हुई थी चाहे वह भाषावार, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारतवर्ष के सूबे बनाये जाते, चाहे आबादी के आधार पर बनाये जाते, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर बनाये जाते, कुछ भी

[श्री शिवस्वरूप सिंह]

आधार होता, लेकिन कमीशन को मैंने देखा कि इन बातों में ही सारी बातें चलीं। हमने सूबे के छोटे से छोटे आकार को भी बनते हुए देखा, विदर्भ को हैदराबाद के पास उसकी हंसली के तरीके से बना दिया गया। बड़े से बड़े मध्य प्रदेश को भी हमने देखा। जिसके लिए बड़ा भारी शोर मच रहा है कि यू० पी० बहुत बड़ा प्रान्त है, इसलिए उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया जाय। हमने उसी रिपोर्ट मे यह भी देखा कि मध्य प्रदेश यू० पी० से भी बड़ा बना दिया गया। तो उसमें हमको कोई आधार नहीं दिखायी दिया। इसके बाद जबकि उस रिपोर्ट मे छोटे से छोटा प्रान्त भी बनाया गया और बड़े से बड़ा प्रान्त भी बनाया गया तब यू० पी० के लिए यह कहकर मांग करना कि चूंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है और यह बहुत अनवील्डी है इसलिए इसके टुकड़े कर दिये जायं प्रवन्ध के हिसाब से, मैं इसको कतई मुनासिब नहीं समझता।

अब हमको इसको बौद्धिक रूप से देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि तीन रोज से इस सदन मे बराबर बहस हो रही है। भाषा के आधार पर इसके दो टुकड़े नहीं किये जा सकते। चूंकि पश्चिम से लेकर पूर्व तक के हम सभी सदस्य लोग यहां पर मौजूद हैं। हम सब एक ही भाषा बोलते हैं। हां, कभी-कभी नेगी जी की भाषा, "भालछो भालछो" वाली बात में कभी फर्क पड़ जाता है। लेकिन वैसे हम भाषा के आधार को इसके डिवीजन का आधार नहीं मान सकते। जितनी भी दलीलें दी गयीं, इस पक्ष वालों की ओर से, कोई ऐसी दलील आकर नहीं टकराती, पुरानी मीटिंगों का जिक्र किया गया, अपीलें की गयीं, लेकिन कोई बात किसी जगह आकर के नहीं ठहरती कि किस आधार पर आखिर इसके दो टुकड़े कर दिये जायं। घूम फिर करके एक ही बात आ करके पड़ जाती है कि यह अनवील्डी है। पणिक्कर साहब तो यह बात कह सकते हैं कि चूंकि यह प्रान्त बड़ा है इसलिये इसका प्रबन्ध ठीक नहीं होता। इसलिए इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर दिया जाय। लेकिन इस सदन के बैठने वाले सदस्य यदि यह आधार मान कर इस प्रान्त के दो टुकड़े करना चाहें, मेरी समझ मे नहीं आता कि क्या इस प्रकार की मांग हम अपने आप स्वयं करके अपने ऊपर ही अविश्वास प्रकट नहीं करते? हम इस सदन में ४३१ व्यक्ति आये हुए हैं। इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भले ही चाहे आगे बैठने वाले दस बारह व्यक्तियों पर हो, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी बुराई भलाई से यह ४३१ व्यक्ति आज हट सकते हैं? जब आप इस बात को कबूल करते हैं कि इस सदन के अन्दर अगर कोई जनता के विरोध मे काम हो रहा हो या यहां का प्रबन्ध ठीक न हो तो कोई भी एम० एल० ए० अपने को अपने क्षेत्र में इस बात से बचा सकता है कि वह यह कह दे कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। श्रीमन्, आज तक का नियम यह रहा है कि हमेशा व्यक्तियों ने आगे को बढ़ना तो चाहा है, लम्बा होना तो चाहा है, बड़ा होना तो चाहा है, लेकिन हमारी मांग बिल्कुल दूसरी है कि हम बढ़ना न चाहकर उल्टे छोटा होना चाहते हैं और जैसा मैंने कहा कि बाहर वाले व्यक्ति यह मांग रख सकते हैं, पणिक्कर साहब कह सकते हैं, दूसरे प्रान्त वाले आदमी कह सकते हैं, जैसी कि दलीलें दी गई हैं कि प्रभुत्व है पालियामेंट में, या हम सारे हिन्दुस्तान पर छाये हुए हैं। लेकिन हम अपने आप ही इस बात को कबूल कर लें कि हां, हम सबके ऊपर छाये हुए हैं, सबके साथ अन्याय कर रहे हैं, सबके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बड़े नहीं रहना चाहते और हम अपने आपको छोटा करते हैं, यह दलील अपने लिए मुनासिब नहीं होती। दूसरी बात जो कही जा सकती है मुझे यह और अर्ज करना है कि जो प्रान्त मांगा जा रहा है, उस प्रान्त को आगरा प्रान्त कहा जायगा। आगरा उसकी राजधानी होगी। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि १२ बजे के बाद तो कुछ बुद्धि में फर्क आ जाता है, मेरा निवेदन है कि आगरे में तो २४ घंटे फर्क रहेगा। तो जिस खतरे से कि यहां प्रबन्ध

ठीक नहीं कर सकते इसलिये हम हट करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं और जाते वहां हैं जहां २४ घंटे बुद्धि का सन्तुलन नहीं रहेगा। तो फिर प्रबन्ध कैसे ठीक रहेगा। हां, एक बात जरूर है कि यह पूरब और पश्चिम की बात उठाई गई। बड़े भाई और छोटे भाई की बात कही गई, यह बात मैं भी मानता हूं। अब से तीन साल पहले से जब इस सदन में पूरब वाले व्यक्तियों ने पूरब की मांग पर यहां पर आफत मचा दी तो मैंने उस वक्त यह कहा था कि भाई, जो पूरब का नाम लेकर के आफत मचाई जा रही है, इसका नतीजा आगे को अच्छा नहीं निकलेगा। जो मेरे पूरब वाले साथी हैं रामकुमार शास्त्री हैं, गेंदासिंह हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं. मैं तीन साल पहले से कह रहा हूं कि अगर इस तरह से पूरब की मांग लेकर चलोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। पश्चिम के लिए कहा जाता है कि पश्चिम वाले इसको नहीं देख सकते हैं कि पूरब पर खर्चा हो जाय। मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूं। पूरब के एक साहब माननीय गेंदासिंह जी अपोजीशन के नेता हैं। माननीय गेंदासिंह को अगर अपने जिले में किसी नर्स के रखवाने की जरूरत हुई तो वह नर्स के रखने की मांग नहीं करते, यह नहीं कहते कि देवरिया में एक नर्स की जरूरत है, उसके पहले यह कहा जाता है कि पूरब के जिलों में यह हो रहा है, वह हो रहा है, वहां यह हालत है, वह हालत है, उनके यहां यह नहीं है, वह नहीं है, नर्स का इन्तजाम नहीं है, इसलिए वहां एक नर्स दी जाय। तो तीन साल पहले से इसका नतीजा मेरे सामने आ रहा है।

दूसरी बात मुझे अपने पूर्वी जिले के भाइयों से यह कहनी है कि कल मेरे यहां के एक सदस्य ने कहा था कि हम डिवीजन रोकवाने के लिए यह कहने के लिए तैयार हैं कि पूरब में कुछ न किया जाय, पश्चिम में ही किया जाय। हम यह कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। मैं यह कहता हूं कि वह तो तयार हैं और हम तो कर रहे हैं तीन साल से। तो हमारा उनका कोई मुकाबिला है नहीं। छोटे भाई और बड़े भाई के लिए मैं आपसे यह कहता हूं कि छोटे भाई की हिफाजत जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े भाई का कोई लडका खराब हो गया हो और इन्तजाम खान्दान का छोटे भाई के ही हाथ में हो तो उस लड़के का क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी जिलों की तरफ तो आप चलिए। पश्चिमी जिलों में आप कितने ही प्रान्त, कितने ही टुकड़े ऐसे पायेंगे जिनके लिए यह चैलेंज किया जा सकता है कि पूरबी जिले के खराब से खराब टुकड़े को ले लीजिए और उस प्रान्त के उस टुकड़े को ले लीजिये। मेरा दावा है कि वह टुकड़े ज्यादा खराब निकलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वह पश्चिम में आ गये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पूरब पश्चिम वाली बात का आधार कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं कहने लगूं तो मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां रेल, तार, सड़क, बिजली, ट्यूबवेल, पढ़ाई का कोई इन्तजाम आप पा नहीं सकते। मजबूत से मजबूत हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर वह चार महीने के दरमियान में मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जाने की कोशिश करें तो घुस नहीं सकते हैं। चारों तरफ से दरिया घेरे हुए है, वह इन्कार कर देगा कि तुम अन्दर नहीं घुसोगे। लेकिन इसके कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर ऐसी बात है तो अब सुधार नहीं होगा। अगर पूर्व की तरफ को गवर्नमेंट का ध्यान विशेष रूप से हो गया तो हो जाय उधर डेवलपमेंट, ठाकुरद्वारे और इधर का गैप बाद को ठीक हो जायगा। माननीय गुप्त जी सारे प्रान्त का डेवलपमेंट करेंगे, तो उस सारे प्रान्त के डेवलपमेंट में क्या कहीं काला धब्बा वह छोड़ देंगे? क्या वह ठाकुरद्वारे के काले धब्बे को रखेंगे या और जो इस किस्म की खराब जगहें हैं उनका डेवेलपमेंट नहीं करेंगे? अगर वह डेवलपमेंट न करें वहां तो क्या गुप्त जी का डेवेलपमेंट पूरा मान लिया जायगा? तो इस तरीके से, यह तो छोटी-छोटी बातें हैं। मौलिक बात यह है कि इस डिवीजन के हक में न तो लिंग्विस्टिक आधार आता है न इसका एरिया बड़ा होने का आधार आता है—कुछ उससे बड़े एरिया के बन चुके—तो फिर इसके अलावा एक ही बात रह जाती है। जैसे दस्तखत करने वाले आदमियों

[श्री शिवस्वरूप सिंह]

में मैं भी था। मेरे दिमाग में भी शायद यही बात हो, और तो कोई सूझती नहीं कि मेरा स्वार्थ है। मैंने दस्तखत इसीलिए कर दिये हों कि यहां पर लीडरों का सेंटर है, तो दो टुकड़े हो जाने से लीडरों का डिसेंट्रलाइजेशन तो जरूर हो जाता है और उस डिसेंट्रलाइजेशन में फिर अपने जैसे का भी काम हो सकता है। अगर मिनिस्टर नहीं तो डिप्टी मिनिस्टर होने का दांव तो लगता ही था। यहां जब यह पोजीशन है कि यहां तो कोई पूंछ नहीं, तो वहां अगर डिवीजन हो जायगा तो मेरे जैसों की पूंछ हो जाती। इसी पर मांग घट सकती थी और बाकी दलील की हैसियत से सूबे के टुकड़े हो जायं तो मेरी समझ में कोई दलील नहीं आयी। इसलिये मैं सख्ती के साथ इस बात का विरोध करता हूं कि इस किस्म की आवाज उठायी जाय कि सूबे के दो टुकड़े हों और सूबा दो हिस्सों में हो जाय।

यह भी मुझे निवेदन करना है कि सूबा दो हिस्सों में हो जाय तो प्रधान मंत्री चाहे माननीय श्रीचन्द्र जी उस प्रान्त के हो जायं, लेकिन मिनिस्टर तो चौधरी चरणसिंह या विचित्रनारायण शर्मा जी यही सब होंगे, जब ये मिनिस्टर यहां रह करके प्रान्त का कल्याण नहीं कर पाते तो कुर्सी चेंज करने में, लखनऊ से आगरे जाने में क्या उनमें सारी काबलियत आ जायगी? तो यह दलील भी कुछ मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सौभाग्य से ऐसे जिले से आता हूं और उन जिलों में मेरा जिला शामिल है जिनके नाम पर आज यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के विचाराधीन है।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी उन लोगों में था कि मैंने भी उस समय उस मांग पर हस्ताक्षर किये थे और दिमाग में एक इस तरह की बात थी कि शायद एक छोटा प्रांत बनने के बाद संभव है कुछ सुविधायें हों। मेरे कई मित्र कह रहे हैं कि मैंने दबाव मे आकर वापस लिया। मेरे सामने जब यह रूप आया कि नये राज्य निर्माण समिति के अध्यक्ष पं० श्रीराम शर्मा, भूतपूर्व मिनिस्टर पंजाब, पंडित श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यू० पी०......

श्री अध्यक्ष--जो लोग यहां मौजूद नहीं हैं उनका नाम आप क्यों ले रहे ह? यह उचित नहीं मालूम होता।

श्री महीलाल--श्रीमन्, एक छपा हुआ पैड का कागज है।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि इस तरह से अगर चलेगा तो गरमा-गरमी हो जायगी।

श्री महीलाल--जो आपका आदेश। इसके अतिरिक्त उस समय दिल्ली के साथ मिलने का प्रश्न था और हमारे सामने एक छोटा नक्शा था जिसके आधार पर हमारे साथियों के दिमाग में इस तरह की बात आयी थी। लेकिन अब जो नक्शा हमारे सामने सरदार पणिक्कर के नोट के बाद आता है उससे कम से कम मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुरादाबाद के लोगों को नये प्रांत की राजधानी तक जाने में अब से ज्यादा दिक्कतें उनके सामने आयेंगी। लखनऊ, अगर मुरादाबाद का आदमी ६ घंटे में आ जाता है तो आगरा पहुंचने के लिये उसे तेज से तेज ट्रेन पर सवार होने के बाद भी कम से कम १२ घंटे खर्च करने पड़ेंगे।

दूसरी बात मैं अपने जिले के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम पश्चिमी जिलों के लिये कहता हूं जो इसमें शामिल किये जा रहे हैं उन्हें सबको इस प्रश्न पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना है जिसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय ध्यान दिलाया था। वह मुख्य बात उन्होंने यह कही थी कि यह समय देश के पुनर्निर्माण का है और

हमारी पूरी शक्ति पुनर्निर्माण में लगनी चाहिये। लेकिन जब हम अपना नया प्रांत बनायेंगे तो नयी राजधानी बनाने के लिये और पूरे सचिवालय को फिर से बनाने के लिये हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो हमारा वह विकास-कार्य और शासन के कार्य जिनके लिये हम अपने को अलग करना चाहते हैं कई वर्ष पीछे चले जायंगे। हमारी शक्ति एक नया घर बनाने में लग जायगी और नतीजा यह होगा कि शामिल रह कर जितनी जल्दी हम अपने जिलों का उद्धार कर सकते हैं उतनी जल्दी शायद हमारा स्वप्न नये राज्य में पूरा नहीं हो पायेगा।

इसके अतिरिक्त जो विचार सरदार पणिक्कर साहब ने अपने प्रतिवेदन में असहमति देते हुये प्रकट किये हैं उनको देखने के बाद भी इस प्रांत का हर व्यक्ति यह अवश्य सोचेगा कि उनकी बात में एक द्वेष की भावना टपकती है। जैसे कि उन्होंने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश पर हावी है। इसमें कहां तक सच्चाई है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि आज भी केंद्रीय सरकार के सचिवालय को देखिये कि वहां कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं और कितने मद्रास और दूसरे प्रांतों के हैं। तो उनकी बात इस तराजू पर तौलने पर भी निराधार सी सिद्ध होती है। जहां तक हमारे लोक सभा में प्रतिनिधियों का संबंध है कि उन प्रतिनिधियों से लोक सभा और वहां की सरकार प्रभावित रहता है इस बात को भी गलत साबित करने के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है कि अनुपाततः हमारे प्रदेश को दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा जो सहायता केन्द्र से मिलती है वह कम मिल रही है और लगातार कम मिली है। तो उनकी यह बात भी अपनी जगह पर निराधार साबित होती है। दूसरी बात उन्होंने प्रांत के बड़े होने के बारे में कही है कि यह प्रांत बहुत बड़ा है, तो जिस समय मध्य प्रदेश बनाने का कमीशन का निर्णय था तो उनको अपनी असहमति देनी चाहिये थी जो उन्होंने नहीं दी। इसके अतिरिक्त जो हम नक्शा देखते हैं, उससे यह पता चलता है कि चौड़ाई में कुछ भी कमी हुई है लेकिन लम्बाई में जो चित्र मेरे सामने मौजूद है उसमें बहुत थोड़ा अन्तर हमारी वर्तमान लम्बाई में पड़ता है। इस लिहाज से यह ठीक है कि आबादी नये प्रान्त की कम होगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव में संशोधन के बाद जो नया रूप हमारे राज्य का बना है उसमें लम्बाई में तो कोई अन्तर नहीं है। टेहरी-गढ़वाल से लेकर झांसी, ललितपुर तक आ जाते हैं और कोई अन्तर हमारे प्रदेश की लम्बाई में नहीं पड़ता है। चौड़ाई की वजह से अन्तर है। आगरे से जो मिनिस्टर दौरे पर टेहरी-गढ़वाल जायगा तो उसे अवश्य ज्यादा समय लगाना पड़ेगा बजाय लखनऊ से जाने में। इसी प्रकार से आगरे से दक्षिण की ओर चलेंगे तो भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिये यह बात अपनी जगह पर जंचती नहीं है।

इसके अतिरिक्त भाषा के आधार पर प्रांत के पुनर्निर्माण की बात कही गई। यह चित्र जो भाषा के आधार पर हमारे प्रांत को चार भागों में बांटता है टेहरी-गढ़वाल तथा अल्मोड़ा वालों की पहाड़ी भाषा बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी हिन्दी अर्थात् ब्रज भाषा में हमारे जिले अर्थात झांसी, रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन आ जाते हैं तीसरी भाषा के हिसाब से पूर्वी हिन्दी अर्थात् अवधी जिसमें लखनऊ और इलाहाबाद वगैरह आते हैं और चौथी भाषा बिहारी है जिसमें देवरिया, गोरखपुर वगैरह आ जाते हैं। इस प्रकार से भाषा के आधार पर हमारे प्रांत के चार भाग किये गये हैं। जब हम नये राज्य को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह चारों भाषाओं से मिलकर बना है तो भाषा के आधार पर भी कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

जिस समय आयोग का निर्माण हुआ तो भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन का विचार आयोग के सामने रखा गया था और यही नहीं कांग्रेस के प्रस्ताव पर भी बार-बार इस सदन में चर्चा की गयी है कि कांग्रेस की अपनी नीति थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण होना चाहिये। जब मैं इस दृष्टिकोण से अपने नये बनने वाले राज्य को देखता हूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे मोटे-मोटे कारण हैं जो मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के मस्तक वाले व्यक्ति पर भी प्रभाव नहीं डालते और मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं

[श्री महीलाल]

कि इस समय श्री श्रीचन्द्र जी यदि अपने प्रस्ताव पर जोर देते हैं तो गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो उनके संशोधन से हमारा हित नहीं होता। लेकिन जहां तक माननीय श्री श्रीचन्द्र जी के विरोध में जो कुछ भाषण माननीय साथियों की ओर से हुये जिनमें कुछ इस तरह के कटाक्ष और आक्षेप किये गये जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को चोट पहुंचा सकते हैं, उन पर मैं खेद प्रकट करता हूं। जैसे किन्हीं साहब ने माननीय श्रीचन्द्र जी को स्वर्गीय जिन्ना साहब कह दिया, किसी ने उनको मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति का कहा, एक आध साहब ने हृदय-हीन कह दिया। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। माननीय श्रीचन्द्र जी को मानने के लिए हमारी वही नीति और विचार होना चाहिये जो हमारे सदन के नेता ने अपने प्रस्ताव को पेश करते समय व्यक्त किये और मैं समझता हूं कि अगर हमारा वही दृष्टिकोण रहा तो वह समय दूर नहीं है कि जब कल माननीय श्रीचन्द्र जी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे। मैं भविष्य के लिये भी यह आशा करता हूं कि जब हमारे पूर्वी जिलों के भाई या हमारे मध्य के जिलों के भाई इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करेंगे तो उनके मस्तिष्क में कोई कटुता न आयेगी। यह तो विचार का प्रश्न है। अगर दिमाग में परेशानी हो तो यह जरूरी नहीं है कि हम सदा सत्य और सही बात को ही सोचें, गलत बात भी सोच सकते हैं। अगर गलत बात उन्होंने सोची है तो हमारे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के प्रस्ताव अथवा देश के नेताओं के निर्णय के बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि माननीय श्रीचन्द्र जी या उनके दूसरे साथी इस बात पर ज्यादा जोर दें और खासकर तब, जबकि हमारे देश में बम्बई और विन्ध्य-प्रदेश जैसी दुर्घटनायें सामने आ रही हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली, लखनऊ और आज सारे देश में जिस पार्टी की हुकूमत है उसने इस देश में जो बीज बोया है, मैं समझता हूं कि आज वह पनप रहा है और कहा नहीं जा सकता है कि इस देश का क्या होने वाला है। श्रीमन्, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे का विरोध यदि उस वक्त डट कर के कुर्सियों पर बैठने वाले हमारे दोस्तों ने किया होता तो आज हमारे देश में यह परिस्थिति पैदा न हुई होती। मैं कोई आक्षेप के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं श्रीमन्, लेकिन साफ कहना चाहता हूं कि देख कर लोगों की भावनायें बढ़ती हैं। हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी वहां पर आज झगड़ा है सिंधियों का, पंजाबियों का, बंगालियों का। आज सारे पाकिस्तान में बटवारे की मांग की जा रही है। मैं अपने विभाजन के समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा खयाल कीजिये कि अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है तो क्या यही बरबादी जो १६ जिलों का प्रान्त बनने वाला है उसमें न आ जायगी ? वहां के लोगों में क्या गरीबी नहीं है ? क्या वहां के लोगों में इस तरह की भावनायें नहीं हैं कि एक जाति दूसरी जाति पर जोर जमा कर शासन करे ? मेरा विश्वास है श्रीमन्, कि जो गंदगी पाकिस्तान में है वही गंदगी उस स्थान को भी प्रभावित करेगी। इसीलिये आज सदन में बहुमत से लोग इसका विरोध करते हैं। श्रीमन्, सदन में तीन दिन से जो विवाद चल रहा है, उसके निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं तो दो बातें पाते हैं। पहली तो यह कि शासन प्रबन्ध खराब है और दूसरी बात यह कही जाती है जो बहुत गौर तलब नहीं है। कहा जाता है कि पूर्वी जिलों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। श्रीमन्, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार को निकम्मी कहते हैं, वह आज तक इस ३।। साल तक इस सरकार की हमदर्दी में और इस सरकार की जी हजूरी में समय बिताते रहे हैं। श्रीमन्, मैं एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण यह सदन चाहे तो दे सकता हूं कि ऐसे ऐसे मौकों पर इन विभाजन चाहने वालों ने सरकार को ठीक किया होता तो आज यह कहने की नौबत न आती कि सरकार का इन्तजाम खराब है।

श्रीमन्, जहां तक शासन के प्रबन्ध का प्रश्न है श्री यादव जी ने और श्री जयपाल सिंह जी ने इस सरकार की भूरि-भूरि शासन प्रबन्ध की शिकायत की है। मैं आगे बढ़कर उनका समर्थन

करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि श्रीमती चन्द्रवती जी जो इस समय यहां पर मौजूद नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सिंचाई रेट के आन्दोलन को लेकर पच्छिम जिलों में हमारी पार्टी ने आन्दोलन किया, आगरा और मथुरा में शासन ने क्या क्या नहीं किया? माताओं और बहिनों की साड़ियां खिंचवाई गई और बलात्कार किये गये। इसी सदन में जब कामरोको प्रस्ताव रक्खा गया तो श्रीमन्, उस वक्त श्रीमती चन्द्रवती ने उसी सरकार का साथ दिया, जो सरकार अपने अफसरों से इस तरह का काम कराती है। मैं श्री यादव जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप शासन को ठीक करना चाहते हैं और उसको ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से और दिल से आपको सरकार के खिलाफ कोई बगावत का कदम उठाना पड़ेगा और उसके ऊपर कोई अंकुश लगाना पड़ेगा, किन्तु आप अंकुश नहीं लगाते हैं। आप विरोधी भावना को दबा कर अब यह कहते हैं कि हम अलग राज्य बनाकर शासन प्रबन्ध को ठीक करेंगे। एक इकाई को बना कर किसी प्रकार से यह नहीं किया जा सकता कि वहां की हुकूमत अच्छी हो सकती है। हुकूमत अच्छी होती है किसी सिद्धान्त पर। यहां की हुकूमत किसी सिद्धान्त पर नहीं है। यह किसी उद्देश्य को लेकर नहीं चलती है। यह नहीं चाहती कि हमारे देश में किसी संघर्ष का खात्मा हो। श्रीमन्, विभाजन के समर्थक लोग महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। श्री विकल जी ने और श्रीमती चन्द्रवती जी ने दुहाई दी है कि महात्मा गांधी और श्री जवाहर लाल नेहरू ने सन् २१ में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये। श्रीमन्, विभाजन शब्द कुछ कड़वा शब्द है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि जमीन का कोई मुआविजा नहीं मिलना चाहिये। जमींदारी के खात्मे के बाद जमीन किसानों में बाँट देनी चाहिये। लुई फिशर से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम जमीन लेंगे और उसका बटवारा करेंगे। क्यों नहीं श्री वीरेन्द्रपति यादव जी अपनी सरकार से इस बात को कहते कि जमीन का बटवारा होना चाहिये। जब इस तरह का कोई प्रस्ताव इस सदन में हमारी ओर से आता है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार को आप उचित रास्ते पर लाना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दीजिये। विभाजन चाहते हैं तो किसका विभाजन किया जाय? सब जगह गरीबी फैली हुई है। पूर्वी जिलों को देखिये या पहाड़ी जिलों को देखिये या दक्खिनी जिलों को देखिये सब जगह गरीबी ही गरीबी है। मैं विभाजन के समर्थकों से जानना चाहता हूं कि सन् १९५२ के पहले पूर्वी जिलों में प्रदेशीय सरकार के बजट से कितना रुपया व्यय किया गया है? ये हिस्से अंग्रेजी और देशी राज्य के उपेक्षित रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ७ मिनट आप बोल चुके हैं, कल फिर ८ मिनट आप बोल सकते हैं। केवल ८ मिनट आपका समय रह गया है

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ नवम्बर, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

थाना हरगांव जिला सीतापुर में जनवरी, १९५३ से ३१ अगस्त, १९५५ तक होने वाले कत्ल और डकैतियों का विवरण

थाना	अपराध	रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजायाब हुये	रिहा हुये	जेर तजवीज है	लापता
१	२	३	४	५	६	७	८
हरगांव	कत्ल	६	३	..	३	..	३
हरगांव	डकैती	१४	१३	६	२	५	१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

उत्तर प्रदेश में सन् १९५४ में होने वाली डकैतियों, चोरियों और कत्ल का विवरण।

जिला	डकैती	चोरी	कत्ल
आगरा प्रान्त			
देहरादून	..	३५०	९
सहारनपुर	२७	५९४	२८
मुजफ्फरनगर	२०	३२४	३१
मेरठ	३१	९७५	४७
बुलन्द शहर	४०	३०६	५०
योग, मेरठ कमिश्नरी	११८	२५४९	१६५
अलीगढ़	३९	६३८	५२
मथुरा	१९	३४४	१५
आगरा	२४	६९०	३१
मैनपुरी	३२	२६६	३७
एटा	५०	३३३	५३
योग, आगरा कमिश्नरी	१६४	२२७१	१८८
बरेली	२०	७५९	३९
बिजनौर	११	१९७	२४
बदायूं	३५	३३७	४७
मुरादाबाद	१२	५६९	४६
शाहजहांपुर	१९	३६२	४९
पीलीभीत	११	१६२	२०
रामपुर	५	३६१	१२
योग, रुहेलखंड कमिश्नरी	११३	२७४७	२३७
फर्रुखाबाद	२५	३१८	५९
इटावा	१०	३८८	२१
कानपुर	२२	१७१९	५१
फतेहपुर	८	२३४	४०
इलाहाबाद	२६	१२१४	४६
योग, इलाहाबाद कमिश्नरी	९१	३८७३	२१७

जिला					डकैती	चोरी	कत्ल
बांदा	..	..	..	..	१५	१८८	१८
हमीरपुर	..	..	..	..	९	१४९	३१
झांसी	..	..	..	..	११	२१३	२४
जालौन	..	..	..	..	१२	१७१	१८
		योग, झांसी कमिश्नरी		..	४७	७२१	९१
बनारस	..	..	..	..	११	१०५०	३३
मिर्जापुर	..	..	..	..	९	२९४	३५
जौनपुर	..	..	..	..	११	३२२	२६
गाजीपुर	..	..	..	..	४	२६८	९
बलिया	..	..	..	..	८	१७२	९
		योग, बनारस कमिश्नरी		..	४३	२१०६	११२
गोरखपुर	..	..	..	..	१३	६३३	३१
बस्ती	..	..	..	..	८	२१४	१९
आजमगढ़	..	..	..	..	१२	२८६	२२
देवरिया	..	..	..	..	३४	३१६	२२
		योग, गोरखपुर कमिश्नरी		..	६७	१४४९	९४
नैनीताल	..	..	..	..	१३	२७३	९
अल्मोड़ा	..	..	..	..	..	२०	..
गढ़वाल	..	..	..	..	..	३७	५
		योग, कुमायूं कमिश्नरी		..	१३	३३०	१४
		योग, आगरा प्रान्त					
अवध							
लखनऊ	..	..	..	..	२५	१६०३	५३
उन्नाव	..	..	..	..	१३	३७९	६५
रायबरेली	..	..	..	..	२८	२३७	२९
सीतापुर	..	..	..	..	२६	३६२	५६
हरदोई	..	..	..	..	२६	४७६	५५
खेरी	..	..	..	..	२२	३३१	४०
		योग, लखनऊ कमिश्नरी		..	१४०	३३८८	२९८

जिला	डकैती	चोरी	कत्ल
फैंजाबाद	२०	४५०	२८
गोंडा	१४	४२५	२७
बहराइच	९	४२४	१५
सुलतानपुर	१६	२२४	२०
प्रतापगढ़	१८	११५	२१
बाराबंकी	२४	३१२	५९
योग, फैंजाबाद कमिश्नरी ..	१०१	१९५०	१७०
जी० आर० पी० ..	४	३२७९	६
योग, संयुक्त प्रान्त ..	९०१	२४६६३	१५९२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

सूची 'क'

पिछड़ी जातियों की सूची, जिन्हें सरकारी नौकरियों में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं :

१—अरख
२—बन्जारा
३—भर
४—बिन्द
५—मोटिया
६—छीपी
७—झोझा
८—जुलाहा (अनसार)
९—कोरी
१०—कुंजड़ा
११—लुनिया या नुनिया
१२—मनिहार
१३—मुराउ
१४—नायक
१५—धुनियां

सूची 'ख'

पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें केवल शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती है

हिन्दू	मुसलमान
१—नाई	१—रंगरेज
२—लोहार	२—मीरासी
३—सुनार	३—डफाली
४—तेली	४—भटियारा
५—कुम्हार	५—फकीर
६—भर	६—नद्दाफ़ (धुनिया)
७—नायक	७—दर्जी
८—गड़रिया	८—मोमिन (अनसार)
९—दर्जी	९—हज्जाम (नाई)
१०—कोरी (आगरा, मेरठ, रुहेलखंड डिवीजन में)	१०—भंगी
११—काछी	११—कसगर
१२—बंजारा	१२—नक्काल
१३—छीपी	१३—मुसलिम कायस्थ
१४—जोगी	१४—मनिहार
१५—गूजर	१५—नट
१६—माली	१६—बढ़ई
१७—कहार	१७—कुंजड़ा
१८—मनिहार	१८—गद्दी
१९—बढ़ई	१९—किसान
२०—धीवर	२०—चिकवा (कस्साब)
२१—गुसाईं	२१—झोझा
२२—किसान	
२३—भूरजी या भरभूंजा	
२४—बैरागी	
२५—तमोली	
२६—कोइरी	
२७—अरख	
२८—कुर्मी	
२९—अहीर	
३०—लोध	
३१—हलवाई	
३२—मुराउ या मुराई	
३३—केवट या मल्लाह	
३४—लुनिया	
३५—बारी	
३६—दुसाध	
३७—बिन्द	
३८—मोटिया	

पुनश्च: कुमाऊं डिवीजन में मरछा, नायक, गिरी और पिछड़े मुस्लिम भी पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत समझे जावेंगे।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ व ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर)

सन् १९४२ मे जिला बनारस के धानापुर काण्ड में मारे गये चार पुलिस वालों के परिवारों को दी हुई पेन्शनों आदि का विवरण---

---

१---सब-इन्सपेक्टर, श्री अनवारुल हक।	(अ) विधवा पत्नी को पुनर्विवाह या मृत्यु तक। (जो भी पहले हो) २६ रु० ११ आना प्रतिमास की पेन्शन तथा ३२० रु० की ग्रेचुइटी।
	(ब) दोनों लड़कों मे से प्रत्येक को १८ वर्ष की अवस्था हो जाने तक ४ रु० प्रतिमास की पेन्शन।
	(स) चारों पुत्रियों में से प्रत्येक को विवाह या २१ वर्ष तक की अवस्था हो जाने तक (जो भी पहले हो) ४ रु० प्रतिमास की पेशन।
२---हेड कान्सटेबुल, श्री अबुल खैर।	(अ) विधवा पत्नी को मृत्यु या पुनर्विवाह पर्यन्त (जो भी पहले हो) १० रु० प्रतिमास की पेन्शन तथा १२० रु० की ग्रेचुइटी।
	(ब) एक पुत्र को १८ वर्ष की अवस्था हो जाने तक ४ रु० प्रतिमास की पेन्शन।
	(स) एक पुत्री को विवाह या २१ वर्ष की अवस्था हो जाने तक (जो भी पहले हो) ४ रु० प्रति मास की पेन्शन।
३---कान्सटेबुल, मुहम्मद अब्बास खान	(अ) विधवा पत्नी को पुनर्विवाह या मृत्यु तक (जो भी पहले हो) ६ रु० प्रति मास की पेन्शन तथा ६० रु० की ग्रेचुइटी।
	(ब) दोनों पुत्रों में से प्रत्येक को १८ वर्ष की आयु तक ३ रु० प्रतिमास की पेन्शन।
	(स) एक पुत्री को विवाह या २१ वर्ष की अवस्था हो जाने तक (जो भी पहले हो) ३ रु० प्रतिमास की पेन्शन।
४---कान्सटेबुल, श्री वसी अहमद।	(अ) दोनों विधवा पत्नियों में से प्रत्येक को पुनर्विवाह या मृत्यु तक (जो भी पहले हो) ६ रु० प्रति मास की पेन्शन तथा ३६ रु० की ग्रेचुइटी।
	(ब) एक पुत्र को १८ वर्ष की अवस्था हो जाने तक ३ रु० प्रति मास की पेन्शन।
	(स) एक पुत्री को २१ वर्ष की आयु या विवाह हो जाने तक (जो भी पहले हो) ३ रु० प्रतिमास की पेन्शन।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

ग्राम पनगरा, तहसील नरैनी, जिला बांदा मे तारीख १२-७-१९५५ की रात को हुई घटना का विवरण

दिनांक १२-७-१९५५ की रात को सर्व श्री रामेश्वर प्रसाद, रामानन्द तथा जगदेव प्रसाद ने थाना नरैनी पर रिपोर्ट की कि ग्राम पनगरा के सरपंच ने उन लोगो को नुकसान पहुंचाने के लिये कुछ बदमाश इकट्ठा किये ह और पनगरा जाने मे उनकी जान का खतरा है। इस पर २ सशस्त्र कान्सटेबुल तथा कुछ अन्य व्यक्ति लारी से उनके साथ गये। पनगरा के करीब नहर को पटरी पर टार्च की रोशनी दिखाई दी और बन्दूक के फायर की भी आवाज सुनाई दी। श्री रामेश्वर प्रसाद आदि ने कहा कि उनके ऊपर गोली चलायी जा रही है। इस पर पुलिस ने उनको आश्वासन देने के लिये ३ हवाई फायर किये। श्री रामानन्द आदि अकेले घर जाने को तैयार न थे अतः मोटर नरैनी की ओर मोडी गयी किन्तु इन्जन मिस फायर कर के वहीं रुक गया। थाना नरैनी से कुछ पुलिस और बुलायी गयी और इन लोगो को घर पहुंचा दिया गया। जाच करने पर किन्ही डाकुओं का श्री रामानन्द आदि को नुकसान पहुंचाने के लिये जमा होना नही पाया गया। नहर पर जो रोशनी देखी गयी थी वह ठेकेदार तथा ओवरसियर के टार्च की थी जो कि इन्जीनियर साहब से मिल कर जा रहे थे।

———————

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

जिला उन्नाव में १ जनवरी सन् १९५४ से ३१ जुलाई सन् १९५५ तक हुई हत्याओं का विवरण—

क्रम-संख्या	मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई	मामलों की संख्या जिनमे जांच की गई	मामलों की संख्या जिनमे चालान किया गया	मामलों की संख्या जो सजा-याब हुए	मामलों की संख्या जो छूट गए	मामलों की संख्या जो अदालत मे विचारा-धीन हैं	मामलों की संख्या जिनकी अभी जांच हो रही है	मामलों की संख्या जो लापता रहे और जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	१०१	१०१	६७	१९	१९	२९	४	३०

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ व ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

जिला बांदा मे सन् १९५४ और १९५५ मे हुये कत्लों का विवरण

क्रम-संख्या	तहसील	रिपोर्ट हुए	चालन किये गये	सजा हुई	छुट गये	न्ययालय में विचाराधीन	जांच जारी है	लापता रहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	१९५४							
१	बांदा	१२	१०	५	२	३	..	२
२	बबेरू	१४	१२	३	५	४	.	२
३	करवी	८	७	४	२	१	..	१
४	मऊ	१०	९	३	५	१	..	१
५	नरैनी	७	५	३	२	..	..	२
	१९५५							
१	बांदा	१२	६	.	..	६	१	५
२	बबेरू	१४	९	..	१	८	..	५
३	करवी	२	१	..	१	..	१	..
४	मऊ	५	५	..	१	४	..	..
५	नरैनी	७	६	..	..	६	१	..

पी०एस०यू० पी० ए० पी०—१४४ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अंममान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री

विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

पोलियोटेक्निक इन्स्टीट्यूट, नैनीताल पर व्यय

*१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल में पोलियोटेक्निक इन्स्टीट्यूट खोला जा रहा है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा अब तक हुआ है और कितना वार्षिक होगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां, अब तक ५८,०५३ रु० व्यय हुआ है। सन् १९५५-५६ के लिये वार्षिक अनुमानित व्यय १,९३,४५५ रु० है।

*२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने व्यक्तियों को प्रारम्भ में इस संस्था में भर्ती किया जावेगा और उसमें कितने हरिजन होंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—कुल ७५ व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे जिनमें ७० प्रतिशत हरिजन होंगे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस संस्था के ऊपर यह वार्षिक खर्च क्यों पड़ रहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह संस्था तो अभी खुल ही रही है लिहाजा इसमें नान-रिकरिंग एक्सपेंडीचर तो जरूरी ही ज्यादा होगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह ५८ हजार, ५३ रुपया जो व्यय किया गया वह कब से कब तक व्यय हुआ है?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह खर्च ५-६ मास में हुआ है क्योंकि तमाम इक्विपमेंट और मशीन वगैरह मंगाना पड़ा है।

*३—**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४—श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—[१४ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५-७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[१४ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*८-१०—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१४ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ५०-५२ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*११—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया ।]

*१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में हरिजन प्राइमरी पाठशालाएं तथा वाचनालय

*१३—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने हरिजन प्राइमरी पाठशाला हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—११ ।

*१४—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने हरिजन वाचनालय कहां-कहां चल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—गाजीपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों में हरिजन वाचनालय चल रहे हैं :—

१—सदियाबाद
२—सलारपुर
३—बैजनाथ का चौक ।

श्री यमुनासिंह—क्या मंत्री जी बताने की का कष्ट करेंगे कि इन हरिजन पाठशालाओं में इस समय कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने ट्रेन्ड हैं और कितने अनट्रेन्ड हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री यमुनासिंह—क्या यह सत्य है कि इन हरिजन स्कूलों में जो अध्यापक कार्य करते हैं उनको ट्रेन्ड अध्यापकों का ग्रेड नहीं दिया जाता ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने पहले ही कहा है कि इसकी सूचना चाहिये ।

गाजीपुर तहसील की राजकीय प्रारम्भिक पाठशाला

*१५—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तहसील में कितनी राजकीय प्रारंभिक पाठशालायें हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—केवल एक ।

श्री यमुनासिंह—वह पाठशाला किस स्थान पर है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह लड़कियों का एक जूनियर हाई स्कूल है । स्थान के लिये सूचना चाहिये ।

हरिजन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देने के लिये जिला बोर्डों को सहायता

*१६—श्री अमृतनाथ मिश्र (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड की पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन बालकों के लिये सरकार द्वारा बिना मूल्य वितरण करने वाली पुस्तकें इस वर्ष कितनी खरीदी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार जिला बोर्डों को उनकी पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों में वितरण करने के लिये कोई पुस्तकें नहीं खरीदती । जिला बोर्ड स्वयं खरीद कर छात्रों में पुस्तकें बांटते है और इसके लिये सरकार उनको अनुदान देती है ।

ग्राम सेवक तथा सेविकाओं का वेतन

*१७—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलेज लेविल वर्कर्स (ग्राम सेवक) तथा महिला ग्राम-सेविका को प्रतिमास वह कितना वेतन व महंगाई देती है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो ग्राम सेविकाएं काम करती है उनका वेतन-क्रम ३५-१॥-४५-२-६५ रु० है । उनको महंगाई २० रु० प्रति मास की दर से मिलती है। नियोजन विभाग के अन्तर्गत जो ग्राम सेवक तथा महिला ग्राम सेविका काम करती है उनका वेतन-क्रम, ५-५-१२० रु० है। उनको १० रु० प्रति मास की दर से यात्रिक भत्ता (traveling allowance) मिलता है। महंगाई की दर १०० रु० तक पाने वालों के लिये २५ रु० और १०० रु० से अधिक पाने वालों के लिये ३० रु० है ।

*१८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[१४ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट परीक्षा में महिलाओं के लिये पूरी फीस

*१९—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडियट परीक्षा के लिये छात्राओं को आधी फीस देने की सुविधा, जो इस वर्ष हटा ली गयी है, उन्हें कब से दी जा रही थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९३१ से ।

*२०—श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार यह बतायेगी कि उपर्युक्त सुविधा हटा लेने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अन्य बोर्डों में यह सुविधा नहीं दी जाती, इसलिये इस सुविधा की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि अब तक जो सहायता दी गयी, क्या वह गलत काम किया गया और अगर नहीं, तो आगे भी वह क्यों न जारी रखी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सहायता प्रोत्साहन के लिये दी जाती थी और अब उसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

महिलाओं की शिक्षा-उन्नति के लिये सुविधायें

*२१—श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि वह महिलाओं की शिक्षा उन्नति के लिये क्या-क्या विशेष सुविधायें व साधन प्रदान कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सीताराम शुक्ल--यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह कहना मुश्किल है कि कब तक एकत्र हो जायगी, क्योंकि जितनी सूचना मांगी गयी है उसमें समय लगना स्वाभाविक है ।

*२२-२३--**श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले में पिछड़ी जातियों के कृषि-विकास-हेतु अनुदान

*२४--**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सच है कि जिला मिर्जापुर में पिछड़ी जातियों के कृषि-विकास-हेतु ५,००० (पांच हजार) रुपया का अनुदान इस वर्ष दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

*२५--**श्री रामकृष्ण जैसवार**--क्या यह ठीक है कि अभी तक उक्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । इसका कारण यह है कि इस अनुदान के वितरण की नियमावली बन रही है । तथापि इस बीच में इस अनुदान के प्रयोग-हेतु आज्ञा जारी की जा रही है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कुआं उस वक्त तक तैयार नहीं हुआ तो क्या मार्च के बाद यह रुपया लैप्स नहीं होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस रुपये के लैप्स करने का सवाल नहीं है इसलिये कि इसी साल वह वहां भेजा गया था । यह कुआं जल्दी ही बन जायगा । मैं समझता हूं कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा । यह तो निश्चय है ही कि यह लैप्स नहीं होगा ।

जालौन जिले में हरिजनों को घरेलू धंधों के लिये हरिजन कल्याण विभाग से सहायता

*२६--**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् ५२ से अब तक प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता हरिजनों को घरेलू उद्योग-धंधों के लिये दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जिला जालौन के हरिजनों को सन् ५२ से औद्योगिक कारोबार को प्रारम्भ करने के लिये प्रति वर्ष निम्नलिखित धनराशि वितरित की गई :--

				प्रदेशीय सरकार द्वारा	भारत सरकार द्वारा
१९५२-५३..	..	..	..	..	..
१९५३-५४..	..	..	..	२५०	..
१९५४-५५..	..	..	..	६५०	५००

श्री बसन्तलाल--क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ढाई सौ रुपये ५३-५४ को मिले हैं एक ही व्यक्ति को वह मिला है और किस उद्योग के लिये मिला है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना चाहिए ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या जिन कार्य के लिये इतना धन दिया गया है, वह सुचारुरूप से चल रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आयी कि वह कार्य नहीं चल रहा है ।

श्री बसन्तलाल--सन् ५४-५५ मे जो रुपया भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार ने हरिजनों को इन कार्य के लिये मिला है वह किनको मिला है और किन उद्योगों के लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसके लिये भी सूचना चाहिये ।

*२७-२८--**श्री बसन्तलाल**--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३०--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३२--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

जूनियर हाई स्कूलों में निःशुल्क विद्यार्थियों का प्रतिशत

*३३--**श्री शिवपूजन राय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूलों मे कितने प्रतिशत बच्चों की फीस मुआफ होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ११५ तथा ११६ के अनुसार समस्त सहायता प्राप्त और राजकीय शिक्षा संस्थाओं मे (जिनमे जूनियर हाई स्कूल भी सम्मिलित है) १० प्रतिशत छात्रों को पूर्ण शुल्क और १५ प्रतिशत छात्रों को अर्द्ध शुल्क की छूट दी जाती है ।

जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों मे यह प्रतिशत 'स्वयं' परिषदों द्वारा ही जिला शिक्षा परिषद् नियम ८५ के अन्तर्गत निश्चित किया जाता है ।

*३४-३६--**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

कोली जाति के सम्बन्ध मे पूछताछ

*३७--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोली जाति पिछड़ी हुई जाति मे रहने पर भी उसके साथ परिगणित जातियों की भांति ही व्यवहार किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हुई जातियो के वर्गीकरण सूची के अनुसार कोली नाम की कोई भी जाति नही है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि कोरी जाति पिछड़ी हुई जाति मे है या परिगणित जाति मे है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यहां कोली जाति के बारे मे पूछा गया था मने यह बतलाया कि कोली नाम की कोई जाति नही है । कोरी जो है वह तो कानून से शिड्यूल्ड कास्ट मे है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि गवर्नमेंट के जी० ओ० के अनुसार कोरियों के लिये पूर्वीय जिलों मे सुविधा अलग है और पश्चिमी जिलों मे अलग है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पूर्वी जिलों में कोली नहीं होते और न कोरी होते हैं। कोयरी होते हैं जो पिछड़ी हुई जाति में सम्मिलित हैं शिड्यूल कास्ट में नहीं हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कोरी जाति को वह सुविधा दी जाती है जो शिड्यूल कास्ट को दी जाती है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरे ख्याल में कोरी शिड्यूल कास्ट में हैं इसलिये उनको वही सुविधा दी जाती होगी। अगर वे शिड्यूल कास्ट में नहीं हैं तो बैकवर्ड क्लास में होंगे तो उनको वही सुविधा दी जाती होगी।

श्री जोरावर वर्मा--अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोरी शिड्यूल्ड कास्ट में है तो क्या यह सही है कि वह शिड्यूड कास्ट में नहीं है?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सूचना दे सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, मैं खुद इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि वह शिड्यूल कास्ट में है या बैकवर्ड में है, लेकिन वह इन दोनों में से एक में जरूर है।

*३८-३९--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०-४२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले की हरिजन सहायक उपसमिति में विधायकों की सदस्यता के लिये मांग

*४३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)-- क्या सरकार को पता है कि मैनपुरी जिले में जो हरिजन सहायक उप-समिति है, उसमें पिछड़ी हुई जाति के एम० एल० ए० मेम्बर नहीं हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में हरिजन सहायक समिति में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों, उनको छात्रवृत्ति और पिछड़ी हुई जनता को पैसे से सहायता देने के प्रश्न पर विचार हुआ करता है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, हरिजन सब-कमेटी से सब कुछ होता है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलायेगी कि मैनपुरी में विधान सभा के सदस्यों को इस समिति का मेम्बर बनाने के प्रश्न पर विचार सरकार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसके मेम्बर्स बनाया करते हैं और इसमें असेम्बली के मेम्बरान और विशेष कर शिड्यूल कास्ट के जो मेम्बर होते हैं वह जरूर उसमें रहते हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--बैकवर्ड क्लास के एम० एल० एज० को ऐसी उपसमिति में न रखने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वह न रखे जायं, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां हैं और बहुत से ऐसे जिले भी हैं जहां नहीं भी हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिन जिलों में ऐसी उपसमितियों में बैकवर्ड क्लासेज के एम० एल० ए० नहीं है वहां उनको लेने की नसीहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह सिर्फ इसलिये है कि शायद वह कमेटी बहुत बढ़ जाय इस बात की आशंका है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार इस बात के लिये आदेश देगी कि हरिजन सदस्यों की भांति बैकवर्ड क्लासेज के सदस्य भी उसमें हुआ करें ?

श्री अध्यक्ष--सवाल पूछा जा चुका है और उसका जवाब भी मिल चुका है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह सत्य है कि इस विधान सभा के बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि एम० एल० एज० ने मंत्री जी के समक्ष यह बात रक्खी थी कि बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि उस समिति के सदस्य होने चाहिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, यह बात कही थी और जैसा उत्तर दिया यह कोई बात नहीं है कि न रक्खे जायं। बहुत सी जगहों पर रक्खे भी गये हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से यह कर दिया जाय कि सब असेम्बली और पालियामेंट के मेम्बरान भी उसके सदस्य होंगे तो संभव है वह कमेटी काफी बड़ी हो जाय।

*४४--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५--**श्री रामकृष्ण जैसवार**--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६--४७--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)--[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रामपुर जिले में राजकीय जूनियर विद्यालय शाहाबाद को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने का विचार

*४८--**श्री कृष्णशरण आर्य**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के राजकीय जूनियर विद्यालय, शाहाबाद को उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बनाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक सरकार का यह विचार कार्यान्वित होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हा, इस पर द्वितीय पचवर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या यह सत्य है कि यह प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में रक्खा गया है इसलिये अगले वर्ष बजट में यह आ जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उस पर विचार हो रहा है। अगर पहले ही वर्ष में उसको लेना होगा तो पहले वर्ष में कर दिया जायगा।

*४९--५०--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१--५३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रदेश मे आदिवासियों को सुविधायें

'५४—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार प्रश्न संख्या ४५ दिनांक ६–६–५५ के सम्बन्ध मे बतायेगी कि उत्तर प्रदेश मे आदिवासियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार जिलेवार एक सूची मेज रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर प्रदेश मे आदिवासियों की कुल संख्या ६८,०३६ है। इनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

'५५—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि इन आदिवासियों मे से किन-किन को Scheduled Caste व Scheduled Tribes की भांति संरक्षण व सुविधायें दी जाती है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इन आदिवासियों मे से निम्नलिखित जातियों को ऐसी सुविधाये उपलब्ध है —

बनमानुष, गौड, कौल, खरवार, चेरो, अगारिया, घासिया, महर, अवैजा, ढंगर, धरीकर, भूयाण, वादी, पथारी, पनीका, खराही, कोल, कारवा, मजाही तथा बनरावत।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेगे कि ये सुविधाये इन आदिवासियो को कब से दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ये तो काफी दिनों से दी जा रही है। जब से शेड्यूल्ड कास्ट को दी जाती है तब से इनको दी जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि इन जातियों की जो गणना की गयी है वह सन् ५२ से की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, मुमकिन है ५१–५२ से हुई हो।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि बांदा जिले मे रहने वाले जो आदिवासी है उनको भी पिछड़ी जाति, शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह से सुविधाये दी जाती है।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो सुविधाये है वे सभी को दी जाती है।

श्री झारखडे राय—क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के हेतु जिलेवार जो आदिवासियो की सूची है उसे पढ़ कर सुना देगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—रायबरेली, महाराजगंज– ३५, बांदा– १०,६२०, प्रतापगढ़ – २,०००, मिर्जापुर (राबर्ट्सगंज तथा दूधी) – ८२,०८२, अल्मोड़ा–२५०, बहराइच–३,०३१ तथा बलिया – १८।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि कुछ दिन पहले माननीय जगपति सिंह सवाल के जवाब मे जो आदिवासियों के बारे मे था बांदा जिले के उन्होंने यह कहा था कि उनको कोई सुविधा नही दी जाती है और न उनका आदिवासियों की लिस्ट मे कोई नाम ही है तो वह जवाब सत्य है या जो आज कहा कि दी जाती है यह सत्य है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिन जातियों का नाम लिया गया है उन सबको शायद न दी जाती हों लेकिन जिनका नाम इसमे दिया हुआ है उन सब को दी जाती है।

श्री झारखंडे राय—[illegible] रहते हैं, [illegible]

श्री हरगोविन्द सिह—[illegible] मुमकिन है कि छूट गये हो।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह [illegible] थी या कहीं से आयी है ?

श्री हरगोविन्द सिह—मेरा ख्याल है कि बहुत पहले से रहती है यह जातियां। लेकिन आजकल भी हो सकता है अब बाहर से आयी है। ऐसी बात नही है। यह जातियां बहुत दिनो से है भी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जालौन जिले मे स्थायी रूप मे बहुत से कुम्हार रहते है उनको इस सूची मे क्यो शामिल नही किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिह—हा, रहती तो है। लेकिन सूची मे उनका नाम तो है नही। मुमकिन है कि छूट गया हो।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इसी सदन मे उन्होने एक प्रश्न के उत्तर मे कहा था कि उत्तर प्रदेश मे कोई अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते है ? वह उनका उत्तर सही था या जो आज दिया गया है वह सही है ?

श्री अध्यक्ष—अनुसूचित जाति।

श्री जोरावर वर्मा—आदिवासी अनुसूचित जाति है ?

श्री हरगोविन्द सिह—आदिवासी जहा तक मेरा ख्याल है अनुसूचित जाति मे अब भी नही होते।

[१५६–१५८—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

नायक क्षत्रिय सुधार सभा, कुमायूं का आवेदनपत्र

१५९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास नायक क्षत्रिय सुधार सभा, कुमायूं का कोई आवेदन-पत्र नायक समाज के भविष्य एवं सम्बन्धित सुधार के बारे मे आया है ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र मे उल्लिखित मुख्य-मुख्य बाते क्या है और उनके सम्बन्ध मे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

उक्त आवेदन-पत्र दिनांक, ३० मार्च, १९५५ मे उल्लिखित मुख्य बाते निम्नलिखित है—

१—नायक परिवारो को जीवन निर्वाह के लिये नैनीताल जिले की तराई मे भूमि दी जाय।

२—नायक जाति के बच्चो की शिक्षा के वास्ते १०,००० रु० वार्षिक नायक क्षत्रिय सुधार सभा, कुमायूं के सुपुर्द कर दिया जाय।

३—नायक बच्चो को सरकारी संरक्षण द्वारा औद्योगिक शिक्षणालयो मे प्रवेश किया जाय।

४--रेस्क्यू आफिसर का पद समाप्त कर दिया जाय और नायक लड़कियों का रेस्क्यू कार्य कुमाऊं के एस० पी० को दे दिया जाय ।

५--नायक सुधार के कार्य को तीव्र गति देने के निमित्त सभा को ६,००० रु० वार्षिक सहायता दी जाय ।

यह सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी अपनी डिस्क्रुशनरी ग्रांट में से नायक जाति के सुधार के लिए वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कुछ ग्रांट देंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस तरह का कोई सुझाव आयेगा तो विचार करेंगे ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री महोदय के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिनसे पता लगे कि कुमायूं में नायक जाति की संख्या कितनी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नायक जाति के सुधार के लिए जो इस सदन ने नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट बनाया था उसके अनुसार बनायी गयी ऐडवाइजरी कमेटी कार्य नहीं कर रही है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में वह क्या कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । इस तरह का कानून बना है । उसके सिलसिले में ऐडवाइजरी कमेटी का इस समय क्या स्थान है, मुझे नहीं मालूम । परन्तु मैं इसके बारे में मालूम करके आपको बतला सकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस नायक क्षत्रिय सुधार सभा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने के लिए विशेष अवसर निकाल कर इन मांगों पर शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । हमने उनके प्रतिनिधि को बुला रखा है ।

बनारस जिले में भदोही बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों के अध्यापकों का नवीन वेतनक्रम के लिये आवेदन-पत्र

*६०--**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि भदोही तहसील, जिला बनारस के राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल सब-बोर्ड भदोही में १-८-५५ से मिला दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

*६१--**श्री बेचनराम गुप्त**--क्या यह सही है कि इन स्कूलों के अध्यापकों को सरकार ने सेवा कार्य से मुक्त कर दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

श्री बचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि सब-बोर्ड भदोही इन अध्यापकों को अपने ग्रेड का न्यूनतम वेतन देना चाहता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । ऐसी सूचना मिली तो है ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि सरकार इन अध्यापकों को जो वेतन दे रही थी सब-बोर्ड भदोही को सिपुर्द करने के पहले, उसके हिसाब से जोड़ कर के अनुदान दे रही

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । अनुदान वही दिया जा रहा है ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह ज्ञात नहीं है कि अध्यापकों ने सरकार के यहां दरख्वास्त दी है कि उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वह ग्रेड जोड़ कर मिलना चाहिए जितने दिनों तक वह सरकार की सेवा कर चुके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, उन्होंने दरख्वास्त शायद दी है, मुझे यह ख्याल नहीं है कि यह उसमें है या नहीं, लेकिन वह यह कहते हैं कि हमारा सेवा काल जो विलीन काशी राज्य में था वह हमने जोड़ दिया जाय और उस पर जो हमको वेतन मिलना चाहिए वह मिले।

श्री राजनारायण--क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या कारण है जिनकी वजह से यह राजकीय पाठशालायें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दी गई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां। वह कारण यह है कि एक ही जिले में कुछ प्राइमरी पाठशालायें तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर रहें और कुछ राजकीय रहें, यह असंगत बात है, इसलिए जिससे कि उनका प्रबन्ध ठीक रहे, वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दी गई ?

श्री राजनारायण--क्या जो अध्यापकों की तनख्वाहों का अन्तर हो रहा है इसके बारे में सरकार बतायेगी कि यह कब तक खत्म किया जा सकता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई तनख्वाहों में अन्तर नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि और भी राजकीय जूनियर हाई स्कूल हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा नहीं संचालित हो रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं। जितनी राजकीय प्राइमरी पाठशालायें खुली थीं वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को हस्तांतरित कर दी गई।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन मास्टरों की दरख्वास्तों पर क्या करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसमें स्थिति यह है कि जब काशी राज्य विलीन हुआ था तो उसमें मास्टरों की तीन श्रेणियां थीं एक तो विलीन होने के पहले जो परमानेंट थे, और दूसरे जो परमानेंट नहीं थे। तीसरे वह थे जो विलीनीकरण के बाद एप्वाइंट हुए थे उन स्कूलों में। तो जो परमानेंट थे वह तो परमानेंट हैं और मर्जर की शर्तों के लिहाज से उनके लिए तो सरकार के लिए यह बाध्य था कि उनको वही तनख्वाह दी जाय। दूसरे लोगों के लिए यह था कि या तो उनको कंपेंसेशन और ग्रेच्युइटी दे दीजिए, तो उनको कम्पेंसेशन और ग्रेच्युटी दे दी गई और या अगर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नौकरी करना चाहते हों तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने स्केल में उनको फिर से नौकर रख सकता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था राजकीय जूनियर [हाई] स्कूल के संबंध में, तो क्या बनारस के अन्तर्गत ऐसे राजकीय जूनियर हाई स्कूल अब भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये अब भी संचालित नहीं हो रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसे जूनियर हाई स्कूल राज्य सरकार के तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई होगा भी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही संचालित होता होगा।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक मुक्त कर दिये गये हैं सेवाओं से, तो क्या उनमें कोई ट्रेन्ड अध्यापक भी थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुमकिन है अनट्रेन्ड भी रहें हों।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि मास्टरों की पेंशन, ग्रेच्युटी और वेतन के विषय में सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली है उसका यह मतलब कभी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब की नियुक्ति न्यूनतम वेतन पर ही करें ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इन तीन श्रेणियों में पहली श्रेणी के जो परमानेंट लोग थे तो वह उसी वेतन पर रखे गये, लेकिन इनके जो दो मर्जर की शर्तों के लिहाज से ग्रेच्युटी और काम्पेन्सेशन दे दिया गया है। अगर फिर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नौकरी करना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अख्तियार है कि वह अपने मातहत वेतन से उनको रख सके।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार पूरा अनुदान देती है और उसी के आधार पर पहले वह तनख्वाहें देते थे, तो अब उसमें अन्तर क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिखेगी कि उसी रेट से तनख्वाह दे?

श्री हरगोविन्द सिंह--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उसमें कुछ दिक्कत समझ में आती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने टीचरों को कई ग्रेड नहीं दे सकता। वह अपने कुल टीचरों को एक ही ग्रेड देगा और अगर वह टीचर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी करेंगे तो उनको वही ग्रेड लाजमी होगा जो सब को देता है। और चूंकि उस ग्रेड को देने से उसको इन्कार हो सकता है, इसलिए यदि हम अनुदान देते हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं कि अगर टीचर्स रखिये तो यही तनख्वाह दीजिये।

प्रादेशिक त्रिदल सम्मेलन, नैनीताल का, श्रमिकों के वेतन, बोनस संबंधी निर्णय

*६२--**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ ई० में नैनीताल में प्रान्तीय सरकार के निमंत्रण पर कोई प्रादेशिक त्रिदल सम्मेलन (मालिक-मजदूर-सरकार) हुआ था?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

*६३--**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**--क्या यह सच है कि इस त्रिदल सम्मेलन में श्रमिकों के वेतन और बोनस की उस रकम को श्रम हितकारी कार्यों में ही खर्च करने का निर्णय किया गया था, जोकि श्रमिकों को नहीं दी गयी या नहीं दी जा सकती?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, सम्मेलन ने इस विषय पर कानून बनाने का अनुमोदन किया था।

*६४--**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस उपर्युक्त निर्णय के अनुसार यह रकम खर्च की जा रही है? अगर हां, तो किस सन् से?

आचार्य जुगलकिशोर--इस सम्बन्ध में एक विधेयक का आलेख्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धन अब तक किस कार्य में खर्च कर रहे हैं मिल मालिकान?

आचार्य जुगल किशोर--जहां तक मुझे मालूम है बिना कानून के कोई इस तरह का धन इकट्ठा नहीं किया गया है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह विधेयक कब तक इस सदन में पास हो जायगा?

आचार्य जुगलकिशोर--बहुत जल्द।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि धन जो वेतन और बोनस का है वह कुल कितना है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके बारे मे मुझे सूचना चाहिये। मैं बाद मे बतला सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सन् १९५२ के इस त्रिदल सम्मेलन के निर्णयों को कभी अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, उनके ऊपर विचार किया गया है।

राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस की वेधशाला को नैनीताल में स्थापित करने का आयोजन

*६५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य में एक पर्यवीक्षणालय (observatory) खोलने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार के कुछ वर्ष पूर्व राज्य में एक वेधशाला (observatory) खोलने का निश्चय किया। यह वेधशाला इस समय राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस के भवन में अवस्थित है और गत वर्षों में इसके लिए कुछ सज्जा सामग्री पुस्तकें इत्यादि खरीदी गई। इस वेधशाला के स्थानान्तरण और उचित विकास के लिये द्वितीय-पंचवर्षीय योजना मे आयोजन किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वेधशाला का स्थानान्तरण कहां हो रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए कितना रुपया रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह नैनीताल जा रही है और कितना रुपया रखा गया है यह थोड़ी देर में देख कर बतला सकता हूं, लेकिन एक लाख के ऊपर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि अगले वर्ष किसी नक्षत्र की गति विधि का निरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार कोई विशेष योजना बना रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, उसके लिये उनको २० हजार रुपये दिये गये है कि वे यह प्रबन्ध [illegible] ल [illegible] उसका निरीक्षण कर सकें।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि आगरा मे एक सेंट्रल आब्जर्वेटरी थी और उसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहां अब तक मौजूद है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सम्भव है ऐसा हो, मुझे तो मालूम नहीं था।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मे और स्थानों पर भी कोई वेधशालायें हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस टाइप की तो कोई और नहीं है जैसी यहां बनाई जा रही है। पुराने टाइप की वेधशालायें तो हैं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वेधशाला का कोई सम्बन्ध आबहवा से भी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पानी से हो, या न हो लेकिन हवा से तो जरूर मालूम होता है क्योंकि हवा अगर साफ रहे तभी वह दिखालायी पड़ेगा। जैसे पहले सारनाथ में इसे रखने की योजना थी लेकिन इसी कारण से उसे वहां से हटाने की आवश्यकता हुई कि विशेषज्ञों ने यह बतलाया कि वहां रेल की लाइन नजदीक है जिसकी वजह से इंजिन का धुआं भी आ सकता है और हवा में ऐसा वाइबरेशन भी हो सकता है जिससे निरीक्षण ठीक तरह से नहीं हो सकता है। इसीलिये उसको बदल कर नैनीताल में बनाया गया।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बनारस में भी राजा सवाई मानसिंह के जमाने की बनी हुई कोई वेधशाला है? यदि हां, तो क्या सरकार उसके जीर्णोद्धार के लिये विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, एक है तो जरूर, मान मंदिर के नाम से।

ज्योलीकोट में स्वर्गीय जे० पी० श्रीवास्तव स्मारक निर्माणार्थ समिति की नियुक्ति।

*६६--**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि ज्योलिकोट नामक स्थान में स्वर्गीय जे० पी० श्रीवास्तव की स्मृति हेतु कोई सम्पत्ति राज्य सरकार के श्रम विभाग को समर्पित की गई है? अगर हां, तो राज्य सरकार उस सम्पत्ति का क्या उपयोग करने वाली है?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। राज्य सरकार का विचार इस स्थान पर एक श्रम विश्राम तथा स्वास्थ्य लाभ गृह (Labour Rest and Convalescent Home) खोलने का है किन्तु इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये और योजना बनाने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त कर दी है। अन्तिम निर्णय कमेटी की सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं और यह कब बनी थी?

आचार्य जुगलकिशोर---इस कमेटी के सात सदस्य हैं, लेबर कमिश्नर, श्री जे० के० श्रीवास्तव, श्री पावेल, श्री नारंग, श्री राजाराम शास्त्री, श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी और श्री काशीनाथ पांडेय। जो पिछली मीटिंग नैनीताल में हुई थी उसमें इसका निरीक्षण हुआ था।

आचार्य एवं हिन्दी साहित्यरत्न अध्यापकों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड न मिलना

*६७--**श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)**---क्या शिक्षा मंत्री संस्कृत के उन आचार्य एवं हिन्दी साहित्यरत्न व्यक्तियों को ग्रेजुएट ग्रेड दिलाने एवं देने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जो राजकीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जहां तक राजकीय विद्यालयों का संबंध है आचार्य एवं हिन्दी साहित्य रत्न व्यक्तियों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड दिया जा रहा है। परन्तु यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो उक्त योग्यता के साथ रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग की योग्यता भी रखते हैं।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी आचार्य योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त ग्रेड बहुत पहले से दिया जा रहा है। परन्तु साहित्यरत्न योग्यता वाले व्यक्तियों को अभी नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जब साहित्य रत्न और आचार्य ये दोनों साहित्यिक विशेष योग्यतायें हैं तो फिर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उनके पारिश्रमिक में अन्तर क्यों है?

श्री हरगोविन्द सिंह----जहां तक राष्ट्रीय पाठशालाओं का सम्बन्ध है कोई अन्तर नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में दोनों योग्यता प्राप्त व्यक्तियों मे मान्यता प्राप्त विद्यालयो मे अन्तर मिटाने की चेष्टा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री शिवनारायण-- क्या यह सही है कि साहित्यरत्न लोगों की गणना एम० ए० पास शुदा लोगों मे की जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जैसा मैंने उत्तर दिया जहां तक राजकीय पाठशालाओं का संबंध है जिनको उपयुक्त योग्यता है उनको ट्रेन्ड ग्रेजुयेटस का ग्रेड दिया जाता है, सिर्फ मान्यता प्राप्त विद्यालयों का सवाल है, उसके लिये मैंने कहा कि वह प्रश्न विचाराधीन है ।

जिला नियोजन कमेटी, अलीगढ़ द्वारा हरिजनों के लिये कुओं का निर्माण

*६८---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन कमेटी अलीगढ़ ने सन् १९५४--५५ में कितने कुऐं हरिजनों को पानी पीने के लिये बनवाये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--३७ ।

*६९---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार बतायेगी कि इन कुओं में से ऐसे कितने कुये है जो अभी तक नही बनाये गये है लेकिन उनका कुल रुपया उठा लिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसा कोई कुआं नहीं है ।

*७०---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो हरिजन नगर पालिका, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में बसते है उनको पानी पीने के कुओं की सहायता देने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसे हरिजनों को पानी पीने की सुविधा देने के लिये संबंधित नगरपालिका टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया ही उत्तरदायी है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि लोकल बाडीज हरिजनो को पीने के पानी की सुविधा के लिये कोई सहायता नही देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जैसा मैंने कहा कि यह तो उत्तरदायित्व उनका है। वह सहायता देते होंगे या नही या कुऐं बना दिये होंगे या नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी लोकल बाडीज को इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि वह हरिजनों को पीने के पानी की सुविधा के लिये हरिजनों को कुऐं बनाने में सहायता दे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मेरा ख्याल है कि लोकल बाडीज प्रबन्धकरती होंगी कि हरिजनो की बस्ती मे पानी की सुविधा मिल सके। यदि ऐसा हो और कहीं की सूचना मिले तो मै उसको देखूंगा ।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया कमेटी की दशा कमजोर होने के करण वह हरिजनों को कुये बनाने मे सहायता नहीं दे रही है ।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने अर्ज किया कि मुझे सूचना नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा होता हो और हरिजनों को पानी की दिक्कत हो तो उसमे सरकार द्वारा जो संभव होगा जरूर किया जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतानेकी कृपा करेंगे कि कितने रुपये की ग्रांट की गई थी और कितने कुएँ बनाने का आयोजन था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने बतलाया कि ३७ कुएे थे और सभी बन गये।

परिगणित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*७१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अप्रैल, १९५३ से मार्च, १९५४ तक प्रांत में कितनी छात्रवृत्ति परिगणित जाति को दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कुल २३,६९० छात्रवृत्तियां परिगणित जाति के विद्यार्थियों को दी गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रवृत्ति में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो बतलाया कि २३,६९० रुपया खर्च हुआ। कुल टोटल १४,६७,०६२ रुपया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति किस माध्यम से बांटी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हर एक श्रेणी का अलग-अलग तरीका है। डिग्री क्लासेज को यहां से दी जाती है और जिलों में छात्रवृत्ति हरिजन कमेटी द्वारा दी जाती है या प्लानिंग की सब कमेटी द्वारा दी जाती है तो हर हर श्रेणी का अलग-अलग तरीका है।

फीस की मुआफी के लिये सिविल तथा प्रैवेट इंजीनियरिंग कालेजों के हरिजन विद्यार्थियों का प्रार्थना-पत्र

*७२—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेकनिकल शिक्षण संस्थाओं में भी अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति हरिजन छात्रों व प्रशिक्षार्थियों की फीस माफ रहती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—फीस माफ रहती है।

*७३—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या इस संबंध में सरकार को सिविल इंजीनियरिंग और प्रैविट इंजीनियरिंग स्कूलों के हरिजन छात्रों द्वारा कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां। संबंधित अधिकारियों से सूचना मांगी गई है।

*७४—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार की संस्थाओं के लिये कोई आदेश केंद्रीय सरकार से भी आया है कि हरिजन छात्रों की फीस माफ हो और उस कमी को केंद्रीय सरकार पूरा करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, परन्तु प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो जवाब दिया गया है वह केवल शिक्षण संस्थाओं के बारे में है या टेक्निकल संस्थाओं के बारे में भी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न तो टेक्निकल संस्थाओं के बारे में था और उन्हीं का यह जवाब है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र उनको कब मिला ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह प्रश्न ७२, दिनांक २१-१०-५५ को स्थगित हो गया था तो उस समय से आज तक उनको इस बारे में पूरी जानकारी न हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—चूंकि इसका संबंध दूसरे डिपार्टमेंट्स से भी है और बहुत से टेक्निकल स्कूल्स हैं जो सारे प्रांत में फैले हुये हैं, इसलिये सूचना मिलने में देर हो रही है।

श्री जोरावर वर्मा—प्रश्न ७४ के उत्तर में लिखा हुआ है कि प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जा सकती। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका कारण यह है कि जो करस्पांडेंस स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया में होती है वह सब कांफीडेंशल समझी जाती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार का यह आदेश उनको कब प्राप्त हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जुलाई, सन् १९५५ में।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश पत्र उन संस्थाओं को भी भेजा गया है ? यदि हां, तो इसके अनुसार उन संस्थाओं ने यह फीस माफ क्यों नहीं की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, इसमें यह लिखा हुआ है कि संस्थाओं को भी भेजा गया है लेकिन उनको मिला या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सिविल इंजीनियरिंग और हेविट इंजीनियरिंग स्कूल के छात्रों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें यह लिखा गया है कि उनकी फीस माफ नहीं की जाती है और भरती होने के पहले ही उनसे ६०० रुपया कालेज का और २५० रुपया होस्टल का ले लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर दिया जा चुका है कि जहां तक फीस माफी का सवाल है वह तो माफ रहेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि गत वर्ष इन छात्रों की फीस माफ नहीं रही है और अभी भी यह माफ नहीं की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने बताया कि यह आदेश जुलाई, १९५५ में प्राप्त हुआ है लिहाजा गत वर्ष का प्रश्न तो शायद उठता नहीं।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ—इन स्कूलों के क्षात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, क्या वह पोलिटिकल सफरर्स को भी दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसे तो पोलिटिकल सफरर्स को जनरल एजूकेशन में ही छात्र-वृत्ति दी जाती है, लेकिन कभी कभी इसमें भी दी जाती है।

अतारांकित प्रश्न

१-२—**श्री रामसहाय शर्मा** (जिला झाँसी)—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

३—**श्री यमुनासिंह**—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

लालडिग्गी व मलानी बांध जांच समिति के प्रतिवेदन पर विवादार्थ प्रार्थना

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लालडिग्गी और मलानी बांध की जांच के लिये जो जांच कमेटी नियुक्त की गयी थी क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को मिली या नहीं ? क्या हमको उसके बारे में मौका मिलेगा कि बहस कर सकें ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न आप बाकायदा कर सकते हैं। उसके लिये मैं नया प्रश्न नहीं पैदा करने दूंगा।

रुक का समय बढ़ाने की मांग

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी-- (जिला गोंडा)--जनाबवाला, ४ रोज तो गुजर गये हैं इस रिपोर्ट पर बहस होते हुये और अभी बोलने वाले काफी हैं।

कुछ सदस्य--आज ४ दिन नहीं गुजरे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--आज चौथा दिन है। अगर घंटा २ घंटा बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--मुझे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आफ्टरनून में इस पर विचार कर लिया जाय। कुछ लोग रह गये होंगे तो समय बढ़ाने का उस समय प्रस्ताव कर देंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--इस वक्त अगर पूछ लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--आप तजवीज तो कर ही नहीं रहे हैं। आप तो १ या २ घंटा कह रहे है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--मैं सिर्फ इतना प्रस्ताव करता हूं कि समय ७ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, ६ बजे तक बढ़ा दिया जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। लेकिन ७ बजे तक में मुझे एक निजी दिक्कत है कि कल रुड़की यूनीवर्सिटी का कन्वोकेशन है और उसमे मुझे ऐड्रेस देना है और ट्रेन ७ बजे के लगभग ही जाती है। अगर ७ बजे तक बढ़ाया गया तो अन्त मे जो कुछ मुझे कहना है शायद मैं न कह सकूंगा। मैंने सुना है कि कुछ और माननीय सदस्य है जिनकी ट्रेन भी ६-३० या उसी के लगभग जाती है और वे भी जाना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वे तो बीच मे बोल सकते हैं। लेकिन आपको तो आखिर में बोलना है इसलिये आपका तो ख्याल रखना होगा। मैं समझता हूं कि ६ बजे तक समय ठीक रहेगा।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५२-४५६ पर)

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (समाप्त)

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुन्दर पांडेय, आप अपना भाषण जारी रखेंगे। ८ मिनट बाकी हैं, ७ मिनट आप कल ले चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह, नेता विरोधी दल और माननीय शास्त्री जी पर यह आरोप लगाया गया था सदन में कुछ और माननीय सदस्यों पर भी कि वे पूरब और पश्चिम की बात करते हैं। मैं इस आक्षेप का खंडन करना चाहता हूं। यह प्रश्न माननीय शिवस्वरूपसिंह और कतिपय सदस्यों ने उठाया है। हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं कि पूरब और पश्चिम का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। अगर इस प्रश्न को उठाया ही जाता है तो आप, श्रीमन् पूर्वी जिलों की दशा को देखें और पश्चिमी जिलों की दशा को देखें। श्री शिवस्वरूपसिंह जी ने कहा कि मेरा भी क्षेत्र ऐसा है जहां आने-जाने का कोई साधन नहीं है और वहां के लोग गरीबी में समय बिताते हैं। अगर यह मान लिया जाय कि प्रदेश का बटवारा हो तो क्या इससे वहां के गरीब लोगों की समस्याएं हल हो जायेंगी?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि "नहर रेट वृद्धि रोको" आन्दोलन चला था और हजारों आदमी जेलखाने गये और नतीजा यह हुआ कि किसानों को कुछ राहत मिली। यह आन्दोलन हमारी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चलाया गया था। लेकिन शिवस्वरूप सिंह जी ने एक शब्द भी यहां नहर रेट के संबंध में नहीं कहा। दूसरे लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। माननीय दीनदयालु जी शास्त्री ने कहा था कि बटवारा होने से हमारी आमदनी बढ़ेगी और बजट से जो रुपया बचेगा उसे हम बढ़े हुये प्रदेश की गरीबी दूर करने में सहायता कर सकते हैं। मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि अभी तक किसने हमारी गरीबी का खयाल किया है? माननीय पणिक्कर साहब ने खुद अपनी असहमति टिप्पणी में लिखा है कि यह इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन पिछड़ा हुआ है, यहां पढ़े-लिखे लोग कम हैं। ६६ करोड़ का इस प्रदेश का बजट है। उसमें हम सामाजिक कल्याण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि जब बटवारा हो जायगा तो उसके बाद सिद्धांत विहीनों की सरकार छोटे राज्य का कल्याण कर सकेगी? मोहनलाल जी ने कहा कि जिस जिले का मिनिस्टर होता है वहां तो कुछ कार्य हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि कितने जिले हैं और कितने मिनिस्टर बनेंगे, और कितने जिलों में काम हो सकेगा? टैक्स किस पर लगेगा? टैक्स लगेगा उस पर जो शोषित, भूखा और नंगा है। टैक्स ही से तो रुपया आता है जिससे कल्याण का कार्य हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि देश का बटवारा करने के लिये हमारी जनता पर, जिसकी कमर पहले ही से टूटी हुई है, टैक्स का भार लादा जाय। मैं कहता हूं कि मिनिस्टर बढ़ाने के लिये और अफसरों की संख्या बढाने के लिये प्रदेश का बटवारा नहीं होना चाहिये। प्रदेश के बटवारे के पहिले क्या यह सदन स्वीकार करेगा कि ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले अपनी कमी करें। इस प्रदेश के जो सरकारी हाकिम हैं उनकी तनख्वाह ५०० से कम हो सकती है। जब हमारे हाथ में हुकूमत नहीं आई थी तो एक कमेटी ने निर्णय किया था कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी नहीं लेंगे। क्या यह सरकार जनता की सुविधा के लिये आज कोई ऐसा कार्य कर रही है? क्या राष्ट्रीयकरण की योजना सरकार कार्यान्वित करेगी? क्या सरकार उन लोगों को खेत देगी और सीमा निर्धारित करेगी कि जिनके पास भूमि नहीं है? कहा जाता है कि हमारी आबादी बढ़ी है, उसे रोकना चाहते हैं। रूस और जर्मनी में तो वहां की सरकार आबादी बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करती है। सरकार को लोगों को रोटी देने की व्यवस्था करनी चाहिये। यह सरकार का निकम्मा-पन है कि वह साधन नहीं दे सकती है। हमारे पास अब आजादी है, हमारे पास पैसा है और हमारे पास श्रम है। आप भूमि और पूंजी का वितरण कीजिये, और जिस दिन भूमि और पूंजी का बंटवारा होगा, भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, और जिनके पास रोटी नहीं है उनको रोटी मिलेगी उसके बाद रामचन्द्र जी विकल और श्रीचन्द्र जी और ख्वाजा साहब और जयपाल सिंह जी यदि

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

नारा लगावें कि प्रदेश का बटवारा हो तो उसमे कोई बात नहीं होगी । मै तो चाहता हूं कि जिले का भी बटवारा हो और गांव-गांव में गांव की सरकार होनी चाहिये। एक सरकार और दो सरकारों की बात ही क्या है। महात्मा गांधी ने देश मे किसानों और गरीबों के राज्य की बात कही थी। वह राज्य आज कहां है ? वह रूपरेखा आज हमारे सामने नहीं है। वह कौन दिन होगा जबकि करोड़ों और लाखों आदमी बिना रोजी के नहीं रहेंगे ? मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप राज्य को समाजवादी राज्य बनाने की कोशिश कीजिये और बटवारे का नाम मत लीजिये। हम सबका अभ्युदय चाहते है। "वसुधैव कुटुम्बकम्, नत्वं कामये राज्यं" आदि का नारा चरितार्थ करना चाहते हैं ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास) (जिला बुलन्दशहर)--अध्यक्ष महोदय, एस० आर० सी० रिपोर्ट इस वर्ष की सब से महत्वपूर्ण घटना है और आज हमारे सामने अपने देश के नक्शे को फिर से बनाने का प्रश्न उपस्थित है। इस पर विचार करने के लिए एक विशाल दृष्टि और इस दुर्भाग्य या सौभाग्य मे भी एक विचलित न होने वाली बुद्धि की जरूरत है और ऐसी समस्या को हम मजहबी कट्टरपन और जहादी जोश से नहीं सुलझा सकते। माननीय शास्त्री जी, गौतम जी और अपने कुछ दोस्तों से यद्यपि मै इत्तफाक नहीं करता लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अपना यह पक्ष सदन के सामने रखा उसकी मै कद्र करता हूं । लेकिन मालूम होता है कि श्रीचन्द्र जी और विकल जी के लिए तो यह एक आर्टिकिल आफ फेथ हो गया है, और कल माननीय विकल जी के भाषण मे माननीय प्रधान मंत्री जी, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी, हाफिज जी और माननीय विचित्र नारायण शर्मा पर हमले तथा कमीशन की इंडिपेन्डेन्स पर जो आक्षेप किये गये वह यथार्थ मे सदन के सम्मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। मै यह समझ सकता हूं ईमानदारी से इस प्रश्न पर दो मत हो सकते है और उस पर गम्भीरता से विचार भी किया जा सकता है और मै यह भी समझ सकता हूं कि यदि श्रीचन्द्र जी और विकल जी एक नये प्रदेश के जनक बनने की अभिलाषा इतिहास मे रखते है तो मुझे उनके इस स्वप्न पर कोई आपत्ति नहीं है। इसमें शक नहीं कि माननीय विकल जी को और दूसरे दोस्तों को अंग्रेजी समय के जमाने में अपना जौहर दिखलाने और अपने साहस को कसौटी पर रखने का अवसर नहीं मिला। यदि वे अपने साहस की परीक्षा विभाजन के आन्दोलन से करके करना चाहते है तो मुझे आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष--मै समझता हूं यह व्यक्तिगत बात है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत...

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं।

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, मै तो यह कह रहा था कि उनको यह हक है, लेकिन जब वह इस सदन के माननीय सदस्यों पर कायरता, कमजोर और बुजदिली का आरोप करते है तो यह चीज सदन की मर्यादा के लिए शोभनीय नहीं होती और यहां की प्रतिष्ठा के विरुद्ध मालूम होती है। यह सवाल बड़ा गम्भीर था क्योंकि हम सौ साल से अधिक एक जगह पर रह रहे हैं। इस प्रान्त में पश्चिमी जिलों की जनता यदि पिछड़ी हुई थी और यदि नेतृत्व की तरफ से न्याय नहीं हो रहा था तो प्रेम का बन्धन जो उत्तरदायित्व से पैदा होता है उसके अनुसार क्या उनका फर्ज नहीं था कि वह पार्टी मीटिंग में पहले इस प्रश्न को रखते, अपने नेता के सामने रखते और उनसे कहते कि आपके नेतृत्व में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और हमारा हित इस प्रदेश के साथ रहने में नहीं है और इस वजह से हम को इजाजत दी जाय कि हम अपना

रास्ता अख्तियार करें। क्या कभी पार्टी में इस प्रश्न पर विचार किया गया? क्यों इस तरह से चुपके-चुपके दस्तखत कराये गये। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रश्न पर गम्भीरता से पार्टी मीटिंग में विचार किया गया होता...

श्री अध्यक्ष—यहां पर पार्टी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—अध्यक्ष महोदय, वह क्या कह रहे हैं? (शोर)

श्री अध्यक्ष—मैं उनको स्वयं रोक रहा हूं, आप बैठ जायं।

श्री बनारसीदास—चुप रहो।

श्री अध्यक्ष—आप शान्त रहिए, दो काली चीज मिल कर एक गोरी चीज पैदा नहीं हो सकती।

श्री बनारसीदास—मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों का जोश मजहबी जनून तक पहुंच चुका है और इसीलिए वह लोग बेचैन हो रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर इस तर से व्यक्तिगत दस्तखत चुपके-चुपके न कराये गये होते तो काफी लोग, जो भाई आज किसी वजह से विभाजन के पक्ष में हैं वह विभाजन के पक्ष में नहीं रह सकते थे। मैं यह तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह विचार उनके दिमाग में नहीं आया लेकिन मालूम होता है कि उनको अपने पर विश्वास नहीं था, यदि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया गया होता तो यह तर्क की कसौटी पर नहीं उतर सकता था। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं तो विचार करना होगा कि विभाजन का आधार क्या है? विभाजन के पक्ष में पणिक्कर जी के नोट को पेश किया गया है। तो पणिक्कर जी के नोट को और मुख्य रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि पणिक्कर जी के नोट और मुख्य रिपोर्ट में असंगतियां हैं। सम्बन्धित रिपोर्ट के अन्दर पणिक्कर महोदय उन सभी बातों से सहमत हैं जिनको कमीशन के अन्य दो सदस्यों ने कहा है। उन्होंने स्वयं माना है कि हिस्टारिकल ग्राउन्ड्स किसी भी प्रदेश के विभाजन का कारण नहीं हो सकते। उन्होंने स्वयं ६५ पेज पर लिखा है कि—

"The facts of the existing situation are much more impoıtant than the fact that in previous times the area concerned had a different administrative attachment."

तो श्रीमन्, यह पणिक्कर जी का भी मत है, लेकिन वह अपने नोट आफ डिसेंट में हिस्टारिकल बैकग्राउंड लिखते हैं। इसी प्रकार वह कहते हैं कि यह सूबा बहुत बड़ा है लेकिन जनरल रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने स्वयं पैरा २१८ के अन्दर कहा—

"In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit."

तो पणिक्कर जी मानते हैं कि हिस्टारिकल आधार पर ही या साइज आफ यूनिट के आधार पर ही स्टेट नहीं होती। तो फिर कौन-सा आधार है? अगर उनके रिपोर्ट के पैरा १६ पर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है—

"If on this occasion when the whole problem of the State's structure in relation to the Centre is being seriously considered we omit to rectify what I consider to be the major and basic weakness of the Indian Constitution—the extraordinary disparity between one unit and the rest—then in my opinion we will only be strengthening the forces of disunity by making it practically impossible to tackle this problem at any later stage."

तो पणिक्कर जी के दिमाग में तो केवल एक चीज घुसी हुई थी कि एक यूनिट बड़ा है और दूसरा यूनिट बड़ा है। उनको यह परेशान कर रहा था इस प्रान्त के विभाजन को सजेस्ट करने के लिये। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा लार्ज साइज, और

[श्री बनारसीदास]

हिस्टारिकल बैकग्राउंड ही इस प्रान्त में यूनिटी की यह दलील बाद में उन्होंने अपने पक्ष का समर्थन करने के लिये पेश की है। वे फेडरल उसूल की यहां पर बात पेश करते हैं और ख्वाजा साहब जो फेडरल कान्स्टीट्यूशन के पंडित हैं मैं नहीं समझ पाता कि उन्होंने इस बात को गौर से पढ़ा होगा। पणिक्कर जी स्वयं कहते हैं कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया के कांस्टीट्यूशन में सीनेट के अन्दर स्टेट्स की पेरिटी है लेकिन सीनेट में पेरिटी होने से क्या कांस्टीट्यूशन का करेक्टर चेंज हो जाता है? अगर कौंसिल आफ स्टेट्स में यू० पी० को ट्रावनकोर–कोचीन के बराबर सीटें दे दी जायं तो क्या हाउस आफ पीपुल का प्रतिनिधित्व बदल जायगा? हाउस आफ पीपुल मे मनी बिल्स पेश होते हैं, विधान बदला जा सकता है। अगर कौंसिल आफ स्टेट्स मे पेरिटी कर दी जाय तो क्या फेडरल करेक्टर हो जायगा? और फिर अगर आप गौर से देखें तो अमेरिकन कांस्टीट्यूशन की वर्किंग इस बात को साबित करती है कि जैसे-जैसे पेरिटी वहां विकसित हुई है कहीं पर भी रीजनल बेसिस पर वोटिंग नहीं होती। वोटिंग होती है पार्टी बेसिस पर। इसलिये अमेरिका के अन्दर वहां स्टेट्स की बात चलती है लेकिन वोटिंग वहां पार्टी के आधार पर होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर क्या वोटिंग जिले के आधार पर होती है? पार्टी व्हिप के अनुसार वोटिंग होती है, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार होती है। अगर डिमोक्रेसी को कामयाब होना है तो फिर लोक सभा मे वोटिंग कांग्रेस, पी० एस० पी०, जनसंघ और दूसरी पार्टियों के बीच मे होगी न कि रीजनल बेसिस पर, न कि प्राविंशियल बेसिस पर होगी। तो इसलिये यह कहना कि इससे डिसरप्शन फैलेगा या यू० पी० डामिनेट करेगा यह मै कहता हूं कि फेडरल प्रिंसिपुल्स के अगेंस्ट है।

फिर आप गौर करें कि सन् १९५१ में हमारे देश में सेंसस रिपोर्ट लिखी गई। उस वक्त कमीशन नियुक्त नहीं हुआ था। सेंसस सुपरिंटेंडेंट ने इस देश को ६ डिवीजन्स मे विभाजित किया था। उनमे से यू० पी० एक था। एक पंजाब आदि दूसरे सूबे का था। एक पूर्वी डिवीजन था, एक दक्षिणी-पश्चिमी डिवीजन था, एक पूर्वी-दक्षिणी डिवीजन था, और दक्षिण का डिवीजन था। तो क्या सेंसस सुपरिंटेंडेंट ने यू० पी० का डिवीजन माना? रेलवे ने भी ६ जोन्स बनाये। इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई बाधा नहीं पड़ती। लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पंजाब के लाला लाजपतराय और लोकमान्य तिलक ने बंगविच्छेद का विरोध किया और अंग्रेजी साम्राज्य को झुकना पड़ा। मै पूछता हूं अगर देश में पाकिस्तान न बनता, यदि बंगाल का विभाजन न होता तो क्या कभी यह प्रश्न उपस्थित होता कि बंगाल का विभाजन किया जाय या पंजाब का विभाजन किया जाय? अगर एक गांव के एक परिवार के लोग आपस मे लड़ते हैं और जुदा हो जाते हैं तो क्या यह दलील ठीक है कि चूंकि हम लोग अलग-अलग हो गये हैं और तुम्हारा परिवार बड़ा है इसलिये तुम्हें गांव से अलग होना पड़ेगा। हमने द्रविणों और तेलगुओं से कब कहा कि मदरास से अलग हो जाओ? हम कब कहते हैं गुजराती और महाराष्ट्रियन से कि तुम अलग हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि एक जगह रहें। हमने कभी यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया। चूंकि एक जगह वे रह नहीं सकते इसलिये यह कहना कि यू० पी० डामिनेट करता है यह तर्क के खिलाफ है। यह भी मान लें कि यू० पी० का डिवीजन हो जाय तो कल को यह दलील पेश की जायगी कि यह तो हिन्दी का साम्राज्य है। हिन्दी स्पीकिंग पापुलेशन १८ करोड़ हैं। तो अगर मेरे दोस्त यह चाहते है कि इंडिया की यूनिटी कायम रहे तो यू० पी० की भाषा हिन्दी न होकर बंगला या तेलगू हो। महाकोशल की भाषा मराठी हो और उन्हें यह कहना चाहिये कि राजस्थान की भाषा कुछ और हो। इस तरह से हमारे इस देश का निर्माण किया जाय कि भाषाओं की पैरिटी हो जाय। तो श्रीमन्, यह तो असंभव है। और जब हिन्दी भाषा रहेगी तो

लोग यह दलील देगे कि यह हिन्दी का साम्राज्य है और लोग वास्तव में ऐसा कहते भी । इसलिये इस सूबे के विभाजन का कोई कारण नही है

साम्प्रदायिकता, रीजनलिज्म तथा प्रान्तीयता यह इंडियन यूनिटी के लिये खतरा है । इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि यू० पी० का विभाजन करके देश की पैरिटी के लिये बैलेंस कायम करने की बात कहते हैं वे प्राविन्शियलिज्म तथा रीजनलिज्म को राष्ट्रीयता पर एक दर्जा और तरजीह देना चाहते हैं । इंडियन यूनियन कायम रहेगा विशाल हृदय से । आज धेवर कांग्रेस प्रेसीडेंट हैं इसलिये नहीं कि सौराष्ट्र में पैदा हुए बल्कि इसलिये कि हम सब लोगों की श्रद्धा उनके अन्दर है । तो नेतृत्व का चुनाव होगा गुणो के आधार पर । इसलिये आज यह कहना कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है--अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है तो नेतृत्व को बदल दिया जाय । सम्पूर्णानन्द जी को हटा दिया जाय । यहां के नेता श्रीचन्द्र जी बनें, विकल जी बने । अगर विभाजन कर भी लिया और वहां के नेता यहीं रहे, पन्त जी आ गये तो इससे तो समस्या का हल होने वाला नहीं है । श्रीमन् जी, अगर हम बैकवर्ड हैं तो मै वीरेन्द्रपति जी से कहता हूं कि वे बैकवर्ड क्लासेज के नेता है तो हरिजनो के लिये विशेष रुपया, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिये विशेष रुपया क्यो मांगते है ? अगर पूर्वी जिले बैकवर्ड है लिहाजा उनके लिये सब रुपया खर्च करना जुर्म है तो बैकवर्ड क्लासेज के लिये वह तर्क ठीक क्यों नहीं उतरता । तो फिर बैकवर्ड कम्युनिटी का अलग प्रदेश हो हरिजनों का अलग प्रदेश हो और जो एडवांस्ड कम्युनिटीज हैं उनका अलग हो । न्याय कहता है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग पीछे रह गये ह उनको उभाड़ कर हम अपने स्तर तक लाये । तो इस दृष्टि से जो पिछड़े हुए प्रदेश है वे हिन्दुस्तान के अंग हैं । दिल्ली का जिक्र किया कि ३८ परसेंट लिट्रेसी है । लखनऊ से मुकाबला किया जाय, इलाहाबाद से मुकाबला किया जाय, अरबन एरिया का अर्बन एरिया से किया जाय । सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली मे १० रुपया पर कपिटा खर्च देती है और बी० क्लास स्टेट्स में ५ रुपया पर कपिटा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है । अगर १० रुपया पर कैपिटा के हिसाब से ६६ करोड़ रुपये हमको मिलता तो हम भी आगे होते । इसलिये छोटे-छोटे सूबे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भार बन रहे है, तो क्या आप चाहते है कि सेंट्रल गवर्नमेंट १० रुपया पर कैपिटा उनको देती रहे । देश का फायनेंन्स इस बात का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता । लिहाजा यू० पी० के विभाजन की कोई गुंजायश नहीं है ।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत) (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इसमें जोश या कड़ुवाहट के लिये कतई गुंजायश नहीं है । मै जब आज अपनी राय इस सदन में देने की धृष्टता कर रहा हूं तो मै यह भी कह देना चाहता हूं कि जिन भाइयों की राय मुझसे भिन्न है मै उनकी नीयत पर उनकी राय देने की क्षमता पर या देश हित में जो उनकी भावना है उसमें किसी प्रकार की कमी की बात सोचता नहीं हूं । इस प्रश्न पर हर एक को अपना-अपना विचार आजादी से देने का हक है और दूसरों का कर्त्तव्य है कि उसको ठंडे दिल से बैठ कर सुनें और सोचें ।

राज्यों के पुनस्संगठन का विषय कुछ व्यक्तियों का विषय नहीं है । न केवल यह कोरे इतिहास का विषय है, न भाषा या संस्कृति का ही विषय है । यह विषय है हमारे देश की एकता कायम करने का, हमारे लिये सुरक्षा कायम करने का, और साथ ही साथ हमारा देश किस तरह दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में अपनी आर्थिक, सामाजिक, सैनिक और औद्योगिक शक्ति को बढ़ा सके ।

मैने बहुत कुछ सोचने की कोशिश की, अपने साथियों से विचार-विनिमय भी किया और उसके बाद मै तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करना देश के प्रति अन्याय है, देश की तरक्की के आगे एक रुकावट डालना है । देश को अधिक से अधिक दस या बारह भागों से ज्यादा हिस्सों में हमें विभक्त नहीं करना चाहिये । इसका एक कारण है और वह यह है कि जितने छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं उनमें साधनों और जन

[श्री जगनप्रसाद रावत]

शक्ति की कमी होती है। छोटे-छोटे टुकड़ों मे जो जनसेवक होते है वह भी मेरे खयाल में अधिक योग्य नहीं होते। और वह स्वयं अपना बोझ तो संभाल ही नहीं सकते। वे केन्द्र पर एक भार स्वरूप रहा करते हैं। मै यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश अब तक केन्द्र के ऊपर भारस्वरूप नहीं रहा है, बल्कि उसने समय-समय पर देश की कुछ न कुछ सेवा ही की है।

माननीय गौतम जी ने इस सम्बन्ध में अपना एक वक्तव्य दिया। मैंने उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना और उनके वक्तव्य का जो पहला हिस्सा है मै उससे पूर्णतया सहमत हूं। हमारे सूबे की आबादी अधिक है और सूबे की आबादी को देखते हुये हमारे सूबे के पास जो क्षेत्रफल है वह कुछ कम है। मैं चाहता हूं कि देश की भावी उन्नति को देखते हुये हमारे सूबे के साथ विन्ध्य प्रदेश के कुछ जिले मिला दिये जायं। मै चाहता हूं कि मध्य भारत के वे जिले, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी जो हमारे सूबे से मिले हुये है, राजस्थान का एक जिला धौलपुर, हमारे सूबे मे मिला दिया जाय। मै इसके कारण भी बताने की कोशिश करूंगा। इन जिलों को ले लेने से आबादी तो हमारी तरफ अधिक नहीं आती, क्षेत्रफल हमारी तरफ कुछ अधिक आ जाता है। साथ ही साथ इनमे जो बहुत से साधन है, खनिज पदार्थादि वे इतने है कि आगे बनने वाला मध्य प्रदेश, उसको अपने साधनों से शायद सम्भाल नहीं पायेगा और हमारे पास जो साधन हे, संगठन शक्ति है उससे शायद हम सम्भाल भी सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा अपना यह विचार है कि अगर जिन जिलों की मिलाने की मैं बात करता हूं उन जिलों के लोगों की यह मांग हो कि उत्तर प्रदेश में वह नहीं आना चाहते तो वे जिले हमारे सूबे में नहीं मिलाने चाहिये। यदि इन जिलों के लोग मध्यभारत और विन्ध्य प्रदेश के यह निरन्तर चेष्टा करें, इस बात की कोशिश करें और इच्छा प्रकट करें कि वे उत्तर प्रदेश में आना चाहते है तो उनको उनकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे से बांधा भी न जाय।

अब मैं इसके बाद थोड़ी-सी बात सरदार पणिक्कर के सम्बन्ध में कहूंगा। सरदार पणिक्कर साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसमें और हमारे जो भाई विभाजन की बात कहते है उनके दृष्टिकोण मे एक बड़ा ही मौलिक मतभेद है। यदि सरदार पणिक्कर की रिपोर्ट को माना जाय तब तो नक्शा ही बिल्कुल बदल जायगा और उसके कारण भी बिल्कुल दूसरे है जिस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मै अधिक कहना नहीं चाहता। मै केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरदार पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के आधिपत्य से लोगो में द्वेष है, लोगों के दिल मे ईर्षा है, जलन है। मै यह कहना चाहता हूं कि न तो किसी के दिल में कोई ईर्षा है, न कोई द्वेष है, न जलन है। लेकिन इस भावना के उकसाने के फलस्वरूप, उनके नोट आफ डिसेंट के फलस्वरूप इस भावना को थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिला है और इस प्रोत्साहन की वजह से थोड़ी सी हमारे भाइयों में गरमागरमी आ गई है। मं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि क्यों हम उस रिपोर्ट के आधार पर आपस में कटुता लायें, इस रिपोर्ट को हम एक तरफ रख दें और इस नोट आफ डिसेंट को भी, और यहां बैठ कर प्रेम से आपस मे वार्ता करें। एक बात और कह दूं कि सरदार पणिक्कर के नोट में जो भावना नजर आती है, उसमें इतिहास का एक नज्जारा भी हमारे सामने आता है। इसमें जो भावना है उसने सन् १७६२ में हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया, इसी भावना ने सन् १८५७ में हमको गुलाम बनाया। सन् १७६२ में सूरजमल भरतपुर से आया था, उसको ठुकराया गया केवल इसीलिये कि कहीं उसका आधिपत्य न हो जाय। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का भी साथ केवल इसी भावना के कारण लोगों ने नहीं दिया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नेतृत्व हमेशा उसका चलेगा जिसमें योग्यता होगी, जिसमें लोगों का दिल जीतने की ताकत होगी। अधिकार मांगने से, आधिपत्य मांगने से नहीं मिला करता। यह तो स्वाभाविक होता है। कुछ ऐसे ही बनते हैं, कुछ पैदा होते है।

मैं एक बात थोड़ी सी यह कहूंगा कि कुछ भाइयों ने यह कहा, शायद शास्त्री जी ने कहा कि राम की जन्मभूमि से मथुरा और आगरा हरे-भरे नहीं हो सकते। मुझे तो हंसी आई इसलिये कि शायद और कोई कहता तो कोई ऐसी

हंसी की बात नही थी, लेकिन शास्त्री जी ने, जो इतने बड़े विद्वान हैं, वह भी यह भूल गये कि राम की ही जन्मभूमि का रहने वाला था राम का ही कोई पूर्वज था जो गंगा जी को लाया, जिससे मेरठ हरा-भरा हुआ, हरिद्वार हरा-भरा हुआ और पश्चिम के और जिले हरे-भरे हुये। एक मेरे भाई ने यह भी कह दिया कि पश्चिम तो गिरधारी लाल को पैदा करता है और पूरब कमलापति को पैदा करता है, बात मेरी समझ में नहीं आई। गिरधारी लाल और कमलापति मे अन्तर क्या है, गिरधारी लाल का ही दूसरा नाम कमलापति है और कमलापति का ही दूसरा नाम गिरधारी लाल है। तो हमको तो दोनों को ही पैदा करने का फख्र है। मैं तो दोनो को ही पैदा करना चाहता हू चाहे वह पूरब मे हों या पश्चिम में. लेकिन अपने यहां हम हुकुम पर चलने वाले शेर और भालू नही पैदा करना चाहते।

अब एक बात यह कही गयी कि पूरब के जिलों में कुछ कमजोरी है और पश्चिम के जिलों के पास साधन कुछ ज्यादा है, उनको दोनों को गाड़ी कैसे चल सकती है। लेकिन भाई, बदकिस्मती से मै भी एक गरीब जिले का ही रहने वाला हूं और कई मामलों में मैंने कोशिश करके अपने जिले को और मथुरा को पूर्वी जिलों के साथ नत्थी भी किया। आबपाशी के मामले मे, सिंचाई के मामले में, मैने कहा कि इसको पूर्वी जिले मे शामिल करना चाहिये और सरकार ने शामिल भी किया। मै तो यह सोचता हूं कि आज तो पूरब और पश्चिम का प्रश्न है, और अगर दोनों हिस्से अलग-अलग हो गये तो फिर कहा मेरठ और मुजफ्फरनगर के अमीर जिले और कहा हमारा आगरा और मथुरा के गरीब जिले ! हमारे यहा नहरें भी नहीं है, नलकूप भी नही है, तो क्या वह हमको निभा पायेंगे ? तो अगर वह आज गोरखपुर को नहीं देख सकते, बलिया को नही देख सकते तो बाद में आगरा और मथुरा को वह कहा निभा पायेंगे ! मैंने उसका सबूत भी देखा। मैंने देखा कि पणिक्कर साहब के नोट को हमारे भाई श्री चन्द्र ने स्वीकार किया, लेकिन जहां पर उसमें लिखा है कि आगरा राजधानी हो, उसको वह गोल कर गये। उन्होंने कहा कि वहा तो दिल्ली में बड़ा सेक्रेटेरियट है और दिल्ली में यह है और वह है। एक भाई ने आज से कुछ अर्स पहले यह कहा था कि उस नये सूबे की राजधानी अलीगढ़ हो ! अरे भाई, अभी तो बना नहीं जो यह कहा जाय कि दिल्ली हो या अलीगढ हो या कहां हो। ये तो बाद के सवाल है। तो मेरा निवेदन यह है कि हमको इस प्रश्न पर इस प्रकार नहीं जाना है, क्योंकि उसकी एक हद होती है। अगर आज मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिले कहें कि हम पूरब के जिलो के साथ नहीं रहेंगे तो कल को वह कहेंगे कि हम मथुरा और आगरा के साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो अमीर तहसीलें है वह कहेंगी कि हम दूसरी तहसीलो के साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह से यह चीज चल नहीं सकती। हमें तो देखना है कि सारे सूबे की तरक्की एक साथ हो और उसके साथ जिन जिलों मे कमी है उसको पूरा करें, एक ऐसे स्तर पर ले आये कि ५ वर्ष के अन्दर या १० वर्ष के अन्दर जो सारे ५१ जिले है—और हमारे साथ कुछ जिले आ सकें—तो उन सब का स्तर एक सा हो जाय और हमारी गाड़ी तेजी के साथ और रफ्तार के साथ आगे चले।

एक बात सरदार पणिक्कर के नोट में मैंने बड़े मजे की पढी। उन्होंने कहा कि उत्तर-प्रदेश ने शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया या सोशल वेलफेयर पर बहुत कम खर्च किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मै एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले १० वर्ष का इतिहास हमारे देश में बड़ा अनोखा इतिहास रहा है। हमारे सूबे ने शरणार्थियों के प्रश्न को हल किया, हमारे सूबे में बड़े-बड़े दंगे और बलवे का आघात हुआ, हमारे सूबे में एक अन्न की कमी के प्रश्न को हल किया गया। मैं आप से ही पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लिये यह लाजमी था कि हम अन्न की समस्या पर खर्च न करते, बलवा के दबाने की समस्या पर खर्च न करते, हम शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने में खर्च न करते, केवल शिक्षा पर और कुछ चन्द लोगों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए या स्कूल खोलने मे हम खर्चा करते ? यदि हम ऐसा करते तो हम देश के साथ द्रोह करते और भयंकर पाप करते। हमने तो जो पहली चीज थी उसको प्राथमिकता दी और बाद की चीज को बाद में लाना तय किया।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

अन्त में एक बात मैं कह देना चाहता हूं। मैं राम और कृष्ण की भूमि के निवासियों में आपस में अन्तर और भेद-भाव मानने में भयंकर पाप मानता हूं। मैं तो समझता हूं कि राम और कृष्ण की भूमि के लोग सब एक हैं और मुझे प्रत्यक्ष अनुभव भी है। मुझे अपने राजनीतिक जीवन में लगभग ७ वर्ष पूर्वी जिलों की जेल में रहने का मौका मिला और मेरे साथ अधिकतर पूर्वी जिलों के लोग थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह मौका अनुभव करने का नहीं दिया कि हममें कोई अन्तर है। हमेशा मैंने उनमें भ्रातृ-भाव और प्रेम का भाव पाया।

*श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अवसर देखने में आया है कि जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसके अजीज व अकारिब उसको एक ऐसे हकीम या डाक्टर के पास ले जाते हैं, जो कि उसके मर्ज की सही तशखीस करके इलाज कर सके और उसकी दवा तजवीज कर सके। इसी किस्म के हालात हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए कि मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ किस्म की बाउंडरीज तब्दील करने के सवाल उठ खड़े हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज को मुनासिब समझते हुए एक कमीशन मुकर्रर किया कि वह सूरते हालात की जांच करके जो चीज मुल्क के अन्दर पैदा हो गयी है, उसके सही साल्यूशन के लिये वह सही तजवीज रखे। जनाबवाला, इसी किस्म की वह रिपोर्ट है। बड़ी तहकीकात के बाद और जुस्तजू के बाद, जिस पर बहुत रुपया भी सर्फ हुआ है और बड़ी मेहनत के साथ कमीशन ने यह रिपोर्ट पेश की है जो कि आज ४ दिन से इस सदन में जेरे बहस है। जनाबवाला, एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि मैंने निहायत तकलीफ के साथ इस चीज को देखा, सुना और अखबारात में पढ़ा कि हमारे विरोधी दल के डिप्टी लीडर साहब—माननीय उपाध्याय जी ने पणिक्कर साहब के मुताल्लिक कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो किसी तरह से एक इतनी बुलन्द हैसियत के लिये कहना मुनासिब नहीं है। हम उनसे एख्तिलाफ राय रखते हों या इत्तफाक राय रखते हों और हमारा एख्तिलाफ कितना ही शदीद क्यों न हो, हमें ऐसे अल्फाज उनके लिये नहीं कहने चाहिये। वे तो इसलिये मुकर्रर किये गये थे कि एक इलाज हिन्दुस्तान के सूबों के लिये तजवीज करें और उनकी समझ में जो बात मुनासिब मालूम हुई वह उन्होंने अपने रिपोर्ट में सामने रख दी। अब अगर वह हमें नापसन्द है तो इसके यह माने नहीं कि उन्होंने जो राय दी है उसकी वजह से नाखुश हो कर हम ये अल्फाज कहें जो कि उपाध्याय जी ने कहे हैं और जो कि आज के अखबारात में निकल चुके हैं। मैं अर्ज करूंगा कि उपाध्याय जी पणिक्कर साहब को नहीं जानते जितना मैं उनको जानता हूं। जितना मैं उनकी जहनियत और काबिलियत को जानता हूं उतना इस सदन का दूसरा आदमी नहीं जानता क्योंकि मेरा और उनका रिश्ता एक उस्ताद और शागिर्द का रहा है जब कि वे अलीगढ़ में हिस्ट्री के प्रोफेसर की हैसियत से लेक्चर दिया करते थे। मैं जानता हूं कि उनकी जहनियत और काबिलियत क्या है। उनकी हुब्बलवतनी का दर्जा इतना बुलन्द है कि वे इस मुल्क को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वह मुल्क की भलाई के लिये लिखा है और उस तजवीज से मुतासिर होकर लिखा है जिसको आज से ३७ वर्ष पहले मैं जानता था। उनके मुताल्लिक उपाध्याय जी ने जो कहा है वह बिलकुल मुनासिब नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा कि आप हुक्म दें कि उनकी स्पीच से ये अल्फाज निकाल दिये जायं। उन्होंने जो चीज सही समझी वह कह दी। अगर हम बीमार हों और उसका ऐसा इलाज हो जो हमें ठीक न लगे और दवा पीने में कड़वी हो लेकिन फिर भी हमारे हमदर्द उसको जबर्दस्ती मेरे हलक के नीचे उतार देंगे जो मेरी बीमारी को जल्द दूर कर देगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बार-बार उपाध्याय जी का नाम लेकर कह रहे हैं और उनके भाषण से अल्फाज निकालने के लिये भी कह रहे हैं। जिस वक्त कोई भाषण दे उसी वक्त टोकना चाहिये क्योंकि मैं उसी वक्त रोकता हूं। अब कौन से अल्फाज निकाल दिये जायं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह तो आप बता नही रहे है और न वे शब्द याद है जिन्हे मै समझूं कि वापस ले लेना चाहिये। इसलिये मेरा ध्यान उसी वक्त आकर्षित करना चाहिये था। इस वक्त आप नही कह सकते।

श्री मुश्ताक अली खां—जनाबवाला, अब मझको यह अर्ज करना है कि कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, और उत्तर प्रदेश के मुतल्लिक जो कुछ भी कहा है वह दूसरे दोनों रिपोर्ट लिखने वालो ने भी कहा है। जिन साहबान ने उस रिपोर्ट को गौर से पढा है वे इस चीज को तसलीम करेंगे कि मेजारिटी ने जो अपनी तजवीज पेश की है, उसमे उन्होंने भी इस पोलिटिकल आब्जेक्शन को तसलीम किया है जिसको पणिक्कर साहब ने तसलीम करते हुये उत्तर प्रदेश के तकसीम की तजवीज पेश की है। मै जनाब से यह अर्ज कर दूं कि तवारीख जिन लोगो ने पढ़ी है और जो पढ़ते है उसका बड़ा मकसद यह है कि पिछले वाकयात की रोशनी मे अपनी आयन्दा जिन्दगी को बनाने के लिये कोशिश करे। अगर हमारे अन्दर वे खराबियां है जो कि हमको तवारीख बतलाती है कि पिछली कौमो में भी रह चुकी है तो हमको यह चाहिये कि हम अपनी जिन्दगी को दुरुस्त करने के लिये उन बुराइयो को अपने से दूर करने की कोशिश करे। पणिक्कर जी एक सियासत दां है, वे एक निहायत ऊंची हस्ती है, उन्होने बहुत कुछ पढ़ा और लिखा है, और अपनी मालूमात की बिना पर मै दावे से यह कह सकता हूं कि उनको कांस्टीट्यूशनल मालूमात बहुत ज्यादा है। और जो कुछ उन्होने मशिवरा दिया है वह सही किस्म का है। अब यह बात दूसरी है कि आप उसको मानें या न मानें और यह काम हमारी यूनियन गवर्नमेंट का है कि वह इस पर अमल करती है या नही। लेकिन यह कहना कि रिपोर्ट गलत है और वह इस वजह से गलत है यह कहना सही नही होगा। मै तीन दिन माननीय सदस्यो की मुख्तलिफ किस्म की स्पीचें सुन रहा हूं और मै यह कहता हूं कि उनमे हकीकत को नजरअन्दाज किया गया है। आज भी कुछ तकरीरे हुई, मुझसे पहले जो साहबान बोले, उनकी तकरीर कुछ ऐसी थी जिसमे जजबात का दखल है और वाकेआत को नजरअन्दाज करने की कोशिश की गई है।

मै उत्तर प्रदेश से निहायत मुहब्बत रखता हूं। उत्तर प्रदेश में मै पैदा हुआ हूं, उत्तर प्रदेश में मै रह रहा हूं और उत्तर प्रदेश मे ही मै मरने वाला हूं। मै यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी मौजूदा हुदूद के अंदर रहे। लेकिन मै यह मानता नहीं हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की वजह से सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट कमजोर होती हो तो भी वह बना रहे। ऐसी हालत मे मै यकीनन अर्ज करूंगा कि उत्तर प्रदेश की उन बुराइयो को दूर कर दिया जाय जिनसे हमारा सेंटर कमजोर होता हो। अब पणिक्कर साहब ने क्या लिखा है, और मैजारिटी क्या है, मै इस पर आता हूं और मै चन्द बातों को पेश करता हूं। तवारीख की उन चीजो पर आप न जाइये और यहां की मिसाल मै देता हूं, तवारीख की मालूमात की बिना पर आप आगे बढ़िये। जर्मन फेडरेशन में नाजियों की हालत १८८६ से पहले देखिये कि वहां फेडरेशन मे किस तरह की डिसपैरिटी थी, और किस तरह से वहां काम होता था और वहां की गवर्नमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचता था? वहां क्या सूरत थी? वहां भी यही सूरत थी। आप यह कह सकते है कि सावेरन स्टेट है, लेकिन मै आपको बतलाऊं जो सावेरन स्टेट नहीं है वहां क्या करते है। दुनिया मे अपनी हुकूमत को और सेंटर को मज़बूत करने के लिये हर तरह की कोशिशे की जाती है। जो जर्मनी में हालात थे वही हालात आज हमारे यहां है। तवारीख से हम यह सबक लेते है कि अगर कहीं इस तरह की डिस्पैरिटी हो और इख्तलाफ हों तो छोटे-छोटे यूनियन्स के अंदर यह जजबात पैदा कर दिये जाते है कि जो ताकत बड़ी हो उसके खिलाफ सब इकट्ठा होकर उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करे। यही बात उत्तर प्रदेश के लिये भी है और यह सबसे बड़ा है। यह भी कहा गया है कि पणिक्कर साहब एक तरफ उत्तर प्रदेश की तक्सीमी की तजवीज पेश करते है और दूसरी तरफ विन्ध्य प्रदेश और राजस्थान के सूबों को मिलाकर एक नया प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से बनाने की तजवीज भी फरमा देते है। कारण क्या है? खुला हुआ कारण है कि वहां पर इतनी आबादी नहीं है। लोअर हाउस में जो नुमायन्दगी होती है वह आबादी के लिहाज से होती है, तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के मुकाबले में आबादी बहुत ही कम है।

[श्री मुश्ताक़ अली खां]

उत्तर प्रदेश की आबादी साढ़े छः करोड़ है। क्या मध्य प्रदेश में भी ६३ मिलियन इंसान वहां बसते हैं ? अगर वह रकबे के हिसाब से बड़ा है तो वहां रेगिस्तान है, पहाड़ है और जंगल है। सवाल यह है कि वहां आबादी कम है इस बिना पर पणिक्कर साहब ने उसके लिये कहा है और मेरा दावा है कि मैजोरिटी लोग उसको तस्लीम करते हैं और लिखने वाले भी करते हैं। उन्होंने यह तजवीज पेश नहीं की कि उत्तर प्रदेश को भी तकसीम कर दिया जाय। पणिक्कर जी का जो कहना है वह यह है कि वह उस चीज को मालूम करते हैं कि खराबी क्या है, और उसके लिये वह इलाज भी तजवीज करते हैं लेकिन वह इलाज उनके नजदीक और मैं समझता हूं कि जो उनके व्यू प्वाइंट को समझते हैं, उनसे सहमत हैं उनके लिये वह तंदुरुस्ती का बायस होगा, लेकिन चूंकि वह बहुत कड़ुवा है इसलिये हम उसको हलक के नीचे उतारने के लिये किसी तरह से भी तैयार नहीं होते। हमको उत्तर प्रदेश को बाकी रखना है, हम उत्तर प्रदेश की प्रास्पैरिटी चाहते हैं, इससे उम्मीद रखते हैं और हमारी जिन्दगी इससे वाबस्ता रही है, और यहां तक कि हम मौत तक यहीं रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश से कोई अदावत नहीं रखते। लेकिन हम इसको भी बरदाश्त नहीं करते कि उत्तर प्रदेश की खातिर जो भारतवर्ष हमारा है उसको अधिक ताकत न दें। उसको तरक्की देना और मजबूत बनाना हमारा पहला काम है। हम बड़े होकर क्या करेंगे ? क्या उससे हिन्दुस्तान बड़ा हो जायगा ? ऊंचा हो जायगा ? आप हिन्दुस्तान को ऊंचा कीजिये। आज हिन्दुस्तान जवाहरलाल जी की वजह से ऊंचा है और इतना ऊंचा है कि दूसरी कौमें हमारी तरफ देख रही हैं, लेकिन वहां बैठ कर कोई भी उत्तर प्रदेश को नहीं देख रहा है ! यहां जो कुछ हो रहा है और दूसरी जगह जो कुछ हुआ है उसके लिये पार्लियामेंट में जवाहर लाल जी ने कहा था कि दूसरी नेशन्स हमारे काम को बड़े गौर से देख रही है और हमें अपने आपको डिस्प्लिनरी तरीके पर रखना चाहिये। तो इसलिये पणिक्कर साहब ने जो कुछ कहा है, अगर वाकई उत्तर प्रदेश को तकसीम से हमारे यूनियन को फायदा पहुंचता है तो हमको उसे मान कर तकसीम मंजूर कर लेना चाहिये। मैंने अभी मिसाल दी कि १८६६ में जर्मनी की क्या हालत थी। सन् १८७० में जर्मनी, रूस और फ्रांस की लड़ाई होने के बाद जो भी हालत हुई वह यह थी कि सदर्न हिस्से भी उस फेडरेशन में शामिल कर दिये गये, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां जो अपर चेम्बर था उसकी ताकत को कम कर दिया जाय और दूसरे यूनिट्स की ताकत को बढ़ा दिया गया। हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं हुई। पणिक्कर साहब तकसीम को भी पेश करते हैं और वह कांस्टीट्यूशन में सुधार भी चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जो डामिनेटिंग पोजीशन है वह दूसरों को कुचल न दे। मैं भी नहीं चाहता कि तकसीम हो, आप अपने कांस्टीट्यूशन में तब्दीली कर दें ताकि उन माइनारिटीज को जो कि उत्तर प्रदेश के बराबर आबादी नहीं रखते, यह खतरा न पैदा हो कि वह यह समझें कि हम नीचे हैं, वह ऊंचे हैं। नीचा रहने वाला, जनाबवाला, ऊंचे वाले को हमेशा दूसरी निगाह से देखता है। मैं यह नहीं कहता कि हमारी हुकूमत ने या हमारे माननीय सदस्यों ने कोई ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से यह जज्बा पैदा हो गया, लेकिन वह कुदरती तौर पर पैदा हो गया है कि हम छोटे हैं और वह बड़े हैं। हमें चाहिये कि हम इसको दूर करने के लिये कांस्टीट्यूशन में जरूरी तदारुक करें। मेरी गुजारिश यह है कि अगर आप प्रदेश को तकसीम करना नहीं चाहते तो आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहिये कि वह कांस्टीट्यूशन की नीति ऐसी रखे कि जिसको अपनाकर यह खतरा मिट जाय।

माल उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा) (जिला जालौन)——माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है उसमें किसी को कोई मोटिव एट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। सबने अपनी-अपनी बुद्धि से जो देश के लिये और प्रदेश के लिये उचित है, कहा है। लेकिन कभी-कभी सोचने में गलती हो सकती है। हर वक्त हर आदमी का सोचना सही हो, यह बात नहीं हो सकती है। इसलिये यहां कोई बात अगर कही जाय उसका अर्थ यह

लगाया जाय कि वह कोई व्यक्तिगत चीज है उचित नहीं जान पड़ता। मेरे ख्याल में उसको यह सोचे कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह पुनस्संगठन राज्यों के होने का जो मन्शा है, उसको हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने जब पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य दिया था तो बतलाया था और उन्होंने एक कमीशन नियुक्त करने की बात कही थी। तो उन्होंने उसके आब्जेक्ट (उद्देश्य) के बारे में जो कहा था वह इसके पहले पेज पर दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि :--

"A Commission would be appointed to examine objectively and dispassionately the question of the reorganization of the States of the Indian Union so that the welfare of the people of each constituent unit as well as the union as a whole is promoted."

इस कमीशन का उद्देश्य यह था कि हर एक यूनिट और सारे देश का वेलफेयर जिस तरह से बढ़े उसी तरह से राज्यों का पुनस्संगठन हो। असल कसौटी इसके देखने की यह है कि आया नये राज्यों के बनाने से या राज्यों के घटाने या बढ़ाने से हमारे देश और यूनिट का कल्याण बढ़ेगा या नहीं। सब से बड़ी कसौटी यह है कि वह इस आब्जेक्ट को पूरा करता है या नहीं? उसमें अगर यह बात आती है और इस कसौटी पर जब आप इसको कसें तो यह आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप यह देखें कि हमारे सारे देश की इकोनामी अनडेवलेप्ड (आर्थिक अवस्था अविकसित) है। हमारा गरीब मुल्क है जो आज विकसित नहीं है। क्या आज हम उन अधिकारों के लिये लड़ें जिनके लिये कभी कोई मेजारिटी और माइनारिटी का नारा लगाकर इस देश में कुछ लड़ाई हुई? आज जब एक व्यक्ति के मन में यह बात है कि वह थोड़ी पापुलेशन की स्टेट का रहने वाला है इसलिये जिसमें ज्यादा आबादी है उसके खिलाफ वह कोई बात करेगा, तो जब यह चेतना आती है तब अधिकारों की बात रखी जाती है। लेकिन जब हमारी इकोनामी डेवलेप्ड नहीं है और विकास करना है तब हमको यह देखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में विकास किस तरह से हो सकता है? यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये कि आया बड़ी स्टेट रखने से हमारे भारत का विकास हो सकता है या छोटी स्टेट रखने से हमारा विकास हो सकता है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि छोटी स्टेट का विकास नहीं हो सकता है। अगर यह बात होती तो सारी सी क्लास स्टेट्स को मिलाने की बात नहीं होती। अगर छोटी स्टेट में ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती है तो छोटी स्टेट चल नहीं सकती है। वहां पर कोई विकास नहीं हो सकता है और आप के लिये विकास रुक जाता है। इसलिये छोटी स्टेट को खत्म करके बड़ी स्टेट बने, यह मंशा है और उसी मंशा की पूर्ति के लिये यह किया गया है और इतना ही कमीशन बैठाने का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के लिये यह कमीशन बैठा। इस दृष्टि से आप इस उत्तर प्रदेश को देखें तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि एक यूनिट में जो आज उत्तर प्रदेश है या जो उसमें रहने वाले हैं उनकी हालत का दूसरे राज्यों के साथ गठन करें तो उससे अच्छा होगा या बुरा होगा इस दृष्टिकोण से हमको इसको देखना है।

जो पणिक्कर साहब की तारीफ की गयी है मैं उससे सहमत हूं। मैं उनके दिल और दिमाग के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता। लेकिन एक अर्ज में यह करूंगा कि यहां पर देश का सदा ध्यान रखा गया है और यदि कांग्रेस ने इस देश के लिये लड़ाई लड़ी है तो वह सारे देश के लिये, देश के फायदे के लिये और देश की स्वतंत्रता के लिये उसने लड़ी है। इस देश में जो सबसे बड़ा दृष्टिकोण रहा है वह सारे के सारे देश के लिये रहा है। यही कारण था कि इस दृष्टिकोण के होने के कारण हमारे यहां कभी किसी ने महसूस नहीं किया कि किस राज्य की ज्यादा आमदनी है, किस राज्य के ज्यादा आदमी हैं और किस राज्य में कौन सी बात है? सबने मिलकर देश में एक होकर राष्ट्रीय उन्नति के लिये और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये काम किया है। वह दृष्टिकोण जब थोड़ा सा ओझल हो जाता है तो चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा, उसकी विचारशैली में परिवर्तन आयेगा। उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के ऊपर जो यहां डिबेट हुआ है, मुझे अफसोस है कि उसमें इस प्वाइंट आफ व्यू से काम नहीं लिया गया है कि देश का विभाजन न हो। यहां देश के विभाजन की बात नहीं है बल्कि बात तो यह है कि जो राज्य का पुनस्संगठन हो रहा है आया उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो, किस तरह वहां

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

के आदमी रहते है, उसकी जो अभी आमदनी है राज्य के पुनस्संगठन के बाद क्या उसकी माली हालत पहले से अच्छी हो जायगी जब यह दूसरा राज्य बन जायगा। अगर इस दृष्टि को रखते हैं तब तो ठीक है। लेकिन यदि वे इस दृष्टिकोण को सामने न रखे तो आपको वह मानना पड़ेगा कि न केवल उत्तर प्रदेश जितना है उतना रहे बल्कि जैसा कि माननीय रावत जी ने कहा कि यदि यहां के लोगों की माली हालत को सुधारना है तो वह प्रदेश जो हमारे वहां से मिलते-जुलते है जैसे मध्यभारत के ग्वालियर आदि चार जिले और विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश मे मिलाना होगा। इस दृष्टि से नही कि यहां की आबादी और बढ़ जायगी, बल्कि इसलिये कि यहां के रहने वालों की माली हालत सुधर जायगी, देश की माली हालत सुधर जायगी। उसके साथ ही साथ जो तीन-चार बाते कभी किसी राज्य के पुनस्संगठन के लिये ध्यान मे रखने की है वे शासकीय ला ऐंड आर्डर, भौगोलिक परिस्थिति, यातायात के साधन, वेलफेयर, एकोनामिक विकास ये सब बाते है जो सही माने मे प्रजातंत्र ढंग की है। इसका असर शासन के ऊपर भी आता है। छोटी यूनिट होगी तो ज्यादा खर्चा होगा। और हमको यह भी देखना है कि पब्लिक की क्या राय है, वहां के रहने वाले क्या चाहते है, उनका एग्रीमेंट है या नही ? ये चार मुख्य बाते है जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिये। मैने देखा कि सैनिक अखबार मे एक परचा लिखा हुआ है जिसमे आगरा राज्य का नकशा दिया गया है और उसमें बुन्देलखंड को शामिल किया गया है, ग्वालियर को शामिल किया गया है और खीचतान कर इटावा को भी शामिल किया गया है क्योंकि अगर इटावा को शामिल नही करते तो बुन्देलखंड से उसकी हद ही नही मिलती। जहां तक बुन्देलखंड के एग्रीमेंट की बात है वहां के किसी भी आदमी ने, एक भी आदमी ने किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है कि बुन्देलखंड को कही अलग कर दिया जाय और इसको कहीं दूसरी जगह मिला दिया जाय। बल्कि उसके बिलकुल खिलाफ बात हुई है कि बुन्देलखंड और विन्ध्य प्रदेश के सब लोग एक जगह इकट्ठे हुये और वहा तय हुआ कि बुन्देलखंड के चार जिले जहां है वही रहे और विन्ध्य प्रदेश अगर बरकरार रहे तो रहे लेकिन बुन्देलखंड का वह हिस्सा जो विन्ध्य प्रदेश के अन्दर है, अगर विन्ध्य प्रदेश टूटता है तो उसे उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, यह एग्रीमेंट की बात थी।

मैने दूसरी बात जो कही वह यह कि प्रशासन के लिये, ला ऐंड आर्डर के लिये जो दलीलें मध्य प्रदेश में मध्यभारत को मिलाने के लिये दी गई है और कही गयी हैं बुन्देलखंड से चम्बल की तराई वगैरह में ला ऐंड आर्डर की खराब हालत है हो सकता है कि खराब हालत हो, लेकिन उसके लिये जो दलीलें दी गयी है कि इससे वहां की हालत दुरुस्त हो जायगी, वे दलीलें इस बात को साबित करती है कि वे बाते पूरी की पूरी नहीं उतरतीं। फिर क्यों नहीं मध्य भारत के हिस्से के वे चार जिले उत्तर प्रदेश में मिलाते हैं। यह कहा गया है कि उस हिस्से के लिये राजस्थान ने कोई क्लेम नहीं किया है, और ९९ प्रतिशत हिन्दी बोलने वाले है इसलिये शायद राजस्थान ने क्लेम नहीं किया। और कहा गया कि चम्बल की घाटी से आगरा, झांसी डिवीजन को मिलाते है और मध्य प्रदेश से मध्य भारत को मिलाते है तो वैसे ही एक यूनिट हो जायगी। करीब-करीब एक यूनिट हो जायगी लेकिन फिर भी यू० पी० और मध्य प्रदेश दो ही यूनिट होंगे। वह दो तो रहेंगे। अगर वह मध्य भारत का भाग इस प्रांत में मिलाया जाता है तो वह तो ला एन्ड आर्डर की समस्या हल होती है। इसी तरह से विन्ध्य प्रदेश की बात है, अगर वहां कोई कमजोरी है तो एक शासन में आने के बाद नहीं रहेगी। कमीशन के सदस्यों की ओर से भी दलील दी गई है कि विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाय और उसके अलावा एक दूसरी दलील भी है कि माताटीला बांध के सिलसिले मे, क्योंकि वह ३ प्रदेशों मे होकर जाता है, तो उसमें झगड़ा पड़ता है इसलिये उस भाग को अगर करीब-करीब उसमें मिला दिया जायगा तो बहुत आसानी होगी और खर्च भी कम हो जायगा। यह स्कीम हमारी सरकार की ही है, वह ६ करोड़ की इर्रीगेशन की स्कीम है और ४ करोड़ की बिजली की है क्योंकि उनके कहने के अनुसार भी २ प्रदेशों में समस्या ठीक से हल नहीं होती। इस तरह से सब एरिया इस प्रदेश में आ जायगा तो विकास भी अधिक सम्भव हो सकेगा और कोई प्रदेशीय

झगड़ा न रहेगा और न इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह से जहां तक शासकीय और ला एन्ड आर्डर की बात है मध्य भारत जो प्रस्तावित है उसका एक सिरा राजस्थान और दूसरा उड़ीसा से मिलता है और सब रकबा मिलाकर एक लाख ७१ हजार वर्गमील होगा। उसका सिर्फ इसलिये दिया जाय कि इस प्रदेश की आबादी ज्यादा होगी। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि इस समस्या को शुरू से गलत तरीके से उठाया गया। अगर केवल यह सोचा जाता कि इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो तो ठीक था, लेकिन दोनों तरफ से लोग डरने लगे कि कहीं कोई ज्यादा मांग करेगा तो विभाजित कर देंगे और वह भी जो मांगने वाले थे उन्होंने भी नहीं मांगा कि हमारा ही दे दें। देखना यह चाहिये कि इस सूबे की बहबूदी कैसे हो सकती है और कैसे पुनस्संगठन के बाद खुशहाली होगी। मैं कहूंगा कि डाक्टर पणिक्कर साहब की जो दलीलें हैं कि इस सूबे में शिक्षा की कमी है और दूसरी चीजें हैं या विकास कार्य में कम रुपया व्यय होता है, मैं कहता हूं उनकी यह दलील तो हमारे पक्ष में है कि यहां रकबा कम है और साधन कम हैं, और हमारी आबादी अधिक है, और यदि हम अपने यहां इन चीजों पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपनी बढ़ी हुई आबादी की उन्नति के लिये क्षेत्र मिलना चाहिये, जिससे विकास पर और कम्युनिकेशन्स आदि पर हम और अधिक खर्च कर सकें। ग्वालियर के बारे में उन्होंने कहा कि जब उधर रेल बन जायगी तो मिला दिया जायगा, लेकिन सवाल यह है कि जहां आलरेडी रेल बनी हुई है वहां उसको क्यों न मिला दिया जाय? जहां तक सेफ्टी का सवाल है जो बार्डर की स्टेट है उनको खास तौर से हमें देखना है और देखना है कि सुरक्षा की दृष्टि से वह कितनी मजबूत है? और साथ ही यह भी देखना होता है कि उसका आर्थिक विकास कैसे संभव हो सकता है। हमारे यहां तो अधिकतर कृषि क्षेत्र है लेकिन ग्वालियर और विन्ध्य प्रदेश का जो रकबा है वहां मिनरल एरिया भी है। सन् ५४ में एक पत्रिका निकली थी वहां से उसमें लिखा हुआ है कि—

"Iron ore occupies the next place of importance in the hills. Another mining lease has been granted for Panihar village, near Gwalior, within ten miles of which occurrence of this ore has been found."

वहां ७७ एकड़ में ४ हजार टन लोहा निकाला गया था और बुन्देलखंड में जो अबरक आदि हमें निकलता है उससे हम काफी विकास आदि कर सकते हैं। अगर सारे देश की दृष्टि से देखें तो यदि वह मिनरल एरिया इधर मिलाया जाय तो हम अधिक उन्नति और विकास कर सकते हैं। मिनरल्स दी जायं तो हम लोग डेवलप करेंगे। हमें मध्य प्रदेश से कोई चिढ़ नहीं है लेकिन अगर एग्रीमेंट हो और यदि मध्य भारत के लोग, तख्तमल जी जैन, जो मध्य भारत के प्रधान मंत्री हैं वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय तो मेरे ख्याल में जब वहां के लोग चाहते हैं और भौगोलिक इंटेग्रिटी है तो फिर उनको यहां से अवश्य मिलाना चाहिये।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था, परन्तु अभी एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने शर्मा जी से पहले भाषण दिया, मुझे कुछ कहने के लिये प्रेरित कर दिया। उन्होने बहुत बड़ी आपत्ति माननीय उपाध्याय जी के भाषण के सम्बन्ध में उठाई और यह कहा कि अखबारों में आज माननीय उपाध्याय जी का भाषण निकला है जिसके लिये उन्हें बहुत आपत्ति है। मैंने भी अखबार का अध्ययन किया था यद्यपि मुझे माननीय उपाध्याय जी के भाषण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मुझे उनके भाषण में कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई दी। उन्होंने माननीय पणिक्कर जी का जिक्र किया और उनकी योग्यता के विषय में चर्चा की। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसा समझते हैं कि माननीय पणिक्कर जी हमारे देश के इतिहास के वेत्ताओं में एक है, विद्वान् व्यक्ति हैं और शिक्षक के नाते उन्होंने मेरे ऐसे विद्यार्थियों को बहुत कुछ शिक्षा भी प्रदान की है। लेकिन उसी इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते मुझे भी इस बात का अधिकार है कि उन्होंने जो बातें उत्तर प्रदेश के विषय में कही है और अपना जो मत रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों से इस विषय में भिन्न मत प्रकट किया है उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। यदि हम इस रिआर्गे-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को आद्योपान्त अध्ययन करें तो हमे अनुभव होगा कि माननीय पणिक्कर जी ने जो नतीजा उत्तर प्रदेश के सिलसिले मे निकाला वह उन मूल सिद्धान्तों से, जिन्हें उन्होंने स्वयं अपनी इस रिपोर्ट मे लिखा है, वह नतीजा बिल-

के विषय में प्रारम्भ में ही इस रिपोर्ट मे व्यक्त की है उनमे से एक बात उस कौस्ट के बारे मे है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दीली होने पर देनी होगी, कास्ट आफ चेंज क्या होगी ? उन्होंने इस रिपोर्ट के एक चैप्टर मे कहा है। दूसरी बात उन्होंने फाइनेंशल लाइबिलिटी के सिलसिले मे कही है। तीसरा उन्होंने लैंगुएज ऐंड कल्चर के विषय मे कही है। चौथी लार्जर वरसेस स्मालर स्टेट्स के विषय मे अपने विचार व्यक्त किये है और पांचवीं बात उन्होंने हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी के विषय मे भी कही है, और उसे भी एक स्टेट के कायम करने के विषय मे एक आधार बताया है। मै अपनी तरफ से कुछ न कहूंगा। उस रिपोर्ट के इन्हीं चैप्टर्स के कुछ सेंटेंसेज और कुछ पैराज को आपके समक्ष उद्धृत करने की चेष्टा करूंगा।

श्री अध्यक्ष——मै माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १५ मिनट ही है। उसके हिसाब से ही अपने भाषण को सीमित करना है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मै चूंकि तमाम बहसों मे जाना नहीं चाहता और केवल पणिक्कर जी की दलील के ही बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं इसलिये मै अवश्य ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मैं ५, ७ मिनट में उनकी बातों की इनकांसिस्टेंसी इस सदन के समक्ष व्यक्त कर सकूं। माननीय सदस्यों ने बड़े-बड़े एतराज किये और बहुत बातें उनकी प्रशंसा मे कहीं। मै भी उनके प्रशंसकों में हूं लेकिन उनकी काबिलियत का ही, जो बात उन्होंने कही उस का प्रशंसक नहीं हो सकता। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते और जिसने खुद भी इस रिपोर्ट को पढ़ने का प्रयत्न किया हो मै माननीय सदस्यों का ध्यान कास्ट आफ चेंज नामक चेप्टर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उसमें उन्होंने जिन बातों को स्वयं रक्खा है। पेज २५-२६ पर पैरा ९४ मे उन्होंने लिखा है :——

"Before we go into these and other principles relevant to the task with which we are charged, it would be well to take note of the unsettling consequences of reorganization. The pace of change in recent years has been such and the changes themselves have been so far-reaching that there has been a general tendency to assume that the administrative and financial consequences of reorganization cannot be serious. This is an unrealistic view. Changes in the existing set-up resulting in the breaking up of old ties and the creation of new associations must involve, atleast during the transitory phase, a large-scale dislocation of the administrative machinery, no less than of the life of the people. As the J. V. P. Committee has pointed out, whatever the origin of the existing units, and however artificial they might have been, a century or so of political, administrative and, to some extent, economic unity in each of the existing State areas, has produced a certain stability and a certain tradition. Any change would naturally have an upsetting effect."

प्रारम्भ में ही उन्होंने यह बात व्यक्त की है कि बहुत सी स्टेट्स चाहे जैसे भी वे बनी हों, उन्होंने इन १०० वर्षों के बीच में कुछ ट्रेडीशंस पैदा कर दिये है। अगर उनमें कुछ तब्दीली करते हैं तो हमारे बीच में एक अपसेटिंग पैदा हो जायगी। पैरा ९८ में यह कहा है——

"The process of disintegration and reintegration of the existing administrative units must also entail serious dislocation of the administration."

२९वे पेज पर पैरा १०६ में यह कहा है —

"A preliminary but essential consideration to bear in mind, therefore, is that no change should be made unless it is distinct improvement on the existing position and unless the advantages which result from it, in terms of the promotion of 'the welfare of the people of each constituent unit, as well as the nation as a whole' —the objectives set before the Commission by the Government of India—are such as to compensate for the heavy burden on the administrative and financial resources of the country which reorganization of the existing units must entail. The reorganization of States has to be regarded as a means to an end and not an end in itself; that being the case, it is quite legitimate to consider whether there is on the whole a balance of advantage in any change."

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब उन्होने स्वयं इस प्रकार के आधार पर स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के विषय मे मान्यताएं बनायीं तब ऐसी स्टेटस मे जो कि १०० वर्षों से स्वयं उनके शब्दों मे चली आ रही है यदि उसमे परिवर्तन किया जाय, उसके ट्रेडीशंस को तोड़ने की कोशिश की जाय तो क्या जो आज ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमे अपसेटिंग न होगी, और क्या यह हमारे बीच मे दिक्कते उत्पन्न न करेगी ? यूनिटी एण्ड सेक्योरिटी आफ इंडिया के विषय मे भी उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किये है उसमे उन्होने यह कहा है कि यदि छोटी-छोटी स्टेट बनेगी, और खास कर हिन्दुस्तान के उस कोने पर जो कि बाहर के देशों से घिरा हुआ हो, और जिस पर हमला किया जा सकता हो वह भी हिन्दुस्तान के हित मे न होगा। मै माननीय सदस्यों का ध्यान पेज ३४ पर पैरा ११६ की ओर आकर्षित करूंगा। उसमे उन्होने कहा है—

"This puts succinctly the case for larger States on the frontier. It seems clear to us that, when a border area is not under the direct control of the Centre, small units and multiplicity of jurisdictions, would be an obvious handicap from the point of view of national security."

यदि ऐसी बात है और उत्तर प्रदेश हमारा ऐसे प्रदेशों मे से है जो कि बार्डर पर बसा हुआ है, जिसके ऊपर तिब्बत है, और जिसके नजदीक पंजाब को छोड़ कर पाकिस्तान का मुल्क है तो ऐसे प्रदेश का हम विभाजन करे तो उससे इस देश की सेक्योरिटी और यूनिटी है वह स्थापित रह सकेगी ? अतः उनका यह विचार व्यक्त करना कि उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाय यह कहां तक उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके आधार पर हिन्दुस्तान की यूनिटी को उन्होंने एडवोकेट किया है ? फिर उन्होंने पृष्ठ ५४ पर "रिक्वायरमेंट्स आफ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स" शीर्षक के अधीन एक्स्ट्रा कास्ट आफ रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में बताया है। पृष्ठ ५४ पर पैरा १८९ मे उन्होंने लिखा है—

"It is also necessary that the direct extra cost of reorganization should be as little as possible; and some economy in existing expenditure may even be aimed at. The claims which have been made in the memoranda submitted to the Commission are so numerous and are of such variety that if they were to be substantially met the burden of extra non-development expenditure on Governors, Legislatures, etc., is bound to be very heavy. It is obvious, however, that at a time when all the available resources are to be used for the purposes of the plan, and when attempts are being made to increase such resources through economy in non-development expenditure, a scheme of reorganization which significantly increase load of non-development expenditure would be prejudicial to the national interests."

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने यहां इस बात को व्यक्त कर दिया तो एक प्रदेश जो कि सौ वर्षों से चला आ रहा है, उसके टुकड़े कर के हम उसका नान-डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ा दें, दूसरा लेजिस्लेचर बना कर, गवर्नर और मिनिस्टर आदि बढ़ा कर, और ऐडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा ढांचा बना कर तो क्या यह प्रेजुडिशल नहीं होगा उस विकास के लिये, जिसको उन्होंने आधार माना है नये राज्य निर्माण करने का? इसी प्रकार से पणिक्कर महोदय ने बड़े राज्यों के विषय में और उत्तर प्रदेश के बड़े होने के विषय में जो विचार प्रकट किया है, वह उनके उन विचारों के विपरीत है, जो उन्होंने स्मालर वरसस लार्जर यूनिट्स के विषय में पृष्ठ ६१, पैरा २१८ में व्यक्त किये हैं--

"In actual practice, some of the larger States in India have proved to be the best administered. In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit. There are other factors, such as economic and social conditions within the different areas; political consciousness, tempers and traditions of the people; and the political acumen and the sense of public service of the leaders in different areas, which set the pace of progress and administrative efficiency."

वहां उन्होंने उस रिपोर्ट को लिखने से पहले बड़ी स्टेट्स और छोटी स्टेट्स के विषय में, जो विचार व्यक्त किये हैं, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि बड़ी स्टेट्स का ऐडमिनिस्ट्रेशन एफीशेंट होता है। मैं नहीं समझता कि अगर हम उस उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटें जो १०० वर्षों से अपना कार्य चलाता रहा है, तो वह क्या एफीशेंसी की तरफ हमें ले जायगा?

फिर मैं आप का ध्यान उस स्थल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां उन्होंने स्वयं कहा है--

"The wishes of the people, to the extent they are objectively ascertainable and do not come into conflict with larger national interests, should be an important consideration in re-adjusting the territories of the States."

यदि वे स्वयं इस प्रकार के विचार अपनी रिपोर्ट में व्यक्त करते हैं, तो मैं बहुत अदब के साथ जानना चाहूंगा कि उन बातों का क्या आधार है जिनकी बिना पर उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े कर दिये जायं? प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपने विचार इस विषय में प्रकट किये हैं। इस सदन में चन्द साहेबान ने विचार प्रकट किये हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उन सदस्यों में से, जो इस प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, यदि एक या दो व्यक्ति या इस सदन के सदस्यों में से १५, २० या २५ व्यक्ति अपना विचार विभाजन के पक्ष में रखते हैं तो क्या उससे यह मान लिया जायगा कि यह आम जनता का ख्याल है, और आम जनता बटवारे के हक में है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बिलकुल विदित हो गया है कि श्री पणिक्कर के विचार जो उन्होंने अपनी मिनिट आफ डिसेंट में व्यक्त किये हैं, वे उन विचारों से, जो उन्होंने स्टेट्स के रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, संगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश लम्बा-चौड़ा है इसलिये उसका प्रभाव सारी इंडियन यूनियन पर पड़ता है। उन्होंने अपनी मिनिट आफ डिसेंट में फेडरेशन कैसा होना चाहिये, उसके विषय में भी बताया है। उन्होंने हमारे फेडरेशन की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की फेडरेशन से कर दी। लेकिन मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरेशन स्ट्रक्चर है वह हमारे फेडरेशन स्ट्रक्चर से बिलकुल भिन्न है। वहां जो सिनेट को अधिकार हैं वह क्या यहां पर हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका का सिनेट है, उसे तो लड़ाई छेड़ने और अन्य बहुत बड़े-बड़े अधिकार हैं। परन्तु अपने यहां तो ऐसी बात नहीं है। जहां तक हाउस आफ दि रिप्रिजेंटेटिव्स का सवाल है, जो रिप्रिजेंटेटिव्स जाते हैं, वह जन संख्या के अनुपात में जाते हैं और जब जन संख्या के अनुपात में वह जाते हैं और पहले से भी जाते रहे हैं तो आज के बदले हुये वातावरण में यह कहना चाहता हूं कि आज का बदला हुआ तावरण और उसके मुकाबले में मैं आज से २० वर्ष पहले का वातावरण ....

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया। एक ही मिनट मे आप अपना सेंटेंस खत्म करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो किसी प्रदेश का प्राबल्य या बहुमत है, वह जांचा नहीं जाता है उस के मेम्बरों की संख्या द्वारा, वह जाचा जाता है दलों के

चुन कर आ जायं और वह सरकार केन्द्र मे बनाये। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से अधिक व्यक्ति किसी दल के तहत मे घुस जायं और वह सरकार बनाये। कहने का तात्पर्य यह है कि स्टेट्स आगे आने वाले भारत मे उतनी ताकत नहीं रखेगी जितनी कि पोलिटिकल दल और पोलिटिकल विचार। इसलिये मे यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस विचार की चर्चा करना नितान्त आवश्यकीय नही है। अगर हम चाहते है कि उत्तर प्रदेश के बारे मे कोई राय साउथ मे खिलाफ न हो तो उसके लिये उत्तर प्रदेश को वे कार्य करने चाहिये जिससे कि साउथ वाले यह समझे कि उत्तर प्रदेश वास्तविक रूप से उनकी सेवा करना चाहता है।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व मे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस सदन मे इस वाद विवाद मे बहुत से सदस्यो ने उत्तेजना से काम लिया और अपने विपक्ष वालो के सम्बन्ध मे कुछ ऐसे शब्द कहे कि जो अनुचित थे, जो उनकी नियत पर सन्देह करते थे और जो इस सदन के लिए शोभा नहीं देते थे। ९७ सदस्यों ने जो एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किये थे और अब उसके विरुद्ध है, उनकी नियत पर भी हमला किया और यहां तक कह डाला कि यह जो बदले है इस कारण बदले है कि उनके ऊपर दबाव है। असली राय उनकी वही है जो उन्होंने जिस समय हस्ताक्षर किये थे। मै नहीं चाहता था कि उस बात पर कि जो इस सदन से बाहर हुई है, उस पर कुछ कहूं, परन्तु जब यह बात........

श्री अध्यक्ष--मै समझता हूं कि ऐसी चीजों को जब आप उचित नहीं समझते है तो क्यों आप उठाते है? किन्तु आप शायद उन लोगों मे से है जिन्होंने नाम वापस लिया है?

श्री रतनलाल जैन--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो फिर कह सकते है।

श्री रतनलाल जैन--मै भी उन लोगों मे से हूं जिन्होंने हस्ताक्षर ही केवल नहीं किये थे बल्कि प्रारम्भ मे संचालन करने वालों मे से एक मै भी था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस समय हमारी क्या भावना थी और वह क्यों परिवर्तित हुई? इसमे कोई संदेह नहीं है कि पश्चिमी जिले वालों को इस सम्बन्ध मे एतराज था कि हमारे पश्चिमी जिलों के सुधार के कामों मे खर्चा नहीं किया जा रहा है। जब पश्चिम वाले सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र मे जाते है और कहते है कि हमारी सरकार यह कर रही है, तो वहां के लोग कहते है कि आपने हमारे यहां क्या किया? इसीलिए उनमे एक असन्तोष था और इस असन्तोष के कारण यह भावना पैदा हुई थी कि हमारे प्राविंस का विभाजन हो जाय तो यह अच्छा होगा ताकि उधर भी कार्य हो। परन्तु जब इस पर कांग्रेस के सदस्यों की एक बड़ी मीटिंग हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर एक रोशनी डाली और कहा कि इस कार्य के लिए विभाजन करना तनिक भी उचित नहीं है, जो आप लोगों की इच्छा है उसका पूरा ध्यान रखा जायगा।

[श्री रतनलाल जैन]

इसके पश्चात विभाजन के संचालकगण और सदस्यों की एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि हम अपनी इस योजना को छोड़ दें और पन्त जी के पास जाकर यह कह दें कि हम इस विभाजन की भावना को जो मेमोरेंडम के अन्दर दिखलाई गयी है हम छोड़ देते हैं। चुनांचे दो तीन व्यक्तियों को छोड़ कर सबकी सम्मति से यह निश्चय हो गया । अगले दिन कुछ सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जाकर इस भावना को प्रकट कर दिया। केवल दो-तीन सदस्य इस राय के विरुद्ध थे और उन्होंने ही बाद को विभाजन की राय कायम रखी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें केवल यह भावना थी कि पश्चिमी जिलों में भी कुछ कार्य हो जाय। यह जरूर है कि पहिली पंचवर्षीय योजना में पश्चिम में बहुत कम काम किया गया लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं तो उसमें पश्चिमी जिलों के लिये काफी किया जा रहा है। जहां मिर्जापुर में रिहैन्ड डैम बनाया जा रहा है वहां बिजनौर जिले के पास गढ़वाल के किनारे पर एक बड़ा भारी रामगंगा डैम बनाया जा रहा है जिसमें ४२ करोड़ रुपया खर्च होगा जो रिहैन्ड डैम से भी अधिक होगा। उससे जो सिंचाई होगी वह भी पश्चिमी जिलों में होगी और केवल बिजनौर में ही नहीं बल्कि मथुरा और आगरा के जिलों में भी होगी। साथ में जो बिजली बनेगी वह तमाम पश्चिमी जिलों को पहुंचेगी। इसके अलावा जहां आज मिर्जापुर जिले में सरकार ने एक सीमेंट फैक्टरी बनायी है वहां देहरादून घाटी में और पश्चिमी जिलों में भी कोई न कोई इंडस्ट्री और खास तौर से कागज की इंडस्ट्री खड़ी की जायगी। इसलिये मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले दस्तखत किये थे उन्होंने केवल इस भावना से किये थे कि पश्चिमी जिलों का खयाल किया जाय। उन्होंने किसी दबाव के कारण अपने दस्तखत वापस लिये यह मैं कैसे समझ सकता हूं। वे कांग्रेसी सदस्य जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुकाबिला किया, क्या वे आज छोटी-छोटी बातों में पड़ कर अपने को इतना नीचे गिरा लेंगे कि किसी के दबाव में आ जायं ?

विभाजन के पक्ष में बार सबूत उन लोगों के ऊपर है जो विभाजन चाहते हैं। यह इस सदन में मान लिया गया है कि जहां तक भाषा और संस्कृति का सवाल है वह एक ही है। फिर शासन की बात कही गयी कि यहां का शासन ठीक नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि प्रशासन में जो उन्होंने फीगर्स लिये हैं वे सन् ५०-५१ के लिये हैं। इस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने बड़ी प्रगति की है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा दूनी हो गयी है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है। अगर हम ऊंची शिक्षा को देखें तो हायर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीजियेट कालेजेज की संख्या भी बहुत बढ़ गयी है, अस्पतालों की संख्या भी पहले से बहुत बढ़ गयी है, अन्न के मामले में हम अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं, तो हम कैसे कह दें कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, इस सूबे का प्रशासन किसी से नीचा नहीं है। अगर आप दूसरे प्रदेशों में जायं तो वे उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तारीफ़ करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि हमारा प्रशासन खराब है ?

एक बात यह कही गयी कि जो राष्ट्रीय योजनायें हैं उनको सफल करने में हम समर्थ हैं या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश समर्थ ही नहीं बल्कि बहुत से कार्यों में सब में अगुआ रहा है। पहली बात जमींदारी उन्मूलन की है जिसे इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। दूसरी बात पंचायत राज की है। इसमें भी यह प्रदेश सब से पहला रहा है। श्रमदान के मामले में जो भावना इस प्रदेश में उत्पन्न की गयी है वह भी सब को मालूम है। साथ ही साथ जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम है वह सब से पहले हमारे प्रान्त में इटावा से प्रारम्भ हुई है। जो प्रदेश उत्थान के कार्यों में इतना नेतृत्व करता हो उसको कैसे कहा जा सकता है कि अयोग्य है ।

चौथी बात एकता की है। मैं यह कह सकता हूं और हमारे मान्य सदस्य जितने बैठे हैं वे जानते हैं कि एक हमारा ही प्रान्त ऐसा है जिसमें प्रान्तीयता नहीं है। जो दूसरे सूबे हैं वे इसको इसीलिये हिन्दुस्तान के नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से भाषा के आधार पर आज प्रान्त बनाये जा रहे है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें प्रान्तीयता बढ़ेगी। इसको रोकने के लिये हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक तो यह कि हम प्रजातन्त्र को मजबूत करें। इसके लिये हमारे पास पार्टी सिस्टम है। विभिन्न दलों की भावनाओं के आधार पर वोट दिये जायं। जैसा कि आज हो रहा है उसमें प्रांतीयता का प्रश्न नहीं आता है, यह कम हो जाती है।

दूसरी चीज यह है कि जब हमारे और प्रदेश जब भाषा के आधार पर बन गये हैं, जैसे बंगाल बन गया, आंध्र बन गया, कोई तेलगू भाषा पर बन गया. कोई कन्नड भाषा पर बन गया, और कोई तामिल भाषा पर बन गया और कोई गुजराती भाषा पर बन गया, तो हमारा प्रदेश ही रह जाता है। यानी जब सब लड़ने लगे तो हमारा प्रदेश ही एक माडरेट इंफ्लुएन्स रख सकता है. इसलिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है एकता रखने के लिये। जहां तक सिक्यूरिटी का सम्बन्ध है, मुझे अनुभव है उस जमाने का, जब १९४७ में मुस्लिमलीग का बड़ा जोर था, जनसंघ का बड़ा जोर था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंजाब में मारकाट हो रही थी और उस समय हमारे सहारनपुर, हरिद्वार और लक्सर तक में यह बात बढ़ती जा रही थी। उस समय मैं बिजनौर कांग्रेस कमेटी का प्रधान था, और जिस समय यह लड़ने वाले गंगा नदी पार करके आने लगे थे तो हमने मल्लाहों से कह दिया था कि इनको नदी से मत उतरने दो। यदि उस समय का प्रशासन तगड़ा न होता और यह लोग घुस आते तो न जाने हमारे प्रदेश की क्या दशा होती ! यह हमारे यहां की सिक्यूरिटी का सबूत है। तो आज हम इसको टुकड़े करके किस प्रकार से कम हो जाने दें। जहां तक बड़े होने का प्रश्न है मैं इसको बुरा नहीं समझता हूं।

पणिक्कर साहब ने लिखा है उसका और देशों में भी प्रश्न था, जैसे जर्मनी में प्रशिया का था, रूस में ग्रेटर रूस का प्रश्न था, और अमेरिका में न्यूयार्क का प्रश्न था। इन देशों में भी अपने यहां के प्रश्न को हल किया है जो ऊपर का हाउस है उसको अधिकार देकर। इसी प्रकार हमें कोई एतराज नहीं है। वह संविधान में परिवर्तन कर लें, राज परिषद के अधिकार में परिवर्तन कर दें, और अधिकार बढ़ा दें और वहां पर प्रान्त के रिप्रेजेंटेशन को बराबर रख दें, जो और देशों ने किया है। मैंने इसलिये इनका उदाहरण दिया कि हम भी क्यों न इसी पर चलें। अपने प्रदेश की एकता और सिक्यूरिटी को कम करने की क्या जरूरत है। मैं तो इस विचार का हूं कि इसको और दृढ़ किया जाय।

आज जैसा कि हमारे दोस्तों ने सुझाव दिया है मैं भी चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के पड़ोस में जो जिले हैं और जो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम उनको मिला लें। हमें यह देख कर खेद होता है कि हमारे ऊपर एतराज होता है, और आसपास के छोटे-छोटे प्रान्तों को मिला कर एक बहुत बड़ा प्रान्त बना रहे हैं जैसे मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बचे हुये हिस्से को और भोपाल को मिला कर एक प्रान्त मध्य प्रदेश के नाम से बना रहे हैं। इसका रकबा करीब १ लाख ७१ हजार २०० वर्गमील है और इसमें भी कितनी विभिन्नता है ? वहां तो यह कर रहे हैं और हमारे ऊपर एतराज करते हैं ! मैं उचित समझता हूं कि मध्य भारत के ग्वालियर, मुरेना, शिवपुरी तथा भिंड और विन्ध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़ वग़ैरा और बघेलखंड के रीवां आदि जिलों को अगर वह तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाय। जैसा कि राजा वीरेन्द्रशाह का प्रस्ताव है इन जिलों को मिला लिया जाय। इनके मिलाने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ५७ लाख आबादी और

[श्री रतनलाल जैन]

आ जायगी और ३५ हजार वर्गमील रकबा रह जायगा और फिर हमारे प्रदेश का रकबा १ लाख ४८ हजार वर्गमील होगा और मध्य प्रदेश का कुल रकबा ७१ हजार २०० मील के स्थान पर १ लाख ३५ हजार रह जायेगा। इसलिये मुझे यह बात ठीक जंचती है। मैं तो उनसे यह अर्ज करूंगा कि जो उनके आक्षेप है उनके लिये वह अभिप्राय में परिवर्तन करा लें।

अब रही हमारे और भाइयों के आक्षेपों की बात। जो आक्षेप हमारे इस सदन में बैठे हुए कुछ भाइयों ने किये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शायद उनका ख्याल है कि गवर्नमेंट पूरब के जिलों को इतनी [illegible] नहीं। मैं उनसे यह कहूंगा कि यह हमारी संकीर्णता होगी कि जो प्रदेश पिछड़े हुए हैं उनकी हम सहायता न करें। मैं तो कहूंगा कि करीब ६०, ७० फीसदी हिस्सा उनके लिये खर्च होना चाहिये और २५, ३० फीसदी हमारे उन्नत प्रदेशों के लिये। मैं समझता हूं कि मेरे इस बात को हमारे पश्चिमी भाई भी पसन्द करेंगे।

कुछ भाइयों ने अम्बाला कमिश्नरी को उत्तर प्रदेश में शामिल करने की बात कही। मेरी समझ में वह नहीं आई। जहां तक मैं जानता हूं अम्बाला के आदमी और पंजाब के आदमी एक प्रदेश महापंजाब के समर्थक हैं, वहां की हिन्दू जनता महापंजाब की समर्थक है और उनकी यह इच्छा नहीं है कि अम्बाला कमिश्नरी को निकाल कर एक नया प्रदेश कायम किया जाय। मुझे तो अपने भाइयों के विचारों पर खेद होता है कि जब वह चाहते हैं कि हम उन प्रदेशों को मिला कर एक नया राज्य तैयार करें कि वहां के लोग ऐसा होने देना नहीं चाहते। वह प्रदेश जो सौ, डेढ़ सौ बरस से मिला हुआ है और जिसका काम ठीक तरह से चल रहा है और जो अलग होना नहीं चाहते। मैं इस तरह से जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से उत्तर प्रदेश के पुनस्संगठन अथवा विभाजन के [illegible] प्रभावोत्पादक और विद्वतापूर्ण वक्तायें हो रही हैं। वास्तव में यह प्रश्न इतने महत्व का प्रश्न है कि जिसमें अत्यन्त गंभीरतापूर्वक वक्ताओं को भविष्य को देखने और विचार करने की आवश्यकता है।

इस विभाजन और पुनरसंगठन की मांग को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होगा कि यह मांग देश के, राष्ट्र के विभाजन की नहीं है बल्कि प्रदेश के विभाजन की है। इसमें यह सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता कि जो किसी राष्ट्र विभाजन के संबंध में लागू किया जा सकता है। जब हम अमरीका, आस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस आदि दूसरे देशों की उन योजनाओं और [illegible] को देखते हैं कि जिनके आधार पर वहां प्रदेशों का विभाजन किया गया है, तो हमें यह स्पष्ट होता है कि वहां भाषा के, संस्कृति के आधार को छोड़कर बहुत ही कम ऐसी बातें [illegible] हुईं कि जिनके आधार पर प्राविंसेज का, प्रदेशों का विभाजन किया जाय। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में जिस समय वाशिंगटन में रिपब्लिक की घोषणा हुई उस समय तेरह राज्य थे। आज उसमें ४८ राज्य हैं, लेकिन आज तक उनमें परस्पर बटवारे का प्रश्न पैदा नहीं हुआ। वहां के प्रान्तों में प्रशासकीय दृष्टिकोण से बटवारे का प्रश्न आज तक पैदा नहीं हुआ। रूस में भी जो प्रान्तों का विभाजन हुआ वह विभाजन भाषा और नेशनेलिटी के आधार पर हुआ, केवल शासन प्रबन्ध के दृष्टिकोण से वहां पर प्रान्तों का विभाजन नहीं हुआ। आज भी जो हम परिवर्तन देखते हैं, जो परंपरा स्थापित होते देखते हैं उसकी सबसे बड़ी ताजी मिसाल पाकिस्तान में मिलती है जहां तीन, चार प्रान्तों को मिला कर एक यूनिट बनाने की परिकल्पना वहां की राष्ट्रीय सरकार को अभी हाल में करनी पड़ी। वहां उन्होंने भाषा के प्रश्न को ठुकरा दिया, संस्कृति के प्रश्न को ठुकरा दिया, जिसे हम भारत में मानते हैं। लेकिन वहां परिस्थिति विशेष के कारण एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"वन यूनिट स्कीम" लागू करना उनके लिये अनिवार्य हो गया। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करने का [illegible] है।

अगर हम उत्तर प्रदेश [illegible] इतिहा[illegible] हम यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश [illegible] बना [illegible] बनाया। वही ब्रिटिश नौकरशाही की देन है यह [illegible] चाहते कि यह उत्तर प्रदेश जैसा कि आज है वह उस नौकरशाही ने [illegible] संगठित किया था। आखिर इस उत्तर प्रदेश को सन् १७७५ में [illegible] पहली बार ईस्ट इंडिया कम्पनी को दिया। तत्पश्चात् १८०१ में [illegible] सआदतअली अवध के नवाब थे, उस समय गंगा और यमुना के बीच के [illegible] को अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को दिया। उसके बाद १८०३-४ में जब मरहठों [illegible] युद्ध [illegible] यमुना के उत्तर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा उस समय [illegible] मरहठों से [illegible] लिया। १८१६ के करीब गढ़वाल और कुमायूं का हिस्सा गुरखों [illegible] अंग्रेजों ने इसमें मिलाया। उस समय बंगाल की प्रेसिडेन्सी के मातहत यह हिस्सा था। तत्पश्चात् १८३६ में इस अवध को लार्ड डलहौजी ने एक प्रांत के रूप में स्थापित किया और उस समय इसका नाम नार्थ वेस्ट प्राविन्स अंग्रेजों ने [illegible] स्थापित किया और १८५६ में अवध का प्राविन्स डलहौजी ने स्थापित किया। इस [illegible] तो इसके दो हिस्से हो गये। एक तो नार्थ वेस्ट प्राविन्स जिसको आगरा [illegible] जाता था, और दूसरा अवध प्रान्त जो कि बीच में था, और जिसको डलहौजी ने [illegible] लिया था। लेकिन उनका पुनस्संगठन किया गया और वह मजबूरी [illegible] संगठित किया गया तो इन दोनों राज्यों को मिलाया। फिर १८७० में इस नार्थ वेस्ट प्राविन्स को और अवध को मिलाया गया। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों को शासकीय आवश्यकताओं को देखते हुये इन दोनों हिस्सों को मिलाना पड़ा। उस समय यह नार्थ वेस्ट एन्ड अवध के नाम से मशहूर हुआ। सन् १९०१ में इसको आगरा व अवध प्राविन्स की संज्ञा दी गयी। लेकिन अंग्रेजों ने निर्माण की आवश्यकता को देखते हुये, चूंकि उनको शासन चलाना था तो उन्होंने बहुत विचार और संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश को एक इकाई बनायी। मैं समझता हूं कि शासकीय, आवश्यकताओं ने इस बात के लिये उनको मजबूर किया कि इस प्रान्त को एक इकाई बनाये। इसलिये आज जो यह उत्तर प्रदेश एक यूनिट में है इसका इतिहास बहुत लम्बा नहीं है. लेकिन फिर भी वह एक बहुत निचोड़ और निष्कर्ष के बाद बन पाया। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको साधारणतः अलग-अलग करना कोई सिद्धान्त की बात नहीं होगी। परन्तु इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि इसके पीछे संघर्ष का इतिहास और विद्रोह का इतिहास रहा है। क्या हम यह चाहते हैं कि प्रदेश में इस प्रकार की आवाज उठाकर यहाँ पर कोई विरोध की भावना उत्पन्न की जाय? राष्ट्रीय भावना से अलग होकर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। क्या हम राष्ट्रीय भावना से अलग नहीं हो रहे हैं? क्या हम यहां पर पृथ्वीराज, जयचन्द की तरह से पुराने इतिहास को दोहरा कर लड़ाई नहीं चाहते हैं जिन्होंने बुन्देले, चौहान और मरहठों से युद्ध किया था। मैं उस पुराने इतिहास को दोहराने की कल्पना नहीं कर सकता हूं। हमको तो नया इतिहास बनाना है। पुराने इतिहास की परिपाटी को छोड़ना है। समाजवाद के ढंग पर नये समाज का निर्माण करना है और इसी हैसियत से हमको अपने प्रांत का निर्माण करना है और उसी हैसियत से अपनी संस्कृति और भाषा का सामन्जस्य करना है। आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसको जरा हम देखें।

आदरणीय श्रीचन्द्र जी की जो मनोकामना है उसकी मैं इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा ऊंचा आदर्श अपने संशोधन में रखा है, लेकिन जब मैं उसको देखता हूं तो उसमें उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश के संगठन की मांग नहीं की है बल्कि तीन और प्रदेशों के संगठन की मांग की है। प्रस्ताव पूर्ण होना चाहिये था लेकिन उनका संशोधन अधूरा है जिसको उन्होंने मिलाने के लिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कहा है, उसमे अम्बाला डिवीजन भी है कि उसको मिला दिया जाय। पंजाब को भी पुनस्संगठित करने की बात उन्होंने कही है। तो क्या इससे पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन नहीं करते हैं। जो हमारे मित्र अम्बाले डिवीजन के मिलाने की बात करते हैं, वह पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन करते हैं। यह बात स्पष्ट नहीं है, कम से कम मैं समझ नहीं पाया। महेन्द्रगढ़ जो पेप्सू का अंग है और जिसकी मांग राजस्थान ने की है कि उसे राजस्थान में मिलाया जाय, इस तरह से महेन्द्रगढ़ तीन प्रदेशों का प्रश्न बन जाता है। इसी तरह भरतपुर, धौलपुर, अलवर जो राजस्थान के अंग हैं उनकी मांग इस संशोधन में की गयी है। इस तरह से अगर वे स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे मिला दिये जायं तो फिर बाकी राजस्थान का क्या होगा? इसकी एक सम्पूर्ण तस्वीर हमारे सामने रखनी चाहिये थी कि राज्यों के पुर्ननिर्माण के बाद इन चारों राज्यों के भविष्य का नक्शा क्या होगा। संशोधन से यह स्पष्ट नहीं होता, मसलन पुरानी दिल्ली को मिलाने की बात तो उन्होंने की है लेकिन नयी दिल्ली का क्या होने वाला है, यह संशोधन से स्पष्ट नहीं होता? फिर एक हरियाना प्रान्त की बात, ब्रज प्रदेश की बात और पश्चिमी प्रदेश की बात की जाती है लेकिन इन तीनो के दृष्टिकोण में आपस मे सामंजस्य नहीं है जिसका होना अत्यन्त आवश्यक है। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, चार राज्यों के पुनस्संगठन के आधार पर यह संशोधन कसौटी पर खरा नहीं उतरता पर साथ ही साथ जैसा कि श्री पणिक्कर के नोट मे है, पणिक्कर साहब की विद्वता मे कोई संदेह नहीं हो सकता, केवल एक बात है जिसकी ओर मे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पणिक्कर साहब के नोट आफ डिसेंट में कहा गया है कि मध्य भारत के चार जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे मिला दिये जायं, केवल यू० पी० के नोट आफ डिसेंट मे यह चीज है लेकिन मध्य प्रदेश के नोट आफ डिसेंट मे इसका कोई जिक्र नहीं है। पेज १३२ पर आप देखेंगे कि जिस मे यह लिखा है मध्य प्रदेश मे ये हिस्से मिला दिये जायं। श्री पणिक्कर ने मध्य प्रदेश के लिये कहा है कि ये चार जिले मध्य प्रदेश मे मिला दिये जायं, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश के लिये नोट आफ डिसेंट है वहां उन्होंने लिखा है कि ये चार जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। इससे मालूम होता है कि इन चार जिलों के बारे मे पणिक्कर साहब की दो रायें है कि उनको मध्य प्रदेश मे मिला दिया जाय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे भी मिला दिया जाय। तो इस तरह जो यह इशारा है यह जरा स्पष्ट नहीं है कि वे मध्य प्रदेश मे रहे या उत्तर प्रदेश मे रहे।

अब दूसरी बात यूनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका के बारे मे कही गयी कि वहां जितने अलग-अलग स्टेट्स हैं उन सबका प्रतिनिधित्व सिनेट मे बराबर है और इसीलिये बड़े स्टेट और छोटे स्टेट के मुकाबले मे उनके स्वार्थ का कोई अहित नहीं होता है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध मे मैंने दो-चार किताबे देखने की चेष्टा की कि यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहासकारों ने इस बड़े महत्वपूर्ण प्वाइंट के बारे मे क्या कहा है। शिकागो युनिवर्सिटी के हिस्टरी के प्रोफेसर मि० मकलालिन ने कहा है कि वहां पर अमेंडमेंट किस तरह से हुआ:—

"The truth is, the nationalists had lost little or nothing, though some of them were for the moment discouraged. Equal representation of the States in the Senate neither injured the large states as such nor destroyed the principle of nationalism; in the long run it probably had no appreciable effect in preserving the states from being compounded into a consolidated republic; it did not protect the smaller states against their larger neighbours."

सिनेट में किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो छोटे-छोटे यूनियन्स होते हैं उनके हित की रक्षा के खिलाफ कोई बात नहीं होती है, यह बात ठीक है कि सिनेट में प्रत्येक राज्य को बराबरी का अधिकार दिया गया है लेकिन अमेरिका के इतिहासकारों का कहना है कि वह संशोधन केवल कागजी संशोधन ही रहा है। सिनेट में बराबर प्रतिनिधित्व होने के बाद भी छोटे राज्यों का किसी भी तरह से कोई अहित नहीं किया गया है। मैं एक और दृष्टिकोण से इस प्रश्न को आपके सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक श्री झारखंडे राय जी के संशोधन का प्रश्न है उन्होंने इस सिद्धान्त को रखने की चेष्टा की है कि उप-भाषाओं के आधार पर प्रान्तों का विभाजन किया जाय। अगर सिद्धान्ततः यह बात सम्भव होती तो मैं उनके संशोधन का समर्थन करता, लेकिन संशोधन अगर उनका स्वीकार कर लिया जाय तो हिन्दुस्तान को कितने हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों मे बांटना होगा, मै समझ नहीं पाता। सेंसेस रिपोर्ट आफ इंडिया जो है उसमे हिन्दी डाइलेक्ट्स की लिस्ट दी गयी है कि कितनी ऐसी बोलियां है जो हिन्दी की उप-भाषायें मानी जा सकती है और कितनी ही ऐसी बोलियां हे जो कि हिन्दी का उपभाग मानी जा सकती हैं! और हमारे यहां ८१ डायलेक्ट्स हैं जैसे भोजपुरी, बुन्देली. हिन्दुस्तानी, बलाही, लोधी, किरारी, रघुवंशी, धमदी, ब्रजभाषा. जाटू, परदेसी, कलारी. भातू, भंगी, गोसवी. ओझा, अवधी, नूनिया, बैगनी, पांडो, भोपारी, गूजर, मारवाड़ी, मैथिली आदि यह सब ८१ हिन्दी भाषा के डायलेक्ट्स हैं। यदि इसी आधार पर हम भाषागार क्षेत्रों का विभाजन करें तो मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त विडम्बना होगी और इस आधार को भी नहीं माना जा सकता। मेरा तो यह निश्चित मत है कि कम से कम दस साल के लिए हमें पश्चिमी, पूर्वी, पर्वतीय या बुन्देलखंडी किसी भी भाग के रहने वालों को मिल कर इस प्रश्न को न उठाना चाहिए और अपने वर्तमान शासन को सुधारने की चेष्टा करना चाहिये, और एकोनामिक या सामाजिक जिस दृष्टिकोण से भी हम अपने को संगठित कर सकें हमें अपने को और अपने रिसोर्सेज को संगठित करके प्रदेश की उन्नति करने में तत्पर हो जाना चाहिए। यदि दस वर्ष के बाद ऐसी आवश्यकता होती है और हम समझें कि हम शासन प्रबन्ध ठीक से नहीं चला सकते तो किसी भाग के शासन का नियंत्रण यदि न हो पाता हो तो उस वक्त हम इस चीज पर दोबारा विचार कर सकते हैं कि शासकीय आधार पर हमारा संगठन कैसा है ?

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी के संशोधन का प्रश्न है इसके मुताल्लिक मैं एक बात कहूंगा कि माइनर एडजस्टमेंट की बात मैं नहीं समझ सका कि वह कैसे हो सकता है। अगर वह अपनी भाषा को स्पष्ट कर दें कि उन्होंने विन्ध्यप्रदेश के ऊपर के भाग की मांग की है तो ठीक होगा। मैं समझता हूं कि राजा साहब का सुझाव और अधिक स्पष्ट है और वह आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हे, लेकिन उसको मानने में केवल यही दिक्कत आती है कि उसकी स्वीकृति के बाद उत्तर प्रदेश के विभाजन की आवश्यकता केन्द्र के लोग महसूस न करने लगें। यदि वह महसूस न करे, या जो कमीशन के सदस्य हैं और जो कमीशन अभी संगठित है वह महसूस न करें तो वृहद् उत्तर प्रदेश की जो बात कही जाती है तो वह वृहद् उत्तर प्रदेश न होगा यदि विभाजन न हो और संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो विशेष आपत्ति न होगी। इसलिए मेरी राय है कि आनेवाले दस वर्षो तक सारे प्रदेश के लोग इसी प्रकार मिलकर इस प्रदेश को समुन्नत, समृद्धिशाली और विकसित करने की चेष्टा करें और उसके बाद यदि प्रशासकीय दृष्टि से कोई दिक्कत आवे तो फिर से इस सवाल पर गौर दस वर्ष बाद कर ले।

निर्माण उप-मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य) (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित आगरा प्रदेश के बहुत निकट का निवासी होने के नाते मेरा यह पुनीत कर्तव्य हो गया कि मै अपने विचारों को आज सदन के समक्ष रखूं। ३ दिन से निरन्तर इस सदन के समक्ष सीमाओं के संबंध मे और मुख्यतः २ प्रश्नों को लेकर, पहला यह कि उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय और दूसरा यह कि उसका बटवारा कर दिया जाय, वाद-विवाद हो रहा है। मुझे यह भी स्वीकार करने मे संभवतः हिचक नहीं है कि यहां बहुत मूल्यवान बातें भी कही गई हैं। मैं, श्रीमन् के द्वारा, यदि सदन के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाऊं कि अंग्रेजी कवि की उक्ति के अनुसार कि "When tempers rise, reason dies." अर्थात जब कभी आवेश और क्रोध में लोग बात करते हे तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। यह उक्ति मैं समझता हूं कि सदा के लिये ही सत्य है। बहुत सी चीजों को यहां सदन में दोहराया गया है और शायद बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों को बहुत सी भाषाओं मे कहने का प्रयास किया है। मैं यदि नम्रतापूर्वक इस सदन के समक्ष केवल ३ बाते रखने की चेष्टा करूं तो यह अनुचित न होगा।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मोटे तौर पर यहां कहा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। बड़ा है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में और उसके परिणामस्वरूप उसका शासन ठीक नहीं होगा और इसलिये इसका बटवारा कर दिया जाना चाहिये। कहीं यह भी कहा गया कि भाषा के कारण नहीं, संस्कृति के विचार से नहीं किन्तु आर्थिक कारणों से इसका बटवारा किया जाना चाहिये। और तीसरे मुख्य रूप से यह कहा गया कि यह आवश्यक है कि उसका बटवारा किया जाना चाहिये। यदि समस्त भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और उसकी संस्कृति और हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, यदि इस बात का बहुत छोटा सा विश्लेषण इस सदन के सामने किया जाय और यदि पुनरावृत्ति का मुझे दोषी न कहा जाय तो मैं केवल यह कहूंगा कि यह तो इस आयोग के आलेख्य से सर्वविदित है कि कोई प्रदेश बड़ा है, इसका उसके शासन पर कोई प्रभाव पड़े तो यह तो गलत है। बराबर कहा गया कि यह प्रदेश बड़ा है तो निश्चित है कि उसका शासन पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश बड़ा है, जनसंख्या या क्षेत्रफल में इन दोनों में विशेष अन्तर नहीं पड़ता। बराबर इस चीज को दोहराया गया है कि प्रदेश बड़ा है इसलिये मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पहुंच नहीं सकते, हर जगह।

मेरे भाई परिपूर्णानन्द जी ने उत्तर दिया कि अभी कुछ थोड़ी सी परिपाटियां हम बना रहे हैं हमें उनको बढ़ाना है। यह भी संभव है कि प्रजातंत्रीय शासन में मंत्री लोग दौरा करें यह संभव न हो, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह बड़ा है और मंत्रीगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाते इसलिये उसको काट दिया जाय यह कोई तर्क नहीं है। क्या कुछ मंत्रिगण बढ़ाये नहीं जा सकते हैं? यह भी संभव हो सकता है कि कुछ मंत्रिगण बढ़ाये जा सकते हैं और इस प्रदेश के शासन में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अपने विरोधी मित्रों को यह कहने का अवसर मिला कि शासन में खराबी है और रामेश्वर लाल जी ने जो उस पर बहुत स्पष्ट कहा कि शासन खराब है उसको पहले आप लोग खत्म करें। उसके बाद और कोई बात करें। और हमारे माननीय मित्र गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि इधर के लोग भी अब उनके साथ हैं। तो मैं उनसे अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि स्मरण रखिये कि चाहे इस आयोग के आलेख्य के संबंध में हम सौ और पांच हैं किन्तु उनके लिये तो हम १०५ हैं। और मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शायद उनके मस्तिष्क में यह ख्याल आया हो कि आज हम इस आयोग के विवाद के संबंध में जबकि यह चर्चा करते हैं कि यह शासन कुछ खराब है या हमारे मित्र ने जैसे उस दिन दारुलशफा का जिक्र कर दिया तो आज वे चाहे इस प्रदेश की उन्नति का जिक्र न करें लेकिन इस प्रदेश ने किस प्रकार जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया, किस प्रकार आम आदमी की आमदनी बढ़ी, किस प्रकार हमने अपनी फसलों को उत्तरोत्तर बढ़ाया, आम आदमियों की भूख की चिन्ता में यहां का शासन व्यस्त रहा है, और किस प्रकार से आगे के निर्माण के कार्य में यह शासन व्यस्त है जिसको माननीय सदस्य अपनी दृष्टि से हटाना स्वीकार नहीं करेंगे। आज तो केवल कुछ मोटी सी चीजें हैं जिन पर हम अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकते हैं।

मैं अवश्य अपने उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश का बटवारा किया जाय उनकी सेवा में, श्रीमन् आपके द्वारा, कुछ थोड़े से तथ्य उपस्थित करने की धृष्टता करूंगा। यह क्यों चाहते हैं कि इस प्रदेश का बटवारा किया जाय? उन्हें कुछ भाइयों ने उत्तर दिया है कि ऐतिहासिक रूप में इसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे मित्र इस संबंध में कृपा करके इतना अवश्य विचार कर लें कि इतिहास मनुष्य का सौभाग्य से सबसे बड़ा शिक्षक है। समय-समय पर वह मनुष्य को शिक्षा देता है और अपने पन्ने खोलकर सामने रख देता है, मनुष्य के लिये कि पढ़ो, विचारों और भविष्य का निर्माण करो! आखिर हमारे मध्यकालीन युग में राणा सांगा ने यहां जन्म लिया, राणा प्रताप ने यहां जन्म लिया, जौहर की प्रथाओं ने स्थान ग्रहण किया, त्याग और तपस्या ने हमें प्रेरित किया, अपनी त्याग, तपस्या और संन्यास के द्वारा ही हम एक निश्चित परिवार के रूप में, निश्चित प्रथा के रूप में हमारा प्रदेश पनपा और चला। इस देश ने महाबली

अर्जुन और महाबली भीम को उत्पन्न किया, इस देश ने महाभारत के दृश्य देखे लेकिन दुर्भाग्यवश संभवतः १ हजार वर्ष पहले हमने दासता की श्रृंखला अपने पैरों में न जाने कैसे डाल ली? क्या माननीय सदन के सदस्यगण यह विचार कर सकेंगे कि उसका कारण क्या था। हमारे यहां तो महान राष्ट्र थे। हमारे यहां तो महान वीर थे, योद्धा थे, त्यागी थे, तपस्वी थे फिर दासता की शृंखला कैसे आई? कुछ उन व्यक्तियों द्वारा जो बहुत छोटी संख्या में इस देश में आये। यदि हम इतिहास के पन्नों को पढ़ना चाहते हैं, यदि हम देखना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से मैं आज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि निश्चित रूप से शायद ऐसा कहने में अपने प्रति नैतिक अपराध करता हूं: हमारी संकीर्णता, हमारी क्षुद्रता ने, हमारे विवाद ने, हमारे इस बटवारे ने हमको दास बनाया, क्या यह सही नहीं है कि चंदेले और बुन्देलों की लड़ाई ने इनको दास बनाया? क्या यह सही नहीं है कि छोटे-छोटे राज्यों में बटवारा होने के कारण इस देश में राष्ट्रीयता जन्म नहीं ले पाई, राष्ट्रीयता पनप नहीं पाई? क्या यह सही नहीं है जैसा कि उस अंग्रेज विद्वान ने दासता के संबंध में लिखा, कि मुझे तो सचमुच इसका बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में कोई हिन्दुस्तानी नहीं, कोई भारतवासी नहीं? उसने कहा कि यहां मुसलमान है, हिन्दू है, और अन्त में उसने कहा कि यहां हिन्दू भी नहीं, यहां कोई मुसलमान भी नहीं, यहां पर तो न जाने कितने हिन्दू है, न जाने कितनी जाति और उप-जातियों में बटे हुये हिन्दू हैं और उनके अलग-अलग राष्ट्र हैं, अलग-अलग राज्य है। इसी कारण इस देश ने उस दासता की श्रृंखला को अपने पैरों में डाल लिया। एक हजार वर्ष के पश्चात त्याग, तपस्या और अपरिमित रक्तदान द्वारा उस श्रृंखला को यह राष्ट्र छुड़ा पाया। प्रांतीयता के नाम पर, मुझे क्षमा करें, मैं स्पष्ट रूप से इसको सदन के सामने रख दूं कि आज मेरा विश्वास इस देश में भाषावार प्रांतों में भी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि भाषा की सीमाओं में इस राष्ट्र को बांधा गया तो संभव है जिन चीज का नाम जाति और उप-जाति के राज्य थे, वही संभवतः किसी दिन भाषा के राज में भी इस देश के अपहरण की तैयारियों में न लग जायं। मैं समझता हूं कि भाषा और संस्कृति के द्वारा राष्ट्रों का निर्माण होता है। मैं समझता हूं कि भाषा संस्कृति, उसकी अर्थ—व्यवस्था, भौगोलिक कारण और उसके अतिरिक्त कुछ दूसरे कारण जिनमें प्रशासकीय कारण भी है जैसे किसी राष्ट्र या उप-राष्ट्र की सुरक्षा का कारण होता है, इनके द्वारा भी राष्ट्रों की रचना होती है, लेकिन इसके अर्थ यह नहीं है कि निश्चित रूप से आज हम केवल भाषाओं द्वारा इस देश के बटवारे की चर्चा करें। आज इस चीज को कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन यह ठीक है कि भाषाओं के नाम पर इस देश में जो तांडव नृत्य——आप मुझे क्षमा करें, एक ऐसी कटु आलोचना के लिये जिसमें असेम्बली भवन में लोग घुस कर किसी की मारपीट कर सकते हैं——उस तांडव नृत्य को अपने प्रदेश में हमें उपस्थित करना है तो शायद वह दिन इस प्रदेश का दुर्दिन होगा। कैसे हम भविष्य के लिये चिन्ता करें, कैसे इस देश के निर्माण का प्रश्न हमारे सामने आये? यदि जाति के नाम पर भाषा का प्रश्न स्थान लेगा, तो यह ठीक है कि भाषावार प्रान्त बनने से इस देश में प्रांतीयता और पनपेगी और मैं कैसे उस चीज को इस सदन के सामने रखूं। मेरे मित्रों ने व्रजभाषा का नाम लिया और मेरे कुछ मित्रों ने भोजपुरी भाषा का नाम लिया। शायद उनको यह नहीं मालूम कि मथुरा में ब्रजभाषा एक है और पूरे ब्रज में ब्रजभाषा दूसरी है! और शायद उनको यह भी न मालूम हो कि मथुरा में चतुर्वेदियों की भाषा दूसरी है और मेरी भाषा दूसरी है। उनको शायद यह भी नहीं मालूम कि जिस भोजपुरी का उन्होंने जिक्र किया उसके कितने भेद और विभेद है! किस नाम को लेकर इस प्रांत का बटवारा हो और कैसे इस प्रांत के भविष्य और भाग्य का निर्माण हो। श्रीमन्, मुझे तो स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने यह रखना है कि शायद जिन विचारों से प्रेरित होकर आज हम इस सदन में कुछ विचार कर सकते हैं, वे विचार हमारे लिये बहुत स्पष्ट हैं। वे हैं इस देश को अक्षुण्ण रखने की क्षमता, इस देश की हमारी नव-अर्जित स्वतंत्रता की अभिवृद्धि की चिन्ता, और शायद उसी के द्वारा आज हम इसी विवाद पर आगे बढ़ सकते हैं। छोटी चीजे है, संकीर्णतायें हैं और शायद ऐसी हैं, जो इस प्रदेश को सदा के लिये समाप्त कर दें।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

एक ऐसे प्रदेश का निवासी होने के नाते, जिसकी ओर से यह आवाज उठायी गयी, मै सचमुच लज्जित हूं। जब मेरे मन मे आता है कि मेरे कुछ भाइयो ने अपने मन मे विचार किया कि आज हम कुछ स्वस्थ और सम्पन्न है, चूंकि हमारा छोटा भाई कुछ दुखी है, कुछ दीन है, कुछ नग्न है, कुछ ऐसा है जो आज भी सत्तू खाता है, कुछ ऐसा है जिसको सात आने पसे मजदूरी मिलते है, कुछ ऐसा है कि जो वस्त्र है वे फटे है। कुछ ऐसा है जिसको भोजन और वस्त्र की कमी है, और इसलिये हमारे मन मे ऐसी भावना जागी कि उस छोटे भाई को कान पकड़ कर बाहर खड़ा कर दें और यदि आज न इसको दूसरे रूप मे कहे, इतिहास इसके लिये हमे क्षमा नही करेगा। हमारी सकीर्णताओ के लिये इतिहास हमसे उत्तर मागेगा और अगर यह सदन कोई उत्तर दे सकेगा, वह होगा जो आज हम छः बजे देंगे।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मै अपने नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और जो संशोधन इसमे आये है उनका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य पुनस्सगठन कमीशन बनाया गया उसका एक उद्देश्य था और वह उद्देश्य यह था कि अंग्रेजो ने हिन्दुस्तान मे अपने स्वार्थ के लिये तमाम सूबे बना दिये थे। वे बहुत छोटे-छोटे और बड़े भी एकाध थे और उनसे उनका स्वार्थ साधन होता था। जबसे देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इस देश के अन्दर तमाम जो ए, बी, सी क्लास के राज्य थे, उनको विलीन करने और उनको ऐसे स्तर पर लाने की कोशिश की गयी जिसमे वे छोटे छोटे राज्य बड़ी इकाइयो मे आ जाय और इस देश का राज्य-सचालन सुचारु रूप से चले। यही उस कमीशन का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को ले कर वह चला। कमीशन ने इस उद्देश्य मे काफी कामयाबी हासिल की है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिये पणिक्कर साहब ने टिप्पणी दे दी, उससे हमारे साथी कुछ दूसरी बात समझ गये कि हम इस उत्तर प्रदेश का बटवारा कर सकते है, और दूसरा शासन बना सकते है। यह एक ऐसी बात है जो कि हमे १५,२० वर्ष पहले ले जाती है जब कि यहा की अमन सभायें जो अंग्रेजो के हाथ मे खेला करती थी और वे पाकिस्तान के लिये तथा अपनी जाति के लिये बटवारा करना चाहती थी, साम्प्रदायिक आधार पर इस देश के टुकड़े करना चाहती थी।

उस समय की बात मै थोड़े से शब्दों मे सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सोचिये कि पंद्रह बीस वर्ष पहले यहां क्या दशा थी। एक राजा साहब कोटला थे, जिन्होंने अजगर सघ बनाया था, वह चाहते थे कि सारे अजगर वर्ग का राज्य हो जाय। उन्होंने इसमे अहीर, जाट-गूजर जो कि कश्मीर और पंजाब मे भी फैले हुये है, उनकी कोशिश थी कि उन लोगो का एक ऐसा राज्य बना दिया जाय जिससे एक बहुत बड़ा शासन बन जाय। यहां ऐसी भी संस्थाये थी, जैसे सर छोटूराम साहब ने जाटो की संस्था बनायी थी। क्षत्रिय सघ का भ्रम था जो कहते थे कि पठानो को भी राजपूत गिना जाय। ऐसी तमाम संस्थाये थी जो साम्प्रदायिक आधार पर बनी थी, वे अंग्रेजो के हाथ मे खेला करती थी और इस देश की एकता को मिटाने के लिये हर तरह की कार्यवाही करती थी। लेकिन जहां तक हमारे साथियो का सवाल है, जो उन्होंने इस समय सदन के सामने संशोधन रखे है उनमे जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है सारा विरोधी पक्ष और सारा सदन जो यहां पर है वह उन संशोधनों के खिलाफ है। हमारे कुछ साथी है जो चाहते है कि इस प्रदेश का बटवारा हो, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके सामने यह कह देना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश जो है वह हमारे हिन्दुस्तान का हृदय-प्रदेश है, इसको हम हृदय-प्रदेश कहते है और हृदय-प्रदेश इसको हम इसलिये कहते हैं कि भारत मे इस प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान है। मै पन्त जी के लफ्जो में बतलाना चाहता हूं, पूर्वी और पश्चिमी जिलो की जन शक्तियों के बल पर पन्त जी ने एलान किया था कि अगर पाकिस्तान चढ़ाई करेगा हिन्दुस्तान पर, तो उत्तर प्रदेश अकेला उसका मुकाबिला कर लेगा और उसको परास्त कर लेगा। यह उसका बल था। इसलिये यह उत्तर प्रदेश का मान कोई मामूली मान नही है। इतिहास भी इस बात को बतलाता है कि आज उत्तर प्रदेश का जो

मान है वह सारे संसार के अन्दर उसका मान रहा है। आज आप क्षितिज को देखिये, सूर्य को देखिये, चन्द्र को देखिये, सप्तऋषियों को देखिये, ध्रुव को देखिये और शुक्र-बृहस्पति व राहु, केतु को देखिये ! यह सब क्षितिज, नक्षत्रों ग्रहों के जो नाम पड़े हुए हैं इनका नामकरण किसने किया? यह सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे और यहीं शरीर धारण किये हुये थ। यह सूर्य वंश और चन्द्र वंश जिसमें कि राजा भगीरथ हुये, हरिश्चन्द्र हुये, ऐसे-ऐसे प्रतापी राजा हुये, जो गंगा ऐसी नदी को ले आये, अपने परिश्रम से लाये, जो कि सारे संसार में पूज्य हो गई और यही नहीं, भगवान राम यहीं हुये, जिनके ऊपर रामायण की रचना हुई, भगवान श्रीकृष्ण जी यहीं हुये, उन्होंने गीता की रचना की। आज रामायण, गीता, महाभारत और यह हमारे ऋषियों की बनाई हुई स्मृतियां, वेद, शास्त्र और उपनिषद इत्यादि जिनका सारे संसार में आदर होता है, वह सब यहीं बने। हमारे आगरे के अंगिरा जी, अत्रि जी, और यह सब तमाम जो ऋषि लोग थे, इन्होंने जो चीजें बनायीं हैं वह स्मृतियों के रूप में सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में फैली हुई हैं। आज की सारी संस्कृति और इतिहास जो है वह इसी के ऊपर आधारित है। आज ध्रुव जो है, जो स्थिर है वह सारे विश्व को रास्ता दिखलाता है, वह ध्रुव इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। कण्व ऋषि का आश्रम यहीं इसी प्रदेश में मलिन नदी के तट पर मालन स्थान जो गढ़वाल जिले में है। शकुन्तला और दुष्यन्त का इतिहास कौन नहीं जानता है, बुद्ध, बाल्मीकि, सूर, कबीर, रविदास, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है? ऐसे-ऐसे ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने इस प्रदेश का सिंचन किया है, इसलिये इस उत्तर प्रदेश का मान सारे विश्व में है। आज उसका बटवारा आप करना चाहते हैं? हृदय-प्रदेश का बटवारा कभी नहीं करना चाहिये। हृदय के यह आगरा और अवध दो फेफड़े हैं। अगर किसी तरह एक फेफड़ा कट जाता है तो दूसरा फेफड़ा अपने आप मर जाता है। इसलिये यह जो आर्थिक प्रश्न हैं या और छोटे-मोटे प्रश्न हैं, इसमें कोई सैद्धांतिक बात है नहीं। मैं गांधी जी के शब्दों में कहता हूं डाक्टर भगवान दास ने लिखा है:—

मन तूशुदम तूमन शुदी, तू तन शुदम, मन जांशुदम
ताकस न गोयद बाद अजीं, मन दीगरम तू दीगरी।

मैं तू हुआ तू मैं हुई, तू तन हुई, मैं जा हुआ,
अब तो न कोई कह सके मैं दूसरा तू दूसरी।

इस तरह से हमारे अन्दर प्रेम होना चाहिये। उत्तर प्रदेश से हम प्रेम दिखलावें और वह प्रेम दिखलाकर अपने यहां एकता बनायें और सारे विश्व के अन्दर दिखला दें कि उत्तर-प्रदेश एक है। इसलिये मैं भाई श्रीचन्द्र जी से और सब साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने संशोधन पेश किया वह उसे वापस ले लें।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द्र जी के संशोधन का, हालांकि वह बहुत हैप्पिली वर्डेड नहीं है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और साथ ही साथ जो राजा बीरेंद्रशाह का अमेंडमेंट है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि इन दोनों में क्लैश नहीं है, बल्कि एक का मंजूर होना दूसरे को भी काफी सहायता पहुंचाता है।

जो श्रीचन्द्र जी के अमेंडमेंट में पिक्चर है, उसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ और आगरा डिवीजन के १० जिले और रुहेलखंड के बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं और टेहरी और गढ़वाल, ये उत्तर प्रदेश के १६ जिले हैं और अम्बाला डिवीजन के ५ जिले और पेप्सू का महेंद्रगढ़ जिला और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और अलवर,

[श्री विष्णुशरण दुब्लिश]

तीन जिले। इस तरह से ५९,०७१ स्क्वायरमाइल्स की यह स्टेट बनती है और इसकी आबादी २,७४,००,००० होती है। इधर अगर राजा वीरेन्द्रशाह का अमेंडमेंट मान लिया जाय तो जो १८२ लाख की आबादी का यू० पी० को लास होता है, उसमें ४०-५० लाख की आबादी शामिल हो जाती है।

इससे पहले कि मैं अपने प्वाइंट्स को आप के सामने रखूं, मैं सबसे पहल एक मिस्अंडरस्टैंडिंग को साफ कर देना चाहता हूं और वह यह कि हम लोगों का जो मेन आर्गूमेंट है उसमें कहीं पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जो खर्चा होता है उसमें डिस्पेरिटी है, इसका सवाल नहीं है। मैं कई स्टेटमेंट में यह बात कह चुका हूं और कमीशन के सामने भी जो हमने बयान दिया था, वह पढ़े देता हूं--

"As we have stated before the commission that our main argument for setting up a separate State, was not the disparity in the expenditure incurred by the U. P. Government in the development of the Eastern and Western parts. We rather concede that so long as both these parts form part of the same State, Eastern part must receive greater attention by the Government."

श्रीमन्, एक चीज पर जरूर हमको एतराज होता है, जो अक्सर इस हाउस में कही जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश एक हो और चाहे वह अलग-अलग, उसके दो विभाग हो जायं, किसी हालत में भी मैं अपने जो पूर्वी भाई हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जो पश्चिम के लोग हैं, हमारे हृदय के अन्दर यह बात बिलकुल बनी हुई है कि हमारे पूरब के भाई हमसे बहुत ज्यादा गरीब हैं और हम हमेशा यह चाहते हैं कि उनका जो इलाका है उसकी काफी उन्नति हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के रिसोर्सेज से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, फ्लड एरिया की समस्या हल नहीं हो सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे बिहार और दूसरे भाखरा डैम और दूसरी चीजों में अरबों रुपये खर्च किये हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की पूरी तरह से फ्लड एरिया की समस्या को उसे हल करना है और उसमें हम, चाहे इधर के हों या उधर के, उन सबको पूरा साथ देना है।

एक बात जो अक्सर कही जाती है और हमारे कुछ साथियों ने यहां पर रखी-अब भी इस डिबेट में और पहले भी कई बार रख चुके हैं--कि पश्चिमी जिलों में जो है उनमें जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें उन्होंने पूरब वालों की कमाई पहले खा ली है और यह सब हमारे पैसे से डेवलेपमेंट वहां हुआ है और यह अन्याय होगा कि अब हमारे इलाके से इस तरीके से भागने की कोशिश करें। मैं एक बात रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे यहां डेवलेपमेंट हुआ है, आप जा करके देख लीजिये कि सिवाय हमारी चार नहरों के और कोई बड़ी भारी डेवलेपमेंट की ऐसी चीज नहीं हुई, जो पूर्वी जिलों में नहीं है। चार नहर गंगा की, अपर गंगा और लोअर गंगा कैनाल और यमुना की पूर्वी यमुना नहर--जिसका रिमाडेलिंग हुआ है, और आगरा नहर। इन चारों नहरों में हमारी स्टेट का एक पैसा नहीं लगा। जब गंगा नहर बनी तब अवध नहीं शामिल था। उस वक्त लन्दन के मनी मार्केट में कर्जा लेकर यह नहरें बनायी गयीं और ११,३२,११,००० रुपये का कैपिटल इन नहरों के बनाने में लगा। आज तक इन नहरों ने अपना मेन्टिनेंस पे करने के बाद ६६ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार को दिये हैं। अगर कैपिटल आउट ले को निकाल दिया जाय तो ५५ करोड़ रुपया नहरें अब तक आपको दे चुकी हैं और अब भी बराबर दे रही हैं। हमारे सारे प्रदेश में शारदा नहर जरूर ऐसी है जो अपना कैपिटल आउट ले भी अभी तक नहीं दे पायी है और कुछ घाटे में चल रही है। वह नहर उन हिस्सों में नहीं आती है जिनके बारे में सवाल पेश है। जो स्टेट मने प्रोपोज की है वह इतिहास में तमाम उथल-पुथल होने के बावजूद एक हिस्टोरिकल यूनिट रही है। कुरुक्षेत्र, रामगंगा

और सरस्वती, जो अब लोप हो गयी है, लेकिन वेदों में जिसका जिक्र है, इसके बीच में जो इलाका है वह हमेशा से एक हिस्टारिकल यूनिट रहा है। चूंकि ये दोनों १८५७ की लड़ाई में एक साथ मिल कर अंग्रेजों से लड़े थे, इसलिये सजा देने के लिये दो टुकड़े कर दिये गये और मैं आपसे कहता हूं कि १०० वर्ष की जुदाई भी हमारे एक दूसरे के हृदय अलग नहीं कर सकी है। आज भी जब पंडित लोग कहीं संकल्प करते हैं तो कहते हैं "कुरुक्षेत्रे उत्पन्नो"। हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडीशन्स, यहां तक कि हमारे फोक सांग्स, सब एक हैं। अगर आप किसी की आंख पर पट्टी बांध दें और इन जिलों में से किसी एक जिले में भी खड़ा कर दे तो उसको कोई अन्तर नहीं दिखाई देगा। तो जो १०० वर्ष से हमारे भाई बिछुड़े हुये हैं हम चाहते हैं कि वे हमसे मिलें।

इसके अतिरिक्त जितने भाषण यहां हुये हैं हमारे प्रोपोजल के विरोध में, वे सेन्टीमेंट के कारण हुये। उस सेंटीमेंट की मैं भी कद्र करता हूं। जो हमारे साथी हैं, जो आज इन बेन्चों पर बैठे हैं, १०० वर्ष से हम लोग एक साथ हैं, एक साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम एक साथ जेलों में गये, जो हमारे पहले मुख्य मंत्री थे पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त और जो आज हैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द और भी जितने साथी हैं, हम सब एक साथ जेलों के अन्दर रहे। तो यह एक जबर्दस्त मोह विछोह का हमारे अन्दर है और वह होना चाहिये और मेरे दिल के अन्दर भी किसी और से कम नहीं है। लेकिन जनता के हित में जब हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां की हैं तो हमें यह भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखें कि बिहार का सूबा सन् १७६४ से १९१२ तक बंगाल का एक हिस्सा था, लेकिन १९१२ में उससे अलग हो गया। आज एक बिहारी आवाज नहीं उठाता कि हमको बंगाल में मिलाया जाय। उड़ीसा बिहार के साथ १६४ वर्ष रहा और आज एक उड़िया नहीं मिलेगा जो कहे कि हमको बिहार में मिला दिया जाय। इसी तरह से आप देखें कि आन्ध्र १७९९ में मद्रास के साथ मिला। १५४ वर्ष के बाद वह मद्रास से अलग हो गया। उनके तमाम नेता एक साथ जेलों में रहे। जैसे हमारे दिलों में सेंटीमेंट्स हैं वैसे ही उनके दिलों में भी थे, लेकिन वहां की जनता की मांग और जनहित को देख कर हमारे हाई कमांड ने दोनों को अलग-अलग कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात ये १८१८ से लेकर आज तक एक प्रेसीडेन्सी रहे हैं, लेकिन हमारे हाई कमांड के आशीर्वाद से तीन हिस्सों में आज बांटा जा रहा है। सब साथ-साथ लड़े, साथ-साथ रहे, बराबर इस तरह के सेंटीमेंट्स एक दूसरे के दिल में हैं लेकिन हाई कमांड देखता है कि जनहित में यही ठीक है कि ये हिस्से एक दूसरे से अलग हों। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है नारायणदत्त जी ने अभी आपके सामने रखा कि एक हिस्टारिकल यूनिट नहीं है। कोई किसी वक्त आया, कोई हिस्सा किसी वक्त आया, जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि १०० वर्ष में यह सब हो गया है। मैं आपसे कहता हूं कि जहां तक मिनिस्ट्री का ताल्लुक है मुझे कोई किसी तरह का अविश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि आजकल हमारी मिनिस्ट्री में बेस्ट टेलेन्टेड टीम है और उनमें मेरा पूरा विश्वास है और आज उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री हिन्दुस्तान भर में सब से ज्यादा रेडीकल और प्रोग्रेसिव है। जो रिफार्मस इसने अब तक किये हैं दूसरे सूबों ने उनकी नकल ही की, है तो यह कोई दलील नहीं थी कि हमारे सूबे के दो हिस्से किये जायं। हमारी जो हालत है उसमें आज अगर अच्छे से अच्छे मिनिस्टर्स भी आ जायं तब भी ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो लोग आज यहां बैठे हैं उनमें और जनता में जो चेन है उसमें अनेक कड़ियां हो गयी हैं।

आज अगर देखा जाय तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसने एक न एक रीजिनल विभाग न कायम कर रखा हो। हमारा और आम जनता में ८-९ कड़ियों का फर्क

[श्री विष्णुशरण दुब्लिश]

है। इस प्रकार मैं कहता हूं और आप लोग भी देखते जा रहे हैं और सब लोग अनुभव भी करते होंगे कि धीरे-धीरे शक्ति हमारे हाथों से निकल कर, जनता के प्रतिनिधियों से निकल कर नौकरशाही के हाथों में जा रही है। डेमोक्रेसी नौकरशाही में बदलती जा रही है। वैसे कोई कहे या न कहे, लेकिन महसूस सब करते हैं। आज यह हालत है कि आपके हेड आफ दी डिपार्टमेंट कह देते हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट हेड्स को नहीं पहचानते हैं। फिर ऐसी सूरत में क्या फर्क है? क्यों इसको पाप समझा जाता है? इसमें क्या फर्क है, जहां आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन रीजनल डिपार्टमेंट्स द्वारा चलता है, तो फिर जो मिनिस्टर्स जहां बैठते हैं उनमें से चन्द दूसरी जगह बैठ जायंगे, तो क्या फर्क पड़ जायगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बुन्देलखंड के नाते कहता हूं कि जब मैं बुन्देलखंडियों से मिलता हूं, और जब उनसे बात होती है तब मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनकी फ़ीलिंग्स को ऐप्रीसियेट करता हूं। इसलिये आपको भी हमारी फीलिंग्स को ऐप्रीशियेट करना चाहिये जैसा कि अभी अमेंडमेंट दिया है। अगर हम समझते कि उत्तर प्रदेश में हमारे वह हिस्से मिलाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट के रूप में रह सकता है, तो हम भी उसको बढ़ाने के लिये प्रस्ताव दे देते। हम भी अपने इन साथियों से अलग होना नहीं चाहते हैं, जो हमारे साथ इतने दिनों तक रहे। जवाहरलाल जी से मैं मिला, मौलाना आजाद से मिला उन्होंने कहा कि तुम तो अलग-अलग फिरते हो, अलग-अलग काम करते हो। तब हम हरियाने वालों से मिले। वहां के ३२ एम० एल० एज० में से २७ एम० एल० एज० हमारे साथ हैं। हमने एक भी नान कांग्रेसमैन को अपने साथ नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हुआ।

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर प्रायः चार दिनों से विवाद इस भवन में हो रहा है। मुझे स्वयं बड़ा संकोच हो रहा था कि इस प्रश्न के ऊपर मैं कुछ कहूं या न कहूं, क्योंकि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इस प्रदेश के ऐसे अंचल से आता हूं कि जो पूर्वी भाग कहलाता है। फिर भी मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर अपनी सम्मति देने का अवसर आने पर चुप बैठे रहना कदाचित् देश के प्रति न्याय करना न होगा। इस कारण मैं आपकी आज्ञा से खड़ा हो गया हूं।

इस प्रदेश के विभाजन की चर्चा प्रायः उस समय से आरम्भ हुई जब कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बना और तब से बराबर पत्रों में भी, भीतर और बाहर भी, इसकी चर्चा होती रही। श्रीमन्, मैं आरम्भ से इसे सुनता रहा हूं और बड़ी चेष्टा से और बड़े अनुशीलन के साथ यह देखता रहा हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभाजन के पक्ष में कौन से ऐसे तर्क हैं जिनके आधार पर इस प्रदेश का विभाजन उपयुक्त समझा जा रहा है? मुझे अब तक कोई तर्क नहीं मिला। जब इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो मैंने इसको पढ़ा, अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े ध्यान से सरदार पणिक्कर के तर्कों को पढ़ा, और यह ढूंढ़ने की चेष्टा की कि कदाचित् कोई ऐसा तर्क इसमें मिल जाय कि जो मेरी जिज्ञासा को शांत करे और मेरी इस शंका का कि उत्तर प्रदेश का विभाजन क्यों किया जा रहा है, समाधान करे। मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, हालांकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, सरदार पणिक्कर बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि उनके सारे तर्क जिन आधारों और कल्पनाओं को लेकर, जिन मौलिक सिद्धान्तों को लेकर इस कमीशन की रचना हुई उसकी परिधि से बाहर जाते हैं। और यदि मैं उनके तर्कों को पूर्णतया असंगत कहूं तो अनुचित

न होगा। मान्यवर, न तो समझता हूं कि उन्होंने अपने तर्कों से अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अब म उनके तर्कों की विशेष चर्चा यहां नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे जो भी माननीय साथी खड़े हुए, उन सब ने प्रायः उनकी चर्चा की है और उनके पक्ष मे और विपक्ष मे अपनी राय दी है। मे इसे यहीं छोड़ता हूं।

इस भवन मे जो विवाद होता रहा है उसे मे चार दिन से सुनता रहा ध्यान से कि शायद कोई तर्क ऐसा मिल जाय कि जिससे मेरे हृदय को शान्ति हो कि यह विभाजन उपयुक्त है। आखिर हमारे बहुत से साथी ऐसे है कि जिनको दुबिलश जी की तरह ३५,४० वर्षों तक इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे साथियों की तादाद लाखों मे है कि जिनका जीवन उस युग मे गुजरा है कि जिसके प्रतीक गांधी जी रहे हैं, जिसने विश्वनाथ के मंदिर से उतना ही प्रेम करना सिखाया है जितना कि आगरे के ताज मे। हमे भी वह अवसर प्राप्त हुआ है और इसलिये मेरी यह बड़ी इच्छा रही कि जितने व्याख्यान यहां हुए, उनमे कोई तर्क ऐसा मे पा सकता कि जो इस विभाजन के पक्ष मे जाता हो। किन्तु मुझे साधिकार तर्क ऐसा एक भी नहीं मिला कि जिसके अनुसार यह विभाजन उचित हो सकता, न सांस्कृतिक दृष्टि से, न शासन की दृष्टि से, न भाषा की दृष्टि से, न ऐतिहासिक, आर्थिक या राजनैतिक दृष्टि से। किसी भी दृष्टिकोण से मैने नहीं पाया कि एक भी तर्क ऐसा उपस्थित किया गया हो कि जिससे हम इस विभाजन की उपयुक्तता को सिद्ध कर सकते। जो तर्क वहाँ आये वह तीन चार किस्म के हैं। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागो पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है।

मै इस संबंध मे कुछ विशेष नही कहना चाहता क्योंकि इसके पीछे जो बाते है उनको न कहना ही उचित होगा, परन्तु इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साभार और साधिकार कि मेरे जिन मित्रों के हृदय मे यह संदेह है कि यहां कोई पक्षपात किया गया है और जैसा कहा जाता है कि पश्चिमी भागों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वह मेरे पास आये। मेरे सामने वह आंकड़े मौजूद है। अभी समय नहीं है कि मै उन्हे प्रस्तुत कर सकूं किन्तु यदि वह देखना चाहे शान्त और निष्पक्ष दृष्टि से, निर्दोष दृष्टि से, तो मे उनको निमंत्रण देता हूं। आखिर किसी पश्चिम के इलाके के रहने वाले पर यह दोष नहीं लगा सकता कि उनके यहां नहरे किस जमाने मे बनी। जो भाई यह कहते हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक सुख भोगा, वह मैं समझता हूं कि पश्चिमी इलाके के रहने वाले भाइयों के साथ अन्याय करते है। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी वास्तविकता है कि १८३० में नहरे बनीं और लोअर गंगा कैनाल और अपर यमुना और लोअर यमुना कैनाल सन् १८३० मे बनी, लेकिन शारदा नहर २०वीं सदी के प्रथम चरण मे बनी। १९३२ मे वहां पर ट्यूबवेल बने, और गंगा नहर पर यह तमाम पावर हाउसेज बने, और यह सारी कार्यवाही अंग्रेजों ने की। हमारे पश्चिम के जिलों के निवासियों की कोई इच्छा नहीं थी कि वहां पर कोई उन्नति या विकास का कार्य किया जाय लेकिन अंग्रेजी सरकार ने किया। परन्तु जहां तक ये सत्य है वहां यह भी वास्तविकता से परे नहीं है कि १९५२ तक इस प्रदेश के पूर्वी जिलों मे एक पाई का भी काम नहीं किया गया ! क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के दक्खिनी भू-भाग पर कोई काम नहीं किया गया? यह इसलिये रहा है कि बृटिश सरकार ने ऐसा किया। इसके पीछे राजनीतिक कारण थे। आज हम स्वतंत्र हैं और हमको स्वतंत्रता मिल गयी है, तो क्या यह सत्य नहो है कि यदि पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गयी तो वह अन्याय नहीं था उस बड़े भूखंड के साथ। यदि आज हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो क्या यह हमारा धर्म नहीं हो जाता है कि उस अन्याय का प्रतिकार करें? मुझे खेद होता है हमारे कुछ साथियों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों मे होने वाले खर्चे को अधिक बतलाया और उसके लिये उन्होंने एक सीधे-सीधे सर्टिफिकेट दे दिया कि जितने पूर्वी इलाके के रहने वाले है वह भिखारी है, दरिद्र है, नंगे है, दीन है, भूखे है और पूर्वी प्रदेश के साथ बड़ी सहानुभूति दिखायी गयी। लेकिन वह सर्टिफिकेट आपने कैसे दिया? वह इतने नंगे भूखे नहीं है। यदि हमारे प्रदेश मे एक विदेशी सत्ता ने उस पूर्वी भूखंड के साथ अन्याय किया और ५० वर्ष तक उनके लिये कोई काम नहीं किया, तो आप उसके लिये जिम्मेदार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी राजनैतिक नीति ऐसी थी। आज उस अन्याय का परिहार किया जा रहा है, जो कि यह सरकार कर रही है। अंग्रेजी सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उनको पीछे रखा गया और न उनको उठाने के लिये और न उनका उत्थान करने के लिये मौका दिया। मैं आपसे कहूं कि सन् १९५२ के बाद हमारे प्रदेश मे जो खर्च हुआ है, पूर्वी प्रदेश मे, पश्चिमी प्रदेश मे, दक्खिनी प्रदेश में और मध्यवर्ती प्रदेश मे, उसके आंकड़े हमारे सामने हैं। उनकी जनसंख्या की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से जितने काम होते रहे हैं उनकी दृष्टि से उन तमाम आंकड़ों को आप देखे। आज भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के ट्यूबवेलों की चर्चा की गयी। पश्चिमी इलाके मे आज तक ५१—५२ के बाद करीब ७०० ट्यूबवेल बनाये गये, बीच के इलाके मे ५०० ट्यूबवेल बनाये गये और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में १२०० के करीब ट्यूबवेल बने। सन् १९५६ तक पश्चिमी इलाके मे २,८५० ट्यूबवेल बन जाते हैं, और ४६ तक पश्चिमी इलाके में १७०० ट्यूबवेल थे। इन दस वर्षो में करीब वहां पर ११,१२ सौ ट्यूबवेल बने हैं। जब कि पश्चिमी इलाके मे २८ सौ बनेगे, तो पूर्वी इलाके मे केवल १७०० बनेगे और करीब ६०० हमारे बीच के इलाके मे बनेगे। इसलिये न मध्यवर्ती जिलों की उपेक्षा हुई है, न पूर्वी इलाके की उपेक्षा हुई है और न पश्चिमी हिस्से की उपेक्षा हुई है। उस तर्क को लाना मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है। फिर मैं आपकी आज्ञा से एक आफर देना चाहता हूं कि यदि केवल इसी कारण से उत्तर प्रदेश के बटवारे की बात कही जा रही हो तो यद्यपि मैंने पूर्वी प्रदेश के भाइयों से बात नहीं की है, परन्तु मैं साधिकार इस आशा से यह बात कहता हूं कि वह मेरा समर्थन करेंगे। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी पूर्वी प्रदेश पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको बन्द कर दिया जाय और सारा धन एकत्रित करके उसको उस प्रदेश के इलाके की ओर मोड़ दिया जाय जहां उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही हो। उत्तर प्रदेश के लोग या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अगर २०० वर्ष तक अंग्रेजी राज्य में गरीबी मे रह सकते थे, जिसका सर्टीफिकेट दिया गया है, तो भारत और उत्तर प्रदेश की एकता के लिये १०, २० वर्ष तक और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग गरीबी में रहने के लिये तैयार है।

एक तर्क यह भी दिया गया और मालूम नहीं इस तर्क मे क्या तुक है। हमारे भाई श्री मोहनलाल जी ने, जो शायद यहां उपस्थित नहीं है कहा कि उत्तर प्रदेश का बटवारा हो और यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का विस्तार हो और कहा कि विन्ध्यप्रदेश को मिला लो। वह सोचते हैं कि विन्ध्यप्रदेश मे खनिज पदार्थ हैं। बटवारे के साथ खनिज पदार्थ की बात करने लगे? अगर विन्ध्यप्रदेश आवेगा तो वह किस इलाके मे मिलाया जायगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बढ़ा कर विस्तार करने के बाद इसे दो हिस्सों मे काट दो। यह तो ऐसा ही हुआ कि बकरे को खूब खिलाओ और जब वह मोटा हो तो बलिदान चढ़ा दो! यह तर्क समझ मे नहीं आया। विन्ध्यप्रदेश की घटनाओं को हम और आप जानते हैं और अगर वह हमारे साथ नहीं मिले तो फिर क्या होगा? तब बटवारा होगा या नहीं? विन्ध्यप्रदेश को आप किस भाग के साथ मिलावेंगे? ख्वाजा साहेब ने नयी भाषा का विज्ञान हमें सिखाया। व्रज की भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी इत्यादि के नाम उन्होंने कहीं से सुने होंगे, लेकिन वह यह नहीं जानते कि हिन्दी इन सबकी मूल है। हम जानते हैं कि यह सब भाषायें हैं और साथ ही बुन्देलखंड में और पर्वतीय इलाकों में अलग अलग भाषायें बोली जाती हैं। तो इसके माने यह हुये कि उत्तर प्रदेश को हरियाना के साथ मिलाने के लिये ही नहीं, बल्कि भाषाओं की बात सोचते हुये जो यहां इतनी सारी बोली जाती हैं, उत्तर प्रदेश के ६,७ टुकड़े हो जाने चाहिये। अगर यही तर्क मान लिया जाय तो हर ५ मील पर उत्तर प्रदेश मे बोली का तरीका बदल जाता है जो बोली बनारस शहर मे है उससे भिन्न उसके देहात मे है, जो बोली मिर्जापुर शहर मे है, वह मिर्जापुर के देहात से भिन्न है। तो कहां तक आप बांटने चले जावेंगे। कहीं तो उसकी सीमा होगी? हमारे भाई वीरेन्द्र पति जी ने भी एक नया इतिहास सुनाया। कहा गया कि उत्तर प्रदेश तो कभी एक रहा ही नहीं। ठीक है, ऋग्वेद के काल मे एक नहीं रहा। महाभारत

मे बहुत से टुकडे कुरु, पंचाल, व्रज, काशी आदि हुये। बुद्ध के जमाने मे भी १६ हिस्से थे। मुसलमानों के जमाने मे सूबेदारियां थी। यातायात के साधन नहीं थे। एक स्थान से स्वका शासन मुमकिन नही था। उन्होने छोटी-छोटी सूबेदारियां बनाईं। लेकिन क्या इनके यह अर्थ होते है कि आज के उत्तर प्रदेश की भी वही हालत हो? इलियट साहेब ने कहा कि इसका ऐतिहासिक यूनिट एक रहा है। कुरु मे रुहेलखंड का भाग घुसेड़ा जा रहा है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इस प्रश्न पर हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिये। इतिहास का मैं भी विद्यार्थी रहा हूं। इतिहास हमे बतलाता है कि जब-जब हमारे देश के कई-कई हिस्से होकर टुकड़े हुये, तब-तब देश में तबाही आई। यह ? हजार वर्षो के इतिहास से सिद्ध होता है। हमे वह दिन नहीं भूलना चाहिये जब सिकन्दर की सेनायें पंजाब से आगे नहीं बढ़ सकीं। माननीय सदस्य जरा उसके कारण तो सोचे। मै उनकी डिटेल मे जाकर सदन का अधिक समय नहीं लूंगा।

(लाल बत्ती होने पर) अध्यक्ष महोदय, मुझे ३,४ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---मै ३ मिनट पहले आगाह कर देता हूं। आप ३ मिनट और बोल सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मै अपने भाइयों से जो बटवारे के पक्ष मे है कहना चाहता हूं कि आखिर उनकी दलीलो मे सार क्या है? मुझे तो कोई भी उनका तर्क ऐसा नहीं लगा कि मानने के योग्य हो। महात्मा गांधी ने हमे एकता का पाठ पढ़ाया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हमारे जीवन मे एक मन्थन हुआ। जैसा कि समुद्र मे मंथन होने से विष और अमृत निकलता है, वह हमारे यहां भी निकला और मैं इतना ही, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस विष को अमृत मे बदले। कालिदास जी ने कहा है कि "विषमप्यमृतं क्वचिद् भवेत्, क्वचिदमृतं विषमीश्वरेच्छया।" अमृत का पान करके हमे अपने देश को ऊपर उठाना चाहिये। केवल भावुकता के आधार पर अपना विनाश करना कदाचित् किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया है। भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते, तथा अल्पसंख्यक के नाते और सिख सम्प्रदाय मे जन्म लेने के नाते मुझे इस विषय पर प्रकाश डालना अत्यावश्यक हो जाता है। माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो विचार यहां प्रकट किये है, चाहे बटवारे के पक्ष मे हों या बटवारे के खिलाफ हों, मैने उन सबको बड़े ध्यान से सुना है। बहुत सी दलीले उन लोगों की तरफ से दी गई जो विभाजन चाहते है और जो नहीं चाहते, उनकी दलीलों को मैने इस सदन मे बड़े ध्यान से सुना। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि क्या आज से १० वर्ष पहले जो भारतवर्ष मे वायुमंडल चल रहा था क्या वही चीज इस राज्य कमीशन की रिपोर्ट के बाद उपस्थित नहीं हुई? क्या आज हम पीछे की तरफ जा रहे है. यह चीज देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुई। इस सदन मे आठ वर्ष पहले यही बात कही जाती थी और हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े किये गये। यह बड़े अफसोस और शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पुराने इतिहास को न दोहराया जाय, क्योंकि उसमें गरमागरमी बढ़ जाती है। आप अपने कारण बतावें इस पक्ष मे या उस पक्ष मे।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर---मै आज कुछ अंशों मे वही चीज पा रहा हूं। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई और हमें यह सोचने का मौका आया कि हमको क्या करना चाहिये और किस तरह से अपने प्रान्त की तरक्की करनी चाहिये? इस पर ख्याल न करते हुये आज हमारा प्रांत एक अजीब वायुमंडल मे गुजर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेशों को भाषावार प्रांत के आधार पर बटवारे का प्रश्न इस राज्य कमीशन के सुपुर्द किया था और उनसे कहा गया था कि वह भाषावार प्रदेश बनाने के लिये छानबीन करे

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

और बताये कि किस तरह से प्रांत बनाने चाहिये और उसके ढांचा या रिपोर्ट उसके लिये मांगी गई थी, और उस कमीशन में ३ सदस्य जो २ इस प्रदेश के और एक दूसरे प्रांत के सदस्य थे मैं उनकी विद्वता के लिये हृदय से आदर करता हूं। और मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कहता हूं कि वास्तव में जो कमीशन इस काम के लिये नियुक्त किया गया था उसने हमारे प्रदेश के लिये जो राय दी, क्या वह भाषावार प्रांत के आधार पर दी ? उनको राय देने का हक था लेकिन क्या हमारे प्रांत की दो भाषायें हैं ? मैं रिपोर्ट का संक्षेप में एक हवाला देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि राज्य पुनःसंगठन आयोग ने अपने कर्त्तव्य में कहां तक सफलता प्राप्त की है। उस आयोग में केवल ३ सदस्य थे, उसमें से भी एक की राय कुछ, एक की राय कुछ, और तीसरे की कुछ, और जो रिपोर्ट आई यह सर्वसम्मति से नहीं दी गई। हमारे प्रांत के लिये जो सरदार पणिक्कर जी ने राय दी है, पंजाब के लिये उसी कमेटी के दूसरे सदस्य ने दूसरी राय दी है। इसमें साबित होता है कि वह लोग अपनी रिपोर्ट देने में एकमत न हो सके और सर्वसम्मति से रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा और केन्द्र के मंत्रिमंडल उस पर विचार करेंगे और उस प्रांत के सदस्य तथा नागरिकों को हक होता है कि वह उसका मंथन करें और विचार करें और उस पर अपनी राय जाहिर करें। हमारे कुछ भाइयों ने सरदार पणिक्कर जी की राय को लेकर कहा है कि इस प्रांत का बटवारा होना चाहिये क्योंकि उनके नोट में ऐसी सिफारिश की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि यह बहुत बड़ा प्रांत है और यहां की आबादी ज्यादा है और यहां का शासन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है और यहां के सदस्य पार्लियामेंट में जाकर बहुमत से केंद्र की सरकार पर दबाव डालते हैं। मैं पूछता हूं कि कहां तक उचित है कि अगर एक प्रांत बड़ा हो तो उसे इसलिये काट दिया जाय कि यहां से जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग राय देते हैं ? उसको अंगभंग करना चाहिये यह उनकी कौन सी बुद्धि है, कौन सी राजनीति है, कौन सी समझदारी है यह समझ में नहीं आता ! वह तो लोकतन्त्र का गला [illegible] है। आज डिवीजन की बात कहां तक उचित हो सकता है। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान बटने की बात करता था वह आज एक इकाई में हो रहा है और संलग्न हो रहा है। हमें इससे सबक सीखना चाहिये कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका क्षेत्र इतना बड़ा है, अपना काम चला सकती है तो यू० पी० तो उसके सामने छोटी सी ही चीज है। और मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि वह अपना जो प्रदेश के विभाजन का विचार है उसको छोड़ दें। बहुत से भाइयों ने कहा कि पूर्वी प्रांत बहुत गरीब है और हम उसके लिये दया करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा पूर्वी भाग गरीब नहीं है। जैसा हमारे भाई कमलापति जी ने कहा कि इस भाग के साथ सदा सौतेले भाई जैसा बरताव अंग्रेजों ने किया इसलिये कि पूर्वी भाग ने सदा राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया जिसका प्रमाण बलिया है, बनारस के हिन्दू युनिवर्सिटी के नवयुवक हैं, आजमगढ़, बलिया, बनारस, गाजीपुर, और गोरखपुर की वह सन् १९४२ की राज्यक्रांति है। इस प्रदेश के पूर्वी भाग ने सबसे ज्यादा उसमें हिस्सा लिया, और इसी से नहीं सन् १८५७ से लेकर १९४२ तक पूर्वी प्रांत बराबर उसमें हिस्सा लेता रहा और इसी कारण अंग्रेजों ने हमेशा उसके साथ सौतेले भाई के समान व्यवहार किया और पश्चिमी भाग को उसके मुकाबिले में आगे बढ़ाते रहे। आज हमारे पश्चिमी जिलों के लोगों को खयाल होना चाहिये कि इस देश की गुलामी को मिटाने के लिये जिन भाइयों ने अपने को मिटा दिया, अंग्रेजों ने जिनके साथ बेरहमी का बरताव किया, हम उनके साथ उदारता दिखलावें। लेकिन आज वह यह न करके कह रहे हैं कि हमको अलहदा कर दो और हमारा अलग सूबा बनाओ। कुछ भाइयों ने तो इस मनोवृत्ति का परिचय दिया और कहा कि इस सदन में छः बाहर के आदमियों को लाकर रख दिया गया है और दो चार आदमियों का नाम लेकर कहा गया जैसे फूलसिंह, शिवमंगल सिंह कपूर और प्रकाशवती सूद। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ आपने कौन सी मेहरबानी की या फूलसिंह के साथ आपने कौन सी इनायत की। देश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह किस किस्म की तंग मनोवृत्ति है, और यही मनोवृत्ति देश के लिये घातक है।

मैंने कुछ नेताओं के भाषणों को सुना कि हरियाना प्रांत अगर पंजाब में निकाला जाय तो पंजाबी सिक्ख जो शेर है वह हमको बकरी बनाकर खा देंगे यह क्या हिमाकत की बात है कि कुछ भाइयों को तो आपने शेर हिंसक बना दिया और कुछ को बकरी बनाते हैं। क्या यह हमें शोभा देता है। मै आपसे कहता हूं कि आज सिखों के लिये आप ऐसे शब्द क्यों कहते हैं। जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले साथ दिया। मै तवारीख का पंडित नहीं हूं, लेकिन भाई कमलापति जी मौजूद हैं वह इससे इंकार नहीं कर सकते कि आजादी के संग्राम में सबसे पहले उन्होंने भाग लिया और देश की आजादी में कंधे से कंधा भिड़ाया। मैं नहीं चाहता कि पंजाबी सूबा बने। अभी हाल में पंजाब में एक नेशनलिस्ट्स सिख कांफ्रेंस हुई थी। वहां पर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमने यह रिजोल्यूशन पास किया था कि हम पंजाबी सूबा नहीं चाहते, वह हम नहीं चाहते जो मास्टर तारासिंह चाहते हैं। हम भारत की एकता चाहते हैं। हमारा और मास्टर तारासिंह का मतभेद हो सकता है, लेकिन जब कोई सिखों पर इस प्रकार के हमले करता है तो आत्मा को दुख मालूम होता है। आप तंग मनोवृत्ति को छोड़े और उदारता दिखावें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर साहब, आखिर तीन दिन की पैहम कोशिशों के बाद जो वक्त मुझे मिला है मैं उसके लिये आपका शुक्रगुजार हूं। तीन दिन से इसके मुताल्लिक कि हिन्दुस्तान भर के सूबे खसूसियत के साथ हमारा सूबा इसके अन्दर, जुगराफिया कैफियत के अन्दर, इसकी हुदूद के अन्दर कोई तब्दीली की जाय—इसके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से इजहारे ख्याल किया गया। सबसे पहले इस बहस को शुरू करते हुए आनरेबिल चीफ मिनिस्टर ने यह फर्माया और उसने बड़ी हद तक हमारा रास्ता साफ कर दिया कि हमको बहुत ज्यादा अपने ही सूबे के मुताल्लिक इजहार खयाल करना चाहिये। बाहर ऐसी खतरनाक शक्लें पैदा हो गई हैं कि यहां से बैठ कर उसको हवा देना हमारे लिये कोई मुनासिब न होगा। और मैं तो यह समझता हूं कि यहां बहुत सी दलीलें दी गई हैं और बहुत से वाकयात सामने रक्खे गये हैं और कुछ जबान की स्वतन्त्रता की बात भी कही गई है, कुछ मजहब के मुताल्लिक भी बात कही गई है और कुछ उन बातों को भी दोहराया गया है जो जबान और कल्चर से ताल्लुक रहती है, जिनका मुस्तकिल तौर से इस रिपोर्ट के अन्दर तजकिरा मौजूद है। लेकिन जब से रिआर्गेनाइजेशन की फिजा पैदा हुई देश के अन्दर, बम्बई में जो कुछ हुआ या और सूबों में जो कुछ हो रहा है, हैदराबाद के टुकड़े करने से जो कुछ होने वाला है या हो रहा है, दिल्ली का सूबा टूटने से वहां जो कुछ हो रहा है, उस सबको देखते हुए हमने इत्मीनान की सांस ली कि इस तरह की चीजें हमारे सूबे के अन्दर नहीं हो रही है बल्कि सकून के साथ बैठे हैं वर्ना इस तरह की बेचैनी को देखते जिसको बर्दाश्त करना सूबे के लिये आसान न होता। बहुत सी बेचैनियां दूसरे सूबों में पैदा हुई। हमने बम्बई की फायरिंग देखी, दूसरे सूबों की गड़बड़ियां देखीं, जिनका हमको तजुर्बा न करना पड़ा।

जहां तक इन दलीलों का ताल्लुक है कि कुछ मगरबी अजला के लोग हट कर कहीं दूसरी जगह जायं या दूसरे के हिस्सों को अपने साथ मिलमिला कर नया सूबा बना लें, मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके अन्दर वे लोग भी हैं जिनकी मुख्तलिफ जबानें हैं जो इस सूबे के अन्दर बोली जाती हैं। अकलियत की जबान की चर्चा भी इस रिपोर्ट के अन्दर की गई है। अब इस जबान को लेकर या कल्चर को लेकर सूबा मुत्तहिदा यू० पी० के अन्दर रहता है या दूसरे सूबे के अन्दर जाकर नया तजुर्बा करेगा और खुदा जाने वहां बदतर हालत हो या बेहतर हालत हो, वहां जाकर आपको नई जिन्दगी बनानी होगी। मैं समझता हूं कि इसके लिये अभी हमें इतनी फुर्सत नहीं है। हमें और बहुत से काम करने हैं। हम नये नये रोज तजुर्बे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी]

करने के लिये किसी सूरत से तैयार नहीं हैं। जनाबवाला, कोई तबका अगर कुछ कह सकता है कि हम यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन से घबड़ा गये हैं, हम यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन के निकम्मे-पन से ऊब गये हैं लिहाजा हम बाहर जाना चाहते हैं, तो जाहिर है दो ही चार ऐसे जिले होंगे जो इम्याजी तौर पर कह सकते कि उनके साथ बुरा सलूक बर्ता गया। मुझे तो बाज दोस्तों की शिकायत सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जो न मशरिक में है और न मगरिब में, बीच में है यानी इलाहाबाद। अगर वह न होता तो हम अपनी तमद्दुन तक बरकरार न रख पाते। मशरिक से जो मिनिस्टर होकर आये उन्होंने अपने जिले के लिये कोई काम आज तक नहीं किया। जौनपुर की तालीम म एक शिम्मा भर भी वजन नहीं बढ़ा। हरगोविन्द सिंह जी वहीं के मिनिस्टर हैं। अगर कुछ किया तोपूरे सूबे के लिये किया। शिकायत हो सकती थी तो पूरे सूबे के लिये हो सकती थी। जो मेरे दोस्त इसके मुताल्लिक बोले हैं वह बात तो मेरे खयाल में काबिल तजकिया भी नहीं रह गई कि पूर्व की तरफ गौर ज्यादा किया गया और मगरिब की तरफ नहीं किया गया। मैं तो समझता हूं कि मगरबी अजला का वजन है। उस वजन को अपने हाथों कम करने की वे कोशिश न करें। इस रिपोर्ट को हम पढ़ें। अपना कल्चर और अपनी जबान को मैं देखूं और देखकर दूसरे हिस्से में मिलना चाहूं तो किसी हद तक वाजिब हो सकता था। जो तजुर्बा हो रहा है, जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने उर्दू जबान को कुचला मैं घबड़ा कर कहता कि उर्दू को कुचला जा रहा है, चलो किसी दूसरे देश के अन्दर, दूसरे सूबे के अन्दर, दूसरे जिले के अन्दर जहां उर्दू के लिए बड़ा मफाद हो। लेकिन जब यहां यह हालत है कि आप इस जबान को पनपाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या अगर दिल्ली में मिल जायंगे तो उर्दू जबान पनप सकेगी ? पंजाब जायंगे तो और खत्म हो जायगी, दिल्ली में जायंगे तो और खत्म हो जायगी।

आप सब्र रखें, घबराएं नहीं। हम भी अहसास रखते हैं। हमारी दुख भरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, यह मुसलमानों की जबान है, बोलने में तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत की जबान है, लेकिन लिखने के एतबार से यह एक अक्लियत की जबान है। लेकिन हमारे सूबे की गवर्नमेंट ने न आज तक इस बारे मे मदद की और न इस वक्त तक कोई कदम उठाया है कि आगे हमारा कल्चर और हमारी जबान पनप सके।

वह बुड्ढा फकीर जो इस मुल्क का शहनशाह था, जिसने इस मुल्क पर और इस मुल्क के रहने वालों के दिलों पर हुकूमत की और जो दिल्ली में गोली खाकर मरा, उसका यह कहना था कि यह कोई भी अक्लियत हो, चाहे वह जबान के एतबार से, मजहब के एतबार से हो या किसी एतबार से हो उसकी पूरी-पूरी हिफाजत की जाय। जब आज आप उन चीजों को छोड़ बैठे तो आपको गांधी का नुमाइंदा या गांधी का शागिर्द कहने का हक नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पानी इस हद तक ऊंचा नहीं हो गया है कि हम उसमें बिल्कुल डूब जायं। हमें थोड़ी सी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हम इस सूबे के अन्दर अपनी जगह भी बना लेंगे, अपने कल्चर को भी महफूज कर लेंगे, अपनी जबान का तहफ्फुज भी कर लेंगे। लेकिन इन्हीं साथियों के साथ जो यहां बैठे हुए है, जिन्होंने इस सूबे को यहां तक पहुंचाया है। जनाबवाला, अगर हम इसके किसी हिस्से को पंजाब या दिल्ली के अन्दर मिल ने के लिए कहते हैं, तो वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो हाल है वह हम सब लोग देख रहे हैं। इस सूबे की कमियों के बावजूद, मजमुई एतबार से मै कह सकता हूं, किसी पार्टी के असर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ईमानदारी से अगर कोई भी बात न कही जाय तो खुदा के सामने जवाब देना पड़ता है। फिर भी मजमुई तौर पर जो यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन है, बाज उमूर में वह दूसरे सूबों से निकम्मा है, तो बाज चीजों में और सूबों से अच्छा है। कम्युनल फीलिंग को दबाने के सिलसिले में अगर बम्बई और कलकत्ता ने कुछ कदम उठाया तो यहां भी ऐसी हस्तियां मौजूद थीं, जिन्होंने इसके लिए निहायत कोशिश की।

लेकिन इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, फिर अगर हम इस खतरे को रखने, हमने, जो स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया, उसको देखा और दूसरे मिनिस्टरो ने दिया, जिसमें सब मिनिस्टर मौजूद हैं, उसको पढ़ा। उससे हमारी उम्मीदें टूट गयी : तो अगर हम अपनी जबान और अपने कल्चर के लिए यह खतरा लेकर कहते कि हमें बांट दें, तो क्या हम इलाहाबाद को अपने सर पर उठा कर ले जायंगे और कलकत्ते से मिला देंगे ? मैं अर्ज करूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का वह रेजोल्युशन और जो उन्होंने उस पर तकरीर करते हुए तजवीज फरमायी है वह इस सूबे के लिए मुफीद है। उस पर यह कहा जा सकता है कि यह कौन सी माकूलियत है कि अपने सूबे का कोई हिस्सा देना न चाहें, लेकिन दूसरे सूबे के टुकड़े को मिल ना चाहें। मैं अर्ज करूंगा कि जागरफिकल हैसियत से, सूबे के मफाद की हैसियत से, इलाहाबाद को जो रींवा के उस हिस्से से फायदा पहुंचेगा और रींवा के उस हिस्से को इलाहाबाद से जो फायदा पहुंचेगा, उस एतबार से और बहुत से एतबार हैं जिनकी बिना पर बहुत ज्यादा सही उम्मीद की गयी है कि उस हिस्से को इस सूबे से मिला दिया जाय। जिस इलाहाबाद ने पालिटिकल फील्ड में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, वह इलाहाबाद का हिस्सा इससे पनप जायगा। आज उसकी हालत बहुत खराब हो रही है।

अक्लियतों के उन तहफ्फुजात की तरफ, जिनकी तरफ कमीशन ने इशारा किया है, क्या मैं उम्मीद करूं, जब कि आप उस रिपोर्ट को मान रहे हैं, चाहे वह माइनारिटी जबान के एतबार से हो, चाहे वह माइनारिटी कल्चर के एतबार से हो, उसके अन्दर चाहे चन्द ही आदमी हों, चाहे उस जबान या कल्चर में एक सिक्ख या एक मुसलमान नुमाइन्दा हो कोई भी हो, एक घर भी अगर उसका हो तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है, हुकूमत का यह फरीदा नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए अपने तन मन को लगा दें। आज हम देखते हैं कि वह तबका जिसने हमारे दिल के टुकड़े कर दिए, मैं तो दिल से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान न बनता तो हम आज इतने नीचे न जाते कि हम कुछ बोलें तो कम्यूनल कहे जायं और आप कुछ भी कहें मगर आप कम्यूनल न कहे जायं। आज हम मजबूर हैं। मै यह अर्ज करूं कि माइनारिटी चाहे जितनी कम तादाद में हो, उसकी हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज है। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के चीफ मिनिस्टर ने अपने यहां माइनारिटी की पूरी हिफाजत करने का वादा किया हमारी हालत को देखकर। लेकिन हमारा तो यह उसूल रहा है, हमने हमेशा यह वादे किये हैं कि हमारे यहां किसी भी तरह की माइनारिटी के दस घर भी अगर होंगे तो हमारी पूरी कौम उनकी सहूलियत के लिए तैयार होगी। लेकिन हमें अफसोस होता है जब हम इसके खिलाफ जाते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ आखीर में इतना अर्ज करके बैठ जाऊंगा कि इन्तहाई कोशिश होनी चाहिए। और मैं इस हाउस के अपने तमाम उन मेम्बरान से जिनका कि मैं अदब अपने बुजुर्गों की तरह करता हूं, यह अर्ज करना चाहता हूं कि अपना एक एक वोट इस तरह से कास्ट करें और यह सोचकर करें कि अगर उससे जरा भी बाउंड्री में हेरफेर हुआ या तबादला हुआ तो उसका नुकसान पूरे स्टेट को उठाना पड़ेगा। मैं कमीशन के उस मेम्बर का भी शुक्रगुजार हूं कि उनकी एक राय जो थी वह उन्होंने रखी कि इस सूबे का डिवीजन किया जाय। मैं उनकी किसी तरह की भी तौहीन करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आज की हालात को देखते हुए, इस सूबे की हालात को देखते हुए उनकी राय गलत है। इस सूबे के किसी भी हिस्से को तकसीम करना इस सूबे के लिए खतरनाक है और यहां के रहने वालों के लिए खतरनाक है।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आज की लगातार उठक बैठक के बाद आपकी कृपा दृष्टि मेरी ओर आयी और मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं यहां पर सभी

[श्री मलखानसिंह]

माननीय सदस्यों के सामने किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं और न मैं यह समझ रहा हूं कि यह जो प्रश्न है यह किसी पार्टी विशेष का है। यहां पर हम ४३१ माननीय सदस्य इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस विषय पर हम अपनी सम्मति साफ तौर से दें। इसलिए मैं यहां पर किसी पार्टी की तरफ से बात न करके जो मेरे साफ-साफ विचार हैं, वह रखूंगा। जहां तक कि माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो संशोधन रखा है और दूसरे साथियों ने भी रखा है, उनका सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उस संशोधन का खोखलापन मेरे भाई नारायणदत्त जी ने जाहिर कर दिया कि वह एक सूबे का पुनर्गठन करने नहीं जा रहे हैं बल्कि कई एक सूबों का पुनर्गठन करने की व्यवस्था उन्होंने रखी है। इसलिए उस संशोधन में कुछ तथ्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी दलीलें अपनी रखी थीं, वह भी मैंने अच्छी तरह सुनीं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि रहन-सहन, खानपान, हमारे व्यवहार सब भिन्न-भिन्न हैं इसलिए हमको अलहिदा हो जाना चाहिए।

बहुत से भाइयों ने बहुत जोशीली बातें कीं और एक भाई ने तो यह कहा कि यहां पर भविष्य बोल रहा है और इस उत्तर प्रदेश के जरूर टुकड़े टुकड़े होंगे। मैं केवल यह कह देना चाहता हूं कि जो भाई इस उत्तर प्रदेश के टुकड़े-टुकड़े करने के पक्ष में है वह लिख ले स्वर्णाक्षरों में इस बात को कि उनको इसके ऊपर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, यह उनका आत्मघात होगा जो इस तरह की चर्चा करते हैं। मैं उनके भावों पर कटाक्ष नहीं करता। मैं उनकी ईमानदारी में कोई लांछन लगाना नहीं चाहता लेकिन मैं यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की बात है वह आप अपने हृदय के टुकड़े कर रहे हैं, अपने प्रदेश के टुकड़े कर रहे हैं और आपका जो सब से प्यारा देश भारतवर्ष है उसको कमजोर बनाने जा रहे हैं। एक भाई ने साफ शब्दों में यह कहा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह हमको कमजोर बना रहा है। मुझे तो उनकी यह दलील माननीय पणिक्कर के शब्दों में भी साफ तौर से नजर नहीं आई। पणिक्कर जी ने तो यह कहा कि यह खतरा हो सकता है भारतवर्ष की यूनिटी के लिए, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने भाई के मुंह से सुना कि हमारा उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष को कमजोर बना रहा है। मैं आपके सामने यह कहने आया हूं कि अगर हम आज यह भी मान लें कि सन् १८५६ या १८५७ में अवध का सूबा हमारे उत्तर प्रदेश में मिला और आज लगभग सौ वर्ष हुए, और अगर हम यह भी मान करके चलें कि हमारी आजादी की लड़ाई सन् १८५७ से शुरू हुई, तो लगभग यह उत्तर प्रदेश जैसा कि आज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कन्धे से कन्धा मिला कर कम से कम लगभग सौ वर्ष तक लड़ा। और जब आज आजादी मिल गयी है तो हमको १० वर्ष भी नहीं हुए, ८ वर्ष भी नहीं हुए कि हम आज बंटने की बात करते हैं। जिस समय कि हमने खून बहाया, अपनी जानें गंवाईं, अपना धन गंवाया, अपने घरों को बरबाद किया और लगातार सौ वर्ष की ऐतिहासिक लड़ाई के बाद अंग्रेज का इस देश से काला मुंह किया और हम अभी अपना घर दुरुस्त करने में ही लगे थे, हम अभी दुरुस्त भी नहीं कर पाये, अभी हम यह भी नहीं पूछ सके हैं बहुत से कोनों में जाकर के कि आपके घर में रोटी मिलती है या नहीं, तुम्हारा घर टूटा-फूटा है या कैसा है? इसका भी अवसर नहीं मिला है कि हमारे भाई आज यह कहने चले हैं कि हमारे इन १६ जिलों को इधर से काट दिया जाय और दूसरी तरफ मिला दिया जाय। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन बातों को सुनकर, हृदय में दुःख भी लगता है कि आज हम अपने इन विचारों को कहां तक ले जा रहे हैं।

पणिक्कर जी ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में कहा है, मैं आपके सामने उनकी बात रखूंगा और उन्हीं के शब्दों में रखूंगा। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र बात कही है, जो मेरी समझ में कम से कम नहीं आती कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। उन्होंने यह कहा कि—

"There are other factors, such as economic and social conditions within the different areas and political consciousness and traditions of the people and the political acumen......."

श्री अध्यक्ष—आप पैराग्राफ का नम्बर बता दीजिये। आप इनके नोट आफ डिसेंट की बात कर रहे हैं।

श्री मलखानसिंह—जी हां, पैरा १६, पेज २५१ देखें।

"I am convinced that the decision the Government of India takes about Uttar Pradesh will determine the course of our evolution, the sanctity, the strength and the faith of the people in our Constitution, which should be the palladium of our rights and the source of our political unity. It is my deep conviction that if at this time when the whole issue is before the country, this unnatural feature of our Constitution is not set aright, the faith of the people in the Constitution—which consciously or otherwise provides for the predominance of one area—will be weakened."

मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा कोई असंगत बात कही नही जा सकती थी कि कांस्टीट्यूशन जो भारतवर्ष का है, उसमे, अगर उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कि हमारे माननीय पणिक्कर जी चाहते है उस तरह से अगर रिआर्गेनाइज नहीं करते तो लोगों का, कुल देश के ३६ करोड़ आदमियों का कांस्टीट्यूशन मे फेथ नही रहेगा। यह कौन-सी बात कह डाली? मैं तो इसको अनर्गल ही समझता हूं। मैं अपने भाइयों के सामने नतमस्तक होकर के यह कह देना चाहता हूं कि अगर कांस्टीट्यूशन की बात है, जहा पर आपका कांस्टीट्यूशन बनाया गया देश के लोगों ने बैठ कर, उसमे एक ही बात है कि जनमत के आधार पर रिप्रेजेंटेशन। उसमे भी जहा उन्होंने अमेरीका और रूस का उदाहरण दिया और यह बात भी कही कि वहा भी बड़े छोटे प्रदेश है और वे रह सकते है तो फिर मेरी समझ मे वह बात जो उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा निशाना है कि अगर इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनकी मरजी के मुताबिक ठीक नहीं किया तो लोगों का यकीन उस कांस्टीट्यूशन में नहीं रहेगा, नहीं आयी। अगर कांस्टीट्यूशन कि बात है तो दिल्ली में बैठकर उसको ठीक कर लेना चाहिये। और जो यह कहा जाता है कि ४६६ मे यहां के ८६ आदमी तमाम देश की राजनीति पर असर डालते है तो मेरा कहना यह है कि ४१३ आदमी बाकी बचते है। ८६ की क्या ताकत है ४१३ के मुकाबिले मे, मेरी समझ मे यह लाजिक नहीं आती। तो मैं आपके सामने बड़े गम्भीर शब्दों मे प्रार्थना करूंगा कि यह जो बात आज हमारे १६ जिलों को दूसरी जगह मिलाने के लिये कही जाती है यह मेरी समझ में जरा भी नही आती। साथ ही यह भी मैं देखता हूं कि पुरानी दिल्ली की तरफ से भी हमारे लोगों के तार खींचे जाते है और हर तरफ से कोशिश की जाती है कि दिल्ली को बड़ा बना दिया जाय। मैं आपको कहने के लिये तैयार हूं कि जहां पर कुल हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है वहां पर एक और दिल्ली इधर-उधर के सूबों के जिलों को काट कर बना दी जाय। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं आपको यह भी कहूंगा कि इतने बड़े कांग्रेस के इतिहास मे यह भी सफलीभूत नही हुई कि दिल्ली मे इस सूबे की कांग्रेस कमेटियां चली जायं और जब कुछ चन्द, इने-गिने दिनों के लिये मेरठ, मुजफ्फरनगर की कांग्रेस कमेटियां वहां गई तो वे भी अपना मुंह लेकर इधर आ गई और फिर कभी इस बात की चेष्टा नही की कि उनका दिल्ली के साथ कोई भी ताल्लुक रहना चाहिये।

मेरे भाई मोहनलाल जी ने एक बात कही, मैं मानता हूं कि वह ईमानदारी की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी राय है और भी बहुत से भाई बोले जिन्होंने रेफरेंडम की बात कही, लेकिन मोहनलाल जी ने कम से कम यह दावा नहीं किया, उन्होंने तो केवल यह कहा कि मेरी निजी राय ऐसी है और वे लोग जो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि इस विषय पर रेफरेंडम कर ले मैं उनको पश्चिम के कई जिलों मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी एटा के लिये दावत देता हूं कि वहां रेफरेंडम कर लें लेकिन एक भी व्यक्ति उनका साथ नही देगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—दावत स्वीकार है।

श्री मलखानसिंह---मेरे एक भाई, वीरेंद्रपति यादव जिन्होंने यह कहा कि एक नहीं अभी करोड़ों पणिक्कर इस देश में हैं, तो इस तरह की बात भावावेश में आकर अनर्गल कह देना मेरी समझ में आया नहीं, करोड़ों ऐसे आदमी जो इस बात को चाहते हों कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े हों, मै नहीं देखता। कुछ गिने-चुने भाई ही इस बात के पक्ष मे हे। लेकिन मै उनसे साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि यह जो आप अलहिदा होने को बात कर रहे हैं यह भारतवर्ष के उत्थान के लिये नहीं है, यह उसको पतन की ओर ले जाने वाली है। जहां हम सब लोग एक साथ होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़े और जहां सुरक्षा को नोति से भो यह आवश्यक बात है, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान बनने पर थोड़े दिनों बाद हमारे सूबे मे भी एक बवंडर उठा था, तो आधी रात में, एक बजे और २ बजे वहां के कलेक्टर और कप्तान मुझे बुला कर ले जाते थे और मैं बुलन्दशहर जिले मे गया, और अलीगढ़ में बल्वों को रोका, यहां तक कि दूसरे जिलों में और देहलो में जाकर हमने बल्वों को रोका। इस बात का श्रेय उत्तर प्रदेश का तभी हो सका जब कि यहां का सुसंगठित और मजबूत राज्य था अन्यथा यह कभी नहीं हो सकता था। इसलिये इस प्रदेश को कमजोर बनाने की तरफ यदि कोई एक कदम भी उठाने की बात करता है तो मुझे बहुत सख्त चोट लगती है, और मै अपने उन भाइयों से बड़ी विनम्रता के साथ दस्तबस्ता प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने इस समय अपने विचार प्रकट किये कि पश्चिम को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, और पूर्व वालों की तरफ से यह बात कही गई कि हम छोटे भाई हैं, हमारा भी कुछ खयाल करो तो मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। पूर्वी भाइयों की दया को भिक्षा करने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मै समझता हूं कि पश्चिमी जिले के जो भाई हैं, और बहुत से लोगों ने कहा है कि पश्चिम के सब जिले जाने के लिये तैयार हैं, तो यह उनकी गलतफहमी है। पश्चिम के कुछ थोड़े से इने-गिने भाई हो सकते हे जो आज इस आवाज को उठा रहे है कि सब पश्चिमी जिले जाने के लिये तैयार है। यह बात नितान्त निर्मूल है, और इसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम पिछले चार दिनों से राज्य पुनस्संगठन आयोग की उस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हे, जो लगभग डेढ़ लाख डाक्यूमेन्ट्स पढ़ने के बाद, जिनमें लगभग २,००० मैमोरेंडम थे, ३८ हजार मील की यात्रा करने के बाद, १०४ स्थानों पर जाने के बाद तथा ९ हजार आदमियों से इन्टरव्यू करने के बाद दी है। चार दिनों से जो यहां विभिन्न विचारों को लेकर भाषण हो रहे है उनमे अनेक बाते कही गई हे। इस प्रदेश का कुछ हिस्सा अलग करके दिल्ली और पंजाब के कुछ जिलों से मिला दिया जाय। इनके पक्ष मे कहीं भाषा की दुहाई दी गई, कहीं इतिहास की, कहीं सभ्यता की, कहीं इकोनामिक्स, फाइनेंस और कहीं राष्ट्रीय योजनाओं की। परन्तु इस पुनस्संगठन के इतिहास में यदि हम जायं तो इसकी उत्पत्ति सन् १९३० ई० मे नागपुर में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में हुई, जबकि कांग्रेस ने देश का प्रांतीयकरण भाषा के आधार पर करने का प्रस्ताव पास किया। परन्तु इसके बाद स्वयं कांग्रेस ने विभिन्न समयों पर अपनी नीति मे परिवर्तन किये, जैसा कि १९२८ में जब आल पार्टीज कांफ्रेंस में नेहरू कमेटी बनी तो केवल भाषा का आधार न रखकर अन्य बाते भी इसमें सम्मिलित की गई। इसके बाद १९४८ में एन० वी० पी० कमेटी बनी, जिसमें पं० जवाहरलाल जी, सरदार पटेल और डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया थे। इस कमेटी ने विचार किया, और अपनी रिपोर्ट में भाषा के अलावा और भी कई बातें शामिल कीं, और वह रिपोर्ट कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन मे स्वीकार की गई। इसके उपरांत हैदराबाद और कल्याणी कांग्रेस अधिवेशनों में प्रांतों के पुनस्संगठन होने पर विचार हुआ, और इस में देश के संगठन और एकता को मुख्यता देकर प्रांतों को बनाने का विचार किया गया। इसके अनुसार कमीशन बना और उसके बनने के संबंध में २९ दिसम्बर, १९५३ को जो भारतीय सरकार का रिजोल्यूशन हुआ, उसमें यह तय हुआ कि वहां की राष्ट्रीय निर्माण योजना को सफल करने के लिये, संस्कृति एवं भाषा के दृष्टिकोणों

को भी सामने रखते हुये, इकोनामिक कंडीशन को सामने रखते हुये इस आयोग का कार्य किया जाय। तो जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें हम देखते हैं कि कमीशन के दो माननीय मेम्बरों ने बहुत सोच समझ कर उत्तर प्रदेश को किसी तरह से भी छूने का यत्न नहीं किया, सिर्फ सरदार पणिक्कर ने उसमें अपना एक मतभेद दिया, और उसमें विभिन्न विरोधी बातें कहीं। लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कही, जैसा कि मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सार की बात हो। उन्होंने एक बात यह कही कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिये यह सारे देश के ऊपर अपने लोक सभा में ८६ मेम्बरों के बल पर गालिब रहता है। लेकिन उन्होंने कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं बतायी कि जो यह साबित करती हो कि उत्तर प्रदेश ने अपने ८६ मेम्बरों के होने के कारण सारे देश के साथ कोई ज्यादती की है या बहुमत के बल पर कोई कार्य किया हो। जहां तक भाषा का प्रश्न है स्वयं कमीशन ने माना है और पणिक्कर साहब की भी सम्मति है कि उत्तर प्रदेश भाषा की दृष्टि से एक यूनिट है। कोई दो भाषायें यहां नहीं हैं। अब यह कहना कि यहां अवधी है, भोजपुरी है, पहाड़ी है, ब्रजभाषा है, स्वयं पणिक्कर जी के मत के विरुद्ध जाता है। आज यदि देश की परराष्ट्र नीति, गृह नीति, सुरक्षा नीति, खाद्य नीति तथा यातायात नीति का उत्तरदायित्व केन्द्र के जिन मंत्रियों पर है, वह उत्तर प्रदेश के हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह इसलिये वहां नहीं है कि हमारे ८६ मेम्बर वहां हैं, बल्कि वह इसलिये हैं कि उत्तर प्रदेश ने जवाहरलाल जैसे लाल को पैदा किया है जिस पर कि सारा देश ही नहीं संसार आज गर्व करता है। वह इसलिये है कि माननीय पंत जी जैसा शासन निपुण यहां पैदा हुआ, वह इसलिये है कि माननीय डाक्टर काटजू तथा शास्त्री जी जैसे कुशल राजनीतिज्ञ यहां पैदा हुये। मौलाना आजाद यदि आज सारे देश की शिक्षा की नीति का संचालन कर रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश के नहीं हैं इसलिये हम उनसे कोई द्वेष नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसी बात पणिक्कर जी की रिपोर्ट में नहीं है कि जो यह बतला सके कि उत्तर प्रदेश ने अपने बहुमत के बल पर सारे देश पर गालिब होने की कोशिश की है। एक बात और कही कि प्रदेशों में डिस्पैरिटी है इसलिये उत्तर प्रदेश को छोटा होना चाहिये। लेकिन देश का एक नक्शा हमारे सामने है और उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान एरिया में उत्तर प्रदेश से कम नहीं है। जन-संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो आसाम, बंगाल और बिहार आदि में बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वहां आबादी बहुत घनी है, और अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है तो यह कोई कारण नहीं है कि उसके टुकड़े किये जायं। संस्कृति और सभ्यता की भी बात कही गयी। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहीं भी सभ्यता अलग-अलग हो, अथवा संस्कृति अलग-अलग हो! पणिक्कर जी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वह जब सन् ४७ में बीकानेर राज्य में प्रधान मंत्री थे और उस समय उनकी जो जहनियत थी रिऐक्शनरी, उसका ही वह यहां प्रदर्शन कर रहे हों।

श्री अध्यक्ष—इस तरह का हमला करना उचित नहीं है। वह इसका उत्तर नहीं दे सकते।

श्री कृष्णशरण आर्य—तो इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई सारयुक्त बात ऐसी नहीं कही है जो कि यह साबित कर सके कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

दूसरी बात, जो मूल प्रस्ताव यहां सदन में उपस्थित किया गया है उसके संशोधनों में से एक में ऐसा भी है कि रामपुर को भी वह अपने साथ ले आना चाहते हैं आगरा प्रांत में। अगर रामपुर को आगरा में ही जाना है तो बरेली क्या उससे दूर है? और अगर दिल्ली में जाना है तो लखनऊ उसके लिये क्या बुरा है? दिल्ली में मिलने के बाद दिल्ली की उन्नति होगी और

[श्री कृष्णशरण आर्य]

मेरठ में मिलने पर मेरठ की उन्नति होगी। रामपुर शहर इतना गरीब है कि उतना गरीब शहर पूर्व में भी संभवतः नहीं है। मेरठ के लोग वहां पर गरीबी बढ़ाने के लिये उसको लेना चाहते हैं जबकि वह उनका प्रदेश नहीं है। यह दशा है तो अपने प्रदेश में लेकर तो वह न मालूम क्या करेंगे।

श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी (जिला सहारनपुर)—

"हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले।"

जनाबवाला, जब कोई मसला पेश आता है तो हम पिछले जमाने की तरफ देखते हैं और यह एक इन्सानी आदत है। चुनांचे जिस वक्त इस कमीशन की तकर्रुरी का वक्त आया तो लोगों ने, खास कर यू० पी० के लोगों ने, इसके मातहत दिल्ली को मिला कर यहां के अजला के साथ में यह ख्वाहिश की कि हमारा सूबा ऐसा बना दिया जाय, और दिल्ली से हम वाबस्ता हो जायं। लेकिन इसके बाद जब मैं देखता हूं कि हर जगह यह दावा होने लगा कि अलग-अलग स्टेट बन जाय। पंजाब का हरियाना बन जाय और बम्बई और महाराष्ट्र में तकसीम हो जाय। उसकी वजह यह है कि हमारे वजीरे आजम पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक दफा यह कहा था कि हमारी मुश्किलें और हमारे प्राबलम जितनी हमारी आबादी है, उतने ही हैं। दूसरे लफ्जों में इसके मायने यह हैं कि हममें खुदगर्जी और इन्फरादियत इतनी है कि हम हर चीज को अपने नुक्तेनिगाह से देखते हैं। हम अपनी जाति को देखते हैं। अपने खानदान को देखते हैं, मुहल्ले को देखते हैं और शहर को देखते हैं। इसी तरह से जब यह मसला पेश आया तो लोगों ने इस इन्फरादियत के साथ इसको जांचने की कोशिश की कि हमारा भी एक सूबा हो। तो यह भी वजह हो सकती थी। हमने यह चाहा कि इस सूबे के भी दो टुकड़े कर दिये जायं, लेकिन यह ख्वाहिश ही ख्वाहिश थी। और ख्वाहिश के पीछे कोई दलील नहीं हुआ करती। उस ख्वाहिश का जब हम दलील, रीजन और दिमाग से ताल्लुक पैदा करते हैं तो वह ख्वाहिश नाकामयाब हो जाया करती है। और जिन ख्वाहिश के पीछे दलील और रीजन नहीं होता वह अरमान पूरा नहीं होता। इसीलिये जब हम इस ख्वाहिश को अक्ल और रीजन के साथ तौलते हैं कि उत्तर प्रदेश बट जाय, तो कोई दलील हमें ऐसी मालूम नहीं होती कि जिस पर किसी मजबूती के साथ वह दावा करने वाले खड़े रह सकें। इब्तदा में जिन लोगों ने इस चीज को उठाया था उन्होंने हरियाना, अम्बाला डिवीजन, दिल्ली, मेरठ डिवीजन, आगरा डिवीजन और रुहेलखंड डिवीजन को मिला कर एक सूबे की सूरत बनानी चाही थी, लेकिन जिस वक्त कमीशन की रिपोर्ट आ गयी तो उनके वास्ते कोई गुंजायश नहीं रही और उन्होंने सरदार पणिक्कर के नोट को अपना सहारा बनाया। दिल्ली उन्होंने छोड दिया, अम्बाला छोड़ दिया और यह कहा कि सिर्फ यू० पी० के ही कुछ जिलों को मिला कर एक सूबा बना दिया जाय। दिल्ली वाले कहते थे कि यू० पी० के अजला को मिला कर एक सूबा बनाया जाय। लेकिन आज उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें जैसा शुरू में बनाया गया वैसा रखा जाय। वह नहीं कहते कि हम दूसरे अजला को अपने में मिला कर महा दिल्ली बनाना चाहते हैं। यह कहा गया कि हम मालदार हैं, बड़े हैं। यह अहसासे बरतरी है और इस मर्ज के लोग दूसरों को अपने से अलग ही रखते हैं। मगर यह मर्ज थोड़े ही लोगों में है। उनमें अहसासे बरतरी नहीं है कि हम तो पिछड़े हुये लोगों में से हैं। अब सोशलिस्ट पैटर्न बन गया है और हमारा यह फर्ज है कि चाहे कोई पूरब में रहता हो या पश्चिम में, सबको सहारा देने की कोशिश करें। हमें अपनी ताकत अपने भाइयों के लिये बांटनी चाहिये। यह कोई तर्क नहीं है कि चूंकि हम काबिल हैं, मालदार हैं, बड़े हैं इसलिये हमारा सूबा बांट दिया जाय। यह नहीं कहना चाहिये कि हमारा पैसा दूसरे हिस्सों में खर्च किया जाता है। मान लीजिये कि आप बंट भी जावें तो क्या कमजोर हिस्से को सेन्टर मदद नहीं देगा? सेन्टर के पास रुपया आसमान से तो बरसता नहीं है, आप ही लोगों से लेकर जमा करता है और जहां जरूरत होती है वहां खर्च करता है।

तो क्या आप उस वक्त सेन्टर से यह कहेंगे कि जितना रुपया हमसे वसूल किया गया है वह कमजोर इलाकों पर खर्च मत करो ? मैं जनाब वजीरेआजम के रिजोल्यूशन की ताईद करता हूं ।

श्री हरखयालसिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, आज ३, ४ दिन से इस सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है कि इस सूबे के १६ जिले दूसरे और जिलों से मिलकर एक अलग सूबा बनावें या नहीं । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने यह जरूरी समझा कि अगर अंग्रेज के बनाये हुये सूबों का पोलिटिकल नक्शा ऐसा है कि उसमें रद्दोबदल करने से हमारे देश की उन्नति हो सकती है, और हमारा प्रशासन और दूसरे कार्य उन्नति पा सकते हैं, तो उसमें रद्दोबदल करना चाहिये । उसके मातहत यह कमीशन बैठाया गया, जिसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है । कई जगह पर तब्दीली के लिये इस रिपोर्ट में लिखा गया है । कहीं-कहीं तब्दीली नहीं की गई है । उसमें यह भी है कि आयन्दा रद्दोबदल का प्रश्न कभी उठाया नहीं जा सकता है । इस रिपोर्ट पर हमें ठंडे दिल से गौर करना चाहिये सेन्टीमेंट से इसमें काम नहीं लेना चाहिये । हमें अपने देश को हानि होने से बचाना है । इसमें जिद या गुस्से की कोई बात नहीं होनी चाहिये । इसमें ईस्ट या वेस्ट यू० पी० या पाकिस्तान बनने का प्रश्न नहीं है । और न राष्ट्र के साथ किसी तरह की गद्दारी का सवाल है । यह ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हमारे देश के नेताओं ने, पूज्य बापू ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, माननीय पन्त जी ने माना है कि हमारे नव निर्माण से राष्ट्र की उन्नति होगी, और हमारे फेडरल यूनिट की सब इकाइयां अपनी-अपनी तरक्की करेंगी । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम उन बातों को भूल गये हैं ५,६ साल पहले की कि जब लूटमार और आग लगी थी । मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि अगर किसी सूबे के बटवारे से ऐसी आशंका हो तो हम उस बटवारे को लानत भेजते हैं, और कतई इसके लिये तैयार नहीं हैं । लेकिन क्या यह बटवारा ऐसा है जिससे ऐसा खतरा हो ? क्या यदि सूबे के कुछ जिले अलग हो गये तो उनका पुराने राजाओं की तरह से अलग झंडा, अलग सिक्का, अलग सेनायें होंगी ? अलैग्जेन्डर के हमले और दूसरे हमलों के तर्क यहां दिये गये । उस समय हालत यह थी कि कोई केन्द्रीय सरकार नहीं थी, अलग-अलग राज्य थे, जिनमें द्वेष था और वे जाति—पांति पर निर्धारित थे । क्या आज के सूबे हमारे वैसे ही राज्य हैं ? ऐसी बात नहीं है । चाहे कोई बटवारे के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबकी यह भावना है कि हमारा देश उन्नति करे और संसार में उसका ऊंचा नाम हो । हमें इस भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिये कि इतना खर्च ईस्ट में होता है और इतना वेस्ट में होता है । जो इस भावना को उठाते हैं वे इस बात को कहते हैं कि वे भाई हमारे भूखे हैं, जो दूसरे जिलों में रहते हैं, यह बात उचित नहीं है । मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूं । मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह ईस्टर्न और वेस्टर्न यू० पी० की बात नहीं है । अगर हमारे देश में बंगाल या महाराष्ट्र में भुखमरी है तो देश के हर शहरी का फर्ज है कि अपनी रोटी में से आधी रोटी उनके पास भेज दें । पंडित कमलापति जी ने साफतौर से बतलाया कि सन् ५१, ५२ के बाद ईस्टर्न साइड में कोई ऐसा खर्च नहीं हुआ जिससे वेस्टर्न साइड के लोगों को शिकायत हो । अगर यह नहीं होता तो यह कहा जा सकता था कि वेस्ट वालों का रुपया ईस्ट में खर्च होकर वेस्ट में खर्च नहीं हो रहा है । ईस्ट वेस्ट की बात करना वेस्ट के लिये उतनी ही नुकसानदेह हो सकता है जितनी ईस्ट के लिये । मैं माननीय दुबलिश जी की बात से सहमत हूं और वह ऐसी है कि उसे मानने में इस सदन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । एस० आर० सी० के एक माननीय सदस्य, डाक्टर सरदार पणिक्कर को भी मैं उस स्थान पर रखता हूं और उनकी योग्यता और उनके अविश्वास के नोट को भी मैं वही वजन देता हूं जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने दिया । सरदार पणिक्कर भी उन्हीं तीन हस्तियों में से हैं, जिनमें से दो ने एक किस्म की राय और सरदार पणिक्कर ने दूसरे किस्म की राय दी और उन्होंने भी राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर अपने विचार रिपोर्ट में व्यक्त किए और उनका जो इस सम्बन्ध में नोट आफ डिसेन्ट है, वह सदन के सामने है ।

[श्री हरखयालसिंह]

दूसरी बात यह है कि यह प्रदेश कितना बड़ा हो, या कितना छोटा हो या छोटे से छोटे सूबे हो जायं, यह गौर करने की बात है। आज हमारे देश में किस किस्म की डेमोक्रेसी है? हमारी डेमोक्रेसी और इंगलैन्ड और अमरीका की डेमोक्रेसी में बहुत अन्तर है। वहां किस प्रकार कांस्टीट्यूशन है, क्या वहां के अधिकार हैं, चाहे पोलिटिकल साइन्स के प्रिन्सिपल में डिफरेन्स न हो, लेकिन जो वहां के प्रिविलेजेज और अधिकार हैं और दूसरी बातें हैं उनमें अन्तर है। वहां की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोक्रेसी भिन्न है। चाहे माननीय परिपूर्णानन्द जी की राय से मास्को और अन्य देशों के मिनिस्टर इतना दौरा न करते हों, लेकिन मैं कहता हूं कि इस देश की सोसाइटी अभी इतनी ट्रेन्ड कहां है? और मैं मास्को की तो क्या कहूं वहां के मिनिस्टर्स तो पब्लिक कंटेक्ट में आते हुए डरते है कि किसी तरह की कान्सपीरेसी कहीं न हो जाय, और वह बड़े फैसले अपनी स्पेशल मीटिंग्ज में तय कर लेते हैं, और जो उनकी पालिसी होती है उसको वह बजोर, तलवार, पुलिस आदि साधनों से जनता को मनवाते हैं। रूस की बात तो जाने दीजिये, लेकिन अमरीका और इंगलैन्ड में जिस तरह से डेमोक्रेसी चलती है और जिस तरह के वहां के नागरिक हैं, उनमें और यहां के नागरिकों में बहुत भेद है। वहां तो आज भी यह होता है कि रेडियो से एक स्पीच के द्वारा संदेश प्रजा या जनता को प्रसारित कर दिया जाता है, और यह आशा की जाती है कि उसको सब समझ लेते हैं और उसी से सारी प्रतिक्रिया जो होनी होती है, हो जाती है। लेकिन मैं अपने इस देश की क्या कहूं, सदन के सभी सदस्य और मंत्रिगण जानते हैं कि हमारे यहां अभी स्त्रियां जब वोट देने जायेंगी तो पूछने पर भी वह अपने पति का नाम नहीं बतायेंगी, और किसी तरह से भी अपना लम्बा घूंघट लज्जावश नहीं खोलेंगी। स्कूल जाने या दूसरी बातों की तो कौन कहे, शफाखाने में जाने में हिचकती हैं, जल्से में लाइन में बैठने में उनको शर्म आती है। इसमें कोई यहां की जनता का या किसी का दोष नहीं है। जब अभी सारे देश का स्तर नहीं उठा है तो जनता का, माननीय सदस्यों का दोष इसमें नही है, और इसी कारण से माननीय सदस्यों के लिए कांग्रेस की तरफ से और शायद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भी सरकुलर जारी होते रहते हैं कि पब्लिक कान्टेक्ट करो। इसलिए जहां तक हमारे मंत्रियों के दौरे का सवाल है वह तो पब्लिक के लाभ के लिए ही है, और वह हमारे देश में बहुत जरूरी है चाहे उन देशों में जिनका जिक्र किया न गया हो। हमारे देश में परसनल कान्टेक्ट से लाभ ही हो सकता है और एम० एल० ए० और मिनिस्टर्स को भी यहां पब्लिक और पर्सनल कन्टेक्ट की जरूरत है।

तीसरी बात हमारे कुछ भाइयों ने यह कही कि इसके लिये पब्लिक की डिमान्ड नहीं है। पब्लिक की डिमान्ड न हो इसकी कोई फिक्र नहीं है, यहां कहीं भी जैसा और जगह प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, हमें तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया कि हम एक ऐसा संविधान चुनें जो डेमोक्रेटिक हो, और अगर हमारी कोई मांग हो तो उसको हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से रखें और उसको मनवाने की कोशिश करें। जो लोग तोड़-फोड, हुल्लड़बाजी या पत्थर जूते फेंकने में विश्वास रखते हैं, उनके उन तरीकों से चाहे अलग सूबा बने या न बने। हम तो मांग को सही और डेमोक्रेटिक तरीके से पेश करते हैं किसी भद्दे तरीके से नहीं, और कोई खुराफात जैसी बम्बई या विन्ध्य प्रदेश आदि में हुई वह हमें नहीं करना है और न किसी को कभी शोभा दे सकता है। और जो लोग इस तरह के गलत तरीके अपनाते हैं उनको मैं समझता हूं कि किसी तरह का प्रोत्साहन मिलना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने पब्लिक में ठीक तरह से मांग रखने की क्षमता पैदा करने की कोशिश नहीं की वह उस के अधिकारी भी नहीं हैं। लेकिन हम तो कांस्टीट्यूशनल तरीके से, एक डेमोक्रेसी के जायज तरीके से अपने नेताओं तक और अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और हमारी जनता भी बता सकती है अगर उनसे इस विषय में राय ली जाय। कुछ भाइयों ने कह दिया कि एक भी आदमी इसकी सपोर्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास

हैं कि वहां के ८५—६० प्रतिशत आदमी इस बात को चाहते हैं कि एक अलग स्टेट इस तरह की बने। उस प्रान्त के बनने पर भी मैं समझता हूं कि इस प्रान्त और उस नये प्रान्त में कोई आपस में भेदभाव की बात नहीं है। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप चेंज हो जाने से कोई भेद कहां उत्पन्न होता है। कृष्ण मथुरा में हुये, राम अयोध्या में हुये। हमारे वैस्टर्न साइड के भाई, जो इतने तीर्थ स्थान पूर्वी इलाकों में हैं, वहां समय-समय पर हिस्सा लेते हैं, वहां के लोग इतनी दूर से यहां आते हैं और इधर के लोग आज भी मथुरा जाते हैं और जाते रहेंगे, आते रहेंगे। यह आपस की भावनायें, आपस के विचार दोनों के और इस देश के हर एक व्यक्ति के आपस के जो विचार हैं, वे भिन्न नहीं हैं और वे आत्मिक रूप से और मन से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव चेंज को कोई ऐसा चेंज नहीं मानता हूं कि हमारा आपस में झगड़ा हो जायगा, हममें नाइत्तिफाकी हो जायगी। हम क्या सारी आज दुनिया इतनी नजदीक आ रही है कि एक मुल्क आज दूसरे मुल्क की तरक्की के लिये कोआपरेशन देता है कि दूसरा मुल्क तरक्की कर जाय।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर, जो तीन चार रोज से इस सदन में बहस हो रही है, और जिस पर नेता सदन ने अपना प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्वाभाविक रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी यह ख्याल था कि हर एक राष्ट्र, हर एक प्रान्त हमेशा इसी बात को सोचता होगा कि हमारी वृद्धि कैसे हो, न कि ऐसा कि हमारी अवनति कैसे हो। मुझे ताज्जुब हुआ जब कि दो तीन दिन की बहस को मैंने सुना। कुछ सदस्यों ने ऐसी भावनायें प्रदर्शित कीं कि हमारी ताकत कैसे कम हो। मैं तो यही आशा करता था कि हमारे प्रान्त की ताकत कैसे बढ़ेगी।

(इस अवसर पर ५ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

परन्तु अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ व्यक्तियों की राय ऐसी मालूम हुई कि किसी प्रकार इस प्रान्त की ताकत घटे। मुझे तो सदन की ही, और उसमें भी सदन के कुछ सदस्यों की ही ऐसी राय मालूम हुई, जनता की राय किसी अखबार के जरिये या किसी और प्रदर्शन आदि के जरिये नहीं मालूम हुई कि जनता इस उत्तर प्रदेश की एकता के विरुद्ध हो, क्योंकि कोई कहीं ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखलाई दिया। साइलेंस इज हाफ कंसेंट। तो मैं सोचता हूं कि ५१ जिलों में जो विचार धारा जनता की अब तक है, उससे तो यही अब तक प्रतीत होता है कि सारी जनता का समर्थन इसकी एकता के साथ है कोई खिलाफ नहीं है। हमारे पर्वतीय प्रदेश के लोगों ने यहां पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया है। मुझे दुख है कि टेहरी के एक माननीय सदस्य ने यह यहां कहा और पता नहीं कि उनके कहने का क्या आधार था कि वहां के लोग यह चाहते हैं कि यू० पी० में रहने में उनकी बेहतरी नहीं है, और हमें दुःख है कि इसके लिये उन्होंने यह सोचा कि हम हिमांचल प्रदेश में चले जायं, और उन्होंने यहां तक दावा किया कि सारा टेहरी-गढ़वाल इसके साथ है। गो कि मुझे शक है इसलिये कि मुझे मालूम है कि पर्वतीय प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं। अभी कुछ थोड़े दिन हुये नैनीताल में कान्फ्रेंस हुई जिसमें चारों जिलों के प्रतिनिधि आये थे, उसमें यही तय हुआ था कि हम लोग यू० पी० से कभी भी अलग होना पसन्द नहीं करेंगे। हम तो हिमांचल प्रदेश के लिये स्वप्न में भी ख्याल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह तो एक ऐसा प्रदेश है जो सालवेंट प्रदेश कहा नहीं जा सकता, जिसकी रेक्टल फीडिंग सेन्टर सबसीडी पर चल रही है, जिसके भविष्य का पता नहीं है, तो ऐसे प्रदेश के साथ जाना अलाभकर है, बिल्कुल अनर्गल है, और बिल्कुल मूलरहित है। मुझे उसमें दूरदर्शिता तो छोड़ दीजिए कोई तुक नहीं मालूम होती। मैं आशा करता हूं कि ऐसी भावनायें जो प्रदर्शित की गई हैं उससे कोई गलतफहमी इस

[श्री नरेंद्रसिंह बिष्ट]

सदन में नहीं होनी चाहिये कि कामन मैन इस पर्वतीय प्रदेश का ऐसा सोचता होगा कि हमें इस प्रदेश का साथ नहीं देना चाहिये, या यहां से दुःखी है। इस बात में अवश्य तथ्य है कि वह जो चार जिले हैं पर्वतीय प्रदेश के ये बहुत गरीब हैं, और उनकी बहुत बुरी हालत है। लेकिन बावजूद इन बातों के वे अपने को उत्तर प्रदेश के साथ रखने में जो सारे हिन्दुस्तान में इतना बड़ा प्रदेश है, गौरवशाली समझते हैं। वे कभी यह विचार नहीं करते कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर जायंगे। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि बार्डर का इलाका होने से जैसे कि काश्मीर या हिमांचल प्रदेश और आसाम के इलाकों को सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत फायदा पहुंच रहा है--उत्तर प्रदेश के इन चार पहाड़ी जिलों को भी उन फायदों से वंचित न होना चाहिये। उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनका सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक विकास हो, राजनैतिक उत्थान हो और सैनिक उत्थान हो और जो पंचवर्षीय योजना बन रही है, उसमें जो पर्वतीय प्रदेशों का उत्थान और निर्माण कार्य हो रहा है, वह कार्य प्रान्तीय स्तर पर न समझा जाना चाहिये बल्कि वह सारे राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जाय। और हमारे इस बार्डर के इलाके को भारत सरकार से डिफेन्स के लिये पूरी-पूरी मदद मिलनी चाहिये। मैं पर्वतीय प्रदेश के बारे में अभी केवल इतना ही कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, हालांकि मेरी इच्छा तो थी कि मैं वहां की भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता। लेकिन जो विषय सदन के सामने विचाराधीन है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें हमारे पर्वतीय प्रदेश का कोई भी इलाका उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहता हो। मैं उन आदमियों में हूं जो बहुत आशावादी हैं और जो हमेशा यह चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की दिन प्रति दिन उन्नति हो। मैं राजा वीरेन्द्रशाह के सुझाव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य भारत के चार जिले भी उत्तर प्रदेश में मिला लिये जायं, जिससे हमारा प्रान्त और भी आगे बढ़ सके। और मुख्य मंत्री जी ने बघेलखंड के इलाके के लिये जो सुझाव दिया है उसका भी मैं हृदय से समर्थन करता हूं। अब तक हमारा प्रान्त एग्रिकल्चरल एकोनामी पर ही आधारित रहा है, लेकिन जमाना आयेगा अगर हम उस पर ही सीमित रहे तो हमारा उत्थान नहीं हो सकता। इसलिये हमको सोचना है कि हमारे प्रान्त की इंडस्ट्रियल एकोनामी भी आगे बढ़े ताकि हमारा आर्थिक स्तर ऊंचा हो और हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े नेता हैं, पं० जवाहरलाल, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री---जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में हैं---लेकिन जमाना एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमारे यहां ऐसे नेता न रहें तो इस प्रान्त की वह इज्जत, वह स्थान सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रहेगा जैसा कि आज है। इसलिए मैं तो सोचता हूं कि यदि कम्यूनिस्ट स्टेट यहां न बने, और ५०--६० साल तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर यहां चलती रहे तो हमारा आधार भूत इज्जत तभी ही कायम रह सकेगी जब हम पोलिटिकल पावर के साथ एकोनामिक पावर भी गेन करते जायं। जब एकोनामिक व्यवस्था सुधरेगी तो तमाम हिन्दुस्तान के स्तर पर हमारी पोलिटिकल पावर कायम रहेगी। इसके लिये नितान्त आवश्यक है कि जो हमारी पोलिटिकल पावर का जो स्तर है उसमें सीमित न रह कर अपनी एकोनामिक ताकतों को भी बढ़ाने की कोशिश करें, और यह तभी हो सकता है कि जो मिनरल रिसोर्सेज के इलाके हैं, जैसे बघेलखंड आदि या दूसरे इलाके जिनका जिक्र करने के लिये मुझे अभी रोक दिया गया---ऐसे इलाकों का हमारे साथ आ जाना नितान्त आवश्यक है। उनके ही आने से हमारे देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। इन विचारधाराओं को रखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के रखे हुए प्रस्ताव का और राजा वीरेन्द्रशाह के रखे हुए प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

*स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश) (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई खास विचार नहीं था कि मैं सदन का कोई समय लूं। किन्तु इस महत्वपूर्ण विषय पर चुप रहना भी मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं उस इलाके में से आता हूं जिसको पश्चिमी कहा जाता है और पश्चिमी में भी उस जिले से जो जिला वहां का एक मुख्य स्थान कहलाता है।

श्री अध्यक्ष—उसका नाम लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा।

श्री कैलाशप्रकाश—मेरठ, श्रीमन्, आज लगभग २५ वर्ष हुये, जब से सार्वजनिक जीवन से मेरा संबंध है। और इन पच्चीस वर्षों में यह प्रश्न बटवारे का प्रश्न किसी न किसी रूप में मेरे सामने आता रहा। जब सन् १९३० में हम आन्दोलन में हिस्सा ले रहे थे तो मेरठ और मुजफ्फरनगर यह दो जिले कांग्रेस संस्था के हिसाब से दिल्ली प्रांत में थे और दिल्ली सूबा कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत रह कर हमने उन आन्दोलनों को चलाया। उन आन्दोलनों में उन पश्चिमी जिलों के लोगों ने कुरबानियां कीं और हिस्सा लिया। किन्तु श्रीमन्, जितने लोगों ने हिस्सा लिया, उनको दिल्ली के साथियों के साथ रहने का मौका मिला और इस प्रदेश के साथियों के साथ भी रहने का मौका मिला। सबको यही अहसास हुआ कि हमको तो उत्तर प्रदेश में मिल जाना चाहिये। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस समय मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिलों ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी से यह बात कही कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं तो एक साथ करीब-करीब सब की सहमति थी और उसके साथ उत्तर प्रदेश आये। श्रीमन्, आज प्रश्न फिर यह उठता है। मैं टटोलता हूं अपने दिल को, तो ठंढे दिल से इस बात पर विचार करता हूं कि क्यों यह बटवारे का प्रश्न फिर उठता है? मैं जानता हूं, इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं कि मेरे कुछ साथी हैं उनकी राय इस बटवारे के पक्ष में हैं मैं उनकी राय की कद्र करता हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि उनका सार्वजनिक जीवन बहुत दिन का है, और इस बात को भी मानता हूं कि देश प्रेम में भी वह किसी से कम नहीं हैं। मैंने अपने दिल को टटोला, बारबार इस बात को सोचा कि क्या उत्तर प्रदेश का बटवारा ठीक है? मैंने वहां के लोगों से बातचीत की। मुझको जिन लोगों के अन्दर इस बात को सोचने की शक्ति थी उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। किन्तु सोचने और बात करने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उत्तर प्रदेश के बटवारे की कोई विशेष बात नहीं है। हां श्रीमन्, मैं जानता हूं कि यह बात एक दफा पंजाब से उठी थी, पंजाब के हरियाना प्रदेश की ओर से यह बात उठी थी कि हमको एक अलहदा प्रदेश बनाना चाहिये और मेरठ इत्यादि मिल जाना चाहिये। दिल्ली के प्रदेश से भी यह सब बातें उठीं, ठीक बात है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र दीनदयालु शास्त्री जी ने भी कहा कि हमें अब अपने राज्यों का पुनर्गठन करना है, तब हमें इस बात को भी विचार करना होगा और यह भूलना नहीं होगा कि जो हमारे पड़ोसी इलाके हैं उनकी क्या स्थिति है? और उनसे मुझे यह महसूस हुआ कि जो हमारे बटवारे की भावना है, जो पुनर्गठन की भावना है इसके अन्दर स्वतः वह चीज नहीं है। जो चीज है, वह उन इलाकों के साथ सहानुभूति की बात है। सहानुभूति रखना बहुत अच्छी बात है, सहानुभूति रखनी चाहिये और अगर हम अपने साथियों को, कोई अपने सहयोगियों को सहायता पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाना जरूरी है। किन्तु श्रीमन्, मैं यह पूछता हूं कि क्या जो खुद कमजोर है, जिसमें खुद कोई ताकत न हो, क्या वह किसी दूसरे को सहायता पहुंचा सकता है? आज इस उत्तर प्रदेश में जब हम एक जगह लगे हुये हैं, उस समय क्या यह सोचा जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश कमजोर न हो, जब उत्तर प्रदेश में शक्ति हो, तब जरूर सोचा जा सकता है कि किसी जिले की सहायता करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दें और टुकड़े कर देने के बाद हम दूसरे को सहायता कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूं श्रीमन्, यह एक भूल की बात है। यदि हम उनकी सहायता कर सकें, हमें अवश्य करनी चाहिये किन्तु अपनी इस शक्ति को रखकर ही हम उनकी सहायता कर सकेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री कैलाश प्रकाश]

श्रीमन्, यहां पर मेरे एक मुअज्जिज साथी ने यह भी बात कही कि अगर बटवारा न भी हो या बटवारा हो तो उसमें तो रिफ़ेडम करा लेना चाहिये। मेरी कोई दावा करने की आदत नहीं है और प्रजातंत्र मे सार्वजनिक जीवन में कोई दावा भी करना नहीं चाहिये, किन्तु जितनी मेरी कुछ जानकारी है उस जानकारी के सिलसिले मे मै यह कह सकता हूं कि यह कोई एक इतनी जबरदस्त मांग नहीं है कि जिसमे रिफ़ेडम की बात हो। श्रीमन्, रिफ़ेडम होना तो एक आगे की बात है, लेकिन आज जो प्रतिनिधि है, उत्तर प्रदेश के जो उन जिलों के प्रतिनिधि है, उनको सामने रखकर ही अगर हम अनुमान लगाये तो हमें यह प्रतीत होता है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। केवल इतना ही नहीं मै नहीं जानता कि मेरे मित्र उस रोज मेरठ में मौजूद थे या नहीं जब कमीशन मेरठ में आया था और उस कमीशन के सामने दोनों पक्षों ने अपनी रायें रखीं। मै नहीं जानता उन्होंने उन लोगों को भी देखा या नहीं जो लोग कि इस पक्ष की ओर से आये थे कि उत्तर प्रदेश का विभाजन न प्रदेश के हित में है और न देश के हित में है। उनमें चुने हुये लोग थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी नुमाइन्दे थे, म्युनिसिपल बोर्ड के भी चुने हुये लोग थे, उन सबको देखकर इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता था और लग सकता है कि वहां के लोगों की क्या राय है और रिफ़ेडम का नतीजा क्या ऐसा होगा कि वहां के सब लोग बटवारा चाहते है? श्रीमन्, मै यह बात मानने के लिये तैयार हूं और मानता हूं कि वह जिले सीमा के जिले है, सीमा उनकी है, और जो सीमा के जिले होते है वहां के रहने वालो का, वहा जो दूसरे प्रदेश के लोग है उनसे भी संबंध होता है। आज मै इस बात को मानता हूं कि मेरठ के कुछ लोगों का पंजाब वालों के साथ संबंध है, उनके बीच रहन-सहन का संबंध है, विवाह शादी का संबंध है, मुजफ्फरनगर के लोगों का भी है, उनकी ऐसी भावना हो सकती है कि अगर हम मिले तो इनसे मिलें। किन्तु इससे यह अनुमान लगा लेना कि सब लोग बटवारा चाहते हैं, सब लोग इस उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहते है तो मुझे यह उचित नहीं प्रतीत होता। श्रीमन्, एक बात और है, इसमे कोई संदेह नहीं कि कुछ कमी की आवाज उठती है, कभी-कभी ऐसा प्रश्न पश्चिम के जिलों के द्वारा पैदा होता है कि हमारी जो जरूरियात है उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। और जब उनको यह महसूस होने लगता है कि हमारी कोई सुनता नही तो उनको कुछ गुस्सा होता है और उस गुस्से मे यह महसूस होता है कि हम अलाहिदा क्यो न हो जायें, हमारी तो यहां कोई बात सुनता नहीं। इस बात को भी जब मै देखता हूं तो मुझे ऐसी चीज कही नजर नहीं आती कि किसी जगह भी यह मांग न हो। माननीय गोतम जी ने स्वयं इस बात को कहा कि उनका भी यह तजुर्बा है कि जब वह फतेहपुर गये तो फतेहपुर मे भी उनसे यह बात कही गई कि पूरब के लोगों की माग स्वीकार हो जाती है, पश्चिम के लोगों की माग स्वीकार हो जाती है, लेकिन बीच के जो हम बचते है हमारी कोई मांग स्वीकार नही होती है।

बाराबंकी लखनऊ के बिलकुल पास का जिला है वहां भी हम अगर जायं तो वहां भी हमको यही सुनने को मिलता है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुईं, हमारी यह दिक्कतें है, हमको यह तकलीफे है। तो यह अगर इससे अन्दाजा लगाया जाय कि वहां के लोग यह चाहते है कि वह अलाहिदा हो जायं तो यह मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। बहन प्रकाशवती जी ने कहा था कि हम अपने क्षेत्रों की बात रखने के लिये अपने मुख्य मंत्री से कहेंगे, अपने मंत्रिमंडल से कहेंगे, जोरों के साथ कहेंगे। लेकिन इन सब चीजो से यह अनुमान लगाना कि हम बटवारा चाहते है, हम इस हद तक तैयार हैं कि बटवारा चाहेंगे, तो मुझे उचित प्रतीत नहीं होगा। श्रीमन्, मैने माननीय कमलापति जी की भी बात सुनी और वास्तव मे मुझे दुख है कि आज इस सदन के कुछ सदस्यों के मन में इस तरीके की भावना पैदा हो गयी कि पश्चिम के लोगों के दिलों में यह चीज है कि हमारा रुपया पूरब के जिलों पर खर्च होता है। श्रीमान्, मै यह स्वीकार करता हूं कि कुछ लोगों के मन मे यह बात हो। यह भी श्रीमान् मै स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी कुछ लोगों की ओर से ये बातें कही गयीं, किन्तु मै उनको विश्वास दिलाता हूं

और केवल मैं नहीं उन लोगों ने भी अच्छे तरीके से उनको विश्वास दिलाया है कि जो आज कुछ इस सदन मे विभाजन के पक्ष मे बोले है उनके मन में इस तरीके की भावना नहीं है, इस तरीके की संकीर्णता की दृष्टि से वह इस चीज को नही देखते है। और जैसा पश्चिम के जिलों के लोगों को मै जानता हूं और मै समझता हूं कि मेरी जानकारी है उनके दिल मे कोई इस तरीके की संकीर्णता की भावना नही है कि वह किसी तरीके से इस बात पर एतराज करे जब कि हम इस देश का नव निर्माण करने चले है, जबकि हम यहां एक नया समाज बनाना चाहते हैं, जबकि हम कमजोर कड़ियों को सबल बनाना चाहते हैं तब उनके दिल मे यह खयाल पैदा हो कि क्योंकि हमारा रुपया ज्यादा है और दूसरों पर ज्यादा खर्च होता है तो हम अलहदा हो जायं। श्रीमान्, मै आज यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर किसी हिस्से से यह बात आती है, और अगर कोई इस तरीके की बात का विचार करता है तो उससे घातक और कोई बात हो नहीं सकती। सारे जीवन मे सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात होती है कि किन सिद्धान्तों पर हम चलने वाले हैं? विशेषकर प्रजातंत्र मे। प्रजातंत्र में मिनिस्टर्स आते है चले जाते है पार्टियां आती हैं चली जाती हैं किन्तु सिद्धान्त अपनी जगह रह जाता है। और जो सिद्धान्त संचालकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, श्रीमान् जनता उसको पकड़ लेती है। और प्रतिपादन करने के बाद अगर नेता भी उसको वापस लेना चाहे तो जनता उसको वापस लेने नहीं देगी। अगर आज हम उस बात का प्रतिपादन करे कि जिन क्षेत्रों की आवश्यकता हो कि उनका निर्माण का कार्य अधिक होना चाहिये और दूसरे लोग जो कि उनकी सहायता कर सकते हैं वह इस बात से गुरेज करें तो किस तरीके मे हम इस भारत का नव-निर्माण कर सकते है? किस तरीके से हम इस बात के हकदार हो सकते है कि हम केन्द्र से सहायता प्राप्त कर सकें?

श्रीमन्, मैंने बहुत गौर से इस प्रश्न पर विचार किया। २५ साल से इस प्रश्न पर विचार करता आता हूं, लेकिन मुझे कोई इस तरीके का तर्क और दलील समझ में नहीं आई जिसकी वजह से मैं भी इस पक्ष मे होऊं कि उत्तर प्रदेश का बटवारा हो और श्रीमन्, आज लगभग ४ दिन हुए, तब से मैं भी बहुत गौर से इस सदन में बैठा हुआ इन तर्कों को सुन रहा था। मुझे कोई तर्क बावजूद इन सब बातों के, मेरी समझ में आया नहीं जिसमें कोई सार हो, जिसकी वजह से आवश्यक हो कि हम अपने प्रदेश का बटवारा करें।

माननीय श्रीचन्द्र जी ने बात कही, और उन्होंने कहा यह कि क्योंकि हमारा यह प्रदेश बहुत बड़ा है और केवल मिनिस्टर्स के आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है और क्योंकि इतना जबरदस्त फासला है कि उनका टी० ए० और डी० ए० मे खर्चा बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए इस प्रदेश का बटवारा हो जाना चाहिये। श्रीमन्, जब हमारे देश की कसौटी पर इस सिद्धान्त को रखा जाता है तब तो मुझे इस चीज के स्वीकार करने में एक बड़ी जबरदस्त परेशानी होती है। आज यह हमारा प्रदेश बटे या न बटे लेकिन इस देश के बहुत से प्रदेश अंग है—वह अंग है जो दक्षिण में है—देहली से बहुत दूर। जब दक्षिण वाले लोगों को देहली आने मे न मालूम कितने दिन लगते है। अगर यह एक दलील, यह एक तर्क देरी का हम आज स्वीकार करने लग जायं और सब चीजें देरी पर आश्रित कर ली जायं तो, श्रीमन्, मुझे अन्देशा मालूम होता है कि हम अपने इस देश की अक्षुण्णता को कुछ धक्का पहुंचा सकते हैं, इससे हम अपने देश मे एक ऐसे सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं जिसके द्वारा इस देश की एकता पर कभी भी एक दिक्कत पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट मे एक मध्य प्रदेश बनाया गया जिसका क्षेत्रफल बड़ा जबर्दस्त है, हमारे इस प्रदेश से भी ज्यादा है। और फिर मेरे साथी ने यह कहा कि किसी प्रदेश का बड़प्पन उसके क्षेत्रफल से नहीं होता है, उसके नागरिकों से होता है। मैं भी स्वीकार करता हूं, किन्तु इस बात के लिये तो वह चीज नहीं है कि टी० ए० और डी० ए० बहुत ज्यादा बनता है, मिनिस्टर्स सम्पर्क में नहीं रह सकते। जहां तक इस बात

[श्री कैलाशप्रकाश]

का सम्बन्ध है कि खर्चा अधिक होता है, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि दूर बहुत है, तो श्रीमन् यह तो क्षेत्र से ही ताल्लुक रखता है, आंकड़ों से नहीं। और अगर एक जगह इतना बड़ क्षेत्र बनाना ठीक हो सकता है तो फिर यह बात कैसे सिद्ध होती है कि हमको इस क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये।

विशेषकर एक दलील अक्सर दी गयी और वह यह कि जैसे कि माननीय गौतम जी ने कहा कि उनकी निजी राय यह है कि दो से चार करोड़ तक के प्रदेश होने चाहिये, उनका प्रशासन बहुत अच्छा हो सकता है। श्रीमन्, इस सिद्धान्त को भी आइये इस कसौटी पर कस कर देखें। हमारे इस देश में तो ऐसे सूबे थे कि जिनकी २ करोड़ से ४ करोड़ तक की भी आबादी थी, ऐसे भी सूबे थे कि जिनकी आबादी लाखों में थी, और ऐसे भी सूबे थे कि जिनकी आबादी हमारे जैसे सूबे की तरह थी। प्रशासन का मुकाबिला कर लीजिए। समय नहीं है, लाल-बत्ती दिखायी पड़ती है। उनका मुकाबला करना आंकड़ो से हमारे लिए दुश्वार है, किन्तु इस बात को सब स्वीकार करते है कि हमारे इस प्रदेश का शासन अच्छे शासनों में से है। इतना ही नहीं, जैसा कि माननीय विचित्र भाई ने कल कहा कि इस प्रदेश का शासन इतना संगठित शासन है कि जब भी देश में किसी चीज की आवश्यकता पड़ी है। जब कभी ला ऐंड आर्डर को खतरा हुआ है तब हमने जाकर वहां सहायता की है। पंजाब और दिल्ली का उदाहरण तो माननीय विचित्र भाई दे ही चुके है, किन्तु मुझे याद पड़ता है, अगर मैं भूल नहीं करता हूं कि एक दफा जब हैदराबाद में इस बात की आवश्यकता थी कि वहां अच्छे प्रकार की पुलिस होनी चाहिये तो इस प्रदेश के पी० ए० सी० की कम्पनियां हैदराबाद भेजी गई थीं। तो इस तरह से हम एक बड़ा प्रदेश रख कर अपने शासन को ठीक कर सकते हैं। और फिर इस बात पर भी सही है कि प्रजातन्त्र में खर्च का एक तरीका होता है और जितनी इकाइयां प्रजातन्त्र के शासन की कम होती चली जायगी खर्च का प्रतिशत बढ़ता चला जायगा। तो इस तरीके से इस प्रदेश के बटवारे का कोई सिद्धांत मुझे महसूस नहीं होता। मैंने आपसे निवेदन किया श्रीमन्, कि मुझे इतने दिनों से देखने और सुनने के बावजूद अपने दिल को टटोलने के बावजूद कोई तर्क आज भी और इससे पहले भी इस बात का दिखलाई नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप ठंडे दिल से इस बात पर विचार कीजिये और फिर निर्णय कीजिये।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, २२ तारीख को इस विषय पर वाद-विवाद को आरम्भ करते हुये मैंने एक निवेदन किया था। उस निवेदन का तात्पर्य यह था कि हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राज्यों के प्रदेशों की सीमायें रोज नहीं बदली जातीं। एक बार जो सीमा तय हो गयी तो स्थायी तो इस दुनिया में क्या चीज होती है, परन्तु फिर भी सम्भवतः १००-५० वर्ष तक वही बनी रहेगी, और उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलता जायगा। ऐसी अवस्था में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी दल का हो, किसी पार्टी का हो, प्रत्येक व्यक्ति को माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा अवसर होना चाहिये और हम सब लोगों को यह मान कर चलना चाहिये कि जो भी राय यहां दी जायगी, वह नेकनीयती के साथ दी जायगी। प्रत्येक सदस्य उतना ही देशभक्त है, प्रत्येक सदस्य के सामने भारत की सुरक्षा का, भारत एकता का, उतना ही ध्यान है जितना कि किसी दूसरे सदस्य के सामने हो सकता है। इसलिये मैंने प्रार्थना की थी कि अपनी सम्मति व्यक्त करते समय किसी की नीयत पर किसी प्रकार का आक्षेप न किया जाय और वाद-विवाद के दौरान में किसी प्रकार की कटुता या कड़वापन न आने दिया जाय। मुझे यह देख कर बहुत ही संतोष हुआ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरी इस प्रार्थना का प्रायः लिहाज किया गया।

प्रश्न जटिल है और ऐसे मौके पर कुछ न कुछ भावना का जाग जाना अस्वाभाविक नहीं है और जब भावनायें जाग जाती हैं तो कभी-कभी होश को जोश मिल जाया करता है, उत्तेजना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जाती है, क्रोध आ जाता है, फिर भी जिस ऊंचे स्तर पर यहा वाद विवाद हुआ उसके लिये मै समझता हूं कि हम सब अपने को बधाई दे सकते है। विशेषत: जब हम देखते है कि किन्हीं और जगहो पर इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करते समय कितनी अधिक कटुता आ गई थी।

यह ठीक है कि कुछ भाषण ऐसे हुये जो कि इस स्तर से कुछ नीचे गिर गये। मैं उनके संबंध में कुछ और ज्यादा कहना उचित नही समझता हूं। परन्तु मुझे यह जरूर विश्वास होता है कि जिन माननीय सदस्यो से ऐसी कोई गल्ती हुई वह स्वयं उसको अनुभव कर रहे होंगे, उनको स्वयं दुख होगा कि उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई, जो इस सदन की मर्यादा और स्वयं उनकी शान के अनुरूप नही थी और मै इस संबंध मे कुछ नही कहना चाहता हू।

एक बात का मुझको दुख हुआ कि अपने नोट मे सरदार पणिक्कर जी ने चाहे जो कुछ कहा हो लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रांत के विभाजन के पक्ष मे बोलते हुये, उनकी कही हुई हर बात को बार-बार दोहराने की आवश्यकता नही थी! उन्होने इस नोट में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का शासन बहुत अच्छा नही है। मेरा ख्याल है कि जिन हमारे साथियो को प्रदेश के विभाजन के पक्ष मे बोलना था वह बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी बात सदन मे कह सकते थे बगैर इस बात के कहे हुये। हम इस बात का दावा नही करते कि उत्तर प्रदेश के शासन में, उत्तर प्रदेश की गवनमेंट मे कोई गल्ती नही है। हम आदमी है, हमने एक बहुत ही कठिन समय में, जब कि सैकड़ो वर्षों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ, अपने हाथ में शासन की बागडोर सम्हाली थी। जरूर हमसे गलती हुई होगी। जरूर हमसे कमियां हुई होंगी और उनमें से कुछ गलतियो का हमको अनुभव भी हुआ, एहसास भी हुआ, ज्ञान भी हुआ। ऐसी भी गलतिया होगी कि जिनका हमको पता न होगा। इस प्रस्ताव पर बोलते हुये सामने बैठे हुये कई माननीय सदस्यो ने उनमे से कुछ गलतियो की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मै नही कहता कि उनका कहना गलत है। मैं मानने के लिये तैयार हूं कि वह गलतिया हुई। मै इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि प्रदेश का शासन इससे अच्छा हो सकता है। मै इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि जितना ध्यान हमको प्रदेश के हर कोने की उन्नति के लिये, सर्वांगीण उन्नति के लिये, हर तरह की उन्नति के लिये देना चाहिये था शायद हम उतना नहीं दे सके। यह हमारी गलती होगी, कमजोरी होगी। हो सकता है कि इस देश को समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिये जैसे कदम उठाने चाहिये, जैसे मजबूत कदम उठाने चाहिये, जितनी तेजी के साथ कदम उठाने चाहिये हम उस दृष्टि से भी कमजोर पाये गये हो! यह सब मै मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन यह गलतियां ऐसी नही है कि उनकी वजह से देश के विभाजन की बात कही जाय। यह बाते ऐसी नही है कि जिन्हे हम आपस मे बैठ कर एक दूसरे की राय से, एक दूसरे के परामर्श से सुधार न सकें। इनका हम सुधार कर सकते हैं। फिर इन बातो का ब्राडकास्ट करना, मुश्तहर करना कि यहां की हुकूमत खराब है? मै नही समझता कि कहां तक ठीक है? पता नहीं इससे किसकी शान बढती है? मै नहीं समझता कि इससे किसी का बड़प्पन बढ़ता हो? पता नही इसके कहने से क्या होगा कि हमारे देश का, प्रदेश का शासन निकम्मा है, इसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन जो लोग कमियों की बात कहते है उनको एक बात का जिक्र करना जरूर चाहिये था कि हमने क्या विरासत पाई थी? जिस वक्त हमने हुकूमत सम्हाली थी उस वक्त हमको क्या मिला था? उसका भी जिक होना चाहिये था। जब उस चीज का जिक्र किया जाय तभी इस बात का अंदाजा हो सकता है कि पिछले ६ वर्षों मे हम कितना आगे बढे है। हम दूसरे प्रांतों से कितना आगे बढ़े है। सन् १६४७ मे क्या हालत थी और उस दौड़ में अगर हम उसे दौड़ कह सकें तो, उसमें कौन कहां था, और जो हमारे अपने साधन थे, रिसोर्सेज थे उनको देखते हुये हमारा यह प्रदेश कितना आगे बढ़ा। इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिये, अपनी कमजोरी बयान करने में, अपने को निकम्मा कहनें में कोई खास खूबी होती है यह मै समझ नहीं पाया। आखिर आज केन्द्र में कई ऐसे व्यक्ति है कि जो हमारे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रदेश के हैं। हमारे प्रदेश के लोग हैं इतना ही नहीं कि वह हमारे प्रदेश में पैदा हुये हैं बल्कि उनमें से कितनी ही हस्तियां ऐसी हैं कि जिनका इस प्रदेश के शासन से, हुकूमत से बर्षों तक ताल्लुक रहा है। अभी जो होम मिनिस्टर वहां हैं, पंडित पंत वह तो शुरू से ही यहां के मुख्य मंत्री रहे हैं। आज हम उनकी तारीफ सुनते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस मिनिस्टर के साथ जो मुहकमा है उसका वह बड़ी खूबी के साथ इन्तजाम कर रहा है। तो फिर क्या बात है, क्या हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में कोई खराबी है कि वही आदमी जब यहां रहा तो उसका शासन खराब था, निकम्मा था, उसने उत्तर प्रदेश को चौपट कर दिया और जब वह केन्द्र में गया तो उसी ने वहां का शासन अच्छी तरह से चलाया ! यह तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी बात होगी कि जिसको किसी को समझाना मुश्किल होगा और अगर यह बात सही है, उनका शासन यहां भी खराब था और वहां भी खराब है तो फिर भगवान् ही इस देश का भला करेगा। इसको कोई सम्हाल नहीं सकता चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक हजार टुकड़े करें या एक सौ। लेकिन अगर इतने काबिल आदमी, जिनका इतना नाम है वह अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर सके तो यह एक ताज्जुब की बात होगी और मैं समझता हूं कि तब इस देश को कोई सम्हाल नहीं सकता और यह तबाह हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं और मुझे बड़ा दुःख हुआ यह सुनकर कि यहां की गवर्नमेंट में यह निकम्मापन रहा, वह निकम्मापन रहा।

आखिर गवर्नमेंट चलाने वाले कौन थे ? इस गवर्नमेंट को चलाने वाले इसी सदन के सदस्य हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं। उन लोगों ने ही इनको अपनी तरफ से इस गवर्नमेंट में रखा। उनके ही हाथों में चाहे वह पश्चिम से आये हों और चाहे पूर्व से आये हों यहां का शासन हुआ। अगर वह ऐसा शासन था तो यह हमारी कमजोरी है। सोचने की बात है कि मध्यभारत और विन्ध्य प्रदेश जिन सूबों के लोगों को अपने यहां मिलाने की बात है उनके सामने हम क्या कहना चाहते हैं ? हम उनके सामने यह कहना चाहते हैं कि हम नालायक हैं, हमने अपने घर को बरबाद किया है, तबाह किया है, हम तुमको भी तबाह करेंगे। यह क्या तर्क है ? मुझको अफसोस है कि हमने बार-बार बड़े अभिमान के साथ इस बात को कहा है कि हम हुकूमत करना नहीं जानते हैं, हम नालायक हैं और हमने उत्तर प्रदेश को तबाह किया और उसको तबाह होने दिया। अगर यहां की हुकूमत इतनी खराब थी तो उसको सम्हालना चाहिये था, बिगड़ने देना नहीं चाहिये था। यह उत्तर प्रदेश के साथ एक विश्वासघात हो जाता है कि यहां का शासन चल नहीं पाया।

कुछ और बातें हुईं जिनसे तकलीफ हुई। यह बड़ा सवाल है हमारे बीच में ऐसी बातें आती हैं कि यह पूर्वी है और वह पश्चिमी है। पूर्व और पश्चिम का सवाल उठाया गया। यों तो पूर्व और पच्छिम के अलावा एक और बीच का हिस्सा है उसका नाम अक्सर नहीं आता है। लेकिन वह हिस्सा है और वह बीच का हिस्सा है। कभी कभी वे लोग जो पूर्व के कहे जा सकते हैं वह बोलते हैं, और कभी-कभी वे लोग जो पच्छिम के तरफ के कहे जाते हैं वह बोलते। यह बड़ी अजीब सी बात है ! मैं भी इत्तफाक से ऐसे जिले से आया हूं जो पूर्वी जिला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सवाल किसी के सामने आता हो कि पूर्व के आदमी दया की भीख चाहते हैं यह बिलकुल गलत बात है। हम कभी भी भीख नहीं चाहते हैं। पूर्व के आदमी कोई दया की भीख नहीं चाहते हैं। पूर्व को इस बात पर गौरव भी है। मगर वाकिया ऐसा है कि पश्चिम वाले यदि बहुत खुशहाल हैं और बहुत सम्पन्न हैं, तो यह बात सभी जानते हैं कि बहुत दिनों तक पूर्व के जिलों की तरफ जो गवर्नमेंट थी, उसने ध्यान नहीं दिया। पूर्वी जिले चाहे गरीब हों और चाहे भूखे हों उनको खुशी है कि उनकी सैक्रीफाइस से हमारे पच्छिम वाले खुशहाल हैं और सम्पन्न हैं यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है। चाहे हमारी हालत खराब हो फिर भी हमारे कुछ भाइयों की हालत बहुत अच्छी है तो यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। [हम]को कोई तकलीफ नहीं है यह भी हम जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का एक भी

कोने का टुकड़ा हमसे अलग हो। हम हर तरह से मिले हुये हैं और हम सब एक हैं। हम यह जानते हैं कि यदि एक जगह कहीं मुसीबत आये तो जो यह ३५,३६ जिले रह जायेंगे यह भी जीवित रहेंगे, यह देश की सेवा फिर भी करेंगे। यह बात गलत है कि कोई प्रदेश के हिस्से को उनकी आमदनी पर रखा जा रहा है या वह ऐसे जिले हैं जो बड़ी मुसीबत में हैं उन पर दया करके उनको रखा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है और यह ख्याल गलत है। परन्तु चाहे पूर्व का हो, पश्चिम का हो, पहाड़ का हो, बीच के इलाके का हो, हम सबने अपने-अपने तरीके से इस प्रदेश की महत्ता को अपनी शक्ति के अनुसार कंट्रीब्यूशन किया है। श्री जगमोहन सिंह नेगी ने प्रातः एक बात बड़ी मार्के की कही। किसी जिले ने, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की आमदनी में मालगुजारी से कंट्रीब्यूशन किया होगा। किसी जिले ने जंगल के जरिये से कंट्रीब्यूशन किया होगा। बड़े-बड़े शहर हैं। कानपुर है, लखनऊ है, फर्रुखाबाद है, मुरादाबाद है, बनारस है, जहां पर करोड़ों रुपये का रोजगार है। इनका सामान देश में बिकता है और देश के बाहर भी जाता है। सेल्स टैक्स के जरिये से, इनकम टैक्स के जरिये से ये प्रदेश के खजाने को भरते हैं। सभी प्रदेश की उन्नति के रास्ते बनाते हैं। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस हिस्से ने कितनी मदद की। अपने तरीके पर सभी ने मदद की। एक शरीर है उसके जितने अंग हैं, सिर है, हाथ है, पैर हैं, नाक,कान हैं—सभी हिस्से शरीर की मदद करते हैं। वही इस प्रदेश की स्थिति हो जाती है। सभी इसके हाथ हैं। किसी भी इसके हिस्से को अलग करना मुश्किल है। यह अलग नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने जिकर किया कि जिस तरह से वह सौ बरस से और उससे भी अधिक समय से एक साथ रहे हैं और घुल मिल गए हैं, उनको कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। इसलिए हमको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की—इस तरह की गलत बातों को छोड़ना चाहिए। हमारे प्रदेश ने देश की एकानामी में और देश के पोलिटिकल जीवन में एक ऊंचा स्थान पैदा किया है। हमारे यहां की जनता की एक खास किस्म की सेवा रही है और आगे भी यह प्रदेश जब भी समय आयेगा देश की सेवा करता रहेगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इस तरह का दृष्टिकोण किसी तरह से भी हमें नहीं अपनाना है।

यहां बहुत सी बातें प्रदेश के विभाजन के पक्ष में कही गईं। उन सबके बारे में जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि यहां जितने भाषण पक्ष और विपक्ष में हुये हैं उनमें करीब-करीब हर बात का जवाब हो चुका है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने इस प्रदेश के विभाजन के पक्ष में राय दी है उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद इतनी काफी सामग्री पाई होगी कि वह अब अपनी राय बदल देंगे। हमारे सामने जो विभाजन का प्रस्ताव आया है उसके सिवा एक दो प्रस्ताव और भी आए हैं और विशेष रूप से राजा जगमनपुर का। उस प्रस्ताव के द्वारा, उस संशोधन के द्वारा उन्होंने मेरे पूर्व प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है और उन्होंने भी इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश को अक्षुण्ण रहना चाहिये लेकिन उन्होंने एक बात उसमें यह कही है और कई जिलों का नाम लिया है जो विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हैं उनको इस प्रदेश में जोड़ दिया जाय। मैं इस संबंध में उनसे और उन लोगों से जिन्होंने उसका समर्थन किया है, निवेदन करूंगा कि यद्यपि हमने इस प्रदेश की ओर से कभी ऐसी कोई मांग पेश नहीं की कि इस प्रदेश में कुछ जिले, किन्हीं दूसरे प्रदेशों के मिलाये जायं। और मैं यह भी बता दूं कि इसका कारण यह नहीं है कि हम अपने को कमजोर समझते हैं या हम उनकी समस्याओं को सम्हाल न सकेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जहां तक शासन का सवाल है हमारे प्रदेश का शासन एक मजबूत शासन है, एक सफल शासन है, जिस पर इस प्रदेश के लोगों को गर्व करने का मौका है (तालियां)। जब हमारे देश के सामने एक बड़ा संकट आया था उस वक्त उस संकट का हमने सीना तानकर सामना किया और इतना ही नहीं बल्कि कई दूसरे प्रदेशों के कष्ट का त्राण किया और उनकी उस समय में रक्षा की। कुछ भाइयों ने जिक्र भी किया था और ठीक ही कहा कि हम आज भी और अब भी दूसरों की, दूसरे प्रदेशों की सेवा करते रहते हैं। अभी कल परसों एक प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में मैंने बताया था कि १५० हमारे अफसर हमसे केंद्रीय सरकार ने मांग रखे हैं और ६० से ऊपर अफसर प्रादेशिक सरकारों के पास हमारे मांगे गये हैं और हिमांचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सब में वह सेवा कर रहे हैं और

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

केंद्रीय सरकार मे भी हमारे अफसर गये हुये हैं और शासन चला रहे हैं। इसके अलावा जब कभी कोई विशेष परिस्थिति किसी भी प्रदेश मे पैदा हुई तो यहां की पुलिस ने बंगाल मे, राजस्थान मे जाकर काम किया है।

आज भी तिब्बत के फ्रांटियर पर, १८ हजार फुट की ऊंचाई पर, हमारी पुलिस रहती है और कहा जाता है कि वह हमारा सबसे ऊंचा पुलिस आउटपोस्ट है, वहां फौज नही है। इसलिये हमे अपने शासन पर भरोसा है और हम जानते है कि अगर हमे कोई दूसर प्रदेश के जिले मिल जायं तो हम उनके शासन को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और उनकी सेवा और उन्नति भी कर सकते ह, और वह किन्ही कमजोर हाथों से नही और यह कह कर भी नही कि हम निकम्मे और कमजोर हैं, बल्कि यह कहकर कि हम शासन करना जानते हैं और हमारे हाथ शासन संभालने के लिये काफी मजबूत हैं और इसलिये भी नहीं कि हमारे यहां पेसे की कमी हे बल्कि इसलिये कि हमारे पास अनेक प्रकार के साधन हैं, जिनसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं और करने को तैयार हैं। लेकिन हमने कभी भी इस नीति से यह बात सामने नहीं रखी है कि हम दूसरों को हड़पना चाहते है। अगर किसी जगह के निवासी उत्तर प्रदेश से मिलना चाहें और वे लोग जिनके हाथ में अंतिम नीति बनाना है, केंद्रीय सरकार मे लोग उनके सामने रखे। उनकी नीति उनको पसन्द हो और अगर वे इस बात को समझें कि उनकी मांग ठीक है और उत्तर प्रदेश को वे देना चाहे तो हम उनको सहर्ष लेने को तैयार हे, उनकी सेवा करेगे। लेकिन आज जबकि आपस मे ऐसी सूरत पैदा हो रही है जब हमने पढ़ा है कि दुर्भाग्य से कि आज विन्ध्य प्रदेश मे क्या सूरत है विन्ध्य प्रदेश का राज्य रहे इस बात पर कितनी अशांति वहां है और और स्थानों मे भी अशाति है तो हम उस आग मे तेल नहीं डालना चाहते। वे अपने मसलों को आपस में तय कर लें कि वह क्या चाहते है और तय करने के बाद केंद्रीय सरकार से बाते कर लें। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा मौका आया तो हम सेवा करने को तैयार ह, लेकिन अपने से हम कुछ नहीं मांगते है इसीलिये मे इसे जरूरी नही समझता कि इसको इस वक्त रखना चाहिये। मैं श्री वीरेंद्र-शाह जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को इस वक्त वोट के लिये वे प्रेस न करें ताकि उत्तर प्रदेश की नीयत के संबंध में किसी दूसरे प्रदेश के लोगों के मन मे आशंका न पैदा हो जाय। मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक छोटा सा टुकड़ा है उसके लिये मंने कहा है। वह बहुत छोटा सा टुकड़ा है किसी राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है और उसके लिये भी बहुत काफी तर्क भी हैं। जैसा मैंने बताया कि रिहन्द डैम के पास है और बिजली का मामला भी है। उसके लिये हमने लिखा है। इससे ज्यादा मे इस समय नही कहना चाहता और न सदन का ज्यादा समय लेने की आवश्यकता समझता हूं। मे आशा करता हूं कि सभी लोग मेरे उस प्रस्ताव से सहमत होगे जो मैंने सदन के सामने रखा है। जो भी संशोधन रखे गये हैं वह भी मुझे आशा है कि वापस ले लिये जायेगे और सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं एक-एक करके संशोधन करने वालों से पूछ लेता हूं कि वह क्या अपने संशोधन को वापस लेते है।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मे उचित समझता हूं कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मैं अपने संशोधन और प्रस्ताव को वापस नहीं लेना चाहता।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या इस संबंध में मुझे कुछ समय मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--इस वक्त कुछ कहने का सवाल नहीं है। आप यह बताइये कि आप अपने प्रस्ताव पर वोट चाहते हैं या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र--हमारी नेता सदन से बातचीत हो चुकी थी।

श्री अध्यक्ष--आप बताइये कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र--जी नहीं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)--पेश्तर इसके कि जनाब वोट लेना शुरू करें मैं अपने साथियों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं जिसके लिये मैंने लीडर आफ दि हाउस से इजाजत ले ली है।

श्री अध्यक्ष--लीडर आफ दि हाउस से इजाजत लेने का सवाल यहां नहीं उठता। सदन के अन्दर की बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--मैं अर्ज करता हूं कि चूंकि पार्टी का ह्विप हमको मिला है कि हम आफिशियल रिजोल्यूशन की मुखालिफत नहीं कर सकते इसलिये हमने यह तय किया है कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष--आप यह बतलायें कि आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो मैं अब एक एक संशोधन को ले लेता हूं। दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो पहले मुख्य प्रस्ताव ले लूं और उसके ऊपर वोट ले लूं। अगर उसके खिलाफ बहुमत नहीं होता है तो वह पास हो जाता है और संशोधन गिर जायेंगे, लेकिन चूंकि, इनके ऊपर बहुत काफी बहस हो चुकी है इसलिये मैं संशोधनों को एक-एक करके लेना उचित समझता हूं। माननीय श्रीचन्द्र जी का संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

> "यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग के माननीय सदस्य श्री के० एम० पणिक्कर के नोट से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों के पुनर्गठन के संबंध में पूर्णतया सहमत है और इस बात का आग्रह करता है कि देश के आर्थिक प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों, महेंद्रगढ़ जिला, अम्बाला डिवीजन, पुरानी दिल्ली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर से सम्मिलित कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों के साथ एक नया प्रदेश बना दिया जाय।"

इसमें ख्वाजा साहब का अमेंडमेंट यह है:--

श्री श्रीचन्द्र के उपर्युक्त संशोधन की पंक्ति ४ में शब्द "जिलों" के बाद शब्द "(झांसी डिवीजन) जैसा कि सरदार पणिक्कर ने तजवीज की है और इलाहाबाद डिवीजन का इटावा जिला जिसकी कि आगरा आल पार्टी कंवेंशन ने सिफारिश की है" बढ़ा दिया जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--एक निवेदन मुझे करना है कि वोटिंग इस ढंग से होनी चाहिये जिसका कि रेकार्ड बन सके।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो तरीका रहा है, हाथ उठाने का, वही तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा ।

प्रश्न यह है कि श्री अतहर हुसैन ख्वाजा का संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—०,

विपक्ष में—२८९ ।)

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय मैं, आपसे निवेदन करूंगा कि जितने माननीय सदस्य यहां उपस्थित है उनकी उपस्थिति भी सदन को बतला दी जाय ताकि बाद में यह न कहा जाय कि आज बहुत से सदस्य नहीं आये ; जितने सदस्य गैरहाजिर हैं और जितने आज इस समय उपस्थित है उनकी संख्या बतला दी जाय और बाद को जिन्होंने "हां" या "न" कहा उनकी संख्या भी बतला दी जाय।

श्री अध्यक्ष—हाजिरी बाद मे बतला दूंगा। अभी बतलाने की जरूरत नहीं है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि माननीय श्रीचन्द्र जी का संशोधन जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया था, उसे स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—०,

विपक्ष में—२७८ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव की पंक्ति १ में शब्द "की" के बाद शब्द "बहुत सी" जोड़ दिया जाय और पंक्ति २ के प्रथम शब्द "है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय तथा उसके बाद के सभी शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "परन्तु इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का तथा भारत संघ के अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों—बिहार, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश (हिन्दी), मध्यभारत, दिल्ली, पूर्वी पंजाब का हिन्दी भाषी भाग का अधिक वैज्ञानिक, उप-भाषावार एवं सुसंगत फिर से बटवारा होना चाहिये और इस प्रकार निर्मित प्रदेशों में एक प्रदेश (बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी जिलों को मिला कर) भोजपुर प्रदेश अवश्य होना चाहिये" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—१,

विपक्ष में—२७६ ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिपारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़कर, जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसमें हस्ताक्षर के साथ वोटिंग हो।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि अगर इसके लिये यह होता तो मैं प्रारम्भ से ही सबके लिए ऐसा करता। लेकिन चूंकि मैं निर्णय कर चुका हूं इसलिये अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं संख्या बता दूंगा उनकी जो यहां हाजिर रहे हैं, जिनके दस्तखत हैं, और उनकी भी जो यहां इस वक्त मौजूद हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक बात मैं बता दूं। आज तीसरे पहर गोंडा और और स्थानों के कुछ सदस्यों को मैंने जाते हुए देखा है, तो जिन्होंने दस्तखत किये हैं.

श्री अध्यक्ष---मेरे पास वह सब है। वह सब चीज मैं सुना दूंगा कि कितने दस्तखत करके बाहर चले गए। लेकिन मैं अब लिखित विभाजन कराने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, समय हाउस का ६ बजे तक था। क्या ६ बजे के बाद भी वोटिंग हो सकती है?

श्री अध्यक्ष---मेरा ध्यान अभी दिलाया गया है। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो मैं ले सकता हूं।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद) (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० मिनट का टाइम और बढ़ा दिया जाय जिसमें कि वोटिंग पूरी तरह से हो सके।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों न कर दिया जाय कि जब तक वोटिंग खत्म न हो, तब तक या २० मिनट तक, जो भी उसमें से कम हो, उतने समय तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां, ऐसा ही कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति तो नही है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

श्री अध्यक्ष---मैं प्रश्न पुनः उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिपारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिए।

एक सदस्य---घंटी नहीं बजाई गई।

श्री अध्यक्ष---अगर आप चाहते हैं कि घंटी बजायी जाय तो मैं बजवा देता हूं। वैसे मेरा खयाल है जिनको आना था वे आ चुके हैं।

(घंटी बजाई गई।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैं यह कहना चाहता हूं कि गिनती में गलती हो रही है। २० आदमी न्यूट्रल नहीं है, तो अच्छा यह होगा कि दस्तखत करा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो तरीका रहा है, हाथ उठाने का, वही तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा।

प्रश्न यह है कि श्री अतहर हुसैन ख्वाजा का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में—०,

विपक्ष में—२८९।)

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय मैं, आपसे निवेदन करूंगा कि जितने माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति भी सदन को बतला दी जाय ताकि बाद में यह न कहा जाय कि आज बहुत से सदस्य नहीं आये; जितने सदस्य गैरहाजिर हैं और जितने आज इस समय उपस्थित हैं उनकी संख्या बतला दी जाय और बाद को जिन्होंने "हां" या "न" कहा उनकी संख्या भी बतला दी जाय।

श्री अध्यक्ष—हाजिरी बाद में बतला दूंगा। अभी बतलाने की जरूरत नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि माननीय श्रीचन्द्र जी का संशोधन जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया था, उसे स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में—०,

विपक्ष में—२७८।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव की पंक्ति १ में शब्द "की" के बाद शब्द "बहुत सी" जोड़ दिया जाय और पंक्ति २ के प्रथम शब्द "है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय तथा उसके बाद के सभी शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "परन्तु इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का तथा भारत संघ के अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों—बिहार, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश (हिन्दी), मध्यभारत, दिल्ली, पूर्वी पंजाब का हिन्दी भाषी भाग का अधिक वैज्ञानिक, उप-भाषाधार एवं सुसंगत फिर से बटवारा होना चाहिये और इस प्रकार निर्मित प्रदेशों में एक प्रदेश (बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी जिलों को मिला कर) भोजपुर प्रदेश अवश्य होना चाहिये" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में—१,

विपक्ष में—२७६।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़कर, जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसमें हस्ताक्षर के साथ वोटिंग हो।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नही देता हूं क्योंकि अगर इसके लिये यह होता तो मैं प्रारम्भ से ही सबके लिए ऐसा करता। लेकिन चूंकि मैं निर्णय कर चुका हूं इसलिये अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं संख्या बता दूंगा उनकी जो यहां हाजिर रहे हैं, जिनके दस्तखत है, और उनकी भी जो यहां इस वक्त मौजूद हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक बात मैं बता दूं। आज तीसरे पहर गोंडा और और स्थानों के कुछ सदस्यों को मैंने जाते हुए देखा है, तो जिन्होंने दस्तखत किये हैं....

श्री अध्यक्ष---मेरे पास वह सब है। वह सब चीज मैं सुना दूंगा कि कितने दस्तखत करके बाहर चले गए। लेकिन मैं अब लिखित विभाजन कराने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, समय हाउस का ६ बजे तक था। क्या ६ बजे के बाद भी वोटिंग हो सकती है?

श्री अध्यक्ष---मेरा ध्यान अभी दिलाया गया है। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो मैं ले सकता हूं।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद) (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० मिनट का टाइम और बढ़ा दिया जाय जिसमें कि वोटिंग पूरी तरह से हो सके।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों न कर दिया जाय कि जब तक वोटिंग खत्म न हो, तब तक या २० मिनट तक, जो भी उसमें से कम हो, उतने समय तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां, ऐसा ही कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

श्री अध्यक्ष---मैं प्रश्न पुनः उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिए।

एक सदस्य---घंटी नहीं बजाई गई।

श्री अध्यक्ष---अगर आप चाहते हैं कि घंटी बजायी जाय तो मैं बजवा देता हूं। वैसे मेरा खयाल है जिनको आना था वे आ चुके है।

(घंटी बजाई गई।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैं यह कहना चाहता हूं कि गिनती में गलती हो रही है। २० आदमी न्यूट्रल नहीं है, तो अच्छा यह होगा कि दस्तखत करा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---में यह कर सकता हूं कि टैलर्स (tellers) नियुक्त कर दूं; यदि कोई चैलेंज करते हैं कि गणना ठीक नहीं हो रही है; या जो विरोधी हैं उन्हें खड़ा कर दूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२८४
विपक्ष में---०)

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना यह देना चाहता हूं कि कुल जितने लोगों ने दस्तखत किये है रजिस्टर पर, उनकी संख्या ३३६ है, इसके अलावा माननीय मंत्रिगण और उप-मंत्रिगण दस्तखत नहीं करते हैं। उनकी उपस्थिति यहां पर मैं ११ देख रहा हूं।

अगर इसमें कोई गलती हो तो बता दी जाय।

तो ३४७ की उपस्थिति आज रजिस्टर के हिसाब से और मंत्रिगण को मिलाकर हैं।

इस वक्त २९८ सदस्य यहां पर हैं। तो इस हिसाब से जो प्रस्ताव के पक्ष में वोट आये है वे २८४ हैं और १४ मालूम होता है न्यूट्रल है; यह इससे स्पष्ट होता हैं। तो ये आंकड़े मैंने आपको सुना दिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---मैं चैलेन्ज करता हूं इसको।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा) (जिला जालौन)---मंत्री और उपमंत्रियों की संख्या ११ नहीं है, मैं समझता हूं कि १४-१५ है।

श्री अध्यक्ष---तो माननीय मंत्री, उपमंत्री तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज कृपा करक हाथ उठा दें।

(हाथ उठा कर गिनती होने के बाद)

श्री अध्यक्ष---तो यह बात सही निकली कि मैंने जो संख्या बताई ११, वह गलत थी। वास्तव में २० मंत्री, उप-मंत्री और सभा सचिव उपस्थित हैं। ३३६ तो रजिस्टर पर दस्तखत करने वाले हैं। इन २० में से तो किसी ने गलती से रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किये। तो कुल संख्या आज की हाजिरी की ३५६ है, जिनमें से २९८ यहां पर मौजूद हैं और इन २९८ में से २८४ ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिये, १४ न्यूट्रल समझे जायंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री---श्रीमन्, जो गणना हुई है, मैं समझता हूं यह सही गणना नहीं हुई। मैं इसे चैलेन्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब तो निर्णय हो चुका। अब हम उठते हैं और ५ दिसम्बर, सोमवार के दिन ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ नवम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की जिलेवार सूची

जिला	स्थान तथा संख्या	जातियां
१—रायबरेली	महराजगंज, ३५	बनमानुष ।
२—बांदा	१०,६२०	गोंड, कौल तथा मवैया ।
३—प्रतापगढ़	२,०००	मुसहर ।
४—मिर्जापुर	रावर्टगंज तथा दूधी ८२,०८२	खरवार, ममीवर, चेरों, अगारिया, घासिया भूहर (बैजा), ढंगर, धरीकर, भूयाण, बादी, पथारी, पनीकर, खराहा, कोल, मुसहर, कारवा तथा मजाही ।
५—अलमोड़ा	पत्ती डींडीघाट, गोरीफट मलाअस्काट, तहसील पिथौरागढ़ । २५०	बनरावत ।
६—बहराइच	३,०३१	थारू ।
७—बलिया	१८	भील ।
योग	९८,०३६	

नोट:—शेष ४४ जिलों में यह जाति नहीं पाई जाती ।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३ . पर)

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, १९२२ को अस्थायी रूप से अनुपूरित करने का

विधेयक

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को वयस्क मताधिकार (adult suffrage) के आधार पर भरने के प्रयोजन से, यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस एक्ट, १९२२ के उपबन्धों को अस्थायी रूप से अनुपूरित (supplement) करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० एक्ट सं० १०, १९२२ की धारा ३ का संशोधन।

२—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, १९२२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (1-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(1-a) Director of Elections (Local Bodies) means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*;"

आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिये उपनिर्वाचन।

३—यदि १९४८ के सामान्य निर्वाचन में बोर्ड के लिये निर्वाचित किये गये किसी सदस्य का स्थान इस अधिनियम के प्रारम्भ पर रिक्त हो, अथवा उसके पश्चात् रिक्त हो जाय तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति अनुसूची में उल्लिखित लोपों, परिवर्द्धनों, परिष्कारों तथा अपवादों (omissions, additions, modifications and exceptions) के अधीन रहते हुये, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भरी जायगी।

संशयों का निवारण

४—संशयों (doubts) के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई भी बात उस व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर सदस्य हो, निर्वाचन की वैधता अथवा उसके बोर्ड का सदस्य बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

राज्य सरकार का कठिनाइयां निवारण करने का अधिकार।

५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारण के निमित्त राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके यह आदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या उक्त अधिनियम को संशोधन अथवा अनुपूरित (supplementing) करने वाला अन्य कोई अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत निर्मित या प्रचारित कोई अन्य नियम, विनियम, या उपविधियां (rules, regulations or bye-laws) उस अवधि तक, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (adaptations)

चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप (omissions) के रूप मे हों, के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभावी होगी।

(२) खंड (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा उत्तर प्रदेश विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

अनुसूची

(देखिये धारा ३)

१—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२

क्रम सं०	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३
१	५	(१) उपधारा (२) मे "Muslim and" निकाल दिये जायं तथा शब्द "the respective population of Muslims and" के स्थान पर शब्द "the population of" रख दिये जायं। (२) उपधारा (३) मे— (क) शब्द "if such seats form a majority of the total number of elected seats" निकाल दिये जायं, और (ख) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।
२	७-ए से लेकर ७-जी तक	धारा ७ के पश्चात् ७-ए से लेकर ७-जी तक निम्नलिखित नयी धारायें रख दी जायं :—

"7-A. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise and direct the conduct of elections under this Act.

Conduct of elections to be supervised by the Director of Elections (Local Bodies).

7-B. Election in a casual vacancy on the basis of Adult Suffrage

The bye-election to fill a casual vacancy in a seat of a member of a Board shall be held on the basis of adult suffrage.

7-C. Electoral Roll for a constituency in which bye-election is to be held

(1) Where a bye-election is to be held in any constituency (hereinafter referred to as the specified constituency) to fill a seat in a casual vacancy of a member of a board, the District Magistrate shall, if so directed by the Director of Elections (Local Bodies)—

(*a*) appoint an Officer of the State Government or of the Board to be the Electoral Registration Officer of the specified constituency ; and

(*b*) direct the Electoral Registration Officer to prepare an electoral roll for the specified constituency in accordance with the provisions of sections

क्रम सं०	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३

7-B to 7-G and the directions issued by the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of electoral rolls for the specified constituency, adopt the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the Pepole Act, 1950 (hereinafter called the Assembly rolls) relatable to the area comprised in the said constituency and publish the same in the manner specified in the order under section 7-G and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the specified constituency prepared in accordance with this Act.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendments is made under the Representation of the People Act, 1950, or the rules framed thereunder, in the Assembly electoral rolls relatable to the area comprised in the specified constituency, a similar amendment shall be made in corresponding electoral roll of the said constituency.

7-D. Qualifications for electors

Subject to the provisions of section 7-E, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral rolls relatable to the area comprised in the specified constituency or whose name is in entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the said constituency.

7-E. Disqualifications for registration in electoral roll

(1) A person shall be disqualified for registration in the electoral roll of the specified constituency if he is disqualified for registration in the Assembly electoral rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the specified Constituency in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of the specified constituency by reason of disqualification under sub-section (i) shall forthwith be re-instated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorizing such removal.

क्रम० स०	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३

7-F Registration to be in one Place

No person shall be entitled to be registered in the electoral roll of the specified constituency more than once

7-G Order regarding electoral rolls

The State Government may by order, make provision in respect of the following matters concerning the preparation and revision of electoral roll of a specified constituency, namely —

"(*a*) the date on which the electoral roll shall come into force and the period of its operation ,

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned ,

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral roll ,

(*d*) the inclusion in the electoral roll of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the constituency but is not included in the electoral roll of the constituency , or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the constituency ,

(*e*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral roll of the specified consitituency "

३—	८,६,१० और १४	धारायें ८,६,१० और १४ निकाल दी जाय।
४—	२६	खंड (ए) निकाल दिया जाय।
		२—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स अमेंडमेंट ऐक्ट १९४८
५—	२६	धारा २६ निकाल दी जाय।

उद्देश्य तथा कारण

वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ मे अन्य बातों के साथ-साथ, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में मुसलमानों के लिये स्थान रक्षित रखने की व्यवस्था है। इस उपबन्ध की वैधता संशयात्मक है। इसी प्रकार वर्तमान ऐक्ट भी निर्बन्धित मताधिकार (restricted franchise) की प्रणाली का प्रतिपादक भी है जब कि अन्य इसी प्रकार के निकायो मे निर्वाचन का समान आधार वयस्क मताधिकार है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों मे इस समय सदस्यो के कई स्थान रिक्त है, और उनके लिये उपनिर्वाचन होने है, अतएव उक्त ऐक्ट में तुरन्त ही ऐसे संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिनके फलस्वरूप केवल अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रक्षित रखते हुये उप-निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जा सकेंगे।

तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सैयद अली जहीर,
मत्री,
स्वायत्त शासन।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४५ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १६०

च

छ

ज

प्रश्नोत्तर

प (क्रमागत)

र

ल

स

[स्थानिक प्रश्न]

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७२ एल० ए०—१९५६—७९६।